4 मार्च, 1986
फाल्गुन, 1907 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

पांचवां सत्र
(आठवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 13 पांचवां सत्र, 1986/1907 (शक)

अंक 8, मंगलवार, 4 मार्च, 1986/13 फाल्गुन, 1907 (शक)

विषय			पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	...	...	**1—26**
*तारांकित प्रश्न संख्या : 123 से 125 और 127 से 133	...	...	1—26
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	...	...	**26—368**
तारांकित प्रश्न संख्या : 102 से 122 (3-3-86) 126 और 134 से 142 (4-3-86)		...	26—55
अतारांकित प्रश्न संख्या : 974 से 1089, 1091 से 1155 और 1157 से 1178 (3-3-86) 1179 से 1234 और 1236 से 1409 (4-3-86)		...	55—368
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	...	...	**369—379**
नियम 377 के अधीन मामले	...	...	**379—383**
(एक) इण्डियन रेअर अर्थ लिमिटेड के थोरियम संयंत्रों को बम्बई से हटाकर उड़ीसा ले जाने की मांग			
श्री शरद दिघे	...	...	379—380
(दो) महाराष्ट्र के वसई, नालासोपरा और विरार क्षेत्रों को दिल्ली और बम्बई के लिए प्रस्तावित दूर संचार निगम के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत लाने की आवश्यकता			
श्री अनूप चन्द शाह	...	...	380
(तीन) सीतामढ़ी-बागमती सिंचाई परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए उसका प्रबन्ध-ग्रहण करने की आवश्यकता			
श्री श्रीराम श्रेष्ठ खिरहर	...	...	380
(चार) गोवा जिले में अयस्क और मैंगनीज की खानों से निकलने वाले खनन अपशिष्टों की समस्या को सुलझाने की आवश्यकता			
श्री शान्ताराम नायक	...	...	380—381

*किसी नाम पर अंकित † चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

(पांच) पंजाब के रोपड़, हरिका और फिरोजपुर मुख्यालयों का नियन्त्रण भाखड़ा व्यास प्रबन्ध बोर्ड को सौंपने के लिए पंजाब सरकार पर जोर डालने की आवश्यकता

श्री वृद्धि चन्द्र जैन 381

(छः) तमिलनाडु के भवानी तालुक में गलीचा प्रौद्योगिकी केन्द्र आरम्भ करने की आवश्यकता

श्री पी० कुलन्दईवेलु ... ... 381—382

(सात) देश में अश्लील साहित्य का प्रकाशन, प्रचार और बिक्री रोकने के लिए कड़े उपाय करने की आवश्यकता

श्री मूल चन्द डागा 382

(आठ) आन्ध्र प्रदेश सरकार को 300 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने और राज्य के रायलसीमा तथा तेलंगाना क्षेत्रों में व्याप्त सूखे की स्थिति से निपटने के लिए कोलाबरम और तेलगु गंगा परियोजनाओं को आरम्भ करने की आवश्यकता

श्री एम० रघुमा रेड्डी ... ... 382—383

मोटर-यान (संशोधन) अध्यादेश, 1986 का निरनुमोदन सम्बन्धी सांविधिक संकल्प

और

मोटर यान (संशोधन) विधेयक ... ... 383—410

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री मूल चन्द डागा ... ... 383—386

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर ... ... 386—388

श्री पी० नामग्याल ... ... 389—390

डा० दत्ता सामन्त ... ... 391—392

श्री गौरी शंकर राजहंस ... ... 392—395

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही ... ... 395—397

श्री नारायण चौबे ... ... 397—399

श्री गिरधारी लाल व्यास ... ... 399—400

श्री भट्टम श्रीराममूर्ति ... ... 400—401

श्री राजेश पाइलट ... ... 401—409

मोटर-यान (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन सम्बन्धी प्रस्ताव (अस्वीकृत) 409

मोटर-यान (संशोधन) विधेयक	...	...	409
खण्डवार विचार			
खण्ड 2 से 5 और 1			
पारित करने के लिए प्रस्ताव			
श्री राजेश पाइलट	...	...	409
रेल बजट—1986-87—सामान्य चर्चा	...	...	**410—454**
श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव	...	...	410—416
श्री बृज मोहन महन्ती	...	...	416—420
प्रो० नारायण चन्द पराशर	...	...	420—424
श्री बसुदेव आचार्य	...	...	424—428
श्री जी० एस० मिश्र	...	...	428—431
प्रो० के० वी० थामस	...	...	431—433
श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर	...	...	433—438
श्री राम पाल सिंह	...	...	438—439
श्री निर्मल खत्री	...	...	439—442
श्री पी० कुलन्दईवेलु	...	...	442—445
श्री गिरधारी लाल व्यास	...	...	445—449
श्री आर० जीवरत्नम	...	...	449—452
श्री काली प्रसाद पांडेय	...	...	452—454
कार्य-मन्त्रणा समिति	...	...	**454**
बीसवां प्रतिवेदन			

लोक सभा

मंगलवार, 4 मार्च, 1986/13 फाल्गुन, 1907 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

श्री बिनेश गोस्वामी : आप बहुत निश्चित दिखाई दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप वहां बैठे हैं, तो मैं निश्चित कैसे न रहूं ?

[हिन्दी]

मेरे इतने मुहाफिज बैठे हैं ।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ की स्थापना

***123. सैयद शाहबुद्दीन : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क). क्या सरकार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ स्थापित किए जाने की मांग को लेकर उस क्षेत्र में पुनः आन्दोलन किए की जानकारी है;

(ख) जसवन्त सिंह आयोग ने अपनी रिपोर्ट किस तारीख को प्रस्तुत की थी;

(ग) इस मांग के बारे में आयोग की क्या सिफारिशें हैं; और

(घ) रिपोर्ट सदन के पटल पर रखे जाने और उसे कार्यान्वित करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

विधि और न्याय मन्त्री (श्री ए० के० सेन) : (क) सरकार इस बात से अवगत है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता अपने क्षेत्र में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ स्थापित किए जाने के लिए आग्रह करती रही है ।

(ख) से (घ) जसवन्त सिंह आयोग ने अपनी रिपोर्ट 30 अप्रैल, 1985 को प्रस्तुत कर दी है। सरकार रिपोर्ट की समीक्षा कर रही है और इस प्रक्रम पर उसकी सिफारिशें प्रकट करना सम्भव नहीं होगा। सरकार, रिपोर्ट को, उसकी मदों पर विचार कर लेने के पश्चात्, संसद् के पटल पर

रखा देगी। सरकार विभिन्न उच्च न्यायालयों की न्यायपीठों की स्थापना संबंधी एक सामान्य नीति के संदर्भ में इस विषय पर व्यापक दृष्टि से विचार कर रही है।

सैयद शाहबुद्दीन : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं माननीय विधि और न्याय मंत्री को इस साल अपने अधूरे वक्तव्य में यही मान लेने के लिए बधाई देना चाहता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग इसके लिए दबाव डाल रहे हैं वे पांच साल से आन्दोलन कर रहे हैं और संसद का सत्र आरम्भ होने के पहले दिन पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र की 'बार एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों ने संसद के बाहर आन्दोलन ··· **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : महोदय, अन्दोलन का मतलब दबाव डालना होता है।

सैयद शाहबुद्दीन : जी हां, होता है। इसलिए मैंने कहा कि यह अल्प वक्तव्य है। मैंने यह नहीं कहा कि यह गलत वक्तव्य है··· **(व्यवधान)**

उन्होंने अपनी गिरफ्तारियां दीं और पुलिस ने उन्हें मारा पीटा। मुझे मालूम है कि जसवंतसिंह आयोग ने अप्रैल, 1985 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। 10 महीने बीत गए। यह आन्दोलन या दबाव, इसे आप जो भी नाम दीजिए, पिछले पांच सालों से चल रहा है। मामला तात्कालिक था इसलिए तो एक आयोग का गठन किया गया था। अब वह रिपोर्ट पिछले 10 महीने से सरकार के विचारार्थ पड़ी हुई है और माननीय मंत्री का कहना है कि इसकी सिफारिशें बताना सम्भव नहीं है। बताना सम्भव है, पर हो सकता है कि मन्त्री जी के दृष्टिकोण से ऐसा करना वांछनीय न हो। संभावना और वांछनीयता में अन्तर होता है। वह दलील दे सकते हैं कि वह ऐसा करना पसन्द नहीं करते पर उनके लिए एक ऐसे मामले में संसद को विश्वास में लेना संभव है जो इतने अधिक समय से जनता के आकर्षण का केन्द्र बना हुआ है। मेरा प्रश्न यह है कि देश में ऐसे बहुत से उच्च न्यायालय हैं, जिसके बहुत से न्यायपीठ हैं और अभी तक आमनीति का यह प्रश्न कभी नहीं उठा। मेरे राज्य बिहार में हाल ही में रांची में एक न्यायपीठ की स्थापना हुई थी······ **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया विस्तार में मत कहिए। आप केवल प्रश्न पूछिए।

सैयद शाहबुद्दीन : तो मेरा प्रश्न है "क्या वह उन उच्च न्यायालयों की संख्या के बारे में हमें बता सकते हैं जिनकी पहले से बहुत सी न्यायपीठें हैं और उन उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी हैं जहां नई न्यायपीठें स्थापित करने की मांग की गई है।"

[हिन्दी]

श्री ए० के० सेन : अध्यक्ष महोदय, आन्दोलन का हथियार दबाव है और दबाव का हथियार आन्दोलन है।

[अनुवाद]

दोनों का परस्पर संबंध है। दबाव और आंदोलन एक दूसरे के साथी हैं। कोई अधूरा वक्तव्य नहीं दिया गया। जहां तक रिपोर्ट के प्रकाशन की सम्भावना का संबंध है, मैंने दूसरे सदन में भी उत्तर प्रदेश के सभी सदस्यों को मिलकर बैठने और सरकार को यह सूचित करने के लिए कहा था कि वे इस उच्च न्यायालय की न्यायपीठ किस विशेष स्थान पर चाहते हैं।

[हिन्दी]

अगर हम यह रिपोर्ट पब्लिश करते तो मेरठ वाले आन्दोलन शुरू कर देते, अगर हम दूसरी बात कहते तो इलाहाबाद वाले आन्दोलन शुरू कर देंगे, आगरा वाले आंदोलन शुरू कर देंगे··· **(व्यवधान)**···

तो आन्दोलन के डर से हम नहीं चाहते कि अभी यह रिपोर्ट पेश करें। तो अभी यह रिपोर्ट पेश नहीं की जायगी जब तक आप लोग सहमत नहीं होते कि कहां पर हम हाईकोर्ट बैठाएं।··· (व्यवधान) ···

सैयद शाहबुद्दीन : मैंने पूछा था कि कितने हाई कोर्ट आज ऐसे हैं देश में जिन में मल्टीपल बेंचेज हैं और कितने हाई कोर्ट्स के बारे में मांग है। इसका जवाब नहीं आया।

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : मैं अर्ज कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में इलाहाबाद के अलावा हाई कोर्ट बेंच है। मध्य प्रदेश में ग्वालियर और इन्दौर में है। महाराष्ट्र में नागपुर और औरंगाबाद में है। बिहार में रांची में है। राजस्थान में जयपुर में है। गोवा दमन दीव में पणजी में है। ये हाईकोर्ट्स ऐसे हैं कि जिनकी बेंचेज दूसरी जगहों पर हैं।

तो यह मुख्तलिफ जगहों पर प्रिंसिपल सीट के अलावा भी बेंचेज हैं। और कोई इन्फार्मेशन आप चाहते हों तो बताइए ?

सैयद शाहबुद्दीन : और कहाँ कहा के सुझाव हैं ?

श्री ए० के० सेन : मैंने कहा कि इस का जवाब आप लोग दीजिए, आप लोग सब इर्रेस्पेक्टिव आफ पार्टीज, यू० पी० के जितने संसद सदस्य हैं, आप लोग सब बैठ कर बताएं कि कहां पर हम हाई कोर्ट की बेंच बैठाएं ?

सैयद शहबुद्दीन: मैंने पूछा कि ऐसे कोई और सुझाव भी आपके सामने हैं ? चूंकि जनरल पालिसी का सवाल मिनिस्टर महोदय अर्ज कर रहे हैं इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि इस के अलावा और कहां कहां के लिए सुझाव हैं ?

श्री एच० आर० भारद्वाज : इसके अलावा भी मैं अर्ज कर रहा हूं कि सारे नार्थ ईस्ट रीजन में अलग अलग स्टेट्स में सुझाव है कि उनको अलग हाईकोर्ट मिलना चाहिए। मिजोरम, अरुणाचल मेघालय, और त्रिपुरा में भी है। सिक्किम में आलरेडी हाई कोर्ट है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी है, तामिलनाडु और आंध्र में भी है। करीब करीब मुल्क के तमाम हिस्सों में ऐसी तजवीज है।··· (व्यवधान)

[अनुवाद]

सैयद शाहबुद्दीन : मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र की जनता उच्च न्यायालय की प्रस्तावित न्यायपीठ की स्थापना के लिए किसी स्थान के बारे में एकमत नहीं है। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि इस मुद्दे पर माननीय मंत्री को गलत सूचना दी गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वकीलों की सभा ने एकमत से यह संकल्प स्वीकार किया था कि सरकार पश्चिमी उत्तरप्रदेश के किसी भी जिला मुख्यालय में अपनी पसन्द के स्थान पर न्यायपीठ की स्थापना कर सकती है और वे इसे स्वीकार कर लेंगे। इसलिए यह सरकार की ओर से बहाना मात्र है जो बिल्कुल वांछनीय नहीं है। इसलिए मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या जसवन्त सिंह आयोग ने स्वयं कोई स्थान विशेष नहीं सुझाया था ? क्या हानि होती, अगर सरकार इस मुद्दे पर जसवन्त सिंह आयोग की सिफारिशें स्वीकार कर लेती ?

श्री ए० के० सेन : यह किसी वकील संघ द्वारा संकल्प पारित करने का सवाल नहीं है। (व्यवधान)

सैयद शाहबुद्दीन : उन्होंने ही इस विषय को शुरू किया था। (**व्यवधान**)

श्री ए० के० सेन : हमने हमेशा कहा है कि स्थिति का जायजा मुकदमे लड़ने वाली जनता की सुविधा के अनुसार लिया जाएगा। मैं माननीय सदस्य को बहुत स्पष्ट रूप से बता सकता हूं कि इलाहाबाद के वकील सहमत नहीं हो रहे हैं। (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : और दूसरे भी आते हैं। मेरे पास आए हैं।

श्री ए० के० सेन : मैंने गुजारिश की कि आप लोग सब मेंम्बरान बैठकर तय कर के बताएं कि कहां पर हम स्थापित करें। आप कहिए, लाइयर्स का क्या ताल्लुक है ? आप लोग बैठकर इरेंस्पेक्टिव आफ पार्टीज बताइए कि कहां पर बैठाएं ?

सैयद शाहबुद्दीन : मैंने यह पूछा कि जसवन्त सिंह कमीशन ने कोई इस के बारे में राय दी है ?

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते : उन्होंने जसवन्त सिंह आयोग के प्रतिवेदन के बारे में पूछा था। यह एक स्पष्ट प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : वह उसे बता नहीं सकते।

प्रो० मधु दण्डवते : वह बहुत सी बातें छिपा रहे हैं।

श्री ए० के० सेन : प्रश्न यह है कि···

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, मैं उन्हें अनुमति नहीं दे रहा।

(**व्यवधान**)

[हिंदी]

श्री के० एन० प्रधान : अध्यक्ष महोदय, जब से शासन और न्याय-व्यवस्था की स्थापना हुई है इसके लिए हमेशा, हर युग में और हर जगह पर इस बात का ध्यान रखा गया है कि न्यायपालिका और शासन का एक ही स्थान रहे। हर जगह पर देश में भी लगभग सभी राज्यों में जिस जगह राजधानी है वहां पर हाई कोर्ट है केवल एकमात्र मध्य प्रदेश इतना बड़ा राज्य जो हृदय प्रदेश इस देश का है। वहां पर राजधानी भोपाल में हाई कोर्ट नहीं है। मेरे जैसे सीधे सच्चे लोग तो हाई कोर्ट भी नहीं, केवल बेंच पर ही संतोष करने के लिए तैयार हैं। में आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि आपके जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं उनमें क्या आप इस प्रिंसिपल को भी कोई महत्व देंगे ?

श्री एच० आर० भारद्वाज : श्रीमानजी, शाहबुद्दीन साहब के सवाल के जवाब में ही मैंने निवेदन किया था कि मध्य प्रदेश की एक अलग समस्या है। वहां ग्वालियर, इन्दौर, जबलपुर, में हाईकोर्ट और उसकी बेंचेज हैं लेकिन मध्य प्रदेश की कैंपिटल में न कोई बेंच है और न हाई कोर्ट है। इस सम्बन्ध में उनका सुझाव आया हुआ है इसीलिए ये प्रिंसिपल्स तय करेंगे कि क्या सारे कैंपिटल्स में हाईकोर्ट का होना जरूरी है और क्या डिस्टेंस होगा रास्ते में। मध्यप्रदेश में इन्दौर और भोपाल का डिस्टेंस बहुत कम है लेकिन फिर भी स्टेट गवर्नमेंट की जो रिक्वेस्ट है वह है वह पेंडिग है, उसपर भी गौर हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : सारे लोगों की एक ही समस्या है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

केरल में पुयानकुट्टी जल विद्युत परियोजना को स्वीकृति

*124. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में पुयानकुट्टी जल विद्युत परियोजना को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा 1984 में स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी;

(ख) क्या योजना आयोग ने इस परियोजना में निवेश के लिए अनुमति दे दी है;

(ग) यदि हां, तो इस अनुमति के कब तक दिये जाने की सम्भावना है;

(घ) क्या इस परियोजना के लिए कोई विदेशी सहायता भी ली जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) 240 मेगावाट की पुयानकुट्टी जल विद्युत परियोजना, जिसकी अनुमानित लागत 250 करोड़ रुपये है, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा 1984 में स्वीकृत कर दी गई थी।

(ख) और (ग) राज्य सरकार द्वारा अपनी योजना में अनुमोदित परिव्यय के अन्दर पर्याप्त आवंटन किए जाने के आधार पर योजना आयोग द्वारा अनुमोदन हेतु परियोजना पर विचार किया जा सकता है।

(घ) परियोजना को योजना आयोग द्वारा स्वीकृत कर दिए जाने और राज्य सरकार द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त कर लिए जाने के बाद ही विदेशी सहायता के बारे में निर्णय लिया जा सकता है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, परियोजना की अनुमानित लागत 250 करोड़ रुपए हैं। मन्त्री जी जानते हैं कि परियोजना को लागू करने में देरी करने से लागत में वृद्धि होगी। हमारे पास अनेकों उदाहरण हैं कि एक ओर तो लागत में दुगुनी-तिगुनी वृद्धि हुई और साथ ही समय पर परियोजनाओं को शुरू न करने के कारण योजना के लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सके। इस मामले में आप बता चुके हैं कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और दोबारा पर्यावरण विभाग ने इस परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस मामले में मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि परियोजना को लागू करने में कौन सी अड़चने आड़े आ रही हैं। मैं चाहता हूं कि वह सदन को यह भी बताएं कि इस परियोजना को कब शुरू किया जा सकता है ?

श्री वसन्त साठे : जैसा मैंने कहा कि यह राज्य की परियोजना है। इसलिए राज्य को ही पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करानी होती है। जैसाकि मैंने बताया 1982-83 की कीमतों पर 250 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए अभी उन्होंने दस लाख रुपए की अल्प धनराशि की व्यवस्था की है। समस्त सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए उन्हें 1986-87 के लिए 1.5 करोड़ रुपए दिये जा रहे हैं। इस हिसाब से सातवीं पंचवर्षीय योजना में उन्हें कम से कम 150 करोड़ रुपए की

व्यवस्था करनी होगी। जब तक राज्य सरकार 250 करोड़ रुपए की परियोजना के लिए यह नहीं करती तब तक आगे प्रगति संभव नहीं है।

दूसरी बात वन विभाग द्वारा स्वीकृति देने की है। राज्य सरकार ने अपने वन विभाग से यह स्वीकृति प्राप्त कर ली है। जब तक ये दो बातें ··

श्री उत्तम राठौड़ : अपने वन विभाग से स्वीकृति नहीं लेनी होती। उन्हें आपसे स्वीकृति लेनी होती है। केन्द्र सरकार को इसे केन्द्रीय वन अधिनियम के अन्तर्गत स्वीकृति देनी होती है।

श्री वसन्त साठे : जी हां, लेकिन राज्य वन विभाग को प्रमुख प्रस्ताव के बारे में सिफारिश इस प्रकार करनी होती है कि यह केन्द्रीय वन अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुरूप है। लेकिन तथ्यों के बारे में राज्य को बताना होता है। इसलिए जब तक इन दो बातों का अनुपालन नहीं किया जाता, योजना आयोग की स्वीकृति अंतिम नहीं होगी और अन्तिम स्वीकृति के बिना आगे प्रगति सम्भव नहीं है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, माननीय मंत्री का कहना है कि वन अधिनियम के अंतर्गत स्वीकृति भी एक कारण है। वास्तव में स्वीकृति केन्द्र सरकार द्वारा दी जाती है। अगर मैं ठीक समझ रहा हूं तो राज्य सरकार वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत स्वीकृति लेने के लिए केन्द्रीय सरकार से पहले ही सम्पर्क कर चुकी है। आशा है मन्त्री जी मामले में सहायता करेंगे।

जहां तक वित्तीय पहलू का संबंध है आप जानते हैं कि सभी राज्य सरकारों में से केरल सरकार ही सर्वाधिक वित्तीय संकट का सामना कर रही है और उसके पास इस योजना के लिए वास्तव में कोई धनराशि नहीं है। इसलिए हम केन्द्रीय सरकार को कह रहे हैं। विद्युत-उत्पादन इसी राज्य का ही विषय नहीं है। हम विद्युत उत्पादन करते हैं तो उसे अन्य राज्यों को भी दे रहे हैं। यह केवल केरल राज्य के लिए नहीं है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि केन्द्रीय सरकार भी इस परियोजना में पूंजी निवेश करे। अगर केन्द्र के पास इस समय पर्याप्त धनराशि नहीं है तो क्या मैं माननीय मन्त्री जी से जान सकता हूं कि इस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए वह विदेशी सहायता लेने पर विचार क्यों नहीं करते।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। और विस्तार में मत जाइये।

प्रो० पी० जे० कुरियन : क्योंकि आपको अन्य परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता मिल चुकी है इसलिए धनराशि की कमी को देखते हुए क्या विदेशी सहायता के लिए परियोजना पर विचार किया जाएगा?

श्री वसन्त साठे : योजना आयोग द्वारा अन्तिम रूप से स्वीकृति दिये जाने के बाद ही विदेशी सहायता या द्विपक्षीय सहायता का सवाल उत्पन्न होगा। तभी हम इस परियोजना को विदेशी सहायता के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं।

प्रो पी० जे० कुरियन : धनराशि की कमी का क्या होगा?

श्री वसन्त साठे : योजना आयोग से स्वीकृति पाने के लिए ये सब बातें जरूरी हैं।

श्री आर्ज जोसफ मुंडाकल : महोदय, क्या मैं मन्त्री जी से जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि तीन साल बाद केरल को विद्युत संकट का सामना करना पड़ेगा। हमारे पास कोयला-

क्षेत्र नहीं, है हम कोयला क्षेत्रों से दूर हैं। वहां केवल कुछ पन बिजली परियोजनाएं हैं। पुयान-कुट्टी पन बिजली परियोजना को भी स्वीकृति नहीं दी गई तो बिजली संकट से बचा नहीं जा सकता है। वन क्षेत्र होने के कारण इस परियोजना के लिए लोगों को बे दखल नहीं करना पड़ेगा। केवल वन विभाग से स्वीकृति की जरूरत होती है और यह स्वीकृति सरकार ले सकती है।

जैसा कि प्रो० कुरियन ने उल्लेख किया है कनाडियन सरकार, विश्व बैंक और कुछ विदेशी ऐजेंसियां इस परियोजना के लिए धनराशि देने के लिए तैयार हैं और केन्द्रीय सरकार बाहर से पैसा लेने पर विचार कर सकती है। क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि क्या वह इसलिए परियोजना को शीघ्र स्वीकृति देने के लिए कदम उठाएंगे ताकि केरल में भावी विद्युत संकट को टाला जा सके।

श्री सुरेश कुरुप : इस समय समस्या राजनैतिक शक्ति के संकट की है।

श्री जार्ज जोसफ मुंडाकल : बेरोजगारी की समस्या भी वहां है। अतिरिक्त विद्युत न मिलने पर हमारे राज्य का भविष्य बिगड़ जाएगा लोग बेरोजगार ही रहेंगे। मन्त्री जी योजना को लागू करने में कितना समय लेंगे?

श्री वसन्त साठे : जैसा कि मैं कहा, इदुक्की और निचली पेरियार परियोजना जैसी कुछ परियोजनाओं के लिए हमें विश्व बैंक तथा कनाडा से सहायता मिल ही रही है। लेकिन राज्य सरकार जब भी प्रस्ताव रखती है तो कुछ मापदण्डों का पालन करना होता है। यह केन्द्रीय परियोजना नहीं है। यदि यह केन्द्रीय परियोजना होती तो बात कुछ और ही होती। राज्य सरकार जब किसी परियोजना का प्रस्ताव रखती है तो उसे अपनी ओर से धनराशि की व्यवस्था करने के लिए कुछ जरूरतें पूरी करनी पड़ती हैं। अगर ऐसा नहीं करके आप मात्र प्रस्ताव रख देते हैं और 10 लाख रुपए दे देते हैं तो आप कैसे आशा कर सकते हैं कि योजना आयोग आदि परियोजना को स्वीकृति दे देंगे? विदेशी सहायता के लिए भी कुछ मूलभूत जरूरतें पूरी करनी पड़ती है। यही प्रमुख सवाल है।

राजनैतिक दलों के लिए आचार संहिता

*125 **श्री आयनल अबेदिन†**
श्री वसुदेव आचार्य } : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन आयोग ने राजनैतिक दलों और निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के मार्ग दर्शन के लिए एक आदर्श आचार संहिता तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री ए० के० सेन) : (क) जी हां। निर्वाचन आयोग ने सभी राजनैतिक दलों के मतैक्य के आधार पर एक "राजनैतिक दल और अभ्यर्थी मार्गदर्शन आदर्श आचार संहिता" तैयार की है।

(ख) संहिता की एक प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(ग) सरकार ने इस संहिता का स्वागत किया है और उसके विचार में इसका देश में निर्वाचनों पर और निर्वाचन प्रक्रिया पर गहरा प्रभाव पड़ेगा।

राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिये आदर्श आचार संहिता

I. साधारण आचरण

(1) किसी दल या अभ्यर्थी को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए, जो विभिन्न जातियों और धार्मिक या भाषायी समुदायों के बीच विद्यमान मतभेदों को बढ़ाए या घृणा की भावना उत्पन्न करे या तनाव पैदा करे ।

(2) जब अन्य राजनैतिक दलों की आलोचना की जाए, तब वह उनकी नीतियों और कार्यक्रम, पूर्ववृत्त और कार्य तक ही सीमित होनी चाहिए । यह भी आवश्यक है कि व्यक्तिगत जीवन के ऐसे सभी पहलुओं की आलोचना नहीं की जानी चाहिए जिनका सम्बन्ध अन्य दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं के सार्वजनिक क्रियाकलाप से न हो । दलों या उनके कार्यकर्ताओं के बारे में कोई ऐसी आलोचना नहीं की जानी चाहिए जो ऐसे आरोपों पर जिनकी सत्यता स्थापित न हुई हो या तोड़-मरोड़ कर कही गई बातों पर आधारित हो ।

(3) मत प्राप्त करने के लिए जातीय या साम्प्रदायिक भावनाओं की दुहाई नहीं दी जानी चाहिए । मस्जिदों, गिरजाघरों, मंदिरों या पूजा के अन्य स्थानों का निर्वाचन प्रचार के लिए मंच के रूप में उपयोग नहीं दिया जाना चाहिए ।

(4) सभी दलों और अभ्यर्थियों को ऐसे सभी कार्यों से ईमानदारी के साथ बचना चाहिए, जो निर्वाचन विधि के अधीन "भ्रष्ट आचरण" और अपराध है जैसे कि मतदाताओं को रिश्वत देना,मतदाताओं को अभित्रस्त करना, मतदाओं का प्रतिरूपण, मतदान केंद्र के 100 मीटर के भीतर मत संयाचना करना, मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय को खत्म होने वाली, 48 घण्टे की अवधि के दौरान सार्वजनिक सभाएं करना और मतदाताओं को सवारी से मतदान केंद्रों तक ले जाना और वहां से वापस लाना ।

(5) सभी राजनैतिक दलों या अभ्यर्थियों को इस बात का प्रयास करना चाहिए कि वे प्रत्येक व्यक्ति के शांतिपूर्वक और विघ्नरहित घरेलू जिन्दगी के अधिकार का आदर करें चाहे वे उसके राजनैतिक विचारों या कार्यों के कितने ही विरुद्ध क्यों न हों । व्यक्तियों के विचारों या कार्यों का विरोध करने के लिए उनके घरों के सामने प्रदर्शन आयोजित करने या धरना देने के तरीकों का सहारा किसी भी परिस्थिति में नहीं लेना चाहिए ।

(6) किसी भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी का ध्वजदंड बनाने, ध्वज टांगने, सूचनाएं चिपकाने, नारे लिखने आदि के लिए किसी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते, दीवार आदि का उसकी अनुमति के बिना उपयोग करने की अनुज्ञा अपने अनुयायियों को नहीं देनी चाहिए ।

(7) राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके समर्थक अन्य दलों द्वारा आयोजित सभाओं, जुलूसों आदि में बाधाएं उत्पन्न न करें या उन्हें भंग न करें । एक राजनैतिक दल के कार्यकर्त्ताओं या शुभचिंतकों को दूसरे राजनैतिक दल द्वारा आयोजित सार्वजनिक सभाओं में मौखिक रूप से या लिखित रूप में प्रश्न पूछ कर या अपने दल के परचे वितरित करके, गड़बड़ी पैदा नहीं करनी चाहिए । किसी दल द्वारा जुलूस उन स्थानों से होकर नहीं ले जाना चाहिए जिन स्थानों पर दूसरे दल द्वारा सभाएं की जा रही हों । एक दल द्वारा निकाले गए पोस्टर दूसरे दल के कार्यकर्त्ता द्वारा नहीं हटाए जाने चाहिए।

II. सभाएं

(1) दल या अभ्यर्थी को किसी प्रस्तावित सभा के स्थान और समय के बारे में स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों को उपयुक्त समय पर सूचना दे देनी चाहिए ताकि वे यातायात को नियंत्रित करने और शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक इन्तजाम कर सकें।

(2) दल या अभ्यर्थी को उस दशा में पहले ही यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उस स्थान पर जहां सभा करने का प्रस्ताव है, कोई निर्बन्धनात्मक या प्रतिषेधात्मक आदेश लागू तो नहीं है। यदि ऐसे आदेश लागू हों तो, उनका कड़ाई के साथ पालन किया जाना चाहिए। यदि ऐसे आदेशों से कोई छूट अपेक्षित हो तो उसके लिए समय से आवेदन करना चाहिए और छूट प्राप्त कर लेनी चाहिए।

(3) यदि किसी प्रस्तावित सभा के सम्बन्ध में लाउडस्पीकरों के उपयोग या किसी अन्य के लिए अनुज्ञा या अनुज्ञप्ति प्राप्त करनी हो तो दल या अभ्यर्थी को संबद्ध प्राधिकारी के पास काफी पहले ही आवेदन करना चाहिए और अनुज्ञा या अनुज्ञप्ति प्राप्त कर लेनी चाहिए।

(4) किसी सभा के आयोजकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे सभा में विघ्न डालने वाले या अन्यथा अव्यवस्था फैलाने का प्रयत्न करने वाले व्यक्तियों से निपटने के लिए ड्यूटी पर तैनात पुलिस की सहायता प्राप्त करें।

आयोजकों को चाहिए कि वे स्वयं ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही न करें।

III. जुलूस

(1) जुलूस का आयोजन करने वाले दल या अभ्यर्थी को पहले ही यह बात तय कर लेनी चाहिए कि जुलूस किस समय और किस स्थान से शुरू होगा, किस मार्ग से होकर जाएगा और किस समय और किस स्थान पर समाप्त होगा। सामान्यतः कार्यक्रम में कोई फेरबदल नहीं होना चाहिए।

(2) आयोजकों को चाहिए कि वे कार्यक्रम के बारे में स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों को अग्रिम सूचना दे दें ताकि वे आवश्यक इन्तजाम कर सकें।

(3) आयोजकों को यह पता कर लेना चाहिए कि जिन इलाकों से होकर जुलूस गुजरता है उनमें कोई निर्बन्धनात्मक आदेश तो लागू नहीं है और जब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष रूप से छूट न दे दी जाए, उन निर्बन्धनों का पालन करना चाहिए। यातायात के नियमों और निर्बन्धनों का भी ध्यानपूर्वक पालन करना चाहिए।

(4) आयोजकों को चाहिए कि जुलूस का इन्तजाम ऐसे ढंग से करें जिससे कि यातायात में कोई रुकावट या बाधा उत्पन्न किए बिना जुलूस का निकलना संभव हो सके। यदि जुलूस बहुत लम्बा है तो उसे उपयुक्त लम्बाई वाले टुकड़ों में संगठित किया जाना चाहिए ताकि सुविधाजनक अंतरालों, पर विशेषकर उन स्थानों पर जहां जुलूस को चौराहों से होकर गुजरना है, रुके हुए यातायात के लिए समय-समय पर रास्ता दिया जा सके और इस प्रकार भारी यातायात के जमाव से बचा जा सके।

(5) जुलूसों की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि जहां तक हो सके उन्हें सड़क की दायीं ओर रखा जाए और ड्यूटी पर तैनात पुलिस के निदेश और सलाह का कड़ाई के साथ पालन किया जाना चाहिए।

(6) यदि दो या अधिक राजनैतिक दलों या अभ्यर्थियों ने लगभग उसी समय पर, उसी रास्ते या उसके भाग से जुलूस निकालने का प्रस्ताव किया है तो, आयोजकों को चाहिए कि वे समय से काफी पूर्व आपस में संपर्क स्थापित करें और ऐसी योजना बनाएं जिससे कि जुलूसों में टकराव न हो या यातायात को बाधा न पहुंचे। स्थानीय पुलिस की सहायता सन्तोषजनक इन्तजाम करने के लिए सदा उपलब्ध होगी। इस प्रयोजन के लिए दलों को यथाशीघ्र पुलिस से संपर्क स्थापित करना चाहिए।

(7) जुलूस में शामिल लोगों द्वारा, ऐसी चीजें लेकर चलने के विषय में जिनका अवांछनीय तत्वों द्वारा, विशेष रूप से उत्तेजना के क्षणों में, दुरुपयोग किया जा सकता हो, राजनैतिक दलों या अभ्यर्थियों को अधिक से अधिक नियंत्रण रखना चाहिए।

(8) किसी भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी को अन्य राजनैतिक दलों के सदस्यों या उनके नेताओं के पुतले लेकर चलने, उनको सार्वजनिक स्थान में जलाने और इसी प्रकार के अन्य प्रदर्शनों का समर्थन नहीं करना चाहिए।

IV. मतदान दिवस

सभी राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों को चाहिए कि वे

(i) यह सुनिश्चित करने के लिए कि मतदान शान्तिपूर्वक और सुव्यवस्थित ढंग से हों और मतदाताओं को इस बात की पूरी स्वतन्त्रता हो कि वे बिना किसी परेशानी या बाधा के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें, निर्वाचन कर्तव्य पर लगे हुए अधिकारियों के साथ सहयोग करें;

(ii) अपने प्राधिकृत कार्यकर्ताओं को उपयुक्त बिल्ले या पहचान पत्र दें;

(iii) इस बात से सहमत हों कि मतदाताओं को उनके द्वारा दी गई पहचान पर्चियां सादे कागज पर होंगी और उन पर कोई प्रतीक, अभ्यर्थी का नाम या दल का काम नहीं होगा;

(iv) मतदान के दिन और उसके पूर्व के 24 घण्टों के दौरान किसी को शराब पेश या वितरित न करें;

(v) राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों द्वारा मतदान केंद्रों के निकट लगाए गए कैम्पों के नजदीक अनावश्यक भीड़ इकट्ठी न होने दें जिससे दलों और अभ्यर्थियों के कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों में आपस में मुकाबला और तनाव न होने पावे;

(vi) यह सुनिश्चित करें कि अभ्यर्थियों के कैम्प साधारण हों, उन पर कोई पोस्टर, झण्डे, प्रतीक या कोई अन्य प्रचार सामग्री प्रदर्शित न की जाए; और

(vii) मतदान के दिन वाहन चलाने पर लगाए जाने वाले निबंधनों का पालन करने में प्राधिकारियों के साथ सहयोग करें और वाहनों के लिए परमिट प्राप्त कर लें और उन्हें उन वाहनों पर ऐसे लगा दें जिससे वे साफ-साफ दिखाई देते रहें।

मतदान केन्द्र

मतदाताओं के सिवाय कोई भी व्यक्ति निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए विधिमान्य पास के बिना मतदान केंद्रों में प्रवेश नहीं करेगा।

VI. प्रेक्षक

निर्वाचन आयोग प्रेक्षक नियुक्त कर रहा है। यदि निर्वाचनों के संचालन के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं को कोई विशिष्ट शिकायत या समस्या हो तो वे उसकी सूचना प्रेक्षक को दे सकते हैं।

VII. सत्ताधारी दल

सत्ताधारी दल को, चाहे वह केन्द्र में हो या सम्बन्धित राज्य या राज्यों में हो, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शिकायत करने का कोई मौका न दिया जाए कि उस दल ने अपने निर्वाचन अभियान के प्रयोजनों के लिए अपने सरकारी पद का प्रयोग किया है; और विशेष रूप से—

(i) (क) मंत्रियों को अपने शासकीय दौरों को निर्वाचन में सम्बन्धित प्रचार कार्य के साथ नहीं जोड़ना चाहिए और निर्वाचन के दौरान प्रचार करते हुए शासकीय तंत्र अथवा कार्मिकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए; और

(ख) सरकारी विमानों, गाड़ियों सहित सरकारी वाहनों, मशीनरी और कार्मिकों का सत्ताधारी दल के हित को बढ़ावा देने के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा;

(ii) सत्ताधारी दल को चाहिए कि वह सार्वजनिक स्थान जैसे मैदान इत्यादि पर निर्वाचन सभाएं आयोजित करने और निर्वाचन के सम्बन्ध में हवाई-उड़ानों के लिए हैलिपैडों के इस्तेमाल करने के लिए अपना एकाधिकार न जमाएं। ऐसे स्थानों का प्रयोग दूसरे दलों और अभ्यर्थियों को भी उन्हीं शर्तों पर करने दिया जाए जिन शर्तों पर सत्ताधारी दल उनका प्रयोग करता है;

(iii) दूसरे दलों और अभ्यर्थियों को भी विश्राम गृहों, डाक-बंगलों और अन्य सरकारी आवासों का प्रयोग निष्पक्ष तरीके से करने की अनुमति दी जानी चाहिए;

(iv) निर्वाचन अवधि के दौरान, राजनैतिक समाचारों तथा प्रचार की पक्षपातपूर्ण व्याप्ति के लिए सरकारी खर्चे से समाचार पत्रों में या अन्य मध्यमों से ऐसे विज्ञापनों को जारी किए जाने तथा सरकारी जन-माध्यमों का दुरुपयोग करने से स्पष्टतः बचना चाहिए जिनमें सत्ताधारी दल के हितों को अग्रसर करने की दृष्टि से उनकी उपलब्धियां दिखाई गई हों;

(v) मन्त्री और अन्य प्राधिकारी उस समय से जब से निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन घोषित किए जाते हैं; वैवेकिक निधि में से अनुदानों/अदायगियों की स्वीकृति नहीं देंगे;

(vi) मन्त्री और अन्य प्राधिकारी, उस समय से जब से निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन घोषित किए जाते हैं:—

(क) किसी भी रूप में कोई भी वित्तीय मंजूरी या वचन देने की घोषणा नहीं करेंगे; या

(ख) किसी प्रकार की परियोजना अथवा स्कीमों के लिए आधारशिलाएं आदि नहीं रखेंगे; या

(ग) सड़कों के निर्माण पीने के पानी की सुविधाएं उपलब्ध कराने आदि का कोई वचन नहीं देंगे जिससे सत्ताधारी दल के हित में मतदाता प्रभावित हों।

(vii) केंद्रीय या राज्य सरकार के मन्त्री, अभ्यर्थी या मतदाता अथवा प्राधिकृत अभिकर्ता की अपने हैसियत को छोड़कर किसी भी मतदान केन्द्र या गणना स्थल में प्रवेश नहीं करेंगे।

नई दिल्ली
नवम्बर 12, 1984

ह०
(आर० के० त्रिवेदी)
भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त

श्री जायनल अबेदिन : निर्वाचन सुधारों के संबंध में वृहद् कानून बनाने की आवश्यकता निर्वाचन आयोग द्वारा बनाई गई आचार संहिता से उत्पन हुई है। इस बात का उल्लेख राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में वर्ष 1985 में और इस वर्ष भी किया गया है कि हमारी वर्तमान निर्वाचन प्रणाली में सुधार लाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि निर्वाचन संबंधी सुधार लाने के लिए सरकार ने पहले ही कौनसे उपाय किये हैं अथवा अब कौनसे कदम उठाने का प्रस्ताव है।

श्री ए० के० सेन : एक बार आचार संहिता की विभिन्न मदें पढ़ने के बाद यह बात समक्ष में आ जाएगी कि उन्हें प्रत्येक उद्देश्य के लिए कानून का विषय नहीं बनाया जा सकता है। किंतु यह सत्य है कि इन में से कुछ तो कानून की विषय-वस्तु बन जाएंगे और निर्वाचन आयोग के परामर्श से वे विषय विचाराधीन है और जब भी सरकार के विचार तैयार हो जाएंगे तो उसी समय राजनीतिक दलों से भी सलाह ली जाएगी और निश्चित रूप से एक ऐसा कानून सामने लाया जाएगा जिससे सभी सहमत होंगे।

श्री जायनल अबेदिन : मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सत्य है कि निर्वाचन आयोग ने कहा है कि पिछले संसदीय चुनावों के दौरान इस आचार संहिता का बिहार तथा देश के अन्य भागों में भी व्यापक उल्लंघन किया गया और वहां बड़े पैमाने पर मतों में हेराफेरी और मतदान केन्द्रों पर कब्जा किया गया। यदि ऐसा है, तो सरकार इस हेरा फेरी को जड़ से समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

अध्यक्ष महोदय : इसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री बसुदेव आचार्य : यह प्रेस में छपा है

अध्यक्ष महोदय : यदि कोई चीज प्रेस में छप जाती है तो क्या वह अटल सत्य है ?

श्री बसुदेव आचार्य : माननीय मंत्री ने आदर्श आचार संहिता की एक लम्बी सूची दी है जिसका प्रायः राजनैतिक दलों द्वारा विशेषकर केन्द्र में सत्ता रूढ़ दल द्वारा उल्लंघन किया जाता है। असम में चुनावों की घोषणा के पश्चात् हमारे प्रधान मन्त्री ने जापान में यह घोषणा की कि असम में जापान के सहयोग से एक तेल-शोधक कारखाना स्थापित किया जाएगा। **(व्यवधान)**

मैं माननीय मन्त्री से यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने गत उपचुनाव और असम चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और सरकार ने इन पर क्या कार्यवाही की है।

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच०आर० भारद्वाज) : जहां तक शिकायतों का संबंध है, वे तो निर्वाचन आयोग में प्राप्त हुई हैं । इस के लिए हमें एक सूचना चाहिए क्योंकि यह प्रश्न से सम्बद्ध नहीं है। किंतु पश्चिम बंगाल और बिहार से शिकायतें प्राप्त हुई हैं । अतः इन की पूछ-ताछ की गई और इस संबंध में कदम उठाए गए हैं और इस सम्बन्ध में हम ने पहले ही एक विवरण दिया है। किंतु अधिकतर शिकायतें पश्चिम बंगाल से मिली हैं, जहां दूसरा दल सत्ता में हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : यह तो आप का दल है जिस ने आचार संहिता का उल्लघन किया है।

श्री सुरेश कुरुप : कृपया विशिष्ट रूप से कहिए कि कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं।

श्री जी० जी० स्वैल : निर्वाचन आयोग की आचार संहिता के अतिरिक्त मैं जानना चाहत हूं कि क्या मंत्री महोदय इस बात से अवगत हैं कि कुछ राजनीतिक दल अपनी ही आचार संहिता तैयार कर रहे हैं और जिन बातों की ओर ध्यान दिया जा रहा है उनमें हैं मधपान, कुमारीगमन (फारनीकेशन) तथा इस से संबंधित भ्रष्टाचार की सभी भयंकर बुराइयां, जो दल के किसी भी माननीय सदस्य अथवा उच्च पद पर नियुक्त किसी सदस्य के लिए वर्जित होंगी ?

श्री ए० के० सेन : यह सत्य है कि कांग्रेस दल की एक आचार संहिता है। मुझे अन्य दलों को आचार संहिता के बारे में कुछ मालूम नहीं है। किंतु मैं अन्य दलों की आचार संहिता का भी उतना ही सम्मान करूंगा जितना अपने दल की आचार संहिता का।

श्री जी० जी० स्वैल : मदिरापान का तो कांग्रेस के सदस्यों को अभिशाप है।

श्री ए० के० सेन : हां है।

प्रो० के० के० तिवारी : दुर्भाग्य से माननीय मंत्री ने एक ऐसे शब्द का प्रयोग किया है जो असंसदीय है।

अध्यक्ष महोदय : मैं उसे देखूंगा।

प्रो० के० के० तिवारी : कुमारीगमन, (फारनीकेशन) शब्द असंसदीय है।

श्री जी० जी० स्वैल : यह चिकित्सीय भाषा है।

कांटी, बिहार स्थित ताप विद्युत संयंत्र

*127. **डा० गौरीशंकर राजहंस** † / **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांटी, मुजफ्फरपुर (बिहार) स्थित ताप विद्युत संयंत्र, जो अप्रैल, 1985 में चालू किया जाना था, चालू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो विद्युत उत्पादन में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस ताप विद्युत केन्द्र से मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर जिलों को बिजली प्राप्त होगी ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) कांटी के समीप मुजफ्फरपुर ताप विद्युत केन्द्र में 110-110 मेगावाट की दो यूनिटें प्रतिष्ठापित किए जाने की संकल्पना की गई थी। पहली यूनिट को 31.3. 1985 को समकालित किया गया था तथा दूसरी यूनिट को मार्च, 1986 में पूरा किए जाने की उम्मीद है। कोयला और राख हैण्डलिंग प्रणालियों के पूरा होने में विलम्ब, कोयले के प्रवाह से संबंधी समस्याओं, पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित कार्मिकों की कमी आदि जैसे विभिन्न कारणों की वजह से यूनिट-एक से विद्युत का पूरा उत्पादन प्राप्त करने में विलम्ब हुआ है। इस यूनिट ने 26.2.1986 तक 89 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन किया है।

(घ) इस केन्द्र से होने वाले विद्युत के उत्पादन को राज्य के विद्युत ग्रिड को दिया जाएगा तथा यह किसी विशिष्ट क्षेत्र के लिए आवंटित नहीं किया गया है।

डा० गौरी शंकर राजहंस : क्या माननीय मंत्री इस बात से अवगत हैं कि नवम्बर और दिसम्बर 1985 में मुजफ्फरपुर तापीय बिजली संयंत्र में भारी खराबी आ गई थी और यदि ऐसा हुआ तो इसके क्या कारण थे?

श्री वसन्त साठे : जैसा मैंने कहा, इस प्रकार की खराबी तकनीकी कारणों जैसे संयंत्र प्रणाली अभी ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रही है, कोयले की ढुलाई संबंधित प्रणाली, संयंत्र प्रणाली में कोयले की ढुलाई, नियंत्रण केब्लस की असफलता, पर्याप्त रूप में शिक्षित व्यक्तियों का अभाव आदि, खराबी आने के कारण हैं।

डा० गौरी शंकर राजहंस : और भी कुछ कारण थे।

श्री वसंत साठे : और कारण आप को मालूम हैं।

डा० गौरी शंकर राजहंस : हां मुझे कारण मालूम हैं। तोड़-फोड़ के भी मामले हुए। बिहार में कोयले की कोई कमी नहीं है। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि इस तापीय विद्युत संयंत्र में कोयला भेजने में विलम्ब के क्या कारण थे।

श्री वसंत साठ : यह बिहार में कोयले के अभाव के कारण नहीं हुआ। यह अन्दरूनी प्रणाली है जिसमें उनके अपने कनवेयर के द्वारा कोयला भट्टी में भेजा जाता है। यह उचित ढंग से कार्य नहीं कर रहा है।

श्रीमती किशोरी सिंह : यह तापीय विद्युत केन्द्र मेरे चुनाव क्षेत्र में स्थित है और मैंने यह मामला कई बार सदन में उठाया है और मैंने भी सभी मंत्रियों से बातचीत की।

मुझे मालूम है कि भारत हेवी इलेक्ट्रानिकस लि० ने संयंत्र की स्थापना करने के लिए उपकरण दिए हैं। फिर भी विलम्ब हुआ है। क्या मैं माननीय मन्त्री से पूछ सकता हूं कि क्या मशीन को चालू करते समय रिसाव हो रहा था और संयंत्र को मरम्मत के लिए बन्द करना पड़ा और अब पूरी क्षमता की बिजली भी पैदा नहीं होती है। यदि ऐसा है, तो पूरी बिजली तैयार करने में अभी कितना समय लग जाएगा?

मैं मन्त्री से यह भी जानना चाहूंगा कि क्या उन समस्याओं का पूर्वाभास नहीं था जिन के कारण विद्युत पैदा करने की पूरी क्षमता का प्रयोग करने में विलम्ब हो रहा था।

श्री वसन्त साठे : जैसा मैंने कहा कि इन समस्याओं के संबंध में हमें पता है। उनके बारे में मालूम था। सब मिलाकर यह एक सत्य है कि बिहार में विद्युत केन्द्रों में और लगभग सभी पूर्वी राज्यों में कुशलता और संयंत्र भार तत्त्व 51 की राष्ट्रीय औसत की तुलना में बहुत कम है।

बिहार में यह 34 है। यह बिहार और सभी उत्तरीय राज्यों की बिजली उपलब्धता में कमी का मुख्य कारण है। अतः सब से अधिक महत्त्वपूर्ण बात संयंत्र की भार क्षमता में सुधार करना है। केन्द्रीय सरकार पूरी सहायता देने को तैयार है। हम इन राज्यों को संयत्रों का आधुनिकीकरण करने और उसे नवीनतम रूप देने के लिए 500 करोड़ रुपये की सहायता उपलब्ध करा रहे हैं ताकि उनके पास उचित संयंत्र हो। यह भी प्रबन्ध का ही प्रश्न है और संयंत्र की भार क्षमता के सुधार के लिए पूरे प्रबन्ध को गतिशील बनाना होगा।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा जारी किये गये विद्युत बाण्ड

*128. **श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने 100 करोड़ रुपये के विद्युत बाण्डों की बिक्री के लिए पूंजी बाजार में प्रवेश किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसे मंजूर किए गए विदेशी ऋणों/बातचीत किये जा रहे विदेशी ऋणों सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) संसाधनों के बीच की खाई को भरने के लिये अन्य क्या कदम उठाने का विचार है?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने अपनी गैस पर आधारित तीन संयुक्त साइकिल विद्युत परियोजनाओं की लागत आंशिक रूप से वित्त व्यवस्था करने के लिए कुल 100 करोड़ रुपये की राशि के 1000-1000 रुपये के 14 प्रतिशत सुरक्षित विमोच्य 10 लाख बॉण्ड जारी किए हैं। 7 वर्ष के बाद विमोच्य बाण्डों पर आयकर तथा सम्पत्ति कर अधिनियमों के अन्तर्गत लाभ दिए जाएंगे और ब्याज की संचयी और गैर-संचयी दोनों स्कीमें होंगी। बाण्डों पृष्टांकन और डिलीवरी के द्वारा स्वेच्छा से हस्तांतरणीय हैं और इन्हें देश के प्रमुख शेयर बाजारों की सूची में शामिल कराया जाएगा। छोटे-छोटे निवेशकर्ताओं के लिए "बाई-बैंक" सुविधा भी दी गई है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की सिंगरौली, कोरबा, रामगुण्डम और फरक्का स्थित परियोजनाओं (सम्बद्ध पारेषण प्रणालियों सहित) और केन्द्रीय पारेषण परियोजना चरण-एक और रिहन्द पारेषण परियोजना के लिए विश्व बैंक ने कुल 2251.5 मिलियन अमरीकी डालर को बचनबद्धता और 325.6 मिलियन अमरीकी डालर का "स्पेशल ड्रांइंग राइट" दिया है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के सीधे ऋणों में रिहन्द सुपर ताप विद्युत परियोजना चरण-एक के लिए यू० के० के बैंकों से 344 मिलियन पौंड और केन्द्रीय पारेषण परियोजना के अन्तर्गत उच्च वोल्टता डायरेक्ट करन्ट बैक-टू-बैक केन्द्र की वित्त व्यवस्था के लिए स्केण्डीनाविस्का इंस्किल्डा बांकेन, स्वीडन से 45.4 मिलियन अमरीकी डालर शामिल हैं। जिन विदेशी ऋणों के बारे में बातचीत चल रही है, उनमें रिहन्द-दिल्ली बाईपोल कन्वरटर केन्द्र के लिए स्वीडन के बैंकों से कन्सोर्टियम और फरक्का चरण-दो परियोजना के भाप जेनरेटर पैकेज के लिए इटली से ऋण शामिल हैं। प्रत्येक मामले के गुण-दोष पर निर्भर करते हुए द्विपक्षीय सहायता के लिए चयनात्मक रूप से प्रस्तावों का उपयोग करते हुए तथा विद्युत उत्पादन के आन्तरिक साधनों का अधिकतम

उपयोग करते हुए विश्व बैंक की सहायता के लिए नई परियोजनाएं प्रस्तुत करके और निधियां जुटाए जाने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

श्री यशवंतराव गडाख पाटिल : आपने उत्तर में लिखा है—

[अनुवाद]

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने कुल 100 करोड़ रुपये की राशि के 1000-1000 रुपये के 14% सुरक्षित विमोच्य 10 लाख बाण्ड जारी किए हैं।

[हिन्दी]

मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अभी तक कितनी राशि प्राप्त हो चुकी है ? अगर सौ करोड़ से ज्यादा राशि प्राप्त होगी तो क्या सरकार निगम को यह राशि रखने की अनुमति दे देगी ?

श्री वसन्त साठे : मेरी जानकारी के मुताबिक जितना फ्लोट किया था वो पूरा सब्स्क्राइब हो गया है और यदि ज्यादा मिलेगा और फाइनांस मिनिस्ट्री इजाजत देगी तो ज्यादा दिया जाएगा।

श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल : मेरा दूसरा सवाल यह है कि निगम को सातवीं पंचवर्षीय योजना में 1270 करोड़ रुपए की आवश्यकता है और सरकार ने 5600 करोड़ रुपए की धनराशि की व्यवस्था की है। विश्व बैंक और अन्य देशों से लोन लिया जा रहा है, जैसे सिंगरोली कोरबा, रामगुण्डम और फरक्का आदि प्रोजेक्टों के लिए एन० टी० पी० सी० अमरीका, स्वीडन और विश्व बैंक से लोन ले रहा हैं। इससे ब्याज भी बढ़ जाएगा और उत्पादन खर्च भी बढ़ेगा और जनता को बिजली महंगी पड़ेगी। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या और विद्युत बाण्ड जारी करने का सरकार का विचार है ?

श्री वसन्त साठे : हमारी तो इच्छा यही है कि जो कुछ गैप है, जैसे मैंने बार-बार कहा है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में 10 हजार मेगावाट का गैप रहेगा और यह गैप पूरा करने के लिए हमको करीबन 15 हजार करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी, यदि सारा देश के अन्दर से मिल सकता है और आता है तो सबसे ज्यादा खुशी होगी, बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसलिए ऐसी कोई भी योजना बनाने में हमें कोई हिचकिचाहट नहीं होगी जिससे देश में से ही पैसा एनर्जी के क्षेत्र के लिए, ऊर्जा के क्षेत्र के लिए मिल सके।

राजस्थान की विद्युत की आवश्यकतायें

*129. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त में राजस्थान राज्य को बिजली की कितनी आवश्यकता थी और उसको अपनी आवश्यकता से कितनी कम बिजली मिली;

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य में प्रत्येक नये विद्युत केन्द्र द्वारा विद्युत उत्पादन में किस सीमा तक वृद्धि किये जाने की संभावना है और ये नए विद्युत केन्द्र कौन-कौन से हैं;

(ग) क्या राजस्थान राज्य सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अपने स्वयं के साधनों से अथवा केन्द्रीय सरकार से विशेष सहायता प्राप्त करके विद्युत के मामले में आत्म-निर्भर हो जायेगा; और

(घ) यदि हां, तो किस प्रकार और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

[अनुवाद]

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) वर्ष 1984-85 के दौरान, राजस्थान में ऊर्जा की उपलब्धता 5903 मिलियन यूनिट थी, जबकि इसकी तुलना में अनुमानित आवश्यकता 6570 मिलियन यूनिट थी।

(ख) यह परिकल्पना की गई है कि राज्य की सातवीं योजना में नीचे दिए गए अनुसार राजस्थान की अपनी विद्युत उत्पादन क्षमता में लगभग 385 मेगावाट क्षमता जोड़ी जाएगी—

परियोजना	सातवीं योजना में क्षमता में वृद्धि (मेगावाट)
कोटा विस्तार (यूनिट 3)	210
रामगढ़ गैस टरबाइन	3
माही बजाज सागर	140
मंगरूल	6
चारणवाला	2
सूरतगढ़	4
अनूपगढ़ नहर	9
पूगल	2
जाखव	9

इसके अतिरिक्त, राजस्थान को केन्द्र सरकार के ताप विद्युत, परमाणु और जल विद्युत केन्द्रों से विद्युत का अपना हिस्सा मिलेगा।

(ग) और (घ) सातवीं योजना में विद्युत की आवश्यकता और उपलब्धता के बीच अन्तर को और कम करने की दृष्टि से, उत्तरी क्षेत्र में राजस्थान में अन्टा में और उत्तर प्रदेश में औरैया में केन्द्रीय क्षेत्र में लगभग कुल 1030 मेगावाट क्षमता के अल्प निर्माण अवधि वाले गैस पर आधारित संयुक्त साइकिल विद्युत केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं। विद्युत की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए ऊर्जा के संरक्षण और पारेषण एवं वितरण हानियों को कम करने संबंधी उपाय भी क्रियान्वित किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : प्रश्न के जबाब से यह स्पष्ट है कि राजस्थान प्रान्त में छटी पंचवर्षीय योजना तक बिजली का उत्पादन आवश्यकता से बहुत ही कम हुआ और उसके कारण राजस्थान में बिजली का संकट रहा और सातवीं पंचवर्षीय योजना में भी जो उत्पादन की क्षमता बढ़नी है, आपने अभी जवाब में जो स्पष्ट किया है, उससे भी सातवीं पंचवर्षीय योजना में भी विद्युत का संकट बना रहेगा। रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए एक पलाना लिग्नाइट प्लांट के लिए हम करीब 15 वर्षों से कोशिश कर रहे हैं, प्लानिंग कमीशन ने भी इसको क्लीयर कर दिया है। इसको सातवीं पंचवर्षीय योजना में कंप्लीट करने में क्या हमें सहायता देना चाहते हैं, क्या सहायोग देंगे।

श्री बसन्त साठे : जहां तक पलाना का सवाल है, हमने तो इसे क्लीयर कर दिया है और हम बाई लेटरल असिस्टेन्स के लिए इसमें कोशिश कर रहे हैं और जैसे ही यह योजना बन जाती है, इसमें हमको बाहर से भी कुछ मदद मिल जाए तो पलाना लिग्नाइट बेस्ड जो थर्मल प्लांट है, उसको जल्द से जल्द लगाने तक हमारा इरादा है, जिससे 60 मेगावाट बिजली और एडीशन हो जाएगी। हमने पहले ही इसे डिपार्टमेंट आफ इकनामिक अफेयर्स के सामने भेजा है, वेस्ट जर्मनी के क्रेडिट से शुरू करने का प्रपोजल है, उसको भी हमने उनके सामने रखा है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : हमारे प्रदेश में केन्द्र सरकार द्वारा अणु बिजली घर की दो इकाईयां बनी हुई हैं। प्रथम इकाई करीब 3 वर्ष से बन्द है, दूसरी इकाई में भी बिजली का उत्पादन अनिश्चित ही बना रहता है। केन्द्र सरकार ने दो नए अणु बिजलीघर प्रस्तावित किए हैं, इस संबन्ध में क्या प्रगति है। क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना में इसको कम्प्लीट करके हमारे विद्युत संकट को दूर करने में केन्द्र सरकार सहयोग देगी।

श्री वसन्त साठे : अणु विद्युत शक्ति श्रीमान मेरे विभाग के अन्तर्गत नहीं आता, इसलिए मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता।

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए कृपया दूसरा सवाल कीजिए।

श्री मूल चन्द डागा : अध्यक्ष जी, राजस्थान में आज 80% पावर इन्डस्ट्रीज को नहीं मिलती इसलिए मैं यह अपेक्षा करूंगा कि मुझे यह बतलाया जाए कि सातवीं पंचवर्षीय योजना तक राजस्थान को कितनी बिजली की आवश्यकता होगी और आप कितनी उपलब्ध कर सकेंगे तथा शेष के लिए क्या व्यवस्था होगी।

अध्यक्ष महोदय : यह तो उसमें जवाब है।

श्री वसन्त साठे : सातवीं पंचवर्षीय योजना में टोटल आउट-ले जो है, वह तीन हजार करोड़ है आपको जो बिजली इन टर्म्स आफ मैगावाट मिलती है, वह अभी देखकर बताता हूं।

श्री मूल चन्द डागा : राजस्थान के हित में केन्द्र सरकार को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। सूखा पड़ा हुआ है और कुंओं से पानी नहीं ले सकते, चार साल से ऐसा हो रहा है, इसका कारण मालूम नहीं हुआ हैं। मेहरबानी करके यह बताइए कि सातवीं पंचर्षीय योजना तक कितनी बिजली उपलब्ध कर सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय : दो हजार मैगावाट है और दो हजार और चाहिए।

श्री मूल चन्द डागा : इन्होंने यह नहीं बताया कि इतनी हम उपलब्ध करेंगे।... **(व्यवधान)**

श्री गिरधारी लाल व्यास : मुझे पूछने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, पूछ लीजिए।

श्री बालकवि बैरागी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा लग रहा है कि वसन्त के महीने में वसन्त ही डॉवाडोल हो रहा है। .. **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री बसंत साठे : मैं माननीय सदस्य को नवीं योजना के विस्तृत आंकड़े देता हूं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास : अध्यक्ष जी, मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि कोटा में चार थर्मल यूनिट्स की आपने मन्जूरी दी थी और अब तक दो...थर्मल यूनिट्स ही

लग पाए हैं जबकि चारों यूनिट्स छठी पंचवर्षीय योजना में पूरी हो जानी चाहिए थी। इसके साथ ही जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी ने भी कहा कि सातवीं योजना तक दो हजार मैगावाट बिजली की आवश्यकता होगी और आपने पलाना लिगनाइट में साठ मैगावाट की बात कही है और दो एटोमिट यूनिट्स स्थापित करने की आपके एटोमिक डिपार्टमेंट ने भी स्वीकृति दे दी है, लेकिन इन दोनों यूनिट्स से भी राजस्थान की पूर्ति नहीं हो पायेगी। राजस्थान की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक तो आपने हिमाचल से एग्रीमेंट किया था जो कि अभी तक इम्पलीमेंट नहीं हो पाया है राजस्थान की बिजलो की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आप कौन-कौन से प्रोजेक्ट सातवीं पंचवर्षीय योजना में ले रहे हैं जिससे राजस्थान में बिजली की आपूर्ति हो सके।

श्री वसन्त साठे : राजस्थान की बिजली की पूर्ति के लिए राजस्थान के स्वयं के प्रोजेक्ट्स बहुत कम हैं। बाहर से बिजली देने का स्टेट शेयर में गांधी सागर से 57.5 मैगावाट, राणा प्रताप सागर से 86 मैगावाट, जवाहर सागर से 49.5 मैगावाट, कोटा से 11.75, व्यास में से 408 मैगावाट, हाइडल जनरेशन से 855 मैगावाट और थर्मल में कोटा का इन्क्रीज किया जायेगा 220, छोटे थर्मल पावर 23, डीजल सेट्स 7 और दूसरे राज्यों से जैसे सतपुड़ा का शेयर आयेगा 125, इस तरह से टोटल होगा एक हजार दो सौ तीस मैगावाट। इस तरह से सब ओर से पूर्ति की जायेगी और जो राजस्थान की कमी को पूरा करने के लिए सहायक होगी।

अध्यक्ष महोदय : वसन्त जी, राजस्थान को ड्रौट और फैमीन से पीछा छुड़ाने के लिए बिजली की जरूरत है और आये साल, तीन-चार सालों से वहां ड्रौट की स्थिति बनी हुई है। उसको आप देखिए। **(व्यवधान)**

वहां का थर्मल जैनरेशन भी और इसे भी देखा जाना जरूरी है मैं आपको बताऊं कि बिहार तो सारे देश को खाना खिला सकता है।

[अनुवाद]

चमड़ा उद्योग के विकास के लिये दीर्घावधि नीति

***130 श्री के० राममूर्ति** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चमड़ा उद्योग सम्बन्धी विकास परिषद् के चेयरमैन को सरकार के दिये गये निदेशों के अनुसरण में चमड़ा उद्योग के विकास, आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकीय उन्नयन के लिये दीर्घावधि व्यापक नीति का ब्यौरा क्या है;

(ख) चमड़े की किस्म को बेहतर बनाने के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं, ताकि देश को चमड़ा उत्पातों के निर्यात से 30-40 प्रतिशत अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सके; और

(ग) चमड़े के सामान के निर्यात में विभिन्न रुकावटों को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं, ताकि निर्यात में वृद्धि की जा सके ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) चमड़ा उद्योग के विकास, आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाने के लिए एक विशद दीर्घकालीन नीति तैयार करने हेतु जनवरी, 1986 में चमड़ा उद्योग सम्बन्धी विकास

परिषद के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक कार्य दल का गठन किया गया है। कार्य दल की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ख) और (ग) चमड़ा उद्योग द्वारा अपेक्षित विभिन्न कच्ची सामग्री, रसायन और सहायक सामान का उदारतापूर्वक आयात करने की अनुमति दे दी गई है। स्वदेशी उपलब्धता को पूरा करने के लिए कच्ची खालों और चामों तथा कुछ किस्म के चमड़े के आयात को भी खुले सामान्य लाइसेन्स के अन्तर्गत रखने की अनुमति दी गई है। चमड़े के उत्पादन के लिए अपेक्षित अधिकांश मशीनों को भी सीमा शुल्क की दर कम करके, खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत रखा गया है ताकि चमड़ा उद्योग अंतर्राष्ट्रीय मानकों का बढ़िया चमड़ा बनाने योग्य नवीनतम प्रौद्योगिकी के अनुरूप अपने आपको सुसज्जित कर सके। सरकार चमड़े के रसायन, जूतों को ऊपरी हिस्से, चमड़े के बोर्डों, चमड़े के जूतों और चमड़े के सामान आदि के क्षेत्र में विदेशी सहयोग के लिए स्वीकृति देकर चमड़ा उद्योग के प्रौद्योगिकीय उन्नयन हेतु विदेशी सहयोग की भी अनुमति दे रही है। निर्यातोन्मुख एककों की अनुमति देने हेतु चमडे के जूतों और चमड़े के अन्य सामान सम्बन्धी लाइसेंस देने की नीति को हाल ही में उदार बना दिया गया है। कुल मिला कर इन नीति विषयक उपायों के परिणामस्वरूप चमड़ा उद्योग का तीव्र गति से विकास हो रहा है और चमड़ा उद्योग निर्यात के क्षेत्र में भी भली भांति कार्य कर रहा है।

श्री के० राममूर्ति : मेरे प्रश्न का पहला भाग चमड़ा उद्योग सम्बन्धी विकास परिषद् के चेयरमैन के अन्तर्गत एक समिति स्थापित करने से संबंधित था। इसका उत्तर यह है कि इसका गठन जनवरी, 1986 में किया गया है और रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। मैं जानना चाहता हूं कि समिति कब अपने प्रतिवेदन को अन्तिम रूप देगी ? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या समिति को इस उद्योग से उत्पन्न जल प्रदूषण की जांच का कार्य भी सौंप दिया गया है क्योंकि हम अभी भी प्रक्रिया, विकास और उत्पाद के पुराने तरीके अपना रहे हैं।

श्री एम० अरुणाचलम : चमड़ा उद्योग संबंधी विकास परिषद् के चेयरमैन की अध्यक्षता में लम्बी अवधि की एक योजना तैयार करने के लिए एक कार्यकारी दल का गठन किया गया है। विभिन्न तत्त्वों को ध्यान में रखते हुए चमड़ा उद्योग, के० वी० आई० सी०, अनुसंधान संस्थाए तथा अन्य सम्बद्ध एजेन्सियां एक समन्वित रवैया तैयार करने के लिए कार्यकारी दल से सम्बद्ध किए गए हैं। काम पूरा होने ही रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

जहां तक प्रदूषण का संबंध है, नीति यह है कि जहां बहुत से चमड़े के कारखाने हैं जैसे तमिलनाडु में वनियमबाडी और कानपुर में जाजमाऊ। इधर-उधर स्थापित एककों को अपने मल-निस्राव निपटान संयंत्र स्थापित करने होंगे जैसाकि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने चाहा है। बड़ी इकाइयों के लिए जहां बाहिस्राव प्रवण संयंत्र स्थापित करना संभव है यह ऐसी छोटी इकाइयों के लिए व्यवहार्य नहीं होगा जो वित्तीय सहायता की मांग कर रहे हैं। अतः छोटी इकाइयों के समूह के लिए सामूहिक मल-निस्राव शोधन संयंत्र लाभदायक होगा। तमिलनाडु राज्य चमड़ा निगम सहकारिता के अंतर्गत सामूहिक मल-निस्राव शोधन संयंत्र का प्रबन्ध कर रहा है।

श्री के०राम मूर्ति : महोदय, मेरे इस प्रश्न के उत्तर में कि समिति अपने प्रतिवेदन को कब अन्तिम रूप दे रही है, मन्त्री ने कहा है "जितनी जल्दी संभव हो"। महोदय, आप जानते है कि इसका क्या अर्थ है। अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस समिति के लिए कोई समय-बद्ध कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। विदेशी मुद्रा की भारी मात्रा प्राप्त करने के लिए इस उद्योग के आधुनिकीकरण की मांग बहुत देर से की जा रही है।

श्री एम० अरुणाचलम : महोदय, हम समिति को 6 महीने में अपना प्रतिवेदन देने के लिए कह सकते हैं :

श्री के० राममूर्ति : महोदय' मैंने अपने प्रश्न के भाग (ख) में कहा है कि यदि हम केवल चमड़े की किस्म में सुधार कर लें तो देश को चमड़ा उत्पादों के निर्यात से 30-40% अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सकेगी जबकि मन्त्री ने आयात नीति उद्योग के लिए रसायन, प्रौद्योगिकी तथा मशीन का उदारतापूर्वक आयात नीति अपनाने की अनुमति दे दी है।

मैं जानना चाहता हूं कि उदार बनाई गई इस आयात नीति के कारण, जो पिछले एक वर्ष से चली आ रही है, चमड़ा उद्योग ने क्या प्रगति की है ? दूसरा, प्रक्रिया संबंधी क्या अड़चनें हैं जो चमड़े के सामान के निर्यात में रुकावट हैं ?

श्री एम० अरुणाचलम : चमड़ा उद्योग के सामान का पता लगाया गया है 1984-85 के दौरान चमड़ा और चमड़ा उत्पाद का सबसे अधिक निर्यात 583-75 करोड़ रुपयों का किया गया जबकि लक्ष्य 495 करोड़ रुपए के माल के निर्यात का था। नीति में अर्द्ध तैयार चमड़े के निर्यात की तुलना में तैयार चमड़े और चमड़े उत्पादों के निर्यात पर अधिक बल दिए जाने के परिणामस्वरूप भारत तैयार चमड़ा और चमड़ा उत्पाद का प्रमुख सप्लायर बन गया है। इस समय तैयार चमड़ा निर्यात की मुख्य मद है। जिसके बाद जूते संबंधी वस्तुएं तथा जूते आते हैं। नीति में आगे और परिवर्तन के कारण तैयार चमड़े की तुलना में मूल्य वर्धित चमड़े के निर्यात पर बल दिया गया है। परिणामस्वरूप सातवीं योजना में उसका उत्पादन बढ़ाने का विचार है ताकि अतिरिक्त रोजगार अवसरों को बढ़ाया जा सके और उपलब्ध कच्चे माल के साधनों से अधिक विदेशी मुद्रा कमाई जा सके। मूल उद्देश्य यह है कि जूतों को निर्यात की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मद बनाया जाए।

छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष के दौरान 495 करोड़ रुपए के लक्ष्य की तुलना में चमड़ा उद्योग ने 583.7 करोड़ रुपये चमड़े और चमड़े के सामान का निर्यात किया है। फिर भी 1985-86 के लिए 605.0 करोड़ रुपए का माल निर्यात करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में चमड़े और चमड़े के सामान के लिए भी 1070 करोड़ रुपये के माल के निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

श्री पी० कुलनवईवेलू : महोदय, वास्तव में तमिलनाडु चमड़े के सामान और 'शू-अप्पर' आदि जैसे तैयार चमड़े के सामान के निर्यात के माध्यम से देश के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। इसके अलावा महोदय, तमिलनाडु में अम्बूर और वेनियमवादी में बहुत सी चमड़ा यूनिटें हैं। क्योंकि उन स्थानों की जलवायु चमड़ा उद्योग के अनुकूल हैं। मैं इस मैं इस संबंध में माननीय मन्त्री के ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि चैयरमैन, चमड़ा निर्यात सवर्द्धन परिषद का कार्यालय दिल्ली में स्थित है। लेकिन विदेशों को चमड़े के सामान का निर्यात मुख्यतः तमिलनाडु से निर्यात किया जाता है। क्या मैं मन्त्री जी जान सकता हूं कि क्या चेयरमैन, चमड़ा निर्यात सवंर्द्धन परिषद से कार्यालय को दिल्ली के तमिलनाडु, स्थानांतरण करना सम्भव नहीं है ताकि चमड़ा के सामान का निर्यात बढ़ाया जा सके ?

श्री एम० अरुणाचलम : जहां तक निर्यात का सम्बन्ध है निर्यात सवंर्द्धन परिषद के कार्यालय कहां स्थित हैं, इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता । जहां कहीं भी कार्यालय हो निर्यात पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा बांड जारी करना

*131. **श्री लक्ष्मण मलिक : क्या ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने वर्ष 1986-87 के दौरान अपने ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमों के सहायतार्थ जनता द्वारा खरीद के लिए 65 करोड़ रुपये के बांड जारी करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो बांड-योजना का ब्यौरा क्या है और उससे क्या लाभ होने की सम्भावना है तथा इस योजना के अन्तर्गत कितने गांवों का विद्युतीकरण किया जायेगा ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी हां। वर्ष 1985-86 के अपने कार्यक्रम के लिए निधियों की व्यवस्था करने के लिए अपने वित्तीय साधनों में वृद्धि करने की दृष्टि से ग्राम विद्युतीकरण निगम का विचार सार्वजनिक अंशदान के लिए 65 करोड़ रुपए के बाण्ड जारी करने का है।

(ख) ये बाण्ड दो प्रकार के होंगे, ब्याज के भुगतान के लिए संचयी तथा गैर-संचयी और इन पर 14% ब्याज दिया जाएगा। बाण्ड 1000/- रुपए और 10,000/- रुपए के मूल्यों के होंगे। आबंटन की तारीख से सात वर्ष की अवधि समाप्त होने पर इन्हें सममूल्य पर विमोचित किया जाएगा। निगम की वर्तमान सम्पत्तियों पर प्रभावित करके बाण्डों को सुरक्षित किया जाएगा। अंशदान 3 मार्च, 1986 को शुरू किया जाएगा और 25 मार्च, 1986 को अथवा उससे पूर्व बन्द कर दिया जाएगा परन्तु 10 मार्च, 1986 से पहले बन्द नहीं होगा।

निगम की वर्ष 1985-86 की वार्षिक योजना में विभिन्न राज्यों में 17,799 गांवों के विद्युतीकरण और 3,71,880 पम्प सेटों के ऊर्जन की परिकल्पना की गई है। इस प्रयोजन हेतु 379 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

श्री लक्ष्मण मलिक : महोदय, देश में अधिकतर राज्य विशेष रूप से 1985 से, विद्युत की कमी का सामना कर रहे हैं। उड़ीसा तथा सभी 'लिफ्ट' सिंचाई केन्द्र और ग्रामीण उद्योग विद्युत की कमी का सामना कर रहे हैं। विद्युत की कमी के कारण लिफ्ट सिंचाई केन्द्र कार्य नहीं कर रहे हैं और उद्योगों को बन्द करना पड़ा है। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या भारत सरकार को उड़ीसा में विद्युत की कमी के बारे में जानकारी और क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने राष्ट्रीय ग्रिड से तत्काल विद्युत प्राप्त करके उड़ीसा में विद्युत पूर्ति बढ़ाने का कोई अल्पकालीन कार्यक्रम बनाया है ताकि 'लिफ्ट' सिंचाई परियोजनाओं और उड़ीसा के उद्योगों को विद्युत की कमी से बचाया जा सके ?

श्री वसन्त साठे : ग्रामीण विद्युतीकरण निगम न तो विद्युत पैदा करता है और नहीं विद्युत प्राप्त करता है। यह राज्यों को उपलब्ध विद्युत को गांवों में पहुंचाने में सहायता करता है तथा गांवों में विद्युतीकरण करता है। हम राज्यों को वित्तीय सहायता और अन्य सहायता देते हैं। वस्तुत: पूरीयोजना में हमने मुख्य जो जनजाति और हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण पर दिया है। और उस पर अच्छी प्रगति हुई है। जहां तक उड़ीसा राज्य का संबंध है जैसा कि मैंने पहले कहा, वहां पर पी एल एफ की कमी के कारण सामान्य कमी है। उसमें सुधार करने की आवश्यकता है जो कुछ सहायता हम मध्यप्रदेश आदि जैसे राज्यों से दे सकते हैं देने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री लक्ष्मण मलिक : मैं जानना चाहता कि हूं क्या उड़ीसा राज्य ने भारत सरकार को इस बांड की योजना से वित्तीय सहायता के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ।

श्री बसन्त साठे : कोई विशेष प्रस्ताव नहीं है लेकिन हम सभी राज्यों को उनके ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमों के लिए सहायता दे रहे हैं ।

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी : कृषि पम्पसेटों पर पूरे भारत में एक समान टैरिफ दर नहीं है। वह एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न है। क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा अर्जित कृषि पम्पसेटों में एक समान कर लाने के लिए भारत सरकार विचार करेगी ?

श्री बसंत साठे : इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है यदि सभी राज्यों से समान टैरिफ के लिए इस प्रकार का कोई प्रस्ताव आता है तो इस पर विचर किया जाएगा । यह सुझाव है ।

श्री अजय मुशरान : सार्वजनिक अंशदान द्वारा 65 करोड़ रुपए के बाण्ड खरीदे जाने के लक्ष्य को प्राप्त कर लेने के बाद क्या आप उन राज्यों में लोगों द्वारा किए गए निवेश के समानुपात में विभिन्न राज्यों की सहायता देने पर विचार करेंगे ?

श्री बसंत साठे : मैं नहीं समझता कि हम उसी समानुपात में सहायता प्रदान कर सकते है जिस अनुपात में राज्यों से धन प्राप्त हुआ है । यह निगम के कुल निधि में जाएगा और हम राज्यों की आवश्यकताओं के अनुसार सहायता देंगे ।

हल्दिया में पेट्रो-रसायन उद्योग समूह की स्थापना

***132. श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) हल्दिया, पश्चिमी बंगाल में पेट्रो-रसायन उद्योग-समूह की स्थापना के लिए औद्योगिक लाइसेंस देने के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) इसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जय चन्द्र सिंह) : (क) तथा (ख) हल्दिया में एक पेट्रो रसायन परिसर स्थापित करने के लिए पश्चिम बंगाल इण्डस्ट्रियल डवलेपमेंट कार्पोरेशन लि० को एक आशयपत्र पहले ही जारी किया गया । आशय पत्र को औद्योगिक लाइसेंस में परिवर्तित करने की स्थिति अभी नहीं आई है ।

श्री सत्यगोपाल मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि भारत सरकार को इस आशय पत्र को एक नई कम्पनी अर्थात् हल्दिया पेट्रो रसायन लिमिटेड को हस्तांतरित करने का अनुरोध प्राप्त हुआ है । यदि हां, तो वर्तमान स्थिति क्या है और आशय पत्र के हस्तांतरण में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह , वर्ष 1976 या 1977 से जब पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम को पहला आशय पत्र जारी किया गया था तब से पश्चिमी बंगाल औद्योगिक विकास निगम से संशोधन तथा परिवर्तन करने के लिए कई अनुरोध प्राप्त हुए थे । कम्पनी के नाम में परिवर्तन के बारे में यह प्रश्न पिछले वर्ष किसी समय में प्राप्त हुआ था और मामला विचाराधीन है । हम अगले 15 से 20 दिनों के भीतर इसका उत्तर दे सकेंगे ।

श्री सत्य गोपाल मिश्र : हल्दिया पेट्रो रसायन लिमिटेड ने कम्पनी कार्य मन्त्रालय से स्वीकृति प्रदान करने तथा एम आर टी पी अधिनियम की धारा 22 के उपबन्धों से छूट देने के लिए और रसायन मन्त्रालय से उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन के लिए अनुरोध किया है। उद्योग मन्त्रालय

को पत्रों की प्रतियां भेजी गई थी। मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहता हूं कि क्या उनके मन्त्रालय ने कम्पनी कार्य मन्त्रालय और रसायन मंत्रालय के साथ इन महत्वपूर्ण मामलों को जल्दी स्वीकृति प्रदान करने के लिए उठाया है।

श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह : मामला विचाराधीन है और मंत्रालय अगले महीने के भीतर अन्तिम उत्तर दे सकेगा।

तेल की बचत संबंधी कपूर समिति

*133. **प्रो० के० वी० थामस†**
श्रीमती गीता मुखर्जी } : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा तेल की बचत संबंधी डी० वी० कपूर समिति की सिफारिशें कार्यान्वित नहीं की गयी हैं;

(ख) तेल की बचत के बारे में समिति की महत्वपूर्ण सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) सिफारिशों को कार्यान्वित न करने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) तेल बचत के सम्बन्ध में सिफारिशों पर कार्यवाही की जा रही है।

(ख) तेल बचत पर की गई सिफारिशों की मुख्य बातों को दर्शाने वाला विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

(1) औद्योगिक क्षेत्रों में ऊर्जा संरक्षण के उपायों के क्रियान्वयन के लिये 3600 करोड़ रुपए के निवेश से 1925 करोड़ रुपये की वार्षिक बचत होगी। समतुल्य ऊर्जा क्षमता के सृजन के लिये लगभग 5700 करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता होगी। यदि परिवहन और कृषि क्षेत्र को हिसाब में लिया जाए तो ऊर्जा संरक्षण स्कीमों में 5140 करोड़ रुपये के निवेश द्वारा ऊर्जा आपूर्ति क्षेत्र में क्षमता निर्माण पर 7980 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय की बचत के अतिरिक्त 3100 करोड़ रुपये के आवर्ती वार्षिक ऊर्जा बिल का परिहार करके उपभोक्ता क्षेत्र में कार्यचालनों में सुधार लाया जा सकता है। अल्पावधिक, मध्यावधिक और दीर्घावधिक पूर्वोपायों के साथ तदनुरूपी निवेश और बचतों को भी बताया गया है।

(2) हीट रिकवरी प्रणालियों ऊर्जा आडिट से अनुसंधान और विकास संरक्षण कक्षों तथा परामर्शदात्री संगठनों आदि की स्थापना के लिए भी उपयुक्त सिफारिशें की गई हैं।

(3) कम्बुशन इक्युपमैंट में ट्युनिंग, रिसाब से बचने बेहतर इंसुलेशन, उचित अनुरक्षण, क्षमता के इष्टतम उपयोग आदि जैसे अच्छे गृह-व्यवस्था उपायों से ऊर्जा के खपत के खतरों को कम करने में सहायता मिलेगी।

(4) इस रिपोर्ट में प्रोसेस हीट और विद्युत उत्पादन के वास्ते ऊर्जा के इष्टतम प्रयोग के लिए मानक प्रैक्टिस के इस रूप में को-जनरेशन को स्वीकार करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।

(5) परिवहन के क्षेत्र में ड्राइवरों के कौशल को बढ़ाने, अनुरक्षण कार्य वाहनों के डिजा इन में सुधार तथा ईंधन कुशल मानकों तथा अन्य परम्परागत सिफारिशों जैसे, चुंगी चैक पोस्टों को समाप्त करना, रेलवे परिवहन में ऊर्जा का इष्टतम उपयोग तथा परिवहन के इन्टर-माडल मिक्स को इष्टतम करने की आवश्यकता बतायी गई है।

(6) कृषि के क्षेत्र में पम्पिंग प्रणाली में त्रुटियों को दूर करने अर्थात्, हाई रिजेस्टेंस फुट वाल्वों, पम्प लाइन के संरूपणों, पम्पों तथा प्राइम मूवरों की मैचिंग आदि पर बल दिया गया है। उपयुक्त कार्यक्रमों को हाथ में लेने के लिये संगठनात्मक प्रबन्धों की भी सिफारिश की गई है।

(7) पम्पिंग प्रणाली में किसानों और अनिवार्य मानकों के लिए जन शिक्षा कार्यक्रम की आवश्यकता की भी सिफारिश की गई।

(8) ऊर्जा संरक्षण निदेशों के वित्त पोषण को वरीयता के आधार पर काम करने की आवश्यकता होगी। ऊर्जा संरक्षण के लिये अलग से बजट की व्यवस्था करना आवश्यक होगा।

प्रो० के० वी० थामस : महोदय, सभा पटल पर रखे गए विवरण में मन्त्री महोदय ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों में ऊर्जा संरक्षण के उपायों के क्रियान्वयन के लिए 3600 करोड़ रुपए के निवेश से 1925 करोड़ रुपए की वार्षिक बचत होगी। इसी तरह यदि परिवहन और कृषि क्षेत्रों में निवेश किया जाता है तो 7980 करोड़ रुपये की बचत हो सकती है। इसे दृष्टि में रखते हुए, मैं जानना चाहता हूं कि क्या मन्त्रालय के ऊर्जा संरक्षण के लिए पृथक बजट के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त किया है।

श्री चन्द्रशेखर सिंह : सिफारिशें विभिन्न मंत्रालयों से सम्बन्धित है। वास्तव में सम्बन्धित मन्त्रालय अपने कार्यक्षेत्र से सम्बन्धिय प्रत्येक सिफारिश के बारे में महत्व कर सकता है। जहां तक परिवहन क्षेत्र का सम्बन्ध है जल-भू-तल परिवहन मन्त्रालय कार्यवाही कर सकता है। इसी तरह, सम्बन्धित मन्त्रालय अन्य सिफारिशों पर कार्रवाई कर सकते हैं। यह इस मन्त्रालय की जिम्मेवारी नहीं है कि वह उन सिफारिशों पर कार्रवाई करे या उनके सम्बन्ध में पहल करे जो अन्य मन्त्रालयों से सम्बन्धित हैं।

प्रो० के० वी० थामस : पम्प सेट प्रणाली और पाइपलाईन आदि के दोबारा डिजायन बनाने से सम्बन्धित सिफारिश से हमारे किसानों को बहुत सहायता मिलेगी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या हमारे किसानों को सामूहिक शिक्षा देने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं।

श्री चन्द्र शेखर सिंह : माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए मुद्दे को बहुत अच्छे ढंग से लिया गया है। तथ्य यह है कि वर्तमान स्थिति में इस विषय पर नए सिरे से विचार करना जरूरी हो गया है और हम पेट्रोलियम उत्पाद तथा तेल के सरंक्षण के लिए व्यापक उपाय बना रहे हैं। माननीय सदस्य के सुझाव पर सरकार द्वारा सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है और मैं आशा करता हूं कि दो या तीन महीनों के भीतर कोई कार्रवाई की जाएगी तथा संशोधन कार्यक्रम शुरू किया जा सकेगा।

श्री पी० आर० कुमार मंगलम : अध्यक्ष महोदय, माननीय पेट्रोलियम मन्त्री के एक साथी ऊर्जा मन्त्री ने 'दूरदर्शन' पर 'बियांड टूमारों' कार्यक्रम में एकीकृत ऊर्जा नीति बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है क्या मन्त्री जी बताएंगे कि क्या इस नीति को बनाते समय कपूर समिति के प्रतिवेदन पर विचार किया जाएगा और क्या इस प्रकार की नीति बनाई भी जा रही है ?

श्री चन्द्रशेखर सिंह : कपूर समिति की सिफारिशों पर भी विचार किया जाएगा।

श्री के० एस० राव : हम आमतौर पर सुनते हैं कि उद्योग या विकास परियोजना में निवेश न करने का एक कारण साधनों की कमी है। कपूर समिति की रिपोर्ट के अनुसार 3100 करोड़ रुपए प्रति वर्ष बचाये जा सकते हैं और भूमि संरक्षण परियोजना में 5140 करोड़ रुपए खर्च करने से शुरू में 7980 करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय की बचत होगी हमें प्रतिवर्ष इस तरह का अच्छा लाभांश कब प्राप्त होने लगेगा। मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रस्ताव को तुरन्त कार्यान्वित करने में बुद्धिमानी नहीं हैं ?

श्री चन्द्रशेखर सिंह : कपूर समिति की सिफारिशों को सभी सम्बन्धित मन्त्रालयों को परिचालित किया गया है और जहां तक इन कार्यक्रमों का सम्बन्ध है उनके लिए साधनों की बहुत कमी है। लेकिन हम आशा करते हैं कि इस बारे में ये मन्त्रालय कुछ पहल कर सकेंगे तथा ठोस कार्यक्रम बनाएंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

अकाल ग्रस्त राजस्थान राज्य को सहायता

*102. **श्री मोहम्मद अयूब खां :** क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार राजस्थान में पड़े भीषण अकाल के कारण पशुओं की कमी हो जाने से उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिए राजस्थान सरकार को अतिरिक्त सहायता मंजूर करने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी सहायता दी जायेगी; और कब ?

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) और (ख) चालू वर्ष के दौरान राजस्थान को 98.65 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता मंजूर की गई है। इस रकम में से 3.96 करोड़ रुपए चारा आदि सहित पशु संरक्षण के लिए मजूर किए गए हैं। भारत सरकार ने राज्य के बाहर से आने वाले चारे की ढुलाई पर आने वाली लागत को वहन करने की स्वीकृति दे दी है।

[अनुवाद]

उड़ीसा में मछली पत्तन

*103. **श्रीमती जयंती पटनायक :** क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा में मछली पत्तनों के निर्माण के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ख) उक्त योजना अवधि में उड़ीसा में कितने मछली पत्तन स्थापित करने का विचार है तथा प्रत्येक पर कितनी लागत आने का अनुमान है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) सातवीं योजना में बड़े पत्तनों पर मत्स्यन बंदरगाहों के लिए 1700 लाख रुपए और छोटे पत्तनों पर मत्स्यन बन्दरगाहों के लिए 1800 लाख रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। सातवीं योजना के दौरान उड़ीसा के लिए मंजूर किए जाने वाले मत्स्यन बन्दरगाहों के व्यय को उक्त परिव्यय में से पूरा किया जाएगा।

(ख) गोपालपुर में 599 लाख रुपए की अनुमानित लागत से छोटे मत्स्यन बन्दरगाह के निर्माण से सम्बन्धित एक प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

(ग) उड़ीसा सरकार से अनुरोध किया गया है कि मछली पकड़ने के छोटे घाटों का पता लगाकर प्रस्ताव भेजें पारादीप पत्तन न्यास और उड़ीसा सरकार से अनुरोध किया है कि पारादीप मत्स्यन बन्दरगाह सम्बन्धी परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप दें।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण सीमिति द्वारा इस्पात तथा दोषयुक्त निर्मितियों का अन्य पक्षों को दिया जाना

*104. **श्री सैयद मसुदल हुसैन :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण सीमित ने भारी मात्रा में इस्पात और दोषयुक्त निर्मितियां पश्चिम भारत में गैर-सरकारी व्यापारियों को दी हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

देश में सूखे की स्थिति

*105. **श्री मानिक रेड्डी**
श्री एच० एन० नन्जे गोडा } : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भीषण सूखे से अति कुप्रभावित राज्यों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या उन राज्य सरकारों को केन्द्रीय सरकार द्वारा अब तक कोई सहायता प्रदान की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कुप्रभावित राज्यों में कोई केन्द्रीय दल भेजा गया है, और यदि हां, तो उक्त दल के क्या निष्कर्ष हैं; और

(ङ) उन राज्यों के नाम क्या हैं, जिनकी केन्द्रीय सहायता की मांग पूर्णतः मानी नहीं गई है; और उसके क्या कारण हैं?

कृषि मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

1985-86 के दौरान 14 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सूखे की चपेट में आये। केन्द्रीय सहायता के लिये अनुरोध मिलने पर 11 राज्यों में केन्द्रीय दल भेजे गये। केन्द्रीय दलों की रिपोर्टों और

राहत सम्बन्धी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर केन्द्रीय सहायता की मंजूरियां जारी की गई। शेष तीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात् पंजाब, मिजोरम और केरल के मामले में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के अनुरोधों की एक अंतर मन्त्रालयी दल ने जांच की और उनकी सिफारिशों के आधार पर केन्द्रीय सहायता मन्जूर की गई।

2. इस वर्ष के दौरान सूखे की चपेट में आये 14 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की अब तक 527.32 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता मंजूर की गई। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा इस प्रकार है :—

(करोड़ रुपए)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र		
1. आन्ध्र प्रदेश	63.09	
2. गुजरात	82.48	
3. हरियाणा	9.21	
4. हिमाचल प्रदेश	16.46	*अल्पकालिक ऋण
5. जम्मू तथा कश्मीर	4.12	को मध्यकालिक
6. कर्णाटक	53.31*	ऋण में बदलने के
7. केरल	0.30	वास्तविक प्रभार।
8. महाराष्ट्र	87.24	
9. मध्य प्रदेश	51.11	
10. पंजाब	8.14	
11. राजस्थान	98.65	
12. उत्तर प्रदेश	51.78	
13. पांडिचेरी	1.19	
14. मिजोरम	0.24	
	527.32	

3. राज्य सरकार का ज्ञापन मिलने पर यदि मांग अधिक हो तो, हुई हानि और केन्द्रीय सहायता को आवश्यकता का मूल्यांकन एक ऐसे केन्द्रीय दल द्वारा किया जाता है, जिसमें विभिन्न मन्त्रालयों के विशेषज्ञों का एक समूह शामिल होता है। वे क्षेत्रों का दौरा करते हैं तथा प्रभावित लोगों, स्थानीय पदाधिकारियों, राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों आदि के साथ विचार-विमर्श करते हैं और अपना मूल्यांकन देते हैं। यदि मांगें बहुत बड़ी न हों तो उनकी जांच एक ऐसे अन्तर-मन्त्रालयी दल द्वारा की जाती है, जिसमें विभिन्न मन्त्रालयों के विशेषज्ञ शामिल होते हैं और यह दल राज्य सरकार के पदाधिकारियों के साथ विचार-विमर्श भी करता है। उनकी सिफारियों के आधार पर केन्द्रीय सहायता मंजूर की जाती है। राज्य सरकारों की मांगों को जांच करते समय विभिन्न मदों के लिए सहायता के मानदण्डों तथा आठवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित मानदण्डों को ध्यान में रखा जाता है। केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता के मूल्यांकन की उपर्युक्त पद्धति तथा राज्यों को बढ़ा-चढ़ा कर की गई मांगों के कारण केन्द्रीय सहायता के लिए राज्य सरकारों के अनुरोधों को समग्र रूप से पूरा नहीं किया जा सका।

आकाशवाणी की पत्रिकाओं का प्रकाशन बन्द होना

***106. श्री सत्य गोपाल मिश्र, श्री अनिल बसु** : क्या सूचना और प्रसार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी की "बेतार जगत" और अन्य भाषायी कार्यक्रम पत्रिकाओं का प्रकाशन बन्द किये जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या उन पत्रिकाओं का प्रकाशन बन्द किये जाने के परिणामस्वरूप इन प्रकाशनों से सम्बद्ध कर्मचारी कुप्रभावित होंगे;

(ग) क्या सरकार को सूचना और प्रसारण कर्मचारियों के राष्ट्रीय महासंघ तथा अनेक संसद सदस्यों से ज्ञापन प्राप्त हुए हैं जिनमें इन कार्यक्रम पत्रिकाओं का प्रकाशन फिर से आरम्भ करने का अनुरोध किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) प्रत्येक विभाग में व्यय की पुनरीक्षा करने और किफायत करने की कारंवाई के अंग के रूप में, पुनरीक्षा करने के बाद आकाशवाणी की चार पाक्षिक पत्रिकाओं अर्थात् "आकाशी", "बेतार जगत", "नमो-वाणी" और "वाणी" को बन्द कर देने का निर्णय लिया गया था। ये पत्रिकाएं वर्षों से घाटे में चलती रही है और इनके आत्मनिर्भर होने की भी सम्भावना नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) जी, हां। सरकार का मत है कि उपरिलिखित कारणों से निर्णय कायम रहना चाहिए।

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में मछली पकड़ना

***107. श्री एन० टोम्बो सिंह** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह और इसके आसपास के क्षेत्र में समुद्र में बड़ी यंत्रीकृत नौकाओं का प्रयोग करके बड़े पैमाने पर मछली पकड़ने के व्यवसाय का विकास करने के लिए सरकार की कोई योजनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) से (ग) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के संघ राज्य क्षेत्र ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बड़े यन्त्रचालित जलयानों को शामिल करने के लिए कोई स्कीम प्रस्तावित नहीं की है। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र से मत्स्यकी विकास निगम स्थापित करने का एक प्रस्ताव मिला था जिससे ट्यूना लांग लाइनर चार्टर करने का कार्यक्रम बनाया जा सके। उस समय राष्ट्रीय मत्स्य निगम स्थापित करने के प्रस्ताव को दृष्टिगत रखते हुए इस द्वीप समूह में मात्स्यकी निगम स्थापित करने का प्रस्ताव मुल्तवी कर दिया गया था। फिर भी अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह में मात्स्यकी और कृषि उद्योग निगम स्थापित करने की सम्भावनाओं की छानबीन की जा रही है।

कर्मचारियों द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली नकद राशि का दुरुपयोग

*108. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या **श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई है कि हड़ताल और तालाबन्दी की अवधि के दौरान कर्मचारियों द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली नकद राशि का दुरुपयोग किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कर्मचारियों द्वारा उक्त योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली नकद राशि का दुरुपयोग रोकने के लिए कुछ और उपाए करने का है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) उन केन्द्रों में, जहां रुग्णता/अस्थायी अपंगता लाभों के बहुत अधिक मामलों की सूचना दी गई, वर्ष 1984 में किए गए अध्ययन से पता लगा कि नकद राशि के दुरुपयोग का मुख्य कारण शिथिल प्रमाणन है। तथापि, हड़ताल या तालाबन्दी की अवधि के दौरान नकद लाभों के कुछ दुरुपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

(ख) कर्मचारी राज्य बीमा निगम और राज्य सरकारों द्वारा नकद लाभों के दुरुपयोग को रोकने के लिए कई प्रशासनिक कदम उठाए गए हैं। इसके परिणामस्वरूप, कुल स्थिति में कुछ सुधार हुआ है।

उर्वरक उत्पादन का लक्ष्य

* 109 **श्री रामप्यारे पनिका** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान उर्वरक उत्पादन का लक्ष्य वर्ष-वार कितना था;

(ख) क्या लक्ष्य की पूर्ति हुई; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) 1983-84 और 1984-85 वर्षों के दौरान उत्पादन का वार्षिक लक्ष्य निम्न प्रकार था :—

उत्पादन का लक्ष्य		(लाख टनों में)
	नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक (एन)	फास्फेटिक उर्वरक (पी०)
1983-84	38.00	11.00
1984-85	37.5	11.25

(ख) जबकि वर्ष 1984-85 के दौरान नाइट्रोजनयुक्त तथा फास्फेटिक उर्वरक दोनों का उत्पादन वार्षिक लक्ष्यों से अधिक था, 1983-84 के दौरान उस वर्ष के लिए निर्धारित वार्षिक लक्ष्य से उत्पादन कम हुआ।

(ग) पावर की कटौतियां पाबंदियां और उपस्कर समस्याएं 1983-84 के लक्ष्यों की तुलना में उत्पादन में हुई कमी के लिए उत्तरदायी मुख्य पहलू थे।

गृह निर्माण और गन्दी बस्ती सुधार बोर्डों की स्थापना

*110. डा० गौरी शंकर राजहंस
श्री महेन्द्र सिंह } : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पृथक गृह निर्माण और गन्दी बस्ती सुधार बोर्डों की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, ताकि दिल्ली विकास प्राधिकरण को इस कार्य से मुक्त किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में अंतिम निर्णय कब तक लिया जाएगा;

शहरी विकास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी, हां।

(ख) प्राक्कलन समिति ने अपनी 85वीं रिपोर्ट 1984-85 तथा 15वीं रिपोर्ट 1985-86 में दिल्ली के लिए आवास तथा मलिन बस्ती सुधार बोर्डों के गठन का सुझाव दिया है।

(ग) 85वीं रिपोर्ट 1984-85 के बारे में प्राक्कलन समिति को 3 सितम्बर, 1985 को सूचित किया गया था कि एक पृथक् आवास बोर्ड के गठन के लिए उनका सुझाव स्वीकार करना व्यवहार्य नहीं होगा। मलिन बस्ती सुधार बोर्ड के बारे में कोई दृष्टिकोण नहीं लिया गया है।

22-11-1985 को इस समिति की 15वीं रिपोर्ट 1985-86 संसद् में प्रस्तुत की गई थी तथा उस में उल्लिखित सिफारिशों पर निर्णय लिए जाने तथा 21-5-1986 तक समिति को बताने की अपेक्षा है।

दूरदर्शन पर शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमों के प्रसारण पर बल देना

*111. **श्री शांताराम नायक** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने कोई ऐसी नीति बनाई है, जिसके अन्तर्गत दूरदर्शन पर कार्यक्रमों के प्रसारण में शिक्षा पर अधिक बल दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो शिक्षा से सम्बन्धित कार्यक्रमों और मनोरंजन कार्यक्रमों और मनोरंजन कार्यक्रमों के बीच क्या अनुपात निर्धारित किया गया है?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी०एन० गाडगिल) : (क) और (ख) दूरदर्शन की मूल नीति अपने कार्यक्रमों के माध्यम से दर्शकों को शिक्षित करना, सूचना देना तथा मनोरंजन प्रदान करना है। इस उद्देश्य के अनुरूप, पाठ्यक्रमोन्मुखी कार्यक्रमों, सामान्य समृद्धि कार्यक्रमों, उच्च शिक्षा कार्यक्रमों तथा अनौपचारिक शिक्षा के लिए कार्यक्रमों सहित विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत किया जाता है। तथापि, इस बात को देखते हुए कि सूचनाप्रद एवं मनोरंजन कार्यक्रमों में भी शैक्षणिक तत्व होते हैं, शैक्षणिक, सूचनाप्रद तथा मनोरंजन कार्यक्रमों के बीच कोई परस्पर अनुपात निश्चित करना सम्भव नहीं है।

[हिंदी]

समाचारपत्रों हेतु आचार संहिता के संबंध में प्रस्ताव

*112. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रमजीवी पत्रकारों से समाचारपत्रों हेतु आचार संहिता के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या श्रमजीवी पत्रकारों की प्रेस मालिकों से और अधिक सुरक्षा की जायेगी ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, सरकार ने एक प्रेस रिपोर्ट देखी है जिसमें यह कहा है कि भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ के अध्यक्ष ने श्रमजीवी पत्रकारों के लिए सिद्धांत संहिता बनाने का पक्ष लिया है। सरकार प्रेस की स्वतन्त्रता के प्रति प्रतिबद्ध है और इसका प्रेस पर कोई आचार संहिता लागू करने का इरादा नहीं है। तथापि, प्रथम और द्वितीय प्रेस परिषदों और द्वितीय प्रेस आयोग जैसे विभिन्न निकायों द्वारा केस लॉ के आधार पर इस प्रकार की संहिता विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। वास्तव में, प्रेस परिषद् अधिनियम की धारा 13 (1) और (2) (ख) के अन्तर्गत परिषद को "उच्च व्यावसायिक स्तरों के अनुसार समचारपत्रों समाचार एजेंसियों और पत्रकारों के लिए आचार संहिता" बना की जिम्मेदारी सौंपी हुई है।

(ग) प्रेस की स्वतन्त्रता के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता के अनुसार में, सरकार प्रेस के आंतरिक कार्य संचालन में हस्तक्षेप नहीं करती। तथापि पत्रकार, उन संगत कानूनों और नियमों जो उनके रोजगार की शर्तों को विनियमित करते हैं, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से अपनी शिकायतें दूर करने की मांग कर सकते हैं।

[अनुवाद]

खान श्रमिकों के लिए सुरक्षा उपाय

***113. श्री संतोष मोहन देव**
श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही } : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985 में खानों में ऐसी कितनी दुर्घटनायें हुईं, जिनमें खान श्रमिक हताहत हुए; और

(ख) क्या खान श्रमिकों की सुरक्षा के लिए कोई नए नियम और विनियम बनाये गए हैं ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) वर्ष 1985 के दौरान खानों में हुई उन दुर्घटनाओं की संख्या, जिनमें कर्मकारों की मौतें हुईं या उन्हें चोटे लगीं, नीचे की तालिका में दी गई हैं :—

घातक दुर्घटनाओं की संख्या	मारे गए व्यक्तियों की संख्या	गम्भीर दुर्घटनाओं की संख्या	उन व्यक्तियों की संख्या जिन्हें गम्भीर रूप से चोटें आईं।
245	277	1,390	1,455

खान अधिनियम, 1952 में 31 मई, 1984 से संशोधन किया गया जिसके अनुसार शारीरिक क्षति को "रिपोर्ट की जाने योग्य क्षति" और "गम्भीर शारीरिक क्षति" के रूप में वर्गीकृत किया गया है। रिपोर्ट की जाने योग्य क्षति से किसी गम्भीर शारीरिक क्षति से भिन्न वे सभी शारीरिक क्षति अभिप्रेत हैं जिसमें क्षत व्यक्ति की बहत्तर घण्टे या अधिक कालावधि के लिए काम से मजबूरी के कारण अनुपस्थिति अन्तर्वलित है। गम्भीर शारीरिक क्षति में ऐसी कोई अन्य क्षति शामिल है जिसमें शरीर के किसी भाग या हिस्से के उपयोग की स्थायी हानि, या दृष्टि या श्रवण शक्ति की स्थाई हानि या क्षति या स्थायी शारीरिक असमर्थता या किसी हाथ या पैर की किसी हड्डी या उसके एक या अधिक जोड़ों का या किसी अंगुल्यस्थि की हड्डी का कोई अस्थि भंग अन्तर्वलित है।

खान अधिनियम, 1952, में संशोधन होने के फलस्वरूप, कोयला खान विनियम, 1957 और धातुमय खान विनियम, 1961 में जुलाई, 1985 में संशोधन किया गया। इन संशोधन के अन्तर्गत लाए गए सुरक्षा से सम्बन्धित महत्वपूर्ण उपबन्ध निम्न प्रकार से हैं :—

(1) प्रबन्धक के उच्च उन अधिकारियों के कर्तव्यों को निर्दिष्ट करना, जो खान अधिनियम के प्रयोजनार्थ एजेन्ट के रूप में शामिल किए गए हैं,

(2) आपात समय में प्रयोग करने के लिए आपात योजना तैयार करना प्रत्येक खान के लिए लाजिमी कर दिया गया है,

(3) थर्ड डिग्री वाली गैस युक्त कोयला खानों में स्व-बचाव उपकरणों की सप्लाई करना और उनका प्रयोग करना आवश्यक कर दिया गया है।

गरीबी निवारण कार्यक्रमों के अन्तर्गत श्रम दिवसों का सृजन

*114. **श्री अमल दत्त :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न गरीबी-निवारण कार्यक्रमों के अन्तर्गत वर्ष 1985-86 में सृजित श्रम-दिवसों की कुल 1984-85 में सृजित श्रम दिवसों की संख्या से कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न गरीबी-उन्मूलन कार्यक्रमों द्वारा सृजित श्रमदिवसों में कम से कम 1984-85 के श्रमदिवसों के समान वृद्धि करने हेतु कोई कदम उठाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वर्ष 1985-86 में इन कार्यक्रमों के लिये कितनी मात्रा में खाद्यान का उपयोग किया जा रहा है ?

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) से (ङ) अब तक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 1984-85 के दौरान सृजित रोजगार तथा 1985-86 के दौरान प्राप्त सूचना के अनुसार सृजित रोजगार की राज्यवार स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है। इन दो वर्षों के रोजगार के आंकड़ों की पूरी तरह से तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि वर्ष 1984-85 की सूचना पूर्ण और अन्तिम है, जबकि चालू वर्ष अर्थात् 1985-86 की सूचना अनन्तिम तथा अधूरी है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के कार्य क्षेत्र का विस्तार करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को संसाधनों के सामान्य आबंटन के अलावा अतिरिक्त खाद्यान्नों के रूप में 1 मिलियन मीटरी टन गेहूं उपलब्ध कराया जाए। राज्यों को उपलब्ध कराये जाने वाले अतिरिक्त गेहूं की लागत को पूर्णतया केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इसके अलावा, राज्यों को परिवहन तथा रख-रखाव प्रभारों आदि के लिए प्रति क्विंटल 20 रुपये की दर से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इन दोनों कार्यक्रमों के अंतर्गत आबंटित अतिरिक्त गेहूं की वास्तविक मात्रा 12,50,500 मीटरी टन है और चालू वर्ष के दौरान लगभग 1 मिलियन मीटरी टन का उपयोग होने की आशा है।

अतिरिक्त खाद्यान्नों के कारण 50 मिलियन श्रम-दिनों का अतिरिक्त रोजगार सृजित किए जाने की आशा है।

विवरण

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1984-85 तथा 1985-86 के दौरान रोजगार सृजन को दर्शाने वाला विवरण

अनन्तिम (लाख श्रम दिन)

क्र० सं० राज्य/संघ शासित क्षेत्र	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कामक्रम			ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम		
	1984-85	1985-86	कालम—4 की सूचना से संबंधित अवधि	1984-85	1985-86	कालम—7 की सूचना से संबंधित अवधि
1. 2.	3.	4.	5.	6.	7.	8
1. आंध्र प्रदेश	270.73	166.43	जनवरी, 86	217.55	143.88	जनवरी, 86
2. असम	88.74	18.71	जनवरी, 86	35.66	18.44	जनवरी, 86
3. बिहार	506.51	207.48	जनवरी, 86	336.52	141.25	जनवरी, 86
4. गुजरात	99.61	46.60	जनवरी, 86	83.72	56.18	जनवरी, 86
5. हरियाणा	15.34	9.48	जनवरी, 86	7.90	9.51	जनवरी, 85
6. हिमाचल प्रदेश	13.96	10.44	जनवरी, 86	17.93	12.02	जनवरी, 86
7. जम्मू और कश्मीर	18.94	7.89	दिस०, 85	11.07	3.59	नवम्बर, 85
8. कर्नाटक	402.52	132.63	जनवरी, 86	178.44	101.25	जनवरी, 86
9. केरल	143.20	70.08	जनवरी, 86	49.98	37.10	जनवरी, 86
10. मध्य प्रदेश	235.15	126.48	जनवरी, 86	232.18	150.98	जनवरी, 86
11. महाराष्ट्र	330.28	143.16	जनवरी, 86	327.69	179.48	जनवरी, 86
12. मणिपुर	2.70	1.53	जनवरी, 86	5.46	0.07	जनवरी, 86
13. मेघालय	2.26	2.81	जनवरी, 86	0.23	1.83	जनवरी, 86

1 2	3	4	5	6	7	8
14. नागालैंड	2.79	2.06	दिस०, 85	2.80	1.96	जनवरी, 86
15. उड़ीसा	158·37	93.10	जनवरी, 86	73.22	73.43	दिस०, 85
16. पंजाब	17.06	11.39	जनवरी, 86	20.95	15.71	जनवरी, 86
17. राजस्थान	97.72	105.22	जनवरी, 86	67.68	41.87	जनवरी, 86
18. सिक्किम	2·64	1.73	जनवरी, 86	0.43	1.43	जनवरी, 86
19. तमिलनाडु	366.73	187.09	जनवरी, 86	311.14	131.87	जनवरी, 86
20. त्रिपुरा	6·74	3.89	दिस, 85	8.47	3.88	जनवरी, 86
21. उत्तर प्रदेश	516.70	270.37	जनवरी, 86	505.62	333.07	जनवरी, 86
22. पश्चिम बंगाल	211.87	94.96	जनवरी, 86	72.83	70.00	दिस०, 85
23. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	3.66	1.66	जनवरी, 86	—	0.46	जनवरी 86
24. अरुणाचल प्रदेश	3.86	1.06	जनवरी, 86	—	0.03	दिस०, 85
25. चण्डीगढ़	0.38	0.24	दिस०, 85	0.31	0.04	जनवरी, 86
26. दादर और नगर हवेली	1.96	1.55	जनवरी, 86	शून्य	0.27	जनवरी, 86
27. दिल्ली	0.24	0.23	जनवरी, 86	0.20	0.28	जनवरी, 86
28. गोवा, दमन और दीव	3.86	3.55	जनवरी, 86	2.51	1.54	जनवरी, 86
29. लक्षद्वीप	1.49	1.31	जनवरी, 86	0.65	0.60	जनवरी, 86
30. मिजोरम	2.17	1.00	जनवरी, 86	2.82	1.52	जनवरी, 86
31. पांडिचेरी	3.04	1.37	जनवरी, 86	1.54	0.38	जनवरी, 86
योग :	3531.22	1725.50		2575.50	1534.02	

[हिंदी]

"गांधी" फिल्म से आय

*115. श्री मूल चन्द डागा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम संयुक्त उपक्रम के रूप में "गांधी" फिल्म के निर्माण पर खर्च की गयी 6 करोड़ रुपयों की राशि की प्रति प्राप्ति करने में सफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी राशि की प्रति प्राप्ति हुई है;

(ग) सरकार को उससे कुल कितना लाभ हुआ है; और

(घ) सरकार का देश के कोने-कोने में उक्त फिल्म दिखाने के लिए क्या व्यवस्था करने का विचार है और यदि हां, तो कब तक ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (वी० एन० गाडगिल) : (क) फिल्म "गांधी" बनाने पर राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने 6.36 करोड़ रुपए की पूंजी लगाई थी । समूची राशि वसूल हो गई है ।

(ख) और (ग) 31-12-1985 के दिन की स्थिति के अनुसार, फिल्म "गांधी" से, 29-6-85 तक वसूली स्थिति पर आधारित, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की सकल आय 12.83 करोड़ रुपए है । क्योंकि पूंजी निगम द्वारा लगाई गई थी, अत: लाभ इसको हुआ है, सरकार को नहीं ।

(घ) फिल्म के निर्माताओं ने व्यावसायिक प्रदर्शन के लिए इसे एक गैर-सरकारी कम्पनी को दे दिया है । जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, इसने क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय के माध्यम से मुख्य रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में दिखाने के लिए इसकी 16 एम० एम० प्रिंटें हासिल की हैं । फिल्म को दूरदर्शन पर टेलीकास्ट करवाने के लिए भी प्रयास किये जा रहे हैं ।

[अनुवाद]

उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि

*116. श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी
श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल } : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरकों के खुदरा मूल्यों में 30 जनवरी, 1986 से वृद्धि की गई है;

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस मूल्य वृद्धि का किसानों और अन्य लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा है और इस बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

कृषि मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) जी, हां । उर्वरक की कीमतें 31-1-1986 से बढ़ाई गई हैं और वे 1981-82 के स्तर पर होंगी ।

(ख) उर्वरक की 31-1-1986 से लागू हुई खुदरा कीमतें संलग्न विवरण में दी गई हैं । उर्वरकों की कीमतें राजसहायता की उपयुक्त सीमा में नियन्त्रित करने के लिए बढ़ाई गई हैं ।

(ग) इस मूल्य वृद्धि से किसानों और किसी अन्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा ।

विवरण

क्रम सं०	उर्वरक का नाम	31-1-86 से प्रभावी खुदरा कीमत (रु० प्रति टन)
1.	यूरिया	2350
2.	अमोनियम सल्फेट (21% एन०)	1650
3.	कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट (25% एन०)	1700
4.	कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट (26% एन०)	1770
5.	म्यूरीयेट आफ पोटाश (60% के०)	1300
6.	सल्फेट आफ पोटाश (50% के०)	2100
7.	डाय-आम फास्फेट (18-46-0)	3600
8.	एन० पी० के० (17–17–17)	2600
9.	एन० पी० के० (15–15–15)	2100
10.	एन० पी० के० (19–19–19)	2950
11.	अमोनियम फास्फेट सल्फेट (20–20–0)	2600
12.	नाइट्रो-फास्फेट (20–20–0)	2400
13.	अमोनियम फास्फेट सल्फेट (16–20–0)	2300
14.	यूरिया अमोनियम फोस (24–24–0)	3050
15.	यूरिया अमोनियम फोस (28–28–0)	3600
16.	एन० पी० के० (14–28–14)	3050
17.	एन० पी० के० (10–26–26)	2950
18.	एन० पी० के० (14–35–14)	3400
19.	एन० पी० के० (12–32–16)	3250
20.	ट्रिपल सुपर फोस (दानेदार) (46% पी०)	2600
21.	ट्रिपल सुपर फोस (पाऊडर)	2400
22.	अमोनियम क्लोराइड	1700
23.	सिंगल सुपर फास्फेट (14% $पी_2 ओ_5$ पाऊडर)	820
24.	सिंगल सुपर फास्फेट ((16% $पी_2$ $ओ_5$ पाऊडर)	950
25.	सिंगल सुपर फास्फेट (16% $पी_2$ $ओ_5$ दानेदार)	1100
26.	एनहीड्रोस अमोनिया	3770

नोट :—ऊपर दी गई कीमतें अधिक खुदरा कीमतें हैं इनमें बिक्री कर और अन्य स्थानीय कर शामिल नहीं हैं।

[हिंदी]

बिहार में राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम के शाखा कार्यालय स्थापित करना

*117. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या **शहरी विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अगले वित्तीय वर्ष के दौरान बिहार के बड़े नगरों तथा महानगरों के विकास में सहयोग देने हेतु राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेट के शाखा कार्यालय स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो उन बड़े नगरों तथा महानगरों के नाम क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) से (ग) बिहार के बड़े शहरों/महानगरों में राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम सीमित के शाखा कार्यालयों की स्थापाना का कोई प्रस्ताव सरकार के विचारधीन नहीं है। निगम उन स्थानों पर अपने क्षेत्रीय एककों की स्थापना करता है, जहां उसे निष्पादन के लिए निर्माण कार्य अवार्ड किए जाते हैं।

ग्रामीण विकास योजनाओं के अन्तर्गत दी जाने वाली राजसहायता का प्रभाव

*118. **श्री दलीप सिंह भूरिया** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न ग्रामीण योजनाओं के अन्तर्गत केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा अनुसूचित जनजातियों और अन्यों को बैंक ऋणों पर उपलब्ध करायी जाने वाली आकर्षक राजसहायता के कारण विभिन्न कृषि उपकरणों, बिजली के मोटर पम्पों आदि के निर्माताओं ने इन वस्तुओं के मूल्य 25 से 30 प्रतिशत तक बढ़ा दिए हैं और इसके परिणामस्वरूप सरकार द्वारा राजसहायता दिए जाने के बावजूद किसानों की उत्पादन लागत में कमी नहीं आयी है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) और (ख) इस विभाग द्वारा हाल ही में किए गए समवर्ती मूल्यांकन के अनुसार 5 प्रतिशत से भी कम लाभार्थियों को लघु सिंचाई के अंतर्गत सहायता दी जाती है। छठी पंचवर्षीय योजना में औसतन प्रति व्यक्ति निवेश (राजसहायता तथा ऋण) 1980-81 में 1642 रुपये, 1981-82 में 2698 रुपये, 1982-83 में 3107 रुपये, 1983-84 में 3201 रुपये तथा 1984-85 में 3339 रुपये था। प्राप्त निवेश के औसत स्तर को देखते हुए, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सप्लाई किए गए पम्प सेटों की संख्या इतनी अधिक नहीं हो सकती कि उससे पम्पसेटों के बाजार मूल्य पर कोई खास असर पड़ सके।

[अनुवाद]

हैदराबाद में अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह

*119. **श्री के० के० तिवारी**
श्री उत्तम राठोड़ } : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में हैदराबाद में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भारत की और विदेशों की श्रेणीवार कितनी फिल्में दिखाई गईं;

(ख) क्या उस समारोह में किसी भारतीय फिल्म ने कोई पुरस्कार प्राप्त किया; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) हैदराबाद में 10 से 24 जनवरी, 1986 तक आयोजित 'फिल्मोत्सव' 86, जो एक गैर-प्रतियोगी अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह था, के विभिन्न वर्गों में दिखाई गई भारतीय फिल्मों तथा विदेशी फिल्मों की संख्या दर्शाने वाला **विवरण** संलग्न है।

(ख) क्योंकि 'फिल्मोत्सव' 86 एक गैर प्रतियोगी समारोह था, इसलिये कोई पुरस्कार नहीं दिये गये।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

हैदराबाद में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में दिखाई गई फिल्मों (श्रेणीवार) की संख्या।

क्रम संख्या	वर्ग	फिल्मों की संख्या		
		विदेशी	भारतीय	कुल
1	2	3	4	5
1.	मुख्य वर्ग	81	1	82
2.	तृतीय विश्व महिला निर्देशक वर्ग	25 (13 लघु फिल्मों सहित)	14 (7 लघु फिल्मों सहित)	39 (20 लघु फिल्मों सहित)
3.	डाकुमीडिया	50 (लघु फिल्में)	13 (लघु फिल्में)	63 (लघु फिल्में)
4.	विदेशी रिट्रोस्पेक्टिव	22	—	22
5.	भारतीय रिट्रोस्पेक्टिव	—	28	28
6.	भारतीय पेनोरमा	—	31 (10 लघु फिल्मों सहित	31 (10 लघु फिल्मों सहित
	कुल :	178 (63 लघु फिल्मों सहित)	87 (30 लघु फिल्मों सहित)	265 (93 लघु फिल्मों सहित)

सूखे को स्थिति से निपटने के लिए कर्नाटक को केन्द्रीय सहायता

*120. श्री बी वी० देसाई
श्री के०वी० शंकर गौड़ा } : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक के मुख्य मन्त्री ने 13 जनवरी, को प्रधान मन्त्री से भेंट की थी और उन्हें एक ज्ञापन दिया था, जिसमें राज्य को सूखे की स्थिति से निपटने के लिए केन्द्र से तुरन्त सहायता देने का अनुरोध किया गया था;

(ख) क्या केन्द्रीय कृषि मन्त्री ने राज्य का दौरा किया और वास्तविक आवश्यकता का अनुमान लगाने के लिए एक केन्द्रीय दल भी वहां भेजा गया;

(ग) यदि हां, तो इस भेंट के पश्चात् केन्द्र द्वारा सूखे की स्थिति से निपटने के लिए कितनी सहायता दी गई; और

(घ) कर्नाटक के मुख्य मन्त्री द्वारा प्रधान मन्त्री को दिए गए ज्ञापन में और क्या क्या मुद्दे रखे गए हैं ?

कृषि मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) केन्द्रीय दल की रिपोर्ट अभी नहीं मिली है। कर्नाटक में सूखे के लिए आगे और केंद्रीय सहायता दल की रिपोर्ट और राहत सम्बन्धी उच्च स्तरीय कमेटी की सिफारिशों के आधार पर स्वीकृत की जाएगी।

(घ) ज्ञापन में अन्य बातों के अलावा ग्रामीण रोजगार, पेय जल, चारा साधनोपाय, अधिक केन्द्रीय सहायता मन्जूर होने तक पेशगियां, वित्त पोषण का पैटर्न आदि समस्याओं का उल्लेख किया गया था।

सघन उर्वरक संवर्धन अभियान

*121. श्री सरफराज अहमद
श्री धर्मपाल सिंह मलिक } : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में सघन उर्वरक संवर्धन अभियान के लिए कतिपय जिलों का चयन किया है;

(ख) यदि हां, तो इन जिलों का चयन करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं ; और

(ग) क्या इससे भविष्य में खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि होगी ?

कृषि मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) जी, हां। अभियान के लिए राज्यवार चुनिंदा जिलों के नाम संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ख) जिलों का चयन निम्नलिखित मानदण्ड पर आधारित है :—

I. सिंचाई की अच्छी सुविधाओं वाले, परन्तु उर्वरकों की कम खपत वाले जिले

(1) जहां बोए गए निवल क्षेत्र की तुलना में सिंचित निवल क्षेत्र 30 प्रतिशत अधिक है।

(2) जहां उर्वरक की प्रति हैक्टार खपत या तो राज्य औसत से अथवा राष्ट्रीय औसत से, जो भी अधिक है, की तुलना में कम है।

II. आश्वासक वर्षा सिंचित जिले—

(1) जहां वार्षिक वर्षा की औसत 500 मिलीमीटर से अधिक है।

(2) जहां बोए गए निवल क्षेत्र की तुलना में सिंचित निवल क्षेत्र 30 प्रतिशत कम है; और

(3) जहां उर्वरकों की प्रति हैक्टर खपत या तो राज्य औसत से अथवा 35 कि०ग्रा० प्रति हैक्टार से, जो भी अधिक है, की तुलना में कम है।

(ग) खाद्य उत्पादन तथा कृषि संबंधी अन्य फसलों में वृद्धि की मात्रा उर्वरक की खपत तथा सम्बद्ध आदानों के प्रयोग में वृद्धि के अनुपात में होगी।

विवरण

सघन उर्वरक आशाजनक अभियान के लिए चुने गए जिलों की सूची

क्र०सं० राज्य/जिला	मुख्य निर्माता
1. कर्नाटक	
1. धारवाड़*	जुआरी
2. तुमकुर*	जुआरी
3. रायचूर*	इफ्को
4. बीदर*	आर० सी० एफ०
5. कोलार*	एस० पी० आई० सी०
6. बंगलोर*	एफ० ए० सी० टी०
7. हसन*	एम० एफ० एल०
2. तमिलनाडु	
8. धर्मापुरी*	एम० एफ० एल०
9. रामनाड	एस० पी० आई० सी०
10. पुडुकोट्ट	एफ० ए० सी० टी०
11. तिरुनेलविली	एस० पी० आई० सी०
12. कन्याकुमारी	एस० पी० आई० सी०
13. सेलम	एम० एफ० एल०
3. केरल	
14. मल्लापुरम*	एफ० ए० सी० टी०
15. कनान्नोर*	एफ० ए० सी० टी०
16. क्विलोन*	एफ० ए० सी० टी०
4. आंध्रप्रदेश	
17. सिरीकाकुलम	कोरोमंडल
18. विशाखापट्टनम	—वही—
19. विजयानगरम	आर० सी० एफ०
20. नालगोंडा*	जुआरी
21. मेढक*	एफ० ए० सी० टी०
22. चुड्डप्पा	कोरोमण्डल

क्र० सं० राज्य/जिला	मुख्य निर्माता
23. चित्तूर	एम० एफ० एल०
24. नेल्लोर	एस० पी० आई० सी०
25. आदिलाबाद*	आर० सी० एफ०
5. गुजरात	
26. मेहसाणा*	इफको
27. अहमदाबाद*	—वही—
28. भड़ोच*	जी० एन० वी० एफ० सी०
29. बुलसाड़*	—वही—
30. गांधीनगर*	जी० एस० एफ० सी०
31. बांसकंठा*	—वही—
32. पंचमहल*	—वही—
6. राजस्थान	
33. भीलवाड़ा	इफको
34. जयपुर	श्री राम
35. उदयपुर	जी० एस० एफ० सी०
36. भरतपुर*	एन० एफ० एल०
37. अलवर*	एन० एफ० एल०
38. बांसवाड़ा*	जी० एस० एफ० सी०
39. अजमेर*	श्रीराम
40. झालवाड़*	इफको
41. गंगानगर	इफको
42. चित्तौड़गढ़	श्रीराम
43. कोटा*	श्रीराम
7. महाराष्ट्र	
44. औरंगाबाद*	इफको
45. पुणे*	आर० सी० एफ०
46. नादेड़*	जुआरी
47. प्रभानी*	आर० सी० एफ०
48. ऊसमानाबाद*	जुआरी
49. अकोला*	आर० सी० एफ०
50. भंडारा	आर० सी० एफ०
51. सतारा*	आर० सी० एफ०

क्र० सं० राज्य/जिला	मुख्य निर्माता
8. **मध्य प्रदेश**	
52. होशंगाबाद*	इफको
53. सागर*	जी० एन० वी० एफ० सी०
54. शाजापुर*	श्रीराम
55. विदिशा*	इफको
56. राजनन्दगांव*	एच० एफ० सी०
57. दमोह*	एफ० सी० आई०
58. रायपुर*	डी० एम० सी० सी०
59. मुरैना	डी० एम० सी० सी०
60. टीकमगढ़	एच० एफ० सी०
61. बीलासपुर*	इफको
62. दुर्ग	डी० एम० सी० सी०
9. **बिहार**	
63. पूर्णिया*	एच० एफ० सी०
64. सहरसा*	एच० एफ० सी०
65. पश्चिमी चंपारण	एच० एफ० सी०
66. औरंगाबाद	एफ० सी० आई०
67. समस्तीपुर	इफको
68. दरभंगा	एफ० सी० आई०
69. भागलपुर	एच० एफ० सी०
70. पटना	एफ० सी० आई०
71. पूर्वी चंपारण*	एफ० सी० आई०
10. **पश्चिम बंगाल**	
72. पश्चिमी दीनाजपुर*	एच० एफ० सी०
73. 24–परगना*	इफको
74. बीरभूम	एच० एफ० सी०
11. **असम**	
75. डिबरूगढ़*	एच० एफ० सी०
12. **उड़ीसा**	
76. गन्जम	इफको
77. धेनकनाल*	एफ० सी० आई०

क्र० सं० राज्य/जिला	मुख्य निर्माता
78. सुन्दरगढ़*	एफ० सी० आई०
79. फूलबानी*	एच० एफ० सी०
80. सम्बलपुर*	कौरोलमण्डल
13. हरियाणा	
81. गुड़गांव	एन० एफ० एल०/इफ्को
82. रोहतक	एन० एफ० एल०
83. महेन्द्रगढ़*	एन० एफ० एल०
84. हिसार	इफको
85. जीन्द	एन० एफ० एल०
14. पंजाब	
86. रोपड़	एन० एफ० एल०
87. होशियारपुर	एन० एफ० एल०
15. उत्तर प्रदेश	
88. एटा	श्रीराम
89. उन्नाव	एफ० सी० आई०
90. हरदोई	आई० ई० एल०
91. बहराईच*	इफको
92. बांदा*	एफ० सी० आई०
93. मिर्जापुर*	इफको
94. अल्मोड़ा*	आई० ई० एल०
94. पौढ़ी गढ़वाल*	एफ० सी० आई०
96. आगरा	जी एन० वी० एफ० सी०
97. बदायूं	इफ्को
98. फतेहपुर	इफको
99. रायबरेली	एफ० सी० आई०
16. जम्मू तथा कश्मीर	
100. अनन्तनाग	इफको
101. कठुवा*	एन० एफ० एल०
17. हिमाचल प्रदेश	
102 सिरमूर*	एन० एफ० एल०
103. सोलन*	एन० एफ० एल०
104. कांगड़ा	एन० एफ० एल

*वर्षा सिंचित जिले=61

शहरी क्षेत्रों में जल सप्लाई की व्यवस्था

*122. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह**
श्री अनंत प्रसाद सेठी } : क्या **शहरी विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1991 तक सभी शहरी क्षेत्रों को जल सप्लाई करने के कार्यक्रम में अब कटौती किए जाने की सम्भावना है;

(ख) क्या इस विषय पर हाल में शहरी विकास मन्त्रियों के सम्मेलन में चर्चा की गई थी ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का विचार शहरी निकायों को जल सप्लाई की व्यवस्था करने हेतु बाजार-ऋण लेकर स्थानीय रूप से धन इकट्ठा करने की अनुमति देने का है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय पेय जलपूर्ति तथा स्वच्छता दशक (1981-1991) का मूल उद्देश्य मार्च, 1991 तक शत प्रतिशत जनसंख्या को स्वच्छ तथा पर्याप्त पेयजल मुहैया करना था। प्रक्षेपित आवश्यकताओं के विपरीत 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शहरी जलपूर्ति के लिए उपलब्ध कराए गए संसाधनों को दृष्टि में रखकर अक्तुबर, 1985 में हुए मध्य दशक समीक्षा सम्मेलन ने सिफारिश की थी कि इस लक्ष्य को 90 प्रतीशत तक कम कर दिया जाए।

(ख) और (ग) 7 फरवरी, 1986 को हुए शहरी जलपूर्ति तथा स्वच्छता के प्रभारी मंत्रियों के सम्मेलन ने बाद में समीक्षा के अध्याधीन उपर्युक्त सिफारिशों का समर्थन किया था।

(घ) इस मन्त्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, शहरी जलपूर्ति तथा स्वच्छता सहित शहरी अर्थ संरचना के लिए एक वित्त संस्थान के गठन का प्रस्ताव है। इस प्रयोजनार्थ 7वीं पंचवर्षीय योजना में 55 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

तीसरी बोली के आधार पर तेल की खोज के लिये संयुक्त उद्यम

*126. **श्री सनत कुमार मंडल**
श्री चित्त महाता } : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में की गई/की जाने वाली बोली के तीसरे चक्र में उत्पादन की भागीदारी के आधार पर तट-दूर तेल की खोज के लिए विदेशी कम्पनियों को सौंपे जाने वाले ब्लाकों की संख्या कितनी है तथा वे ब्लाक भारत के पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों पर कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) क्या बोली देने वालों को विभिन्न प्रकार के ठेके देने का प्रस्ताव है; यदि हां, तो विशेषकर आयल इण्डिया अथवा तेल और प्राकृतिक गैस आयोग जैसी भारतीय कम्पनियों के साथ उसके संयुक्त उद्यम संबंधी मुख्य रूपरेखा क्या है;

(ग) ऐसी व्यवस्था करने के कारण क्या हैं; और

(घ) सातवी पंचवर्षीय योजना के दौरान तट-दूर तेल की खोज के काम में कितना पूंजीगत परिव्यय होगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) पश्चिम समुद्र तट पर सौराष्ट्र, तथा केरल-कोकण बेसिनों तथा पूर्वी समुद्री तट पर कावेरी, कृष्णा-गोदावरी, पालार तथा महानदी बेसिनों में अपतटीय क्षेत्रों में 27 ब्लाकों में तेल की खोज के लिये विख्यात अन्तर्राष्ट्रीय तेल कम्पनियों से प्रस्ताव आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया है।

(ख) और (ग) तेल कम्पनियों से अधिकतम प्रतिक्रिया प्राप्त करने के उद्देश्य से बोलियों के तीसरे दौर के लिये सुगम्य रास्ता अपनाने का निर्णय लिया गया है। यह प्रस्ताव है कि संविदा भू-कम्पनीय विकल्प सहित उत्पादन-भागीदारी के रूप में होगी, कोई हस्ताक्षर या उत्पादन बोनस नहीं दिया जाएगा। रायल्टी का भुगतान नहीं किया जाएगा, 50 प्रतिशत की दर पर निगम आय-कर, वार्षिक कार्य के कार्यक्रम के कुछ प्रतिशत पर बैंक गारन्टी प्राप्त की जायेगी। भारत द्वारा आत्म-निर्भरता प्राप्त किये जाने तक ठेकेदार को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मूल्यों पर पूर्ण लागत तेल तथा लाभ तेल सरकार को देना होगा।

(घ) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग तथा आयल इंडिया लिमिटेड की सातवीं योजना के लिए 9702 करोड़ रुपये के अनुमोदित परिव्यय में से अपतटीय क्षेत्रों में अन्वेषण तथा विकास के लिये प्रत्याशित आधार पर 4500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। अपतटीय क्षेत्रों में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग तथा आयल इंडिया लिमिटेड के अन्वेषण सम्बन्धी प्रयास विदेशी तेल कम्पमियों से प्राप्त प्रस्तावों पर निर्भर करेंगे।

दिल्ली तथा बम्बई में टेलीफोनों के प्रबन्ध के लिए निगमों की स्थापना

*134. **श्री मूल चन्द डागा**
श्री पी० एम० सईद } : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली तथा बम्बई में टेलीफोनों के प्रबन्ध के लिये किन परिस्थितियों में निगम स्थापित किये जा रहे है;

(ख) सरकार ऐसा किस प्रकार सोचती है कि प्रस्तावित निगमों के अन्तर्गत टेलीफोनों के कार्यकरण में सुधार होगा, जबकि उपकरण, भवन तथा कर्मचारी वही रहेंगे; और

(ग) क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि प्रस्तावित निगमों के अन्तर्गत दिल्ली तथा बम्बई में टेलीफोनों की दरें अन्य महानगरों के बराबर हों ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) प्रबंध व्यवस्था को अधिक कारगर बनाने तथा बाजार से संसाधन बढ़ाने के लिए इस निगम का गठन किया जा रहा है।

(ख) ऐसी संभावना है कि एक अत्यधिक कारगर प्रबंध ढांचा, व्यापक स्वायत्तता तथा अधिक विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए बाजार से ऋण लेकर अतिरिक्त संसाधन जुटाने से सेवाओं में सुधार लाने में मदद मिलेगी।

(ग) प्रचालन लागत, वित्तीय निवेश की लागत, भावी विकास आदि के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने की आवश्यकता जैसे विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर दरें निर्धारित की गई हैं। यदि निगम दरों में संशोधन करना आवश्यक समझता है, तो दूरसंचार बोर्ड से पूर्व मंजूरी लेकर ही ऐसा किया जा सकेगा।

भीड़भाड़ वाले शहरी क्षेत्रों से उद्योगों का स्थानान्तरण

*135. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यावरण के आधार पर भीड़भाड़ वाले शहरी क्षेत्रों से उद्योगों को अन्यत्र स्थानान्तरित करने के बारे में सहायता करने हेतु वर्ष 1983 के बजट में किस प्रकार की कर-राहतों की पेशकश की गई थी;

(ख) उक्त राहतों का लाभ कितने उद्योगों ने उठाया है; और

(ग) केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा उद्योगों को स्थानान्तरण का औचित्य समझाने के लिये क्या प्रयास किये गये हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) व्यवसाय में प्रयुक्त भूमि और भावनों के अंतरण से उत्पन्न पूंजीगत लाभ को करों से मुक्त रखा गया था और शहरी क्षेत्रों से उद्योगों को स्थानांतरित करने को बढ़ावा देने तथा भीड़-भाड़ वाले नगरों से भीड़ को दूर करने तथा प्रदूषण घटाने के उद्देश्य से उपयुक्त सुविधा 1983-84 के आम बजट में मशीनों व संयंत्रों के हस्तांतरण से उत्पन्न पूंजीगत लाभ पर भी देदी गई थी। राजकोषीय रियायतों तथा सरकार द्वारा लागू स्थापना-स्थल नीति के अनुसार भी सामान्यतया मानक शहरी क्षेत्र सीमाओं तथा म्युनिसिपल नगरों में नए एककों की स्थापना तथा विद्यमान एककों के पर्याप्त विस्तार की अनुमति नहीं दी जाती। उद्योगों को उनके विद्यमान स्थापना-स्थल से दूसरी जगह स्थानांतरित करने के लिए उस नई जगह पर अवस्थापना सुविधाएं जुटानी पड़ती हैं और सुविधाएं दिलाने की अपेक्षा राज्य सरकारों से की गई है। प्रत्येक औद्योगिक उपक्रम से आशा की जाती है कि वह नई जगह पर अपना व्यवसाय स्थानांतरित करने के लिए उपलब्ध रियायतों/सुविधाओं का लाभ उठाए। अपने व्यवसाय को नई जगह पर ले जाने के लिए उपलब्ध सुविधाओं से लाभ उठाने वाले ऐसे उद्योगों की संख्या के बारे में सांख्यिकीय जानकारी केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती क्योंकि यह सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं तथा उनसे लाभ उठाने के लिए उद्यमियों द्वारा किए गए प्रयत्नों पर निर्भर करता है।

दिल्ली में मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के दिसंबर, 1985 में हुए सम्मेलन में की गई सिफारिशें

*136. **श्री बी० वी० देसाई**
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह } : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने 28 दिसंबर, 1985 को मुख्य निर्वाचन अधिकारियों का एक सम्मेलन बुलाया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने सम्मेलन में अन्य बातों के साथ-साथ निर्दलीय अभ्यर्थियों के निर्वाचन लड़ने पर रोक लगाने और निर्वाचन अधिकारी पद्धति आरंभ करने का सुझाव दिया था;

(ग) सम्मेलन में अन्य किन मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया था;

(घ) क्या सम्मेलन में स्वीकृत अनेक सुझाव केंद्र सरकार के विचारार्थ भेजे गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने इन में से कितने सुझावों पर विचार कर लिया है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री ए० के० सेन) : (क) जी हां।

(ख) सम्मेलन ने निर्दलीय अभ्यर्थियों के निर्वाचन लड़ने पर रोक लगाने के सुझाव की ओर ऐसी रोक लगाई जाने की शर्तों की समीक्षा की है। इस सुझाव पर, गैर संजीदा अभ्यर्थियों को निर्वाचन लड़ने से हतोत्साहित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, विचार किया गया था। सम्मेलन इस सुझाव के पक्ष में नहीं था। "निर्वाचन अधिकारी पद्धति आरंभ करने" से संबंधित किसी प्रश्न पर सम्मेलन में विचार विमर्श नहीं हुआ था।

(ग) सम्मेलन में जिन मदों पर विचार विमर्श हुआ है उनका विवरण संलग्न है।

(घ) और (ङ) निर्वाचन आयोग ने सरकार को सूचित किया है कि सम्मेलन में किए गए विनिश्चयों पर अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है और औपचारिक प्रस्ताव, यदि वे आवश्यक समझे जाते हैं तो, सम्यक् अनुक्रम में सरकार को भेज जाएंगे।

विवरण

क्रम सं०	विषय
(1)	(2)

I. निर्वाचक नामावलियां

(1) राज्य विधान सभाओं के साधारण निर्वाचनों के पूर्व 1986-87 में नामावलियों का गहन पुनरीक्षण/संक्षिप्त पुनरीक्षण 1983-84 में निर्वाचक नामावलियों के गहन पुनरीक्षण को ध्यान में रखते हुए संक्षिप्त पुनरीक्षण पर्याप्त होगा—नामावलियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण की उपयोगिता।

(2) निर्वाचक नामावलियों की प्रतियों को वर्ष 1951 से स्थायी अभिलेख के रूप में परिरक्षित रखना—12 वर्षीय परिरक्षण के लिए भी अनुदेश।

(3) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 11 (ग) और 22 (ग) के अधीन राजनैतिक दलों को निर्वाचक नामावलियों की प्रतियों का निःशुल्क प्रदाय।

(4) उर्दू और हिन्दी में निर्वाचक नामावलियों के मुद्रण के लिए अपेक्षित समय।

(5) निर्वाचक नामावलियों के संदर्भ में विदेशी राष्ट्रिकों का मामला।

(6) मुद्रित की जाने वाली निर्वाचक नामावलियों की प्रतियों की संख्या।

(7) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 23 के अधीन निर्वाचक नामावलियों में नामों का सम्मिलित किया जाना प्रक्रिया का सरलीकरण।

(8) उच्चतम न्यायालय को दिए गए वचन के आधार पर निर्वाचक कार्ड का संशोधन/मु०नि०आ० नोट करे और इस बात की पुष्टि करे कि ऐसा कार्ड गहन पुनरीक्षण के दौरान उपयोग किया जाएगा।

1	2

II. **निर्वाचनों का संचालन :**

(1) अंतिम साधारण निर्वाचनों के दौरान उत्पन्न हुई विशेष समस्याएं ।

(2) मतदान केन्द्र आबन्टित किए जाने वाले मतदाताओं की संख्या ।

(3) मतदान केन्द्रों के स्थान में परिवर्तन—सूची के अंतिम प्रकाशन के पूर्व परामर्श करने की बाबत आयोग द्वारा दिए गए निदेशों के कड़ाई से पालन की अवश्यकता ।

(4) एक दिवसीय मतदान के अनुरूप बलों और कर्मचारियों की उपलब्धता ।

(5) गणना अभिकर्ताओं के लिए फोटो—पहचान पत्र—गणना केन्द्रों में भीड़ कम करने के लिए विशेष उपाय ।

(6) मतदान के दिन यानों का चलाना—आयोग के निदेश—मतदान क्षेत्र द्वारा परिनिश्चित करना और निर्वाचन अभिकर्ता के एकमात्र उपयोग के लिए यान उपलब्ध करना ।

(7) विशेष (सहायक) मतदान बूथों पर मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 46 के संशोधन के लिए प्रस्ताव ।

III. **प्रशासनिक व्यवस्था :**

(1) निर्वाचन की घोषणा के पश्चात् स्थानांतरण पर रोक ।

(2) मतदान कार्मिकों को प्रशिक्षण ।

(3) निर्वाचनों के दौरान राज्य में विधि और व्यवस्था—मुख्य निर्वाचन आफिसर की भूमिका ।

(4) आदर्श आचार संहिता–

(i) राजनैतिक दलों द्वारा विश्राम गृह/सर्किट हाउस आदि का दुरुपयोग ।

(ii) सरकारीतंत्र का दुरुपयोग—संहिता के उपबंध कानूनी बनाए जाएं और उनका उल्लंघन निर्वाचन अपराध माना जाए ।

(5) मतदान बूथ पर कब्जा करने से रोकने के लिए विशेष उपाय—90% मतदान —प्रशासनिक कमियां ।

(6) निर्वाचन तंत्र के एकरूप पैटर्न के संबंध में आयोग द्वारा नियुक्त समिति द्वारा की गई सिफारिशों का कार्यान्वियन ।

(7) यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता जैसे पारिश्रमिक के अतिरिक्त, मतदान कर्मचारीवृन्द को भोजन के पैकटों/जलपान का प्रदाय ।

(8) जब लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचन एक साथ हो रहे हों तब निश्चित मानदेय निर्धारित करना ।

(9) साधारण निर्वाचनों के समय, मान्यताप्राप्त दलों द्वारा रेडियो और टेलीविजन से प्रसारण की स्कीम । पंजाब और असम में जिला स्तर पर किए गए प्रसारणों की स्कीम का मूल्यांकन ।

1	2

IV. **निर्वाचन सामग्री :**

अमिट स्याही—इसके प्रदाय की समस्या—पहाड़ी और दूरदराज के क्षेत्रों में।

V. **निर्वाचन सुधार—निर्वाचन विधि में संशोधन साधारण**

(1) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 23 के उपबंधों का इस प्रकार संशोधन किया जाना कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर, नामनिर्देशन अंतिम तारीख के बजाय अधिसूचना के जारी किए जाने की तारीख से नाम सम्मिलित करने के लिए आदेश पारित नहीं करेगा।

(2) निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 से नियम 70 के अधीन, नियम 38 (क) (2ख) के उपबंधों का इस प्रकार संशोधन करना कि विधान परिषद के निर्वाचनों की बाबत मतपत्रों के प्रतिपर्ण पर मतदाता द्वारा हस्ताक्षर अनिवार्य हो जाएं।

(3) निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 की धारा 52 (2) का इस प्रकार संशोधन करना जिससे कि गणना के लिए नियत तारीख से केवल एक दिन पूर्व गणना अभिकर्ताओं की नियुक्ति की जा सके।

(4) नामनिर्देशन प्रारूप का इस प्रकार संशोधन करना कि श्री/श्रीमती/कुमारी पुरुष/स्त्री या विवाहित महिला, आदि का भद पता लग सके।

(5) राज्य सभा के उपनिर्वाचनों संबंधित प्रारूपों का संशोधन विशेषतया तब जब कि विभिन्न वर्षों के लिए एक से अधिक स्थान के लिए उप निर्वाचन किया जा रहा हो।

(6) प्रारूप 16 और अंतिम परिणाम पत्र का तुरंत यह जानने के लिए संशोधन कि मतदान करने वाले पुरुषों और स्त्रियों की संख्या कितनी है।

(7) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 से उपबद्ध प्रारुप 6 और 8ख में एकरूपता लाने के लिए संशोधन।

(8) राज्य सभा और विधान परिषद् के निर्वाचनों के लिए निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में दल की सम्बद्धता प्रारूप 7ख में उपदर्शित करना जैसा कि निर्वाचन प्रतीक आदेश, 1968 के पैरा 13 के अधीन प्रारूप "क" और प्रारूप "ख" में विहित है।

(9) अपने फोटो सहित स्वयं अभ्यर्थी द्वारा नामनिर्देशन पत्र फाइल करना।

(10) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नामों को वर्णानुक्रम आदि में व्यवस्थित करना।

(11) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों और उनके अभिकर्ताओं के नमूना हस्ताक्षर का पीठासीन अधिकारी को अग्रिम रूप से पेश करना।

(12) आयोग की पूर्व अनुज्ञा से ही निर्दलीय अभ्यर्थियों को निर्वाचन लड़ने के लिए अनुज्ञात करना।

(13) संयुक्त मुख्य निर्वाचन आफिसरों की कानूनी प्रास्थिति।

(14) ऐसे उपाय करना जिससे कि निर्वाचन कर्तव्य करने वाले सभी व्यक्ति निर्वाचन कर्तव्य प्रमाणपत्र प्राप्त करके अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।

1	2
	(15) निर्वाचन क्षेत्र भीतर निर्वाचन कर्तव्य पर सभी प्रवर्ग के मतदाताओं को निर्वाचन कर्तव्य प्रमाणपत्र देकर व्यक्तिगत, न कि डाक से, मतदान के लिए अनुज्ञात करना ।
	(16) मतदान अभिकर्ताओं को भी निर्वाचन कर्तव्य प्रमाणपत्र दिए जाने चाहिए ।
	(17) निविदत्त मतपत्रों को मत पेटी में रखा जाना चाहिए ।
	(18) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या में वृद्धि जिनके लिए बढ़ी हुई संख्या में बाहरी लिफाफे आदि बनाए जाते हैं-सुझाव है कि ऐसे लिफाफे कागज की बजाय कपड़े के बनाए जाएं ।
	(19) अब तक प्रस्तावित निर्वाचन सुधारों और उनकी वर्तमान स्थिति की बाबत मुख्य निर्वाचन आफिसरों को पूर्णतया अवगत कराया जाए ।

VI. प्रकीर्ण

(1) निर्वाचन के दौरान बेतार—उपस्कर।

(2) 1987 से आगे निर्वाचन परिणामों का कम्प्यूटरीकरण ।

(3) निर्वाचन सामग्री के भाण्डरण के लिए गोदामों का निर्माण ।

(4) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13क के अनुपालन में मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति ।

हिन्दुस्तान पिलकिंग्टन ग्लास वर्क्स लिमिटेड को पुनर्जीवित करना

*137. श्री सैयद मसूदल हुसैन
श्री पूर्णचन्द्र मलिक } : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आसनसोल स्थित हिन्दुस्तान पिलकिंग्टन ग्लास वर्क्स लिमिटेड, जो पिछले दस वर्षों के दौरान अनेक हाथों में बिकी है और जिसके 1400 कर्मचारी अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं, को पुनर्जीवित करने की सम्भावनाओं की जांच करने हेतु एक उच्च अधिकारी प्राप्त समिति गठित की थी;

(ख) क्या राष्ट्रीयकृत बैंक और वित्तीय संस्थान उक्त एकक का राष्ट्रीयकरण किये जाने के पक्ष में हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में अन्तिम निर्णय कब तक लिया जायेगा ?

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) एकक का अभिग्रहण करने में रुचि रखने वाले विभिन्न गैर-सरकारी पार्टियों के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था, जिसमें पश्चिम बगाल राज्य सरकार, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम और ग्रिन्डलेज बैंक के प्रतिनिधि शामिल हैं । समिति द्वारा जिस उद्यमी के प्रस्ताव को उपयुक्त समझा गया था, उसने इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई । कम्पनी के भावी निपटान के बारे में बैंकों, वित्तीय संस्थानों तथा राज्य सरकारों द्वारा निर्णय किया जाना है ।

(ख) और (ग) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन एकक के प्रबन्ध का अधिग्रहण करने या इसका राष्ट्रीयकरण कर देने के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

भारत कोकिंग कोल लि० के कार्यकरण संबंधी समिति

*138. श्री सरफराज अहमद
श्री एम० रघुमा रेड्डी } : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि० की एक सहायक कंपनी भारत कोकिंग कोल लि० के कार्यकरण का गहराई से अध्ययन करने हेतु एक समिति का गठन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं; और

(ग) समिति के निदेश-पद क्या हैं और यह समिति कब तक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ग) कोयला विभाग ने भारत कोकिंग कोल लि० के क्रियाकलाप का अध्ययन करने के लिए जनवरी, 1986 में एक समिति का गठन किया है जिसके अध्यक्ष श्री ए०एन० बनर्जी, अवकाश प्राप्त अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान लि० हैं। इसके अन्य सदस्य हैं श्री यू०एन० झा, अवकाश प्राप्त मुख्य खनन इंजीनियर, श्री एच०एस० आहूजा, अवकाश प्राप्त खान सुरक्षा महानिदेशक, श्री एन०आर० मित्रा, अवकाश प्राप्त अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, भा० को० को० लि०, श्री बी० स्वामीनाथन, भूतपूर्व सलाहकार, सरकारी उद्यम कार्यालय, श्री डी० वी० परांजपे, भूतपूर्व निदेशक (तकनीकी) सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि०। श्री आर०के० यशराव, महाप्रबंधक, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० सदस्य-सचिव हैं। इस समिति का गठन इस दृष्टि से किया गया है कि भारत कोकिंग कोल लि० को परेशान कर रही विभिन्न समस्याओं का पता लगाया जाए और इन समस्याओं के समाधान के लिए सुधार के ऐसे उपाय ज्ञात करने के लिए कंपनी के क्रियाकलाप का गहन अध्ययन किया जाए जिन्हें अपनाकर कंपनी इन समस्याओं से मुक्त हो सके और अपने मुख्य उद्देश्य प्राप्त कर सके। यह उद्देश्य हैं अपने कार्य-क्षेत्र में कोककर कोयला मंडारों का वैज्ञानिक विकास, कोयला उत्पादन बढ़ाना तथा विकास और कल्याण की अन्य योजनओं को समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार कार्यान्वित करना। समिति के विचारार्थ शर्तें नीचे दी गई हैं :—

(i) कंपनी की वर्तमान उत्पादन क्षमता की जांच करना एवं उत्पादन और उत्पादकता में सुधार तथा जनशक्ति एवं मशीनों के उपयोग तथा आमतौर पर प्रबंध में सुधार हेतु उपायों की सिफारिश करना;

(ii) परियोजनाओं एवं झरिया कोयला क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान के कार्यान्वयन में विलंब के कारणों की जांच करना एवं उनकी कार्यान्वयन प्रक्रिया में तेजी लाने तथा अतिरिक्त समय एवं लागत खर्च से बचने के लिए कार्रवाई करने का सुझाव देना;

(iii) भा० को० को० लि० की वाशरियों के क्रियाकलाप की जांच करना, एवं उनके कार्य संचालन में सुधार हेतु उपयुक्त उपायों का सुझाव देना;

(iv) तकनालाजी के आधुनिकीकरण की आवश्यकता पर विचार कर लेने के बाद, वर्ष 1999-2000 तक कंपनी में इष्टतम उत्पादन और निवेश कार्यक्रम के लिए एक परिप्रेक्ष्य योजना का सुझाव देना;

(v) वर्तमान रोप-वे की कार्य-स्थिति की जांच करना एवं उसकी उपयोग क्षमता में वृद्धि हेतु उपायों का सुझाव देना;

(vi) झरिया कोयला क्षेत्र की भूमिगत आग पर नियंत्रण की परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए कंपनी द्वारा किए गए उपायों की जांच करना और अग्नि-नियंत्रण उपायों में सुधार एवं वृद्धि हेतु सिफारिश करना :

(vii) भा० को० को० लि० की खानों हेतु बालू की उपलब्धि की जाँच करना एवं इसकी सप्लाई बढ़ाने हेतु उपायों के लिए सुझाव देना।

(viii) कोयला परिवहन के विभागीकरण के लिए कंपनी द्वारा किए गए उपायों की जांच करना एवं इस प्रणाली में सुधार के उपायों का सुझाव देना। साथ ही उन उपायों की जांच करना जो कंपनी बालू के परिवहन के विभागीकरण हेतु कर सकती है।

(ix) वर्तमान लागत एवं वित्तीय प्रणाली की पुनरीक्षा करना और लागत एवं बजट नियंत्रण की एक सक्षम प्रणाली की सिफारिश करना तथा लागत में कमी के क्षेत्रों का पता लगाना।

(x) विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु एक समयबद्ध कार्यक्रम का सुझाव देना।

समिति से अप्रैल, 1986 के अंत तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

त्रिपुरा में घड़ियां बनाने का कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव

***139. श्री अजय विश्वास** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का त्रिपुरा में घड़ियां बनाने का कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, नहीं,।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

टांडा ताप विद्युत परियोजना (उत्तर प्रदेश) के लिए धन का नियतन

***140. श्री आर० पी० सुमन** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन टांडा ताप विद्युत परियोजना के लिए शुरू में कुल कितनी धनराशि निर्धारित की गई थी और अब उसके लिए कितनी धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है;

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना में इस परियोजना के लिए कुल कितनी धनराशि का नियतन किया गया था और इसके लिए दी गई प्रत्येक किश्त की धनराशि कितनी है;

(ग) क्या इसके लिए नियत धनराशि का एक बड़ा हिस्सा गत वर्ष नहीं दिया गया जिसके परिणामस्वरूप निर्धारित समय सीमा के अन्दर कार्य पूरा नहीं हो सका और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त परियोजना के लिए आगामी वर्ष के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है और क्या यह धनराशि यथाशीघ्र प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) टाण्डा ताप परियोजना की अद्यतन अनुमानित लागत 390 करोड़ रुपये है। जबकि इसकी तुलना में मूलतः स्वीकृत लागत 159.25 करोड़ रुपये थी।

(ख) से (घ) टाण्डा परियोजना राज्य क्षेत्र में उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड द्वारा कियान्वित की जा रही है। छठी योजना अवधि के दौरान, योजना आयोग द्वारा परियोजना के लिए अनुमोदित किया गया कुल परिव्यय 221.42 करोड़ रु० था। बहरहाल, इस परियोजना पर किया गया वास्तविक व्यय 163.5 करोड़ रुपये था। वर्ष 1985-86 के लिए परियोजना के लिए 63 रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है, जिसकी तुलना में 31.12.1985 तक राज्य प्राधिकारियों ने 11.32 करोड़ रुपये की राशि मुहैया कराई थी। इस परियोजना में विलम्ब होने के मुख्य कारणों में से एक अपर्याप्त नकद प्रवाह होना है।

[अनुवाद]

केरल में टेलीफोन कनेक्शन के लिये लंबित पड़े आवेदन

***141. के० कुन्जम्बु** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985 के अंत में केरल में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए कितने आवेदन लंबित पड़े थे;

(ख) केरल में ऐसे आवेदनों के निपटान की दर क्या है; और

(ग) पिछले बकाया आवेदनों का निपटान कब तक किया जायेगा ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) केरल में दिसम्बर 1985 के अंत में 68,830 आवेदन टेलीफोन कनेक्शन के लिए परीक्षा सूची में थे।

(ख) केरल में गत 3 वर्षों के दौरान सुलभ कराए गए टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	सुलभ कराए गए टेलीफोनों की संख्या
1982-83	11,466
1983-84	11,058
1984-85	7,213

इसके अतिरिक्त अप्रैल 1985 से दिसम्बर 1985 तक 5949 टेलीफोन कनेक्शन दिए गए। जनवरी 1986 से मार्च 1986 के दौरान लगभग 4500 टेलीफोन कनेक्शन सुलभ कराए जाने की संभावना है।

(ग) मौजूदा आवेदकों को सातवीं योजना अवधि के दौरान उतरोत्तर टेलीफोन कनेक्शन दिए जाने की सम्भावना है बशर्ते कि इसके लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हों।

तेल के मूल्यों में वृद्धि से आय और गैस के जलाये जाने के कारण हानि

***142. डा० जी० विजय रामाराव**
श्री मानिक रेड्डी } : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल के मूल्यों में वृद्धि से 800 करोड़ रुपये की आय होगी जैसा कि 2 फरवरी, के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(ख) क्या यह सच है कि खाना पकाने की गैस के सिलेण्डरों के खुदरा उपभोक्ता मूल्यों के आधार पर प्रति वर्ष लगभग 800 करोड़ रुपये के मूल्य की गैस जलाई जा रही है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि (1.2.1986 को घोषित तथा 6.2.86 का घटाने के बाद) होने के कारण इसकी प्रत्याशित उपभोग मात्रा पर लगभग 530 करोड़ रुपये के अतिरिक्त संसाधनों की प्राप्ति होगी।

(ख) प्राकृतिक गैस जो एल पी जी से भिन्न होती है जला दी जाती है, यह इसलिये एल पी जी की तरह आर्थिक रूप से कम्प्रेस तथा स्टोर नहीं किया जा सकता है। जलाई गई गैस का इम्प्युटिड मूल्य इस समय लगभग 30 करोड़ रुपये प्रति वर्ष मात्र है।

[अनुवाद]

कर्मचारी राज्य बीमा योजना की विकलांगता पेंशन की दर का संशोधन

974. **श्री नरसिंह सूर्यवंशी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार द्वारा किए गए पेंशनों के संशोधन की तुलना में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत, अप्रैल, 1981 से विकलांगता पेंशन की दर में संशोधन नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विकलांगों की पेंशन की दरों में संशोधन करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और किस दर पर ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (घ) कर्मचारी राज्य बीमा निगम स्थायी अपंगता लाभ और आश्रित लाभ पेंशन की दरों में वृद्धि के प्रश्न पर सामान्यत: विचार करती रही है। ऐसा एक मूल्य-निर्धारक की सिफारिशों पर किया जाता है, जो प्रति पांच वर्ष के बाद उनकी परिसम्पत्ति और उत्तरदायित्वों का मूल्यांकन करने के लिए निगम द्वारा नियुक्त किया जाता है। 31-3 1979 की स्थिति के अनुसार मूल्यांकन करने वाले मूल्य निर्धारक ने लाभों की दरों में कुछ वृद्धि की सिफारिशें की थी और तदनुसार निगम ने 1-4-1980 से स्थाई अपंगता लाभ और आश्रित लाभ पेंशन में उचित वृद्धि करने की स्वीकृति दे दी थी। 31-3-1979 की स्थिति से संबंधित मूल्य निर्धारक की रिपोर्ट ने लाभों की दरों में वृद्धि की सिफारिश नहीं की थी। 31-3-1984 की स्थिति के अनुसार मूल्यांकन में प्रगति हो रही है। अत: मूल्य निर्धारक की रिपोर्ट प्राप्त होने पर लाभों की दरों में और वृद्धि करने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा।

बीड़ी श्रमिकों को विशेष चिकित्सा सुविधाएं

975. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीड़ी श्रमिकों में होने वाली बीमारियों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बीड़ी श्रमिकों को विशेष चिकित्सा सुविधाएं देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) "बीड़ी उद्योग में श्रमिकों की कामकाज तथा रहन-सहन की दशाओं" से संबंधित सर्वेक्षण में यह पहलू भी शामिल था जो श्रम ब्यूरो ने (नवम्बर, 1979 तक) किया था।

(ख) यह पाया गया कि 1134 परिवारों के नमूने में से 224 परिवार (अर्थात् 19.75%) किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त थे।

(ग) बीड़ी श्रमिकों के लिए 130 स्थिर/चलते फिरते/स्थिर-एवं-चलते-फिरते औषधालयों, 10 पलंगों वाले एक अस्पताल, 50 पलंगों वाले दो अस्पतालों और एक चेस्ट क्लिनिक की स्वीकृत दी गई है, को स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त, कुछ क्षय रोग अस्पतालों और सामान्य अस्पतालों में पलंग भी आरक्षित किए गए हैं।

राष्ट्रीय आवास बैंक के लिए प्रस्ताव

976. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रस्ताव पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) यदि नहीं, तो उक्त मामला इस समय किस अवस्था में है;

(घ) क्या आवास बैंक द्वारा निर्मित परिसंपत्तियों तथा सेवाओं और इसमें रोजगार की भारी संभावना को देखते हुए सरकार का विचार इसको एक उद्योग के रूप में मान्यता देने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या करण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ङ) राष्ट्रीय आवास बैंक के गठन के तथा आवास बैंक को एक उद्योग के रूप में मानने के प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

अधिक चावल उपजाओ योजना के लिए आबंटित राशि

977. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य को अधिक चावल उपजाओ योजना की प्रायोगिक परियोजना के लिये वर्ष 1985-86 के दौरान कितनी राशि आबंटित की गई है; और

(ख) अब तक वास्तव में कितनी राशि व्यय की गई है और इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) 1985-86 के दौरान विशेष चावल उत्पादन परियोजना क्रियान्वित करने के लिए उड़ीसा सरकार ने 630 लाख रुपये परिव्यय के स्थान पर 187.79 लाख रुपये की स्वीकृति दी है, जो भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच 50:50 के आधार पर वहन की जाएगी।

(ख) जनवरी, 1986 तक 126.76 लाख रुपये की राशि इस्तेमाल की गयी है, चावल की अधिक उपज देने वाली किस्म के बीजों के 5,95,582 मिनिकिट निःशुल्क वितरित किये गये, 9670 मीटरी टन उर्वरक, 1209 लीटर कीटनाशी दवाइयां, 1667 स्प्रेयर और 7164 कृषि उपस्कर किसानों को राजसहायता प्राप्त दरों पर सप्लाई किये गये।

कुद्रेमुख लौह अयस्क परियोजना के बारे में हुआ समझौता

978. **श्री के० प्रधानी** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ईरान संयुक्त आयोग की जनवरी, 1986 में आयोजित पिछली बैठक में कुद्रेमुख लौह अयस्क परियोजना के बारे में किसी आपसी लाभदायक समझौते हेतु कोई सामान्य नीति सम्बन्धी दिशा-निर्देश तैयार किये गये थे; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

वीडियो फिल्मों का अवैध निर्माण

979. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या देश भर में ऐसे स्थानों में, जहां सिनेमाघरों की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, वैध वीडियो वाणिज्यिक केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ताकि वीडियो फिल्मों में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण को रोका जा सके, जिससे फिल्म उद्योग को खतरा पैदा हो गया है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : जी, नहीं। वीडियो वाणिज्यिक केन्द्रों को लाइसेंस देने का कार्य संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

स्पंज-आयरन निर्माता यूनिटों को लाइसेंस मुक्त करना

980. **श्री पूर्ण चन्द्र मलिक** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** स्पंज-आयरन निर्माता यूनिटों को लाइसेंस मुक्त करने के बारे में 20 दिसम्बर, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4935 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन तीस यूनिटों का ब्यौरा क्या है जिनका पंजीकरण किया गया है और उन्होंने अब तक कितनी प्रगति का है;

(ख) उक्त यूनिटों का न्यूनतम और अधिकतम उत्पादन कितना रहा है; और

(ग) क्या तीस लाइसेंसों की मंजूरी की पुनरीक्षा की गयी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ख) इन इकाइयों में से किसी भी इकाई ने अभी तक उत्पादन करना शुरू नहीं किया है।

(ग) चूंकि इकाइयों को 16 मार्च, 1985 से ही लाइसेंस-मुक्त किया गया है अत: इस समय इकाइयों के पंजीकरण की समीक्षा करना समय-पूर्व होगा।

विवरण

क्र० सं०	इकाई का नाम	स्थान	क्षमता (प्रतिवर्ष/टन)
1.	श्री टी० ए० बुखारी, 8, कम्यूनिटी सेन्टर, वसन्त लोक, वसन्त बिहार, नई दिल्ली	श्रेणी "ग" कर्नाटक राज्य में पिछड़ा क्षेत्र	20,000

1 2	3	4
2. श्री जगदीश प्रसाद चौधरी, 3 लन्दन स्ट्रीट, कलकत्ता	जिला-सिवसागर, असम	400,000
3. श्री बी० आर० जैन, 63, मोतीलाल नेहरू नगर, एस० ए० एफ० लाइन्स, दुर्ग (मध्य प्रदेश)	जिला-रायपुर, मध्य प्रदेश	20,000
4. मेसर्स वेस्ट बंगाल इंडस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड, 23 ए०, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता-1	जमसल-चकदहा, जिला-बर्दवान, पश्चिम बंगाल	150,000
5. श्री एस० कृष्णम राजू एस०, मार्फत लर्स्विन इंजीनियर्स लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, लर्स्विन कारपोरेट काम्प्लेक्स, सत्य कृष्णा भवन, पंजागुट्टा, हैदराबाद	जिला-मेडक, आन्ध्र प्रदेश	400,000
6. मेसर्स सरोज एलायस एण्ड स्टील्स लि०, पो० आ० नं० 38, करिगनूर, हास्पेट, कर्नाटक	तहसील हास्पेट, कर्नाटक	20,000
7. मेसर्स बोवेक्स लीजिंग एण्ड फाइनेंस लिमिटेड, 77 नेहरू प्लेस (5 वीं मंजिल) नयी दिल्ली	क्योंझर, उड़ीसा	1,50,000
8. मेसर्स वोलेक्स लीजिंग एण्ड फाइनेंस लि०, 77 नेहरू प्लेस (5 वीं मंजिल) नयी दिल्ली	विजयानगरम या श्री काकुलम, आंध्र प्रदेश	90,000
9. श्री अरुण कुमार रूंगटा 9/4 मनोरमा गंज, गली नं० 5, इंदौर (म०प्र०)	मध्य प्रदेश का श्रेणी "ग" क्षेत्र	20,000
10. श्रीसुनील कुमार 10, किरण एन्क्लेव जीवन बीमा निगम के कार्यालय के सामने गाजियाबाद (उ० प्र०)	हिसार, हरियाणा	1,50,000
11. श्री मोहन लाल सराओगी द्वारा असम इस्पात लिमिटेड एच० बी० रोड, मओखोवा, गुवाहाटी, (असम)	जिला डिब्रूगढ़ (असम)	1,50,000
12. मेसर्स प्रताप स्टील रोलिंग मिल्स लि० ए-4, कालिन्दी, नयी दिल्ली	बटनचेरू, जिला मेडक, आंध्रप्रदेश	1,00,000
13. श्री पी० सीताराम राजू, द्वारा किन्नर अलाय स्टील (प्रा०) लि० 21, विजय नगर कालोनी, पिकेट, सिकन्दराबाद	जिला-प्रकाशम, आंध्र प्रदेश	4,50,000

1	2	3	4
14.	श्री कृष्ण कुमार 10 किरण एन्क्लेव, जीवन बीमा निगम कार्यालय के सामने गाजियाबाद	हिसार, हरियाणा	1,50,000
15.	श्री संजय झुंझुनवाला 66 पार्वती घोष लेन कलकत्ता	तहसील खानयान हुगली (प० ब०)	3,00,000
16.	श्री पी० के० अग्रवाल, लाल बाजार, झरिया जिला धनबाद, बिहार	पलामू, बिहार	1,50,000
17.	श्री एस० कृष्णा राव 12.1.361 सीताराम बाग, हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश का पिछड़ा क्षेत्र "ग"	90,000
18.	मेसर्स शंकर एस्टेट्स प्रा० लि०, 1-ए, अलीपुर अवेन्यू, कलकत्ता	रायपुर, मध्य प्रदेश	1,50,000
19.	मेसर्स संग्राम सिंह गायकवाड, इन्दौर आयरन एण्ड स्टील मिल्स, भगीरथपुरा, इन्दौर	पीतमपुर, जिला धर, मध्य प्रदेश	2,00,000
20.	श्री के० सीता रामा राव, 38-8-28, पुनम्मा थोटा, विजयवाड़ा (आन्ध्र प्रदेश)	विजयानगरम, आन्ध्र प्रदेश	1,50,000
21.	श्री विनोद गुप्ता, 221, ओखला इन्डस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली	मध्य प्रदेश का श्रेणी "ग" क्षेत्र	2,00,000
22.	श्री चन्द्रमोहन, मार्फत श्री आर० मुरलीधरन, 33/1062 डी० डी० ए० फ्लैट, मदनगीर, नई दिल्ली	हिसार, हरयाणा	1,50,000
23.	श्री कुलदीप सिंह, 10 किरन एन्क्लेव, एल० आई० सी० आफिस के पीछे, गाजियाबाद (उ० प्र०)	हिसार, हरयाणा	1,50,000
24.	श्री पी० के० जैन, 211, गगन दीप, 12, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली	मेघनगर, जिला-झबुवा, मध्य प्रदेश	1,00,000
25.	श्री एच० सी० जैन, 4 बी०/12, सन्त गड्गे मार्ग राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली	छत्तरपुर, मध्य प्रदेश	1,00,000
26.	मेसर्स सूर्य एग्रोइल्स लिमिटेड, 208, आकाश दी, 26-ए०, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली	रायपुर, मध्य प्रदेश	3,00,000
27.	मेसर्स के० एस० रेड्डी, 5-ई० सुभोदया, वाई० डब्ल्यू० सी० ए० रोड, आबिड्स, हैदराबाद	गुन्टकल, जिला-अनन्तपुर, आन्ध्र प्रदेश	3,00,000

1	2	3	4
28.	श्री अनूप कुमार, डो०-1028, न्यू फ्रेंडस कालोनी, नई दिल्ली 1	हिसार, हरियाणा	100,000
29.	श्री नितिन कपूर मार्फत श्री जार्ज मैथ्यू, 2-ए०, फिरोज गांधी रोड, लाजपत नगर-4, नई दिल्ली 1	भंडारा (महाराष्ट्र)	300,000
30.	मेसर्स गुजरात इंडस्ट्रिअल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, दीपाली सिनेमा के पीछे, आश्रम रोड, अहमदाबाद 1	हिजरा जिला-सूरत गुजरात	400,000

बम्बई और कलकत्ता महानगरों के विकास के लिए धनराशि का आवंटन

981. **श्री अजित कुमार साहा : क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्धारण के अनुसार बम्बई और कलकत्ता विश्व के उन आठ महानगरों में हैं जिनकी स्थिति अत्यधिक बदतर हो गई है;

(ख) क्या सच है कि संयुक्त राष्ट्र ने यह निष्कर्ष चालीस लाख से अधिक की जनसंख्या वाले शहरों की समस्याओं के अध्ययन के लिए नियुक्त पांच व्यक्तियों के एक आयोग द्वारा किए गए अध्ययन के आधार पर निकाला है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार इन दो शहरों की बिगड़ती पर्यावरणीय स्थिति को रोकने के और आवश्यक सुधार कार्य करने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता देने का है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) 1984 की विश्व विकास रिपोर्ट में बम्बई तथा कलकत्ता सहित विश्व के बड़े-बड़े शहरों में बढ़ती हुई आबादी की समस्याओं पर प्रकाश (रेखांकित किया) डाला है।

(ख) इस रिपोर्ट में विभिन्न स्रोतों से सामग्री ली गई है। पांच व्यक्तियों के आयोग द्वारा किया गया अध्ययन भी इनमें से एक स्रोत हो सकता है।

(ग) भारत सरकार महानगरों की समस्याओं से अवगत है और इसने चालू वित्तीय नियंत्रणों के भीतर राज्य क्षेत्र में पर्याप्त योजना प्रावधान करने के प्रयास किए हैं। इन शहरों में जल-पूर्ति, परिवहन और शहरी अवसंरचनाओं में सुधार करने के लिए विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों के माध्यम से सहायता ली जाती है और दी जाती है। मलिन बस्तियों के उन्नयन एवं सुधार की ओर विशेष ध्यान दिया गया है।

महानगरों का विकास

982. **श्री हन्नान मोल्लाह : क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार की सातवीं योजना में कलकत्ता शहर के विकास की कोई योजना है;

(ख) क्या चालू वर्ष के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या देश में किसी अन्य महानगर के लिए भी ऐसी कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो किन-किन शहरों के लिए और कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) जी, हां सातवीं योजना में कलकत्ता शहर के विकास के लिए राज्य राजधानी परियोजना हेतु योजना के रूप में एक कार्यात्मक योजना है। इस योजना का कार्यान्वयन पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के लिए सातवीं योजना परिव्यय 280 करोड़ रुपये है। राज्य सरकार ने योजना के लिए वर्ष 1986-87 में 36 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया है।

(ग) इस योजना में जलपूर्ति, नालियों, स्वच्छता, परिवहन अवसंरचना बाजार, समाज सदनों आदि के कार्यक्रम पर विचार किया गया है।

(घ) और (ङ) अन्य महानगरीय शहरों के लिए कार्यात्मक योजनाएं हैं। कार्यक्रमों तथा योजनाओं के ब्यौरे सभा पटल पर रख दिए जाएंगे।

नियमित कालोनियों में विकास प्रभार

983. **श्री नारायण चौबे** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने नियमित कालोनियों में स्थित प्लाटों पर पांच वार्षिक किश्तों में विकास प्रभार वसूलने की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन नियमित कालोनियों के लोगों ने इसका विरोध किया है और विकास प्रभारों में संशोधन करने और उन्हें उचित स्तर तक कम करने का अधिकारियों से अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) सरकार ने नियमित की गई अनधिकृत कालोनियों के निवासियों द्वारा विकास प्रभारों का पांच वर्षों की अवधि में किश्तों में भुगतान करने की अनुमति दे दी है।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नियमित की गई अनधिकृत कालोनियों में निम्नलिखित सूची के अनुसार वसूली करने के लिए काटे गए प्लाट के क्षेत्रफल का 95 रुपये प्रतिवर्ग मीटर के रूप में विकास प्रभार की दर निर्धारित की है :—

(1) इस बात का निर्धारण करने के बाद कि कोई संरचना नियमितिकरण/विभिन्न सुविधाओं की व्यवस्था के योग्य है तो 20 प्रतिशत। यह राशि वास्तविक रूप से विकास कार्य आरम्भ किए जाने जे पहले वसूल की जाएगी।

(2) जलपूर्ति की लाइनों को देते समय 15 प्रतिशत।

(3) सीवर लाइनों से कनेक्शन देते समय 20 प्रतिशत।

(4) शेष 45 प्रतिशत में से, उपयुक्त सन्दर्भित तीसरी किश्त की देय तिथि के एक वर्ष के बाद 20 प्रतिशत वसूल किया जा सकता है।

(5) उपर्युक्त सन्दभित चौथी किश्त की देय तिथि के एक वर्ष के बाद अन्य 15 प्रतिशत वसूल किया जा सकता है।

(6) उयुपक्त सन्दर्भित पांचवी किश्त की देय तिथि के एक वर्ष के बाद शेष 15 प्रतिशत की अन्तिम किश्त वसूल की जा सकती है।

(क) और (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि 90% रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर को कम करने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं। यह समझा गया है कि कोई कमी करना प्रतीत नहीं होता है क्योंकि इन कालोनियों में प्रतिवर्ग मीटर की वास्तविक विकास लागत काफी अधिक निकल रही है।

दूरदर्शन केन्द्र, जालंधर में पहाड़ी भाषा के लिए आबंटित समय

984. प्रो० नारायण चन्द्र पराशर : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन केन्द्र जालंधर में पहाड़ी (हिमाचली) भाषा के लिए आबंटित समय में वृद्धि करने हेतु सरकार से कोई मांग की गई है क्योंकि यह कार्यक्रम पहाड़ी बोलने वाले 40 लाख से अधिक लोगों की आवश्यकता पूरी करता है;

(ख) यदि हां, तो इस मांग पर क्या निर्णय लिया गया है और कार्यक्रम के लिए आबंटित समय में कितनी वृद्धि की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय किस तारीख तक लिए जाने की संभावना है और विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां। इस प्रकार के अनुरोध हिमाचल प्रदेश के कलाकारों तथा दर्शकों से प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग) मई, 1984 के शुरू से दूरदर्शन केन्द्र, जलंधर से टेलीकास्ट किए जाने वाले साप्ताहिक हिमाचली कार्यक्रम की अवधि बढ़ाकर 30 मिनट कर दी गई है। सीमित प्रेषण घंटों के कारण दूरदर्शन केन्द्र, जलंधर से हिमाचली कार्यक्रम की अवधि में और वृद्धि करना फिलहाल संभव नहीं है।

दूरदर्शन की सातवीं योजना में शिमला में कार्यक्रम निर्माण सुविधाओं सहित पूर्णरूपेण दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसके चालू हो जाने पर, प्राथमिक सेवा में हिमाचली कार्यक्रम मुख्य घटक के रूप में होंगे।

[हिन्दी]

खाद्यान्नों और अन्य कृषि उत्पादों का उत्पादन

985. श्री कमला प्रसाद रावत : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में वर्ष 1950-51 की तुलना में वर्ष 1983-84 के दौरान खाद्यान्नों, तिलहनों, गन्ना, कपास और पटसन आदि के उत्पादन के संबंध में आंकड़े क्या हैं और उनमें कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : 1950-51 की तुलना में वर्ष 1983-84 के दौरान देश में खाद्यान्नों, तिलहनों, गन्ना, कपास और पटसन आदि का उत्पादन और उसमें प्रतिशत वृद्धि बताने वाली सारणी निम्नवत् है :—

फसल	मिलियन मीटरीटन/मिलियन गांठों में उत्पादन		
	1950-51	1983-84	प्रतिशत वृद्धि
चावल	20.6	60.1	191.7
गेहूं	6.5	45.5	600.0
धान्य	42.4	139.5	229.0
खाद्यान्न	50.8	152.4	200.0

1	2	3	4
तिलहन	5.2*	12.7	144.2
गन्ना	57.1	174.1	204.9
कपास	3.0	6.4	113.3
पटसन**	3.3	7.7	133.3

* 5 तिलहनों अर्थात् मूंगफली, तोरिया तथा सरसों, तिल, असली और एरंड से सम्बन्धित हैं, जबकि 1983-84 के आंकड़ों में सोयाबीन, सूरजमुखी कुसुम और रामतिल भी शामिल है।

** मिलियन गाठें-प्रत्येक 170 किलोग्राम की।

मिलियन गाँठें प्रत्येक 180 किलोग्राम की। 1983-84 के आंकड़ों में मेस्ता फ़सल के आंकड़े भी शामिल हैं।

[अनुवाद]

आलू की किस्म में गिरावट

986. श्री एन० डेनिस : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आलू की किस्म में गिरावट आ रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने किसानों को अधिक फसल देने वाले आलू का बीज दिलाने के लिए क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को कुछ दिशा-निर्देश जारी किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) एक ही बीज को बार-बार इस्तेमाल करने से अगर आलू की क्वालिटी में किसी प्रकार की गिरावट आई है तो उसे रोकने के लिए अधिक उपज देने वाली आलू की किस्मों के उपयोग के लिए कृषकों को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार विस्तार कार्यक्रम चला रही है।

(ग) और (घ) देश के विभिन्न कृषि जलवायवीय स्थितियों के लिए बढ़िया क्वालिटी के बीज पैदा करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने एक मुश्त कृषि क्रियाएं तैयार की हैं और उन्हें बड़े पैमाने पर परिचालित किया है। अन्य केन्द्रीय एवं राज्य एजेंसियों द्वारा भी इसी तरह की पत्र/पत्रिकाएं प्रकाशित की गई हैं।

हाजीरा उर्वरक संयंत्र का कार्यकरण

987. श्री मोहन भाई पटेल, श्री अमर सिंह राठवा : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाजीरा उर्वरक संयंत्र में उत्पादन प्रारम्भ हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त संयंत्र में प्रतिदिन कितना उ र्वरक तैयार होता है;

(ग) इस संयंत्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ङ) क्या उर्वरकों की मांग को पूरा करने के लिए अभी भी आयात किया जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान देश में उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) जी हां। हाजीरा उर्वरक संयंत्र में प्रयोग के तौर पर उत्पादन किया जा रहा है और इस समय यूरिया का प्रतिदिन का उत्पादन 2000 से 3000 मीटरी टन के बीच है।

(ग) इस संयंत्र की यूरिया की वार्षिक अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता 14.5 लाख मीटरी टन है।

(घ) इस संयंत्र के मई-जून, 1986 से पूरे जोर से कार्य शुरू किए जाने की सम्भावना है।

(ङ) जी हां।

(च) सातवीं योजना अवधि के दौरान उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाने के लिए मुख्य कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के एक भाग के रूप में पहले से चल रहे अधिष्ठापनाधीन संयंत्रों की उर्वरक उत्पादन क्षमता को पर्याप्त रूप से बढ़ाने के लिए कई नये उर्वरक संयंत्र हाथ में लिए गए हैं।

बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास

988. **श्री चिन्तामणि जेना**
श्री लक्ष्मण मलिक
श्री अमर सिंह राठवा } : क्या **श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य में कितने बंधुआ मजदूरों को पुनर्वासित किया गया;

(ख) क्या यह आम शिकायत है कि पुनर्वासित बंधुआ मजदूरों की बाद में देखभाल नहीं की जाती है और उनकी दशा शोचनीय हो जाती है;

(ग) छठी योजना में बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए कितनी धन राशि मंजूर की गई थी और वास्तव में कितनी धनराशि का उपयोग हुआ;

(घ) क्या इस प्रकार आवंटित की गई धन राशि का पूरा उपयोग नहीं हो सका, यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ङ) उन एजेंसियों का ब्यौरा क्या है जो देश में बंधुआ मजदूरों का पता लगा रही हैं; और

(च) उक्त एजेंसियों के अनुसार देश में बंधुआ मजदूरों की संख्या कितनी हैं और सातवीं योजना अवधि में उनके पुनर्वास के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी०ए०संगमा) : (क) छठी योजना अवधि के दौरान पुनर्वासित किए गए बंधुआ श्रमिकों की राज्य-वार संख्या दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) इस बारे में कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि बंधुआ श्रमिकों को स्थायी रूप से पुनर्वासित किया जाय और वे दोबारा बंधुआ न हो जाय; राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे अन्य गरीबी-विरोधी कार्यक्रमों को अर्थात् आई० आर० डी० पी०, एन० आर० ई० पी०, अनुसूचित जाति और कबीलों के लिए विशेष कम्पोनेन्ट प्लान, सब-प्लान और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही अन्य योजनाओं के साथ केन्द्र द्वारा

संचालित योजनाओं का समाकलन/समन्वय करें ताकि बंधुआ श्रमिकों के कारगर पुनर्वास के उद्देश्य हेतु विभिन्न योजनाओं के अधीन प्राप्त साधनों की व्यवस्था की जा सके और इनका समाकलन किया जा सके। ऐसा समाकलन करने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देशों वाला एक ब्लू प्रिन्ट भी राज्य सरकारों को उनके मार्ग-दर्शन के लिए भेज दिया गया है। राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे मुक्त कराये गए/पुनर्वासित किए गए बंधुआ श्रमिकों के ब्यौरे और वर्तमान स्थिति तथा फिर से बंधक होने की घटना का पता लगाने के लिए नमूना सर्वेक्षण करें।

(ग) और (घ) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान बंधुआ श्रमिकों को पुनर्वासित करने के लिए केन्द्र द्वारा संचालित योजना के लिए प्रारम्भ में 25.0 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी। तथापि, वास्तव में 1698.80 लाख रु० की राशि इस उद्देश्य के लिए दी गई। इसकी तुलना में, छठी योजना अवधि के दौरान, 1464.50 लाख रु० की राशि विभिन्न राज्य सरकारों को दी गई। (i) पुनर्वास योजनाएं तैयार करने और स्वीकृत करने, (ii) सहायता के लिए राज्य सरकार का हिस्सा देने और (iii) पहले वर्षों में दिए गए अनुदान के लिए उपयोगी प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत करने में राज्य सरकारों द्वारा देरी से कार्रवाई किए जाने के कारण 2 4 30 लाख रुपये की कमी रही।

(ङ) बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत, बंधुआ श्रमिकों का पता लगाने, मुक्त कराने तथा उन्हें पुनर्वासित करने का उत्तरदायित्व पूर्णतः संबधित राज्य सरकारों का है, जिन्हें समय-समय पर सलाह दी गई है कि वे अपने संबधित राज्यों में बंधुआ का पता लगाने के लिए विद्यमान एजेंसियों के माध्यम से सामयिक सर्वेक्षण करें और उनको शीघ्र मुक्त कराने तथा पुनर्वासित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। उन्हें यह भी सलाह दी गई है कि वे इस प्रयास में स्वैच्छिक एजेन्सियों और सामाजिक कार्रवाई ग्रुपों की सहायता लें। अतः इस उद्देश्य के लिए एजेन्सियों का उपयोग किए जाने का कार्य पूर्णतः राज्य सरकारों का है।

(च) राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, 1-1-1986 को 47.331 बंधुआ श्रमिकों को पुनर्वासित किया जाना शेष था। सातवीं योजना अवधि के दौरान, योजना आयोग ने बंधुआ श्रमिकों को पुनर्वासित करने के लिए केन्द्र द्वारा संचालित योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय क्षेत्र के लिए 15.00 करोड़ रुपये के परिव्यय की स्वीकृति दी है।

विवरण

क्रमांक राज्य का नाम	छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) के दौरान पुनर्वासित किए गए बंधुआ श्रमिकों की संख्या
1. आन्ध्र प्रदेश	10,223
2. बिहार	1 ,331
3. कर्नाटक	40,767
4. केरल	397
5. महाराष्ट्र	319
6. मध्य प्रदेश	1,479
7. उड़ीसा	30,589
8. राजस्थान	1,058
9. तमिलनाडु	4,385
10. उत्तर प्रदेश	12,9[illegible]4
कुल	1,13,502

विस्तार कार्य को सुदृढ़ करना

989. **श्री सनत कुमार मंडल : क्या कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सारे देश में अनुसंधान और विस्तार एजेंसियों के बीच अपेक्षाकृत अधिक सम्पर्क स्थापित करने के लिये क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाये जा रहे हैं;

(ख) क्या ऐसी कोई एजेंसी है जिस पर किसानों से जानकारी प्राप्त करके उसे अनुसंधान कार्य से जोड़ने की जिम्मेदारी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी विस्तृत रूपरेखा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) अनुसंधान तथा विस्तार ऐजेंसियों के बीच सम्पर्क स्थापित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(i) कृषि विस्तार के प्रशिक्षण तथा यात्रा पद्धति (टी०एण्ड वी० सिस्टम) के अधीन "मासिक कार्यशालाएं" (मंथली वर्कशोप) आयोजित की जाती हैं, जिनमें अनुसंधान और विस्तार कार्मिक आने वाले महीनों के लिये फसल उत्पादन कार्यक्रमों पर चर्चा करते हैं।

(ii) राष्ट्रीय, राजकीय तथा क्षेत्रीय स्तरों पर तकनीकी समितियों के माध्यम से प्रशिक्षण तथा यात्रा पद्धति के अधीन सम्पर्क स्थापित किए गए हैं।

(iii) गैर–टी०वी० राज्यों सहित अधिकतर राज्यों में कृषि सम्बर्न्ध विश्वविद्यालय और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान कृषि संबंधी विकास कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।

(iv) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के 8 क्षेत्रीय समितियों के माध्यम से सम्पर्क स्थापित/मजबूत किए गए हैं जिनमें राज्य विकास विभागों के कर्मचारी भी भाग लेते हैं।

(ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) (i) प्रशिक्षण तथा यात्रा पद्धति के पास एक सुव्यवस्थित पुर्ननिवेशन यांत्रिकी जिनमें से मासिक कार्यशालाओं तथा किसानों के खेतों में संयुक्त मात्राओं के दौरान किसानों की समस्याएं वैज्ञानिकों के ध्यान में लाई जाती हैं।

(ii) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की प्रौद्योगिकी प्रायोजनाओं अर्थात् राष्ट्रीय प्रदर्शन प्रायोजनाओं परिचालन अनुसंधान प्रायोजनाओं, कृषि विज्ञान केन्द्रों और लैब – टू-लैण्ड कार्यक्रम के स्थानान्तरण से भी वैज्ञानिकों को पुर्ननिवेशन (फीड बैक) प्रदान किया जाता है।

वर्ष 1986 के लिए कच्चे पटसन का समर्थन मूल्य

990 **श्री सैयद शाहबुद्दीन**
श्री सनत कुमार मंडल } : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1986 मौसम के लिए कच्चे पटसन की खरीद के लिए समर्थन मूल्य अगली फसल से पूर्व घोषित किये जाने की संभावना है;

(ख) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पटसन उत्पादकों को पटसन के स्थान पर मक्का की खेती करने की सलाह दिये जाने की जानकारी है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) 1986-87 के लिए असम में डब्लू —5 श्रेणी के कच्चे कपास की न्यूनतम सांविधिक कीमत 225 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है, जैसी कि 21 फरवरी, 1986 को संसद में घोषणा की गई थी।

(ख) यद्यपि पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने भारत सरकार को सूचित किया है कि कपास की पैदावार करने वाले किसानों को अन्य वैकल्पिक फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित करने के प्रयास किये जा रहे हैं, फिर भी ऐसे कोई संकेत नहीं मिलते कि इन किसानों को विशेष रूप से मक्का की खेती करने के लिए कहा जा रहा है।

उड़ीसा में खुला मुहाना खनन प्रक्रिया के विकास के लिए जर्मन जनवादी गणराज्य की पेशकश

991. **श्री लक्ष्मण मलिक**
श्री सोमनाथ रथ } : **क्या इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मन जनवादी गणराज्य ने तेज और आसान खनन कार्य के लिए उड़ीसा राज्य में खुला मुहाना खनन प्रक्रिया आरम्भ करने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में हुई चर्चा का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है ?

खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिंहा) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पश्चिम बंगाल में पशु चिकित्सा अनुसंधान के लिए क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र

992. **श्री सनतधरा हा** : **क्या कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पूर्वी क्षेत्र के लिए कलकत्ता में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र की स्थापना हेतु पश्चिम बंगाल सरकार से कोई संशोधित प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ख) क्या पश्चिम बंगाल सरकार उक्त प्रयोजना हेतु कलकत्ता में भूतपूर्व बंगाल पशु चिकित्सा कालेज परिसर की 1.50 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने हेतु सहमत हो गई हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस प्रस्ताव को स्वीकृत करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। श्री अमृतेन्द्र मुखर्जी, माननीय प्रभारी मंत्री–पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवा विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत सरकार के कृषि मन्त्री से पूर्वी क्षेत्र के लिए मोहनपुर जिला नाडिया में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का एक क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने के प्रस्ताव पर फिर से विचार करने का अनुरोध किया है। इसका मुख्य केन्द्र भूतपूर्व बंगाल पशु चिकित्सा कालेज कैम्पस में रहेगा और उसके लिए वे 1.50 एकड़ भूमि प्रदान करेंगे। उक्त भूमि की लागत का फैसला राज्य सरकार के संबंधित विभाग द्वारा किया जाएगा। उन्होंने बेलगछिया कैम्पस में कुछ खाली कमरों की व्यवस्था करने का भी आश्वासन दिया है जिससे कि जब तक भा०कृ०अ०प० अपनी इमारत नहीं बना लेता है तब तक उन्हीं कमरों में क्षेत्रीय केन्द्र का कार्य शुरू किया जा सके।

(ग) प्रस्ताव पर सक्रियरूप से विचार किया जा रहा है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

नेपाली भाषा के समाचार पत्रों में संघ लोक सेवा आयोग तथा कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापन देना

993. **श्री आनन्द पाठक** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाली भाषा का कोई ऐसा समाचार पत्र है जिसमें संघ लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापन नियमित रूप से दिये जाते हैं;

(ख) यदि नहीं, तो ऐसे समाचार पत्रों के नाम क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार नेपाली भाषा के समाचार पत्रों में ऐसे विज्ञापन देने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी०एन० गाडगिल) : (क) से (ग) सिलीगुड़ी से प्रकाशित होने वाला एक नेपाली दैनिक "हिमलचुली" विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय सूची में शामिल है तथा उसका प्रचार आवश्यकताओं तथा धनराशि की उपलब्धता के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापनों सहित, परन्तु संघ लोक सेवा आयोग के विज्ञापन नहीं, सरकारी विज्ञापनों के लिए उपयोग किया जा रहा है।

तथापि, "हिमलचुली" को संघ लोक सेवा आयोग की माध्यम सूची में शामिल करने के प्रश्न पर अगली पुनरीक्षा के समय विचार किया जायेगा।

[हिंदी]

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम

994. **डा० ए० के० पाटिल** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम वर्ष 1983 में लागू है और क्या प्रत्येक भूमिहीन श्रमिक परिवार के कम से कम एक सदस्य को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष में 100 दिन रोजगार दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे परिवारों के प्रत्येक सदस्य की एक दिन की औसत आय कितनी है (एक वर्ष की औसत को ध्यान में रखकर);

(ग) राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में भूमिहीन श्रमिक परिवार की पृथक पृथक संख्या कितनी है और इस योजना के अंतर्गत लाभ पाने वाले परिवारों की औसत संख्या (वार्षिक औसत को ध्यान में रखकर) कितनी है; और

(घ) उन्हें उपलब्ध कराये गये रोजगारों के नाम क्या हैं और इस व्यवस्था के अंतर्गत सरकार ने प्रत्येक परिवार पर औसतन कितनी धनराशि खर्च की है ?

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) से (घ) ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम का एक उद्देश्य यह है कि प्रत्येक ग्रामीण भूमिहीन श्रमिक परिवार के कम से कम एक सदस्य को एक वर्ष में 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जाए। चूंकि यह कार्यक्रम अगस्त, 1983 में आरम्भ किया गया था तथा यह अपेक्षा की गई थी कि परियोजनाओं को तैयार करने, परियोजनाओं को स्वीकृति मिलने तथा कार्यक्रम आरम्भ करने के लिए अन्य प्रशासनिक उपायों

करने में कुछ समय लगेगा इसलिए कार्यक्रम के अंतर्गत छठी योजना का लक्ष्य केवल श्रम दिनों के सृजन के रूप में ही निर्धारित किया गया था। 360 मिलियन श्रम दिनों के सृजन के छठी योजना के लक्ष्य के मुकाबले 262.75 मिलियन श्रम दिन सृजित किए गए थे। अलग-अलग भूमिहीन परिवार के सदस्य को रोजगार उपलब्ध कराने के बारे में छठी योजना में जानकारी नहीं रखी गई थी। इस पहलू की निगरानी करने की कठिनाइयों को देखते हुए, अब राज्यों को यह सुझाव दिया गया है कि प्रत्येक ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की परियोजना में कुछ अनुमोदित कार्य/कार्यों पर रोजगार गारंटी कार्ड आरम्भ किए जाएं और एक प्रायोगिक आधार पर इस पहलू की निगरानी की जाए। प्राप्त सफलता के आधार पर इस नीति का विस्तार किया जाए तथा इसकी पुनरावृत्ति की जाए।

[अनुवाद]

आवास और शहरी विकास निगम द्वारा उत्तर प्रदेश को धन का आबंटन

995. **श्री मानवेन्द्र सिंह** : क्या शहर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1986-87 के दौरान आवास और शहरी विकास निगम द्वारा उत्तर प्रदेश में मकानों के निर्माण के लिए राशि आबंटित की गई है; और

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) हुडको ने वर्ष 1986-87 के लिए निधियों के नियतन को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

जालंधर दूरदर्शन पर पंजाबी कार्यक्रम को दिया गया समय

996. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दूरदर्शन पर प्रदर्शित किये जाने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम और इसके जालंधर केन्द्र में पंजाबी को उचित स्थान नहीं दिया जा रहा है और जालंधर दूरदर्शन में अलगोजा, डाड-सारंगी और कविश्री जैसे पंजाबी लोक संगीत की बहुत अधिक अपेक्षा से व्यापक असन्तोष है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार जालंधर के दूरदर्शन केन्द्र के कार्यकरण समय समय पर अध्ययन करने के लिये कुछ जन प्रतिनिधियों को उसमें शामिल करने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी०एन० गाडगिल) : (क) दूरदर्शन के कार्यक्रमों में पंजाबी भाषा को उचित स्थान दिया जाता है। दूरदर्शन केन्द्र जालंधर द्वारा मूल रूप से टेलीकास्ट किए जाने वाले कार्यक्रमों में पंजाबी कार्यक्रम लगभग 70 प्रतिशत होते हैं। दूरदर्शन केन्द्र, जालंधर, दूरदर्शन केन्द्र दिल्ली द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रीय कार्यक्रम तथा शनिवार और रविवार को अन्य नेटवर्क कार्यक्रमों को भी टेलीकास्ट करता है। यदि दिल्ली के रिले किये जाने

वाले कार्यक्रम भी शामिल किये जायें तो समूचे प्रेषण में पंजाबी कार्यक्रम लगभग 30 प्रतिशत होते हैं। केन्द्र कार्यक्रम आवश्यकताओं के अनुसार, अलगोजा, डाड सारंगी और कविश्री जैसे पंजाबी लोक संगीत और नृत्य भी टेलीकास्ट करता है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

बस्तर के टिन खान क्षेत्र में कारखाने की स्थापना

997. **श्री मनकू राम सोढी** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से बस्तर जिले के टिन खान क्षेत्र में राज्य खनिज निगम और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा संयुक्त रूप से कारखाने की स्थापना करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में चोरी और इस बहुमूल्य खनिज सम्पदा की चोरी तथा तस्करी को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा भेजे गये उक्त प्रस्ताव को मंत्रालय द्वारा कब तक अपनी मंजूरी दिये जाने का विचार है?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

भारतीय कामगारों के रोजगार के लिए भारत और खाड़ी के देशों के बीच समझौता

998. **श्री के० मोहन दास** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने खाड़ी के विभिन्न देशों के साथ भारतीय कामगारों को इन देशों में रोजगार दिलाने के संबंध में द्विपक्षीय समझौते किए है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) भारतीय श्रमिकों के कतार राज्य में प्रवेश को विनियमित करने के लिए भारत और कतार के बीच एक श्रम करार हुआ है। इस करार में सेवा शर्तों और सेवा लाभों की प्राप्ति के लिए आदर्श नियोजन संविदा की व्यवस्था है। इसमें उनके विवादों के शीघ्र निपटाने की भी व्यवस्था है

भारत आये विदेशी पत्रकार

999. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 के दौरान तथा आज तक अन्य देशों से कितने पत्रकार भारत आये और उनके तथा उनके समाचार पत्रों के नाम क्या हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : सूचना एकत्र की जा रही है और जैसे ही यह उपलब्ध हो जायेगी, सभा पटल पर रख दी जायेगी।

कपास उत्पादकों को दिए गए अल्पावधि ऋणों को ब्याजमुक्त दीर्घावधि ऋणों में बदलना

1000. **श्री सी० सम्बु** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आन्ध्र प्रदेश के आओदंकी मारटूर परचूर, पोन्नूर और गंटूर क्षेत्रों में कपास की उपज प्रति हैक्टेयर 4 क्विंटल से भी कम है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस क्षेत्र के कपास उत्पादक राष्ट्रीयकृत बैंकों से लिये गये अल्पावधि ऋणों को वापस करने की स्थिति में नहीं हैं;

(ग) क्या इस स्थिति को देखते हुए लिये गये ऋणों पर कुल चक्रवृद्धि ब्याज को समाप्त करने तथा अल्पावधि ऋणों को दीर्घावधि ऋणों में बदल . का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) आन्ध्र प्रदेश सरकार से मिली रिपोर्टों के अनुसार प्रकाशम जिले के आओदंकी, मारटूर तथा परचूर क्षेत्रों में कपास की प्रति हैक्टार उपज 795 किलोग्राम है और गंटूर जिले के पोन्नूर तथा गंटूर क्षेत्रों में यह 935 किलोग्राम है।

(ख) से (घ) भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक अथवा कृषि और ग्रामीण विकास के राष्ट्रीय बैंक को अल्पावधि ऋणों को दीर्घावधि ऋणों में बदलने अथवा लिए गए ऋणों पर ब्याज समाप्त करने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

नारियल बोर्डों को वित्तीय आवंटन

1001. **श्री सुरेश कुरुप** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान नारियल बोर्डों को वर्ष-वार कितनी राशी आवंटित कि गई; और

(ख) सातवीं योजना के दौरान नारियल बोर्डों को कितना वित्तीय आवंटन किया जाएगा ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान नारियल विकास बोर्ड को आवंटित की गई धनराशि निम्नवत् है :—

(लाख रुपए)

वर्ष	उपकर निधि से अनुदान	योजना निधि से अनुदान	योग
1982-83	100.00	29.00	129.00
1983-84	130.00	34.00	164.00
1984-85	170.00	38.00	20[illegible].00

(ख) सातवीं योजना में नारियल विकास बोर्ड को 450.00 लाख रुपए की धनराशि अस्थायी रूप से आवंटित की गई है। इसमें उपकर निधि से लिया गया अनुदान जो एक गैर योजना स्रोत है, शामिल नहीं किया गया है।

धुले में दूरदर्शन रिले केन्द्र की स्थापना

1002. **श्री मानिक राव होडल्या गावीत** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के घनी आदिवासी जनसंख्या वाले धुले जिले में अभी तक दूरदर्शन रिले केन्द्र की सुविधा उपलब्ध नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र के लिये रिले केन्द्रों की स्थापना करने का है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) धुले जिले का एक भाग सितम्बर, 1984 में धुले में स्थापित किए गए अल्प शक्ति (100 वाट) वाले दूरदर्शन ट्रांसमीटर द्वारा कवर होता है। तथापि, वित्तीय संसाधनों पर भारी दबाव होने के कारण, सातवीं योजना अवधि के दौरान इस जिले में दूरदर्शन सेवा का और विस्तार करना संभव नहीं है।

ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल पूर्ति कार्यक्रम

1003. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सातवीं योजना में पेयजल पूर्ति कार्यक्रम को स्वास्थ्य शिक्षा के साथ एकीकृत करने का है, टाइम्स ऑफ इंडिया दिनांक 14-2-86;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या बिना ढका पानी पीने से होने वाले खतरों और रोग पैदा होने के संबंध में पूर्ण शिक्षण दिया जायेगा ?

कृषि मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) से (ग) पेय जल आपूर्ति कार्यक्रम के संदर्भ में ग्रामीण लोगों को उचित स्वास्थ्य शिक्षा देने तथा उनमें स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने की आवश्यकता पर सरकार द्वारा ध्यान दिया गया है। जल आपूर्ति तथा स्वच्छता में स्वास्थ्य शिक्षा तथा समुदाय भागीदारी पर एक कार्यकारी दल का भी गठन किया गया था। अभी हाल ही में हुए राज्यों के ग्रामीण जल आपूर्ति तथा स्वच्छता के प्रभारी मंत्रियों तथा अधिकारियों के सम्मेलन में ग्रामीण जल आपूर्ति तथा स्वच्छता के संबंध में स्वास्थ्य शिक्षा को स्कूली शिक्षा तथा अनौपचारिक शिक्षा के एक अभिन्न अंग के रूप में शामिल करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। इस संबंध में उपयुक्त कार्रवाई करने हेतु और ब्यौरा तैयार किया जाएगा।

राष्ट्रीय नेटवर्क कार्यक्रम में क्षेत्रीय फिल्मों का प्रसारण

1004. **श्री के० कुन्जम्बु** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय नेटवर्क कार्यक्रम में प्रसारण के लिये स्वीकार की गई क्षेत्रीय फिल्मों के भुगतान की दर में संशोधन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी०एन० गाडगिल) : (क) और (ख) राष्ट्रीय संजाल पर हिन्दी और क्षेत्रीय दोनों प्रकार की फीचर फिल्मों को टेलीकास्ट करने की दरों में 1. 10. 1985 से उपरि संशोधन कर दिया गया है। वर्तमान दर-ढांचा इस प्रकार है।

श्रेणी "ए"—5,00,000/—रुपए

श्रेणी "बी"—4,00,000/—रुपए

श्रेणी "सी"—3,00,000/—रुपए

दिल्ली विकास प्राधिकरण का विकेन्द्रीकरण

1005. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के विकेन्द्रीकरण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण का कार्यात्मक तथा क्षेत्रीय दोनों आधारों पर विकेन्द्रीकरण करने की मांग रही है। विकास मीनार के अतिरिक्त, विकास सदन आई० एन० ए० तथा रोहिणी में इसके कार्यालय पहले ही स्थापित हो गए हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यकलापों की धीरता और कार्यकरण की लगातार आलोचना को देखते हुए, यह भी निर्णय लिया गया है कि इस संगठन के कार्यकलाप को कारगर बनाया जाय ताकि इसमें संगठनात्मक प्रभावकारिता लायी जा सके। इस प्रयोजन के दिल्ली विकास प्राधिकरण ने एक विशेष अभिकरण की सेवायें ली हैं। आशा है, यह अभिकरण जुलाई-1986 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा।

"थ्री टियर" दूरदर्शन सेवा

1006. **श्री मुरलीधर माने** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "थ्रीटियर" दूरदर्शन सेवा शुरू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में निर्णय कब तक लिए जाने की सम्भावना है; और

(ग) क्या एक केन्द्र के क्षेत्रीय कार्यक्रम को अन्य केन्द्रों से भी प्रसारित किया जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) जी, हां। दूरदर्शन की सातवीं योजना में त्रि-स्तरीय सेवा, जिसमें "प्राथमिक सेवा", "राष्ट्रीय सेवा" तथा "स्थानीय सेवा होगी, को चरण-बद्ध ढंग से शुरू करने की स्कीम शामिल है। राष्ट्रीय सेवा देश में पहले ही उपलब्ध है। प्रत्येक बड़े राज्य के लिए प्राथमिक सेवा के लिए न केवल राज्य की राजधानी में कार्यक्रम निर्माण केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता होगी, बल्कि माइक्रो वेव सर्किटों या उपग्रह की सहायता से राज्य के ट्रांसमीटरों को कार्यक्रम निर्माण केन्द्र से जोड़ने की आवश्यकता होगी। उपग्रह लिंकों के 1990 के बाद उपग्रह इन्सेट—2 समूह के छोड़े जाने पर ही उपलब्ध होने की आशा है।

(ग) प्राथमिक सेवा की स्कीम के अन्तर्गत, राज्य के रिले ट्रांसमीटर राज्य की राजधानी के दूरदर्शन केन्द्र में निर्मित कार्यक्रम को रिले कर सकेंगे। राष्ट्रीय सेवा के अंतर्गत, देश के सभी ट्रांसमीटर दिल्ली से प्रस्तुत होने वाले कार्यक्रमों को रिले करते हैं। प्रस्तावित माइक्रोवेव तथा उपग्रह लिंकों के पूरा हो जाने पर, अन्तर-केन्द्रीय आदन-प्रदान तथा दूरदर्शन कार्यक्रमों को टेलीकास्ट करना भी संभव हो सकेगा।

[हिन्दी]

समस्याग्रस्त गांवों को पेय—जल पूर्ति

1007. **श्री सी० जंगा रेड्डी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्वतीय रेगिस्तानी और जनजातीय क्षेत्रों में निरापद पेय जल की सप्लाई के संबंध में 1 जनवरी, 1985 को क्रमश : कितने गांव समस्याग्रस्त थे; और

(ख) उनमें से कितने गांवों में 1 जनवरी, 1986 तक पेय जल पूर्ति की व्यवस्था कर दी गई है ?

कृषि मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) और (ख) छठी योजना के आरम्भ में संपूर्ण देश के लिए 2.31 लाख गांवों का चयन समस्याग्रस्त गावों के रूप में किया गया था। इनमें से 1.92 लाख समस्याग्रस्त गांवों को छठी योजना अवधि के दौरान शामिल किया गया था तथा शेष 0.39 लाख समस्याग्रस्त गांवों को 7वीं योजना के लिए छोड़ दिया गया था। राज्य भी समस्याग्रस्त गांवों के नये चयन हेतु सर्वेक्षण कर रहे हैं। प्राप्त हुई रिपोर्टों के अनुसार वर्ष 1985-86 से दिसम्बर, 1985 तक 19444 समस्याग्रस्त गांवों में पेय जल की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

[अनुवाद]

उद्योगों को राज्य बीमा योजना से छूट

1008. **श्री थम्पन थामस** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य बीमा योजना के क्रियान्वयन से उद्योगों को छूट देने की योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी छूट देने का क्या आधार है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 87-91 के अन्तर्गत, समुचित सरकार कर्मचारी राज्य बीमा योजना से छूट प्रदान करती है। विद्यमान नीति के अनुसार, किसी कारखाने/प्रतिष्ठान को कर्मचारी राज्य बीमा योजना से छूट प्रदान की जा सकती है, यदि उनके कर्मचारियों को दिए जाने वाले लाभ कर्मचारी राज्य बीमा योजनाओं के अधीन उपलब्ध लाभों के लगभग बराबर हों या उनसे अधिक हों और उस कारखाने/प्रतिष्ठान के कर्मचारियों को ऐसी छूट देने से कोई आपत्ति न हो।

योजना की बिक्री रोकना

1009. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग द्वारा प्रकाशित पाक्षिक पत्रिका के योजना के विशेषांक की अधिसंख्यक प्रतियों की बिक्री रोक दी गई है ?

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस बारे में अन्य कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसाण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) से (ग) "योजना" के गणतन्त्र दिवस, 1986 के अंक के वितरण में कतिपय प्रशासनिक कारणों से कुछ देरी हुई थी। थोक आपूर्तियां 29 जनवरी, 1986 को प्राप्त हुई थी तथा उन्हें जिनको भेजना अपेक्षित था। उनको वे 4 और 5 फरवरी, 1986 को भेज दी गई थी।

राष्ट्रीय भूमि उपयोग नीति

1010. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) राष्ट्रीय भूमि उपयोग नीति को प्रारूप रूपरेखा संबंधी विशेषज्ञ समिति का प्रतिवेदन सरकार को कब प्रस्तुत किया गया था।

(ख) राष्ट्रीय भूमि उपयोग और संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी;

(ग) भूमि उपयोग नीति संबंधी विशेषज्ञ समिति के इस प्रतिवेदन पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) राष्ट्रीय भूमि उपयोग नीति की घोषणा कब तक किये जाने की संभावना है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) भूतपूर्व राष्ट्रीय भूमि स्रोत संरक्षण और विकास आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट दिसम्बर, 1984 में प्रस्तुत की। यह रिपोर्ट सम्बन्धित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों, राज्य भूमि उपयोग बोर्डों और कुछ कृषि विश्वविद्यालयों और संस्थानों को परिचालित की गयी थी। उनसे प्राप्त टिप्पणियों पर विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया गया और जहां कहीं जरूरी समझा गया, रिपोर्ट में मई, 1985 में उपयुक्त परिवर्तन किये गये।

(ख) विद्यमान राष्ट्रीय भूमि स्रोत संरक्षण और विकास आयोग को प्रतिस्थापित करने के लिए राष्ट्रीय भूमि उपयोग और संरक्षण बोर्ड 7 मई, 1985 को गठित किया गया था।

(ग) राष्ट्रीय भूमि उपयोग और संरक्षण बोर्ड ने अपनी दिनांक 17.10.1985 को हुई बैठक में राष्ट्रीय भूमि उपयोग नीति की रूपरेखा तैयार करने के लिए विशेषज्ञ दल के काम की सराहना की और राष्ट्रीय भूमि उपयोग नीति विवरण तैयार करने के लिए श्री बी० बी० बोहरा, अध्यक्ष, ऊर्जा सलाहकार बोर्ड की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का निर्णय किया जो अन्य बातों के साथ-साथ इस समय तैयार की जा रही राष्ट्रीय जल स्रोत नीति और संशोधित वन संरक्षण नीति, भूमि उपयोग के प्रतिमान और उत्पादकता पर प्रभाव डालने वाले घटकों, व्यक्तियों की भागीदरी को ध्यान में रखेगी तथा भूमि उपयोग और प्रबन्ध को उच्चतम सीमा तक पहुंचाने में विज्ञान और प्रौद्योगिकी आदानों की भूमिका के बारे में भी विचार करेगी।

(घ) प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में 6 फरवरी, 1986 को हुई राष्ट्रीय भूमि उपयोग और बंजर विकास परिषद् को पहली बैठक में राष्ट्रीय भूमि उपयोग नीति की रूपरेखा पर विचार किया गया था और इसे मंजूर किया गया था। राष्ट्रीय भूमि उपयोग नीति के विवरण की रूपरेखा के मसौदे के आधार पर और अन्य सम्बन्धित नीतियों को ध्यान में रखते हुए अन्तिम रूप दिया जाएगा। इस कार्य के लिए कोई सीमा समय निर्धारित नहीं की गई है।

त्रिपुरा को इस्पात और लोहे की छड़ों का आबंटन

1011 **श्री अजय विश्वास** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983, 1984 और 1985 में त्रिपुरा को इस्पात और लोहे की छड़ों का कुल कितना आवंटन किया गया था; और

(ख) उक्त अवधि में त्रिपुरा को इस्पात और लोहे की छड़ों की कुल कितनी मात्रा सप्लाई की गई ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) लोहे तथा इस्पात के राज्य-वार आवंटन की कोई प्रणाली नहीं है। उपभोक्ताओं को इनकी सप्लाई संयुक्त संयंत्र समिति के आवंटन से संबंधित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार मुख्य उत्पादकों के पास उनकी पंजीकृत मांग के आधार पर की जाती है।

(ख) लोहे तथा इस्पात की सप्लाई के बारे में राज्य-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

महाराष्ट्र में पानी की कमी

1012 श्री मुकुल वासनिक }
श्री आर० एम० भोये } : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने पानी की कमी की समस्या को हल करने के लि येधन के आवंटन में वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार ने कितनी वृद्धि करने का प्रस्ताव किया है और उस पर केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिह) : (क) और (ख) पेय जल की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी राज्यों की है। केन्द्रीय सरकार त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कायक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेय जल की व्यवस्था करने में राज्यों की मदद करती है। 1985-86 में महाराष्ट्र को त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत 1844.88 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई है और समस्त राशि मुक्त कर दी गई है। 1985-86 में महाराष्ट्र सरकार से त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के आबंटन को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

महाराष्ट्र सरकार ने सूखा के कारण उत्पन्न हुई पेय जल की समस्या को सुलझाने के लिए राज्य की सहायता करने हेतु केन्द्रीय सहायता मांगते हुए एक ज्ञापन भेजा है। केन्द्रीय सरकार ने राज्य की पेय जन की समस्या को सुलझाने हेतु 1985-86 के दौरान खर्च किए जाने के लिए 37.37 करोड़ रुपये की अधिकतम राशि मंजूर की है।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की नौकाओं का उत्पादन और आयात

1013. श्री इन्द्रजीत गुप्त }
श्री वाई० एस० महाजन } : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारी संख्या में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की नौकाओं का आयात किया जा रहा है, जबकि देश में लघु और मध्यम श्रेणी के शिप यार्डों में पूरी क्षमता का उपयोग नहीं हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1984 और 1985 में ऐसी कितनी नौकाओं का आयात किया गया और 1986 के लिये कितने मूल्य के आयात के लाइसेंस जारी किए गए हैं;

(ग) देश में इस समय नौकाओं के उत्पादन की क्षमता कितनी है और वर्ष 1984 और 1985 का वास्तविक उत्पादन कितना है; और

(घ) इन नौकाओं का आयात करने के क्या कारण हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की नौकाओं को आयात करने में भारत सरकार का उद्देश्य यह है कि गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का फ्लीट जल्दी बनाया जाए। इस स्कीम में देश में ट्रालर बिल्डिंग उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अनिवार्य देशीय निर्माण भी शामिल है।

(ख) 1984-85 के दौरान गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली नौकाओं की संख्या क्रमश: 5 और 11 हैं। इनमें वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई अनुमति से आयात की गई नौकाएं भी शामिल हैं। वर्ष 1986 के लिए कोई आयात लाइसेंस नहीं दिया गया।

(ग) देश में मछली पकड़ने वाली नौकाओं, सभी आकारों की, के उत्पादन की वर्तमान क्षमता 85 है और डिलीवरी की अवधि 14 से 16 महीने है। 1985 में स्वदेशी गार्डों द्वारा गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की केवल दो नौकाएं डिलीवर की गईं।

(घ) मछली पकड़ने की नौकाओं का आयात इतना बड़ा बेड़ा तैयार करने के लिए किया गया है जिससे देश के एकमात्र आर्थिक क्षेत्र में मछली के संसाधनों का लाभ प्राप्त करने की जरूरतें पूरी हो सकें।

[हिन्दी]

राजस्थान में पानी की कमी

1014. **प्रो० निर्मल कुमारी शक्तावत** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस समय राजस्थान में पेय जल का गंभीर संकट है;

(ख) क्या सरकार का विचार "ग्रामीण जल पूर्ति में वृद्धि करने" की योजना के अन्तर्गत राजस्थान की इस समस्या को हल करने का है; और

(ग) यदि हां, तो सातवीं पंच-वर्षीय योजना में पेय जल की सप्लाई के लिए राजस्थान को कितनी धनराशि देने का विचार है?

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) राजस्थान सरकार ने इस वर्ष सूखा के कारण उत्पन्न हुए पेय जल के संकट के बारे में अपने ज्ञापन के जरिये सूचना दी है।

(ख) पेय जल की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी राज्य की है। केन्द्रीय सरकार त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेय जल उपलब्ध कराने में राज्यों की मदद करती है। 1985-86 में त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान को 27.32 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है। पेय जल की समस्या को हल करने के लिए सूखा-राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत 36.23 करोड़ रुपये की भी राशि मंजूर की गई है।

(ग) राजस्थान को सातवीं पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत पेय जल की व्यवस्था करने हेतु 150 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है।

[अनुवाद]

"नाफेड" द्वारा नारियल के लिए समर्थन मूल्य दिया जाना

1015. **प्रो० पी० जे० कुरियन**
प्रो० के० वी० थामस
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "नाफेड" ने नारियल के लिए समर्थन मूल्य व्यवस्था के अंतर्गत खोपरा खरीदा है;

(ख) यदि हां, तो अब तक की गयी खरीद और उसके मूल्य का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि यह कदम उठाये जाने के बावजूद नारियल और इसके उत्पादों के मूल्य निरन्तर गिर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो मूल्यों को गिरने से रोकने के लिए और क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) नाफेड ने अच्छी औसत किस्म के विपणन की मंडी में हस्तक्षेप करने के 120/— रुपए प्रति क्विटल के मूल्य पर 25 फरवरी, 1986 तक केरल में 5875 मीटरी टन और संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप में 310 मीटरी टन खोपरा की खरीद की है। केरल राज्य और संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप में लागू की गई खोपरा की मण्डी में हस्तक्षेप करने की योजना से खोपरा के मूल्य स्थिर हुए हैं। इसके फलस्वरूप खोपरा तथा नारियल के तेल के मूल्यों में सुधार होना शुरू हो गया है।

(ग) और (घ) राज्य सरकार पहली जनवरी, 1986 से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत केरल में पाम आयल का वितरण पूरी तरह से बंद करने का निर्णय पहले ही ले चुकी है। इस योजना के तहत खरीदा गया खोपरा संसाधित है और तेल को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किया जाता है। अधिक बिक्री केन्द्र खोलकर इन उपायों को और तेज दिया जा रहा है। जिससे नारियल और उसके उत्पादों के मूल्यों में सुधार होने को संभावना है।

कश्मीर में हिमपात

1016 **प्रो० सैफुद्दीन सोज** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि काश्मीर में दिसम्बर/जनवरी में हुए अभूतपूर्व भारी हिमपाल से वहां के लोगों का भारी नुकसान हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो लोगों की कठिनाइयां दूर करने के लिये राहत प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकावना) : (क) जी, हां।

(ख) भारत के कृषि राज्य मन्त्री ने 18 तथा 19 फरवरी, 1986 को राज्य का दौरा किया। क्षेत्रीय दौरों तथा राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ हुए विचार—विमर्श को ध्यान में रखते हुए पूरक आंकड़े मांगे गए। ये आंकड़े राज्य सरकार ने प्रस्तुत कर दिए हैं और केन्द्रीय सहायता के लिए उसके अनुरोध पर विचार किया जा रहा है। इस बीच राज्य सरकार ने राहत संबंधी कार्य तथा तत्काल पुनर्वास सम्बन्धी कार्य शुरू कर दिया है।

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन

1017. **श्री पी० कुलनदईवेलू** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1986-87 में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभ पाने वाले परिवारों की संख्या में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रत्याशा के अनुरूप आर्थिक लाभ अपेक्षाकृत निर्धन लोगों तक नहीं पहुंच रहा है;

(ग) क्या अब तक कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है?

कृषि मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत चालू वर्ष के दौरान 2.47 मिलियन परिवारों के लक्ष्य के मुकाबले 1986-87 के लिए 3.2 मिलियन परिवारों का अनन्तिम लक्ष्य है।

(ख) से (घ) कुछ मूल्यांकन अध्ययनों से गलत चयन के मामले सामने आए हैं। सभी राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि इस संबंध में उपचारी उपाय किए जाएं। सुझाए गए

उपाय ये हैं; ग्राम सभा द्वारा लाभार्थियों का चयन करना, जन प्रतिनिधियों को अधिक से अधिक शामिल करना तथा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन में स्वैच्छिक एजेंसियों का अधिक सहयोग लेना। प्रतिमाह 36 जिलों का अध्ययन करने के लिए एक समवर्ती मूल्यांकन की पद्धति आरम्भ की गई है जिसमें प्रत्येक जिले के 2 खण्डों तथा प्रत्येक खण्ड में 20 लाभार्थियों अर्थात् 10 पुराने तथा 10 नए लाभार्थियों को शामिल किया जाएगा। लाभार्थियों का सही चयन करना भी अनुसूची में शामिल पहलुओं में से एक है।

प्रकाशन विभाग के पास पड़े प्रकाशन

1018. **श्री डी॰ पी॰ यादव** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय के प्रकाशन विभाग के पास 31 मार्च, 1985 को कुल कितने मूल्य की और कुल कितनी पुस्तकें पड़ी थीं; और

(ख) वर्ष 1984-85 के दौरान कितने मूल्य की और कितनी पुस्तकें बेची गईं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी॰ एन॰ गाडगिल) : (क) प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की 31.3.85 को स्टाक में जितनी प्रतियां थीं, उनकी कुल संख्या 13.04 लाख थी जिनका मूल्य लगभग 193.00 लाख रुपये था।

(ख) वर्ष 198|-85 के दौरान प्रकाशन विभाग के प्रकाशनों की बेची गई प्रतियों की कुल संख्या लगभग 1 50 लाख थी, जिनका मूल्य 34.14 रुपए था।

बोकारो इस्पात संयंत्र में विस्फोट

1019. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां**
श्री राजकुमार राय } : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1986 में किसी दिन बोकारो इस्पात संयंत्र में हुए विस्फोट में कुछ व्यक्ति मारे गये थे और अनेक व्यक्ति घायल हुए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त विस्फोट के कारणों की सरकार द्वारा यदि कोई जांच कराई गई है, तो उसका क्या परिणाम निकला है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) और (ख) 15 जनवरी, 1986 को बोकारो इस्पात कारखाने की इस्पात गलनशाला नं॰ 2 (स्टील मैल्टिग शाप) के कन्वर्टर नं-2 में विस्फोट हुआ था। 20 व्यक्ति मुख्यतः झुलसने से और कुछ जहरीली गैस से प्रभावित हुए थे। एक कर्मचारी की काफी झुलसने के कारण उसी स्थान पर ही मृत्यु हो गई थी। 19 घायल व्यक्तियों को बोकारो मुख्य हस्पताल में दाखिल करवा दिया गया था, इनमें से दो व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। शेष 17 व्यक्तियों में से, 14 व्यक्तियों को हस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, जिनमें से 9 कर्मचारी ड्यूटी पर आ गये हैं। हस्पताल से जिन व्यक्तियों को छुट्टी दे दी गई है, उनमें से पांच व्यक्ति घर पर स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। तीन कर्मचारियों का अभी तक हस्पताल में इलाज चल रहा है।

(ग) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि॰ (सेल) के अध्यक्ष ने एक उच्च स्तरीय जांच समिति कठिन की है। समिति ने अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के भंडार में आग लगना

1020. **श्री वी० तुलसी राम** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के भंडार में वर्ष 1985 के दौरान आग लग गई थी, जिसके परिणामस्वरूप करोड़ों रुपये की आयातित मशीनें नष्ट हो गई थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और कौन-कौन सी मशीनें नष्ट हुई हैं;

(ग) क्या इस मामले में जांच करने के आदेश दिये गये हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि जांच प्रतिवेदन अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है तो कब तक प्रस्तुत किये जाने की संभावना है; और

(घ) देश में इस्पात संयंत्रों में ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृति रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) और (ख) विशाखापत्तनम इस्पात परियोजना के शेडों में से भारत हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड को आवंटित एक शेड में 19.12.85 को आग लग गयी थी। 50 पेटियां, जिनमें ताप विद्युत संयन्त्र के उपकरण थे (अधिकतर उपकरण आयातित थे) प्रभावित हुए थे। बी०एच०ई०एल० और पश्चिम जर्मनी के उपकरणों के सम्भारकों द्वारा नुकसान का अभी आकलन किया जा रहा है।

(ग) आग लगने की दुर्घटना का गहराई से अध्ययन करने और इसके कारण का पता लगाने तथा दुर्घटना के लिए जिम्मेदारी ठहराने तथा भविष्य में परियोजना क्षेत्र में कहीं भी आग लगने की घटना रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में विशाखापत्तनम इस्पात कारखाने के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक 20.12.85. को एक जांच समिति का गठन किया था। समिति ने 21.1.86 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(घ) जांच समिति ने निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :—

(1) विशाखापत्तनम इस्पात परियोना के लिए अलग से अग्नि—शमन संगठन शीघ्र चालू किया जाए।

(2) प्रतिबन्धित प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए भण्डारण के सभी परिसरों की उपयुक्त रूप से हदबन्दी की जाए। इस बात का ध्यान रखा जाए कि ठेके वाले अभिकरणों द्वारा तैनात, पहरे तथा निगरानी से सम्बन्धित कर्मचारी बिना लापरवाही के कार्य करें।

(3) गोदामों के समीप अग्नि शमन हेतु नलों की व्यवस्था की जाए।

(4) गोदामों में सुवाह्य दमकलों की व्यवस्था की जाए।

(5) "हाट वर्क" परमिट लागू किए जाएं।

विशाखापत्तनम इस्पात कारखाने द्वारा उपर्युक्त वर्णित सिफारिशों को कड़ाई से कार्यान्वित करने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

जहां तक अन्य सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों का संबंध है, स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड के सभी इस्पात कारखानों में सुगठित "अग्निशमन विभाग/अनुभाग हैं जिनमें अग्नि शमन के पर्याप्त उपकरण हैं। अग्नि शमन संहिताएं तैयार की गयी हैं जिनमें सभी सम्बन्धितों (इस्पात

कारखानों में "जोनल फायर स्टेशन हैं जो अग्नि शमन उपकरणों से पूर्ण रूप से सज्जित हैं, के कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। आग लगने के उपायों के बारे में श्रमिकों को अवगत कराने हेतु आवधिक आधार पर व्याख्यानों और निदर्शनों का आयोजन किया जाता है।

मेसर्स टाटा आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड में "फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट" है जिसमें, आग लग जाने तथा आग लगने से सम्भावित खतरों का निराकरण करने हेतु अग्नि-शमन के आवश्यक उपकरण तथा यन्त्र हैं।

उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि

1021. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1980 के पश्चात् उर्वरकों को मूल्यों में प्रति वर्ष वृद्धि होती रही है; और

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जिले में "शार्ट वेव आकाशवाणी केन्द्रो की स्थापना

1022. **श्री हरीश रावत** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी द्वारा प्रसारित किये जाने वाले कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जिले के कुछ सीमावर्ती क्षेत्र में नहीं सुने जा सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन क्षेत्रों में आकाशवाणी के कार्यक्रमों का सुनना सुनिश्चित किये जाने और इन सीमा क्षेत्रों में विदेशी प्रसारण सेवाओं के विषाप्त प्रचार रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार चालू वित्तीय वर्ष में इस क्षेत्र में 20 किलोवाट का एक शार्ट वेव आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसरण मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी०एन० गाडगिल) : (क) जी, हां।

(ख) आकाशवाणी ने अपनी सातवीं योजना में पिथोरागढ़ में एक 1 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांस मीटर स्थापित करने की स्कीम शामिल की है।

(ग) और (घ) आकाशवाणी के दिल्ली और लखनऊ के ट्रांसमीटरों से लघु तरंग पर प्रसारित रेडियो प्रेषण उत्तर प्रदेश के पहाड़ी और सीमावर्ती जिलों में अच्छी तरह सुनाई देते हैं। सातवीं योजना में दिल्ली तथा लखनऊ के मौजूदा क्षेत्रीय शार्टवेव ट्रांसमीटरों की शक्ति 10 किलोवाट से बढ़ाकर 50 किलोवाट करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, सातवीं योजना के दौरान गोरखपुर में एक 50 किलोवाट शार्टवेव ट्रांसमीटर स्थापित करने का प्रस्ताव है। इन तीनों शार्टवेव ट्रांसमीटरों के प्रेषण पियोरागढ़ में अच्छी तरह सुनाई देंगे। इसलिए सरकार पियोरागढ़ में अलग शार्टवेव ट्रांसमीटर स्थापित करने की आवश्यकता महसूस नहीं करती।

[अनुवाद]

तालाबंदी और हड़ताल

1023. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में वर्ष 1985 के दौरान हड़तालों और तालाबन्दी के कारण राज्य-वार कितने कार्य दिवसों का नुकसान हुआ है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : एक विवरण संलग्न है, जिसमें वर्ष 1985 के दौरान, हड़तालों और तालाबन्दियों के कारण नष्ट हुए श्रम दिनों की राज्य—संख्या दर्शाई गई है ।

विवरण

वर्ष 1985 के दौरान हड़तालो और तालाबन्दियों के कारण नष्ट हुए श्रम दिनों की राज्य-वार संख्या (अनन्तिम)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	नष्ट हुए श्रम दिनों की संख्या (हजारों में)		
	हड़तालों के कारण	तालाबन्दियों के कारण	कुल
आन्ध्र प्रदेश	1688	598	2286
आसाम	14	—	14
बिहार	714	185	899
गुजरात	485	264	750
हरियाणा	89	4	92
हिमाचल प्रदेश	37	—	37
जम्मू और कश्मीर	...	—	2
कर्नाटक	571	625	1195
केरल	808	251	1059
मध्य प्रदेश	161	640	801
महाराष्ट्र	1263	2359	3623
मणिपुर	2	—	2
मेघालय	...	—	...
नागालैण्ड	—	—	—
उड़ीसा	88	21	109
पंजाब	73	27	100
राजस्थान	707	241	948
सिक्किम	—	—	—
तमिलनाडू	2598	762	3360
त्रिपुरा	...	...	...
उत्तर प्रदेश	185	101	286

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	नष्ट हुए श्रम दिनों की सख्या (हजारों में)		
	हड़तालों के कारण	तालाबन्दियों के कारण	कुल
पश्चिम बंगाल	642	12733	13375
अण्डमान और निकोबार	8	—	8
अरुणाचल प्रदेश	—	—	—
चण्डीगढ़	...	...	...
दादर और नगर हवेली	...	...	...
दिल्ली	...	...	...
गोआ, दमन और दीव	82	57	139
लक्षद्वीप	—	—	—
मिजोरम	...	...	...
पांडिचेरी	101	—	101
कुल	10318	18870	29188

(अ) = अनन्तिम और श्रम ब्यूरो में 18-2-1986 तक प्राप्त रिपोर्टों पर आधारित।

(–) = शून्य। (· ·) = उपलब्ध नहीं है।

कृपया ध्यान दें = यह आवश्यक नहीं है कि जोड़ ठीक मिलता हो क्योंकि आंकड़ों को पूर्णांक में लिखा गया है। स्रोत = श्रम ब्यूरो, शिमला।

खाड़ी के देशों में भारतीय श्रमिक

1024. **श्री बृज मोहन मंहती :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य देशों के श्रमिकों की तुलना में भर्ती और मजदूरी ढांचे में प्रतिकूल व्यवहार के कारण खाड़ी देशों से भारतीय श्रमिक वापस भारत आ गए हैं;

(ख) क्या देश-वार भर्ती और मजदूरी ढांचे नीति का गहराई से अध्ययन किया गया है और क्या इस तरह के भेदभाव को दूर करने के लिए खाड़ी के देशों में किसी देश के साथ यह मामला उठाया गया है तथा उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या और अधिक भारतीयों और श्रमिकों की भर्ती के लिए कोई द्विपक्षीय बातचीत की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) खाड़ी के देशों में कुल कितने भारतीय श्रमिक कार्य कर रहे हैं और क्या किसी खाड़ी देश में भेदभाव पूर्ण व्यवहार किए जाने के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(ङ) खाड़ी देशों में और भारतीय श्रमिकों को रोजगार दिलाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) जी, हां। भारत और कतार के बीच एक करार किया गया है। इसमें सेवा शर्तों और सेवा लाभों के उद्देश्य के बारे में आदर्श नियोजन संविदा की व्यवस्था है। इसमें उनके विवादों को तुरन्त निपटाने की भी व्यवस्था है।

(घ) लगभग 10,00,000 भारतीय कर्मकार खाड़ी के देशों (मिडिल ईस्ट) में काम कर रहे हैं। उनके साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार करने के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) श्रमिक मंगाने वाले अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय करार करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

बम्बई को नागरिक सुविधाओं के लिए केन्द्रीय सहायता

1025. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के विभिन्न भागों से भारी संख्या में लोगों के बम्बई शहर में आने के कारण शहर की नागरिक सुविधाओं पर बुरा प्रभाव पड़ा है तथा बम्बई में स्वास्थ्य एवं सफाई की स्थिति में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो बम्बई में बाहर से भारी संख्या में लोगों के आगमन को रोकने के लिए एक वैकल्पिक आकर्षक क्षेत्र के रूप में बम्बई के आस पास के क्षेत्रों का विकास करने के लिए क्या विशेष उपाय करने का प्रस्ताव है; और

(ग) क्या नागरिक सुविधाओं सबंधी समस्याओं से निपटने के लिये बम्बई नगर को केंद्रीय सहायता बढ़ाई जाएगी ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) बम्बई में प्रवसन के प्रवाह सहित कई कारणों से नागरिक सुविधाओं पर काफी दबाव पड़ रहा है।

(ख) बम्बई के चारों ओर इस क्षेत्र में सन्तुलित विकास को सुनिश्चित करने के लिए बी० एम० आर० डी० ए० का गठन किया गया है। इसके अलावा, छोटे तथा मध्यम दर्जे के शहरों की एकीकृत विकास योजना के अन्तर्गत दूर-दराज की आबादी को बसाने तथा व्यवस्थित करने के लिए छोटे तथा मध्यम दर्जे के शहरों का विकास किया जा रहा है।

बम्बई ट्विन सिटी प्रोजेक्ट के उद्देश्य भी बम्बई में शहरी सघनता को कम करना है।

(ग) बम्बई के विकास के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, आवास तथा मलिनबस्तियों की इसकी विकट समस्याओं के समाधान के लिए सातवीं योजना अवधि के दौरान 100 करोड़ रुपये का नियतन किया जा रहा है। इस शहर की जलपूर्ति, परिवहन तथा अधिसंरचनाओं के सुधार के लिए अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं को भी आरम्भ किया गया है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा फ्लैटों/भूखण्डों के लिए नया पंजीकरण

1026. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण फ्लैटों/भूखण्डों के लिए जल्दी ही नया पंजीकरण शुरू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और किन-किन श्रेणियों के लिए ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास फ्लेटों के लिए पहले ही 1.72 लाख पंजीकृत व्यक्ति तथा प्लाटों के लिए 56,939 पंजीकृत व्यक्ति शेष हैं।

(ग) भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग द्वारा बिहार में सर्वेक्षण

1027. **प्रो० चन्द्र भानु देवी** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग द्वारा बिहार के सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या वहां पर हाल ही में कोई खनिज प्राप्त हुआ है ?

खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) खनिजों की खोज लगातार चलने वाला कार्य है तथा बिहार के विभिन्न भागों में भी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा यह काम जारी है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के हाल के सर्वेक्षण के फलस्वरूप बिहार के झरिया, पूर्वी बोकारो, दक्षिण कर्णपुरा तथा राजमहल कोयला क्षेत्रों में कोयले के बड़े भंडारों का पता चला है। मुंगेर में स्वर्ण तथा रांची जिले में बजरी स्वर्ण, सिंहभूम जिले के जोजो हाटू व अन्य क्षेत्रों में क्रोमाइट और प्लेटिनम हेतु, पलामू और गुमला जिलों में हीरे के लिए खोजें तथा पलामू, धनबाद और हजारीबाग के भू-भागों में भू-तकनीकी अन्वेषण जारी हैं।

[अनुवाद]

खुली खदानों में सिलीकासिस द्वारा खान मजदूरों को हुई क्षति

1028. **श्री एस० जयपाल रेड्डी** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खुली खदानों में सिलीकासिस द्वारा खान मजदूरों को हुई क्षति का आकलन करने के लिए मजदूरों की जांच की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) सिलीकासिस को खान अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत, खनन संक्रियाओं से संबंधित रोग के रूप में अधिसूचित किया गया है। यदि किसी मेडीकल प्रेक्टिशनर को खान श्रमिकों के बीच सिलीकासिस की घटना का पता लगता है, तो उसे संबंधित प्राधिकरण को उस बारे में रिपोर्ट भेजनी होती है। ओपन-कास्ट खानों के मामले में, खान नियम, 1955 में केवल रोजगार पूर्व चिकित्सा जांच की व्यवस्था है, जो खान प्रबंधकों द्वारा की जाएगी। देश में सभी ओपन-कास्ट खानों में सिलीकासिस द्वारा होने वाले नुकसान का पता लगाने के लिए कोई सामान्य सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि, नैवेली लिगनाइट कारपोरेशन ने अपनी ओपनकास्ट लिगनाइट खानों में नियोजित सभी व्यक्तियों का वर्ष 1983 में स्वास्थ्य सर्वेक्षण किया और काम कर रहे किसी भी व्यक्ति को सिलीकासिस या किसी अन्य अधिसूचित रोग से पीड़ित नहीं पाया गया। खान सुरक्षा महानिदेशालय, जो खान नियम, 1955 के उपबंधों को लागू करता है, वे सभी खान प्रबंधतंत्रों को परामर्श दिया है कि वे वैसे ही स्वास्थ्य सर्वेक्षण करें।

नारियल के मूल्यों में गिरावट होने की स्थिति में नारियल उत्पादों को सहायता देने की योजना

1029. **श्री पी० एम० सईद** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने नारियल का मूल्य गिराकर एक निर्धारित स्तर पर पहुंच जाने की स्थिति में, नारियल उत्पादकों की सहायता के लिए एक योजना शुरू की है;

(ख) यदि, हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह योजना लक्षद्वीप में भी लागू होगी; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में लक्षद्वीप सरकार से विशेष प्रस्ताव मांगे हैं ताकि उक्त द्वीप के नारियल उत्पादकों को इस योजना के अन्तर्गत पूरा लाभ मिल सके ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ) सरकार ने 1200 रुपए प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य से कम मूल्यों में गिरावट आने की स्थिति में नारियल उत्पादकों की सहायता देने संबंधी उपाय के रूप में 1985-86 के दौरान खोपरा के मामले में मंडी में दखल देने की योजना मंजूर की है। इसकी मुख्य विशेषताएं संलग्न विवरण में दी गई हैं। इस योजना के तहत 28 जनवरी, 1986 से 25-2-1986 तक 310 मीटरी टन खोपरा की खरीद की गई है और लक्षद्वीप समूह के 9 केन्द्रों में क्रय संबन्धी कार्य किए जा रहे हैं।

विवरण

1. खोपरा के लिए मंडी में दखल देने वाली योजना लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के लिए नामित एजेंसी के रूप में लक्षद्वीप सहकारी विपणन संघ तथा केन्द्रीय नोडल एजेंसी के रूप में नाफेड के माध्यम से क्रियान्वित होगी।

2. कार्यान्वयन एजेंसियों को शुरूआत के तौर पर अच्छी औसत किस्म के खोपरा की 1200 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर 3000 मीटरी टन तक खरीद करने के लिए अधिकृत किया गया है।

3. यदि इस कार्य को करने में कोई हानि होती है तो उसे सरकार शतप्रतिशत के आधार पर वहन करेगी।

4. योजना का लाभ सिर्फ छोटे तथा सीमांत उत्पादकों तक ही सीमित है और खरीद सिर्फ इन वर्गों के उत्पादकों से की जानी चाहिए।

5. नाफेड ने लक्षद्वीप सहकारी विपणन संघ के साथ किए गए समझौते में लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र की मुख्य भूमि में कालीकट पत्तन से खोपरा की खरीद करने के लिए एक विस्तृत कार्य क्रम तैयार किया है।

6. द्वीप समूह के खोपरा उत्पादक अच्छी औसत किस्म के खोपरा का 1200/-रुपए प्रति क्विंटल मूल्य प्राप्त कर सकें, इसके लिए नाफेड श्रेणीकरण तौल का मानकीकरण, बोरों में भरने और भाण्डागार निगम गोदाम, कालीकट तक परिवहन संबंधी खर्चे सहित द्वीप समूह से कालीकट पत्तन तक समुद्री मार्ग से परिवहन संबंधी समूचे व्यय वहन कर रहा है।

महेन्द्रगढ़ (हरियाणा) में इस्पात संयंत्र की स्थापना

1030. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महेन्द्रगढ़ (हरियाणा) में लौह-अयस्क का भारी भंडार है; और

(ख) यदि हां, तो क्या वहां एक इस्पात संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) हरियाणा राज्य के महेन्द्रगढ़ जिले में लगभग 80 लाख टन लौह-अयस्क उपलब्ध होने का अनुमान है ।

(ख) महेन्द्रगढ़ के लौह अयस्क के निक्षेपों में फास्फोरस की मात्रा काफी है तथा लौह अंश कम (54% एफ० ई०) है । लौह अयस्क के घटिया किस्म तथा तुलनात्मक रूप से कम भण्डारों को देखते हुए सरकार का महेन्द्रगढ़ में इस्पात संयंत्र लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

केरल में नारियल का उत्पादन

1031. **श्री टी० बशीर** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले कुछ वर्षों से केरल में नारियल के उत्पादन तथा उसकी उत्पादकता घटी है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राज्य में नारियल के पेड़ों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए कोई व्यापक विकास कार्यक्रम बनाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) केरल में नारियल का उत्पादन 1981-82 के 30057 लाख गरी से बढ़कर 1982-83 में 31840 लाख गरी और 1984-85 में 33950 लाख गरी हो गया । इसी प्रकार, उत्पादकता में भी वृद्धि हुई, जो 1981-82 के 4509 गरी प्रति हैक्टेयर से बढ़कर 1982-83 में 4721 गरी प्रति हैक्टेयर और 1984-85 में 4925 गरी प्रति हैक्टेयर हो गई । तथापि, केरल में नारियल के उत्पादन और उत्पादकता में सूखे के कारण वर्ष 1983-84 के दौरान कमी आई ।

(ग) और (घ) केरल राज्य में केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्र द्वारा प्रायोजित नारियल विकास के निम्नलिखित कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रहे हैं :—

(1) किसानों को जड़ मुरझाने से प्रभावित पॉम को काटने और वहां से हटाने के लिए प्रति पाम 75 /-रुपये की सहायता दी जाती है । वर्ष 1985-86 के दौरान इस कार्यक्रम के तहत 16.5 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है ।

(2) रोगग्रसित और अनुउत्पादी नारियल जोतों के रोगमुक्त करने के कार्यक्रम के अन्तर्गत संकर रोपण सामग्री और उर्वरकों की लागत पर 50 प्रतिशत की दर से राजसहायता दी जाती है । वर्ष 1985-86 के दौरान इस स्कीम के अन्तर्गत 35.6 लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है ।

(3) किसानों को उन्नत पैकेज पद्धति की क्षमता प्रदर्शित करने के लिए प्रत्येक प्रदर्शन भूखण्ड के लिए 250/-रुपये प्रति वर्ष दिया जाता है । 1985-86 के दौरान इस कार्यक्रम के तहत 19 लाख रुपए प्रदान किए गए हैं ।

(4) टी० ×डी० संकर पौद के उत्पादन और वितरण कार्यक्रम के अन्तर्गत 1985-86 के दौरान 3.03 लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है ।

(5) डी० ×टी० संकर पौद के उत्पादन के लिए संकर बीजों के बाग स्थापित करने के कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1985-86 के लिए 3.41 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

(6) 2 हैक्टेयर से कम की जोतों वाले नारियल उत्पादकों को नारियल के अन्तर्गत क्षेत्र का विस्तार करने के लिए नारियल विकास बोर्ड द्वारा 3000/-रुपये प्रति हैक्टेयर के हिसाब से सहायता दी जाती है।

स्वशासी भाषा समाचार एजेंसियों की स्थापना

1032. **श्री आनन्द सिंह :** क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भाषा समाचार एजेन्सियों अर्थात् हिन्दुस्तान समाचार तथा समाचार भारती को अंशदायी भुगतान बन्द करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने मौजूदा हिन्दी समाचार एजेंसियों अर्थात् हिन्दुस्तान समाचार तथा समाचार भारती की दशा के संदर्भ में भाषायी समाचार पत्रों के लिए संतोषजनक सेवा की व्यवस्था के बारे में विचार करने के लिए देश के भाषायी समाचार पत्रों के प्रमुख संपादकों तथा मालिकों की एक बैठक बुलायी थी।

बैठक में आम राय यह थी कि मौजूदा हिन्दी समाचार एजेंसियों को पुनर्जीवित करना संभव नहीं है और यह समाचार पत्रों के मालिकों तथा संपादकों का काम है कि वे इस प्रकार की समाचार एजेंसी सेवा की स्थापना तथा संचालन करें। विभिन्न विकल्पों की गहराई से जांच करने के लिए श्री आर० एन० गोयंका की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था।

समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि पर्याप्त प्रौद्योगिकी समर्थन के साथ एक पूर्ण रूपेण समाचार एजेंसी की स्थापना करने में अत्यधिक पूंजी निवेश तथा आवर्ती व्यय की आवश्यकता होगी जो भाषायी समाचार पत्रों की ताकत से बाहर हैं।

विकल्प के रूप में, समिति ने यह महसूस किया कि यदि भारतीय भाषायी समाचार सेवा को मौजूदा अंग्रेजी समाचार एजेंसियों की अवस्थापना के साथ जोड़ दिया जाये तो अतिरिक्त खर्च काफी कम होगा तथा ये समाचार एजेंसियों भाषायी समाचार पत्रों को अपेक्षित सेवा उपलब्ध कर सकेंगी। सरकार ने समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है तथा तद्नुसार आकाशवाणी/दूरदर्शन द्वारा हिन्दुस्तान समाचार तथा समाचार भारती को अशदान या किसी उपदान का भुगतान बन्द करने का निर्णय लिया है।

बम्बई के विकास के लिए धनराशि का नियतन

1033. **सैफुद्दीन चौधरी :** क्या **शहरी विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बम्बई के विकास के लिए महाराष्ट्र सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) इस विकास योजना के कार्यान्वयन पर कुल कितनी लागत आने का अनुमान है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) बम्बई के विकासार्थ महाराष्ट्र सरकार से कोई व्यापक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, नवम्बर, 1984 में धारवी मलिनबस्ती के सुधारार्थ एक योजना प्राप्त हुई थी।

(ख) धारवी मलिन बस्ती योजना की लागत 6 करोड़ रुपये के आस-पास आंकी गई थी।

(ग) इस योजना को राज्य क्षेत्र से धन लगाने के लिए उन्हें वापस कर दिया गया था।

7वीं पंचवर्षीय योजना में बम्बई नगर के विकासार्थ 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान बम्बई में आवास तथा मलिन बस्ती की गहन समस्याओं के समाधान के लिए 100 करोड़ रुपये की राशि नियत की जा रही है।

सूखा पीड़ित राज्यों के लिए केन्द्रीय सहायता के मानदण्डों की पुनरीक्षा

1034 **प्रो० रामकृष्ण मोरे** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य में सूखा राहत उपायों के लिए राज्य सरकारों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता निर्धारित करने के क्या मानदंड हैं;

(ख) क्या विद्यमान मानदंडों के अन्तर्गत सूखा पीड़ित राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहयता की अपर्याप्तता के कारण राज्य सरकारों को अपने संसाधनों का एक बड़ा भाग इस स्थिति से निपटने के लिए खर्च करने पर बाध्य होना पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप ओवर ड्राफ्ट हो जाता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उन मानदंडों की पुनरीक्षा करने का है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) राज्यों के लिए सूखा राहत संबंधी केन्द्रीय सहायता की मात्रा आठवें वित्त आयोग की सिफारिशों तथा उस पर लिए गए सरकार के निर्णय के अनुसार निर्धारित की जाती है। इस प्रयोजन के लिए भारत सरकार प्रभावित क्षेत्र में सम्बन्धित विषयों के विशेषज्ञों का केन्द्रीय दल भेजती है। ये दल प्रभावित क्षेत्र का दौरा करते हैं, सम्बन्धित राज्य सरकारों के अधिकारियों से विचार-विमर्श करते हैं और राज्य सरकार के पास उपलब्ध सीमांत धनराशि, गैर-योजना और योजना के प्रावधानों तथा अन्य संगत एवं सम्बद्ध पहलुओं को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सहायता की मात्रा की सिफारिश करती है। सूखा राहत विभिन्न मदों के लिए दी जाने वाली सहायता का हिसाब लगाने के मानदंड संलग्न विवरण में दिए गए हैं। इन दलों की रिपोर्टों पर उच्चस्तरीय राहत सम्बंधी समिति विचार करती है और उनकी सिफारिशों पर वित्त मंत्रालय सम्बन्धी राज्य सरकार के लिए धनराशि स्वीकृत करके मंजूरी करता है। 19 फरवरी, 1986 की स्थिति के अनुसार सूखा-राहत पर खर्च करने की वजह से किसी भी राज्य ने ओवर-ड्राफ्ट नहीं लिया है।

(ग) केन्द्रीय सहायता का हिसाब लगाने के लिए मानदंडों की संवीक्षा करने और उनमें संशोधन करने की सिफारिश करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है और इस समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट दे दी है, जिस पर सरकार विचार कर रही है।

विवरण

सूखे के लिए केन्द्रीय सहायता हेतु मौजूदा मानदण्डों का विवरण

क्र० स०	मद	मानदण्ड	टिप्पणियां
1.	नि:शुल्क राहत	2/-रुपये प्रति व्यस्क व्यक्ति	बूढ़े और अशक्त लोगों के लिये।
2.	विशेष पोषाहार कार्यक्रम	एक रुपया प्रति व्यस्क व्यक्ति और 0.75 रु० प्रति नाबालिग	यह सहायता बच्चों, गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली महिलाओं को दी जाती है।
3.	चारे की व्यवस्था के लिये सहायता	बड़े पशुओं के लिये 2/– रु० प्रति दिन पशु और छोटे पशुओं के लिये 1/– रु० प्रति दिन पशु।	यह सहायता छोटे और सीमांत किसानों और कृषि मजदूरों को दी जाती है।
4.	रोजगार जुटाना	सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन नियत मजदूरी के बराबर राशि।	न्यूनतम मजदूरी का 75 प्रतिशत मजदूरी घटक के रूप में तथा 25 प्रतशित सामग्री के रूप में।
5.	कृषि आदान राज सहायता	165/-रु० प्रति हैक्टार की दर से।	यह सहायता वैकल्पिक फसलें उगाने के लिये छोटे और सीमांत किसानों को देय है।
6.	पेय-जल कार्यक्रम	केन्द्रीय दल के मूल्यांकन के आधार पर सहायता दी जाती है जिसमें ग्रामीण जल/शहरी जल विभागों के विशेषज्ञ होते हैं।	
7.	अन्य मदें	विभिन्न विशेषज्ञों वाली अन्तर-मन्त्रालय केन्दीय टीम द्वारा मौके पर किये गये मूल्यांकन के आधार पर अन्य मदों के लिये केन्द्रीय सहायता दी जाती है।	

कृषि उत्पादों के लिये विपणन संबंधी आधारभूत सुविधाओं का विकास

1035. श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कृषि उत्पादों के लिए विपणन संबंधी आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) से (ग) कृषि विपणन राज्य का विषय है। अधिकांश राज्य सरकारों ने बाजार पद्धतियों को नियमित करने के लिए कानून बना लिए हैं। विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में 31-3-1985 तक 5695 कृषि मण्डियों को नियमित किए जाने की अनन्तिम तौर पर सूचना मिली है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के अन्तर्गत कृषि मण्डियों के विकास हेतु सहायता उपलब्ध कराई है ताकि कृषक बाजार पद्धति का आसानी से लाभ उठा सकें। 31-3-1985 तक विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को 3030 कृषि मण्डियों के विकास हेतु 5083.61 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता बंटित की गई है।

इसके अतिरिक्त, कृषि लागत तथा मूल्य आयोग ने अपने कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत कृषि वस्तुओं के लिए समर्थन मूल्यों की सिफारिश की है। आवश्यकता पड़ने पर भारतीय खाद्य निगम, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन परिसंघ लिमिटेड, भारतीय कपास निगम, भारतीय जूट निगम आदि जैसी एजेंसियों तथा विभिन्न राज्य स्तरीय सहकारी सोसायटियों द्वारा भी मूल्य समर्थन कार्य किए जाते हैं। विपणन सहकारी सोसायटियां भी अपने सदस्यों की उपज के प्रभावी विपणन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

भारतीय प्रेस परिषद द्वारा प्राप्त शिकायतें

1036. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजी भाई मावणि** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रेस परिषद् को गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से कुछ शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन पर क्या निर्णय लिया गया तथा उसका क्या परिणाम निकला ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) से (ग) जी, हां। गत तीन वर्षों के दौरान प्रेस परिषद् को प्राप्त शिकायतों तथा उन पर लिए गए निर्णयों तथा उनके निष्कर्षों का ब्यौरा भारतीय प्रेस परिषद् की वार्षिक रिपोर्टों, जिन्हें हर वर्ष सदन की मेज पर रखा जाता है, में उपलब्ध है। तथापि, प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 की धारा 13 और धारा 14 के अन्तर्गत परिषद् को प्राप्त शिकायतों की संख्या तथा उन पर दिए गए निर्णयों का ब्यौरा संलग्न **विवरण** में दिया गया है।

विवरण

प्राप्त शिकायतें

वर्ष	धारा 13 के अन्तर्गत	धारा 14 के अन्तर्गत	कुल
1983	75 (इसके अतिरिक्त, परिषद् ने 4 मामलों में स्व-प्रस्ताव से कार्रवाई शुरू करने का निर्णय लिया)	198	79+198=277

वर्ष	धारा 13 के अंतर्गत	धारा 14 के अंतर्गत	कुल
1984	95 (इसके अतिरिक्त, परिषद् ने 2 मामलों में स्व-प्रस्ताव से कार्रवाई शुरू करने का निर्णय लिया)	189	97+189=286
1985	96 (इसके अतिरिक्त, परिषद् ने 7 मामलों में स्व-प्रस्ताव से कार्रवाई शुरू करने का निर्णय लिया)	214	103+214=317

निर्णय दिए गए

वर्ष	दिए गए निर्णयों की संख्या	समर्थित शिकायतें	अस्वीकृत की गई शिकायतें	तय की गई शिकायतें	खारिज की गई शिकायतें	छोड़ी गई शिकायतें
			धारा 13 के अन्तर्गत			
1983	28	9	3	5	8	3
1984	51	21	5	4	16	5
1985	11	3	2	4	1	1
			धारा 14 के अन्तर्गत			
1983	19	10	4	4	1	—
1984	71	33	13	19	2	4
1985	19	10	4	4	1	—

भारत और सोवियत संघ के बीच अलोह धातुकर्म क्षेत्र के संबंध में समझौता

1037. **डा० टी० कल्पना देवी** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और सोवियत संघ के बीच अलोह धातुकर्म क्षेत्र में और सहयोग के लिए एक समझौते पर हाल ही में हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस समझौते में सोवियत संघ में विकसित की गई उन्नत प्रौद्योगिकी भारत को उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था है ?

खान विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) भारत-सोवियत संयुक्त आयोग के अलोह धातु कार्य-दल की जनवरी, 1986 में नई दिल्ली में एक बैठक हुई, जिसके अन्त में, चर्चित विषयों पर, एक संलेख (प्रोतो कोल) पर हस्ताक्षर किये गए। चर्चा आंध्र प्रदेश में एक निर्यात-प्रधान बाक्साइट खनन कम्पलेक्स की स्थापना हेतु सहयोग, गैलीयम, परम शुद्ध एल्यूमिनियम तथा एल्यूमिना निस्तापन के क्षेत्र में आगामी प्रगति हेतु कोरबा (मध्य प्रदेश) एल्यूमिनियम संयंत्र को सहयोग जारी रखने पर हुई थी।

(2) संलेख में तेज गति की शाफ्ट लगाने, तथा सुरंग-निर्माण में सहयोग की भी व्यवस्था है। संलेख में भारतीय कार्मिकों को सोवियत रूस में प्रशिक्षण तथा बहु-धातु अयस्कों की प्रतिनिधि नमूनाकरण विधियों, चुनीदा प्लवन की प्रक्रियाओं के आविष्कारों तथा प्लवन शोधों एवं नव प्लवन कारकों के विकास के सम्बन्ध में भारतीय खान ब्यूरो तथा सोवियत संगठनों के बीच प्रभावी कार्यक्रमों की प्रगति पर हुई चर्चा का भी उल्लेख है।

(3) सोवियत पक्ष ने अलौह धातु सान्द्रों के परिष्कार हेतु अपने यहां विकसित उन्नत प्रौद्योगिकी सम्बन्धी जानकारी भी सुलभ करने की सहमति व्यक्त की। कार्य दल ने 1986-90 हेतु अलौह धातुकर्म क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग के कार्यक्रम पर भी चर्चा पर हस्ताक्षर किए हैं जिसकी कार्यकारी दल की वार्षिक बैठकों में समय-समय पर समीक्षा की जायेगी तथा अद्यतन किया जायेगा।

लाभकारी योजनाओं के बारे में ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता शिविर

1038. **चौधरी अख्तर हसन** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न कार्यक्रमों के अधीन दिये जाने वाले विभिन्न लाभों के बारे में ग्रामीण गरीब लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए सुनिश्चित योजनाएं हैं;

(ख) क्या गैर-सरकारी एजेंसियों द्वारा इस प्रकार के जागरूकता पैदा करने के शिविर आयोजित किये जाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो कब और योजना को कहां पर कार्यान्वित किये जाने की सम्भावना है?

कृषि मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) जी हां। निर्धनता निवारण कार्यक्रमों के लाभार्थियों के संगठन हेतु चालू वर्ष के दौरान एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना आरम्भ की गई है। इस योजना का उद्देश्य लाभार्थियों में जागरूकता पैदा करना तथा उनकी सौदेबाजी करने की स्थिति को मजबूत बनांना है ताकि वे इस प्रकार के कार्यक्रमों से अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें।

(ख) जी हां। गैर-सरकारी एजेन्सियों के सहयोग से जागरूकता पैदा करने के शिविर लगाए जाने का प्रस्ताव है जो कि उनमें आत्मविश्वास पैदा कर सकें।

(ग) केन्द्रीय स्तर पर इस योजना का निष्पादन भारतीय विकास लोक कार्यक्रम (पाडी) द्वारा किया जाएगा। पाडी द्वारा इस प्रकार के शिविरों के लिए तिथियां तथा स्थान निश्चित करने सहित रूपरेखा तैयार की जा रही है।

1984-85 में खाद्य उत्पादन

1039. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1985 में संसद को प्रस्तुत किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में 1984-85 में खाद्य उत्पादन का अनुमान 15.36 करोड़ टन लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय द्वारा अब खाद्य उत्पादन 14.62 करोड़ टन घोषित करने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस विभिन्नता के क्या कारण हैं?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकावना) : (क) से (ग) जी, नहीं। फरवरी, 1985 को संसद में प्रस्तुत किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में यह बताया गया है कि

1984-85 में खाद्यान्न उत्पादन लगभग उतना ही होने की आशा है जितना 1983-84 में अर्थात् 15.5 मिलियन टन। यह अनुमान राज्यों से 1984-85 के खरीफ उत्पादन पर उपलब्ध रिपोर्टों (अन्तिम/अनन्तिम) और रबी फसल के लिए लगाए गए अनुमानों के आधार पर था। फिर भी, 1984-85 के दौरान मानसून के बाद की/जाड़े की ऋतु की कम वर्षा के कारण कई राज्यों में खरीफ/रबी फसलों के उत्पादन पर बुरा असर हुआ, जिसके फलस्वरूप अनुमानों में ह्रसोन्मुखी संशोधन करना पड़ा। इसके परिणामस्वरूप, अब राज्यों से उपलब्ध अंतिम अनुमानों पर आधारित 1984-85 में कुल खाद्यान्न उत्पादन 146.2 मिलियन टन रखा गया है।

चीनी उद्योग संबंधी मजदूरी बोर्ड का अन्तरिम प्रतिवेदन

1040. **श्री बालासाहेब विखे पाटिल** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि दक्षिण क्षेत्र में, जिसमें आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पाँडिचेरी, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और उड़ीसा शामिल हैं, 176 चीनी कारखानों के लगभग 2 लाख श्रमिकों ने अन्तरिम सहायता की मांग की है और अपनी मांगों के समर्थन में सांकेतिक हड़ताल करने का प्रस्ताव रखा है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या श्रमिकों की मांगों पर विचार करने के लिए नियुक्त मजदूरी बोर्ड का अन्तरिम प्रतिवेदन सरकार को प्राप्त हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो श्रमिकों को अन्तरिम सहायता देने के लिए और उनकी सांकेतिक हड़ताल को रोकने हेतु कोई हल खोजने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) चीनी उद्योग संबंधी तीसरे मजदूरी बोर्ड ने श्रमिकों को अन्तरिम सहायता के बारे में अपनी सिफारिशें सरकार को हाल ही में प्रस्तुत कर दीं। सरकार इन सिफारिशों पर विचार कर रही है।

तिलहनों के लिए "थ्रस्ट मिशन" नीति

1041. **श्रीमती किशोरी सिन्हा** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तिलहनों के संबंध में "थ्रस्ट मिशन" स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो आरम्भ की गई परियोजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या यह परियोजना तिलहन सम्बन्धी अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के अतिरिक्त होगी ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) खाद्य और अखाद्य तेलों में शीघ्रातिशीघ्र देश को आत्म निर्भर बनाने तथा विभिन्न विकासात्मक, वैज्ञानिक, निवेश, बैंकिंग और विपणन एजेंसियों को शामिल करके समेकित प्रयास के द्वारा निर्यात को कम करने के लिए सरकार ने एक प्रौद्योगिकी मिशन स्थापित करने का निर्णय लिया है।

यह मिशन निम्नलिखित कार्य करेगा :—

(1) सुनिश्चित निवेश आपूर्ति और प्रौद्योगिकी पैकेजों के द्वारा 180 जिलों में विभिन्न तिलहनी फसलों के उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना;

(2) अधिकतम उत्पादन के लिए प्रत्येक फसल के लिए स्थान विशेष प्रौद्योगिकियों का विकास करना;

(3) प्रजनक बीज, फाउन्डेशन बीज और प्रमाणित बीज को पर्याप्त मात्रा में उत्पादित करना;

(4) आयल पाम और नारियल के टीस्सू कलचर पौधों का बड़े पैमाने पर सम्बर्धन करना;

(5) तिलहनी फसलों के महत्वपूर्ण जर्मप्लाज्मों का आधुनिक तरीके से क्रियो-परिरक्षण और विदेशों से श्रेष्ठ कोटि के तेल वाले पौधों के निर्यात के लिए सुविधाएं जुटाना;

(6) आयल-पाम और नारियल की उच्च कोटि की उपजातीय एवं संकर सामग्रियों के उत्पादन के लिए बीज के बगीचे लगाना;

(7) राष्ट्रीय प्रदर्शनों, परिचालन अनुसंधान प्रायोजनाओं, कृषि विज्ञान केन्द्रों और प्रयोगशाला से भूमि तक कार्यक्रमों के द्वारा चुने हुए ब्लाकों में उन्नत एवं आशा-जनक प्रौद्योगिकियों के बारे में जागृति पैदा करना;

(8) फसल उत्पादन के बारे में विकास कार्य करने वाले कर्मचारियों को नवीनतम प्रौद्योगिकी की जानकारी और प्रशिक्षण देने के लिए उनकी सहायता करना; और

(9) तेल की सुरक्षा और क्वालिटी में सुधार लाने और उत्पादन बढ़ाने के लिए संसाधन प्रौद्योगिकी को आधुनिकबनाने में मदद करना। यह मिशन अप्रेल, 1986 से कार्य करना आरम्भ कर देगा और इसका कार्यकाल चार वर्षों के लिएहोगा।

(ग) जी हां, श्रीमान्।

दूध उत्पादों की उपलब्धता

1042. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1970 में दूध और दूध उत्पादों की प्रति व्यक्ति 107 ग्राम प्रतिदिन की उपलब्धता वर्ष 1984-85 में बढ़कर 144 ग्राम हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1970 और 1984-85 में दूध और दूध उत्पादों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में आयातित/उपहार में दिए गए दूध के पाउडर की प्रति व्यक्ति उपलब्धता की प्रतिशतता क्या थी?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) 1984-85 के दौरान 401.7 लाख मीटरी टन (अनन्तिम) के संशोधित अनुमानित दुग्ध उत्पादन और 7410 लाख की जनसंख्या के आधार पर, देश में 1984-85 के दौरान उत्पादित दूध की प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपलब्धता 148 ग्राम थी, जबकि 1968-69 के दौरान यह 112 ग्राम थी। देश में उत्पादित दूध के अनुमानों में आयातित/उपहार स्वरूप प्राप्त दुग्ध चूर्ण से पुनः तैयार किया गया दूध शामिल नहीं है।

सरकार के स्वामित्व वाले इस्पात संयंत्रों में उत्पादकता

1043. **श्री शरद दिघे : क्या इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के स्वामित्व वाले इस्पात संयंत्रों की उत्पादकता और कार्य-कुशलता में छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 2500 करोड़ रुपये व्यय करने के बावजूद कमी हो रही है;

(ख) क्या ऐसा इस्पात के उत्पादन और परिष्करण के विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति समर्पित किसी शैक्षिक केन्द्र अथवा राष्ट्रीय प्रयोगशाला के न होने के कारण हो रहा है; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) जी, नहीं। छठी योजना के दौरान सरकार के स्वामित्व वाले इस्पात संयंत्रों में क्षमता के उपयोग, उत्पादकता तथा प्रौद्योगिकीय निष्पादन में सुधार हुआ है।

(ख) और (ग) "सेल" का "लोहे और इस्पात के लिए अनुसन्धान और विकास केन्द्र" अनुसन्धान का इसका अपना प्रतिष्ठित संगठन है जो प्रोसेस तथा उत्पाद विकास से सम्बन्धित परियोजनाओं के कार्य में लगा हुआ है। "लोहे और इस्पात के लिए अनुसन्धान और विकास केंद्र" राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला, केन्द्रीय ईंधन अनुसन्धान संस्थान, सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीट्यूट और सी० एस० आई० आर० की प्रयोगशालाओं, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों तथा प्रतिरक्षा संस्थानों जैसे अन्य राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और शैक्षणिक संस्थानों के साथ निकट सहयोग बनाए रखता है।

केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला द्वारा विकसित आलू की नयी किस्में

1044. **श्री के० डी० सुलतानपुरी : क्या कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान विकसित आलू की नयी किस्मों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त किस्मों के अनुसंधान पर कितनी धनराशि खर्च की गयी है; और

(ग) संस्थान में आजकल किस प्रकार का अनुसंधान कार्य किया जा रहा है?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) पिछले 5 वर्षों के दौरान संस्थान ने 5 नई किस्मों को विकसित कर उन्हें रिलीज किया है। ये किस्में हैं— कुफरी बहार (1980), कुफरी लालिमा (1982), कुफरी शेरपा (1983), और कुफरी स्वर्ण (1985)। इन किस्मों के अलावा संकर सहित अनेक ऐसी किस्में हैं जिन्हें संस्थान ने विकसित किया है। ये किस्में आशाजनक पाई गई हैं और निकट भविष्य में इन्हें रिलीज करने की सिफारिश की जा सकती है।

(ख) करीब 37.5 लाख रु०।

(ग) संस्थान द्वारा जिन प्रमुख क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य किया जा रहा है—उसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

1. विभिन्न आनुवंशिक संसाधनों का संग्रह सर्वेक्षण और तालिका तैयार करना।
2. अधिक पैदावार वाली, बेहत्तर क्वालिटी वाली और विशेष रूप से पूर्वी भारत, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र, उत्तरी-पूर्वी भारत और प्रायद्वीपीय भारत के लिए रोग-रोधी नई किस्मों का विकास।
3. नाइट्रोजन और पोटाश की उर्वरक उपयोग क्षमता में सुधार लाना।
4. कृषकों को अधिक आय देने वाली नई और लाभकारी फसल-संयोजन को विकसित करने के लिए आलू पर आधारित सस्य-पद्धति पर अध्ययन।
5. देश की कम से कम तीन चौथाई (3/4) आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रजनक बीज का उत्पादन, उसकी क्वालिटी और मात्रा में सुधार लाना।
6. लेट ब्लाइट, ब्राउन राट, बायरस और माइकोप्लाज्मा रोग के विशेष सन्दर्भ में महत्वपूर्ण कीट-व्याधियों पर अध्ययन एवं प्रबन्ध क्रियाओं को विकसित करना।
7. रोग-रोधी किस्मों और प्रबन्ध-क्रियाओं को विकसित करके दक्षिणी भारत की पहाड़ियों में साइस्ट नेमाटोड का नियंत्रण।
8. फसल को आक्रान्त करने वाले नेमाटोड कीड़ों के निर्धारण के लिए आलू उगाने वाले क्षेत्रों का सर्वेक्षण।
9. फसल में बायोमास उत्पादन की प्रकृति के विषय में अच्छी जानकारी प्राप्त करने के लिए आलू का फोटो-सिन्थेसिस अध्ययन।
10. सिंध-गंगा के मैदान और प्रायद्वीपीय भारत में खाने वाले और बीज आलू के भंडारण की कम खर्चीली विधियों को विकसित करना।
11. भारतीय स्थितियों के लिए उपयुक्त अधिक समय तक भण्डारित की जाने वाली किस्मों की सुव्यवस्था और भण्डारित करने की क्वालिटी के स्वरूप (प्रकृति) पर बुनियादी अध्ययन।
12. आलू के विपणन और उसकी खेती की लागत पर अध्ययन।

त्रिवेन्द्रम दूरदर्शन केन्द्र में निर्मित कार्यक्रमों को कोचीन दूरदर्शन केन्द्र से प्रदर्शित करना

1045. **प्रो० के० वी० थामस : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिवेन्द्रम दूरदर्शन केन्द्र में निर्मित मलयालम कार्यक्रमों को कोचीन दूरदर्शन केन्द्र से प्रदर्शित करने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) कोचीन में रेडियो स्टेशन कब तक कार्य करना आरम्भ कर देगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) दूर संचार विभाग को त्रिवेन्द्रम और कोचीन के बीच माइक्रोवेव लिंक उपलब्ध करने के लिए पक्की मांग भेज दी गई है। इस लिंक के उपलब्ध हो जाने पर, कोचीन का दूरदर्शन ट्रांसमीटर दूरदर्शन केन्द्र, त्रिवेन्द्रम द्वारा तैयार किए जाने वाले कार्यक्रमों को टेलीकास्ट कर सकेगा।

(ख) कोचीन में आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने की स्कीम को आकाशवाणी की सातवीं योजना में शामिल किया गया है। केन्द्र के योजना अवधि के अन्त तक चालू हो जाने की उम्मीद है।

मध्य प्रदेश में नये दूरदर्शन तथा प्रसारण केन्द्र

1046. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में, विशेषकर हरीवल तथा दूर-दराज क्षेत्रों में, नये दूरदर्शन रिले केन्द्र तथा प्रसारण केन्द्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारत सरकार उन प्रस्तावों पर क्या कारगर कदम उठा रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) उन आदिवासी तथा दूरस्थ क्षेत्रों, विशेषकर बेतुल और शहडोल जिलों सहित राज्य में दूरदर्शन सेवा का विस्तार करने के बारे में मध्य प्रदेश सरकार से समय-समय पर अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ग) दूरदर्शन

सातवीं योजना अवधि के दौरान, संसाधनों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए मध्य प्रदेश में संलग्न **विवरण** में दिये अनुसार 26 दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने का प्रस्ताव है। सातवीं योजना की स्कीमों के कार्यान्वित हो जाने पर राज्य के सभी आदिवासी जिलों को पूर्णत: या अंशत: दूरदर्शन सेवा प्राप्त होने की उम्मीद है।

आकाशवाणी

सातवीं योजना में शहडोल, शिवपुरी, सागर, छिंदवाड़ा, बिलासपुर, गुना, बालाघाट, रायगढ़, पूर्वी निमाड (खण्डवा) तथा बेतुल में 10 नये रेडियो स्टेशन स्थापित करने की स्कीमें शामिल की गई हैं। इसके अलावा, भोपाल के शार्टवेव ट्रांसमीटर की शक्ति 10 किलोवाट से बढ़ाकर 50 किलोवाट करने तथा जबलपुर ट्रांसमीटर की शक्ति 20 किलोवाट मीडियम वेव से बढ़ाकर 2×100 किलोवाट मीडियम वेव करने का प्रस्ताव है। इन स्कीमों के कार्यान्वित हो जाने पर मध्य प्रदेश में रेडियो कवरेज बढ़कर जनसंख्या की दृष्टि से 90% से 97% तथा क्षेत्र की दृष्टि से 87% से 95% हो जायेगा।

विवरण

सातवीं योजना अवधि के दौरान मध्य प्रदेश में स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित टी० वी० ट्रांसमीटर

ट्रांसमीटरों का स्थापना स्थल

उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर	अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटर (100 वाट)
1	2
1. जबलपुर (10 किलोवाट)	1. शहडोल
2. जगदलपुर (1 किलोवाट)	2. मंदसौर
3. ग्वालियर (10 किलोवाट)	3. नीमच
	4. झाबुआ

1	2
	5. बेतुल
	6. छिंदवाड़ा
	7. मंडला
	8. बालाघाट
	9. रायगढ़
	10. बैलादिल्ला
	11. गुना
	12. खारगांव
	13. नरसिम्हपुर
	14. पन्ना
	15. शिवपुरी
	16. राजगढ़
	17. सतना
	18. छतरपुर
	19. टीकमगढ़
	20. सिवनी
	21. दमोह
	22. सिधी
	23. अम्बिकापुर

दूरदर्शन विज्ञापनदाताओं द्वारा दूरदर्शन के कैमरा-दल तथा अन्य उपकरणों का उपयोग

1047. **श्री एस. एम. गुरड्डी** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूरदर्शन विज्ञापनदाताओं द्वारा प्रायोजित 'हम लोग' सोप ओपेरा में दूरदर्शन के कैमरा-दल तथा अन्य उपकरणों का निर्बाध रूप से उपयोग किया गया है;

(ख) क्या 'हम लोग' के निर्माताओं ने "इलेक्ट्रीकल मल्टीपल यूनिट" तथा अन्य उपकरणों का उपयोग किया है; और

(ग) क्या दूरदर्शन के इन उपकरणों के उपयोग के लिए निर्माता किराया देते रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय का राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) दूरदर्शन ने धारावाहिक "हम लोग", जिसका निर्माण और रिकार्डिंग एक निजी स्टूडियो में की जाती थी, के लिए अपने कैमरा-दल और उपकरणों का उपयोग करने की कभी भी अनुमति नहीं दी है, प्रेस में छपे कुछ ऐसे आरोप कि "हम लोग" दल के लिए दूरदर्शन का स्टाफ कार्य करता रहा था, ध्यान में आए थे। इनकी जांच पड़ताल की गई थी, किंतु इस आरोप के समर्थन में कोई निर्णायक साक्ष्य नहीं पाया जा सका।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

मत्स्य नौकाओं का पंजीकरण

1048. **श्री हुसैन दलवाई :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा शुल्क अधिनियम के अंतर्गत मत्स्य नौकाओं का पंजीकरण कराना अपेक्षित है;

(ख) क्या भारतीय सामुद्रिक अधिनियम के अंतर्गत मत्स्य नौकाओं का कोई पंजीकरण किया जाता है;

(ग) क्या इन मत्स्य नौकाओं से यह अपेक्षित है कि वह मछली पकड़ने की अपनी गतिविधियां अपने पंजीकरण के मूल पत्तन क्षेत्र में ही सीमित रखें, और

(घ) यदि नहीं, तो क्या इन मत्स्य नौकाओं की किसी भी पत्तन पर, जहां मछलियां सुगमता से उपलब्ध हों, जोकर मछली पकड़ने की अनुमति है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं।

(ख) 15 टन से बड़े प्रत्येक भारतीय जहाज को मर्चेंट शिपिंग एक्ट, 1958 के अंतर्गत पंजीकृत करना होता है, न कि भारतीय सामुद्रिक अधिनियम के अंतर्गत। 15 टन से हल्के जहाजों को महाराष्ट्र में 1829 कोस्टिंग वैसल्ज एक्ट के अंतर्गत तथा अन्य राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के कुछेक हिस्सों में हार्बर क्राफ्ट नियमों के अंतर्गत पंजीकृत करना होता है।

(ग) और (घ) मर्चेन्ट शिपिंग एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत मछली पकड़ने वाले जहाजों के भारतीय एकमात्र आर्थिक क्षेत्र में चलने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, बशर्ते कि वे संबंधित राज्यों द्वारा निर्धारित समुद्र में मछली पकड़ने संबंधी विनियमों का पालन करते हों। लेकिन हार्बर क्राफ्ट नियमों और कोस्टिंग वैसल्ज एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत नौकाओं के चलने पर कुछेक राज्यों/पत्तनों में प्रतिबंध है।

उद्घोषकों और समाचार वाचकों को प्रशिक्षण देने के लिये विशेष पाठ्यक्रम

1049. **श्रीमती शीला दीक्षित** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन कार्यक्रमों के विस्तार और उनकी वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सरकार उद्घोषकों और समाचार वाचकों को प्रशिक्षित करने हेतु कोई संस्थान अथवा विशेष पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो यह संस्थान कहां स्थित होगा अथवा पाठ्यक्रम कहां प्रारम्भ किये जायेंगे ; और

(ग) इनके कब तक कार्य प्रारम्भ करने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) से (ग) दूरदर्शन की कार्यक्रम और इंजीनियरी स्कन्धों में कार्यरत कर्मचारियों की समग्र प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करने की स्कीम दूरदर्शन की सातवीं योजना में शामिल की गई है। संस्थान की जगह का चयन अभी नहीं हुआ है। इस अवस्था पर अभी यह बताना भी कठिन है कि संस्थान अन्तिम रूप से अपना कार्य कब शुरू करेगा।

मोटे अनाज के उत्पादन में गिरावट

1050. **श्री तारिक अनवर**
श्री काली प्रसाद पाण्डेय } : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोटे अनाज के उत्पादन लक्ष्य प्राप्त होने की संभावना नहीं है और यदि नहीं, तो कितनी गिरावट होने की संभावना है और इसके लिए क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ख) संसाधनात्मक कठिनाइयों को दूर करने के लिए योजना का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) खरीफ मौसम के दौरान प्रतिकूल मौसम की परिस्थिति को देखते हुए 1985-86 के लिए निर्धारित किए गए मोटे धान्यों के उत्पादन लक्ष्य प्राप्त होने की संभावना नहीं है। तथापि, गिरावट की मात्रा अभी बतलाना संभव नहीं है क्योंकि मोटे धान्यों के उत्पादन के अंतिम अनुमान अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान केन्द्र ने मोटे धान्यों का उपजाति सुधार संबंधी कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के तहत, विभिन्न कृषि-जलवायु संबंधी परिस्थितियों के लिए उचित किस्मों का विकास करने के संबंध में अनुसंधान तेज किया गया है। सोरघम, बाजरा, मक्का और छोटे कदन्नों के लिए फसल सुधार परियोजनाएं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के घटक के रूप में उसके संस्थानों तथा सम्पूर्ण देश में कृषि विश्वविद्यालयों में कार्य कर रही हैं।

मोटे अनाज का उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए पनधारा प्रबंध के आधार पर वर्षासिंचित खेती की प्रौद्योगिकी का संवर्धन करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं।

हाल में निर्मुक्त की गई किस्मों को लोकप्रिय बनाने, विस्तार कार्मिकों के प्रशिक्षण तथा आदिवासी क्षेत्रों में मक्का संबंधी प्रदर्शनों के माध्यम से नई उत्पादन प्रौद्योगिकी का प्रचार करने के लिए कदन्न के मिनिकिट कार्यक्रम की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना क्रियान्वित की जा रही है।

दूरदर्शन कार्यक्रम निर्माण केन्द्र, पटना का कार्य

1051. **श्री सी० पी० ठाकुर** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पटना स्थित दूरदर्शन कार्यक्रम निर्माण केन्द्र पटना का कार्य आरम्भ होने के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या पर्याप्त स्थानीय कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिये पटना में दो चैनलों की आवश्यकता है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गये है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) सातवीं योजना अवधि के दौरान पटना में पूर्ण रूपेण रंगीन दूरदर्शन स्टूडियो केन्द्र स्थापित करने के लिए जो स्थान चुना गया है उसका एक भाग बिहार सरकार ने हाल ही में सौंपा है। परियोजना के लिए सरकार को औपचारिक स्वीकृति प्राप्त करने और डिजाइन पहलुओं को अंतिम रूप देने के लिए कारंवाई शुरू कर दी गई है।

(ख) और (ग) पटना का प्रस्तावित दूरदर्शन स्टूडियो केन्द्र पटना सहित समूचे बिहार के अनुरूप कार्यक्रम तैयार करेगा। पटना तथा रांची के उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर तथा कटिहार और डालटनगंज में प्रस्तावित ट्रांसमीटरों के बीच माइक्रोवेव लिंक स्थापित करने की स्कीमें दूरदर्शन की सातवीं योजना में शामिल की गई हैं ताकि उत्तरोक्त पटना में तैयार होने वाले कार्यक्रमों को रिले कर सकें। पटना में "द्वितीय चैनल" शुरू करने का प्रस्ताव नहीं है।

[हिंदी]

आजमगढ़ (उ० प्र०) में इस्पात संयंत्र स्थापित करना

1052. **श्री राजकुमार राय** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आजमगढ़ जिला राज्य का बहुत ही पिछड़ा जिला है, सरकार का वहां इस्पात संयंत्र लगाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) किसी क्षेत्र में इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए किन आवश्यकताओं को पूरा करना आवश्यक होता है; और

(घ) क्या आजमगढ़ जिला उन अवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) इस्पात की मांग और संसाधनों की समग्र अड़चनों की तुलना में जिन क्षमताओं के बारे में योजना बनायी गयी है तथा जिन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है, उनको देखते हुए निकट भविष्य में आजमगढ़ में एक नया कारखाना स्थापित करना संभव नहीं होगा।

[अनुवाद]

विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र

1053. **श्री श्रीराममूर्ति भट्टम** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में घोषित की गई अद्यतन पुनरीक्षित लागत के अनुसार विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र की पुनरीक्षित अनुमानित लागत कितनी है;

(ख) अब तक उस पर कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है तथा सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी धनराशि खर्च करने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या 34 लाख टन की उसकी क्षमता को कम किया जा रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो 13 लाख टन, तथा 34 लाख टन दोनों स्तरों पर उस संयंत्र की इष्टतम क्षमता कब तक पूरी होगी ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) वर्ष 1985 की पहली तिमाही के मूल्यों के अनुसार पहले से अनुमोदित धारणा के लिए लगभग 7500 करोड़ रुपए के संशोधित लागत अनुमान की तुलना में लगभग 6000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एक युक्तिसंगत संशोधित धारणा सरकार के विचाराधीन है।

(ख) दिसम्बर, 1985 तक विशाखापत्तनम इस्पात परियोजना पर 2037 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। सातवीं योजना में विशाखापत्तनम इस्पात कारखाने के लिए कुल 2500 करोड़ रुपए की व्यवस्था है।

(ग) और (घ) "युक्तिसंगत संशोधित परियोजना धारणा में तप्त धातु की क्षमता उतनी ही रखने की परिकल्पना की गई है। परन्तु द्रव इस्पात की वार्षिक क्षमता में मामूली कमी होगी अर्थात् वार्षिक क्षमता 34 लाख टन से कम करके 30 लाख टन की जाएगी। इसके परिणामस्वरूप विक्रेय इस्पात की वार्षिक क्षमता 29.83 लाख टन से घटकर 26.56 लाख टन रह जाएगी, परन्तु बिक्री के लिए कच्चे लोहे की वार्षिक क्षमता 2.15 लाख टन से बढ़कर 5.70 लाख टन हो जाएगी। अतः विशाखापत्तनम इस्पात परियोजना में विक्रेय लोहे तथा इस्पात की क्षमता 31.98 लाख टन के पहले से प्रत्याशित स्तर से बढ़कर 32.26 लाख टन हो जाएगी।

सरकार के विचाराधीन संशोधित धारणा के अनुसार पहले चरण के वर्ष 1988 में तथा दूसरे चरण के वर्ष 1990 में पूरा होने का प्रस्ताव है।

इस्पात उद्योग का पर्यावरण पर प्रभाव

1054. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनसंख्या संबंधी विश्व के एक संस्थान "स्टेट आफ दी वर्ल्ड एस० ओ० टी० डब्ल्यू० 1985" में कहा है कि भारत के इस्पात उद्योग से अन्य देशों की तुलना में वायुमण्डल में इतना अधिक कार्बन डायोक्साईड फैल रहा है कि प्राकृतिक संतुलन और पारिस्थितिकी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके प्रतिवेदनों में दिए गए विस्तृत सुझाव क्या हैं; और

(ग) पर्यावरण और पारिस्थितिकी को उत्पन्न खतरे से निवटने के लिए सरकार का विचार क्या उपाय करने का है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) और (ख) "स्टेट आफ दी वर्ल्ड" (एस० ओ० टी० डब्ल्यू०) 1985 का कोई प्रतिवेदन न तो "सेल" में और न ही विभाग में प्राप्त हुआ है और न ही उन्होंने इसे देखा है।

(ग) "सेल" ने वातावरण में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कई कदम उठाये हैं। इस्पात करखानों तथा बस्तियों के अन्दर और उनके आसपास वृक्ष लगाने का एक नियमित कार्यक्रम शुरू किया गया है। भिलाई इस्पात कारखाने तथा राउरकेला इस्पात कारखाने में वायु प्रदूषण तथा इससे सम्बद्ध मामलों के बारे में विख्यात, राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा अध्ययन किए गए हैं। बोकारो इस्पात कारखाने द्वारा अपने ही संसाधनों से इसी प्रकार के उपाय किये गये हैं। दुर्गापुर इस्पात कारखाने तथा इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, बर्नपुर में इसी प्रकार के उपाय करने के लिए विभिन्न अभिकरणों के साथ बातचीत चल रही है। सातवीं योजनावधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए, प्रदूषण पर और नियंत्रण रखने हेतु कार्यवाही की योजनाओं की रूपरेखा भी तैयार की गयी है।

राज्यों द्वारा पंचवर्षीय संदर्शी योजनाएं तैयार करना

1055. **डा० जी० विजयरामा राव** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों द्वारा समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पंचवर्षीय संदर्शी योजनाएं तैयार की जाती थीं, और यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या प्रत्येक राज्य ने सभी जिलों को इसमें शामिल किया था और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या स्थापित तथा मन्यताप्राप्त स्वैच्छिक अभिकरणों तथा वैज्ञानिक अनुसंधान एककों की सेवाओं का पूरा लाभ उठाया गया था;

(घ) क्या सभी राज्यों द्वारा संदर्शी योजनाओं के मार्ग निर्देशों का पूरी तरह पालन किया था और उन्हें लागू किया था; और

(ङ) क्या मार्गनिर्देशों के अनुसार पारिवारिक और सामूहिक योजनाएं भी तैयार की गई थीं और यदि नहीं, तो क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) से (ङ) ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी की गई मार्गदर्शिकाओं में सभी विकास खण्डों में पंचवर्षीय संदर्शी योजनाएं तैयार करने की अपेक्षा की

गई है। इन योजनाओं का उद्देश्य स्थानीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना, चल रहे विभिन्न कार्यक्रमों में समन्वय सुनिश्चित करना तथा ग्रामीण निर्धनों के लिए आर्थिक रूप से सक्षम गतिविधियां उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विकास योजनाएं तैयार करना है। कार्यान्वियन एजेन्सियों को वैज्ञानिक तथा अनुसंधान संस्थाओं और मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक एजेन्सियों में स्थानीय रूप से उपलब्ध विशेषज्ञों को लेने की सलाह दी गई है। विभाग द्वारा प्राप्त कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन की मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, नमूने में शामिल 50 प्रतिशत से अधिक जिलों में संदर्शी योजनाएं तैयार कर दी गई थीं। कुछ जिलों द्वारा स्वैच्छिक संगठनों तथा अनुसंधान संस्थाओं की सेवाओं का उपयोग किया गया था कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन की रिपोर्ट के अनुसार नमूना जिलों में सामूहिक योजनाएं तैयार नहीं की गई हैं। जिला स्तर पर संदर्शी योजनाएं तैयार करने के महत्व को जो कि खण्डों की संदर्शी योजनाओं तथा सामूहिक योजनाओं से समन्वित किया जाना चाहिए, को निष्कर्षों पर अनुवर्ती कारंवाई के रूप में राज्यों से पुनः दोहराया गया है।

महाराष्ट्र में परभनी शहर में आकाशस्टूडियो भवन का निर्माण

1056. **श्री आर० एन० यादव** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र राज्य के परभनी शहर में आकाशवाणी स्टूडियो भवन के निर्माण कार्य में कितना प्रगति हुई है;

(ख) इसके निर्माण कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(ग) क्या सरकार का विचार परभनी से आकाशवाणी के कार्यक्रमों का स्वतन्त्र प्रसारण आरम्भ करने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) से (ग) आकाशवाणी ने अपनी सातवीं योजना में महाराष्ट्र में परभनी में स्थायी स्टूडियो, टाइप । (आर), स्थापित करने की स्कीम की है। प्रस्तावित स्टूडियो के लिए एक उपयुक्त जगह का 3-6-85 को अधिग्रहण कर लिया गया है। परियोजना के लिए वास्तु आयोजना तथा पद्धति डिजाइन तैयार की कारंवाई शुरू कर दी गई है। वार्षिक योजनाओं के अन्तर्गत धनराशि के आबंटन के अधीन रहते हुए, स्टूडियो के योजना अवधि के दौरान मुकम्मल हो जाने की उम्मीद है। इन स्टूडियो के साथ, केन्द्र मूल रूप से कार्यक्रम प्रसारित करने वाले स्वतंत्र पूर्ण रूपेण रेडियो स्टेशन के रूप में कार्य करेगा।

यूरिया का आयात

1057. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां**
श्री सरफराज अहमद
श्री एम० रघुमा रेड्डी } : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का विचार चालू वर्ष में यूरिया का आयात करने का है;

(ख) यदि हां, तो आयात किए जाने वाले यूरिया की विदेशी मुद्रा में मूल्य सहित मात्रा क्या है;

(ग) क्या उन देशों के नाम क्या हैं, जिनसे इसके आयात किए जाने की संभावना है;

(घ) देश में ही मांग को किस सीमा तक पूरा किया जायेगा और यदि कोई अन्तर रहता है, तो उसे यूरिया का आयात कर पूरा किया जायेगा; और

(ङ) क्या यूरिया के आयात से स्वदेशी उत्पादन के मूल्य पर प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) ये ब्यौरे देना सार्वजनिक हित में नहीं होगा।

(ङ) जी नहीं।

पीतमपुरा, दिल्ली में टेलीविजन टावर का निर्माण

1058. **श्री वाई० एस० महाजन : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पीतमपुरा, दिल्ली में नेशनल बिल्डिंग कंसट्रक्शन कार्पोरेशन द्वारा निर्माण की जा रही टी० वी० टावर परियोजना जो 1982 से शुरू किया गया था के डिजाइन से भारी संकल्पनात्मक परिवर्तनों और सलाहकारों के चयन के मामले में विवाद होने के कारण अभी तक पूरी नहीं हुई है; और

(ख) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि टी० वी० टावर परियोजना शीघ्रातिशीघ्र पूरी हो जाए क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) परियोजना की वास्तु संकल्पना और डिजाइन पैरामीटरों को अंतिम रूप देने में लिए गए समय के कारण पीतमपुरा में टी० वी० टावर के निर्माण में विभिन्न अवस्थाओं पर विलम्ब हुआ था। जो कठिनाइयां आईं, उन में से अधिकांश पर काबू पा लिया गया है तथा आशा है कि निर्माण कार्य 1987 तक पूरा हो जाएगा।

अहमदाबाद में टी० वी० स्टुडियो का चालू होना

1059. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद में वर्ष 1986 के अंत तक टी० वी० स्टुडियो चालू हो जाने की संभावना है;

(ख) क्या यह टी०वी० स्टुडियो सीधे अहमदाबाद दूरदर्शन केन्द्र से कार्यक्रम प्रदर्शित करेगा;

(ग) क्या अहमदाबाद स्थित टी०वी० स्टुडियो से प्रसारित किया जाने वाला कार्यक्रम के सम्बन्ध में कोई अग्रिम योजना बनाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी०एन० गाडगिल) : (क) और (ख) अहमदाबाद में अंतरिम कार्यक्रम निर्माण सुविधा पहले ही उपलब्ध है। अहमदाबाद में पूर्णरूपेण दूरदर्शन स्टूडियो केन्द्र के 1986-87 के अन्त तक मुकम्मल हो जाने की उम्मीद है। इस स्टूडियो केन्द्र में तैयार किए जाने वाले कार्यक्रमों को अहमदाबाद में पहले ही कार्य कर रहे 10 किलोवाट के ट्रांसमीटर द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा।

(ग) और (घ) केन्द्र से गुजरात के विभिन्न वर्गों के दर्शकों के अनुरूप कार्यक्रमों को प्रतिदिन लगभग 2½-3 घंटे के लिए प्रस्तुत करने की उम्मीद की जाती है। इसके प्रेषण में स्पेस एप्लीकेशन्स सेंटर, अहमदाबाद के विकास संबंधी कार्यक्रम भी शामिल होंगे तथा सामान्यतः समाचार, सामयिक मामलों वृत्तचित्रों, टी०वी० फीचरों, संगीत, नृत्य, आदि जैसे कार्यक्रम शामिल होंगे। केन्द्र दिल्ली से प्रस्तुत होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम को भी रिले करेगा।

असम में पशु प्रजनन में सुधार

1060. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि जर्सी, होलस्ट्रीन आदि विदेशी नस्ल के सांडों के संकर प्रजनन के माध्यम से स्थानीय गायों की दूध देने की क्षमता में सुधार करने के कार्यक्रम का असम में कोई विशेष प्रभाव नहीं हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो असम में पशुओं की उत्पादकता में सुधार करने हेतु पशु विकास का कार्य तेज करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) जानकारी असम सरकार से एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही उसे लोक सभा में प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

पशु पालन और डेरी विकास क्षेत्र के लिए वित्तीय आवंटन

1061. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87 में पशुपालन और डेरी विकास क्षेत्र के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ख) वर्ष 1986-87 में उक्त प्रयोजन के लिए विभिन्न राज्यों को कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ग) वर्ष 1985-86 में मध्य प्रदेश के लिये उक्त प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) पशुपालन तथा डेरी विकास क्षेत्र के लिए 1986-87 में वार्षिक योजना परिव्यय को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) पशुपालन तथा डेरी और डेरी विकास क्षेत्र के लिए संघ राज्य क्षेत्रों तथा मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा की आवंटित रकम निम्नवत् है :—

1986-87

(लाख रुपए)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुमोदित परिव्यय		योग
	पशुपालन	डेरी उद्योग	
1 2	3	4	5
1. अन्दमान तथा निकोबार	50.00	—	50.00
2. अरुणाचल प्रदेश	146.00	20.50	166.50
3. दादर तथा नगर हवेली	18.75	3.60	22.35
4. गोवा, दमन और दीव	85.00	15.00	100.00
5. मिजोरम	174.00	11.00	185.00
6. पांडीचेरी	68.17	6.61	74.78

1	2	3	4	5
7.	चंडीगढ़	17.00	—	17.00
8.	दिल्ली	117.00	—	117.00
9.	लक्षद्वीप	45.00	—	45 00
10.	मध्य प्रदेश	574.00	98.00	672.00
11.	मणिपुर	100.00	60.00	160.00
12.	मेघालय	130.00	20.00	150.00
13.	त्रिपुरा	210 00	40.00	250.00

अन्य राज्यों के आवंटन को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) 1985-86 के दौरान मध्य प्रदेश को आवंटित की गई धनराशि नीचे दी गई है :—

	(लाख रुपए)
पशुपालन	— 506
डेरी	— 94
योग	— 600

उद्यान विकास कार्यक्रम

1062. **श्री एम० रघुमा रेड्डी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के लिए कोई उद्यान विकास कार्यक्रम बनाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी लक्ष्य तथा ब्यौरा क्या है;

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना में इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(घ) आन्ध्र प्रदेश में उद्यान विकास के लिए परियोजनाओं बजट आवंटन का ब्यौरा क्या है?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना में बागवानी संबंधी फसलों के लिए उत्पादन के निम्नलिखित लक्ष्यों का प्रस्ताव किया गया है :—

फसलें	सातवीं योजना के लक्ष्य :
(1) फल	280.00 लाख मीटरी टन
(ख) आलू के अलावा सब्जियां	400.00 लाख मीटरी टन
(3) आलू	160.00 लाख मीटरी टन
(4) काजू	3.25 लाख मीटरी टन
(5) नारियल	80,0 0 लाख गिरि

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान बागवानी विकास के लिए केन्द्रीय शेयर के रूप में 25 करोड़ रुपए की धनराशि निर्धारित की गई है।

(घ) आन्ध्र प्रदेश में बागवानी विकास के लिए सातवीं योजना अवधि के दौरान केन्द्र द्वारा मंजूर की गई योजनाओं के ब्यौरे निम्नवत् हैं :—

		(लाख रुपए में)
क्रम संख्या	योजना का नाम	आन्ध्र प्रदेश को आवंटित धनराशि (1985-86)
(1)	नारियल के विकास के लिए पैकेज कार्यक्रम	2.54
(2)	नारियल विकास बोर्ड की परियोजना	9.284
(3)	काजू विकास संबंधी पैकेज कार्यक्रम	15.617
(4)	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा वनस्पतियों का उत्पादन बढ़ाने के लिए मिनीकिट वितरण संबंधी कार्यक्रम	3.00

मूल्य वृद्धि के सम्बन्ध में लघु इस्पात संयंत्र मालिकों से प्राप्त अभ्यावेदन

1063. **श्री प्रकाश वी० पाटिल** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को लघु इस्पात संयंत्रों के मालिकों से इस आशय का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि ग्रेफाइट, लौह मिश्रिम धातुओं रिफैक्ट्रीज आदि जैसे सभी आवश्यक आदानों के मूल्य बढ़ जाने के कारण उन्हें भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या उन्होंने यह भी कहा है कि भारी मात्रा में आयातित इलैक्ट्रोड के जमा होने के कारण उनकी स्थिति और नाजुक हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार इस सम्बन्ध में क्या उपाय करने का है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) इन वस्तुओं पर कोई मूल्य-नियंत्रण नहीं है और उनके मूल्य बाजार की स्थितियों पर निर्भर करते हैं।

"सेल" नियंत्रणाधीन इस्पात संयंत्रों का कार्य-निष्पादन

1064, **श्री शिवेंद्र बहादुर सिंह** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) के अधीन के इस्पात संयंत्रों का वार्षिक सकल लाभ क्या है और लौह पिण्ड तथा परिष्कृत इस्पात की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है, कितना उत्पादन हुआ, कितनी क्षमता का उपयोग हुआ, श्रमिक उत्पादकता क्या है और कितना निर्यात हुआ;

(ख) पूरी क्षमता के उपयोग में बाधा आने के यदि कोई कारण हैं तो वे क्या हैं; और

(ग) अपेक्षित संशोधन करने की दिशा में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) 'सेल' के कारखानों के लाभ तथा हानि के बारे में कारखाना-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

	कराधान के बाद लाभ/हानि (—)		करोड़ रुपये
कारखाना	1982-83	1983-84	1984-85
1	2	3	4
भिलाई इस्पात कारखाना	19.95	2.83	49.28
दुर्गापुर इस्पात कारखाना	(—) 44.23	(—) 63.73	(—) 53.36
राउरकेला इस्पात कारखान	(—) 74.99	(—) 100.32	27.10
बोकारो इस्पात कारखाना	18.09	0.55	11.47
मिश्र इस्पात कारखाना	(—) 15.31	(—) 33.75	(—) 30.02
सेलम इस्पात कारखायां	(—) 14.21	(—) 18.08	0.53
अन्य इकाइयां	4.94	3.63	(—) 0.76
स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड	(—)105.76	(—)214.53	4.24
इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड	(—) 71.05	(—) 24.06	(—) 81.60

पिछले तीन वर्षों के दौरान "सेल" के कारखानों में इस्पात पिण्ड तथा विक्रेय इस्पात की वार्षिक निर्धारित क्षमताओं और उत्पादन का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(हजार टन)

कारखाना/मद	वार्षिक क्षमताएं	1982-83		1983-84		1984-85		1985-86 अप्रैल, 85—जनवरी, 86		
		उत्पादन	क्षमता के उपयोग का प्रतिशत	उत्पादन	क्षमता के उपयोग का प्रतिशत	उत्पादन	क्षमता के उपयोग का प्रतिशत	योजना	उत्पादन	क्षमता के उपयोग का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
इस्पात पिण्ड										
भिलाई	2500	2130	85	1837	73	1998	77*	2085	1916	74*
दुर्गापुर	1600	952	60	806	50	760	48	748	716	54
राउरकेला	1800	1144	64	1088	68	1119	62	1038	973	65
बोकारो	2500	1829	73	1681	67	1925	77	1905	1623	78
इस्को	1000	624	62	543	54	444	44	488	458	55
कुल:	9400	6679	71	5955	63	6246	66*	6264	5686	68*
विक्रेय इस्पात										
भिलाई	1965	1838	94	1575	80	1810	90*	1660	1629	82*
दुर्गापुर	1239	813	66	602	49	621	50	575	551	53
राउरकेला	1225	992	81	862	70	1013	83	819	776	76
बोकारो	1971	1529	78	1288	65	1459	74	1413	1375	84
इस्को	800	500	63	444	55	380	48	390	398	60
कुल :	7200	5672	79	4771	66	5283	73*	4857	4730	74*

*भिलाई में 25 लाख टन चरण के सन्दर्भ में।

पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति-व्यक्ति/प्रति वर्ष इस्पात पिण्ड के उत्पादन के सन्दर्भ में "सेल" के सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों (वर्क्स परसोनल) की श्रम-उत्पादकता का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

	श्रम उत्पादकता प्रति–व्यक्ति/प्रतिवर्ष इस्पात पिण्ड का उत्पादन		
कारखाना	1982-83	1983-84	1984-85
भिलाई इस्पात कारखाना	71	63	69
बोकारो इस्पात कारखाना	72	63	69
दुर्गापुर इस्पात कारखाना	39	34	31
राउरकेला इस्पात कारखाना	44	42	43
इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड	34	28	22

वर्ष 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के दौरान "सेल" द्वारा इस्पात के निर्यात का ब्यौरा इस प्रकार है :—

वर्ष	मात्रा	मूल्य
1982-83	11.04	229.0
1983-84	24.4	229.0
1984-85	153.4	3441.7

(ख) और (ग) "सेल" के कारखाने मुख्यतः बेहतर क्वालिटी के कोककर कोयले की कठिनाई, अन्य कच्चे माल की घटिया क्वालिटी, सार्वजनिक संस्थानों से बिजली की अपर्याप्त सप्लाई, अप्रचलित प्रौद्योगिकी तथा पुराने उपस्करों के कारण अपनी निर्धारित क्षमता पर उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। राख की कम मात्रा वाले कोककर कोयले के आयात सहित बेहतर क्वालिटी आदानों विशेषतया कोककर कोयले की पर्याप्त तथा वांछित मात्रा में सप्लाई, कच्चे माल की क्वालिटी में सुधार, गृहीत विद्युत उत्पादन को इष्टतम स्तर तक बढ़ाने, उपस्करों का सुव्यवस्थित ढंग से रख-रखाव तथा प्रौद्योगिकीय मानकों का आसंजन सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। राउरकेला, बोकारो और दुर्गापुर में गृहीत विद्युत क्षमता स्थापित की जा रही है।

रोजगार की स्थिति में सुधार करने के लिए भर्ती प्रक्रिया में परिवर्तन करना

1065. **श्री राधाकान्त डिगाल :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षित युवकों को बेहतर तथा पूर्ण रोजगार प्रदान करने के लिए भर्ती प्रक्रिया में कतिपय परिवर्तन करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो सरकार को इस सम्बन्ध में विभिन्न पक्षों से प्राप्त सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सरकार द्वारा क्रियान्वित किये जाने वाले प्रस्तावित सुझावों का ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) भारत सरकार के विचाराधीन कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को मद्दे नजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

प्राकृतिक आपदाओं को रोकने के लिए उपाय

1066. श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूखा और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं को रोकने के लिए दीर्घावधिक उपाय की आवश्यकता के बारे में उनकी राज्यों के कृषि मन्त्रियों के साथ हाल ही में हुई बैठक में किए गए निर्णय का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक योजना अवधि के अन्तर्गत केन्द्र द्वारा कितनी सहायता राशि दी गई है;

(ग) प्रत्येक योजना अवधि में राज्यों ने कितनी सहायता राशि की मांग की; और

(घ) मांग और स्वीकृत राशि का अनुपात क्या है?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) राज्य के राजस्व मंत्रियों का एक सम्मेलन 16 जनवरी, 1986 को हुआ था। इसमें निम्नलिखित मुख्य सिफारिशें की गई :—

(1) विभिन्न विपदाओं के लिए केन्द्रीय सहायता की विभिन्न मदों के मानदंडों से राज्यों को अवगत किया जाएगा ताकि उनके ज्ञापन अधिक यथार्थवादी बन सकें।

(2) दो कार्यकारी दल, एक सूखा तथा बाढ़ सम्बन्धी माडल ज्ञापन तैयार करने के लिए दूसरा विपदा के दौरान संचार प्रणाली के लिए गठित किया जाएगा।

(3) सूखे के दौरान राहत कार्यों के कार्यकलापों को रियायती दरों पर खाद्यान्नों का वितरण किया जाएगा।

(ख) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

कृषि अनुसंधान केन्द्रों की उपलब्धियां

1067. डा० सी० एस० वर्मा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कृषि अनुसंधान केन्द्रों की पिछले तीन वर्षों की उपलब्धियां क्या हैं और उपलब्धियों की तुलना में उन पर किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : 1984-85 वर्ष के दौरान मौजूद भा०कृ०अ०प० के अनुसंधान संस्थानों, राष्ट्रीय ब्यूरो और राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों की सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है। विवरण-I में दिये गए अनुसंधान संस्थानों की उपलब्धियों का ब्यौरा वर्ष, 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग की वार्षिक रिपोर्ट में दिया गया है जिसे पहले ही बजट सत्र के दौरान लोक सभा और राज्य सभा के पटल पर रखा गया है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान विवरण-I में दिए गए अनुसंधान संस्थानों पर होने वाले खर्च का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

इन संस्थानों पर किया गया खर्च अनुसंधान उपलब्धियों के अनुरूप है।

विवरण-I

भा०कृ०अ०प० के संस्थान, राष्ट्रीय ब्यूरो एवं राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों की सूची

भा० कृ० अ० प० के संस्था

1. भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली-110012
2. भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान, लाइब्रेरी एवेन्यू, नई दिल्ली-110012
3. केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक (उड़ीसा) 753006
4. भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ (उत्तर प्रदेश) 226002
5. गन्ना प्रजनन संस्थान, कोयम्बटूर (तमिलनाडु) 641007
6. केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, न्यू रामदास पेठ, नागपुर (महाराष्ट्र) 440010
7. कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान प्रयोगशाला, माटुंगा, बम्बई-400019
8. जूट कृषि अनुसंधान संस्थान, बेरकपुर, (पश्चिम बंगाल) 743101
9. जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान प्रयोगशाला रीजेंट पार्क, कलकत्ता (पश्चिम बंगाल) 700040
10. केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान, राजामुन्द्री (आंध्र प्रदेश) 533104
11. केन्द्रीय बागानी फसल अनुसंधान संस्थान, पोस्त कुडलू, कासरगोड (केरल) 670124
12. भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान हासरघाट्टा लेक पोस्ट, बंगलौर (कर्नाटक) 560089
13. उत्तरी मैदानी क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय बागवानी संस्थान, महानगर, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) 226006
14. केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला (हिमाचल प्रदेश) 171001
15. केन्द्रीय कंदवर्गीय फसल अनुसंधान संस्थान, श्रीकरियम, त्रिवेन्द्रम (केरल) 695017
16. केन्द्रीय मिट्टी और संरक्षण अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, कोलागढ़ रोड, देहरादून (उ० प्र०) 248195
17. केन्द्रीय मृदा लवणीयना अनुसंधान संस्थान, करनाल (हरियाणा) 132001
18. केन्द्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर, (राजस्थान) 342001
19. केन्द्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान श्रीगुरु तेग बहादुर कम्पलेक्स, भोपाल (म० प्र०) 46003
20. भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान, नामकुम, रांची (बिहार) 834010
21. आई० सी० ए० आर० रिसर्च कम्पलैक्स उत्तरी-पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र, केदार लौज, शिलांग (मेघालय) 793003
22. विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान, अल्मोड़ा (उ० प्र०) 263601
23. केन्द्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, पोर्ट ब्लेयर (अण्डमान) 744101
24. भारतीय चरागाह और चारा अनुसंधान संस्थान, ग्वालियर झांसी रोड, झांसी (उ० प्र०) 284003
25. राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल (हरियाणा) 132001
26. भारतीय पशु-चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर (उ० प्र०) 243122
27. केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, हिसार (हरियाणा) 125001
28. केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर (राजस्थान) 304501
29. केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, मखदूम, फराह, (उ० प्र०) 281122
30. केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर (उत्तर प्रदेश) 243122
31. केंद्रीय अन्तःस्थलीय मछली पालन अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर (पश्चिम बंगाल) 743101

32. केंद्रीय समुद्री मछली पालन अनुसंधान संस्थान कोचीन (केरल) 682018

33 केंद्रीय मछली पालन प्रौद्योगिकी संस्थान, मत्स्यपुरी, कोचीन (केरल) 682029

34. केंद्रीय मछली पालन शिक्षा संस्थान जयप्रकाश रोड, बम्बई 400058

राष्ट्रीय ब्यूरो

1. राष्ट्रीय पादप आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो, एफ० सी० आई० बिल्डिंग, पूसा, नई दिल्ली-110012
2. राष्ट्रीय भूमि सर्वेक्षण और भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो, शंकरनकार, नागपुर (महाराष्ट्र) 440006
3. राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, एडूगोडी कैम्पस, बांगलौर (कर्नाटक) 560030
4. राष्ट्रीय मछली आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो, केंद्रीय अन्त:स्थलीय मछली पालन अनुसंधान संस्थान, इलाहाबाद अनुसंधान केंद्र, 24 पन्नालाल रोड इलाहाबाद (उ०प्र०) 211002

राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र

1. राष्ट्रीय मूंगफली अनुसंधान केंद्र, गुजरात कृषि विश्वविद्यालय, जूनागढ़ कैम्पस (गुजरात) 362015
2. राष्ट्रीय खुम्भी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र (भा० कृ० अ० प०) चेम्बर घाट, सोलन (हि० प्र०) 173213
3. राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, बीकानेर (राजस्थान) 334001
4. राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान केंद्र, हिसार (हरियाणा) 125001
5. राष्ट्रीय याक अनुसंधान केन्द्र, निकमाडेंग (अरुणाचल प्रदेश) तथा राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केन्द्र, पुरबा (नागालैण्ड)

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान किये गए व्यय का ब्यौरा

लाख में

		1982-83	1983-84	1984-85
भारतीय कृषि अनुसंधान के संस्थानों तथा उनके क्षेत्रीय एवं उप-क्षेत्रीय केन्द्र एवं राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों एवं ब्यूरो सहित खर्च का ब्यौरा	योजना	23,34.50	24,00.37	29,17.77
	गैर-योजना	39,58.34	44,43.29	50,60.54
	कुल :	62,92 84	68,43.66	79,78.31

आदिवासी लाभार्थियों को दी गई राज सहायता

1068. श्री मूल चन्द डागा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले विभिन्न राज्यों में आदिवासी लाभार्थियों की राज्यवार संख्या कितनी है जिन्हें लाभ पहुंचाना था और उन आदिवासियों की संख्या जितनी है जिन्हें 5000/—रुपये की राजसहायता दी गई है; और

(ख) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने लोगों को 4000 रुपये की राज-सहायता दी गई और इनके परिणामस्वरूप कितने लोगों को वास्तव में लाभ हुआ है ?

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) और (ख) विभिन्न राज्यों में छठी योजना के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभान्वित अनुसूचित जनजाति के परिवारों की संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। तथापि, योजना के प्रथम तीन वर्षों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के केवल संयुक्त आंकड़े उपलब्ध हैं।

सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम वाले क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे बसर कर रहे जनजाति परिवारों तथा गरीबी की रेखा से नीचे बसर कर रहे लोगों का अलग से राज्य-वार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

अलग-अलग परिवारों को दी जाने वाली राज-सहायता की राशि परियोजना पर निर्भर करती है तथा अलग-अलग परिवारों की निगरानी (मानिटरिंग) भारत सरकार द्वारा नहीं की जाती है।

विवरण

क्रम सं०	राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के नाम	1980-81 अनु०जाति/अनु०जनजाति	1981-82 अनु०जाति/अनु०जनजाति	1982-83 अनु०जाति/अनु०जनजाति	1983-84 अनु०जनजाति	1984-85 अनु०जनजाति
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	114177	120496	141889	25504	30065
2.	असम	953	7259	14715	17031	35673
3.	बिहार	48494	102300	135374	61245	92405
4.	गुजरात	40280	39503	70947	36133	32440
5.	हरियाणा	10768	23716	31475	—	—
6.	हिमाचल प्रदेश	20992	19053	29382	4856	4505
7.	जम्मू और कश्मीर	502	8307	2206	33	—
8.	कर्नाटक	5698	16343	50301	3059	3454
9.	केरल	13253	18594	32145	3266	4281
10.	मध्य प्रदेश	78000	99000	154279	86324	96122
11.	महाराष्ट्र	23552	33640	70246	32837	35003
12.	मणिपुर	2582	1109	5766	4257	8852
13.	मेघालय	5258	1813	5274	913	3992
14.	नागालैंड	16721	12565	—	8087	10520
15.	उड़ीसा	32117	55175	113250	59394	56835
16.	पंजाब	26796	39931	52581	—	—
17.	राजस्थान	43207	70000	104545	28071	28125
18.	सिक्किम	20	48	512	546	971

1	2	3	4	5	6	7
19.	तमिलनाडु	48511	97417	102026	1514	3747
20.	त्रिपुरा	5363	5095	3825	3346	3125
21.	उत्तर प्रदेश	228860	189035	236777	2330	2474
22.	पश्चिम बंगाल	10522	29920	29637	13353	17119
23.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	—	—	13	45	—
24.	अरुणाचल प्रदेश	2736	5921	13685	9241	12395
25.	चण्डीगढ़	—	—	—	—	—
26.	दादर और नगर हवेली	—	—	223	521	695
27.	दिल्ली	711	680	1523	—	—
28.	गोवा, दमन और दीव	—	1440	309	41	60
29.	लक्ष्यद्वीप	—	—	312	564	634
30.	मिजोरम	480	1712	1977	4749	3575
31.	पांडिचेरी	94	445	485	--	—
	अखिल भारत :	781047	1000597	1405660	407260	487067

[अनुवाद]

भारत ब्रिटेन उर्वरक शिक्षा परियोजना की अवधि का बढ़ाया जाना

1069. डा० बी० एल० शैलेश : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन की सरकार द्वारा वित्तपोषित भारत ब्रिटेन उर्वरक शिक्षा परियोजना की अवधि वर्ष 1987 के खरीफ के मौसम से अगले पांच वर्षों तक और बढ़ाये जाने की सम्भावना है,

(ख) यदि हां, तो ब्रिटेन सरकार द्वारा स्थानीय लागत अनुदान के रूप में कितनी धनराशि प्रदान किए जाने की सम्भावना है; और

(ग) उक्त धनराशि किस प्रकार उपयोग की जायेगी ?

उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी, हां, इसको बढ़ाये जाने की सम्भावना है ।

(ख) और (ग) अभी यह इंगित करना असामयिक है कि ये राशियां कितनी हैं तथा उन्हें कैसे उपयोग किया जायेगा ?

मैचों का दूरदर्शन पर प्रसारण

1070. श्री अनन्त प्रसाद सेठी : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आस्ट्रेलिया में हो रहे क्रिकेट मैच के अन्तिम ओवर के समय टी० वी० पर प्रसारण बन्द हो गया था, जिससे दर्शक खेल के अत्यन्त रोमांचक भाग को देखने से वंचित रह गए;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारत और न्यूजीलैण्ड के बीच विश्व श्रृंखला कप के सेमी फाइनल में जिस समय लांसेस्टन में भारी उत्तेजना थी और न्यूजीलैण्ड के लिए अन्तिम ओवर में केप्टेन को बाउलिंग करनी थी और उसके लिए लक्ष्य प्राप्त करना सम्भव प्रतीत होता था, दश अन्तिम क्षणों का आनन्द नहीं उठा सके; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने के लिए कि खेल के नाजुक क्षणों का प्रसारण विज्ञापनों के प्रसारण अथवा किसी, अन्य कारण से न रोका जाये, दूर-दर्शन के अधिकारियों को आदेश देने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, हां । 2 फरवरी, 1986 को एक विज्ञापन के गलत अनुमानित निवेश के कारण अन्तिम ओवर की दो गेंदों के टेलीकास्ट में व्यवधान पड़ा ।

(ग) जी, हां । दूरदर्शन को ये आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं कि वे उपयुक्त विराम समयों पर विज्ञापनों को इस ढंग से प्रस्तुतत करें कि उनसे खेल के टेलीकास्ट में व्यवधान न पड़े ।

पूर्वी क्षेत्रीय निर्माण केन्द्र का बंद किया जाना

1071. **श्री हन्नान मोल्लाह :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वी प्रादेशिक निर्माण को बन्द करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या सरकार को इस निर्णय के विरुद्ध प्रस्ताव और अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) से (ग) सरकार इस समय अपनी सभी गतिविधियों की लागत प्रभाविता का निर्धारण करने का कार्य कर रही है तथा इस बारे में निर्णय, विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त अभ्यावेदनों सहित, अन्तर्निहित सभी बातों को ध्यान में रखते हुए लिया जायेगा ।

भाषा कार्यक्रमों के निर्माण केन्द्र

1072. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री भाषा कार्यक्रमों के निर्माण केन्द्रों के बारे में 19 अगस्त, 1985 के तारांकित प्रश्न संख्या 378 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य की उन राजधानियों के नाम क्या हैं जहां कार्यक्रम निर्माण सुविधाएं उपलब्ध हैं तथा उन सात वर्तमान केन्द्रों के नाम क्या हैं जहां वर्तमान सुविधाओं का दर्जा बढ़ाने के लिए कार्यवाही की गई है और प्रत्येक मामले में दर्जा बढ़ाने का काम किस तारीख तक पूरा होने की संभावना है;

(ख) उन छः राज्यों की राजधानियों के नाम क्या हैं जहां स्टूडियो केन्द्रों की स्थापना का कार्य क्रियान्वयनाधीन है और यह कार्य किस तारीख तक पूरा होने की संभावना है; और

(ग) क्या शेष राजधानियों में भी ऐसे स्टूडियो केन्द्रों की स्थापना की योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) एक विवरण, जिसमें अपेक्षित सूचना दी हुई है, संलग्न है।

(ख) उन 6 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की राजधानियों जिनमें दूरदर्शन स्टूडियो केन्द्र कार्यान्वियनाधीन हैं, के नामों तथा दूरदर्शन स्टूडियो केन्द्रों के पूरा होने के अनुमानित वर्षों का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

राज्य/संघ शासित क्षेत्र की राजधानी	स्टूडियो केन्द्र के चालू होने की अनुमानित तारीख
जयपुर	1986-87
शिलांग	1987-88
ऐजवाल	1987-88
इम्फाल	1987-88
कोहिमा	1987-88
इटानगर	1987-88

(ग) बिहार, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा की राजधानियों में पूर्णरूपेण दूरदर्शन स्टूडियो केन्द्रों की स्थापना करने की स्कीमों को दूरदर्शन की सातवीं योजना में शामिल किया गया है। इसके अलावा, सातवीं योजना अवधि के दौरान गंगटोक, पणजी, पांडिचेरी, पोर्टब्लेयर और चंडीगढ़ में कार्यक्रम निर्माण सुविधा उपलब्ध करने की परिकल्पना है।

विवरण

कार्यक्रम निर्माण सुविधाएं इस समय 11 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की निम्नलिखित राजधानियों में उपलब्ध है :—

1. दिल्ली
2. बम्बई
3. कलकत्ता
4. मद्रास
5. श्रीनगर
6. लखनऊ
7. हैदराबाद
8. बंगलौर
9. गोहाटी
10. त्रिवेन्द्रम
11. अहमदाबाद (स्पेस एप्लीकेशन सेंटर का स्टूडियो)

उन 7 मौजूदा दूरदर्शन केन्द्रों जहां कार्यक्रम निर्माण सुविधाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है, के नाम और वर्ष जिसमें वर्धित निर्माण सुविधाएं उपलब्ध होने की उम्मीद है, नीचे दिए गए हैं :—

दूरदर्शन केन्द्र	कार्यक्रम निर्माण सुविधाओं के सुदृढ़ होने की प्रत्याशित तारीख
1. अहमदाबाद	1986-87
2. त्रिवेन्द्रम	1986-87
3. कलकत्ता	1986-87
4. बंगलौर	1987-88
5. लखनऊ	1987-88
6. गोहाटी	1987-88
7. हैदराबाद	1988-89

ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए गेहूं दिया जाना

1073. श्री चिन्तामणि जेना
श्री जगन्नाथ पटनायक
श्री अमर सिंह राठवा } : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय भंडार से गेहूं देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए कितना गेहूं दिया गया है;

(ग) प्रत्येक राज्य के लिए कितनी मात्रा में गेहूं का आवंटन किया गया है;

(घ) क्या सरकार का विचार आगामी वर्ष के लिए इस कार्यक्रम को चालू रखने का है, यदि हां, तो कितनी मात्रा में गेहूं आवंटित किया गया है ?

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों (राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम) के कार्यान्वयन हेतु जारी की गई मार्गदर्शिकाओं के अनुसार इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत मजदूरों को एक किलोग्राम खाद्यान्न उनकी मजदूरी के भाग के रूप में दिया जाना अपेक्षित है। इस प्रयोजन के लिए गेहूं सहित खाद्यान्न केन्द्रीय भंडार से मुक्त किए जाते हैं। 1985-56 के दौरान ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों (राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम) के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को संसाधनों के सामान्य आबंटन के अतिरिक्त 1 मिलियन मीटरीटन गेहूं अतिरिक्त खाद्यान्नों के रूप में उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया गया है। गेहूं की लागत को पूरी तरह केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाना है। मजदूरी का 40 प्रतिशत भाग अब खाद्यान्नों के रूप में देना आवश्यक है।

(ख) और (ग) वर्ष 1985-86 के दौरान चावल सहित अब तक कुल 16,99,147 मीटरी टन खाद्यान्नों का बंटन किया गया है। राज्य वार तथा कार्यक्रम वार आबंटनों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(घ) ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों के अन्तर्गत खाद्यान्नों का आवंटन वर्ष 1986-87 के दौरान भी जारी रहेगा तथा आवंटन की प्रस्तावित मात्रा 2 मिलियन मीटरी टन है।

विवरण

वर्ष 1985-86 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत खाद्यान्नों के बंटन को दर्शाने वाला विवरण

(मीटरीन टन में)

क्र० सं०	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम	कुल
1.	आन्ध्र प्रदेश	67900	65900	133800
2.	असम	14850	14418	29268
3.	बिहार	103150	99650	202800
4.	गुजरात	23700	23244	46944
5.	हरियाणा	5450	5346	10796
6.	हिमाचल प्रदेश	2300	1683	3983
7.	जम्मू और कश्मीर	11850	7207	19057
8.	कर्णाटक	39300	37800	77100
9.	केरल	29850	29250	59100
10.	मध्य प्रदेश	69200	65791	134991
11.	महाराष्ट्र	10550	18933	29483
12.	मणिपुर	230	208	438
13.	मेघालय	260	264	524
14.	नागालैंड	700	688	1388
15.	उड़ीसा	35700	37328	73028
16.	पंजाब	6950	6950	13900
17.	राजस्थान	202600	52300	254900
18.	सिक्किम	590	574	1164
19.	तमिलनाडु	69300	66800	136100
20.	त्रिपुरा	7400	7353	14753
21.	उत्तर प्रदेश	174800	174250	349050
22.	पश्चिम बंगाल	52900	51529	104429
23.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	165	148	313
24.	अरुणाचल प्रदेश	160	142	302
25.	चंडीगढ़	35	28	63
26.	दादरा और नगर हवेली	250	137	387
27.	दिल्ली	60	58	118
28.	गोवा, दमन और दीव	118	207	325
29.	लक्षद्वीप	50	40	90
30.	मिजोरम	90	131	221
31.	पांडिचेरी	175	157	332
	योग :	930633	768514	1699147

सातवीं योजना में मुर्गीपालन विकास

1074. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय मुर्गी पालन विकास परामर्श परिषद की हाल में हुई बैठक में सातवीं योजना में मुर्गीपालन विकास और उत्पादन के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने संबंधी किसी नीति पर चर्चा की गई थी ?

(ख) यदि हां, तो चर्चा के क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) क्या इस बैठक में छठी योजना के दौरान मुर्गीपालन विकास में की गई प्रगति की भी पुनरीक्षा की गई थी ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में परिषद के सदस्यों द्वारा क्या विचार व्यक्त किए गए ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) चर्चा के निष्कर्ष निम्नलिखि हैं :—

(1) राष्ट्रीय कुक्कुट बोर्ड तत्काल स्थापित किया जाए।

(2) अंडे उत्पादन और खाद्य पोल्ट्री के लिए पोल्ट्री फार्मिग को कृषि का दर्जा देने के लिए राज्य सरकारों को पुन: कहा जाए।

(3) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद केन्द्रीय पक्षी अनुसन्धान संस्थान, इज्जतनगर में पक्षी रोग प्रभाग की स्थापना पर विचार करें ।

(4) चारा विनिर्माताओं के लिए भारतीय मानक संस्थान को विशिष्टियां अनिवार्य की जाए।

(5) पोल्ट्री चारे के घटकों के निर्यात के मुद्दे की समीक्षा की जाए।

(6) पोल्ट्री चारे के लिए शोरे की उपलब्धता का मुद्दा सम्बन्धित प्राधिकारियों के साथ उठाया जाए।

(7) मक्का के सीमित आयात पर विचार किया जाए, यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सस्ते दामों पर उपलब्ध हो और यदि चारा विनिर्माताओं/वास्तविक प्रयोक्ताओं से कोई अनुरोध प्राप्त होता है।

(8) विभिन्न संगठनों द्वारा की जा रही रोग निगरानी कार्य में समन्वय रखा जाए देश में विद्यमान बतख वायरस यकृतशोथ के बारे में स्थिति की जांच की जाए।

(9) नेफेड पोल्ट्री उत्पादन के सम्बन्ध में मार्केट हस्तक्षेप के लिए अपनी बुनियादी सुविधाओं और अन्य सुविधाओं को सुदृढ़ करें।

(ग) जी, हां ।

(घ) परिषद के कुछ सदस्यों ने कहा कि कुछ रोगों के फैलने की वजह से देश के कुछ क्षेत्रों में बहुत बड़ी संख्या में कुक्कुट मरे हैं, जिसके फलस्वरूप किसानों को हानि हुई और पोल्ट्री उत्पादन में प्रगति पर प्रभाव पड़ा। इसे ध्यान में रखते हुए परिषद के सदस्यों ने यह इच्छा व्यक्त की कि सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों की हेचरियों के रजिस्ट्रेशन के लिए विनियमों का मसौदा अनुपालन और यह सुनिश्चित करने के लिए सरक्यू-लेट किया जाए कि रोगमुक्त अच्छी कोटि के चूजों के उत्पादन और बिक्री के लिए हेचरियों द्वारा न्यूनतम स्वास्थ्य मानकों का पालन किया जाए।

कार्य अनुसन्धान दल द्वारा क्षेत्र सर्वेक्षण

1075. **श्री सनत कुमार मण्डल :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्य अनुसन्धान दल द्वारा महानगरों में टेलिविजन सैट रखने वाले परिवारों के सर्वेक्षण से पता चला है कि टी. वी. सैट रखने वाले परिवारों में समाचारों के लिए दूरदर्शन एक प्रमुख स्रोत बन गया है जबकि समाचार पत्र समाचारों और सामरिक मामलों के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में अपना स्थान बनाये हुए है और आकाशवाणी ने स्पष्ट रूप में अपना स्थान खो दिया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार आकाशवाणी से हिन्दी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में विशेषकर आकाशवाणी केन्द्रों से काफी दूर स्थित क्षेत्रों में समाचार प्रसारण की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां। कुछ समाचार पत्रों में छपी रिपोर्टों में बड़ौदा के एक कार्य अनुसन्धान दल द्वारा किये गय एक अध्ययन का उल्लेख किया गया है जिसमें यह निष्कर्ष निकाला गया है कि टी. वी. सैट रखने वाले भारतीय परिवारों में समाचारों के लिए दूरदर्श एक प्रमुख स्रोत बन गया है।

(ख) इस समय भी आकाशवाणी केन्द्र हिन्दी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में समाचार प्रसारित करते हैं तथा समाचारों में अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय घटनाओं, विकासात्मक कहानियों आदि के बारे में सूचना शामिल होती है। वस्तुत: आकाशवाणी विभिन्न राज्यों, तथा संघ शासित क्षेत्रों में स्थित केन्द्रों से विभिन्न भाषाओं तथा बोलियों में लगभग 124 बुलेटिनें प्रसारित करता है। इसके अलावा, दिल्ली से अंग्रेजी तथा हिन्दी में हर घंटे समाचार बुलेटिन प्रसारित होते हैं तथा दिल्ली से 19 क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रतिदिन समाचार बुलेटिन केन्द्रीय रूप प्रसारित किये जाते हैं तथा उन्हें उन क्षेत्रों, जहां सम्बन्धित भाषा व्यापक रूप से बोली तथा समझी जाती है, के केन्द्रों द्वारा रिले किया जाता है। आकाशवाणी केन्द्र देश की 90 प्रतिशत जनसंख्या को कवर करते हैं तथा इस प्रकार इन समाचार बुलेटिनों को व्यापक रूप से सुना जाता है।

चुकन्दर के सम्बन्ध में अनुसंधान सुविधाएं

1076. **श्री गदाधर साहा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा चुकन्दर के संबंध में अनुसंधान करने के लिए पृथक अनुसंधान सुविधाऐं प्रदान की जायेंगी अथवा कोई पृथक संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कब और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं, श्रीमान ! फिर भी अखिल भारतीय समन्वित चुकन्दर अनुसंधान प्रायोजना के अन्तर्गत अनुसंधान संरचना की जो सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, वे सुविधाएं बनी रहेंगी तथा आवश्यकता के आधार पर उन्हें सुदृढ़ किया जाएगा और उन्हें नया रूप प्रदान किया जाएगा।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) चुकन्दर की फसल की खेती इतने अधिक क्षेत्र में नहीं होती है कि उसके लिए एक पृथक अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जा सके। ऐसा समझा जाता है कि संशोधित रूप में वर्तमान कार्यक्रम के अन्तर्गत फसल की अनुसन्धान की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा।

कार्य-भारित कर्मचारियों को नियमित करना

1077. **श्री अनिल बसु** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार और उनके विभिन्न विभागों में कितने कार्य-भारित कर्मचारी काम कर रहे हैं;

(ख) केन्द्रीय सरकार को इन कार्य-भारिता कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से नियमित करने तक उनके काम के घंटे और छुट्टी निर्धारित करने की योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

नगर भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम के बारे में कार्यदल का प्रतिवेदन

1078. **डा० ए० के० पटेल** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 के बारे में कार्य दल का प्रतिवेदन अप्रैल, 1980 में दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन में कितनी सिफारिशें की गई हैं और उनका सारांश क्या है; और

(ग) सरकार ने पिछले छः वर्षों के दौरान उनमें में कितनी सिफारिशों की जांच पूरी कर ली है और कितनी सिफारिशें विचाराधीन हैं तथा उन पर कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) जी, हां। कार्यकारी दल ने 55 सिफारिशें की थीं जो अभी भी विचाराधीन हैं। तथापि, इस स्तर पर उनके ब्यौरे प्रकट करना लोकहित में नहीं है।

उड़ीसा के सूखा ग्रस्त जिलों को खाद्यान्नों की सप्लाई

1079. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने अकाल और सूखा ग्रस्त जिलों के लिए खाद्यान्नों को अतिरिक्त पूर्ति के लिए केन्द्रीय सरकार से कहा है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य को खाद्यान्नों को अब तक की गई पूर्ति की मात्रा संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

देश में वीडियो-टैक्स सेवा का शुरू किया जाना

1080. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में वीडियो टैक्स सेवा शुरू करने के बारे में कोई निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त सुविधाएं किस तारीख को शुरू किए जाने की संभवना है और उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां सेवाओं के स्वरूप और प्रभारों सहित उक्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी; और

(ग) यदि नहीं, तो निर्णय किस तारीख तक किए जाने की संभावना है और विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) जी, हां ! देश में लघु पैमाने पर वीडियो-टेक्स सेवा को चालू करना संचार मंत्रालय की सातवीं योजना में शामिल किया गया है। इस स्कीम तथा इसके कार्यान्वियन का ब्यौरा अभी तैयार किया जाना है। तथापि, योजना की मोटी रूपरेखा **संलग्न विवरण** में दी गई है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

यह पूर्ण अंत: प्रभावी सेवा है और इसके निम्नलिखित चार अंग हैं :—

(1) पिक्चर ट्यूब तथा टेलीफोन लाइन से जोड़ने के लिए उपकरण;

(2) स्थानीय नेटवर्क,

(3) इन्फारमेशन प्रोवाइडर्स के साथ अंत: सम्बद्ध एक बड़ा कम्प्यूटर या आंकड़े देने वाले छोटे कम्प्यूटर, और

(4) सोफ्टवीयर और प्रचालन प्रक्रियाएं।

यह सेवा निम्नलिखित किस्म की सूचना प्रदान कर सकती है :—

(1) आम-रुचि, जैसे समाचार, मौसम, खेल-कूद, शौक, मनोरंजन, परिवहन, यात्रा, खरीददारी, पुस्तकें, पुस्तकालय, स्थानीय रुचि आदि।

(2) वाणिज्य रुचि, जैसे शेयर और स्टाक विनिमय सूचना, कम्पनी मामले आदि।

(3) पर्यटन, जैसे होटल बुकिंग, ट्रेवल-सेड्यूल, रुचि के स्थान आदि जनता को सामान्य टेलीफोन लाइनों के माध्यम से तथा टर्मिनल उपकरणों पर सूचना को प्रदर्शित करके कम्प्यूटरों तक लोगों की पहुंच उपलब्ध कराकर उनको सामान्य रुचि की सूचना देने के लिए यह सेवा इस प्रयोजन के लिए लगाये गये कम्प्यूटरों से सूचना की पुन:प्राप्ति के लिये है। सूचना प्रोवाइडरों द्वारा सीधे ही कम्प्यूटर में स्टोर की गई सूचना अद्यतन की जाती है।

इस प्रकार की सेवा की व्यवस्था हेतु वीडियो टेक्स सेवा, न्यूमरिकल की बोर्ड, आदि लेने के लिए टर्मिनल उपकरणों का मानकी करण करना होगा। यह सार्वजनिक टेलीफोन नेटवर्क, तथा एक समर्पित डाटा नेटवर्क जिसे स्थापित किया जा रहा है, के माध्यम से उपलब्ध होने वाले वीडियो टेक्स कम्प्यूटर स्थापित करने के अलावा होगा।

यमुना के पूर्वी तट पर मनोरंजन पार्क

1081. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नोएडा में "डिसनीलेंड" की तरह यमुना के पूर्वी तट पर ऐसे स्थान पर मनोरंजन पार्क बनाने का निर्णय किया है जो दिल्ली के निकट हो; और

(ख) यदि हां, तो इसकी योजना और लागत संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री(श्री दलबीर सिंह) : (क) नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा) में नदी के सामने के लगभग 100 एकड़ के क्षेत्र पर एक मनोरंजन पार्क स्थापित करने के प्रस्ताव पर 3.1.1986 को हुई नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश की बैठक में विचार किया गया था तथा प्राधिकरण के सिद्धांततः प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया था।

(ख) योजना के ब्यौरे अभी तैयार किए जाने हैं।

राजधानी में सभी के लिए सभी सुविधाओं का प्रावधान

1082. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक**
श्री सुभाष यादव } : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2000 तक राजधानी की जनसंख्या बढ़कर दो करोड़ हो जाने का अनुमान है;

(ख) क्या राजधानी में सभी के लिये सभी सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु किन्हीं प्रबन्धों की योजना बना ली गई है; और

(ग) इस प्रयोजन के लिये कितने धन की आवश्यकता होगी ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार किया गया दिल्ली–2001 के लिए भावी विकास योजना प्रारूप में 128 लाख की सम्भावित जनसंख्या के लिए प्रावधान है।

(ख) भावी विकास योजना प्रारूप में 16.2 लाख नये आवास एककों के निर्माण का प्रावधान है जिसमें सहकारी आवास क्षेत्र, पुनर्वास अनधिकृत कालोनियों तथा शहरी गांवों में पर्याप्त विकास को प्रोत्साहन देना, बहु–प्रणाली परिवहन पद्धति की सिफारिश करना, जलपूर्ति सीवरेज, लोक स्वाथ्य सेवायें जैसी उपयुक्त अवसंरचनाओं की आवश्यकता पर बल देना आदि शामिल हैं।

(ग) निधियों की आवश्यकताओं का कोई अनुमान नहीं लगाया गया है।

चावल के लिए फसल बीमा योजना

1083. **श्री अमल दत्त** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साधारण बीमा निगम ने फसल बीमा योजना आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का विस्तार क्षेत्र क्या है और इसके क्या लाभ हैं; और

(ग) क्या इस सफल बीमा योजना में पूर्वी क्षेत्र में धान की अधिक उपज देने वाली किस्मों की खेती को प्रोत्साहित करने हेतु चावल की फसल को शामिल करने का विचार है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) सरकार ने खरीफ 1985 से देश में व्यापक फसल बीमा स्कीम लागू की। स्कीम का आपरेशन जनरल इन्सोरेन्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से होता है।

(ख) स्कीम के अंतर्गत चावल, गेहूं, मिलेट, तिलहन, और दलहन हैं। वे सभी किसान इस स्कीम के अंतर्गत आते हैं जो सहकारी समितियों, वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से

स्कीम के अधीन अधिसूचित क्षेत्रों में अपनी इन फसलों के लिए ऋण लेते हैं। "पारिभाषित क्षेत्र" क्षेत्र विशेष के लिए उस फसल की प्रभावी उपज पूर्ववर्ती पांच वर्षों के दौरान अधिसूचित क्षेत्र ("पारिभाषित क्षेत्र") की फसल की प्रति हेक्टार औसत उपज का अस्सी प्रतिशत है। यदि बीमा की गई फसल की प्रति हेक्टार वास्तविक उपज संबंधित "पारिभाषित क्षेत्र" की उस फसल की "प्रभावी उपज" से कम होता है तो पारिभाषित क्षेत्र में उस फसल को पैदा करने वाले सभी बीमा कृत किसान क्षतिपूर्ति के पात्र हैं।

(ग) चावल पहले से ही इस स्कीम के अन्तर्गत है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा में दैतारी इस्पात संयंत्र की स्थापना के लिए धनराशि

1084. **श्रीमती जयंती पटनायक :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा में दैतारी इस्पात संयंत्र की स्थापना के लिए धन राशि का प्रावधान न करने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार विदेशी सहयोग से दूसरा इस्पात संयंत्र स्थापित करने का है;

(ग) क्या इस बारे में किसी संभावना का पता लगाया गया है; और

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान दैतारी में इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) संसाधनों की समग्र अड़चन के कारण सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस परियोजना के लिए पर्याप्त धन-राशि की व्यवस्था करना संभव नहीं हुआ है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

सरकारी क्षेत्रों के इस्पात संयंत्रों की बिजली की मांग

1085. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रत्येक सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों की बिजली की औसतन मांग कितनी है;

(ख) उन इस्पात संयंत्रों के नाम क्या हैं जो बिजली की कमी का सामना कर रहे हैं;

(ग) क्या सरकार ने कुछ इस्पात संयंत्रों में, विशेष रूप से राउरकेला इस्पात संयंत्र में, बिजली की कमी को दूर करने के लिए प्रबन्ध किए हैं; और

(घ) यदि हां तो इस बारे में क्या प्रयास किए गए हैं?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के पांच सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों में से प्रत्येक की बिजली की मांग निम्नलिखित है :–

	(इकाई : मेगावाट)
भिलाई इस्पात कारखाना	157.5
राउरकेला इस्पात कारखाना	150
दुर्गापुर इस्पात कारखाना	44.5
बोकारो इस्पात कारखाना	200
इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी लिमिटेड (बर्नपुर)	30

(ख) से (घ) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड के इस्पात कारखानों में से राउरकेला इस्पात कारखाना, जिसे उड़ीसा राज्य विद्युत बोर्ड से बिजली मिलती है, पिछले कई वर्षों से बिजली की गम्भीर कमी का सामना कर रहा है। "सेल" के दुर्गापुर, बोकारो तथा बर्नपुर स्थित इस्पात कारखाने भी दामोदर घाटी निगम से कभी-कभी बिजली की कम सप्लाई मिलने का सामना कर रहे हैं।

राउरकेला इस्पात कारखाने की बिजली की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए समय-समय पर मध्यप्रदेश तथा आन्ध्र प्रदेश आदि पड़ौसी राज्यों के ग्रिडों से सहायता मांगी गयी है। अन्तः मंत्रालय बैठकों में इस्पात कारखानों की बिजली की सप्लाई की स्थिति के बारे में लगातार समीक्षा की जा रही है और इस कारखाने की ऊर्जा की आवश्यकता पूरी करने के लिए अन्य राज्यों के ग्रिडों से बिजली अन्तरित करने की व्यवस्था करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

"सेल" के कारखानों में गृहीत विद्युत उत्पादन में सुधार लाने के लिए भी उपाय किये जा रहे हैं।

दीर्घावधि उपाय के रूप में राउरकेला में (2×60 मेगावाट) दुर्गापुर में (2×60 मेगावाट) तथा बोकारो में (3×60 मेगावाट) की नई गृहीत क्षमताएं स्थापित की जा रही हैं।

इम्फाल के विकास के लिए धनराशि का आबंटन

1086. श्री एन० टाम्बी सिंह : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मणिपुर सरकार को आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान राजधानी इम्फाल और अन्य दो शहरों के विकास के लिये कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ख) क्या मणिपुर सरकार ने राज्य की राजधानी का व्यापक बृहद् योजना के आधार पर सर्वांगीण विकास करने के लिये केन्द्रीय सरकार से आबंटन करने का प्रस्ताव किया है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) 1986-87 के दौरान मणिपुर को राज्य राजधानी विकास परियोजना के लिए 100 लाख रुपये सहित शहरी विकासार्थ 180 लाख रुपये का नियतन किया गया है। इसके अतिरिक्त, छोटे तथा मझौले कस्बों के एकीकृत विकास की योजना के अन्तर्गत ऋण के रूप में केन्द्रीय सहायता भी उपलब्ध की जा सकती है।

(ख) राज्य सरकार द्वारा किये गये अनुरोध के प्रत्युतर में राजधानी कम्पलेक्स के विकास के सम्बन्ध में केन्द्र के एक विशेषज्ञ दल ने इम्फाल का दौरा किया था। दल के निष्कर्षों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा राज्य राजधानी के लिए सम्पूर्ण विकास नक्शा तैयार किये जाने की सम्भावना है।

भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण विभाग द्वारा इम्फाल में यूनिट खोलना

1087. श्री एन० टोम्बी सिंह : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण विभाग ने मणिपुर की राजधानी, इम्फाल में अपनी यूनिट खोला है;

(ख) यदि हां, तो कब से और कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार को मणिपुर की जनता में व्याप्त इस भावना की जानकारी है कि भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण विभाग द्वारा इस क्षेत्र की उपेक्षा की जा रही है ?

खान विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) मणिपुर तथा नागालैंड राज्यों के भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की एक यूनिट है, जिसका मुख्यालय दीमापुर में है। चूंकि दोनों राज्यों का कुल क्षेत्र 38,000 वर्ग कि.मीटर है तथा उनकी भूवैज्ञानिकता समान और मिली-जुली है, इसलिए दीमापुर मुख्यालय दोनों राज्यों की आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से पूरा कर रहा है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के सर्वेक्षण दलों ने 1984-85 के फील्ड सत्र में मणिपुर में विभिन्न प्रकार की 16 खोजें शुरू की थीं तथा 1985-86 के चालू फील्ड सत्र में 21 खोजें चल रही हैं। साथ ही, एक भू-विज्ञान निदेशक पूरी तरह मणिपुर में कार्य की निगरानी करता है।

गैर हिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित आकाशवाणी केन्द्रों में हिन्दी का उपयोग

1088. **श्री एन० टोम्बो सिंह** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश के गैर हिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित आकाशवाणी केन्द्रों में विशेष रूप से हिन्दी अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति तथा आकाशवाणी केन्द्र से पुस्तकालयों में पर्याप्त साहित्यिक सामग्री उपलब्ध कराने के लिए हिन्दी के उपयोग को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित आकाशवाणी केन्द्रों में हिन्दी के प्रयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि की समीक्षा आवधिक तथा नियमित रूप से सम्बन्धित केन्द्रों से सम्बद्ध उन समितियों द्वारा की जाती है जो राजभाषा कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्य की देखरेख करती हैं। विचार विमर्शों के दौरान यदि कोई कमियां ध्यान में आती हैं तो उनको सम्बन्धित सेवा क्षेत्रों में समग्र कार्यक्रम आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखते हुए दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाते हैं।

देश के अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित आकाशवाणी केन्द्रों/कार्यालयों के लिए पहले से मंजूर हिन्दी अधिकारी के 12 पदों, हिन्दी अनुवादक के 12 पदों और हिन्दी टाइपिस्ट के 20 पदों के अलावा, अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित विभिन्न आकाशवाणी केन्द्रों में 1 अप्रैल, 1986 से हिन्दी अधिकारी के 13 पद, हिन्दी अनुवादक के 21 पद और हिन्दी टाइपिस्ट के 5 पद और सृजित किए गए हैं।

आकाशवाणी केन्द्रों के पुस्तकालयों में उपयुक्त हिन्दी पुस्तकों की सख्या में बढ़ोत्तरी करने का प्रावधान है और यह किया जा रहा है।

आकाशवाणी इम्फाल के अन्तर्गत दूरदर्शन केन्द्र और लघु तरंग सम्प्रेषण संबंधी आधारभूत ढांचे का निर्माण

1089. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी, इम्फाल के अन्तर्गत दूरदर्शन केन्द्र और लघु तरंग सम्प्रेषण आधारभूत ढांचे के निर्माण की प्रगति क्या है; और

(ख) उक्त परियोजनाओं के उद्‌घाटन की संभावित तारीखें क्या-क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी०एन० गाडगिल) : (क) और (ख)

दूरदर्शन

इम्फाल में भवन तथा दूरदर्शन स्टूडियो केन्द्र के लिए टावर और उच्च शक्ति वाले दूरदर्शक ट्रांसमीटर के निर्माण का काम शुरू हो गया है। केन्द्र के लिए आवश्यक उपकरणों के लिए आर्डर दिया जा चुका है तथा कुछ उपकरण प्राप्त हो गए हैं। दूरदर्शन ट्रांसमीटर के 1986-87 के दौरान तथा कार्यक्रम निर्माण केन्द्र के 1987-88 के दौरान चालू हो जाने की उम्मीद है।

आकाशवाणी

आकाशवाणी ने अपनी सातवीं योजना में इम्फाल में 50 किलोवाट शार्टवेट ट्रांसमीटर स्थापित करने की स्कीम शामिल की है। ट्रांसमीटर उपकरणों के लिए आर्डर दिया जा चुका है। स्कीम के योजना अवधि के दौरान चालू हो जाने की उम्मीद है।

अमरीकी फिल्म "क्लैश आफ 1984" का आयात

1091. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीकी फिल्म "क्लैश आफ 1984" कब आयात की गयी थी;

(ख) उसके लिये कितनी विदेशी मुद्रा का भुगतान किया गया;

(ग) क्या हाल ही में आयोजित फिल्मोत्सव 1986 में उक्त फिल्म के प्रदर्शन पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था;

(घ) यदि हां, तो ऐसी प्रतिबन्धित फिल्म के आयात किये जाने के क्या कारण थे; और

(ङ) प्रतिबन्धित फिल्म का आयात करने के लिये जिम्मेदार व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) "क्लैश आफ 1984" नामक कोई अमरीकी फीचर फिल्म भारत में आयात नहीं की गयी है।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

विश्वेश्वरिया आयरन एंड स्टील लिमिटेड भद्रावती, कर्नाटक

1092. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने विश्वेश्वरिया आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड, भद्रावती की स्थिति बेहतर बनाने के लिए भारतीय इस्पात प्राधिकरण द्वारा तकनीकी और अन्य सहायता प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां तो क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण ने विश्वेशवरिया आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड की स्थिति सुधारने के लिए सुझाव दिये हैं; और

(ग) विश्वेशवरिया आयात एण्ड स्टील लिमिटेड में भारी घाटा होने के कारण क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) भारी हानि के कारण इस प्रकार हैं :—

(i) बिजली की सप्लाई की कमी और परिणामस्वरूप उत्पादन में कमी;

(ii) बिजली-शुल्क में वृद्धि;

(iii) बिक्री मूल्यों में वृद्धि के कारण आदानों की लागत में वृद्धि की क्षति-पूर्ति न कर पाने; तथा

(iv) अधिक स्टाफ तथा श्रम-शक्ति की बढ़ी हुई लागतें।

बंगलौर दूरदर्शन केन्द्र द्वारा प्रसारित कन्नड़ कार्यक्रम

1093. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर दूरदर्शन केन्द्र द्वारा वर्ष 1985 के दौरान कन्नड़ में प्रायोजित कार्यक्रमों और विज्ञापनों से कितनी धनराशि अर्जित की गयी;

(ख) इस समय कन्नड़ कार्यक्रमों की प्रसारण अवधि कितनी है;

(ग) क्या बंगलौर दूरदर्शन केंद्र का विचार कन्नड़ कार्यक्रम की अवधि को बढ़ाने का है; यदि हां, तो कितनी अवधि; और

(घ) मद्रास दूरदर्शन केंद्र द्वारा इस समय तमिल कार्यक्रम कितनी अवधि के लिये प्रसारित किया जा रहा है?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) दूरदर्शन केन्द्र, बंगलौर द्वारा 1985 के दौरान कन्नड़ में प्रायोजित कार्यक्रमों तथा विज्ञापनों से अर्जित राजस्व इस प्रकार है :—

(1) प्रायोजित कार्यक्रम	: 14,15,3(0/-रुपए
(2) विज्ञापन	: 42,02,000/-रुपए
	कुल: 56,17,300/-रुपए

(ख) 90 मिनट प्रतिदिन।

(ग) क्योंकि दूरदर्शन केन्द्र, बंगलौर अभी आंतरिक ढांचा है और वहां पर्याप्त तकनीकी जनशक्ति संसाधन उपलब्ध नहीं हैं, अत: दूरदर्शन केन्द्र, बंगलौर द्वारा टेलीकास्ट किए जाने वाले कन्नड़ कार्यक्रमों की अवधि बढ़ाना फिलहाल संभव नहीं है।

(घ) दूरदर्शन केन्द्र, मद्रास में दूरदर्शन केन्द्र बंगलौर, जो अभी आंतरिक ढांचा है, की तुलना में दो पूर्णरूपेण स्टूडियो काम्पलैक्स हैं। दूरदर्शन केन्द्र, मद्रास क्षेत्रीय कार्यक्रमों को मुख्यतया क्षेत्र कीभाषा में प्रतिदिन लगभग 3 घंटों की अवधि के लिए टेलीकास्ट करता है।

[हिन्दी]

लघु और ग्रामीण समाचारपत्रों के लिये अखबारी कागज और विज्ञापन

1094. **श्री विलास मुत्तेमवार :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लघु समाचारपत्रों और ग्रमीण समाचारपत्रों के लिए नियमित रूप से अखबारी कागज और विज्ञापन उपलब्ध कराने का है जिससे कि बड़े समाचार पत्रों का एकाधिकार और अधिकार प्रभाव समाप्त किया जा सके;

(ख) क्या सरकार को यह मालूम है कि विज्ञापनों के अभाव में ग्रामीण समाचार पत्र समृद्ध नहीं होते हैं जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण जीवन की कठिनाइयों और क्रियाकलापों को प्रकाश में नहीं लाया जाता है; और

(ग) सरकार द्वारा इस सबंध में क्या कार्यक्रम आरम्भ करने का विचार है ताकि ग्रामीण समाचार पत्र ग्रामीण विकास योजनाओं के कार्यान्वियन की प्रगति पर प्रभावी रूप से निगरानी रख सकें ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) अखबारी कागज का आबंटन भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक के कार्यालय में पंजीकृत लघु और ग्रामीण समाचार पत्रों सहित समाचार पत्रों को अखबारी कागज आबंटन नीति के अनुसार ही किया जाता है। इसी प्रकार, सरकारी विज्ञापन प्रचार आवश्यकताओं और धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए उन्हीं समाचार पत्रों को दिए जाते हैं जो सरकार की विज्ञापन नीति में निर्धारित नीति विषयक मार्गदर्शी सिद्धांतों को पूरा करते हैं।

(ख) और (ग) सरकारी विज्ञापनों का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों/स्कीमों सहित सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का प्रचार करना है। सरकारी विज्ञापन वित्तीय सहायता के उपाय के रूप में नहीं हैं। तथापि, अखबारी कागज के आवंटन और सरकारी विज्ञापन देने संबंधी मामले में लघु और मझौले समाचारपत्रों को अनेक रियायतें प्रदान की गई हैं।

राष्ट्रीय वेतन नीति

1095. **श्री मूल चन्द डागा**
प्रो० के० वी० थामस } : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : एक निश्चित अवधि के दौरान समान कार्य के लिए समान वेतन और अन्य सुविधायें सुनिश्चित करने की दृष्टि से एक राष्ट्रीय वेतन नीति कब तक तैयार की जाएगी ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : एक ही काम और एक ही स्वरूप के कार्य के लिए पुरुष और महिला श्रमिकों को समान पारिश्रमिक देने से सम्बन्धित विषय समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 के उपबंधों के अधीन आता है। इस अधिनियम में यह व्यवस्था है कि कोई नियोजक किसी स्थापन या नियोजन में अपने द्वारा नियोजित किसी कर्मकार को पारिश्रमिक, चाहे वह नकद या वस्तु रूप में संदेय हो, उस दर से कम दर पर नहीं देगा जिस दर पर उसके द्वारा उस कर्मकार से भिन्न लिंग को उस स्थापन या नियोजन में एक ही काम या समान प्रकृति के काम के किए जाने के लिए संदाय किया जाता है।

जहां तक राष्ट्रीय मजदूरी नीति का प्रश्न है, इस मामले पर समय-समय पर श्रम मंत्रालय में विभिन्न स्तरों पर विचार किया जाता रहा है। इस मामले पर पिछली बार 11 मई, 1985 को नई दिल्ली में हुए राज्य श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में विचार-विमर्श किया गया था और इस संबंध में अनेक विचार व्यक्त किए गए थे। इस मामले पर 23 सितम्बर, 1985 को हुई राज्य श्रम मंत्रियों के दल की बैठक में फिर विचार किया गया और यह विचार व्यक्त किया गया था कि इस अवस्था पर राष्ट्रीय मजदूरी नीति अपनाना व्यवहार्य नहीं होगा। तथापि, 25-26 नवम्बर, 1985 को हुए भारतीय श्रम सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि जब तक राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी संभव नहीं है तब तक क्षेत्रीय न्यूनतम मजदूरी अपनाना वांछनीय होगा।

श्रम मंत्रालय की केन्द्रीय सलाहकार समिति

1096. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के अनियमित होने के बाद एक केन्द्रीय सलाहकार समिति गठित की थी;

(ख) यदि हां, तो समिति ने उत्प्रवास के मामलों में क्या सिफारिशें की हैं और सरकार द्वारा उनकी क्रियान्विति के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि इस संबंध में अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो कब तक कार्यवाही किए जाने की संभावना है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० एन० संगमा) : (क) से (ग) जी, हां। उत्प्रवास संबंधी केन्द्रीय सलाहकार समिति का गठन 19 फरवरी, 1986 को किया गया था। समिति की पहली बैठक उत्प्रवास से संबंधित मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए निश्चित की गई है।

इस्पात उत्पादन के लिए योजना तैयार करना

1097. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने वर्ष 1983-84 तक 2.21 लाख टन और वर्ष 2000 तक 7.50 लाख टन इस्पात का उत्पादन करने के लिए वर्ष 1977 में एक योजना तैयार की थी;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1985-86 और वर्ष 2000 तक क्रमश: कितने लाख टन इस्पात के उत्पादन की आशा है और अब तक उस पर कुल कितना व्यय किया गया है;

(ग) क्या इस समय विद्यमान इस्पात संयंत्रों की केवल 70 प्रतिशत क्षमता का उपयोग हो रहा है जबकि 1981-82 में 78.5 प्रतिशत क्षमता का उपयोग किया जा रहा था और यदि हां, तो इसमें कमी के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या भारतीय इस्पात की कीमतें विश्व बाजार की तुलना में दुगनी हैं और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) पांचवीं योजना का मसौदा तैयार करने वाली कर्णधार समिति (स्टियरिंग कमेटी) द्वारा गठित कार्यकारी दल ने सिफारिश की थी कि वर्ष 1983-84 तक देश में विक्रेय इस्पात की 200 लाख टन क्षमता स्थापित हो जानी चाहिए। "सेल" से यह भी कहा गया था कि वह शताब्दी के अन्त तक अगले 25 वर्षों के लिए "रोल-आन प्लान" तैयार कर ले और इस उद्देश्य के लिए लगभग 750 लाख टन इस्पात बनाने की क्षमता स्थापित करने के लिए अस्थायी लक्ष्य पहले से निर्धारित कर लिए गए थे।

(ख) वर्ष 1985-86 के दौरान देश में 98 लाख टन तैयार इस्पात के उत्पादन की सम्भावना है। लोहे तथा इस्पात पर सातवीं योजना से सम्बन्धित कार्यकारी दल ने 1999-2000 ई० के दौरान 173 लाख टन तैयार इस्पात का उत्पादन होने का अनुमान लगाया है।

31.3.1985 की स्थिति के अनुसार "सेल", "इस्को" तथा "टिस्को" की नियत परिसम्पत्तियों का कुल मूल्य 8394.91 करोड़ रुपये बैठता है। लघु इस्पात कारखानों तथा इस्पात के अन्य उत्पादकों के पूंजी-निवेश के बारे में जानकारी नहीं रखी जाती है और यह उपलब्ध नहीं है।

(ग) अप्रैल, 1985 से जनवरी, 1986 के दौरान "सेल" के सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों में क्षमता का उपयोग 74 प्रतिशत हुआ है जबकि वर्ष 1981-82 में क्षमता का उपयोग 78 प्रतिशत

हुआ था। "सेल" के कारखाने मुख्यत: बेहतर क्वालिटी के कोककर कोयले की कठिनाई, अन्य कच्चे माल की घटिया क्वालिटी, बिजली की अपर्याप्त सप्लाई, अप्रचलित प्रौद्योगिकी तथा पुराने उपस्करों के कारण अपनी निर्धारित क्षमता पर उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं।

(घ) वर्ष 1985 में इस्पात का उत्पादन करने वाले कुछ बाहर के देशों में कार्बन इस्पात के मिल सम्मिश्र निर्धारित मूल्य तथा "सेल" को बिक्री से हुई औसतन शुद्ध प्राप्ति इस प्रकार है :

देश का नाम	(रुपए/प्रतिटन)
अमरीका	7747
जापान	5268
पश्चिम जर्मनी	4553
यू० के०	4767
फ्रांस	4208
भारत (सेल)	5350

[अनुवाद]

"मिस्टिरियस गैस ब्लास्ट ऐट भिलाई स्टील प्लांट"

1098. श्री सरफराज अहमद
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह
श्री इन्द्रजीत गुप्त
श्री सुभाष यादव
श्री एम० रघुमा रेड्डी
श्री नारायण चौबे
: क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 जनवरी, 1986 के "करन्ट" में मस्टिरियल गैस ब्लास्ट ऐट भिलाई स्टील प्लांट आन जनवरी 6, 1986" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें हुई जान-माल की हानि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस बीच कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो जांच के निष्कर्ष क्या हैं और इसकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) जी, हां।

(ख) 6 जनवरी, 1986 के पूर्वाह्न लगभग 9.15 बजे भिलाई इस्पात कारखाने के कोक ओवन विभाग में एक दुर्घटना हुई। यह दुर्घटना उस समय हुई जब गैस का रिसाव कर रही एक पाइप लाइन की मरम्मत का कार्य चल रहा था। इस दुर्घटना के परिणामस्वरूप कोक ओवन पुशिंग की दर में कमी हुई तथा कोक के उत्पादन में 1690 टन की कमी हुई।

44 व्यक्ति घायल हुए थे जिनमें से 9 व्यक्तियों की बाद में मृत्यु हो गयी। घायल व्यक्तियों को तत्काल चिकित्सा सम्बन्धी सेवा प्रदान की गई थी। उनके उपचार के लिए एक विशेष वार्ड

बनाया गया था। घायल व्यक्तियों का इलाज करने के लिए राउरकेला इस्पात कारखाने के हस्पताल तथा चण्डीगढ़ के पोस्टग्रेजुएट संस्थान से विशेष रूप से बुलाए गए विशेषज्ञों ने इस बात की पुष्टि की थी कि चिकित्सा सम्बन्धी व्यवस्था तथा किया गया इलाज पर्याप्त तथा सन्तोषजनक है। कुछ दवाएं बाहर से भी मंगवाई गई थीं।

(ग) जी, हां।

(घ) जांच से प्रमाणित हुआ है कि जब कोक ओवन तक पहुंचने वाली एक पाइप का मरम्मत कार्य चल रहा था तब गैस का रिसाव हुआ, जिससे आग लग गई और विस्फोट हुआ। जांच से यह भी प्रमाणित हुआ है कि कार्य की किसी प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं किया गया था, इसलिए विशेषरूप से किसी व्यक्ति को इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है।

स्टील अथारिटी आफ इंडिया, लिमिटेड के इस्पात कारखानों में दुर्घटना-उन्मुख क्षेत्रों में मरम्मत का कार्य करते समय सुरक्षा के उचित उपाय किये जाते हैं। भिलाई इस्पात कारखाने में एक वरिष्ट अधिकारी की देख-रेख में एक सुरक्षा विभाग है। स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड ने भी अपने इस्पात कारखानों में सुरक्षा सम्बन्धी पहलुओं में और सुधार लाने के उपाय सुझाने के लिए एक सुरक्षा विशेषज्ञ की नियुक्ति की है।

कृषि विपणन विषयक राष्ट्रीय सम्मेलन

1099. श्री सरफराज अहमद
श्री एम० रघुमा रेड्डी } : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1986 में नई दिल्ली में कृषि विपणन विषयक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में किन व्यक्तियों ने भाग लिया था; और

(ग) सम्मेलन में किन-किन विषयों पर चर्चा की गई और इसमें क्या निर्णय लिये गये ?

कृषि मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय तथा इस मंत्रालय के अधिकारियों के अलावा अन्य भाग लेने वाले 104 रजिस्टर्ड व्यक्तियों की एक सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) यह सम्मेलन इस विभाग के सम्बद्ध कार्यालय, विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय के स्वर्ण-जयन्ती समारोह के एक भाग के रूप में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में निदेशालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के बारे में विचार-विमर्श किया गया था। सम्मेलन की मुख्य सिफारिशें संलग्न विवरण-II पर दी गई हैं।

विवरण I

भाग लेने वाले रजिस्टर्ड व्यक्तियों की सूची

क्रम सं०	प्रतिनिधि का नाम	संगठन
1	2	3
1.	सर्वश्री	
1.	जी० एस० सिन्द्रा, मुख्य सम्पादक	पंजाब राज्य कृषि विपणन बोर्ड, चण्डीगढ़।
2.	एस० आर० सिंह क्षेत्रीय प्रबन्धक	एच० पी० एम० सी० लिमिटेड, दिल्ली

(......जारी)

1	2	3
3.	राम गोपाल गुप्ता	सहायक कृषि विपणन अधिकारी, आगरा (उत्तर प्रदेश)
4.	जगरोशन लाल	सचिव, कृषि उत्पादन मंडी समिति, शाबाद, जिला हरदोई (उत्तर प्रदेश)
5.	राकेश हूजा	निदेशक व विशेष सचिव, कृषि विपणन, जयपुर
6.	ए० एन० शर्मा	उप-निदेशक, कृषि विपणन, जयपुर
7.	शंकर लाल गुरू	अध्यक्ष, गुजरात राज्य कृषि विपणन बोर्ड।
8.	अजीत सिंह मानसिंह	अध्यक्ष, कृषि उत्पाद मंडी समिति, क्रौच (गुजरात)
9.	जी० पी० असावा	सहायक निदेशक, कृषि विपणन, जयपुर।
10.	आर० एस० माथुर	विशेष योजना संगठन, राजस्थान सरकार, जयपुर।
11.	जी० एस० नन्दीवाल	वरिष्ठ कस्बा आयोजक तथा वास्तुकार, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर।
12.	एच० एस० अगनाडा	ग्रेडिंग अधिकारी, महाराष्ट्र, पुणे।
13.	आर० डी० देममे	ग्रेडिंग पर्यवेक्षक, पुणे, महाराष्ट्र राज्य
14.	ए० एच० धमील	ग्रेडिंग पर्यवेक्षक, शालीमार, महाराष्ट्र
15.	बी० एम० चापले	ग्रेडिंग पर्यवेक्षक, कोल्हापुर (महाराष्ट्र राज्य)
16.	के० बी० कुलकर्णी	ग्रेडिंग पर्यवेक्षक, सांगली (महाराष्ट्र राज्य)
17.	श्रीमती के० वनजाकेशचन्द्री	अध्यक्ष, मण्डी समिति अडोन आन्ध्र प्रदेश
18.	श्रीमती ए० एस० विजयकर	उपभोक्ता फोरम, दिल्ली।
19.	श्री बाबू राम	कृषि आर्थिक प्रभाग, भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान, नई दिल्ली।
20.	केशवाजी धनजी	अनाज, चावल व तिलहन व्यापारी संघ, बम्बई
21.	मनमोहन सिंह	फिक्र इंडिया लिमिटेड, फरीदाबाद कृषि,
22.	प्रोफेसर (श्रीमती) दुरू श्रीवास्तव	आर्थिक प्रभाग, भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान, नई दिल्ली।
23.	डा० आर० पी० सिंह	कृषि, आर्थिक प्रभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली
24.	डा० इकबाल सिंह	तदैव
25.	डा० टी० हक	तदैव
26.	डी० के० बहल	तदैव
27.	आर० के० निगम	उत्तर प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड, लखनऊ।

1	2	3
28.	एस० के० शुक्ल	तदैव
29.	एस० एल० यादव	तदैव
30.	एस० वी० कुलकर्णी	राज्य विपणन अधिकारी, गोआ
31.	बी० एस० मान	दिल्ली कृषि विपणन बोर्ड, दिल्ली।
32.	एस० पी० आश्ता	तदैव
33.	एस० एन० यादव	तदैव
34.	डा० जे० एस० परूथी	सलाहकार (खाद्य उद्योग) रामा एसोसिएट लिमिटेड, नई दिल्ली।
35.	जी० एन० पारिदा	संयुक्त निदेशक, बागवानी, उड़ीसा सरकार।
36.	एस० सी० मिश्रा	खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति विभाग, उड़ीसा सरकार।
37.	बी० एन० पटनायक	संयुक्त निदेशक, विपणन, उड़ीसा
38.	विजय मोहन लाल	संयुक्त निदेशक, विपणन, आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद।
39.	एस० एस० पाटिल	संयुक्त मुख्य विपणन अधिकारी तथा सचिव, ए० पी० एम० सी०, रायचूर।
40.	गोपाल रेड्डी	अध्यक्ष, कृषि उत्पाद मंडी समिति, रायचूर।
41.	एन० एस० जोहरी	मुख्य कस्बा आयोजक, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ।
42.	आर० एस० चौहान	उत्तर प्रदेश सहकारी संघ लिमिटेड, लखनऊ।
43.	ए० टी० तोनापी	सहायक निदेशक (विपणन) ग्रेडिंग प्रशिक्षण केन्द्र, पुणे महाराष्ट्र, सरकार।
44.	आर० एस० चौधरी	बिहार राज्य कृषि विपणन बोर्ड, पटना (बिहार)।
45.	वाई० एन० झा	बिहार राज्य कृषि विपणन बोर्ड, पटना, बिहार
46.	एम० आर० मुरलीधरन	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली
47.	बी० गांगुली	कृषि विपणन निदेशालय, पश्चिम बंगाल
48.	बी० बी० प्रसाद	स्टेट बैंक आफ इंडिया, बिहार सर्कल, पटना।
49.	आर० सी० राय	बिहार राज्य कृषि विपणन बोर्ड, पटना।
50.	एम० एन० राय	उप-निदेशक, कृषि विपणन, बिहार
51.	आर० जे० कोटालिया	कृषि उत्पाद, विपणन समिति, गोंडल (गुजरात)
52.	जे० सी० श्रीवास्तव	कृषि उत्पादन मंडी परिषद्, उत्तर प्रदेश, झांसी
53.	खुशी राम	निदेशक, कृषि विपणन, मध्य प्रदेश, भोपाल।

(...जारी)

1	2	3
54.	आर० एल० लखनपाल	उप-निदेशक, कृषि (सांख्यिकीय), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
55.	एन० पी० सिंह	कृषि विपणन विभाग, उत्तर प्रदेश
56.	पुनीत नारंग	सिन्थेटिक फोम लिमिटिड, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली।
57.	कैप्टन जसबीर सिंह	नासू एन०डी०आर०एफ० पेंट्स, नई दिल्ली।
58.	पी० आर० नालघाडे	नेफेड, दिल्ली।
59.	यू० पी० सिंह	उप-निदेशक (निर्माण), कृषि उत्पादन मंडी परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
60.	विजय सिंह	भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली।
61.	एस० पी० सिन्हा	सांख्यिकीय अधिकारी, रांची, बिहार।
62.	डा० डी० के० बनर्जी	प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य सहकारी विपणन संघ, रांची बिहार।
63.	आर० मजूमदार	सचिव, असम राज्य कृषि विपणन बोर्ड गुवाहाटी, असम।
64.	बी० फूकन	विपणन अधिकारी, असम राज्य कृषि विपणन बोर्ड, गुवाहाटी, असम
65.	वी० एस० प्रसाद	सहायक लैक्चरर, जी० जे० सी० पुणे, महाराष्ट्र
66.	राजीव चन्द्र	उप-निदेशक (प्रशासन), उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पाद विपणन बोर्ड, लखनऊ।
67.	के० एन० रस्तोगी	सहायक निदेशक (सेवा निवृत्त) केन्द्रीय एग्मार्क प्रयोगशाला, नागपुर
68.	वी० पी० शर्मा	एलायड लेबोरेट्रीज, नई दिल्ली
69.	आर० पी० गाटो	परियोजना अधिकारी, कृषि वित्त निगम (ए० एफ० सी०), नई दिल्ली।
70.	मोहम्मद दिलावर मीर	कृषि मंत्री, जम्मू व कश्मीर राज्य
71.	डी० पी० पांडे	परियोजना अधिकारी, कृषि वित्त निगम, नई दिल्ली।
72.	एम० अस्लम खान	सहायक विपणन अधिकारी, जम्मू व कश्मीर राज्य
73.	जी० के० माहथी	निदेशक (एच० पी० एम० सी०) जम्मू व कश्मीर सरकार
74.	वी० एस० चौधरी	कृषि विपणन राज्य निदेशालय, उत्तर प्रदेश।
75.	टी० सीता राम	केन्द्रीय भण्डार निगम, नई दिल्ली
76.	ए० एस० दीपक	विपणन निदेशक, पंजाब, चण्डीगढ़

1	2	3
77.	डा० जी० एस० धवल	सेवा निवृत्त अतिरिक्त गन्ना आयुक्त, कृषि विभाग, हरियाणा ।
78.	एस० के० जैग	वाणिज्य विभाग, दिल्ली स्कूल आफ इक्नामिक्स, दिल्ली ।
79.	डा० वाई० पी० सिंह	अध्यक्ष, कृषि विस्तार प्रभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली ।
80.	डा० ए० रमेश बाबू	वैज्ञानिक, कृषि विस्तार, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली
81.	प्रेम सिंह	संयुक्त निदेशक (कृषि), पंजाब, चण्डीगढ़
82.	राम प्रकाश भट्टी	एस० डी० ओ० (सेवा निवृत्त), पंजाब राज्य कृषि विपणन बोर्ड, चण्डीगढ़
83.	पी० के० गुप्ता	सहायक इंजीनियर, पंजाब राज्य कृषि विपणन बोर्ड, चण्डीगढ़ ।
84.	डब्ल्यू० एस० ब्राह्मे	ग्रेडिंग निरीक्षक, नागपुर
85.	आर० एस० खत्री	हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार
86.	ओ० पी० ग्रोवर	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, नई दिल्ली
87.	डी० आर० सागवाल	राज्य विपणन अधिकारी, हरियाणा, चण्डीगढ़ ।
88.	ए० के० रे	आर्थिक तथा सांख्यिकीय निदेशालय, कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली ।
89.	रमेश एम० पटेल	सदस्य, कृषि उत्पाद मण्डी समिति, कलोल (गुजरात)
90.	ए० के० ब्रानो	खाद्य विभाग, नई दिल्ली
91.	एम० एम० पी० नम्बियार	संयुक्त निदेशक, भारतीय, निर्यात निरीक्षण परिषद, नई दिल्ली ।
92.	डा० के० एन० अग्रवाल	वैज्ञानिक, केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की ।
93.	एम० ए० रिजवी	अतिरिक्त निदेशक, विपणन बोर्ड, उ० प्र०, लखनऊ ।
94.	शंकर लाल एन० पटेल	अध्यक्ष, कृषि उत्पाद विपणन समिति, कलोल, गुजरात ।
95.	डी० के० पटेल	उप सचिव, सहकारिता विभाग, गुजरात, चण्डीगढ़ ।
96.	जितेन्द्र एन० त्रिवेदी	निरीक्षण तथा भण्डारण अधिकारी, राज्य भण्डारण निगम, अहमदाबाद, गुजरात ।
97.	बी० जी० लोटिआ	उप रजिस्ट्रार (विपणन), गुजरात राज्य, गांधीनगर ।

(...जारी)

1	2	3
98.	एच० बी० मंकड	प्रशासनिक अधिकारी, गुजरात राज्य कृषि विपणन बोर्ड, गांधीनगर
99.	ए० ए० पटेल	सदस्य, कृषि उत्पाद विपणन समिति, कलोल (गुजरात)
100.	आर० एल० जैन	सहायक निदेशक (कृषि विपणन) जयपुर।
101.	बी० एल० गुप्ता	उप-निदेशक (कृषि विपणन), जयपुर
102.	एच० एस० अग्रवाल	सहायक विपणन अधिकारी, कृषि निदेशालय (विपणन विंग), पंजाब
103.	जी० एन० पाण्डे	खाद्य विभाग, नई दिल्ली।
104.	ए० के० छिब्बर	हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड, पंचकुला

विवरण-II

15-1-86 से 17-1-86 तक कृषि विपणन पर हुए राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशें

1. सभी राज्यों, जिन्होंने कृषि उपज मंडी अधिनियम नहीं बनाए हैं, को आवश्यक कानून बनाने तथा उन्हें लागू करने के लिए तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए।

2. मंडी विनियमन अधिनियम के कार्य क्षेत्र में सभी कृषि तथा सम्बद्ध उपज को शामिल किया जाना चाहिए।

3. प्रभावकारी विनियमन, प्रबंध तथा विकास के लिए ग्रामीण प्राथमिक बाजारों का विद्यमान नियमित बाजारों के साथ समन्वय किया जाना चाहिए। इन बाजारों का "वृद्धि केन्द्रों" के रूप में विकास किया जाना चाहिए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास में सहायता मिल सके।

4. कृषि मण्डियों के विकास तथा ग्रामीण गोदामों की स्थापना के लिए राज्यों की बृहद योजनाएं तैयार की जानी चाहिए।

5. कृषि विपणन में नीतियों तथा कार्यक्रमों को तैयार करने के लिए आवश्यक आंकड़े तैयार करने हेतु आवश्यकता के आधार पर अनुसन्धान सर्वेक्षण तथा जांच पड़ताल करवाने के लिए मण्डी अनुसन्धान एककें/प्रभाग सृजित करके राज्य विपणन विभागों/बोर्डों, जो भी हो, को पर्याप्त रूप से सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए।

6. राज्य विपणन बोर्डों/विपणन विभाग में आयोजकों तथा वास्तुकारों सहित बाजार आयोजना तथा अभिकल्प केन्द्र स्थापित किए जाने चाहिएं।

7. चूंकि मंडी विकास में भूमि अत्यधिक महत्वपूर्ण मुद्दा होता जा रहा है अतः निम्नलिखित उपायों द्वारा भूमि की आवश्यकता को कम करने के सभी प्रयास किए जाने चाहिएं :—

    (क) उपयुक्त डिजाइनों द्वारा भूमि का अधिकतम उपयोग करना तथा;

    (ख) अनावश्यक तथा गैर व्यावसायिक गतिविधियों को बाजार से दूर हटाना।

8. यह आवश्यक है कि मिलावट की बुराइयों के बारे में उपभोक्ताओं को जानकारी दी जाए और उपभोक्ताओं में पर्याप्त जागरूकता पैदा की जाए। इसके लिए, महत्वपूर्ण केन्द्रों में उपभोक्ता परामर्शदायी समितियां गठित की जाएं। एग्मार्क प्रदर्शनियों, संगोष्ठियों आदि का नियमित आयोजन करके पर्याप्त प्रचार के माध्यम से उपभोक्ताओं को भी शिक्षित किया जाए।

9. आधुनिक कृषि उत्पादों तथा प्रक्रियाओं की बढ़ती हुई चुनौतियों का सामना करने के लिए गुणवत्ता के आधार पर ग्रेड मानकों को अद्यतन बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जाएं।

10. विश्लेषण/विश्लेषणात्मक तकनीक के संबंध में संबंधित संगठनों के बीच उचित समन्वय बनाए रखा जाए।

11. कृषि विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय द्वारा विभिन्न कृषि वस्तुओं के बारे में अधिक से अधिक अल्प-कालिक विशेषज्ञ प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए जाएं।

खाद्यान्नों की उत्पादन लागत में कमी

1100. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : क्या कृषि मन्त्री यह** बताने **की कृपा** करेंगे **कि :**

(क) क्या सरकार देश में खाद्यान्नों और अन्य कृषि उत्पादों की उत्पादन लागत में भारी कटौती करने के लिए किसी योजना पर विचार कर रही है;

(ख) क्या विभिन्न देशों के उत्पादन की तुलनात्मक लागत के संबंध में कोई अध्ययन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं। तथापि, सरकार ने खाद्यान्नों सहित विभिन्न फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। अनुभव से यह पता चलता है कि उत्पादकता में वृद्धि होने से उत्पादन लागत कम होती है।

(ख) विभिन्न देशों में उत्पादन की तुलनात्मक लागत के सम्बन्ध में कोई अध्ययन नहीं किए जाते हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

उद्योगों में बहु संघों पर प्रतिबंध लगाना

1101. **श्री सत्यनारायण सिंह** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उद्योगों में बहुसंघों पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाने से पूर्व मजदूर संघों से परामर्श करने का कोई वायदा किया था;

(ख) क्या सरकार ने अन्तिम रूप से सभी औद्योगिक उपक्रमों में एक इकाई एक संघ के सिद्धान्त को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो संघ की प्रतिनिधित्व क्षमता का निर्धारण कैसे किया जाता है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) श्रमिक संघों की विविधता के प्रश्न और उस पर नियंत्रण करने की आवश्यकता के बारे में समय-समय पर ट्रेड-यूनियन संगठनों और अन्यों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की गई। अन्य बातों के साथ-साथ इस मामले पर भी राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा भी विचार किया गया जिसने इस संबंध में कुछ सिफारिशें की हैं। श्रम कानूनों में महत्वपूर्ण परिवर्तन करते समय सामान्यत: श्रमिक संगठनों, नियोजक संगठनों और राज्य सरकारों के साथ सम्बन्धित पक्षकारों की हैसियत से श्रम मन्त्रालय में चर्चा की जाती है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

गहरे समुद्र में मत्स्य नौकाएं

1102. **प्रो० पी० जे० कुरियन**
श्री मोहन भाई पटेल
श्री चिन्तामणि जेना : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में गहरे समुद्र में काम करने वाली मत्स्य नौकाओं की कुल संख्या कितनी है;

(ख) जापान, दक्षिण कोरिया, हालैंड और सिंगापुर आदि देशों में उपलब्ध नौकाओं की तुलना में उपर्युक्त संख्या की स्थिति क्या है;

(ग) इन नौकाओं के निर्माण की कुल स्वदेशी क्षमता कितनी है;

(घ) क्या सरकार ने मत्स्य नौकाओं की कमी को पूरा करने के लिए इनका आयात करने का निर्णय किया है; और

(ङ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) इस समय देश में वाणिज्यिक क्षेत्र में कुल 118 गहरे समुद्र में मत्स्यन ट्रावलर आपरेट कर रहे हैं। इनमें से 85 भारतीयों के हैं और शेष विदेशी मत्स्यन पोत चार्टर पर लिए गए हैं। इस बेड़े की संख्या जापान, दक्षिणी कोरिया, हालैंड और सिंगापुर के बेड़े से बहुत कम है।

(ग) सभी साइजों के मत्स्यन ट्रावलरों की विनिर्माण की कुल देशी क्षमता 85 है और वितरण अवधि 14 से 16 महीने है।

(घ) और (ङ) जी, हां। सामान्य आयात, चार्टर बाध्यता, 100 प्रतिशत निर्यातोमुन्खी यूनिटी और संयुक्त उद्यम स्कीमों के अधीन ट्रावलरों के आयात की अनुमति दी जा रही है।

केरल में टी० वी० प्रसारण क्षेत्र

1103. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय स्तर पर टी० वी० का प्रसारण क्षेत्र कुल कितने प्रतिशत है;

(ख) केरल में प्रसारण क्षेत्र कुल कितने प्रतिशत है;

(ग) केरल के उन जिलों के नाम क्या हैं और ऐसे लोगों की कुल जनसंख्या कितनी है जिन्हें अभी टी० वी० प्रसारण क्षेत्र के अन्तर्गत शामिल किया जाना है;

(घ) क्या सरकार को उक्त जिलों से टी० वी० प्रसारण क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किए जाने के बारे में अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) इस समय दूरदर्शन कवरेज देश की लगभग 66.5 प्रतिशत जनसंख्या को उपलब्ध है तथा छठी योजना की चल रही स्कीमों के पूरा हो जाने पर कवरेज के 1986 के समाप्त होने से पहले बढ़कर 70 प्रतिशत हो जाने की उम्मीद है।

(ख) इस समय दूरदर्शन कवरेज केरल राज्य की लगभग 77.5 प्रतिशत जनसंख्या को उपलब्ध है।

(ग) कसारगोड तथा वीनाडा जिलों की लगभग 52.2 लाख जनसंख्या (राज्य की जनसंख्या का 22.5 प्रतिशत) तथा पालघाट, कोजिकोडे, कन्नानोर तथा मल्लापुरम जिले के भागों को अभी दूरदर्शन सेवा उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त अन्य जिलों में भी पथाननथिट्टा जैसे कुछ अलग-थलग क्षेत्र हो सकते हैं जो स्थानीय भू-भागीय परिस्थितियों के कारण कवर नहीं हुए हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) दूरदर्शन की सातवीं योजना में मल्लापुरम, कलपेट्टा (वीनाड जिले) कसारगोड तथा इद्दुक्की में अल्प शक्ति (100 वाट) वाले दूरदर्शन ट्रांसमीटरों की स्थापना करने की स्कीमें शामिल हैं।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण सीमित द्वारा गैर-सरकारी क्षेत्र को अपने माल की बिक्री

1104. **श्री अजित कुमार साहा** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय इस्पात प्राधिकरण सीमित द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान गैर-सरकारी क्षेत्र को, क्षेत्रवार, अपने माल की कितने प्रतिशत बिक्री की गई;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान इस प्रतिशतता में वृद्धि हुई है; यदि हां, तो इस वृद्धि के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार भारतीय इस्पात प्राधिकरण सीमित गैर-सरकारी क्षेत्र को की जाने वाली बिक्री की पुनरीक्षा करने और इसकी प्रतिशतता में धीरे-धीरे कमी करने का निर्णय करने का विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) "सेल" द्वारा गैर-सरकारी क्षेत्र को बेचे गए लोहे तथा इस्पात के क्षेत्र-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। फिर भी, पिछले तीन वर्षों के दौरान "सेल" द्वारा कुल सप्लाई की प्रतिशतता के रूप में गैर-सरकारी क्षेत्र के मुख्य-मुख्य उपभोक्ताओं को सप्लाई किए गए माल का ब्यौरा इस प्रकार है :—

वर्ष	कुल सप्लाई की प्रतिशतता के रूप में गैर-सरकारी क्षेत्र के मुख्य-मुख्य उपभोक्ताओं को की गई सप्लाई
1983-84	54.3
1984-85	50.1
1985-86 (अप्रैल से दिसम्बर, 85) (आंकड़े अस्थायी हैं)	44.3

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) इस प्रकार की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि गैर-सरकारी तथा सरकारी दोनों क्षेत्रों में उनकी आवश्यकताओं तथा उपलब्धता के अनुसार उपभोक्ताओं को इस्पात की सप्लाई की जाती है।

पेय जल सप्लाई व्यवस्था पर अनुसंधान

1105. **श्री डी० पी० यादव** } **कुमारी ममता बनर्जी** } : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि देश में ऐसे बहुत से शहरी, अर्ध शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां पर पेय जल की अत्यधिक कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या किसी किफायती और गैर परम्परागत प्रणाली का प्रयास किया गया है;

(ग) क्या किसी सरकारी एजेंसी द्वारा पाइप लाइन प्रणाली और जल ले जाने के बारे में परीक्षण अनुसंधान कार्य किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के कुछ भागों में पेय जल की कमी है।

(ख) ग्रामीण पेय जल पूर्ति कार्यक्रम में स्थल स्रोतों के विकास पर तथा हैंडपम्प, नलकूपों के माध्यम से पेय जल पूर्ति की व्यवस्था करने पर बल दिया गया है। जबकि शहरी जलपूर्ति मुख्यतः सतही स्रोतों पर आधारित है, भूगत जल स्रोतों को हैण्ड पम्पों/नल कूपों के माध्यम से और सीमित सीमा तक भूगत जल को कृत्रिम रूप से पुनः आवेशित करके भी प्राप्त किया जाता है।

(ग) राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरी अनुसन्धान संस्थान, नागपुर ने जल मूल्यांकन, रिसन तथा नियन्त्रण के सन्दर्भ में जल वितरण पद्धति के निकारक अनुरक्षण पर सीमित अध्ययन किया है।

(घ) इस अध्ययन से जल स्रोतों की व्यवस्थित सूची, वितरण पद्धति, पाइपों की सीधाई आदि के अनुरक्षण की आवश्यकता तथा रिसन तथा मरम्मत के लिए मितव्ययी तकनीकियां

अपना कर रिसन का पता लगाने के व्यवस्थित कार्यक्रम की आवश्यकता उद्घाटित की है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय मामले

1106. **श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के कितने अधिकारियों के विरुद्ध वर्ष 1985-86 के दौरान 31 दिसम्बर, 1985 तक विभागीय कार्यवाही की गई;

(ख) कितने मामलों में सजा दी गई; और

(ग) कितने मामलों में मुकदमा चलाने की सिफारिश की गई?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) 35

(ख) 27

(ग) शून्य

हिमाचल प्रदेश में आलू के बीजों की भरमार

1107. **श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस सीजन में मांग की कमी के कारण हिमाचल प्रदेश में आलू का बीज सड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा आलू की फालतू उपज का निपटान करने में आलू उत्पादकों की सहायता करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) दिसम्बर, 1985 के विपणन मौसम के दौरान उठाव कम होने के कारण आलू के बीजों की भरमार थी।

(ख) हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने प्रमाणीकृत बीजों के 80 किलोग्राम के प्रत्येक बोरे के लिए 100 रुपए और सही लेबल लगे बीजों के 80 किलोग्राम के प्रत्येक बोरे के लिए 75 रुपए का समर्थन मूल्य घोषित किया है। 28 जनवरी, 1986 तक प्रमाणीकृत बीजों के 13,000 बोरों तथा सही लेबल लगे बीजों के 13,350 बोरों की खरीद की गई।

'हुडको' द्वारा ऋण राशि की अधिकतम सीमा और उसकी अदायगी की अवधि में वृद्धि की जाना

1108. **श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल**
श्री आर० एम० भोये } : क्या **शहरी विकास मन्त्री** यह बताने की कृप करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आवास और शहरी विकास निगम (हुडको) से प्राप्त होने वाली आवास ऋण राशि की अधिकतम सीमा और उसकी अदायगी की अवधि बढ़ाने का निश्चय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) तथा (ख) हुडको के धन देने के लिए संशोधित मानदण्डों के ब्यौरे संलग्न **विवरण** में दिये गये हैं।

विवरण

विभिन्न आवास योजनाओं के लिए धन देने के हुडको के संशोधित मानदण्ड

श्रेणी	अधिकतम लागत सीमा		धन देने की सीमा		कुल ब्याज दर		वापिसी अदायगी की अवधि	
	विद्यमान	सिफारिश की गई	विद्यमान	सिफारिश की गई	विद्यमान	सिफारिश की गई	विद्यमान	सिफारिश की गई
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग (ई० डब्ल्यू० एस०) जिनकी पारिवारिक मासिक आय 700 रु० से कम है (विद्यमान—350 रु० प्रति माह)								
(क) आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग-I (स्थल तथा सेवाएं)								
(i) स्थल तथा सेवाएं (बंजर भूमि को छोड़कर)	5000	6000	5000	6000	4%	5%	20 वर्ष	22 वर्ष
(ii) प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में आवास योजनाएं (नई योजना)	—	6000	—	पूर्ण	—	5%	—	22 वर्ष
(ख) ई०डब्ल्यू०एस-II (शहरी) बने बनाए आवास एकक	12000	15000	संवर्गित अनुपात	90%	7%	7%	20 वर्ष	22 वर्ष

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(ग) मलिन बस्ती उन्नयन पर्यावरणीय सुधार	2000	2000	1000	1000	5%	6%	10 वर्ष	20 वर्ष
शहर के भीतरी भाग में मलिन बस्ती उन्नयन तथा आवास के लिए भी ऋण		3000		पूर्ण		6%		20 वर्ष
II. निम्न आय वर्ग (एल॰आई॰जी॰) जिसकी पारिवारिक मासिक आय 701 रु॰ से 1500 रु॰ तक है								
निम्न आय वर्ग-I		20000		85%		85%		15 वर्ष
निम्न आय वर्ग-II	20000	30000	संवर्गित अनुपात	85%	8%	9.0%	15 वर्ष	15 वर्ष
III. मध्यम आय वर्ग (एम॰ आई॰ जी॰) जिसकी पारिवारिक मासिक आय 1501 रु॰ से 2500 रु॰ तक है।								
मध्यम आय वर्ग-I	30,000	60,000	संवर्गित अनुपात	75%	10.5%	11%	12 वर्ष	15 वर्ष
मध्यम आय वर्ग-II	50,000	1,00,000	—वही—	75%	11.5%	12½%	12 वर्ष	15 वर्ष
IV. उच्च आय वर्ग (एच॰ आई॰ जी॰) जिनकी पारिवारिक मासिक आय 2500 रु॰ से ऊपर है								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
उच्च आय वर्ग मकान/फ्लैट	125000	250000	संवर्गित अनुपात या प्रति एकक 60,000 रु० जो भी कम हो	60%	12.5%	13½%	10 वर्ष	15 वर्ष
V. मूलभूत स्वच्छता (स्वच्छ घर) व्यक्ति या सामुदायिक सभी श्रेणियां	—	—	50%	50%	ई० डब्ल्यू० एस०/एल० आई०जी० (5 प्रतिशत) अन्य 10%	6%	12 वर्ष	12 वर्ष
VI. ग्रामीण आवास								
(क) भूमिहीन श्रमिकों के लिए आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग-I (ग्रामीण)	6000	6000	50%	50%	5%	6%	10 वर्ष	11 वर्ष
आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग-II (ग्रामीण)	6000	10000	50%	50%	5%	7%	10 वर्ष	11 वर्ष
(ख) अन्य वर्ग उसी प्रकार के जैसे कि विभिन्न आय ग्रुपों के लिए शहरी आवास के लिए	शहरी आवास के अनुसार							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
VII. उपयोगिता तथा सामाजिक अवसंरचना								
उपयोगिता, अवसंरचना अर्थात् जलपूर्ति, नालियां, मल निर्यास सैप्टिक शौचालय आदि, सड़कें गलियों में प्रकाश तथा क्षेत्र विकास आदि सामाजिक अवसंरचना अर्थात् समाज सदन, विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र, चिल्डर्न पार्क, कामकाजी महिला होस्टल, क्रेचिज के लिए दैनिक देखभाल एकक, संरक्षण आदि	—	—	60%	50%	10% [illegible]	10%	12 वर्ष	12 वर्ष
VIII. अन्य कार्यक्रम								
(क) किराये के आवास	1.25 लाख	2.50 लाख	70% या प्रति एकक 60,000 रु० जो भी कम हो	70%	13.5%	15%	7 वर्ष	10 वर्ष
(ख) वाणिज्यिक योजनाएं	—	—	100% तक	पूर्ण	15%	15%	8 वर्ष	10 वर्ष
(ग) भूमि अधिग्रहण	—	हुडको 50% की सीमा तक धन दे जोकि 12% की दर के ब्याज (कुल) पर 6 वर्षों में देय होगा। 15% यदि राशि 50% से अधिक हो।						
(घ) निर्माण ऋण	—	निर्माण ऋण प्रत्येक आय वर्ग के लिए लागू मानदण्डों के अनुसार आवास अभिकरण, सहकारी समिति नियोक्ता के माध्यम से दिया जाये।						

(··· जारी)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(ङ) मरम्मत तथा नवीकरण योजना —	प्रत्येक आय वर्ग के लिए लागू मानदण्डों के अनुसार।							
(च) भवन निर्माण सामग्रियां—	हुडको उद्यमियों को भूमि प्राप्त करने में सहायता करेगा और कम लागत अनुमोदित भवन निर्माण सामग्री के उत्पादन के लिए एकक के गठन हेतु और फैक्टरी में बने मकान घटकों के लिए तकनीकी विशेषज्ञता तथा वित्त देगा। हुडको द्वारा दिए गए ऋणों पर ब्याज दर 13.5 प्रतिशत होगी।							

टिप्पणी :

(i) ऊपर बतायी गई अधिकतम लागत सीमा में पहाड़ी क्षेत्रों में आरम्भ की जाने वाली योजनाओं के लिए बंजर भूमि की लागत शामिल नहीं होगी।

(ii) (क) जिस मामले में वास्तविक लागत संशोधित अधिकतम लागत सीमा के भीतर है उसमें ऊपर दिए गए वर्गीकरण के आरम्भ होने की तारीख से पहले स्वीकृत योजनाओं के सम्बन्ध में (ख) जिन मामलों में वास्तविक लागत अधिकतम लागत सीमा से 10 प्रतिशत से अधिक के अन्तराल के भीतर है और योजनाओं को संशोधित पद्धति के अंतर्गत अभी भी स्वीकृत किया जाना है, के मामलों में कोई पुन: वर्गीकरण नहीं किया जायेगा।

(iii) यदि भवन निर्माण सामग्रियों की लागत में पर्याप्त वृद्धि है तो हुडको के निदेशकों का बोर्ड शहरी विकास मन्त्रालय को सूचित करते हुए प्रत्येक 2 वर्ष के बाद अधिकतम लागत सीमा में अन्तरिम वृद्धि कर सकता है जोकि 10 प्रतिशत से अनधिक होगी।

प्रशान्त विहार में दिल्ली विकास प्राधिकरण की मल-जल निकासी लाइन को भूमि का धंस जाना

1109. श्री मोहम्मद महफूज अली खां : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1986 में कुछ श्रमिकों की उस समय मृत्यु हो गई थी जबकि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्रशान्त विहार के निकट खोदी जा रही मल-जल निकासी लाइन की भूमि असुरक्षित कार्य दशाओं के कारण धंस गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले की कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उन लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है जिनकी असावधानी के कारण श्रमिकों की मृत्यु हुई ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। दिल्ली विकास प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार तीन श्रमिकों की दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। दुर्घटना के कारणों की दिल्ली विकास प्राधिकरण के मुख्य इन्जीनियर (कोटि-नियंत्रण) द्वारा जांच की जा रही है।

(ग) और (घ) अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट श्री एल० डी० गुप्ता द्वारा न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इस मामले में आगे की कार्यवाही का प्रश्न जांच पूरी होने के बाद ही उठेगा।

किसानों को कृषि आदानों की पूर्ति

1110. श्री बी० तुलसी राम : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में किसानों द्वारा कृषि आदानों के उपयोग के परिणामस्वरूप वर्ष 1983-84 के दौरान खाद्यान्नों का रिकार्ड उत्पादन हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो किसानों को सस्ती दरों पर कृषि आदान उपलब्ध कराने और उनके उत्पादों के लिए अच्छा लाभ देने के लिये भी सरकार क्या कदम उठा रही है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित/केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं कार्यान्वित कर रही है, जिनके तहत राजसहायता/सहायता मुहैय्या की गई है ताकि किसानों को उसके द्वारा उचित/सस्ती दरों पर आदान प्राप्त हो सकें। उनके उत्पाद के लिए अच्छा लाभ-सुनिश्चित करने के लिए चयनात्मक मूल्य समर्थन कार्य शुरू किया गया है।

रासायनिक उर्वरकों के कारण कृषि उत्पादन में कमी होना

1111. श्री बी० तुलसी राम : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के कारण देश में कृषि-उत्पादन में कमी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) आंध्र प्रदेश में रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से कृषि उत्पादन पर किस सीमा तक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(घ) कृषकों को कम मूल्य पर अच्छी किस्म के उर्वरक उपलब्ध करा कर और उनकी उपज के लिए लामप्रद मूल्य दिलवाकर उन्हें राहत देने हेतु सरकार द्वारा कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) उर्वरकों की खपत के वर्तमान स्तर पर, रासायनिक उर्वरकों के उपयोग के कारण आन्ध्र प्रदेश और पूरे देश में कृषि उत्पादन में कोई कमी नहीं आई है अथवा कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

(घ) कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार किसानों को अच्छी क्वालिटी के विभिन्न आदान जैसे बीज, उर्वरक, सिंचाई, कीटनाशी दवाइयां, उपस्कर, ऋण और तकनीकी जानकारी संघटित ढंग से मुहैया कराने के सभी प्रयास कर रही है। अच्छी क्वालिटी के उर्वरकों की सप्लाई उर्वरक (नियन्त्रण) आदेश के कारगर क्रियान्वयन द्वारा सुनिश्चित की जाती है। किसानों को उर्वरक की सप्लाई सस्ते दामों पर करने के लिए, सरकार ने खुदरा कीमतों पर काफी मात्रा में राज सहायता दे रखी है। उत्पाद का अच्छा लाभ सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा, कृषि लागत तथा मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर, समर्थन/अधिप्राप्ति मूल्य निर्धारित किये जाते हैं।

जलपूर्ति के लिए धन का कम आवंटन

1112. **श्री वी॰ तुलसी राम** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धन की कमी से देश के जल पूर्ति और सफाई कार्यक्रम पर बुरा प्रभाव पड़ने की सम्भावना है, जैसाकि दिनांक 5 फरवरी, 1986 के 'इकोनोमिक्स टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो आन्ध्र प्रदेश में पेय जल पूर्ति और सफाई योजनाओं पर इसका कहां तक प्रभाव पड़ेगा;

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान व्यय धनराशि आवंटन किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) राज्यों और विशेषकर आन्ध्र प्रदेश को जहां पेय जल की भारी कमी है, इस कार्य के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराये जाने के लिए क्या कारंवाई करने का विचार है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : जलपूर्ति तथा स्वच्छता क्षेत्र के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में नियतित संसाधनों तथा अन्य स्रोतों से उपलब्ध होने वाले सम्भावित संसाधनों को ध्यान में रखते हुए, अन्तर्राष्ट्रीय जलपूर्ति तथा स्वच्छता दशक के लिए पहले विचार किए गए लक्ष्यों को कम करना होगा।

(ख) 16 तथा 17 अक्तूबर, 1985 को दिल्ली में हुए मध्य दशक समीक्षा सम्मेलन के अनुसार, सम्पूर्ण देश में तथा आन्ध्र प्रदेश में जलपूर्ति तथा स्वच्छता के विभिन्न क्षेत्रों में सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक सम्भावित रूप से प्राप्त होने वाले लक्ष्य इस प्रकार हैं :—

उप क्षेत्र	लाभान्वित जनसंख्या	
	सम्पूर्ण देश में	आन्ध्र प्रदेश में
शहरी जलपूर्ति	86.4 प्रतिशत	75.4 प्रतिशत
शहरी स्वच्छता	44.7 प्रतिशत	35.6 प्रतिशत

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान जलपूर्ति तथा स्वच्छता क्षेत्र में व्यय होने वाले लगभग 3977.59 करोड़ रुपये के अनुमानित व्यय की तुलना में इस क्षेत्र में सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 6522.47 करोड़ रुपये का नियतन किया गया है। अत: निधियों के कम नियतन का प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) जलपूर्ति तथा स्वछता राज्य का विषय है तथा राज्य बजट में प्रावधान करके योजनायें बनाई जाती हैं तथा निष्पादित की जाती हैं। तथापि, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रशासित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम की योजना के अन्तर्गत समस्याग्रस्त गांवों को लाभान्वित करने के लिए केन्द्र राज्यो को अनुदान देता है। कल्याण मन्त्रालय द्वारा प्रशासित मानव अपशिष्ट को ढोने वाले सफाई कर्मचारियों की विमोचन योजना के अन्तर्गत शहरी स्वच्छता के लिए केन्द्रीय अनुदान उपलब्ध है। छोटे तथा मध्यम दर्जे के नगरों की एकीकृत विकास के अंतर्गत आने वाले नगरों के लिए कम लागत की स्वच्छता हेतु ऋण सहायता भी दी जाती है। जीवन बीमा निगम, हुडको, विश्व बैंक तथा द्विपक्षीय अभिकरणों से भी ऋण सुविधायें उपलब्ध हैं।

प्रकाशन विभाग और नेशनल बुक ट्रस्ट के बीच समन्वय

1113. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न भाषाओं में विभिन्न शीर्षकों के प्रकाशनों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए प्रकाशन विभाग और नेशनल बुकट्रस्ट के बीच कोई समन्वय सुनिश्चित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो यह समन्वय किस प्रकार किया गया; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) से (ग) जी, हां। प्रकाशन विभाग द्वारा वार्षिक प्रकाशन कार्यक्रम को अन्तिम रूप दिए जाने से पहले पुनरावृत्ति को रोकने के लिए नेशनल बुक ट्रस्ट से परामर्श किया जाता है।

प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत

1114. **श्री अमर राय प्रधान**
श्री बी० वी० देसाई
श्री के० प्रधानी
: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न संकट से राहत दिलाने के लिए केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियों तथा परिपाटियों की पुनरीक्षा करने हेतु हाल ही में सभी राज्यों के राजस्व मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो उस सम्मेलन में हुई चर्चा के क्या परिणाम निकले और इस मामले में अब तक क्या प्रगति हुई है?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) सम्मेलन ने निम्नलिखित मुख्य सिफारिशें कीं :—

(1) राज्यों को विभिन्न विपदाओं के लिए केंद्रीय सहायता की विभिन्न मदों के मानदंडों से अवगत किया जाएगा ताकि उनके ज्ञापन अधिक यथार्थवादी बन सकें।

(2) दो कार्यकारी दल, एक सूखा तथा बाढ़ संबंधी माडल ज्ञापन तैयार करने के लिए और दूसरा विपदा के दौरान संचार पद्धति के लिए, गठित किए जाएंगे।

(3) सूखे के दौरान राहत संबंधी कार्यों के कार्यकर्ताओं को रियायती दरों पर खाद्यान्नों का वितरण किया जाएगा।

कृषि उत्पादकता में वृद्धि

1115. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी भागों में वर्ष 1980 से 1985 तक कृषि का कुल कितना उत्पादन हुआ; और

(ख) सरकार द्वारा सातवीं योजनावधि के दौरान कम कृषि उत्पादन वाले क्षेत्रों में कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) देश के पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी भागों में 1980-81 से 1984-85 के दौरान मुख्य फसलों की उत्पादकता को दर्शाने वाला एक **विवरण** संलग्न है।

(ख) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कुछेक क्षेत्रों में कुछ फसलों की उत्पादकता कम रही है, सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाये हैं :—

(1) असम, बिहार, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के पूर्वी राज्यों में चुनिंदा खण्डों में एक केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में चावल उत्पादन कार्यक्रम के कार्यान्वयन के जरिए चावल का उत्पादन बढ़ाने में सफलता हासिल करना।

(2) उन फसलों और इलाकों दोनों के मामले में जहां पैदावार कम हुई हो और वृद्धि दर न बढ़ी हो वर्षासिंचित खेती की प्रौद्योगिकी का प्रसार करना।

(3) एक केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में विशेष दलहन विकास कार्यक्रम के जरिए दालों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना।

(4) सिंचाई क्षमता का अधिक उपयोग करना।

(5) राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना आदि के कार्यान्वयन के जरिये तिलहनों का उत्पादन बढ़ाना।

विवरण

भारत के विभिन्न भागों में मुख्य फसलों की उत्पादकता

(कि०ग्रा०/हैक्टेयर)

फसल/क्षेत्र		1980-81	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85
चावल	दक्षिण	1895	2079	1966	1983	2012
	पूर्व	1087	916	828	1158	1097
	उत्तर	1461	1535	1619	1725	1762
	पश्चिम	1426	1537	1214	1545	1324
गेहूं	दक्षिण	568	634	556	629	581
	पूर्व	1106	1153	1228	1366	1327
	उत्तर	1946	2001	2156	2175	2229
	पश्चिम	1372	1488	1589	1521	1489

1	4	3	4	5	6	7
मोटे	दक्षिण	772	882	768	837	805
अनाज	पूर्व	692	701	686	855	805
	उत्तर	937	947	920	1018	1162
	पश्चिम	572	592	568	718	664
दालें	दक्षिण	299	358	363	381	370
	पूर्व	483	530	530	581	548
	उत्तर	798	614	788	896	837
	पश्चिम	349	406	440	468	438
तिलहन	दक्षिण	574	813	642	784	741
	पूर्व	488	500	482	575	576
	उत्तर	459	461	500	512	532
	पश्चिम	591	725	590	742	712

दक्षिण क्षेत्र : आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल

पूर्वी क्षेत्र : पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम

उत्तरी क्षेत्र : उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर

पश्चिमी क्षेत्र : राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात।

यंत्रीकृत खेती

1116. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यंत्रीकृत खेती से देश में बेरोजगारी की समस्या बढ़ी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) ट्रैक्टरीकरण के प्रभाव के विशेष संदर्भ में, यंत्रीकृत खेती पर किए गए अध्ययन से यह पता चला है कि ट्रैक्टरीकरण से विनिमर्णि मरम्मत तथा रख-रखाव में कृषि से इतर रोजगार सृजित होता है और इसके बहुमुखी प्रभाव से भी अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होता है। यह निष्कर्ण भी निकाला गया है कि खेती के काम के लिए भाड़े के श्रम की मांग बढ़ने के साथ-साथ पारिवारिक श्रम, विशेषकर महिला और बच्चों के श्रम में कमी हुई है।

ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम में संशोधन

1117. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह**
श्री एन० डेनिस } : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 के कानूनी कार्यान्वयन में खामियाँ दूर करने हेतु इसमें संशोधन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) जी, हां। ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 में संशोधन करने पर कार्यवाही की जा रही है।

हाल ही में, 1986 के ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) संशोधन अध्यादेश सं० 3 द्वारा अधिनियम के अधीन "समुचित सरकार" की परिभाषा में संशोधन किया गया है और उक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए एक विधेयक राज्य सभा में पेश कर दिया गया है।

उर्वरकों की कीमतों में वृद्धि

1118. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरकों और पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में भारी वृद्धि का खाद्य उत्पादन पर प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(ख) यदि हाँ, तो खाद्य उत्पादन के लक्ष्यों में कितनी कमी होने का अनुमान है?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

नारियल और खोपरा का उत्पादन मूल्य

1119. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि लागत और मूल्य आयोग ने, जिससे नारियल और खोपरा के उत्पादन के बारे में प्राथमिकता के आधार पर अध्ययन करने को कहा गया था, अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो आयोग के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गयी है?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, नहीं। कृषि लागत और मूल्य आयोग विभिन्न फसलों के सम्बन्ध में उनके मूल्य सम्बन्धी प्रस्ताव तैयार करते समय, अनेक सम्बद्ध घटकों को ध्यान में रखता है। उनमें से एक महत्वपूर्ण घटक विशिष्ट फसलों की खेती की लागत है। नारियल जो कि रोपण और बारहमासी फसल है, की खेती की लागत का अध्ययन करने के लिए गेहूं, धान, कपास, तिलहन आदि जैसी कृष्य फसलों के इस समय चल रहे अध्ययनों की तुलना में एक भिन्न पद्धति की जरूरत होती है। अपेक्षित अध्ययन शुरू करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सेन समिति की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों का कार्यान्वयन

1120. **श्री के० राममूर्ति**
श्री वासुदेव आचार्य
डा० बी० एल० शैलेश
डा० सुधीर राय
श्री लक्ष्मण मलिक
श्री सी० पी० ठाकुर
: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एस० आर० सेन समिति द्वारा कौन-कौन सी मुख्य सिफारिशें की गयी हैं, जिन्हें चार पूर्वी राज्यों में कृषि उत्पादन में वृद्धि करने हेतु स्वीकृत किया गया है;

(ख) क्या सेन समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के लिये कोई प्रयास किया गया है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) पटना में हाल ही चार पूर्वी राज्यों के मुख्य मंत्रियों के हुए दो दिवसीय सम्मेलन में क्या निर्णय किये गये और उन पर क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) पूर्वी भारत में कृषि उत्पादकता पर समिति (एस० आर० सेन समिति) की सिफारिशों का संबंध आदान-सप्लाई को सुदृढ़ करने, विस्तार और अनुसंधान द्वारा प्रोत्साहन, भूमिगत-जल स्रोतों का अधिकतम उपयोग, फसल प्रणाली में विविधता लाने, ऋण तथा सहकारी संस्थानों को पुन: सक्रिय करने, जनजातीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने और कृषि के क्षेत्र में संगठनात्मक और प्रबन्धकीय समन्वय को अधिक कारगर बनाने से है। ये सिफारिशें इस क्षेत्र के छोटे किसानों की अर्थव्यवस्था को व्यवहार्य बनाने की ओर संकेन्द्रित हैं।

समिति की सिफारिशों पर विचार करने के लिए 8 जनवरी, 1986 को पटना में केंद्रीय कृषि मंत्री की अध्यक्षता में बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के मुख्य-मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था।

राज्य सरकारों ने प्रारम्भ में वर्तमान योजना परिव्यय में ही समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने पर अपनी सहमति प्रकट की।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अंतर्गत चिकित्सा सुविधाएं

1121. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सेवा-निवृत श्रमिकों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के प्रयोजनार्थ कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा प्रस्तुत किए गए चार विकल्पों में से किसी को स्वीकृति प्रदान कर दी है; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं, और इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है;

(ख) क्या पैनल डाक्टर व्यवस्था की पुनरीक्षा करने और उसमें सुधारों के सुझाव देने के लिए कर्मचारी बीमा निगम द्वारा गठित त्रिपक्षीय समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) कर्मचारी राज्य बीमा निगम से हाल ही में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और उस पर विचार किया जा रहा है। तथापि, इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम में उचित संशोधन करना पड़ेगा, जिसमें समय लग सकता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

अपर्याप्त शीतागार क्षमता

1122. **श्री के० राममूर्ति**
श्री संतोष मोहन देव } : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उत्पादित 30 प्रतिशत फल और सब्जियां अपर्याप्त शीतागार क्षमता के कारण खराब हो जाती हैं;

(ख) क्या 85-85 प्रतिशत शीतागार गैर-सरकारी क्षेत्र में हैं और शेष 14-15 प्रतिशत सरकारी तथा सहकारी क्षेत्र में हैं, जिनका प्रयोग मछली, मांस, अण्डे, मुर्गी तथा दूध और डेरी उत्पादों के लिये होता है;

(ग) क्या स्वास्थ्य कर और उचित वातानुकूल स्थिति सुनिश्चित करने के लिए शीतागार आदेश, 1965 को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित नहीं किया जा रहा; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकारी तथा सहकारी क्षेत्रों में शीतागार भंडारण क्षमता में वृद्धि करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) डा० एम० एस० स्वामीनाथन के नेतृत्व में "जल्दी खराब होने वाले कृषि जिंसों से संबंधित दल" की रिपोर्ट के आधार पर 40 प्रतिशत मात्रा तक जल्दी खराब होने वाले जिन्स विभिन्न अवस्थाओं में कई कारणों से, जिसमें समुचित शीतागार की कमी भी शामिल है, खराब हो जाते हैं।

(ख) लगभग 47 लाख मीटरी टन की कुल स्थापित भण्डारण क्षमता में से करीब 92.88 प्रतिशत निजी क्षेत्र में, 5.35 प्रतिशत सहकारी क्षेत्र में और 1.77 प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्र में होने का अनुमान है।

(ग) और (घ) शीतागार आदेश, 1964 निरस्त कर दिया गया है और एक नया आदेश यथा शीतागार आदेश, 1980 जारी किया गया है और यह उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब और हरियाणा को छोड़कर पूरे देश में लागू किया गया है। शीतागारों में स्वास्थ्यकर और उचित प्रशीतन सुनिश्चित करने के लिए शीतागार आदेश, 1980 को अधिक विस्तृत और बृहत बनाया गया है। सहकारी क्षेत्र में शीतागार क्षमता का विस्तार करने के भी प्रयास किये जा रहे हैं।

[हिन्दी]

बिहार में कुदूर-कोचा में पाये गये सोने के निक्षेप

1123. **प्रो० चन्द्र भानु देवी**
श्री एस० जी० घोलप } : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में जमशेदपुर से 40 किलोमीटर दूर कुदूर-कोचा के आदिवासी क्षेत्र में बड़ी मात्रा में सोने के निक्षेप पाये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) जी, नहीं। कुदूर-कोचा के आदिवासी क्षेत्र में बड़ी मात्रा में स्वर्ण निक्षेप नहीं पाए गए हैं। इस क्षेत्र में स्वर्ण होने के बारे में वास्तव में सरकार पहले से अवगत है। इस समय, खनिज गवेषण निगम लिमिटेड कुदूर-कोचा क्षेत्र में विस्तृत गवेषण कर रहा है, जो प्रारंभिक अवस्था में है। भंडारों का आकलन कार्य पूरा होने पर ही किया जा सकेगा।

[अनुवाद]

'हुडको' योजना, 1979 के अधीन फ्लैटों का आवंटन

1124. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा नई 'हुडको' योजना, 1979 के अधीन फ्लैटों के आवंटन के लिए जनवरी, 1983 में निकाले गये ड्रा की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो कितनी बस्तियों में इन फ्लैटों का कब्जा दे दिया गया है;

(ग) शेष बस्तियों के लिये कब तक विशेष ड्रा निकाला जायेगा; और

(घ) आबंटियों को उन फ्लैटों का कब्जा कब तक दिये जाने की सम्भावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां। आवंटन फरवरी, 1983 में किया गया था (न कि जनवरी, 1983 में)।

(ख) फ्लैट का कब्जा अभी तक नहीं दिया गया है। 1-2-1983 को आवंटित फ्लैटों की स्थिति का एक विवरण संलग्न है।

(ग) ज्यों ही फ्लैटों का निर्माण पूरा हो जाएगा। शेष फ्लैटों के लिए ड्रा निकाला जाएगा।

(घ) 8229 फ्लैटों का कब्जा जिनके लिए मांग एवम् आवंटन पत्र जारी कर दिए गए, आबंटियों द्वारा भुगतान तथा अपेक्षित कागजात आदि प्रस्तुत करने के बारे में औपचारिकताएं पूरी करने पर दिया जाएगा।

विवरण

क्र० सं०	श्रेणी	कालोनी	फ्लैटों की संख्या	आवंटन की तारीख	विशिष्ट ड्रा की तारीख	विशिष्ट ड्रा किए गए फ्लैटों की संख्या	डी०ए०एल० जारी करने की तारीख (माँग तथा आवंटन-पत्र)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	एम०आई०जी०	दिलशाद गार्डन	1236	1-2-83	15-3-84 19-5-85	723 454	20-3-85 22-3-85	59 फ्लैट पूरे नहीं किए गए है अतः विशिष्ट ड्रा नहीं निकाला गया
2.	एम०आई०जी०	त्रिलोकपुरी	600	1-2-83	15-3-84 19-5-85	428 172	अक्तुबर, 84 सितम्बर, 85	
3.	एम०आई०जी०	विकासपुरी	1500	1-2-83	19-5-85	1500	—	1500 में से 263 मामलों में डी०ए० एल० 27-9-85 को जारी किए गए शेष डी० ए० एल० संगणक से तैयारी के अधीन हैं।
4.	एल०आई०जी०	दिलशाद गार्डन	1290	1-2-83	15-3-84	1184	दिसम्बर, 84 जनवरी, 85	106 फ्लैट पूर्ण नहीं हुए थे अत: विशिष्ट ड्रा नहीं निकाला गया

(·· जारी)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	एल०आई०जी०	पीतमपुरा	270	1-2-83	15-3-84	270	अगस्त, 84	
6.	एल०आई०जी०	एस० बाग	167	1-2-83	—	—	—	फ्लैट पूर्ण नहीं हुए विशिष्ट ड्रा नहीं निकाला गया
7.	एल०आई०जी०	मादीपुर	200	1-2-83	15-3-84	200	सितम्बर, 84	
8.	एल०आई०जी०	जनकपुरी	340	1-2-83	19-5-85	340	अगस्त, 85	
9.	एल०आई०जी०	पश्चिमपुरी	300	1-2-83	19-5-85	300	अगस्त, 85	
10.	एल०आई०जी०	त्रिलोकपुरी	900	1-2-83	15-3-84	404	अक्तूबर, 84	फ्लैट पूर्ण हैं तथा डी० ए० एल० एक सप्ताह के भीतर जारी कर दिए जाएंगे।
					19-6-85	496		
11.	एल०आई०जी०	कालकाजी	304	1-2-83	—	—	—	फ्लैट पूर्ण नहीं हैं अतः विशिष्ट ड्रा नहीं निकाला गया
12.	जनता	दिलशाद गार्डन	1003	1-2-83	15-3-84	1003	सितंबर, 85	
13.	जनता	पीतमपुरा	197	1-2-83	19-5-85	197	नवम्बर, 85	
14.	जनता	एस० बाग	108	1-2-83	15-3-84	108	मार्च, 85	
15.	जनता	एल० रोड	960	1-2-83	—	—	—	फ्लैट पूर्ण नहीं हैं विशिष्ट ड्रा नहीं निकाला गया
16.	जनता	विकासपुरी	450	1-2-83	15-3-84	450	मई, 85	
			9825			8229		

नारियल उत्पादकों को संरक्षण

1225. श्री टी० बशीर
श्री के० कुन्जम्बु
श्री वक्कम पुरुषोत्तमन } : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार देश में उन नारियल उत्पादकों को संरक्षण देने के लिए कोई कार्यवाही की है, जिनको कम उपज और मूल्यों में कमी होने के कारण अत्याधिक हानि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है और उसके क्या परिणाम निकले ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) नारियल के विकास और देश के नारियल उत्पादकों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

(1) देश में नारियल के विकास के केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम-जैसे जड़ मुरझाने के रोग से प्रभावित पॉम को हटाने के लिए सहायता का कार्यक्रम; केरल में रोगग्रसित और अनुउत्पादी पौधों को रोगमुक्त करना; नारियल उत्पादकों को सिंचाई की सुविधाओं की व्यवस्था के लिए सहायता की परियोजना और तमिलनाडु में जड़ मुरझाए हुए पौधों के उन्मूलन की परियोजना उत्पादकता में वृद्धि करने के उद्देश्य से क्रियान्वित किये जा रहे हैं।

(2) सरकार ने केरल और लक्षद्वीप में मंडी से 1200/-रुपये प्रति क्विंटल की दर से खोपरे की खरीद हेतु मंडी में दखल देने का कार्यक्रम शुरू किया है।

(3) भारत सरकार ने नारियल के तेल का आयात तब तक के लिए सीमित कर दिया है, जब तक कि उपभोक्ताओं के लिए इसकी उपलब्धता और कीमतें एक उचित स्तर तक नहीं रहतीं।

(4) 1985-86 के दौरान बिना किसी न्यूनतम निर्यात कीमत की शर्त के 500 मीटरी टन की अधिकतम सीमा तक नेफेड के माध्यम से हस्क उतरे हुए नारियल के निर्यात की अनुमति दी गई है। 1985-86 के दौरान 500 मीटरी टन की अधिकतम सीमा तक खोपरा/नारियल उत्पाद के निर्यात की भी अनुमति दी गई है।

उपरोक्त कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप, नारियल की खेती करने वालों को उपज में सुधार करने और अपने उत्पाद के लिये न्यूनतम कीमत पाने के लिए सहायता मिल रही है।

वाणिज्यिक फसलों के लिए फसल बीमा योजना का विस्तार

1126. श्री के० रामचन्द्र रेड्डी
श्री सैयद शहाबुद्दीन } : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास फसल बीमा योजना के क्षेत्र के विस्तार का कोई प्रस्ताव है ताकि इसके अन्तर्गत वाणिज्यिक फसलों के अलावा अन्य फसलें भी शामिल की जा सकें;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में विशेषज्ञों और कृषि में रुचि रखने वाले व्यक्तियों से सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) सरकार ने खरीफ 1985 से देश में वृहत् फसल बीमा योजना लागू की है, जिसमें चावल, गेहूं, कदन्न, तिलहन तथा दलहनों को शामिल किया गया है। सरकार को कपास, गन्ना, बागवानी, फसलों, आलू आदि जैसी कुछ अन्य फसलें इस योजना में शामिल करने के लिए कतिपय सुझाव प्राप्त हुए। सुझावों की जांच करने तथा उचित सिफारिशें करने के लिए एक समिति गठित की गई थी। इस समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

किसानों को दिये गये ऋणों के संबंध में अध्ययन

1127. **श्री चित्त महाता** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया है कि क्या सरकार द्वारा किसानों को दिये जा रहे ऋण उन्हें समय पर मिल रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उक्त अध्ययन के निष्कर्ष क्या हैं और सरकार ने इस मामले में क्या कदम उठाये हैं?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) सहकारी समितियों, वाणिज्यिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों जैसी संस्थागत एजेंसियों के माध्यम से किसानों को कृषि-ऋण संवितरण किया जाता है। किसानों को ठीक समय पर ऋण मिलने के संबंध में जांच करने के लिए सरकार ने कोई विशेष अध्ययन नहीं किया है। तथापि, सरकार संस्थागत एजेंसियों पर इस बात के लिए दबाव डाल रही है कि ऋण का प्रवाह ठीक समय तथा पर्याप्त मात्रा में सुनिश्चित होना चाहिए।

उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि का प्रभाव

1128. **डा० टी० कल्पना देवी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जनवरी, 1986 से उर्वरकों के सरकारी खुदरा मूल्यों में वृद्धि करने के क्या कारण हैं;

(ख) वर्ष 1985-86 के लिए उर्वरकों पर कितनी राज सहायता का अनुमान है;

(ग) राज सहायता की धनराशि में अगले वर्ष कितनी कटौती हो. की सम्भावना है; और

(घ) क्या सरकार को यह जानकारी है कि उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि होने से छोटे किसानों का निर्धनतम वर्ग बहुत प्रभावित होगा तथा उसके परिणामस्वरूप उर्वरकों की खपत में गिरावट आएगी जिससे खाद्यान्नों के उत्पादन में कमी होगी ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) राज-सहायता को उचित सीमाओं में नियंत्रित करने के लिए 31 जनवरी, 1986 से उर्वरक के मूल्यों में वृद्धि की गई थी।

(ख) वर्ष 1985-86 के दौरान उर्वरकों पर राज सहायता की कुल अनुमानित धनराशि लगभग 2000 करोड़ रुपए है।

(ग) हाल में मूल्य बढ़ने के कारण 1986-87 के दौरान राज सहायता के स्तर में लगभग 400 करोड़ रुपए तक की कटौती होने की संभावना है।

(घ) उर्वरक के मूल्यों में हाल में हुई वृद्धि से उर्वरक की खपत पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा। फलत: खाद्यान्नों के उत्पादन पर भी असर नहीं पड़ेगा। कृषि उत्पाद के लिए समर्थन मूल्य निर्धारित करते समय उर्वरकों की बढ़ी हुई लागत को ध्यान में रखा जाएगा। इससे छोटे किसानों के कमजोर वर्ग के बहुत अधिक प्रभावित होने की संभावना भी नहीं है।

दालों, तिलहनों, नारियल, फलों, दूध आदि के संबंध में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के अनुसंधान और विकास संबंधी प्रयास

1129. **डा० टी० कल्पना देवी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् दालों, तिलहनों, नारियल, फलों, दूध और अन्य संरक्षित खाद्य पदार्थों की उत्पादकता में कोई सुधार लाने में सफल नहीं हुई है;

(ख) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा गेहूं और चावल में सुधार का किया गया दावा आयातित बीजों के कारण किया है; और

(ग) क्या सरकार का विचार आस्ट्रेलिया और सुदूर पूर्व के देशों से दालों, तिलहनों आदि की उन्नत किस्में मंगाने का है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) दालों, तिलहनों, नारियलों, फलों और दूध तथा अन्य उत्पादक खाद्यों पर अनुसंधान केन्द्रीय संस्थानों, प्रायोजना निदेशालयों, अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजनाओं और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से की जाती हैं। दीर्घकालीन अनुसंधान प्रयासों से अनेक प्रजातियां एवं संकर किस्में विकसित की गईं तथा खेती के लिए जारी की गईं। साथ ही साथ, उपज को अधिकतम करने के लिए उपयुक्त कृषि तकनीक और पौध संरक्षण सूची का मानकीकरण किया गया है और अपनाने के लिए उनकी सिफारिश की गई है। उत्पादन और प्रबंध पद्धतियों के पैकेज को विस्तार करके, विभिन्न पण्यों का उत्पादन निम्न प्रकार बढ़ा :—

	1970-71 (दस लाख टनों में)	1984-85 (दस लाख टनों में)
दालें	11.82	12.20
तिलहनें	9.54	13.10
फल	7.00	22.50
सब्जियां	24.60	35.60
दूध	22.50	38.80

तथापि, नारियल के मामले में, उपज में कमी आई है। उसके कारण पुराने पेड़ों का न समाप्त करना अनुपयुक्त तथा रोग प्रभावित पौधे, महत्वहीन क्षेत्रों में नारियल की खेती का विस्तार तथा मानसून और सूखा की असाधारण स्थितियां हैं। तथापि, रोग तथा सूखे के जोखिमों को न्यूनतम बनाने के लिए तथा अधिक उपज देने वाले संकर प्रजननों को उनसे संबंधित प्रबंध तकनीकों सहित विकसित करके अनुसंधान प्रयासों को सघन बनाया जा रहा है। खेती के लिए सिफारिश किये गये कुछ कल्टीवारों की उपज क्षमता बारानी दशाओं में भी मानक लम्बे कल्टीवारों की अपेक्षा 19.4 से 42.0 प्रतिशत अधिक है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के पास सुदृढ़ गेहूं और चावल सुधार कार्यक्रम हैं और इन कार्यक्रमों के अंतर्गत विकसित अनेक अधिक उपज देने वाली प्रजातियों के कारण देश में गेहूं और चावल की उपज बढ़ी है।

(ग) पौध सामग्रियों का विनिमय जनन द्रव्य के स्रोतों में बढ़ोत्तरी करने और देशज प्रजनन कार्यक्रमों में उनके उपयोग करने के लिए किया जा रहा है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा तिलहनों की किस्मों का विकास

1130. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने देश में तेल की मांग की पूर्ति करने के लिये तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु तिलहनों की अच्छी किस्मों का विकास किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में खाद्यान्नों और तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या और उपाय किए जा रहे हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) भा० कृ० अ० प० ने विभिन्न तिलहनी फसलों की अनेक अधिक पैदावार देने वाली तथा दबाव सहने वाली अच्छी क्वालिटी की किस्मों और उपयुक्त उत्पादन प्रौद्योगिकियों का विकास किया है। संलग्न विवरण-I में दिये गये आंकड़ों से शुष्क और सिंचित कृषि स्थितियों के अंतर्गत उनकी उत्पादन क्षमता की जानकारी दी गई है। संलग्न विवरण-II में दिये गये आंकड़ों में अनाज की फसलों की उन्नत किस्मों की जानकारी दी गई है।

(ग) यह बात साबित हो चुकी है कि उन्नत किस्मों को अपनाकर, अच्छी क्वालिटी के बीजों के प्रयोग, विभिन्न प्रकार के बीजों और मृदा से पैदा होने वाली बीमारियों से सुरक्षा के लिए बीज के उपचार, अनेक कीट-व्याधियों के विरुद्ध उपयुक्त पौध संरक्षण उपाय, और जहां कहीं भी संभव हो संतुलित उर्वरक और संरक्षित सिंचाई के द्वारा तिलहनों के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि की जा सकती है।

रबी-ग्रीष्मकालीन मूंगफली की खेती इस बात को ध्यान से रखते हुए और अधिक लोकप्रिय हो गई है कि इसकी उत्पादन क्षमता खरीफ-मौसम की तुलना में काफी अधिक है। इसी तरह, तोरिया-सरसों और कुसुम की शुद्ध फसल के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में भी वृद्धि हो गई है। सूरजमुखी और सोयाबीन की खेती का भी तेजी से विकास हो रहा है। विभिन्न तिलहनी फसलों के क्वालिटी बीज के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए भी भारी प्रयास किये जा रहे हैं।

इन सभी उपायों के परिणामस्वरूप तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। इसका उत्पादन जहां 1970-71 में 95.41 लाख मीटरिक टन था वह बढ़कर 1984-85 में 130.99 टन हो गया।

तिलहन का और अधिक उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने एक "टेक्नालाजी मिशन आन आयलसीड प्रोडक्शन" की स्थापना की है जिससे कि वनस्पति तेल के मामले में देश को शीघ्रातिशीघ्र आत्मनिर्भर बनाया जा सके और निर्यात को कम किया जा सके। जहां अनाजों का प्रश्न है, अनाज की अनेक फसलों का विकास किया गया है और खेती के लिए उन्हें रिलीज किया गया है। इसकी खेती को भी लोकप्रियता प्राप्त हुई है (अनुबंध-II)।

यूरिया का धान की फसल में गहराई में प्रयोग, खरपतवार नियंत्रण के लिए कीटनाशक दवाओं के उपयोग, पौधों की अधिक संख्या, आवश्यकता के अनुसार पौध संरक्षण उपायों के साथ धीमी गति से रिलीज होने वाले उर्वरकों के प्रयोग से उत्पादन बढ़ाने में मदद मिली है। गेहूं की फसल में कतारों की निकटता, कीस-क्रौस बुआई, और गहराई में नाइट्रोजन के प्रयोग से पैदावार में काफी वृद्धि हुई है।

रबी मौसम के दौरान मक्के की खेती करने से उसकी पैदावार में वृद्धि हुई है। बुआई की तिथियों में संयोजन तथा शूटफ्लाई के नियंत्रण से ज्वार की पैदावार में वृद्धि हुई है। उन्नत बीजों के इस्तेमाल, संतुलित उर्वरकों के प्रयोग, खरपतवारों के नियंत्रण, डाउनी मिल्डयू, अर्गोट आदि जैसी खतरनाक बीमारियों के नियंत्रण के लिए क्रमिकरूप फफूंदनाशी दवाओं के उपयोग से बाजरे की पैदावार में काफी वृद्धि हुई है। इसी तरह उन्नत प्रौद्योगिकियों, दुआई के उपयुक्त समय, संतुलित उर्वरकों के प्रयोग और पौधों की अनुकूलतम ठहराव से छोटे मोटे अनाजों की पैदावार में वृद्धि हुई है।

इन उत्पादन प्रौद्योगिकियों के साथ उपयुक्त विकास कार्यक्रमों से अनाजों की पैदावार में वृद्धि हुई है। इस तरह 1970-71 में जहां अनाजों की पैदावार 96.60 मिलियन टन थी वह बढ़कर 1984-85 में 134.03 मिलियन टन हो गई।

विवरण-I

तिलहन की विकसित की गई किस्मों की सूची

फसल	किस्मों की संख्या	उप संभावना शुष्क कृषि	उप संभावना सिंचित	हाल में विकसित मुख्य किस्में
1	2	3	4	5
मूंगफली	46	800-1800	2000-3000	जे० एल०-24, को-1, डी०एन० 3-30, केदारी-3, एम-13, एम-37, एम० एच०-1 चन्द्रा, एम०एच-2, बी०जी०-2, जे०-11, टी० एम० वी०-12, टी० जी०-1, टी०जी०-17, के० आर० जी०-1, आई०सी० जी० एस०-11, कौशल
तोरिया सरसों	32	800-1400	1500-2000	आर० एच०-30, सीता, क्रांति, पूसा बोल्ड, वरुणा, आर० आई० एम०-514, प्रकाश, आर०एल०एम०-198, पी०टी०-303
रामतिल	19	400-800	—	गौरी, माधवी, जे०टी०-7, को-1, एन०-32

1	2	3	4	5
सूरजमुखी	5	800-1000	अब तक 2000	बी०एस०एच०-1, को-1, सूर्नी, माडर्न
कुसुम	5	900-1500	वहीं	तारा, भीमा, ए-1, जे० एस० एफ०-1, मंजीरा
सोयाबीन	11	800-1000	1500-2500	गौरव, मोनेटा, दुर्गा, जे० एस०-2, पी०के०-308, पी० के०-327, पी० के०-262, पी० के०-472, के० एच० एस० बी०-2
नाइजर	10	300-450	—	एन-71, फुले-1, आई० जी० पी०-76, आर०सी० आर०-18, जी० ए० 1, जी०ए०-2
अरण्डी	10	800-1000	1000-1200	अरुणा, भाग्य, सौभाग्य, जी०ए० यू० सी० एन०-1, जी०सी० एच०-3, आर० सी०-6, जी० ए०यू० सी० एच०-2
अलसी	14	900-1000	1500-2000	नीलम, हीरा, मुक्ता, हिमालिनी, स्वीटा, गरिम

विवरण-II

हाल ही में विकसित की गई अनाज की फसलों की उन्नत किस्मों की सूची

फसल	किस्में
चावल	**वर्षा पर निर्भर ऊंची भूमि :** खेसारी, सुभद्रा, पल्लवी, सत्तारी, गोविन्द, आई० ई० टी०-6223, एम०डी०यू०-, नरेन्द्र-1, पूर्णा, आई०ई०टी०-7564, आई०ई०टी०-7566, आई०ई०टी०-7613, आई०ई०टी०-7614। **वर्षा पर निर्भर नीची भूमि/जल ठहराव वाले क्षेत्र** सावित्री, जयश्री, सी०एन०-539, सी०एन०-540, स्वर्णधान, आई० ई०टी०-7251, आई०ई०टी०-7252, आई०ई०टी०-759। **गहरे पानी वाला क्षेत्र :** जानकी, बाकु, एन०सी० 490, एन०सी० 481। **लवणीय-क्षारीय क्षेत्र :** सी०एस०आर० 5, एस०ए०आर० 41, एस०ए०आर०-43, आई० ई०टी० 6694, आई०ई०टी० 6695, आई०ई०टी० 9710, आई० ई०टी० 7911। **अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र :** बी०एल०के० धान 39, हिमालय-1, हिमालय-2, एच०पी०यू०-2171, आई०ई०टी० 8379।

1	2
बाजरा :	गुजरात हाईब्रिड बाजरा 32, एम०पी० 31, सी०एम० 46, एम० बी०एच० 110, पी०एच०बी० 47, एक्स 5, एम०बी०एच० 118, एच०एच०बी० 45, जी०एच०बी० 45, जी०एच०बी० 27, पी० एस०बी० 8, डब्ल्यू०सी०सी० 75, आर०सी०बी०-2, एच०सी० 4, आई०सी०एम०एस० 7703 ।
छोटे मोटे अनाज .	पी०एस०सी० 1, पी०एस०सी० 2, आर०पी०एस० 62-3/(कोदो मिलेट), एस०एल०सी० 3 (फाक्सटेल मिलेट), आर०सी०-3 (छोटे मोटे अनाज), एम०एस० 1307, एम०एस 1316 (प्रोस मिलेट), आर०ए०यू० 9, बी०एल० 28, बी०एल० 29 (बर्नीयाड मिलेट) ।
गेहूं :	एच०डी० 2329, पी०बी० डब्ल्यू० 34 (डी), एच०डी० 2285, डी०एल० 153-3, एन०एच०डब्ल्यू० 206, डब्ल्यू० एच० 291, राज 2184, एच०डी० 2307, डी०डब्ल्यू० आर० 39, एच०डी० 237, एच०डी० 2278, सी०पी०ए०एम० 1796, एच०डब्ल्यू० 741, एच०डी० 2402, एच०आई० 1123, एच०आई० 977, यू० पी० 1100 ।
मक्का :	डेक्कन-103, तरुण, अगेती 76, दियारा-3, डी० 765, प्रताप कंचन, हेमंत, अफ्रीकन टाल, रेनुका, को-1, ओली कम्पोजिट ।
ज्वार :	सी०एस०एच-9, सी०एस०वी० 10, सी०एस०वी० 9, यू०एस० एच०जी०एच० 1, एस०बी० 905, एस०पी०वी० 235, जी०जे० 35, एस०पी०वी 245, एस०पी०वी० 46, एस०पी०वी० 246, एस०पी०वी० 297, एस०पी०वी० 96, एस०पी०एच० 219, एस० पी०ए० 196, एस०पी०एच० 221 ।

एस्बेस्टोज पर प्रतिबन्ध का प्रस्ताव

1131. **श्री थम्पन थामस** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कितनी खानें काम कर रही हैं;

(ख) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि "एस्बेस्टोज" के कारण कैंसर हो जाता है;

(ग) भारत में "एस्बेस्टोज" के उपयोग के सम्बंध में ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का "एस्बेस्टोज" के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने और उसका कोई विकल्प ढूंढ़ने का विचार है ?

खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) वर्ष 1985 में 81 खानें उत्पादनरत थीं ।

(ख) एस्बस्टस को कैंसरजन्य माना जाता है और एस्बेस्टस धूल के लगातार सम्पर्क में रहने से न्यूमोकोनियोसिस-मेसोथिलियोमा और फेफड़े का कैंसर होने की सूचना है ।

(ग) एस्बेस्टस का उपयोग मुख्यतया एस्बेस्टस सीमेंट चद्दरों और दबाव पाइप बनाने में किया जाता है। इसके अलावा, इसका उपयोग तापीय और विद्युत इन्सुलेशन उत्पादों, वस्त्रों, फ्रिक्शन सामग्री-यथा ब्रेक लाइनिंग/क्लच फेसिंग, गैस्केट सामग्री तथा जुड़नारों में भी किया जाता है।

(घ) सरकार एस्बेस्टस सीमेंट चद्दरों के निर्माण में क्राइसोटाइल एस्बेस्टस की बजाए अंशतः वोलेस्टीनाइट के उपयोग की संभावना पर विचार कर रही है। एस्बेटस के खनन पर रोक लगाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

"नेशनल हेरल्ड" लखनऊ के कर्मचारियों के बकाया वेतन की अदायगी

1132. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल हेरल्ड, लखनऊ के कर्मचारियों और प्रबंधकों के बीच उचित मजूरी के भुगतान के संबंध में कोई विवाद है और श्रम विभाग (उत्तर प्रदेश) के अधिकारियों ने 1.7 लाख रु० की राशि के वसूली प्रमाणपत्र जारी किए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नेशनल हेरल्ड के मालिक, एसोसियेटेड जर्नलस लिमिटेड ने भुगतान कर दिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (घ) सूचना उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है, जो इस मामले में सम्बन्धित प्राधिकरण हैं और प्राप्त होने पर इसे सदन की मेज पर रख दिया जाएगा।

मध्य प्रदेश के खरगांव जिले में उच्च शक्ति का टी० वी० रिले केन्द्र

1133. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक**
श्री सुभाष यादव } : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश के खरगांव जिले में जिसमें आदिवासियों तथा आदिम जातियों की घनी आबादी है और जिसमें संचार साधनों की ओर ध्यान नहीं दिया गया उच्च शक्ति का टी० वी० रिले केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिए कुछ धनराशि भी आबंटित की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) से (ग) खरगांव (पश्चिम निमाड) जिले के पर्याप्त भाग में इस समय इन्दौर के उच्च शक्ति (10 किलोवाट) वाले दूरदर्शन ट्रांसमीटर से दूरदर्शन सेवा प्राप्त होती है। जिले में दूरदर्शन सेवा को सुदृढ़ करने की दृष्टि से धनराशि के उपयुक्त प्रावधान के साथ खरगांव में अल्प शक्ति (100 वाट) वाले एक दूरदर्शन ट्रांसमीटर की स्थापना करने की स्कीम को दूरदर्शन की सातवीं योजना में शामिल किया गया है।

चीन और श्रीलंका में डेरी विकास परियोजना के लिए सहायता

1134. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 जनवरी, 1986 के पैट्रियाट में प्रकाशित उस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि चीन और श्रीलंका ने भारत में सफल दुग्ध क्रान्ति के आधार पर महत्वाकांक्षी डेरी विकास परियोजना शुरू की है;

(ख) क्या कथित परियोजना को कार्यान्वित करने के लिये उन देशों को भारत द्वारा कोई सहायता दी जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) खाद्य एवं कृषि संगठन के माध्यम से चीन को एक डेयरी विशेषज्ञ की सेवायें सुलभ करायी गईं । चीन के राष्ट्रीय पशु पालन औद्योगिक और वाणिज्य निगम के एक 9 सदस्यीय मिशन ने 28 दिसम्बर, 1985 से तीन सप्ताह के लिये भारत का दौरा किया । यह दौरा विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा स्वतः—वित्तीय आधार पर प्रायोजित किया गया । इस दौरे का प्रयोजन ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का अध्ययन करना था । भारत श्रीलंका में डेरी विकास के लिए वहां के लोगों को प्रशिक्षण देने के रूप में तथा श्रीलंका में भारतीय विशेषज्ञों की सेवाएँ उपलब्ध कराके उनकी मदद कर रहा है ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद फार्म, शिलांग में श्रमिकों द्वारा 'हड़ताल

1135. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक**
श्री सुभाष यादव } क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में शिलांग के निकट उमरोही फार्म कम्पलैक्स में किये जा रहे अनुसंधान कार्य पर श्रमिकों द्वारा की जा रही हड़ताल से गहरा धक्का लगा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) अनियमित मजदूर और कुछ नियमित तकनीकी स्टाफ के कर्मचारियों ने 26-12-85 को हड़ताल की थी और वे अनुशासनहीन कार्य करने लगे तथा उन्होंने प्रयोगात्मक भूखण्डों तथा कुछ पशुओं को नुकसान पहुंचाया था, जिससे प्राधिकारी "लॉक आउट" की घोषणा करने के लिए मजबूर हो गए । राज्य सरकार ने फार्म पर पुलिस तैनात की और इस प्रकार आगे होने वाली हानि से बचाया था । मेघालय राज्य के गृह मंत्री की कृपा पूर्ण मध्यस्था से श्रमिक और कर्मचारी 1-2-86 से अपने कार्य पर वापस आ गए ।

राष्ट्रीय मुर्गीपालन बोर्ड

1136. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :** क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजना अवधि में देश में राष्ट्रीय मुर्गीपालन बोर्ड गठित करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) प्रस्तावित मुर्गीपालन बोर्ड के लक्ष्य और उद्देश्य क्या होंगे और उसकी स्थापना कब तक की जायेगी; और

(ग) यह बोर्ड नाफेड की तुलना में कितने बेहतर अण्डे और कुक्कुट प्रदान करेगा ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) प्रस्तावित राष्ट्रीय कुक्कुट पालन बोर्ड के मुख्य उद्देश्य निम्नवत् हैं :—

(1) कुक्कुट उत्पादन का संवर्धन करना।

(2) कदाचार की प्रणालियों को रोक करके उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना।

(3) विपणन आसूचना तथा सूचना सम्बन्धी सेवाओं का आयोजन करना।

(4) कुक्कुट उत्पादन तथा विपणन के विभिन्न पहलुओं पर मण्डी सर्वेक्षण तथा क्षेत्र सम्बन्धी अध्ययन करना।

(5) मण्डी समर्थन उपाय के रूप में आहार उपादानों की भारी मात्रा में अधिप्राप्ति तथा वितरण और अण्डे तथा कुक्कुट का विपणन शुरू करना।

(6) निर्यात संवर्धन कार्यकलाप।

(7) गैर-सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के कुक्कुट संगठनों के लिए परामर्शदात्री सेवाएं मुहैया करना।

(8) विभिन्न आवश्यक आदानों के आयात और वितरण के लिए तथा केन्द्र के विभिन्न प्रशासनिक/प्रायोजित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए केन्द्रीय सरकार की एक एजेंसी के रूप में कार्य करना, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के कुक्कुट निगमों/संघों आदि के लिए वित्तीय सहायता शामिल है।

सरकार राष्ट्रीय कुक्कुट पालन बोर्ड की स्थापना सम्बन्धी प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

(ग) नाफेड के कार्यकलाप राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय स्तर पर अण्डों और कुक्कुटों के विपणन तक सीमित हैं, जबकि प्रस्तावित राष्ट्रीय कुक्कुट पालन बोर्ड उपरोक्त भाग (ख) में किए गए उल्लेख के अनुसार अन्य कार्यकलापों को भी ध्यान में रखेगा।

उड़ीसा में जनजातीय बंधुआ श्रमिकों का पुनर्वास

1137. **श्री आनन्द प्रसाद सेठी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य के सभी जनजातीय बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) 1-1-1986 की स्थिति के अनुसार, उड़ीसा में पुनर्वासित किए जाने वाले बंधुआ श्रमिकों (कबीलों सहित) की कुल संख्या 14,025 है। राज्य सरकारों को बंधुआ श्रमिकों को पुनर्वासित करने के वार्षिक लक्ष्य दिए जाते

हैं। आशा की जाती है कि राज्य सरकार सभी मुक्त कराए गए बंधुआ श्रमिकों को सातवीं योजना की अवधि के दौरान पुनर्वासित करेगी। बंधुआ श्रमिकों को सातवीं योजना की अवधि के दौरान पुनर्वासित करेगी। बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए केंद्र द्वारा संचालित योजना के अनुसार राज्यों को 50 : 50 के आधार पर केन्द्रीय सहायता दी जाएगी।

"हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्सट्रक्शन लिमिटेड" को बंद करना

1138. **श्री आनन्द पाठक** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कन्सट्रक्शन लिमिटेड" को बन्द करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार सैंकड़ों कर्मचारियों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के हित में निर्णय पर पुन: विचार करेगी ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

गोरूबाथन (दार्जिलिंग जिले के) क्षेत्र में गवेषण कार्य

1139. **श्री आनन्द पाठक** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खनिज गवेषण निगम दार्जिलिंग जिले के कलीमपोंग सब डिवीजन में गोरूबाथन क्षेत्र में कितने वर्षों से खनिज खोज का कार्य कर रहा है;

(ख) वहां कौन-कौन से खनिज मिले हैं; और उन खनिजों का लगभग कितनी मात्रा में भण्डार मिला है; और

(ग) क्या सरकार इन खनिजों को निकालने की योजना बना रही है ?

खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिंहा) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग जिले के कलीमपोंग संभाग के गोरूबाथन क्षेत्र में खनिज गवेषण निगम लिमिटेड द्वारा अक्तूबर, 1981 से मार्च, 1985 तक किए गए विस्तृत गवेषण के फलस्वरूप, 1.79 मिलियन टन भंडारों, जिनमें सीसा अंश (3.86 प्रतिशत) और जस्ता अंश (3.64 प्रतिशत) है, की पुष्टि हुई है।

(ग) ये निक्षेप हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड ने अपने द्वारा लाभपूर्ण विदोहन की दृष्टि से अपर्याप्त समझा है। अत: पश्चिम बंगाल सरकार से इस निक्षेप के दोहन की मंशा बताने को कहा गया है।

स्थायी श्रम समिति का पुनर्गठन

1140. **श्री शरद दिघे** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नवम्बर, 1985 में या नवम्बर, 1985 के आसपास आयोजित स्थायी हुए सम्मेलन (आई० एल० सी०) की 2 दिन की बैठक में एक बात मुख्य रूप से यह हुई कि स्थायी श्रम समिति का पुनर्गठन किया जाना चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, हां।

(ख) स्थायी श्रम समिति का गठन 11-2-1986 को किया गया है।

मत्स्य नौकाओं के आयात के विरुद्ध अभ्यावेदन

1141. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बड़ी मत्स्य नौकाओं विशेष रूप से झींगा मछली पकड़ने वाली नौकाओं के आयात के विरुद्ध अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) क्या सरकार को वर्ष 1985 में कम झींगा मछली पकड़ने की जानकारी है;

(ग) क्या झींगा मछली पकड़ने की नौकाओं का और आयात करने से हमारा मत्स्य उद्योग नष्ट नहीं हो जायेगा; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) सरकार को 1985 में झींगा मछली पकड़ने में हुई मामूली कमी की जानकारी है। तथापि, यह परिवर्तन मामूली है जो प्राकृतिक उतार-चढ़ाव की वजह से हुआ है।

(ग) और (घ) मात्र झींगा मछली के लिए गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जलयानों का आयात करने को प्रोत्साहित नहीं किया जाता। आयात (वर्तमान कार्यक्रम से हमारा मत्स्यन उद्योग बरबाद नहीं होगा।

विदेशी मत्स्य पोत

1142. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय हमारे समुद्री क्षेत्र में प्रयोग की जा रही विदेशी चार्टर्ड मत्स्य नौकाओं की संख्या कितनी है;

(ख) इन विदेशी नौकाओं का प्रयोग करने वाली कम्पनियों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या लदान पूर्व निरीक्षण किया जा रहा है;

(घ) यदि नहीं, तो सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा लदान से पूर्व उचित निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या पकड़ी गई मछली के कम मूल्य के बीजक बनाये जाते हैं; और

(च) कम मूल्य के बीजक बनाये जाने को रोकने के लिये हाल में किये गये सुरक्षा उपायों का ब्यौरा क्या है?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) इस समय भारतीय एकमात्र आर्थिक क्षेत्र में 33 विदेशी चार्टर्ड मत्स्यन जलयान कार्य कर रहे हैं। इन विदेशी जलयानों का प्रयोग करने वाली कम्पनियों के नाम संलग्न **विवरण** में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) जी नहीं। मछली पकड़ने वाले चार्टर्ड विदेशी जलयानों में रखी गई पकड़ी हुई मछलियां आवश्यक लदान पूर्व निरीक्षण के क्षेत्राधिकार में शामिल नहीं की गई हैं।

(ङ) जी नहीं।

(च) भाड़े पर लिए गए जलयान के बोर्ड पर पकड़ी गई मछलियों के लिए सीमा शुल्क का निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है और इन जलयानों को उनके निवास पत्तनों को भेजने से पहले ही उनके लिए पदनामित अधिकारियों की सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है।

विवरण

क्रम सं०	कम्पनी का नाम
1.	मैसर्स ची सी फूड्स प्रा० लि० नई दिल्ली
2.	मैसर्स ओशन प्रोडक्ट्स एण्ड शिपिंग प्रा० लि०, विशाखापत्तनम
3.	मैसर्स कंचनगंगा सी फूड्स (पी०) लि०, विजयवाड़ा
4.	मैसर्स गंगा कावेरी सी फूड्स (पी०) लि०, नई दिल्ली
5.	मैसर्स उड़ीसा मेरीटाईम एण्ड चिल्का एरिया विकास निगम, भुवनेश्वर
6.	मैसर्स गुजरात मात्स्यकी विकास निगम, अहमदाबाद
7.	मैसर्स फोर सीजन फिशरीज (प्रा०) लि०, विशाखापत्तनम
8.	मैसर्स स्टान मेराईन फूड्स (प्रा०) लि०, विशाखापत्तनम
9.	मैसर्स श्रीनिवासा सी फूड्स लि०, विशाखापत्तनम
10.	मैसर्स मात्स्यकी एक्सपोर्ट (प्रा०) लि०, नई दिल्ली।
11.	मैसर्स हाई सी फूड्स (प्रा०) लि०, नई दिल्ली
12.	मैसर्स यग फिशरीज (प्रा०) लि०, नई दिल्ली
13.	मैसर्स वाली कोल्ड स्टोरेज (प्रा०) लि०, मद्रास
14.	मैसर्स कोस्टल ट्रावलर्स लि०, काकिनाडा

उड़ीसा में किसानों को अप्रमाणिक बीजों का वितरण

1143. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कृषि विभाग द्वारा वर्ष 1985-86 में किसानों को धन के अप्रमाणिक बीजों का वितरण किया गया था और उड़ीसा राज्य में किसानों को खरीफ के मौसम में भारी नुकसान हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, नहीं। उड़ीसा सरकार ने रिपोर्ट दी है कि कृषि विभाग ने 1985-86 के दौरान किसानों को धान के नकली बीज वितरित नहीं किए।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

वर्ष 1986 में खाद्यान्नों का अनुमानित उत्पादन

1144. **श्री महेन्द्र सिंह**
डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी } : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986 के दौरान देश में गेहूं, चावल और अन्य खाद्यान्नों का कितना उत्पादन होने का अनुमान है; और

(ख) यह अनुमान इस वर्ष के लिये निर्धारित उत्पादन लक्ष्यों तथा गत वर्ष के दौरान हुए वास्तविक उत्पादन की तुलना में कितना कम अथवा अधिक है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) गेहूं, चावल और अन्य खाद्यान्नों के उत्पादन के अन्तिम अनुमान अभी सभी राज्यों से प्राप्त नहीं हुए हैं। वास्तव में, वे कुछ फसलों के मामले में अभी देय नहीं हुए हैं। जहां तक गेहूं तथा अन्य रबी फसलों का सम्बन्ध है, अधिसंख्य राज्यों में अभी कटाई होनी है। अतः 1985-86 के लिए अथवा पिछले वर्ष के वास्तविक लक्ष्यों के साथ चालू वर्ष के उत्पादन स्तरों की तुलना करना संभव नहीं है। तथापि, वर्तमान मूल्यांकन के अनुसार, 1985 के खरीफ मौसम में मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण खाद्यान्नों का उत्पादन के कुछ राज्यों में प्रभावित हो जाने की संभावना है। इसलिए चावल और अन्य खाद्यान्नों के उत्पादन में 1985-86 के लक्ष्यों में गिरावट आ सकती है। फिर भी, यह आशा की जाती है कि 1985-86 में चावल तथा गेहूं का उत्पादन 1984-85 के उत्पादन स्तर से अधिक होगा।

दक्षिण एशिया में वर्षा पर आधारित कृषि फसल उत्पादन तकनीक और उर्वरक प्रबंध पर सम्मेलन

1145. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण एशिया में वर्षा पर आधारित कृषि फसल उत्पादन तकनीक और उर्वरक प्रबन्ध पर जनवरी, 1986 में नई दिल्ली में 4 दिन का अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो वर्षा पर आधारित क्षेत्रों में कृषि उत्पादन में अधिकतम उत्पादन करने के लिए क्या मुख्य टिप्पणियां और सुझाव दिए गए; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां। विश्व फास्फेट संस्था ने भारतीय उर्वरक एसोसिएशन के सहयोग से नई दिल्ली में 22-25 जनवरी, 1986 को दक्षिण एशिया में वर्षा पर आधारित कृषि सफल उत्पादन तकनीक और उर्वरक प्रबन्ध पर एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया था।

(ख) और (ग) विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुत किए गए कागज-पत्रों पर हुए विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप यह सिफारिश की गई कि वर्षा सिंचित क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी अपनाकर, आर्द्रता संरक्षण, उन्नत सस्य प्रणाली, उन्नत फार्म औजारों के प्रयोग उर्वरकों के विवेकपूर्ण और संतुलित प्रयोग के जरिए कृषि का इष्टतम उत्पादन किया जा सकता है। ये सुझाव इस सम्बन्ध में सरकार की सिफारिशों के अनुरूप हैं।

वर्ष 1986 के लिए खाद्यान्नों के वसूली-मूल्य

1146. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी फसल मौसम के लिये गेहूं, चावल, जौ तथा अन्य खाद्यान्नों के वसूली मूल्यों में संशोधन किया था तथा उन्हें बढ़ा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो आगामी फसल मौसम के लिए मद-वार कितना मूल्य निर्धारित किया गया है और ये मूल्य गत वर्ष के मूल्यों की तुलना में कितना अधिक है; और

(ग) प्रत्येक मद के मूल्यों में हुई वृद्धि से उनके उत्पादन लागत में हुई वृद्धि को किस सीमा तक पूरा करेगी ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) 1985-86 और 1984-85 के फसल वर्षों के लिए निर्धारित विभिन्न खाद्यान्नों के वसूली/न्यूनतम समर्थन मूल्य निम्नलिखित सारणी में दिए गए हैं :—

खाद्यान्नों के वसूली/न्यूनतम समर्थन मूल्य—फसल वर्ष

		(रुपए प्रति क्विंटल)	
जिंस	किस्म	1985-86	1984-85
गेहूं	अच्छी औसत किस्म	162.00	157.00
धान (सामान्य)	अच्छी औसत किस्म	142.00	137.00
जौ	अच्छी औसत किस्म	132.00	130.00
चना	अच्छी औसत किस्म	260.00	घोषित नहीं
ज्वार, बाजरा मक्का तथा रागी	अच्छी औसत किस्म	130.00	130.00
उड़द, तुर तथा मूंग	अच्छी औसत किस्म	300.00	275.00

(ग) वसूली/न्यूनतम समर्थन मूल्य विभिन्न राज्य सरकारों, सम्बन्धित केन्द्रीय मंत्रालयों तथा योजना आयोग के विचारों को ध्यान में रखते हुए कृषि लागत तथा मूल्य आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर निर्धारित किए गए हैं। आयोग सिफारिशें करते समय न केवल जिंस की उत्पादन लागत को, बल्कि मूल्यों में रूझान, मांग तथा आपूर्ति की स्थिति, औद्योगिक लागत संरचना पर प्रभाव, सामान्य मूल्य स्तर पर असर और जीवन यापन की लागत पर भी ध्यान देता है।

बाल श्रम

1147. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की बाल श्रमिकों के लिए अच्छी सेवा शर्तें तथा गैर औपचारिक शिक्षण सुविधाओं और व्यावसायिक प्रशिक्षण सुनिश्चित करने सम्बन्धी वैधानिक प्रस्ताव सहित, कोई योजना है;

(ख) क्या बाल श्रम को धीरे-धीरे समाप्त करने के लिए सरकार का कोई चरणबद्ध कार्यक्रम भी है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार की योजनाओं और कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) बाल श्रमिकों को मानवोचित गुणों से युक्त करने तथा बाल श्रम पद्धति को धीरे-धीरे समाप्त करने के लिए, सरकार ने निम्नलिखित योजनाएं और वैधानिक प्रस्ताव अपनाए हैं :—

(1) यह मंत्रालय उन स्वैच्छिक संगठनों को आर्थिक सहायता प्रदान करता है जो कामकाजी बालकों के कल्याण संबंधी कार्रवाई कार्यक्रमों, अर्थात् स्वास्थ्य, पोषण आहार, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा, व्यावसयिक प्रशिक्षण को शुरू करते हैं या बाल श्रम क्षेत्र में उपयोगी अनुसंधान करते हैं। श्रम मंत्रालय के समर्थन से अनेक स्वैच्छिक संगठनों ने कार्यवाई उन्मुख कार्यक्रम और अनुसंधान परियोजनाएं शुरू की हैं।

(2) सरकार का प्रस्ताव है कि दो विशिष्ट क्षेत्रों, जहां बाल श्रमिकों की संख्या अधिक है अर्थात् उत्तर प्रदेश में गलीचा उद्योग का मिर्जापुर-भद्रोही बैल्ट और तमिलनाडू शिवाकासी में माचिस और आतिशबाजी उद्योग, में बाल श्रमिकों के लाभों के लिए दो प्रमुख परियोजनाएं शीघ्र प्रारम्भ की जाएं । इन परियोजनाओं के उद्देश निम्नानुसार हैं :—

(एक) बाल श्रमिकों को विद्यमान आय सृजित योजनाओं के अन्तर्गत लाकर उनके परिवारों के आय स्तर में वृद्धि करना;

(दो) बाल श्रमिकों और उनके माता-पिता के लिए अनोपचारिक शिक्षा की व्यवस्था करना;

(तीन) बाल श्रमिकों के लिए बेहतर स्वास्थ्य देख-रेख की व्यवस्था करना;

(चार) बालकों के काम की दशाओं और रोजगार शर्तों में सुधार करना;

(पांच) बाल श्रमिकों के पोषण के स्तर में सुधार करना; और

(छः) क्षेत्र के लोगों में सामान्य जागरूकता और सामाजिक चेतना पैदा करना ।

(3) बालक नियोजन अधिनियम, 1938 में संशोधन किया गया है ताकि इसके उपबन्धों के उल्लंघन करने पर दण्ड को अधिक कठोर बनाया जा सके ।

(4) बाल श्रम को विनियमित करने तथा धीरे-धीरे इस पद्धति का उन्मूलन करने और स्वास्थ्य देख-रेख, शिक्षा, आदि जैसे लाभों की व्यवस्था करने के लिए व्यापक बाल श्रम विधेयक पर सरकार सक्रिय विचार कर रही है ।

राष्ट्रीय नेताओं की वर्षगाठों अथवा पुण्य तिथियों पर प्रसारण

1148. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985 के दौरान किन-किन राष्ट्रीय नेताओं की वर्षगांठों अथवा पुण्य तिथियों पर दूरदर्शन द्वारा विशेष प्रसारण किये गये; और

(ख) प्रत्येक कार्यक्रम को किस-किस तारीख को और कितनी-कितनी अवधि तक प्रसारित किया गया ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे यथासमय सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

फसल बीमा योजना

1149. **सैयद शाहबुद्दीन** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फसल बीमा योजना का वर्तमान कार्य क्षेत्र और विस्तार क्षेत्र क्या है; और

(ख) वर्तमान योजना की मुख्य विशेषतायें क्या हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) देश में वृहत्त फसल बीमा योजना 1985 के खरीफ मौसम से लागू की गई थी । धान, गेहूं, कदन्न, दालें और तिलहन इस योजना के अन्तर्गत आते हैं । इस योजना के अन्तर्गत वे सभी किसान आते

हैं जो इस योजना के अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्रों में उपर्युक्त फसलें उगाने के लिये अल्पावधि ऋण लेते हैं। बीमाकृत धनराशि फसल ऋण के 150 प्रतिशत के बराबर होती है। बीमा शुल्क (अर्थात प्रीमियम) अनाजों के लिये बीमाकृत राशि का 2 प्रतिशत और दालों एवं तिलहनों के लिये बीमाकृत राशि का एक प्रतिशत होता है। छोटे और सीमान्त किसानों द्वारा देय सीमा-शुल्क (प्रीमियम) के 50 प्रतिशत के लिये केन्द्रीय तथा संबंधित राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र 50 : 50 के आधार पर संयुक्त रूप से राजसहायता देते हैं। निश्चित (अधिसूचित) क्षेत्र के लिये पिछले पांच वर्षों में प्रति हैक्टार औसत पैदावार का 80% "निश्चित क्षेत्र" के लिए "न्यूनतम पैदावार" है। यदि वास्तविक औसत पैदावार न्यूनतम पैदावार से कम हो जाये तो उस "निश्चित क्षेत्र" में उस फसल को उगाने वाले सभी बीमाकृत किसान क्षतिपूर्ति पाने के पात्र हैं।

प्राकृतिक आपदाओं के लिए सहायता

1150. श्री एन० डेनिस
श्री वृद्धि चन्द्र जैन
श्री के० प्रधानी
श्री के० डी० सुल्तानपुरी
: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाढ़ तूफान, सूखे तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न स्थितियों का सामना करने के लिये गत पांच वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों को राज्य-वार कितना सहायता दी गई है;

(ख) क्या कुछ राज्यों ने ऐसी योजनाओं पर अपना परिव्यय कम कर दिया है क्योंकि यहां कहीं उनसे केन्द्रीय सहायता के बराबर राशि देने की अपेक्षा की जाती है तो वे केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत दी गई धनराशि का पूरी तरह उपयोग नहीं कर पाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) बाढ़, तुफान आदि के लिए 1982-83 से 1984-85 तक के दौरान विभिन्न राज्यों को मंजूर की गई केन्द्रीय सहायता सम्बन्धी जानकारी संलग्न विवरण-I में और सूखे के सम्बन्ध में संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ख) और (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण-I

1982-83 से 1984-85 तक के वर्षों में बाढ़, बरफानी तूफान आदि के लिए राज्यों को मंजूर की गई अधिकतम केन्द्रीय सहायता को प्रदर्शित करने वाला विवरण

(करोड़ रुपये)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1982-83	1983-84	1984-85
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	—	96.70	42.53
2.	असम	9.47	11.07	39.42

(...जारी)

1	2	3	4	5
	3. बिहार	17.48	—	58.94
	4. गुजरात	41.94	39.22	—
	5. हरियाणा	4.45* 4.75	17·07	1.55
	6. हिमाचल प्रदेश	4.03	8.29	2.73
	7. जम्मू और कश्मीर	—	1.00	3.78
	8. कर्नाटक	4.42	3.29	—
	9. केरल	0.11	—	21.33
	10. मध्य प्रदेश	2.07 1.00*	5.69	5.91
	11. महाराष्ट्र	—	24.69	—
	12. मणिपुर	—	—	0.28
	13. मेघालय	0.33	1.90	1.76
	14. नागालैंड	—	0.77	—
	15. उड़ीसा	170.52 22.98*	—	23.43
	16. पंजाब	—	—	—
	17. राजस्थान	0.32	8.93	4.99
	18. सिक्किम	—	4.40	3.90
	19. तमिलनाडु	—	41.18	27.96
	20. त्रिपुरा	0.56	4.50	7.99
	21. उत्तर प्रदेश	67.23	65.79	47.89
	22. पश्चिम बंगाल	7.57	0.60	58.68
	23. गोवा, दमन और दीप	0.11	—	—
	24. पांडिचेरी	—	1.29	0.19
	योग—	327.91 28.43*	336.38	353.26

*. 1983-84 के लिए स्पिल ओवर के रूप में मंजूर की गई।

आगामी वर्ष के लिए स्पिल ओवर

1984-85 के लिए स्पिल ओवर के रूप में 1983-84 के दौरान मंजूर की गई 12·95 करोड़ रुपए (मेघालय को 1.17, सिक्किम को 2.43 तथा उत्तर प्रदेश को 9.35) शामिल है।

विवरण-II

1982-83 से 1984-85 तक वर्षों के दौरान सूखा-राहत के लिए विभिन्न राज्यों को मंजूर की गई अधिकतम केन्द्रीय सहायता को प्रदर्शित करने वाला विवरण

(करोड़ रुपये)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1982-83	1983-84	1984-85
1. आन्ध्र प्रदेश	68.77	28.26	54.42
2. बिहार	25.01	8.98	—
3. गुजरात	30.60	9.18	—
4. हरियाणा	11.82	—	8.70*
5. हिमाचल प्रदेश	13.02	—	19.37
6. कर्नाटक	8.81	14.00	32.73
7. केरल	4.10	42.56	—
8. मध्य प्रदेश	34.36	22.29	15.14
9. महाराष्ट्र	56.89	11.63	30.63 1.20*
10. उड़ीसा	15.98	24.65	8.95
11. पंजाब	—	—	6.35*
12. राजस्थान	74.00	39.85	33.02
13. सिक्किम	0.17	0.13	—
14. तमिलनाडु	18.39	59.15	—
15. त्रिपुरा	*2.01	—	—
16. उत्तर प्रदेश	—	1.57	8.10
17. पश्चिम बंगाल	74.27	30.59	—
18. पांडिचेरी	0.31	0.44	—
19. अरुणाचल प्रदेश	—	0.09	—
20. मिजोरम	—	1.43	0.84
योग—	438.51	294.70	203.20 16.25*
			219.45

*त्रिपुरा को 1981-82 के लिए मंजूर की गई 1.10 शामिल है।

*. शीतलहर तथा कपास की क्षति

आगामी वर्ष के लिए स्पिल ओवर : 1984-85 के लिए स्पिल ओवर के रूप में 1983-84 के दौरान सिक्किम को मंजूर की गई 0.09 शामिल है। 1985-86 के लिए मंजूर की गई मध्य प्रदेश को 3.76 करोड़ रुपए, हिमाचल प्रदेश को 6.67 करोड़ रुपए, उड़ीसा को 6.00 करोड़ रुपए तथा राजस्थान को 27.59 करोड़ रुपये शामिल हैं।

रत्नागिरि के लिए दूरदर्शन सम्प्रेषण केन्द्र

1151. **श्री हुसैन दलवाई : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना में रत्नागिरि के लिये दूरदर्शन सम्प्रेषण केन्द्र की स्वीकृति दी गई है;

(ख) क्या रत्नागिरि दूरदर्शन केन्द्र के लिये ट्रांसफार्मर का निर्माण करने हेतु भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड से अनुरोध किया गया है;

(ग) रत्नागिरी में ट्रांसफार्मर कब तक स्थापित हो जाने की संभावना है;

(घ) रत्नागिरि में दूरदर्शन टावर किस स्थान पर स्थापित किया जायेगा; और

(ङ) इस दूरदर्शन सम्प्रेषण केन्द्र से कितना क्षेत्र लाभान्वित होगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) रत्नागिरी में अल्प शक्ति (100 वाट) वाला दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने की स्कीम को दूरदर्शन की सातवीं योजना में शामिल किया गया है।

(ख) रत्नागिरी में स्थापित किये जाने वाले ट्रांसमीटर की आपूर्ति के लिए आर्डर मैसर्स गुजरात कम्युनिकेशंस एण्ड इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, बड़ौदा को दे दिया गया है।

(ग) और (घ) रत्नागिरी के ट्रांसमीटर के 1986-87 के अंत तक चालू होने की उम्मीद है तथापि ट्रांसमीटर की स्थापना करने के लिए स्थान का अभी तक चयन नहीं हुआ है।

(ङ) रत्नागिरी के ट्रांसमीटर की सेवा परिधि लगभग 25 किलोमीटर होने की उम्मीद है।

मछुआरों के लिए विपणन सुविधायें

1152 **श्री हुसैन दलवाई : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मछुआरों की बेहतरी के लिए प्रस्तावित "पैकेज स्कीम" की प्रमुख बातें क्या हैं;

(ख) क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि गरीब मछुआरों को उसके द्वारा पकड़ी गई मछलियों की प्रतिदिन मजबूरन बिक्री करनी पड़ती है क्योंकि विपणन एजेंसियां उनका शोषण करती हैं; और

(ग) मछुआरों को विपणन सुविधायें सुनिश्चित करने के लिए सरकार का क्या प्रबन्ध करने का विचार है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) राज्य/संघ शासित क्षेत्र मत्स्यन नौकाओं, नाइलोन-यार्न तथा मत्स्यन सामग्री के अधिग्रहण के लिये राज सहायता और ऋण की योजनाओं के जरिए मछुआरों को सहायता देते हैं। खोल, इन्जिन और गियर हेतु राज सहायता की मात्रा 10 से 70 प्रतिशत तक होती है। कुछेक राज्यों की अपनी कल्याण योजनायें हैं, जिनमें मन्दे-मौसम संबंधी राहत और राज सहायता प्राप्त आवास शामिल हैं। भारत सरकार ने सहकारी सोसायटियों/संघों के सदस्य सक्रिय मछुआरों के लिए समूह दुर्घटना-बीमा प्रीमियम हेतु राज सहायता की एक योजना शुरू की है। मछुआरों को मूल नागरिक सुविधायें प्रदान करने के लिए एक अन्य योजना-राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण निधि, कार्यान्वित की जा रही है, जिसके अनुसार केन्द्रीय सरकार राज्यों के मामले में 50 प्रतिशत और संघ शासित क्षेत्रों के मामले में शत प्रतिशत अंशदान देती है।

(ख) अधिक मत्स्य अवतरण और सामाजिक रीतियों आदि के कारण कुछेक दिनों को कतिपय क्षेत्रों में मजबूरी में माल सस्ता बिक जाता है।

(ग) तटवर्ती इलाकों में छोटे मत्स्यन अवतरण केन्द्रों के समूहों के लिए मछली औद्योगिक सम्पदायें स्थापित करने की संभावनाओं का पता लगाया जा रहा है। राज्य सरकारों से मछली के विपणन में मछली विकास निगमों और मछली सहकारी सोसायटियों के जरिये और अधिक हस्तक्षेप सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है।

[हिन्दी]

आजमगढ़ में कृषि विज्ञान केन्द्र

1153. **श्री राज कुमार राय** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने के लिये भूमि उपलब्ध कराई गई है;

(ख) क्या सरकार का विचार उक्त स्थान का सर्वेक्षण करने के बाद इस के खोलने की अपनी अनुमति देने का है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त केन्द्र का निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ होने की संभावना है?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) आजमगढ़ जिले में चन्द्रेश्वर में एक कृषि विज्ञान केन्द्र को स्थापित करने का एक प्रस्ताव कुलपति, नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद से परिषद में प्राप्त हुआ है। इस प्रस्ताव में यह उल्लेख किया गया है कि श्री दुर्गा जी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चन्द्रेश्वर आजमगढ़ के इतौरा और करुनार फार्मों की 51.87 एकड़ भूमि इस उद्देश्य के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।

(ख) नए कृषि विज्ञान केन्द्र के लिए अभी तक कोई अतिरिक्त निधि निर्धारित नहीं की है। तथापि, जब निधि उपलब्ध करा दी जाएगी तो इस प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा और स्थान का सर्वेक्षण किया जाएगा।

(ग) ऊपर (ख) पर बताई गई स्थिति को विचार में रखते हुए समय की सीमा निश्चित नहीं की जा सकती है।

[अनुवाद]

"सिंगल विंडो सर्विस स्कीम"

1154. **श्री श्रीराममूर्ति भट्टम** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के 3 जिलों में ग्रामीण ऋण वितरण प्रणाली के पुनर्गठन हेतु अध्ययन करने के लिए एक समिति नियुक्त की गई थी;

(ख) क्या अध्ययन पूरा कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो उसने क्या सिफारिशें की हैं; और

(घ) क्या इस अध्ययन के आधार पर आन्ध्र प्रदेश में एक "सिंगल विंडो सर्विस स्कीम" कार्यान्वित की जा रही है?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) भारत सरकार ने, राज्य में अल्पावधि तथा दीर्घावधि सहकारी ऋण संरचनाओं के समेकन के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के प्रस्ताव के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने हेतु अगस्त, 1985 में एक समिति गठित की। समिति ने राज्य के तीन चुनींदा जिलों का विस्तृत अध्ययन किया।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

सूखे के लिए केन्द्रीय सहायता के लिए मानदण्ड

1155. **श्री श्रीरामभूर्ति भट्टम :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विनाश और प्राकृतिक विपदाओं के लिए केन्द्रीय सहायता मांगने के लिए मानदण्ड बनाने हेतु एक कार्य दल का गठन करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या केन्द्रीय सहायता का कोई भाग दीर्घावधि उपायों के लिए उपयोग किए जाने की अपेक्षा है;

(ग) क्या राज्य अपने नुकसान के दावों को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं; और

(घ) क्या आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक में सूखे की वर्तमान स्थिति के मूल्यांकन में केन्द्रीय दल और राज्य सरकारों के बीच मतभेद हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) भारत सरकार ने विभिन्न मदों के लिए केन्द्रीय सहायता संबंधी वर्तमान मानदण्डों की संवीक्षा करने और जहां आवश्यक हो संशोधित मानदण्डों की सिफारिश करने के लिए एक अन्तर-मंत्रालयी समिति गठित की है। समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा शीघ्र ही निर्णय लिए जाने की सम्भावना है।

(ख) सूखे के मामले में, रोजगार संबंधी केन्द्रीय सहायता के हिस्से का उपयोग मृदा संरक्षण, लघु सिंचाई, वनरोपण आदि में किया जाता है। इसी प्रकार पेयजल संबंधी केन्द्रीय सहायता के एक हिस्से का उपयोग नये नलकूप लगाने, पाईपलाइन बिछाने आदि के लिए किया जा रहा है। इनसे इन क्षेत्रों में दीर्घावधि उपायों को समर्थन मिलता है।

(ग) जी हां।

(घ) केन्द्रीय दल में विभिन्न मंत्रालयों के विशेषज्ञ शामिल होते हैं। वे क्षति की मात्रा का जायजा लेते हैं और केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता का मूल्यांकन भी करते हैं। जो केन्द्रीय दल आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक गए थे, उनकी सिफारिशें इन दोनों राज्य सरकारों की मांगों से भिन्न थी। तथापि, जिस केन्द्रीय दल ने 20 से 25 फरवरी, 1986 के दौरान उस राज्य में निरन्तर चल रहे सूखे के सम्बन्ध में कर्नाटक का दौरा किया था, उसकी रिपोर्ट अभी आनी है।

रेगिस्तानी क्षेत्र को चारागाह में परिवर्तित करने के लिए भारत और मंगोलिया के बीच समझौता

1157. **श्रीमती माधुरी सिंह :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेगिस्तानी क्षेत्रों में सुधार और विकास करके उन्हें चरागाह में बदलने के लिए हाल ही में मंगोलिया गणराज्य के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे; और

(ख) यदि हां, तो समझौते की क्या शर्तें हैं और उससे क्या लाभ होने की सम्भावना है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) भारत सरकार और मंगोलिया जनवादी गणराज्य सरकार के बीच भारत-मंगोलिया नयाचार (प्रोटोकाल) के अधीन कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा के क्षेत्र में 1986 और 1987 वर्ष के लिए एक कार्य-योजना पर 31 दिसम्बर, 1985 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ख) कार्य-योजना में अन्य बातों के साथ-साथ यह दर्शाया गया है कि दोनों पक्ष, मंगोलिया और भारत दोनों देशों में मरू क्षेत्र का सुधार तथा विकास करके हरे घास-स्थल बनाने के सहयोग की सम्भाव्यता का परस्पर अध्ययन करेंगे। इस प्रयोजन के लिए, दोनों पक्ष मरूद्भिद तथा अन्य मरू पौधों जैसे-उपयोगाधीन पौधों पर घास स्थल तथा चरागाह पर सूचना सामग्री का आदान-प्रदान करेंगे। इसके अधीन सम्भावित लाभ दो किस्म के होंगे :—

(i) भारत के ठण्डे मरूस्थली क्षेत्रों के लिए उपयुक्त मंगोलिया के मरुस्थल से घास स्थल और चारा तथा अन्य पेड़ों की प्रजातियों की उपलब्धता और वहां की स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए; और

(ii) मंगोलिया के ठंडे मरूस्थली पहाड़ी क्षेत्रों में घास और चरागाह विकास के लिए प्रयोग की गई तकनीक तथा पद्धतियां ठंडे क्षेत्र के मरुस्थली हालतों में हमारे घास स्थल तथा चरागाह कार्य के लिए उपयुक्त होंगे।

वर्ष 1986-87 के लिए आवास तथा शहरी विकास निगम द्वारा केरल को धन का आबंटन

1158. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आवास तथा शहरी विकास निगम द्वारा वर्ष 1986-87 के लिए केरल को मकानों के निर्माण के लिए कुल कितनी धनराशि का आबंटन किये जाने की सम्भावना है;

(ख) क्या आवास तथा शहरी विकास निगम की सभी आवास योजनाओं का क्रियान्वयन सन्तोषजनक ढंग से किया जा रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) वर्ष 1986-87 के लिए हुडको ने अभी निधियों का नियतन नहीं किया है।

(ख) योजनाओं का कार्यान्वियन राज्य के आवास अभिकरणों द्वारा किया जाता है। तिमाही प्रगति रिपोर्टों को प्राप्त करके हुडको मोटे तौर से केवल निरीक्षण करना है। इन रिपोर्टों के अनुसार, इनमें से अधिकांश योजनाएं समयानुसार कार्यान्वित की जा रही हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

बिनोलों की उपलब्धता और उनका उपयोग

1159. **श्री उत्तम राठौड़** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिनोलों की वार्षिक उपलब्धता कितनी है; और

(ख) देश में इस समय इनका किस रूप में उपयोग किया जाता है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) गत पांच वर्षों के दौरान उपलब्ध बिनोला की वर्षवार मात्रा निम्नवत् है :—

वर्ष	बिनौला का उत्पादन ("000 मीटरी टन)
1980-81	2396.7
1981-82	2712.7
1982-83	2561.6
1983-84	2171.4
1984-85	2878.0

(ख) बिनौला का प्रयोग तेल निकालने, पशु आहार तथा बुवाई के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

दिल्ली में पट्टा प्रणाली का समाप्त किया जाना

1160. **श्री जयप्रकाश अग्रवाल** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कभी दिल्ली में पट्टा प्रणाली का क्रमिक रूप में समाप्त करने का निर्णय किया जाने वाला था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में यदि कोई प्रगति हुई है, तो वह क्या है; और

(ग) इस प्रश्न पर सरकार के सही विचार क्या हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) दिल्ली में रिहायशी सम्पत्तियों से सम्बन्धित पट्टा पद्धति के उन्मूलन अथवा संशोधन का निर्णय वित्तीय तथा अन्य प्रतिबन्धों एवम् सम्भावित प्रतिक्रियाओं को दृष्टि में रख कर किया जाएगा। अत: इस अवस्था में यह बताना सम्भव नहीं है कि कब तक अन्तिम निर्णय ले लिया जाएगा।

फिल्मों, पुस्तकों आदि के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा

1161. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84 और 1984-85 के दौरान विदेशों को भारतीय फिल्मों, पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओं के निर्यात से कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ख) वर्ष 1983-84, 1984-85 और आज तक फिल्मों तथा पत्र-पत्रिकाओं और पुस्तकों के आयात के लिए देश-वार कितनी विदेशी मुद्रा का भुगतान किया गया;

(ग) क्या सरकार का विचार विदेशी मुद्रा की बचत करने हेतु भारत में फिल्मों तथा अनावश्यक पत्र-पत्रिकाओं और पुस्तकों का आयात सीमित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो अनुपयोगी फिल्मों, पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओं के आयात रोकने हेतु सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) विदेशों में भारतीय फिल्मों के निर्यात के बारे में विवरण I संलग्न है।

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के प्रकाशन विभाग ने वर्ष 1983-84 के दौरान 19,636.68 रुपयों के मूल्य की तथा वर्ष 1984-85 के दौरान 15,437.25 रुपयों के मूल्य की पुस्तकों और पत्रिकाओं का निर्यात किया।

(ख) भारत में आयात की गई फिल्मों के बारे में विवरण II संलग्न है।

(ग) और (घ) फिल्मों के आयात पर पहले ही पाबन्दियां हैं। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, फिल्मों का आयात केवल विदेशी मुद्रा आबंटन की सीमा के भीतर ही कर सकता है। सीमित मुक्त बाजार योजना के अधीन गैर-सरकारी भारतीय पार्टियों द्वारा आयात के लिए भी पाबन्दियां हैं। जहां तक पुस्तकों और पत्रिकाओं का प्रश्न है। इस मन्त्रालय का प्रकाशन विभाग पुस्तकों और पत्रिकाओं का आयात नहीं करता।

यह मन्त्रालय, पुस्तकों और पत्रिकाओं के आयात और निर्यात के बारे में कोई आंकड़े नहीं रखता।

विवरण I

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम

वर्ष	विदेशी मुद्रा का मूल्य (रुपये लाख में)
1983-84	1152.74
1984-85	849.61

(आंकड़े कैनेलाइजेशन के अन्तर्गत भारतीय फिल्मों के निर्यात के लिए पास किए गए शिपिंग बिलों पर आधारित हैं)।

फिल्म प्रभाग

1983-84	3,98,281.00 रुपये
1984-85	70,813.00 रुपये

विवरण II

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम

वर्ष	देश	राशि (रुपयों में)
1983-84	ब्रिटेन	3,41,094.00
	संयुक्त राज्य अमरीका	19,05,381.38
	इटली	4,46,155.85
	हांग-कांग	2,72,103.66
	योग .	29,64,734.89
1984-85	चीन	61,976.27
	इटली	1,40,156.00
	हंगरी	1,67,460.00
	जापान	2,07,600.00
	फ्रांस	9,43,813.45
	ब्रिटेन	7,11,516.55
	संयुक्त राज्य अमरीका	20,72,190.00
	योग :	43,04,712.27

1985-86 (जून, 1985 तक)

1	2
ब्रिटेन	2,16,032.27
पश्चिमी जर्मनी	1,75,061.20
संयुक्त राज्य अमरीका	10,18,411.86
फ्रांस	48,298.00

1		2
मोरक्को		1,22,576.31
पोलेंड		56,165.88
इटली		66,2>5.88
	योग :	17,02,841.40

2. भारत के 9वें अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, 1983 से लेकर अब तक चार सीमित मुक्त बाजारों का आयोजन हुआ है जिनमें फिल्मोत्सव, 1984 में आयोजित बाजार भी शामिल हैं। निम्नलिखित सूचना अनुमोदित शीर्षकों के लिए आयोग की गई विदेशी-मुद्रा की जानकारी देती है। फिल्मोत्सव, 1986 में बाजार के लिए शीर्षक अभी अनुमोदित किए जाने हैं।

		रुपए लाखों में
198-84		
संयुक्त राज्य अमरीका		1.72
ब्रिटेन		4.19
जापान		4.15
फ्रांस		3.95
त्रीनिडाड		2.00
हंगरी		0.64
	योग :	16.65
1984-85		
केनिया		1.09
लीबिया		1.31
फ्रांस		1.37
जापान		2.00
	योग :	5.77
1985-86 जनवरी, 1986 तक		
चीन		0.65
फ्रांस		3.70
इटली		1.19
ब्रिटेन		4.89
संयुक्त राज्य अमरीका		1.75
	योग :	12.18

3. एम० पी० ई० ए० ए० कम्पनी समूह द्वारा फिल्मों के आयात के बारे में, रायल्टी के रूप में कोई विदेशी मुद्रा नहीं भेजी गई है। वैसे, वार्षिक सकल बिलों के 15% तक की धनराशि तिमाही किस्तों में भेजने की अनुमति है बशर्ते कि जब भी यह किस्त देय हो उसकी राशि 40 लाख रुपए प्रति वर्ष से अधिक न हो।

कृषि विश्वविद्यालयों में वानिकी कालेज

1162. **श्री एम० रघुमा रेड्डी : क्या कृषि मन्त्री** यह बताने की **कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या कृषि विश्वविद्यालयों में वानिकी कालेज खोलने की कोई योजना है;

(ख) क्या आन्ध्र प्रदेश में वानिकी कालेज स्थापित करने पर विचार किया जा रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) सातवीं योजना के दौरान सभी कृषि विश्वविद्यालयों में वानिकी विभाग की स्थापना का प्रस्ताव है ।

(ख) और (ग) जी नहीं, श्रीमान् । फिर भी, सातवीं योजना के दौरान आन्ध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय में वानिकी विभाग की स्थापना की जाएगी ।

सचिव (इस्पात) और चेयरमैन, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की नियुक्ति

1163. **श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह : क्या इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना से अब तक नियुक्त सचिव (इस्पात) और चेयरमैन, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, के पदों पर नियुक्त किये गये व्यक्तियों के नाम क्या हैं और उन्हें कितने समय के लिए नियुक्त किया गया; और

(ख) उद्योग का विकास सुनिश्चित करने के लिए नीति और प्रशासनिक स्तर पर नेतृत्व की उपयुक्त निरन्तरता बनाये रखने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) इस्पात सचिव तथा जब से "सेल" शुरू हुई है उसके अध्यक्ष के नाम तथा उनकी नियुक्ति की अवधि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ख) सचिव तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के अध्यक्ष स्तर की नियुक्तियों का निर्णय सरकार द्वारा किया जाता है । इनकी नियुक्तियां करते समय योग्य व्यक्तियों की उपलब्धता, वर्तमान पदधारियों के कार्यकरण और अन्य सम्बद्ध कारकों को ध्यान में रखा जाता है ।

विवरण

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	अवधि	
		से	तक
1	2	3	4
	इस्पात सचिव		
1.	श्री एम० ए० वदूद खां	6-2-73	7-10-76
2.	श्री सरन सिंह	2-11-76	5-5-77
3.	श्री मंतोष सोंधी	14-5-77	6-6-80
4.	श्री एस० समादार	6-6-80	12-8-81
5.	श्री ए० एस० गिल	12-8-81	25-7-83

1	2	3	4
6.	श्री लवराज कुमार	25-7-83	31-8-84
7.	श्री पी० के० बसु	31-8-84	15-2-85
8.	श्री रा० प० खोसला	15-2-85	कार्यरत हैं
	अध्यक्ष, "सेल"		
1.	श्री एम० ए० वदूद खाँ	6-2-73	7-10-76
2.	श्री आर० पी० बिलमोर्या	7-10-76	29-5-78
3.	डा० पी० एल० अग्रवाल	29-5-78	6-8-80
4.	श्री के० सी० खन्ना	8-8-80	6-11-81
5.	श्री एस० समरपुंगवन	6-11-81	17-5-85
6.	श्री वी० कृष्णमूर्ति	17-5-85	कार्यरत हैं

बीड़ी और सिगार श्रमिकों की मांगें

1161. **श्री नरसिंह सूर्यवंशी** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय बीड़ी, सिगार और तम्बाकू श्रमिक संघ के 7 दिसम्बर, 1985 के बंगलौर में हुए दक्षिण क्षेत्रीय सम्मेलन ने एक समान राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी ढांचा, बीड़ी श्रमिकों आदि के लिए भविष्य निधि लागू करने जैसी अपनी मांगों के बारे में प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया था; और

(ख) यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, हां। उनकी मुख्य मांगें निम्नानुसार हैं :—

(i) एक समरूप राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी,

(ii) राज्यों द्वारा बीड़ी तथा सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 का उचित कार्यान्वयन,

(iii) सभी बीड़ियों पर उत्पाद शुल्क लगाना। इसमें 20 लाख तक बीड़ी बनाने वालों को छूट की अनुमति नहीं दी गई है।

(iv) बेईमान तत्वों द्वारा कोपरेटिव लेबलों का गलत प्रयोग रोकने के लिए केन्द्रीय उत्पाद द्वारा निष्क्रियता,

(v) भविष्य निधि योजना लागू करना, तथा इसका कड़ाई से पालन करना,

(vi) बीड़ी कल्याण निधि के अंतर्गत लाभ काफी श्रमिकों को दिए जाएं।

(ख) और (ग) इनमें से कुछ विषयों पर त्रिपक्षीय स्तर पर पहले ही विचार-विमर्श किया जा चुका है और नवीनतम स्थिति इस प्रकार है :—

(i) 25-26 नवम्बर, 1985 को हुए भारतीय श्रम सम्मेलन में राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी की आवश्यकता पर विचार-विमर्श किया गया और यह निर्णय किया गया कि इस नीति के व्यवहार्य होने तक, क्षेत्रीय न्यूनतम मजदूरी अपनाना वांछनीय होगा।

(ii) वित्त मंत्रालय ने प्रशासनिक कारणों की वजह से 20 लाख से कम बीड़ी बनाने वाले विनिर्माताओं को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से छूट की अनुमति दी थी।

(iii) कोपरेटिव सोसाइटियों के लेबलों का गलत प्रयोग करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकारों और उत्पाद शुल्क विभाग को कहा जा रहा है।

(v) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के उपबंधों को 1-6-1977 से बीड़ी श्रमिकों पर लागू किया गया था। तदोपरान्त, कुछ बड़ी विनिर्माताओं ने बीड़ी उद्योग में उक्त अधिनियम की प्रयोज्यता को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी और न्यायालय ने बीड़ी उद्योग में उक्त अधिनियम के उपबंधों को लागू करने से संबंधित अधिसूचना के प्रचालन के लिए स्थगन आदेश दिया था। अभी इस मामले की सुनवाई होनी है। सितम्बर, 1985 में उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय दिया है जिसके अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अधीन बीड़ी उद्योग की व्याप्ति को वैध ठहराया गया। अत: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कदम उठा रहे हैं कि बीड़ी विनिर्माता अधिनियम का अनुपालन करें।

(v) ये प्रयास किए जा रहे हैं कि काफी संख्या में श्रमिकों को कल्याण सुविधाएं प्रदान की जाएं।

कर्नाटक में अन्तर्देशीय मत्स्य उद्योग

1165. **श्री नरसिंह सूर्यवंशी** : क्या **कृषि मंत्री** कर्नाटक में अन्तर्देशीय मत्स्य उद्योगों के बारे में 2 दिसम्बर, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2108 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम द्वारा कर्नाटक अन्तर्देशीय मत्स्य उद्योगों का विकास करने के लिए विश्व बैंक ऋण के लिए तैयार की गई मसौदा परियोजना की रूपरेखा पर विभिन्न मंत्रालयों तथा संगठनों से टिप्पणियां प्राप्त हो गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या अन्तिम परियोजना रिपोर्ट विश्व बैंक को प्रस्तुत कर दी गई है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) कर्नाटक में अन्तर्देशीय मत्स्य उद्योगों के विकास के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा तैयार की गई मसौदा प्रासंगिक परियोजना की रूपरेखा संबंधी टिप्पणियां जल संसाधन मंत्रालय को छोड़कर सभी संबंधितों से प्राप्त हो गई हैं। प्रासंगिक परियोजना को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है।

अखबारी कागज आबंटन नीति

1166 **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष (अप्रैल, 1985—मार्च, 1986) के लिये अखबारी कागज के आबंटन संबंधी नीति की घोषणा कर दी गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) वर्ष 1985-86 के लिए अखबारी कागज आबंटन नीति की घोषणा करना संभव नहीं हुआ है, क्योंकि सरकार एक ऐसी नीति विकसित करने की कोशिश कर रही है जिससे कुछ मौजूदा कमियां दूर हो जाएं। तथापि, समाचारपत्रों को वर्ष 1984-85 के लिए अपनी हकदारी के बराबर अखबारी कागज लेने के लिए प्राधिकृत किया गया है और उपयुक्त वृद्धि मात्रा की भी अनुमति दी जा रही है।

मछुआरों और हथकरघा बुनकरों की कार्य और जीवन यापन स्थितियां

1167. **श्री सी० सम्बु** : क्या **श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मछुआरों और हथकरघा बुनकरों की कार्य जीवन यापन स्थितियों का गहन अध्ययन करने हेतु गठित त्रिपक्षीय अध्ययन दल ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं; और

(ख) यदि हां, तो देश में मछुआरों और हथकरघा बुनकरों के कल्याण के लिए प्रशासनिक उपायों सहित उपयुक्त विधान लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) मछुआरों और हथकरघा एवं बिजली करघा बुनकरों के काम-काज और रहन-सहन की दशाओं का अध्ययन करने के लिए गठित त्रिपक्षीय अध्ययन दलों ने अब तक अपनी-अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत नहीं की हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्रामीण आवास के लिए आबंटित धनराशि

1168. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्ष के दौरान पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से पिछड़े कमजोर वर्गों के लोगों के आवास के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ख) पिछड़े वर्गों को ग्रामीण आवासीय परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है?

कृषि मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) चूंकि आवास राज्य का विषय है इसलिए सभी सामाजिक आवास योजनाएं राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। केन्द्र सरकार किसी विशेष योजना से सम्बद्ध किए बिना ब्लाक ऋणों और ब्लाक अनुदानों के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध करती है। राज्य सरकारें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों सहित विभिन्न श्रेणियों के लोगों के लिए योजनाएं बनाने और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए स्वतंत्र हैं। तथापि, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और मुक्त किए गए बंधुआ मजदूरों के लिए आवास घटक को ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1985-86 से शामिल कर लिया गया है। चालू वर्ष में इस प्रयोजन के लिए 100 करोड़ की धनराशि आवंटित की गयी थी। इसके मुकाबले में, राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों के लिए आवासों की 148916 यूनिटों के निर्माण हेतु 147.05 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत सामान्य आबंटन में से अब तक आवासों की 32,290 यूनिटों के लिए 27.16 करोड़ रुपए की लागत की चार परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं।

खेलकूद कार्यक्रमों का प्रसारण

1169. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रम विशेषरूप से खेल कूद संबंधी कार्यक्रमों को दूरदर्शन पर ही दिखाया जाता है और आकाशवाणी से उनका प्रसारण नहीं किया जाता है;

(ख) क्या ऐसे कार्यक्रमों को आकाशवाणी पर भी प्रसारित किया जाएगा; और

(ग) क्या दूरदर्शन/आकाशवाणी पर निकट समन्वय और उद्देश्य की समानता सुनिश्चित की जाएगी?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) जी, नहीं। आकाशवाणी खेल की लोकप्रियता, श्रोताओं की रुचि, खेल के दर्जे, तकनीकी संभाव्यता, अन्य कार्यक्रम प्रतिबद्धताओं, आदि को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण खेलों का सीधा प्रसारण उपलब्ध करने के अलावा, खेलों पर भी कार्यक्रम प्रस्तुत करता है।

(ग) यद्यपि आकाशवाणी और दूरदर्शन की कार्यक्रम गतिविधियां तथा खेल के कवरेज की विशिष्ट आवश्यकता भिन्न-भिन्न हैं, तो भी दोनों माध्यमों के बीच समन्वय रखा जाता है।

विनाश राहत के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता

1170. **श्री बी० वी० देसाई : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य सरकारें आठवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत विनाश राहत के लिए केंद्रीय सहायता की अर्हता के सम्बन्ध में अपेक्षित मानदण्डों का पालन नहीं कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने हाल ही में राज्यों को एक संदेश में इस मद पर खर्च को कम करने की आवश्यकता की ओर ध्यान दिया है;

(ग) क्या राज्यों को विनाश राहत के लिए आबंटित कुल राशि में भारी वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार इस सम्बन्ध में किन मापदण्डों पर विचार कर रही है और राज्य सरकारों की सिफारिशें क्या हैं?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) भारत सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं के लिए केन्द्रीय सहायता देने की पद्धति के बारे में आठवें वित्त आयोग की सिफारिशें मान ली हैं। भारत सरकार ने केंद्रीय सहायता को विभिन्न मदों के लिए सहायता के मानदण्ड भी निर्धारित किए हैं। राज्य सरकारों को इन मानदण्डों के बारे में अवगत करा दिया गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी हां।

(घ) भारत सरकार ने विभिन्न मदों के लिए केन्द्रीय सहायता के मानदण्डों की समीक्षा करने हेतु एक समिति गठित की है। सरकार समिति की अन्तरित रिपोर्ट की सिफारिशों पर विचार कर रही है।

दालों का आयात

1171. **श्री चिरंजी लाल शर्मा : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में दालों का आयात किया गया है;

(ख) वर्ष 1986 के दौरान कितनी मात्रा में दालों का आयात किया जाएगा; और

(ग) इस सम्बन्ध में देश को आत्म निर्भर बनाने के लिए क्या कदम उठाए जायेंगे ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित दलहनों की मात्रा नीचे दी गई है :—

वर्ष	आयात (मीटरी टन में)
1982-83	93,427
1983-84	64,565
1984-85	98,078

1985-86 के दौरान दलहनों के आयात संबंधी आंकड़े पूर्ण नहीं हैं। दलहनों का उत्पादन बढ़ाने और इस संबंध में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने विभिन्न उपाय शुरू किए हैं, जिनमें दोहरी तथा बहु फसली सिंचित क्षेत्रों में दलहनों की खेती शुरू करना, सिंचित तथा असिंचित दोनों परिस्थितियों के तहत तिलहन फसलों में अरहर की अन्त: फसल उगाना, उन्नत बीजों का वृहत् प्रयोग, किसानों को फसल कटाई के बाद उन्नत प्रौद्योगिकी तथा मूल्य प्रोत्साहन देना, शामिल है।

विश्व खाद्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत उड़ीसा को खाद्यान्न की सहायता

1172. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व खाद्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत उड़ीसा को खाद्यान्न की सहायता दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक उड़ीसा को कितनी सहायता दी गयी है; और

(ग) उड़ीसा में उन विभिन्न क्षेत्रों के नाम क्या हैं जहां पर ऐसा कार्यक्रम कार्यान्वित किया गया है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) जी हां। विश्व खाद्य कार्यक्रम ने उड़ीसा में वानिकी सम्बन्धी कार्यकलापों के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक विकास-परियोजना 2685 के "काम के बदले अनाज" कार्यक्रम के तहत पांच वर्ष की अवधि में 41,235 मीटरी टन गेहूं, 11,465 मीटरी टन चावल, 5,270 मीटरी टन वनस्पति तेल और 5,270 मीटरी टन दालें सप्लाई करने का वचन दिया है। स्कूल जाने वाली उम्र से छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं के अतिरिक्त पोषण कार्यक्रम परियोजना—2206 के अन्तर्गत उड़ीसा को कुल 45,400 मीटरी टन सोया पुष्ट बल्गारियन गेहूं (एम०एफ०बी०डब्लू०)/सोया पुष्ट सोया ग्रिट (एस०एफ०एस०जी०) और 3,988 मीटरी टन खाद्य तेल दिए गए हैं। इसमें सम्भवत: मार्च, 1986 के प्रथम सप्ताह में आने वाले 2,000 मीटरी टन एस०एफ०बी०डब्लू० और 200 मीटरी टन खाद्य तेल भी शामिल हैं।

(ग) उड़ीसा में वानिकी सम्बन्धी कार्यकलापों के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक-विकास-परियोजना-2685 में उड़ीसा के 13 जिलों यथा मयूरभंज, सुन्दरगढ़, सम्बलपुर, कालाहांडी, कोरापुट, क्योंझर, धेंकानेल, फूलबानी, कटक, बालासोर, गंजम, बोलांगीर और पुरी शामिल हैं। अनुपूरक पोषण कार्यक्रम परियोजना-2206 में सम्बलपुर, बोलांगीर और फूलबानी जिले शामिल हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पर आधारित उद्योगों की स्थापना

1173. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि ग्रामीण क्षेत्रों से काफी बड़ी संख्या में श्रमिक शहरों में आ रहे हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि ग्रामीण क्षेत्र में क्रय शक्ति में पर्याप्त कमी आई है;

(ग) इन प्रवृत्तियों पर काबू पाने के लिए क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पर आधारित अनेक उद्योग स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) देश में शहरी जनसंख्या में वृद्धि हुई है। यह वृद्धि वर्ष 1971 में लगभग 20 प्रतिशत थी जो बढ़कर वर्ष 1981 में 24% हो गई।

(ख) से (घ) ग्रामीण क्षेत्र में क्रय शक्ति में कोई कमी नहीं हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की प्रतिशतता में कमी हुई है। यह प्रतिशतता वर्ष 1977-78 में 51.2 थी जो कम होकर वर्ष 1983-84 में 40.4 (अनन्तिम) रह गई। कृषि पर आधारित उद्योगों सहित ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने के प्रयास सातवीं योजना में जारी रखे जायेंगे।

टी०आर०वाई०एस०ई०एम० के लिए प्रशिक्षण इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने के लिए छठी प्लान स्कीम का अभिनवीकरण किया जाएगा और इसके स्थान पर प्रत्येक जिले में कम्पोजिट ग्रामीण प्रशिक्षण और टैक्नोलोजी केन्द्रों (क०ग्रा०प्र०टे०के०) का नोडल संस्थानों के रूप में विकास करने हेतु नई योजना रखी जाएगी। ऐसे केन्द्रों का विकास वर्तमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, पोलीटैक्नीकों आदि के आस-पास किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्रीराम फूड्स एण्ड फर्टिलाइजर प्लांट, दिल्ली से गैस का रिसाव

1174. **श्री राजकुमार राय**
श्री चिंतामणि जेना
श्री मोहन भाई पटेल
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह
श्री आर० एम० भोये
श्री एन० डेनिस
: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने श्रीराम फूड्स एण्ड फर्टिलाइजर प्लांट, दिल्ली से गैस के रिसाव की जांच करने के लिए कोई समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है;

(ग) क्या श्रीराम फूड्स एण्ड फर्टिलाइजर प्लांट को दिल्ली में उसी स्थान पर चलते रहने की अनुमति दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और यदि नहीं, तो उसे वहां से हटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा): (क) श्रीराम फूड्स एण्ड फर्टिलाइजर्स इण्डस्ट्रीज, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली में 4 दिसम्बर, 1985 को हुए ओलीयम गैस रिसाव की जांच करने के लिए, दिल्ली प्रशासन ने श्री सेथुरामन की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की।

(ख) इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह बताया कि श्रीराम फूड्स एण्ड फर्टिलाइजर्स इण्डस्ट्रीज के अधिकांश संयंत्र पुराने डिजाइन के हैं और सुरक्षा उपकरण पर्याप्त नहीं हैं। इनसे समुदाय को खतरा उत्पन्न होता है। इस समिति के अनुसार इन खतरों को पूरी तरह से दूर नहीं किया जा सकता, लेकिन सुरक्षा विनियमों का सख्ती से पालन करके इन्हें कम किया जा सकता है। उन्होंने यह भी टिप्पणी की कि वर्तमान स्थान पर श्रीराम फूड्स एण्ड फर्टिलाइजर्स इण्डस्ट्रीज का काम करना वांछनीय नहीं है।

(ग) और (घ) भारत के उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 17 फरवरी, 1986 को अपने फैसले में यह बताया कि प्रबन्धतन्त्र द्वारा इस प्लांट को पुनः शुरू करने की अनुमति दी जा सकती है बशर्ते वे न्यायालय के आदेश में निर्धारित कुछ शर्तों का पालन करें।

[अनुवाद]

विभिन्न उद्योगों में गैस का रिसाव

1175. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन**
श्री जगन्नाथ प्रसाद
श्री चिंतामणि जेना
श्री अमर सिंह राठवा
: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समस्त देश में उद्योगों में जनवरी, 1985 के दौरान और आज तक गैस रिसने की कितनी घटनाएं हुई हैं और ये घटनाएं किन-किन उद्योगों में हुई हैं और वे उद्योग किन-किन स्थानों पर स्थित हैं;

(ख) इसके परिणामस्वरूप कितने लोगों के हताहत होने का समाचार है; और

(ग) उद्योगों में कारखाना और बायलर निरीक्षणों और उसके लिए अन्य जिम्मेदार लोगों के और सतर्क रहने को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है।

(ग) केन्द्रीय सरकार ने सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को अनुदेश जारी किए थे कि वे केन्द्रीय सरकार द्वारा परिचालित किए गए माडल नियमों के आधार पर, कारखाना निरीक्षणालयों को सुदृढ़ बनाये, प्रक्रियाओं को सरल व कारगर बनायें तथा राज्य कारखाना नियमों को अद्यतन करें। चुने हुए कारखाना निरीक्षणालयों को औद्योगिक स्वास्थ्य विज्ञान से संबंधित मामलों और बड़े जोखिमों को नियंत्रित करने के बारे में विशिष्ट तकनीकी प्रशिक्षण देने के लिए भी उपाय किए गए हैं। कारखाना सलाह सेवा और श्रम विज्ञान केन्द्र महानिदेशालय के संगठन के अधीन श्रम संस्थानों में प्रशिक्षण सुविधाओं को पुनर्गठित किया गया है तथा इनमें

बढ़ोत्तरी की गई है ताकि रासायनिक और अन्य नशीले पदार्थों से होने वाले जोखिमों की ओर अधिक ध्यान दिया जा सके। राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सलाह दी गई है कि वे विशेषज्ञ निरीक्षक नियुक्त करें। कारखाना निरीक्षक बायलर निरीक्षक का भी काम करते हैं।

क्षेत्रीय श्रम आयुक्त, धनबाद द्वारा भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के विरुद्ध मुकदमा दायर करना

1176. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ठेका मजदूर कानूनों का उल्लंघन करने तथा पंचाट को लागू न करने के कारण क्षेत्रीय श्रम आयुक्त, धनबाद ने भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के विरुद्ध मुकदमा दायर किया है; और

(ख) यदि हां, तो तथ्यों का विस्तृत ब्योरा क्या है और इस बारे में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, हां। ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 के अधीन और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन पंचाटों के कार्यान्वयन न किए जाने के लिए धनबाद क्षेत्र में केन्द्रीय औद्योगिक सम्बन्धतन्त्र के अधिकारियों ने मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड पर अभियोजन मामला चलाया था।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली बाल कल्याण परिषद् द्वारा कामकाजी बच्चों के लिए परियोजनाएं

1177. **प्रो० रामकृष्ण मोरे** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि दिल्ली बाल कल्याण परिषद् द्वारा कामकाजी बच्चों के लिए जो परियोजना 1982 में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि की सहायता से शुरू की गई थी, लड़खड़ाती हालत में है;

(ख) क्या सरकार ने इस परियोजना के कार्यचालन और इसकी कमियों को जानने का कोई प्रयास किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) दिल्ली बाल कल्याण परिषद् द्वारा कामकाजी बच्चों के लिए चलाई गई परियोजना न तो सरकार द्वारा संचालित है और न ही सरकार ने इसके लिए वित्तीय व्यवस्था की है। तथापि, यह पता चला है कि दिल्ली बाल कल्याण परिषद् ने संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि के साथ आर्थिक सहायता की सम्भाव्यता पर विचार-विमर्श किया था ताकि दिल्ली में कामकाजी बच्चों के लिए मूल सेवाओं की व्यवस्था की जा सके। संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि ने परिषद् को प्रेरणात्मक समर्थन दिया और अनुभव के रूप में कार्य प्रारम्भ करने के लिए उनकी सहायता की ताकि दिल्ली बाल कल्याण परिषद् द्वारा तैयार किया गया परियोजना प्रस्ताव विचारार्थ, अनुमोदनार्थ और उसे पांच वर्ष के लिए सहायतार्थ समाज कल्याण मंत्रालय, भारतीय बाल विकास परिषद् और

संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि के समक्ष रखा जा सके। संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि या सरकार को अभी तक यह परियोजना प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि द्वारा दी गई प्रेरणात्मक सहायता से दिल्ली बाल कल्याण परिषद् ने वर्ष 1982 में कामकाजी बच्चों के लिए एक परियोजना प्रारम्भ की ताकि गरीब, अपंग, परित्यक्त और शोषित बच्चों की सुरक्षा और उनके उचित पालन-पोषण के लिए मूल सेवाएं प्रदान की जा सकें। इस समय यह परिषद् कबाड़ी के रूप में काम कर रहे बच्चों को चिकित्सा देखरेख, पोषण, अनौपचारिक शिक्षा, मनोरंजन और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लाभ प्रदान कर रही है। संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि की रिपोर्ट के अनुसार, यह परियोजना लड़खड़ाती हालत में नहीं है।

भारतीय प्रेस परिषद् का पुनर्गठन

1178. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजी भाई मावणि** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 जनवरी, 1981 से 31 जनवरी, 1986 के बीच प्रेस परिषद् का पुनर्गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान प्रेस परिषद् के सदस्य कौन-कौन रहे?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) जी, हां। एक जनवरी, 1981 से 31 जनवरी, 1986 तक की अवधि के दौरान भारतीय प्रेस परिषद् का प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 की धारा 6 के उपबन्धों के अनुसार, दो बार—अर्थात् एक बार, 1982 में और पुन: 1985 में पुनर्गठन किया गया है।

(ग) ब्यौरा संलग्न **विवरण** में दिया गया है।

(क) वर्ष 1982 में पुनर्गठित की गई भारतीय प्रेस परिषद् की संरचना

अध्यक्ष : श्री न्यायमूर्ति ए०एन० ग्रोवर

सदस्य :

1. श्री अरुण शौरी
2. श्री एस०के० बोस
3. श्री ओ०पी० शाह
4. श्री विनोद मिश्र
5. श्री एस० रामस्वामी—"चो"
6. श्री डी०एस० सोढी
7. श्री एस० विश्वम्
8. श्री ए० राघवन
9. श्री आर० रंगराजन
10. श्री एन०के० त्रिखा
11. श्री शरद द्विवेदी

12. श्री रणजीत राय चौधरी
13. श्री विजय पी० नायक
14. श्री नरेन्द्र तिवारी
15. श्री सी०आर० ईरानी
16. श्री हरभजन सिंह
17. श्री प्रेम चन्द वर्मा
18. श्री राज मोहन गांधी
19. श्री अतुर सांगतानी
20. श्री घनश्याम पंकज
21. प्रो० उषा एच० मेहता
22. श्री रणजीत महंती
23. प्रो० उमाशंकर जोशी
24. श्री एच०के०एल० भगत
25. श्री एडुआर्डो फुंलेरो
26. प्रो० अजीत कुमार मेहता
27. डा० रफीक जकरिया
28. श्री पीलू मोदी

(ख) वर्ष 1985 में पुनर्गठित की गई भारतीय प्रेस परिषद् की संरचना

अध्यक्ष : श्री न्यायमूर्ति ए०एन० सेन

सदस्य :

1. श्री गौर कुमार घोष
2. श्री डी०एस० सोढी
3. श्री विनोद मिश्र
4. श्री एस०के० बोस
5. श्री प्रेम भाटिया
6. श्री रामू पटेल
7. श्री पृथ्वीस चक्रवर्ती
8. श्री कमल के० भट्ट
9. श्री ओम मेहता
10. श्री शैलेन चटर्जी
11. श्री अशोक टण्डन
12. श्री पी० रमण
13. श्री के० विक्रम राव
14. श्री मोहिन्दर मोहन गुप्ता
15. श्री बसुदेव राय
16. श्री आबिद अली खान
17. श्री अनिलकुमार वर्मा
18. श्री नारायण जी० अठवाले

19. श्री हरभजन सिंह
20. श्री एन०आर० चन्द्रन
21. डा० (श्रीमती) माधुरी आर० शाह
22. श्री रणवीर सिंह महेन्द्र
23. डा० बीरेन्द्र कुमार भट्टाचार्य
24. श्री वी०एस० कृष्णा अय्यर
25. प्रो० पी०जे० कुरियन
26. प्रो० के०के० तिवारी
27. श्री आर० रामकृष्णन्
28. श्री के० बसुदेव पणिकर।

[अनुवाद]

टेलीफोन एक्सचेंजों के चालू होने में विलम्ब होने के कारण राजस्व की हानि

1179. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू किये जाने के लिए बनाये गये कतिपय टेलीफोन एक्सचेंज अभी चालू किये जाने हैं और रिक्त स्थान भरने तथा नए पदों के सृजन पर वित्त मंत्रालय द्वारा लगाये गये प्रतिबन्ध के कारण आवश्यक कर्मचारी भर्ती करने में विभाग की असफलता के कारण टेलीफोन एक्सचेंजों को चालू करने में भारी विलंब होने से राजस्व की हानि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे टेलीफोन एक्सचेंजों के नाम क्या हैं जिन्हें चालू करने में विलंब हुआ है तथा प्रत्येक मामले में कितने राजस्व की हानि होने का अनुमान है;

(ग) क्या सरकार को राजस्व की हानि हुई है, क्योंकि आयु नियुक्त किये जाने वाले कर्मचारियों के वेतन आदि पर होने वाले व्यय से अधिक होती है; और

(घ) यदि हां, तो इस कारण राजस्व की हानि को रोकने तथा इन टेलीफोन एक्सचेंजों को चालू न किये जाने से जनसाधारण को हो रही असुविधा को दूर करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

आशय पत्रों और औद्योगिक लाइसेंसों के लिए केरल से प्राप्त आवेदन-पत्र

1180. **श्री टी० बशीर** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केरल से प्राप्त राज्य सरकार द्वारा सिफारिश किये गये आशय पत्रों/औद्योगिक लाइसेंसों सम्बन्धी कितने आवेदन नामंजूर किए गए हैं; और

(ख) उन्हें रद्द किए जाने के कारणों सहित उनके नामों का ब्यौरा क्या है?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) केरल में उद्योगों की स्थापना करने के लिए उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबंधों के अधीन आशय पत्रों की मंजूरी हेतु 1983 से 1985 के दौरान 117 औद्योगिक लाइसेंस आवेदन

प्राप्त हुए थे। 25-2-1986 तक 117 प्रस्तावों में से 62 अस्वीकृत कर दिये गये थे और 47 अनुमोदित किये गये थे तथा आशय पत्र जारी कर दिये गये थे।

(ख) किसी औद्योगिक लाइसेंस आवेदन को अनुमोदित अथवा अस्वीकृत करते समय विभिन्न तकनीकी आर्थिक तथ्यों जैसे कि मांग और पूर्ति, पहले से लाइसेंसीकृत क्षमता, निर्यात संभाव्यता, कच्चे माल की उपलब्धता, स्थापना स्थल सम्बन्धी अड़चनें और योजना की जीव्यता आदि को ध्यान में रखा जाता है। विभिन्न आवेदनों की अस्वीकृति के आधार भिन्न-भिन्न होते हैं जिनकी सूचना आवेदकों तथा साथ ही सम्बन्धित राज्य सरकारों को भी भेजी जाती है।

कुछ दवाइयों की विभिन्न किस्मों का उत्पादन

1181. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता चला है कि गैर सरकारी क्षेत्र में औषध निर्माण करने वाले कुछ एकक एक ही दवाई की दो किस्में तैयार करते हैं एक ग्रामीण क्षेत्रों में बिक्री के लिए और दूसरी शहरी क्षेत्रों में बिक्री के लिए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख) इस प्रकार के कोई मामले इस मंत्रालय की जानकारी में नहीं आये हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पिछड़े जिलों में एकक स्थापित करने वाली कम्पनियों को निर्यात बाध्यता से मुक्त करना

1182. **श्री एन० डेनिस** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अंतर्गत आने वाली कम्पनियों को श्रेणी "क" पिछड़े जिलों में औद्योगिक एकक स्थापित करने के सम्बन्ध में बाध्यता से मुक्त करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो पिछड़े जिलों के औद्योगिकीकरण सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या मानदण्ड अपनाये गये हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) जुलाई, 1970 में घोषित लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित वस्तुओं के सम्बन्ध में लाइसेंस देने और गैर-प्रमुख उद्योगों में बड़े/फैरा ग्रहों के प्रवेश सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार, एम० आर० टी०पी०/फैरा कम्पनियों को 60 प्रतिशत और लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों के मामले में 75 प्रतिशत की निर्यात देयता की शर्त पर **परिशिष्ट-1 में उल्लिखित उद्योगों** से भिन्न उद्योग (जिनमें अन्य कम्पनियों के साथ-साथ ये कम्पनियां भी अन्यथा भाग ले सकती हैं) स्थापित करने की अनुमति दी गई थी। पिछड़े क्षेत्रों का औद्योगिकीकरण्य करने की दृष्टि से वर्ष 1983 में लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित किए गए उद्योगों से भिन्न उद्योगों के सम्बन्ध में निर्यात देयता का स्तर कम करके वर्ग "ख" और "ग" के जिलों के लिए 50 प्रतिशत और वर्ग "क" के जिलों के लिए 30 प्रतिशत कर दिया गया था। पिछड़े क्षेत्रों का औद्योगिकीकरण करने के लिए और अधिक

बढ़ावा देने हेतु 25-12-1985 को यह घोषणा की गई है कि निर्यात देयता और कम करके वर्ग "ख" और वर्ग "ग" के लिए 25 प्रतिशत की कर दी जाएगी तथा वर्ग "क" के पिछड़े जिलों के सम्बन्ध में निर्यात देयता बिल्कुल ही समाप्त कर दी जाएगी।

जारी किए गए प्रत्येक आशय पत्र और औद्योगिक लाइसेंस के सम्बन्ध में उपक्रम का नाम और पता, विनिर्माण की वस्तु, क्षमता और स्थापनास्थल का ब्यौरा भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा अपने "मंथली न्यूज लैटर" में नियमित रूप से प्रकाशित किया जाता है। इस प्रकाशन की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में नियमित रूप से भेजी जा रही हैं।

असम में जापानी सहयोग से विद्युत संयंत्र लगाना

1183. **श्री मतिलाल हंसदा**
श्री गदाधर साहा } : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम चुनावों से ठीक पहले केन्द्रीय सरकार ने उस राज्य में जापानी सहयोग से एक विद्युत संयंत्र लगाने की घोषणा की थी;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त परियोजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) संयंत्र स्थापित करने का कार्य कब आरम्भ होगा और यह राज्य के लिए विद्युत उत्पादन कब आरम्भ करेगा; और

(घ) योजना आयोग द्वारा इस परियोजना के लिए कुल कितनी राशि मंजूर की गई है और कब की गई है और अब तक कितनी राशि दी गई है?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (घ) नवम्बर, 1985 में प्रधान मन्त्री की जापान यात्रा की समाप्ति पर, जापान द्वारा भारत को दी जाने वाली आर्थिक सहायता के पैकेज के संबंध में टोकियो में एक प्रैस विज्ञप्ति जारी की गई थी। असम में कठलगुडी में प्रस्तावित 280 मेगा-वाट के गैस पर आधारित संयुक्त साईकिल विद्युत केन्द्र तथा सम्बद्ध पारेषण लाइनों के लिए येन ऋण इसमें शामिल हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि निवेश संबंधी निर्णय ले लिए जाने के बाद विद्युत केन्द्र दो वर्ष के अन्दर विद्युत उत्पादन शुरू कर देगा। निधियों का प्रावधान करने के बारे में निर्णय वार्षिक योजनाओं में लिया जाएगा।

अधिक राशि के बिलों तथा खराब पड़े टेलीफोन के बिलों की धनराशि वापस करने संबंधी नियम तथा आदेश

1184. **डा० चिन्ता मोहन** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोनों की देखरेख भारतीय तार अधिनियम के अन्तर्गत होती है और इसके अन्तर्गत सभी नियम और प्रशासनिक आदेश सम्पूर्ण देश पर समान रूप से लागू होते हैं;

(ख) क्या अधिक धनराशि के बिलों तथा खराब पड़े टेलीफोनों के बिलों की धनराशि वापस करने के बारे में अलग-अलग नियम और आदेश बनाए गए हैं और उन्हें विभिन्न टेलीफोन जिलों में लागू किया गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ऐसे सभी नियम और आदेश सम्पूर्ण देश में लागू होंगे; और

(घ) क्या उपर्युक्त भाग (ख) के अन्तर्गत नियमों और आदेशों का अनुपालन न करने वालों के विरुद्ध उचित दण्ड देने का प्रस्ताव है?

बढ़ावा देने हेतु 25-12-1985 को यह घोषणा की गई है कि निर्यात देयता और कम करके वर्ग "ख" और वर्ग "ग" के लिए 25 प्रतिशत की कर दी जाएगी तथा वर्ग "क" के पिछड़े जिलों के सम्बन्ध में निर्यात देयता बिल्कुल ही समाप्त कर दी जाएगी।

जारी किए गए प्रत्येक आशय पत्र और औद्योगिक लाइसेंस के सम्बन्ध में उपक्रम का नाम और पता, विनिर्माण की वस्तु, क्षमता और स्थापनास्थल का ब्यौरा भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा अपने "मंथली न्यूज लैटर" में नियमित रूप से प्रकाशित किया जाता है। इस प्रकाशन की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में नियमित रूप से भेजी जा रही हैं।

असम में जापानी सहयोग से विद्युत संयंत्र लगाना

1183. **श्री मतिलाल हंसदा**
श्री गदाधर साहा : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम चुनावों से ठीक पहले केन्द्रीय सरकार ने उस राज्य में जापानी सहयोग से एक विद्युत संयंत्र लगाने की घोषणा की थी;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त परियोजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) संयंत्र स्थापित करने का कार्य कब आरम्भ होगा और यह राज्य के लिए विद्युत उत्पादन कब आरम्भ करेगा; और

(घ) योजना आयोग द्वारा इस परियोजना के लिए कुल कितनी राशि मंजूर की गई है और कब की गई है और अब तक कितनी राशि दी गई है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (घ) नवम्बर, 1985 में प्रधान मन्त्री की जापान यात्रा की समाप्ति पर, जापान द्वारा भारत को दी जाने वाली आर्थिक सहायता के पैकेज के संबंध में टोकियो में एक प्रैस विज्ञप्ति जारी की गई थी। असम में कठलगुडी में प्रस्तावित 280 मेगावाट के गैस पर आधारित संयुक्त साइकिल विद्युत केन्द्र तथा सम्बद्ध पारेषण लाइनों के लिए येन ऋण इसमें शामिल हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि निवेश संबंधी निर्णय ले लिए जाने के बाद विद्युत केन्द्र दो वर्ष के अन्दर विद्युत उत्पादन शुरू कर देगा। निधियों का प्रावधान करने के बारे में निर्णय वार्षिक योजनाओं में लिया जाएगा।

अधिक राशि के बिलों तथा खराब पड़े टेलीफोन के बिलों की धनराशि वापस करने संबंधी नियम तथा आदेश

1184. **डा० चिन्ता मोहन** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोनों की देखरेख भारतीय तार अधिनियम के अन्तर्गत होती है और इसके अन्तर्गत सभी नियम और प्रशासनिक आदेश सम्पूर्ण देश पर समान रूप से लागू होते हैं;

(ख) क्या अधिक धनराशि के बिलों तथा खराब पड़े टेलीफोनों के बिलों की धनराशि वापस करने के बारे में अलग-अलग नियम और आदेश बनाए गए हैं और उन्हें विभिन्न टेलीफोन जिलों में लागू किया गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ऐसे सभी नियम और आदेश सम्पूर्ण देश में लागू होंगे; और

(घ) क्या उपर्युक्त भाग (ख) के अन्तर्गत नियमों और आदेशों का अनुपालन न करने वालों के विरुद्ध उचित दण्ड देने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी हां।

(घ) विभागीय नियमों के अनुसार नियमों का उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कारंवाई की जाती है।

महाराष्ट्र के लिए स्वीकृत विद्युत परियोजनाएं

1185. **श्री ग्रार० एम० भोये** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत की गई उन विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके बारे में महाराष्ट्र सरकार ने अब तक परियोजना रिपोर्टें/व्यावहारिक रिपोर्टें प्रस्तुत की थीं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को जनरेटर लगाने के लिए उद्योगों को सहायता देने हेतु कोई राजसहायता स्वीकृत की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) महाराष्ट्र से प्राप्त हुई और सरकार द्वारा अनुमोदित की गई विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न **विवरण** में दिया गया है।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

स्कीम का नाम	क्षमता (मेगावाट)
1	2
ताप विद्युत	
1. चन्द्रपुर चरण-2 (यूनिट 3 व 4)	2×210
2. चन्द्रपुर यूनिट 5 व 6	2×500
3. उरण गैस टर्बाइन विस्तार	3×108
4. उरण गैस टर्बाइन विस्तार	1×108
5. खापरखेड़ा	2×210
6. पारली विस्तार यूनिट-4	1×210
7. पारली विस्तार यूनिट-5	1×210
8. ट्राम्बे विस्तार यूनिट-6 (टाटा इलैक्ट्रिक कम्पनी)	1×500
जल विद्युत	
1. तिल्लारी	1×60
2. भीरा टेलरेस	2×40
3. पावाना	1×10
4. मंडारदारा	1×10+1×35
5. खड़कवासला	1×8 +1×8
6. भातसा	1×15

1	2
7. उज्जैन	1×12
8. वैतरणा बांध बिजलीघर	1×1·5
9. पेंच (सांझा परियोजना)	2×80
10. कनहेर	1×4
11. धोम	2×1
12. सूर्या	1×5
13. माणिकडोह	1×6

गोवा के लिए पृथक उच्च न्यायालय

1186. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र गोवा, दमण और दीव के लिए एक पृथक उच्च न्यायालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो गोवा में एक पृथक् उच्च न्यायालय कब तक स्थापित किया जाएगा ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी संबंधी सहयोग समझौते और उसका आयात

1187. **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर सरकारी क्षेत्र को कौन से क्षेत्रों में आधुनिक प्रौद्योगिकी का आयात करने की अनुमति दी गई है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश के उद्योगों पर, विशेषकर लघु और मध्यम दर्जे के उद्योगों पर इसके आयात के प्रभाव के बारे में कोई अध्ययन किया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में और किन-किन देशों के साथ सहयोग समझौते किये गये हैं और इस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) प्रौद्योगिकी के स्रोतों का चयन करने में भारतीय उद्यमियों द्वारा पहल की जाती है। अत: वे प्रौद्योगिकी के वैकल्पिक स्रोत का पता लगाते हैं, वे प्रस्तावित विदेशी सहयोग का तकनीकी-आर्थिक विश्लेषण करते हैं तथा उस विदेशी सहयोगकर्त्ता का चयन करते हैं जिसका प्रस्ताव उनके सर्वाधिक अनुरूप होता है।

(ख) उद्योग मंत्रालय द्वारा कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

(ग) स्वीकृत किए गए सभी विदेशी सहयोगों का ब्यौरा, जिसमें भारतीय और विदेशी फर्मों के नाम, विनिर्माण की वस्तु तथा सहयोग का स्वरूप दर्शाया गया होता है, भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा अपने मंथली न्यूज लैटर के एक परिशिष्ट के रूप में तिमाही आधार पर प्रकाशित किया जाता है। इस प्रकाशन की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में नियमित रूप से भेजी जाती हैं।

वर्ष 1981 से 1985 की अवधि के लिए स्वीकृत किए गए विदेशी सहयोगों का निवेशवार ब्यौरा दर्शाने वाला एक **विवरण** संलग्न है।

विवरण

वर्ष 1981 से 1985 के दौरान स्वीकृत विदेशी निवेश का देशवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(लाख रु० में)

क्र० सं०	देश का नाम	1981	1982	1983	1984	1985
1	2	3	4	5	6	7
1.	आस्ट्रेलिया	—	—	10.00	—	—
2.	आस्ट्रिया	16.00	—	—	0.40	103.20
3.	बहामा	—	—	—	—	75.00
4.	बहरीन	—	44.80	—	6480.00	0.30
5.	बुल्गारिया	—	21.50	—	12.00	—
6.	बेल्जियम	—	1.20	3.25	46.70	268.00
7.	बारमूडा	—	10.00	—	—	40.00
8.	कनाडा	6.00	—	35.60	35.00	247.00
9.	केमैन आइलैंड ब्रिटिश वेस्ट इन्डीज	—	—	240.00	—	—
10.	डेनमार्क	—	6.00	11.15	25.00	24.00
11.	फारियो द्वीप समूह	—	—	—	—	8.00
12.	फिनलैंड	—	—	10.00	21.00	—
13.	फ्रांस	62.00	258.03	79.50	121.80	235.50
14.	एफ०आर०जी०	541.74	353.45	484.23	284.49	1180.80
15.	यूनान	—	—	11.70	—	—
16.	हांग कांग	—	—	7.20	20.00	8.00
17.	हंगरी	—	—	—	29.98	—
18.	आयरलैंड	—	5.00	—	—	—
19.	इटली	4.00	398.90	11.00	77.00	694.75
20.	जापान	64.50	2511.18	160.70	615.22	1567.62
21.	जोर्डन	—	—	—	—	5.00
22.	कोरिया (दक्षिणी)	—	12.00	—	—	—
23.	कुवैत	—	9.00	—	28.16	—
24.	लेबनान	—	8.00	—	—	—
25.	लाइबेरिया	—	—	—	—	3.90
26.	मलेशिया	—	—	90.00	—	—
27.	मेक्सिको	—	—	—	—	4.00
28.	नीदरलैंड	8.40	—	268.60	—	40.00
29.	पुर्तगाल	—	—	—	—	80.00
30.	नार्वे	—	—	—	—	650.00
31.	सिंगापुर	—	—	—	24.60	37.00

पश्चिम बंगाल में टेलीफोन सेवा का विस्तार

1188. **श्री हन्नान मोल्लाह : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पश्चिम बंगाल में टेलीफोन सेवा का विस्तार करने का है;

(ख) चालू वर्ष के दौरान किन-किन क्षेत्रों में टेलीफोन सेवा आरम्भ की जाएगी; और

(ग) पश्चिम बंगाल में टेलीफोन प्रणाली में सुधार करने के बारे में सरकार का क्या विचार है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां ।

(ख) क्षेत्र निम्नानुसार हैं :

(1) लक्ष्मीकांतपुर, 24-परगना जिला

(2) सिंगेरकोने } बर्दवान जिला
(3) जिरात }

(4) पतरासेंयर, बांकुरा जिला

(5) गारोजॉयपुर, पुरुलिया जिला

(6) बल्लीपुर, हुगली जिला

(7) चैतन्यपुर

(8) लावड़ा

(9) नारायणगढ़

(10) खाकुरदा

(11) मतचंदीपुर, मिदनापुर जिला

(12) अयोधा, हावड़ा जिला

(13) खोयरासोले

(14) चिनपई, बीरभूम जिला

(15) सिताईहाट, कूचबिहार

(16) त्रिमोहिनी }
(17) खुसिदा } मालदा जिला
(18) हेमतावाद }

(19) कुशमुण्डी, पश्चिमी दिनाजपुर जिला

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान निम्न सुधार किए जाने का प्रस्ताव है :—

(एक) वर्तमान एक्सचेंजों अर्थात् बर्दवान का 2100 से 2400 लाइन, पुरुलिया स्थित एक्सचेंजों का 700 से 800 लाइन, सिलीगुड़ी का 5000 से 6000 लाइन, दार्जिलिंग 1200 से 1500 लाइन, दुर्गापुर 1500 से 1800 लाइन, श्यामसुन्दर तथा मंडेश्वर (बर्दवान जिला) प्रत्येक का 25 से 50 लाइन, गढ़रायपुर (बांकुरा जिला) 25 से 50 लाइन, नंदकुमा (मिदनापुर) 50 से 100 लाइन, मानकपुरा (मिदनापुर) 25 से 50 लाइन, फरक्खा (एन० सी० पी० सी०) 50 से 100 लाइनों, थामरन का (मुर्शिदाबाद जिला) 50 से 100 लाइनों तक विस्तार करना ।

(दो) पुरुलिया में एस०टी०डी० सुविधा की व्यवस्था, खड़गपुर तथा मिदनापुर के बीच प्वाइंट-टू-प्वाइंट एस०टी०डी० सुविधा प्रदान करना तथा बाराकर और आसनसोल ट्रंक ऑटोमेटिक एक्सचेंजों को जोड़ना, बर्दवान तथा कलकत्ता एवं दुर्गापुर इण्डस्ट्रीज तथा दुर्गापुर स्टील के बीच मौजूदा चेनल को स्थाई कोएक्सियल केबिल प्रणाली द्वारा बदलना और बर्दवान एवं दुर्गापुर की एस०टी०डी० सेवा में सुधार करना ।

'ब्राड बेन्डिग लाइसेंस स्कीम' के अन्तर्गत 350 सी० सी० तक की तिपहिया गाड़ियां

1189. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने 350 सी० सी० इन्जन क्षमता तक की सभी मोटर युक्त तिपहिया गाड़ियों को ब्राड बेन्डिग लाइसेंस स्कीम के अंतर्गत लाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) जी, हां ।

(ख) क्षमता के उपयोग में सुधार लाने और अधिक मात्रा में उत्पादन प्राप्त करने की दृष्टि से दुपहियों और तिपहियों को लाइसेंसीकरण के प्रयोजन के लिए "350 सी० सी० इन्जन क्षमता तक के सभी मोटरयुक्त दुपहियों और तिपहियों" को एक समान श्रेणी में व्यापक रूप से वर्गीकृत किया गया है ।

हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के विरुद्ध जांच

1190. **श्री सोडे रमैय्या** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 23 दिसम्बर, 1983 को मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के विरुद्ध 1983 की अवरोधक व्यापारिक व्यवहार जांच संख्या 48, आरम्भ की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या प्रगति हुई है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) हां, श्रीमान् जी ।

(ख) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 10 (क) (4) और धारा 37 के अंतर्गत मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के विरुद्ध जांच सुनवाई के लिए उन्नति के स्तर पर चल रही है । गवाहों की परीक्षा और जिरह पूरी हो गई है तथा इस मामले को अन्तिम दलील के लिए 3 अप्रैल, 1986 को रखा गया है ।

[हिन्दी]

घाटे पर चलने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों के लिए कार्य-निष्पादन लक्ष्य

1191. **डा० ए०के० पटेल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि घाटे पर चलने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों के लिए वर्ष 1985-86 और 1986-87 के लिए राज्यवार और संघ राज्य-क्षेत्रवार अलग-अलग निर्धारित कार्य निष्पादन लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

लम्बी दूरी की ट्रंक कालों में सुधार

1192. **डा० सुधीर राय** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सम्पूर्ण देश में टेलीफोन सेवाओं में विशेषकर लंबी दूरी की ट्रंक कालों में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) टेलीफोन सेवाओं में सुधार लाने के लिए अब तक किए गए उपाय इस प्रकार हैं :—

स्थानीय टेलीफोन सेवाएं

(1) पुराने और घिसे-पिटे टेलीफोन एक्सचेंजों के स्थान पर आधुनिक स्विचन प्रणाली वाले एक्सचेंज लगाना तथा उपयोगी उपस्कर के अनुरक्षण के लिए पर्याप्त रूप से पुर्जे प्रदान करना।

(2) केबिल पी०सी०एम० और माइक्रोवेव प्रणालियों की व्यवस्था करके अंतर एक्सचेंज जंक्शन नेटवर्क में सुधार लाना तथा उनका विस्तार करना।

(3) जली भरे केबिलों का इस्तेमाल करके, शुल्क केबिलों का दाबीकरण, डक्ट प्रदान करके डी०पी०एस० केबिनेट तथा पिल्लरों को दुरुस्त करके प्रणाली के कमजोर। लिंक बाहरी संयंत्र को पुनः स्थापित करना।

(4) अनेक शहरों में इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज चालू करना।

(5) डाइरेक्टरी पूछताछ सेवा दर शिकायतों को कम करने के लिए इसका कम्प्यूटरीकृत करना।

लंबी दूरी की ट्रंक टेलीफोन सेवाएं

(1) राष्ट्रीय, मुख्य और असाध्य दुर्गम मार्गों को जोड़ते हुए उपग्रह माइक्रोवेव कोएक्सिअल और यू० एच० एफ० (रेडियो प्रणाली) पर स्थायी और विश्वसनीय संचारण माध्यम प्रदान किया जा रहा है।

(2) ट्रंक सेवा रात-दिन कार्य करती रहे, इसके लिए राष्ट्रीय मुख्य मार्गों पर सहायक ट्रंक सर्किट प्रदान किए गए हैं।

(3) कड़ी निगरानी और मानीटरिंग सैल के जरिए राज्य की राजधानियों में ट्रंक मैनुअल एक्सचेंजों के कार्य निष्पादन पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।

(4) ट्रंककालो में होने वाले विलंब को कम करने के उद्देश्य से ट्रंक परियात पूरा करने के लिए जहां कहीं औचित्य पाया गया, अतिरिक्त नए ट्रंक सर्किट प्रदान किए गए हैं।

(5) जहां कहीं औचित्य पाया गया, अतिरिक्त ट्रंक बोर्ड प्रदान कर दिए गए हैं।

(6) स्टाफ की स्थिति में सुधार लाने के लिए शार्ट ड्यूटी/आरक्षित प्रशिक्षत पूल के कर्मचारियों की नियुक्ति करना।

(7) जहां कहीं भी औचित्य पाया गया डिमांड ट्रंकमार्गों की व्यवस्था करना।

(8) अतिरिक्त डिमांड ट्रंक मैनुअल एक्सचेंज खोलना जैसा कि बंबई (प्रभादेवी) में है।

(9) अच्छी किस्म वाले हल्के हैडगियर सेटों की व्यवस्था करना।

(10) इलेक्ट्रानिक ट्रंक समय सूचकों की व्यवस्था करना।

इसके अलावा, निम्नलिखित योजनाएं भी बनाई जा रही हैं :—

(1) पशु बटन डायलर्स प्रदान करना।

(2) देश में ट्रंक मैनुअल एक्सचेंजों के कम्प्यूटरीकरण की ओर प्रथम कदम उठाने के रूप में त्रिवेन्द्रम में प्रायोगिक आधार पर पोस्टेक्स (ट्रंक एक्सचेंज का पेपरलेस आपरेशन प्रदान) करना।

(3) इलेक्ट्रानिक ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंजों की क्षमा बढ़ाना तथा एस०टी०डी० कालों के फेल हो जाने के लिए जिम्मेवार पेंटाकोंटा क्रासबार ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंज उपस्कर को निकालना।

(4) देश में 17 स्थानों पर डिजिटल ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंज प्रदान करने की योजना बनाई गई है।

(ख) ब्यौरा उपर्युक्त भाग (क) में दिए गए हैं।

स्वदेशी तथा आयातित अखबारी कागज की आवश्यकता उसका उत्पादन तथा मूल्य

1193. **श्री चिंतामणि जेना**
श्री मोहन भाई पटेल
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अखबारी कागज की वार्षिक आवश्यकता कितनी है तथा वार्षिक उत्पादन कितना है;

(ख) आवश्यकता को पूरा करने के लिए कितनी मात्रा में अखबारी कागज का वार्षिक आयात किया जाता है;

(ग) स्वदेशी अखबारी कागज का मूल्य कितना है;

(घ) आयातित अखबारी कागज का मूल्य कितना है;

(ङ) क्या यह सच है कि स्वदेशी अखबारी कागज का मूल्य आयातित अखबारी कागज के मूल्य से अधिक है और यदि हां, तो कितना अधिक है तथा उसके क्या कारण हैं; और

(च) स्वदेशी अखबारी कागज के मूल्यों में कमी करने तथा प्रयोक्ताओं का आयातित अखबारी कागज के मूल्यों पर इसकी सप्लाई करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) अखबारी कागज की मांग, जिसका अनुमान वर्ष 1984-85 में 3.85 लाख मी० टन लगाया गया था, वर्ष 1989-90 तक लगभग 5 लाख मी० टन प्रति वर्ष बढ़ने की संभावना है।

(ख) गत तीन वर्षों में आयातित अखबारी कागज की मात्रा निम्नलिखित है :—

1983-84	193,697 मी० टन	
1984-85	240,324 मी० टन	(जिसमें चुनावों के कोटे, संचित सेवा कार्य तथा दिल्ली टेलीफोन के लिए 27,650 मी० टन शामिल)
1985-86	2,30,000 मी० टन (अनुमानित)	

(ग) से (ङ) जनवरी-मार्च, 1986 की तिमाही के लिए आयातित अखबारी कागज (48.8 जी०एस०एम०) का मूल्य मुक्त सागर (हाई-सी) बिक्री के लिए 6980 रु० प्रति मी० टन और मध्यवर्ती भंडार बिक्री के लिए 7030 रु० प्रति मी० टन है, जिसमें सीमा शुल्क शामिल नहीं है। स्वदेशी अखबारी कागज का मूल्य निम्नलिखित है :—

नेशनल न्यूज प्रिंट एण्ड पेपर मिल्स लिमिटेड	रु० 7860 प्रति मी० टन (55 जी०एस०एम०)
हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड मैसूर पेपर मिल्स लिमिटेड तमिलनाडु न्यूजप्रिंट एंड पेपर लिमिटेड	8960 रु० प्रति मी० टन (52 जी०एस०एम०)

अखबारी कागज का मूल्य अधिक होने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :—

(1) अधिष्ठापित क्षमता का प्रति मी० टन पूंजीगत निवेश अधिक होना और प्रति मी० टन अखबारी कागज निविष्टि की लागत अधिक होना।

(2) कार्य संचालन का स्तर और कच्चा माल-मिश्र में अन्तर होना।

(च) देश में विद्यमान एककों के क्षमता उपयोग में सुधार करने के लिए निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं और प्रमुख निविष्टियों की समयबद्ध और पर्याप्त पूर्ति का सुनिश्चय करके उत्पादन की लागत को कम करना, बेहतर बहुमुखी व्यवस्था करना और अन्य उपाय करना।

केरल में पेट्रोल पम्पों और गैस एजेंसियों को स्वीकृति

1194. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में वर्ष 1985 के दौरान कितने पेट्रोल पम्प और गैस एजेन्सियां स्वीकृत की गई हैं; और

(ख) वर्ष 1986 के दौरान कितने और पेट्रोल पम्प और गैस एजेन्सियां स्वीकृत किए जाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) तेल उद्योग ने केरल राज्य के लिये अपनी 1985-86 की विपणन योजना में 53 एल०पी०जी० वितरणशिपें और 9 रिटेल आउटलेट डीलरशिपें सम्मिलित की हैं। प्रत्येक मामले में विज्ञापन देकर तेल चयन बोर्ड द्वारा चयन किये जाने पर और निर्धारित प्रणाली के अनुसार इस बोर्ड की सिफारिशों पर नियुक्ति

किये जाने पर अब तक विपणन योजनाओं में सम्मिलित क्षेत्रों को समय-समय पर चालू किया जाएगा। वर्ष 1985 में केरल में तेल कम्पनियों द्वारा 15 रिटेल आउटलेट डीलरशिपों और 42 एल० पी० जी० डीलरशिपों के लिए चुने हुए प्रत्याशियों को आशय-पत्र जारी किये गये हैं।

(ख) वर्ष 1986-87 की तेल उद्योग की विपणन योजना को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

खाना पकाने की गैस के सिलेण्डरों के निर्माण के लिए लाइसेंस जारी करना

1195. **श्री अनिल बसु** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच कि प्रधान मंत्री कार्यालय देश में औद्योगिक लाइसेंसों की स्वीकृति पर निगरानी रख रहा है;

(ख) यदि हां, तो देश में अब तक खाना पकाने की गैस के सिलेण्डरों के निर्माण के लिए दिए गए लाइसेंसों पर निगरानी के क्या परिणाम निकले;

(ग) पूर्वी राज्यों के लिए कितने लाइसेंस दिए गए और ये संयंत्र किन-किन स्थानों पर लगाए जाएंगे तथा उनकी कुल क्षमता क्या होगी; और

(घ) अन्य राज्यों की खाना पकाने की गैस के सिलेण्डर निर्माण की कुल कितनी क्षमता के लाइसेंस दिये गये—तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) से (घ) एल० पी०जी० सिलेण्डरों के निर्माण के लिए उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अंतर्गत किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।

उड़ीसा में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज

1196. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में इस समय कार्य कर रहे स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या कितनी हैं;

(ख) क्या उड़ीसा के सम्बलपुर जिले में कोई स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज कार्यरत हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सम्बलपुर में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज चालू करने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं; और

(घ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) उड़ीसा में इस समय कार्य कर रहे स्वचल टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या 245 है।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी हां। 1986-87 के दौरान संबलपुर में 2000 लाइनों वाला एक आई०सी०पी० क्रासबार एक्सचेंज चालू करने का प्रस्ताव है बशर्ते कि वातानुकूलन संयंत्र को चलाने के लिए उचित दरों पर सीमित जल सप्लाई उपलब्ध हो सके।

(घ) उपर्युक्त (ग) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में वेतन संशोधन समझौते

1197. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या **उद्योग मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि उन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के नाम क्या

हैं, जिनके वेतन संशोधन समझौतों को वर्ष 1983, 1984 और 1985 में स्वीकृति प्रदान की गई है और दिए गए न्यूनतम और अधिकतम लाभ, प्रत्येक के समझौते की लागत की प्रतिशतता, मूल्य सूचकांक, जिसके साथ वेतन संशोधन को जोड़ा गया है, बिना निरावेशन के निर्धारित महंगाई भत्ते सहित न्यूनतम वेतन और यदि कोई अन्य लाभ दिए गए हैं, तो उनका ब्योरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : 1983, 1984 और 1985 के दौरान सरकारी उद्यम कार्यालय द्वारा स्वीकृत किये गये कामगारों के मजूरी समझौतों की तीन अलग-अलग सूचियां संलग्न **विवरण** एक, दो और तीन के रूप में संलग्न हैं जिनमें क्रमशः सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का नाम, न्यूनतम तथा अधिकतम समायोजन लाभ, समझौता लागत की प्रतिशतता, न्यूनतम मजूरी (मूल वेतन+महंगाई भत्ता) और इसका अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से सम्बन्ध दर्शाया गया है। न्यूनतम मजूरी में शामिल किये गये महंगाई भत्ते के अंतर्गत निश्चित महंगाई भत्ता, जहां-कहीं यह विद्यमान है, भी आता है। महंगाई भत्ते का समायोजन हमेशा जीवन निर्वाह सूचकांक मूल्य के संदर्भ में किया जाता है और इसलिये महंगाई भत्ते का निष्प्रभावन न किए जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। इन उपक्रमों के कर्मचारियों को स्वीकार्य अन्य अनुषंगी लाभ निर्धारित करना सम्भव नहीं है क्योंकि ऐतिहासिक कारणों से ये लाभ एक उपक्रम से दूसरे उपक्रम में और यहां तक कि उसी उपक्रम में तैनाती के स्थान को ध्यान में रखते हुए भिन्न-भिन्न हैं।

विवरण–एक

1983 के दौरान सरकारी उद्यम कार्यालय द्वारा स्वीकृत कामगारों के मजूरी समझौते की सूची

क्र०सं०	उद्यम का नाम	समायोजन लाभ न्यूनतम (रुपये)	समायोजन लाभ अधिकतम (रुपये)	समझौता लागत की प्रतिशतता	न्यूनतम मजूरी (मूल वेतन जमा महंगाई भत्ता) तथा इसका अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से सम्बन्ध (रुपये)
1	2	3	4	3	6
1.	सेंट्रल इलेक्ट्रोनिक्स लि०	70.00	70.00	14.34	550.70 (अ०भा०उ०मू०सू०-441)
2.	इण्डो बर्मा पेट्रोलियम कं०लि० (दिल्ली क्षेत्र)	28.00	150.00	8.77	483.40 (अ०भा०उ०मू०सू०-408)
3.	हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि०	84.80	111.25	11.28	523.00 (अ०भा०उ०मू०सू०-402)
4.	भारत पेट्रोलियम कारपो०लि० (कलकत्ता)	59.85	85.00	14.72	475.80 (अ०भा०उ०मू०सू०-360)

1	2	3	4	5	6
5.	रिचर्डसन एण्ड क्रूडास (1972) लि० (मुलन्द एकक)	5.00	25.00	11.52	573.00 (अ०मा०उ०मू०सू०-458)
6.	मारी इन्जीनियरी निगम लि०	65.00	65.00	10.6	724.50 (अ०मा०उ०मू०सू०-461)
7.	प्रागा टूल्स लि०	86.40	148.90	10	577.00 (अ०मा०उ०मू०सू०-428)
8.	भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लि०	60.00	75.00	10	530.00 (अ०मा०उ०मू०सू०-408)
9.	स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट फार्मेस्यूटिकल्स लि०	40.00	75.00	10	594.40 (अ०मा०उ०मू०सू०-458)
10.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपो०लि० (बम्बई रिफायनरी)	50.00	85.00	10.95	488.00 (अ०मा०उ०मू०सू०-360)
11.	भारत पेट्रोलियम कारपो०लि० (मद्रास)	59.85	85.00	12.71	475.80 (अ०मा०उ०मू०सू०-360)
12.	गार्डनरीच शिपबिल्डर्स एण्ड इन्जी०लि० रोड रोलर एकक, नागपुर	10.00	25.00	11.2	510.30 (अ०मा०उ०मू०सू०-473)
13.	भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड	113.00	201.00	14.12	781.90 (अ०मा०उ०मू०सू०-470)
14.	भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण	54.00	115.00	10.9	556.00 (अ०मा०उ०मू०सू०-416)
15.	बामेर लारी एण्ड कं० (बम्बई कन्टेनर प्रभाग)	60.00	60.00	10.32	558.50 (अ०मा०उ०मू०सू०-395)
16.	भारतीय तेल निगम	71.00	110.00	11.9	754.00 (अ०मा०उ०मू०सू०-470)

1	2	3	4	5	6
17.	बंगाल इम्युनिटी कं०लि०	30.00	30.00	9.21	624·40 (अ०भा०उ०मू०सू०-458)
18.	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि०	113.00	201.00	14.1	781.90 (अ०भा०उ०मू०सू०-470)
19.	नेशनल थर्मल पावर कारपो०लि०	142.00	220.00	16.31	758.90 (अ०भा०उ०मू०सू०-485)
20.	मैरीन डीजल इन्जी० संयंत्र	65.00	65.00	11.5	724.50 (अ०भा०उ०मू०सू०-461)
21.	रद्दी धातु व्यापार निगम लि०	113.00	201.00	14.67	781.90 (अ०भा०उ०मू०सू०-470)
22.	बाथेर लारी एण्ड कं० लि० फ्रेट कन्टेनर प्रभाग, कोचीन)	40.00	120.00	15.7	574.10 (अ०भा०उ०मू०सू०-485)
23.	बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मे०लि०	64.00	69.00	10.89	653.40 (अ०भा०उ०मू०सू०-458)
24.	भारत हैवी प्लेट एण्ड वेसल्स लि०	113.00	181.00	13.97	755.00 (अ०भा०उ०मू०सू०-470)
25.	नेपा मिल्स	57.80	132.00	13.32	650.20 (अ०भा०उ०मू०सू०-464)
26.	इलेक्ट्रोनिक्स ट्रेड एण्ड टेक्ना० डिवेल्प कारपो०लि०	60.00	120.00	14.6	641.00 (अ०भा०उ०मू०सू०-461)
27.	हिन्दुस्तान जिंक लि०	116.00	175.00	14.2	788.90 (अ०भा०उ०मू०सू०-485)
28.	भारतीय रुई निगम लि०	117.40	168.40	15.81	673.80 (अ०भा०उ०मू०सू०-459)

1	2	3	4	5	6
29.	नेवेली लिग्नाइट कारपो०लि०	113.00	181.00	14.45	761.20 (अ०भा०उ०मू०सू०-470)
30.	हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लि०	113.00	181.00	13.9	699-50 (अ०भा०उ०मू०सू०-470)
31.	हिन्दुस्तान इन्सेक्टि-साइड्स लि०	65.00	115.00	15.4	629.55 (दिल्ली) 619.55 (उद्योग मण्डल) (अ०भा०उ०मू०सू०-495)
32.	तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग	110.00	220.00	14.41	783.50 (अ०भा०उ०मू०सू०-495)
33.	*कोल इण्डिया लि०	113.00	201.00	20.9	801.40 (अ०भा०उ०मू०सू०-485)
34.	हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लि०	113.00	191.00	14.8	801.40 (अ०भा०उ०मू०सू०-485)
35.	भारत इलेक्ट्रोनिक्स लि०	113.00	191.00	11.53	801.40 (अ०भा०उ०मू०सू०-485)
36.	भारत अर्थ मूवर्स लि०	113.00	171.00	12.28	801.40 (अ०भा०उ०मू०सू०-485)
37.	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि०	113.00	171.00	13.96	801.40 (अ०भा०उ०मू०सू०-485)
38.	इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज	113.00	171.00	13.35	801.40 (अ०भा०उ०मू०सू०-485)
39.	मारुति उद्योग लि०	113.00	201.00	14.3	781.90 (अ०भा०उ०मू०सू०-470)

(...जारी)

1	2	3	4	5	6
40.	एण्ड्र्यू यूले एण्ड कम्पनी (लिपिकीय एवं अधीनस्थ स्टाफ)	मूल वेतन का 12.5% +महंगाई भत्ता		12.7	570.00 (अ०भा०उ०मू०सू०-485)
41.	भारतीय उर्वरक निगम लि०	130.00	204.90	13.14	757.80 (अ०भा०उ०मू०सू०-485)
42.	राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि०	130.00	204.90	11.39	757.80 (अ०भा०उ०मू०सू०-485)
43.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि०	130.00	204.90	13.02	757.80 (अ०भा०उ०मू०सू०-485)
44.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपो०लि०	130.00	204.90	13.52	757.80 (अ०भा०उ०मू०सू०-485)
45.	भारतीय परियोजना एवं विकास लि०	130.00	204.90	12.06	757.80 (अ०भा०उ०मू०सू०-485)

*मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया था।

विवरण-दो

1984 में स्वीकृत कामगारों के मजूरी समझौतों की सूची

क्र०सं०	उद्यम का नाम	समायोजन लाभ		समझौता लागत की प्रतिशतता	न्यूनतम मजदूरी (मूल वेतन जमा महंगाई भत्ता) और इसका अखिल भारतीय उपभोक्ता सूचकांक से सम्बन्ध)
		न्यूनतम	अधिकतम		
1	2	3	4	5	6
		रुपये	रुपये		रुपये
1.	ऑयल इण्डिया लिमिटेड	80.00	120.00	8.03	678.00 (अ०मा०उ०मू०सू०-433)
2.	इण्डियन पेट्रोकैमिकल्स कारपो० लिमिटेड	108.00	190.00	12.44	681.15 (अ०मा०उ०मू०सू०-499)

1	2	3	4	5	6
	3. भारत डायनामिक्स लि०	113.00	191.00	11.64	801.00 (अ०भा०उ०मू०सू०-485)
	4. मिश्र धातु निगम	113.00	191.00	15.21	801.00 (अ०भा०उ०मू०सू०-485)
	5. चाय व्यापार निगम	68.00	85.00	13.5	515.00 (अ०भा०उ०मू०सू०-460)
	6. महाराष्ट्र एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड	5.00	81.00	10.7	556.15 (अ०भा०उ०मू०सू०-499)
	7. स्कूटर्स इण्डिया लि०	80.00	120.00	13.9	625.50 (अ०भा०उ०मू०सू०-463)
	8. भारत पम्प एण्ड कम्प्रेशर्स लिमिटेड	137.00	205.00	14.98	823.45 (अ०भा०उ०मू०सू०-503)
	9. भारतीय पर्यटन विकास निगम	78.00	110.00	16.4	512.40 (अ०भा०उ०मू०सू०-458)
	10. त्रिवेणीस्ट्रक्लरल्स लि०	113.00	151.00	14.05	752.45 (अ०भा०उ०मू०सू०-499)
	11. हिन्दुस्तान फोटोफिल्म्स	91.00	131.00	14	690.00 (अ०भा०उ०मू०सू०-485)
	12. मंडया नेशनल पेपर मिल्स	47.00	105.00	10.83	691.05 (अ०भा०उ०मू०सू०-499)
	13. इण्डियन एअर लाइन्स कारपो० (एअर लाइन्स कर्म० संघ)	145.00	206.00	14.12	622.60 (अ०भा०उ०मू०सू०-433)
	14. हिन्दुस्तान केबल्स लि० हैदराबाद	113.00	117.00	14.98	801.00 (अ०भा०उ०मू०सू०-485)

1	2	3	4	5	6
15.	इण्डो-बर्मा पेट्रोलियम कं०, तेल प्रभाग बम्बई	70.00	125.00	13.38	751.00 (अ०मा०उ०मू०सू०-468)
16.	इण्डो-बर्मा पेट्रोलियम कं० इन्जी० प्रभाग सेवारी, बम्बई	88.00	161.80	11.6	683.00 (अ०मा०उ०मू०सू०-468)
17.	एयर इण्डिया (एयरलाइन्स कर्मचारी संघ तथा एयर इण्डिया कर्मचारी संघ गैर तकनीकी श्रेणियां)	145.00	260.00	14.1	622.60 (अ०मा०उ०मू०सू०-433)
18.	जेसप एण्ड कंपनी	मूल वेतन का 10% जमा महंगाई भत्ता		11.24	585.00 (अ०मा०उ०मू०सू०-408)
19.	भारतीय होटल निगम (सेंटौर होटल, बम्बई)	105.00	105.00	17.25	305.00* (अ०मा०उ०मू०सू०-491)
20.	फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स (त्रावणकोर) लि०	130.00	219.50	15.13	849.15 (अ०मा०उ०मू०सू०-541)
21.	इलेक्ट्रानिक कारपो० ऑफ इण्डिया लि०	113.00	171.00	13.72	801.00 (अ०मा०उ०मू०सू०-485)
22.	हिन्दुस्तान पेपर कारपो० लिमिटेड	100.00	170.00	19.6	630.50 (अ०मा०उ०मू०सू०-485)
23.	इन्जीनियर्स इण्डिया लि०	110.00	240.00	15.8	675.00 (अ०मा०उ०मू०सू०-461)
24.	बामेर लारी एण्ड कं० लि० ग्रीस प्रभाग और शाखा कार्यालय, बम्बई	60.00	60.00	15.23	660.60 (अ०मा०उ०मू०सू०-502)
25.	मैंगनीज ओर इण्डिया लि०	60.00	78.00	14.04	457.10 (अ०मा०उ०मू०सू०-502)
26.	लगन जूट मैन्यु० कम्पनी, (फैक्ट्रीपर लिपिक वर्गीय और अधीनस्थ कर्मचारी)	वर्तमान मूल वेतन+ महंगाई भत्ते का 10% +एक वेतन वृद्धि		10	665.00 (अ०मा०उ०मू०सू०-458)

*सेवा शुल्कों को छोड़कर

1	2	3	4	5	6
27.	लुब्रिझोल इण्डिया लि०	92.00	210.00	12.53	845.70 (अ०मा०उ०मू०सू०-548)
28.	भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम	85.00	270.00	14.2	817.20 (अ०मा०उ०मू०सू०-520)
29.	नेशनल एल्यूनियम कं० लि०	113.00	191.00	16.4	808.75 (अ०मा०उ०मू०सू०-521)
30.	सेमी-कन्डक्टर कमप्लेक्स लि०	122.00	174.00	17.47	711.00 (अ०मा०उ०मू०सू०-485)
31.	भारत पेट्रोलियम कारपो० लि० एरनाकुलम	44.00	85.00	8.55	618.80 (अ०मा०उ०मू०सू०-470)
32.	कुद्रेमुख आयरन ओर कं० लि०	113.00	187.00	13.47	781.90 (अ०मा०उ०मू०सू०-470)
33.	हिन्दुस्तान केबल्स लि०, रूपनारायणपुर	113.00	201.00	61.1	801.40 (अ०मा०उ०मू०सू०-485)
34.	राज्य व्यापार निगम	80.00	270.00	14.7	785.70 (अ०मा०उ०मू०सू०-548)
35.	उत्तर प्रदेश ड्रग्स एण्ड फार्मेस्युकटीकल्स लि०	120.00	120.00	9.2	636.10 (अ०मा०उ०मू०सू०-502)
36.	पारादीप फास्फेट्स लि०	66.30	205.00	14	757.80 (अ०मा०उ०मू०सू०-485)
37.	पेट्रोफिल्स को-आपरेटिव लि०	105.00	216.00	15.1	707.05 (अ०मा०उ०मू०सू०-521)
28.	हिन्दुस्तान कॉपर लि०	113.00	281.00	14.95	847.45 (अ०भा०उ०मू०सू०-521)
39.	गोआ एन्टीबायोटिक्स लि०	35.00	50.00	9.78	583.15 (अ०मा०उ०मू०सू०-561)
40.	खनिज गवेषण निगम लि०	113.00	181.00	13.03	889.15 (अ०मा०उ०मू०सू०-561)

विवरण-तीन

1985 के दौरान सरकारी उद्यम कार्यालय द्वारा स्वीकृत कामगारों के मजूरी समझौते की सूची

क्र०सं०	उद्यम का नाम	समायोजन लाभ		समझौता	न्यूनतम मजूरी (मूल वेतन जमा महंगाई भत्ता) तथा इसका अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से सम्बन्ध (रुपये)
		न्यूनतम (रुपये)	अधिकतम (रुपये)	लागत की प्रतिशतता	
1	2	3	4	5	6
1.	भारतीय परियोजना एवं उपस्कर निगम लि०	80.00	270.00	14.48%	787.10 (अ०भा०उ०मू०सू०-548)
2.	इण्डो-बर्मा पेट्रोलियम कं० लि० (रसायन प्रभाग)	122.00	170.00	16.23	879.15 (अ०भा०उ०मू०सू०-561)
3.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लि०	101.00	221.00	13.10	878.65 (अ०भा०उ०मू०सू०-559)
4.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम (विशाख रिफाइनरी)	101.00	141.00	12.08	830.90 (अ०भा०उ०मू०सू०-548)
5.	सदर्न पेस्टीसाइडस लि०	75.00	110.00	13.55	629.55 (अ०भा०उ०मू०सू०-495)
6.	भारतीय तेल निगम का असम तेल प्रभाग	82.00	160.00	13.5	773.50 (अ०भा०उ०मू०सू०-485)
7.	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम	113.00	187.00	14.75	781.90 (अ०भा०उ०मू०सू०-470)
8.	हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात निगम	80.00	207.00	13.9	787.10 (अ०भा०उ०मू०सू०-548)

1	2	3	4	5	6
9.	भारतीय होटल निगम (सेंटर होटल, दिल्ली)	170.00	170.00	29.6	393.10* (अ०भा०उ०मू०सू०-558)
10.	स्पंज आयरन इण्डिया लि०	116.00	150.00	15.89	793.05 (अ०भा०उ०मू०सू०-561)
11.	इण्डो-बर्मा पेट्रोलियम कं०लि० (तेल प्रभाग, कलकत्ता)	79.00	210.00	16.9	845.30 (अ०भा०उ०मू०सू०-558)
12.	इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लि०	125.00	160.00	14.95	880.95 (अ०भा०उ०मू०सू०-565)
13.	माइका ट्रेडिंग कारपो० बिहार, राजस्थान एण्ड आन्ध्र प्रदेश	48.76	277.38	21.66	448.20 (अ०भा०उ०मू०सू०-554)
14.	विजयनगर स्टील लि०	113.00	201.00	18	781.90 (अ०भा०उ०मू०सू०-470)
15.	बीकोलारी लि० (लिपिकीय स्टाफ)	120.00	166.00	12.23	965.95 (अ०भा०उ०मू०सू०-57)
16.	यूरेनियम कारपो० आफ इण्डिया लि०	113.00	173.00	14.9	921.15 (अ०भा०उ०मू०सू०-559)
17.	कम्प्यूटर मेन्टीनेन्स कारपो०लि०	130.00	190.00	14.55	919.95 (अ०भा०उ०मू०सू०-587)
18.	चेफेयर फलाइट किचिन (भा०हो०नि०) दिल्ली एण्ड बम्बई	90.00	175.00	18.95	647.28 { बम्बई 644.92 दिल्ली अ०भा०उ०मू०सू०-495 }
19.	भारत वेगन एण्ड इन्जी० कं०लि०	120.00	120.00	182	795.40 (अ०भा०उ०मू०सू०-548)
20.	भारत पेट्रोलियम कारपो० लि०	45.00	85.00	9.48	618.80 (अ०भा०उ०मू०सू०-470)

*सेवा शुल्कों को छोड़कर

1	2	3	4	5	6
21.	हिन्दुस्तान लेटेक्स लि०	95.00	170.00	14.22	743.05 (अ०मा०उ०मू०सू०-565)
22.	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इन्जीनियर्स लि० (लिपिकीय स्टाफ)	60.00	125.00	10.44	678.20 (कलकत्ता सीपी आय-414)
23.	भारत रिफ्रेक्टराज लि०	125.00	163.00	15.53	845.65 (अ०मा०उ०मू०सू०-559)
24.	गोआ शिपयार्ड लि०	105.00	105.00	17.27	917.10 (अ०मा०उ०मू०सू०-592)
25.	ड्रेजिंग कारपो० ऑफ इण्डिया लि०	113.00	181.00	17.5	890.00 (अ०मा०उ०मू०सू०-532)
26.	कोचीन शिपयार्ड लि०	130.00	170.00	15.2	886.15 (अ०मा०उ०मू०सू०-561)
27.	बोंगाईगांव रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लि०	160.00	160.00	14.25	754.45 (अ०मा०उ०मू०सू०-561)
28.	प्रागा टूल्स लि०	113.00	167.00	14.1	965.00 (अ०मा०उ०मू०सू०-586)
29.	एण्ड्रयूले एण्ड कं० (बेल्टिंग प्रभाग)	153.50	153.50	19.8	890.00 (अ०मा०उ०मू०सू०-592)
30.	इण्डियन रेअर अर्थस लि०	140.00	250.00	14.84	912.00 (अ०मा०उ०मू०सू०-593)
31.	बामेर लारी एण्ड कं० दिल्ली और लखनऊ में कलकत्ता एवं शाखा कार्यालय	45.00	55.00	15.92	812.70 (अ०मा०उ०मू०सू०-586)
32.	इण्डो-बर्मा पेट्रोलियम कं० (तेल प्रभाग, मद्रास)	84.00	185.00	16.17	825.00 (अ०मा०उ०मू०सू०-561)
33.	इन्स्ट्रूमेन्टेशन लि०	134.00	188.00	10.78	977.65 (अ०मा०उ०मू०सू०-587)

पश्चिम बंगाल में रुग्ण औद्योगिक एककों का आधुनिकीकरण

1198. **श्री अजित कुमार साहा :** क्या उद्योग मंत्री पश्चिम बंगाल में रुग्ण औद्योगिक एककों के आधुनिकीकरण के बारे में 17 दिसम्बर, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4454 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा इन रुग्ण और बन्द पड़े एककों को रुग्ण होने से कुछ ही समय पहले भारी मात्रा में दी गई अग्रिम धनराशि को ध्यान में रखकर, सरकार का विचार उनके बारे में निर्णय की पुनरीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) 7 वीं योजना अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल में रुग्ण औद्योगिक एककों के आधुनिकीकरण और विविधीकरण प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए अतिरिक्त राशि प्रदान करने सम्बन्धी कोई विशेष प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि, अलग-अलग एककों से प्राप्त किसी ऐसे प्रस्ताव पर बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रत्येक मामले में गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाएगा।

कच्चे तेल की मांग और उत्पादन

1199. **श्रीमती जन्यती पटनायक :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87 में कच्चे तेल की अनुमानित मांग, संभावित उत्पादन और आयात कितना है; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) वर्तमान अनुमानों के अनुसार वर्ष 1986-87 में कच्चे तेल की मांग को 30 मिलियन मी० टन के घरेलू उत्पादन द्वारा तथा 15.6 मि० मी० टन के सकल आयात द्वारा पूरा किये जाने की संभावना है।

केरल में केन्द्रीय निवेश

1200. **श्री के० मोहन दास :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में केन्द्रीय निवेश राष्ट्रीय औसत से कम हैं;

(ख) क्या इसके परिणाम स्वरूप राज्य की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से कम रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस राज्य के औद्योगिकीकरण में तेजी लाने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) केन्द्र सरकार द्वारा किए गए कुल निवेशों सम्बन्धी राज्यवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। इसके अलावा, केन्द्रीय निवेश का निर्णय विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय/निवेश के आधार पर नहीं किया जाता है क्योंकि केंद्रीय परिव्यय रेलवे, संचार, विद्युत ट्रांसमिशन लाइनों, स्वस्थ्य सेवाओं, परिवार नियोजन सेवाओं, शिक्षा, जल संभरण, ग्रामीण विद्युतीकरण और गरीबी रोधक कार्यक्रमों जैसे अवस्थापना और सामाजिक सेवाओं के लिए होता है। साथ ही औद्योगिक परियोजनाओं के स्थापना स्थल का निर्णय तकनीकी आर्थिक संभाव्यता के आधार पर लिया जाता है और यह राज्यवार आधार पर पूर्व-निर्धारित नहीं हो सकता। फिर भी, 31 मार्च, 1985 तक केरल में केंद्रीय सरकारी उद्यमों में 831.22 करोड़ रुपये का निवेश किया जा चुका था।

(ख) राज्य की प्रति व्यक्ति आय अनेक कारकों पर निर्भर करती है और केंद्रीय निवेश उनमें से एक है।

(ग) उद्योग का छितराव संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ाने की नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू है। पंचवर्षीय और वार्षिक योजनाओं के ढांचे के अन्तर्गत इस दिशा में किए गए विभिन्न अभ्युपायों में सरकारी क्षेत्र की परियोजना का स्थापना-स्थल औद्योगिक लाइसेंस नीति, ग्रामीण एवं लघु उद्योगों का संवर्धन औद्योगिक क्षेत्रों और बस्तियों की स्थापना अवस्थापनापरक विकास, रियायती वित्त और निवेश राजसहायता शामिल है।

टेलीफोन प्रयोक्ताओं को टेलीफोन सेवा

1201. **श्री डी० एम० रेड्डी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रत्येक प्रयोक्ता को उसके टेलीफोन बिल के साथ-साथ यह सूचित करने का है कि उसका टेलीफोन कितनी बार खराब हुआ और उसे ठीक करने में वास्तव में कितना समय लगा;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि अनेक मामलों में कोई चेतावनी दिए बिना टेलीफोन काटे जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार को यह भी मालूम है कि टलीफोन नम्बर 198 पर प्रयोक्ताओं को स्वत: टिकट नम्बर नहीं दिया जाता है;

(घ) क्या सरकार को यह भी मालूम है कि फील्ड ड्यूटी कर्मचारियों को खराबी की सूचना देने में 198 को लगभग 4 से 6 घंटे या इससे भी अधिक समय लग जाता है; और

(ङ) क्या सरकार फील्ड ड्यूटी कर्मचारियों को शिकायतें प्राप्त करने और उन पर कार्यवाही करने हेतु प्राधिकृत करेगी, जो इस समय ऐसा करने से इंकार कर देते हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं।

(ख) टेलीफोन लाइन काटने से पूर्व उपभोक्ता को टेलीफोन पर इसकी सूचना दी जाती है।

(ग) '198" सेवा पर हमेशा शिकायत का नम्बर बतलाया जाता है।

(घ) जी नहीं। "198" द्वारा फील्ड-स्टाफ को सामान्यतया 30 मिनट के निर्धारित समय के भीतर ही शिकायत की जानकारी दे दी जाती है।

(ङ) जी नहीं। इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

महाराष्ट्र में धुले जिले में नए डाक घर खोलना

1202. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धुले जिले में, जो महाराष्ट्र का सबसे पिछड़ा/आदिवासी जिला है, ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर न होने के कारण वहां काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार धुले जिले के प्रत्येक गांव में नया डाकघर खोलने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) उदार मानदंडों के आधार पर डाक विकास के प्रयोजन से धुले जिले की नवापुर, तालोदा, अक्कलकुवा और अकरानी तहसीलों तथा साकरी, नन्दूरबार, शहादा और शिरपुर तहसीलों के कुछ भागों को जनजातीय क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। वैसे, यह नहीं कहा जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्र में डाकघर न होने के कारण इस जिले को भारी दिक्कत हो रही है। धुले जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 395 डाकघर कार्य कर रहे हैं जो कुल मिलाकर 1379 गांवों को सेवा प्रदान कर रहे हैं। देश में एक ग्रामीण डाकघर कुल मिलाकर औसतन 4.3 ग्रामों को अपनी सेवा प्रदान करता है।

(ख) और (ग) जनसंख्या, संभावित आय और नजदीकी डाकघर की दूरी जैसी कुछ शर्तों पर ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर खोले जाते हैं। केवल उन्हीं ग्रामों के मामलों पर विचार किया जाता है जो निर्धारित मानदण्ड पूरा करते हैं बशर्ते कि इसके लिए संसाधन प्राप्त हो जाएं तथा पदों के

सृजन पर लगी रोक जैसा कोई अन्य प्रतिबंध न हो। अतः घुले जिले के प्रत्येक ग्राम में नया डाक घर खोलने का प्रश्न ही नहीं उठता।

मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा विकलांगों के लिए वाहनों का आबंटन

1203. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मारुति वाहनों, विशेषकर वैनों के उत्पादन में तेजी आई है; और

(ख) क्या मारुति उद्योग का विचार विकलांगों के लिए उनको उचित फिटिंग तथा उत्पादन शुल्क और अन्य शुल्कों तथा करों में छूट देकर और इस तरह आयात पर होने वाले धन की बचत करके उन्हें कम कीमत पर वाहन आबंटित करने का है?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : : (क) जी, हां।

(ख) आटोमेटिक ट्रांसमिशन और अन्य विकलांगता नियंत्रण उपायों जिन्हें विकलांगों के लिये मारुति कार पर लगाया जायेगा पर कोई सीमा शुल्क न लगाने के लिए एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

"हेवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन" रांची द्वारा कम उत्पादन

1204. **श्री विजय एन० पाटिल : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि हेवी 'इंजीनियरिंग कारपोरेशन' रांची ने ताला-बन्दी की धमकी दी है जिसके परिणामस्वरूप लोग बेरोजगार हो जायेंगे;

(ख) क्या यह सच है कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान हैवी 'इंजीनियरिंग कारपोरेशन रांची में उत्पादन अब तक का सबसे कम हुआ है;

(ग) यदि हां, तो कारपोरेशन की भारी घाटा होने के क्या कारण हैं; और

(घ) कारपोरेशन की स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

केरल में उद्योग विहीन जिले

1205. **श्री सुरेश कुरुप : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में कोई "उद्योग विहीन जिले" हैं;

(ख) यदि हां, तो उन जिलों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या केरल सरकार ने केन्द्र सरकार से इन जिलों में उद्योग स्थापित करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) केरल में वायनाड और इडुक्की दो "उद्योग रहित जिले" हैं।

(ग) और (घ) केरल के इडुक्की जिले में उद्योगों की स्थापना करने के लिये केरल स्टेट इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन लिमिटेड की ओर से अक्तूबर, 1983, जून 1984 तथा जनवरी, 1986 में तीन आवेदन प्राप्त हुए थे। दो आवेदन अस्वीकृत कर दिये गये हैं और जनवरी, 1986 में प्राप्त आवेदन पर निर्णय आस्थगित रखा गया है।

ईरान, ईराक और लीबिया सहित अन्य देशों से तेल का आयात

1206. **श्री के० एस० राव : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 से दिसम्बर, 1985 तक प्रत्येक वर्ष देश से कितनी मात्रा में कच्चे तेल की खरीद की गई और उसका मूल्य कितना था;

(ख) ईराक और लीबिया में भारतीय निर्माण कंपनियों के कार्य करने के कारण उनको किये जाने वाले भुगतान का निपटारा करने के बदले में वर्ष 1983, 1984 और 1985 के दौरान वहां से अलग-अलग कितनी मात्रा में कच्चा तेल, सल्फर और कोई अन्य पेट्रोलियम उत्पाद लिया गया था तथा उनका मूल्य कितनी था;

(ग) वर्ष 1985 में ठेके की अवधि के अन्तर्गत भारत ईरान से कितनी मात्रा और मूल्य का कच्चा तेल खरीदने के लिये सहमत हुआ था और वास्तव में कितनी मात्रा उठाई थी;

(घ) क्या यह सच है कि भारत ने वर्ष 1985 के मध्य में किसी समय ईरान से कच्चा तेल खरीदना बन्द कर दिया था और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) वर्ष 1986 के लिये कच्चे तेल के आयात कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) वर्ष 1980-85 के दौरान देशवार तथा वर्षवार कच्चे तेल की खरीदी गई मात्रा और मूल्य का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) वर्ष 1983, 1984 और 1895 के दौरान भारतीय कम्पनियों को देय भुगतान के निपटान स्वरूप इराक से आयातित कच्चे तेल की मात्रा और उसके मूल्य का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

वर्ष	मात्रा ("000 मी॰ टन)	मूल्य (रुपये/करोड़)
1983	85	18
1984	662	158
1985	147	38

सल्फर का आयात एम॰ एम॰ टी॰ सी॰ के माध्यम से किया जाता है तथा भुगतान के निपटान स्वरूप इराक से इसकी आयातित मात्रा/मूल्य का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

वर्ष	मात्रा ("000 मी॰ टन)	मूल्य (रुपये/करोड़)
1983	1,00	9.88

वर्ष 1983 से 1985 के दौरान लीबिया से क्रूड या अन्य पेट्रोलियम उत्पादों का उठान नहीं किया गया है।

(ग) वर्ष 1985 में टर्म संविदा के अधीन ईरान से क्रूड की खरीदी गई मात्रा तथा मूल्य तथा वास्तव में उठाई गई मात्रा का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

संविदा की गई मात्रा "000 मी॰ टन	मूल्य रुपये/करोड़	वास्तविक मात्रा "000 मी॰ टन	मूल्य रुपये/करोड़
2000	520	861	223.08

(घ) पूरी मात्रा का आयात नहीं किया जा सका था चूंकि 1985 में ईरान को निर्यात की जाने वाली भारतीय वस्तुओं तथा सेवाओं से सम्बन्धित बेंकिग प्रबन्धों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया था।

(ङ) वर्ष 1986 के लिये क्रूड के आयात हेतु संविदाओं को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है, यह इसलिये कि अभी इनके बारे में बातचीत चल रही है।

विवरण

मात्रा मि० मी० टन
सी० आई० एफ० मूल्य करोड़ रुपये

देश	1980		1981		1982		1983		1984		1985*	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
ईरान	5.04	1005.50	6.03	1488.74	3.67	837.27	3.51	792.28	2.19	526.08	3.17	814.10
इराक	4.89	894.39	0.81	202.89	3.44	882.55	3.34	743.49	3.20	775.01	2.23	599.87
साऊदी अरेबिया	2.52	462.58	2.87	622.38	6.81	1375.51	4.23	930.34	4.40	1038.66	3.44	884.74
यू० ए० ई०	1.47	288.32	1.80	452.81	1.29	329.68	0.93	210.20	0.70	173.21	1.56	383.40
यू० एस० एस० आर	1.71	313.43	2.27	563.72	1.93	442.26	3.54	795.16	3.15	771.83	3.34	853.96
मिश्र	0.05	8.30	—	—	—	—	—	—	—	—	0.27	64.25
कतार	0.02	3.99	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
कुवैत	0.25	54.73	0.17	38.19	—	—	—	—	0.41	92.85	0.11	26.78
मलेशिया	0.03	7.40	0.02	4.02	—	—	—	—	—	—	—	—
अल्गोरिया	—	—	0.99	278.82	—	—	—	—	—	—	—	—
वैनुजुयेला	—	—	0.44	113.88	0.19	49.62	—	—	—	—	—	—
मैक्सिको	—	—	0.13	28.38	—	—	—	—	—	—	—	—
तटस्थ क्षेत्र	—	—	—	—	—	—	—	—	0.08	18.11	—	—
ओमान	—	—	—	—	—	—	—	—	0.49	129.40	0.69	178.64

*अनन्तिम

नागपुर (महाराष्ट्र) में खाना पकाने की गैस के कनेक्शन

1207. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागपुर (महाराष्ट्र) में 31 जनवरी, 1986 तक खाना पकाने की गैस के कुल कितने कनेक्शन दिए गए थे;

(ख) 31 जनवरी, 1986 को प्रतीक्षा सूची में कुल कितने आवेदन पत्र थे;

(ग) इन आवेदकों को गैस कनेक्शन कब तक दिए जाने की सम्भावना।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क)

1,15,481

(ख) 37,771

(ग) नागपुर सहित देश में नये गैस कनेक्शन तेल उद्योग वार्षिक नामांकन कार्यक्रम के अधीन दिये जाते हैं और इसका निर्धारण एल० पी० जी० की प्राप्यता में वृद्धि, बाटलिंग क्षमता, परिवहन तथा अन्य आधार भूत सुविधाओं द्वारा किया जाता है।

ऊर्जा के गैर-पारम्परिक स्रोतों का विकास

1208. श्री बालासाहेब विखे पाटिल : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ऊर्जा के गैर-पारम्परिक स्रोतों के विकास के लिए, जैसे "सोलर वाटर हीटर", "सोलर एयर हीटर", "सोलर फिन", "डिसप्लोमी इनेशन एण्ड प्लांटस", "सोलर कुकर्स", "सोलर क्राप ड्रायर्स" आदि के लिए कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) वित्तीय वर्ष 1986-87, 1987-88, 1988-89 और 1989-90 के वर्षों के लिए मद-वार आंकड़े क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ऊर्जा के गैर-पारम्परिक स्रोतों के विकास के लिये राज-सहायता प्रदान करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्रीय सरकार ने लोगों में ऊर्जा के गैर-परम्परागत स्रोतों के प्रयोग का प्रचार करने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना में अपारंपरिक ऊर्जा के विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में योजना आयोग द्वारा 412.35 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है। इस राशि का क्षेत्रवार विश्लेषण तथा 1985-86 के लिए अनुमोदित आबंटन संलग्न विवरण में दिया गया है। वर्ष 1986-87 के लिए आबंटन को योजना आयोग के साथ अन्तिम रूप दिया जा रहा है। अन्य वर्षों के लिए आबंटन का निर्णय उचित समय पर किया जाएगा।

(ग) और (घ) विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा प्रणालियों और युक्तियों के लिए पर्याप्त राज-सहायताएं पहले ही उपलब्ध हैं। संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध "नई और नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों और युक्तियों के लिए प्रवर्तनात्मक प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता" नाम के प्रकाशन में ये राजसहायताएं दिखाई गई हैं।

(ङ) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इनमें राजसहायता के रूप में वित्तीय सहायता, टर्न-की जॉब शुल्क, बायोगैस संयंत्रों के लिए अभिप्रेरण शुल्क, उन्नत प्रकार के चूल्हों के लिए राजसहायता तथा प्रतिष्ठापन शुल्क, बायोगैस संयंत्र और उन्नत प्रकार के चूल्हे स्थापित करने के लिए प्रशिक्षित कार्मिकों की उपलब्धता

को सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, सामुदायिक और संस्थागत बायोगैस संयंत्र तथा सौर तापीय प्रणालियों के लिए पर्याप्त राजसहायता आदि शामिल हैं। केन्द्र सरकार ने संयंत्र और मशीनरी पर बढ़ा हुआ मूल्य ह्रास भत्ता, निश्चित उपकरण के आयात पर सीमा-शुल्क से छूट तथा कई मामलों में केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क से छूट जैसे कई वित्तीय प्रोत्साहन भी प्रदान किए हैं। वित्तीय संस्थाओं से उद्योग और उपयोगकर्ता को आसान शर्तों पर ऋण सहायता भी उपलब्ध है। योग्यता की शील्ड/प्रमाण-पत्र प्रदान करने तथा नए और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की प्रणालियों और युक्तियों को लोकप्रिय बनाने में उत्कृष्ट कार्य-निष्पादन के लिए राज्य सरकारों को नकद पुरस्कार देने की एक योजना चालू है। इन सब कदमों के परिणाम स्वरूप अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की प्रणालियों और युक्तियों का प्रयोग देश में लोकप्रिय हो रहा है।

विवरण

सातवीं पंचवर्षीय योजना तथा वार्षिक योजना 1985-86 के लिए अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग का क्षेत्रीय आबंटन दर्शाने वाला विवरण।

(करोड़ रुपयों में)

क्र० सं०	क्षेत्र	सातवीं योजना 1985-90	वार्षिक योजना 1985-86
1	2	3	4
1.	सौर तापीय ऊर्जा	32.00	6.50
2.	सौर प्रकाशवोल्टीय कार्यक्रम	27.00	6.00
3.	बायोगैस कार्यक्रम	200.00	70.77
	(क) बायोगैस विकास की राष्ट्रीय परियोजना	177.00	66.25
	(ख) सामुदायिक और संस्थागत बायोगैस संयंत्र	17.00	3.02
	(ग) अनुसंधान और विकास	6.00	1.50
4.	पवन ऊर्जा कार्यक्रम	20.00	5.00
5.	बायोमास	25.00	6.00
6.	उन्नत प्रकार के चूल्हों की राष्ट्रीय परियोजना	40.00	10.00
7.	शहरी अपशिष्ट परियोजनाएं	14.00	2.00
8.	भारवाही पशु शक्ति	5.00	0.75
9.	नवीकरणीय ऊर्जा के अन्य स्रोत	34.85	7.05
10.	ग्रामीण नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियां	0.50	0.25
11.	सूचना और सार्वजनिक शिक्षा	3.00	0.50
12.	क्षेत्रीय कार्यालय	0.65	0.10
13.	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और प्रशिक्षण	0.35	0.08
14.	नवीकरणीय ऊर्जा निगम	10.00	—
	कुल :	412.35	115.00

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य-निष्पादन का अध्ययन

1209. **श्री अख्तर हसन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों के कार्य-निष्पादन का, उनके द्वारा लाभ न अर्जित करने के कारणों का पता लगाने के लिए गहराई से अध्ययन करने का कार्य आरम्भ किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस विषय पर अंतिम रिपोर्ट के कब तक प्राप्त होने की सम्भावना है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) सरकारी उद्यम कार्यालय समय-समय पर सरकारी क्षेत्र के आर्थिक दृष्टि से अक्षम/रुग्ण उद्योगों का अलग-अलग अध्ययन कार्य हाथ में लेता है। पिछले तीन वर्ष के दौरान सरकारी उद्यम कार्यालय ने (1) राष्ट्रीय बीज निगम (2) भारतीय राज्य फार्म्स निगम (3) केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम (4) दिल्ली परिवहन निगम के विषय में गहन अध्ययन और (5) उर्वरक कारखानों का एक दूसरे से तुलना करने का कार्य किया है।

(ख) इन लक्ष्यों की पूर्ति में गिरावट आने के विभिन्न कारण हैं। इसमें से कुछ मुख्य कारण इस प्रकार हैं—

(1) बिजली की कमी।

(2) कुछ उद्योगों में अपर्याप्त मांग।

(3) अलाभकारी मूल्य विशेषकर नियंत्रित मूल्यों वाली वस्तुओं जैसे कोयला, उर्वरक आदि, और

(4) श्रमिक अशांति।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

राजस्थान के झालावाड़ शहर में खाना पकाने की गैस के कनेक्शनों के लिए दर्ज आवेदन-पत्र

1210. **श्रीमती उषा चौधरी** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के झालावाड़ शहर में खाना पकाने की गैस के कनेक्शनों के लिए कितने आवेदकों के नाम दर्ज हैं;

(ख) कितने आवेदकों को गैस कनेक्शन दिए गए हैं;

(ग) सभी आवेदकों को कनेक्शन देने का काम कब तक पूरा हो जाएगा;

(घ) क्या यह सच है कि वहां गैस कनेक्शनों के लिए नए आवेदकों का पंजीकरण रोक दिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(च) जनता हेतु पंजीकरण कब खोला जाएगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) झालावाड़ शहर, राजस्थान में खाना पकाने की गैस के कनेक्शनों के लिए 3600 आवेदकों के नाम दर्ज हैं।

(ख) अब तक 1300 गैस कनेक्शन जारी किये गये हैं।

(ग) शेष 2300 आवेदकों को लगभग एक वर्ष में गैस कनेक्शन दिये जाने की आशा है।

(घ) जी, हां।

(ङ) और (च) जैसे ही विद्यमान प्रतीक्षा सूची समाप्त होने को होगी, वितरकों द्वारा खाना पकाने की गैस के कनेक्शन देने के लिए नये आवेदकों के नाम दर्ज किये जायेंगे।

थीन बांध का निर्माण

1211. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थीन बांध के निर्माण के संबंध में विलंब से लिये गये निर्णय के परिणाम स्वरूप इसके निर्माण में कम से कम 2 वर्ष का विलंब होगा और लागत 364 करोड़ रुपए बढ़ जाएगी; और

(ख) क्या इस संबंध में निर्णय लिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) थीन बांध का निर्माण कार्य वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है और इसमें कोई विलम्ब नहीं हुआ है। सहायता संबंधी प्रस्तावों के बारे में निर्णय इनका समुचित रूप से मूल्यांकन कर लिए जाने के बाद ही लिया जा सकता है।

[हिंदी]

पेट्रोलियम उत्पादों में हाल ही की वृद्धि के परिणामस्वरूप प्राप्त होने वाले अतिरिक्त राजस्व में राज्यों का हिस्सा

1212. **श्री हरीश रावत** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि किए जाने के परिणामस्वरूप कुल कितना राजस्व प्राप्त होने की संभावना बनी है;

(ख) क्या इस अतिरिक्त राजस्व में से कुछ भाग उक्त उत्पादों की रायल्टी में वृद्धि के परिणामस्वरूप उन राज्यों को देन का प्रस्ताव है जहां वह उत्पाद पैदा किए जाते हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि करने से प्रत्याशित उपभोग अनुमानों पर लगभग 530 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

(ख) और (ग) रिफाइनरी में उत्पादित उत्पादों पर राज्य सरकारों को कोई रायल्टी नहीं दी जाती।

कृषि उपकरणों के मूल्य निर्धारित करना

1213. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि उत्पादन में अपेक्षित वृद्धि करने के लिये कृषि उपकरणों, तेल इंजन पम्पों, विद्युत मोटर पम्पों, हैंड डस्टर्स आदि के लिये कोई मूल्य नीति तैयार की है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार विभिन्न राज्यों के लिये और राष्ट्रीय स्तर पर इनके न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने का है ताकि किसानों से मनमाने मूल्य न वसूल किये जायें और कृषि उत्पादन की लागत में कमी हो जिससे किसानों को लाभ होगा ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) और (ख) विभिन्न कृषि उपकरणों और पंपों आदि की वर्तमान मांग और आपूर्ति की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार इन वस्तुओं के मूल्य निर्धारण करना आवश्यक नहीं समझती है इसलिए ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

जौनपुर में दूरसंचार के बिल परियोजना के लिए धनराशी की मंजूरी

1214. श्री कमला प्रसाद सिंह : क्या उद्योग मन्त्री जौनपुर में दूरसंचार के बिल परियोजना के लिए धनराशि की मंजूरी के बारे में 3 दिसम्बर, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2181 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूंजी निवेश के संबंध में कोई निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) से (ग) इस विषय में सरकार ने अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया है।

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड और साइकिल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड

1215. श्री आनन्द पाठक : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड और साइकिल कारपोरेशन आफ इंडिया को बंद करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार सैंकड़ों मजदूरों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के हित में इस निर्णय पर पुनः विचार करने का है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) और (ख) इस तथ्य को देखते हुए कि इन कम्पनियों को लगातार घाटा हो रहा है, ई० पी० आई० तथा साइकिल कारपोरेशन आफ इण्डिया के पुनर्गठन हेतु कुछ प्रस्ताव तैयार किये गये हैं। पुनर्गठन के विभिन्न पहलुओं तथा आशयों का अध्ययन किया जा रहा है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के संचित घाटे को बट्टे खाते में डालना

1216. प्रो० रामकृष्ण मोरे
श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह } : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र का कारखाना इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड अपना घाटा कम करने में असफल रहा है तथा उसने सरकार से अपने 160 करोड़ रुपये के संचित घाटे को बट्टे खाते में डालने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस घाटे को बट्टे खाते डालने पर सहमत हो गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार देश में घाटे में चल रहे सरकारी क्षेत्र के अन्य एककों को भी इसी प्रकार की राहत प्रदान करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड को वित्तीय दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए इसकी सम्पूर्ण प्रबन्ध व्यवस्था में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख) 31 मार्च, 1985 तक आई० डी० पी० एल० की संचित हानि 143.42 करोड़ रुपए थी। कम्पनी ने पूंजी को पुनर्गठित करने की मांग की है। आई० डी० पी० एल० को सलाह दी गयी है कि पूंजी पुनर्गठन को कम्पनी के पुनरुद्धार और पुनर्वास की दृढ़ योजनाओं के साथ जोड़ा जाए।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

(ङ) प्रतिबंधों तथा अवसरों की शिनाख्त करने के लिए आई० डी० पी० एल० द्वारा दिसम्बर, 1985 में आन्तरिक कार्य दल गठित किया गया था जिसे पुनर्वास तथा पुनरुद्धार के लिए ठोस योजनाएं प्रदान करने को कहा गया है। कार्य दल के कार्यकरण को तेज करने तथा इसे आवश्यक विश्लेषणात्मक विशेषाज्ञता प्रदान करने के लिए, कम्पनी द्वारा अंशकालिक आधार पर कार्यदल के साथ दो सलाहकार सहयोजित किए गए थे।

तेल भण्डार

1217. **श्री सी० पी० ठाकुर** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हमारे तेल भंडार शीघ्रता से घटते जा रहे हैं और ये लम्बे समय तक नहीं चल सकते; और

(ख) यदि हां, तो सरकार तेल भंडारों के संरक्षण हेतु क्या उपाय कर रही है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) उत्पादन में वृद्धि से मौजूदा भण्डारों में कमी आना आवश्यम्भावी है, अन्वेषण प्रयासों में तेजी लाने से आने वाले वर्षों में और भण्डारों के मिलने की सम्भावना है।

अखबारी कागज का उत्पादन

1218. **श्री वी० तुलसी राम** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : पिछले तीन वर्षों के दौरान समाचार पत्र उद्योग में उपयोग के लिए देश में कागज का राज्यवार कुल कितना उत्पादन हुआ ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : पिछले तीन वर्षों के दौरान न्यूजप्रिंट का राज्यवार उत्पादन इस प्रकार है :—

राज्य का नाम	उत्पादन मी. टनों में		
	1983-84	1984-85	1985-86 जनवरी 86 तक
कर्नाटक	53,906	71,420	60,196
केरल	64,177	64,217	65,[illegible]46
मध्य प्रदेश	58,315	64,910	55,144
तमिलनाडु	—	—	42,663

कनाडा के लिए एस० टी० डी० टेलीफोन सेवा

1219. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और कनाडा के बीच तेजी से बढ़ रहे आर्थिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंधों को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार भारत और कनाडा के बीच एस० टी० डी० टेलीफोन सेवा उपलब्ध करने का है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) पारस्परिक आधार पर ऐसी सेवा उपलब्ध करने के लिए कनाडा के दूरसंचार प्रशासन से, उनकी सहमति और सुविधा बताने के लिए, कहा गया है ।

ऋण लाइसेंस आधार पर औषधियों का निर्माण

1220. **श्री राम भगत पासवान** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सरकारी क्षेत्र के औषध एककों ने उन लोगों को अनुदान देने का समर्थन किया है, जो ऋण लाइसेंस प्रणाली के अनुसार औषधियों का निर्माण करते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उन औषध एककों के नाम क्या हैं जो ऋण लेकर औषधियों का निर्माण करवा रहे हैं ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) सरकारी क्षेत्र के औषध उपक्रम, अर्थात आई० डी० पी० एल०, एच० ए० एल०, एस० एस० पी० एल०, वी० सी० पी० एल० और बी० आई० एल० अत्यपेक्षा के समय कुछ औषध फार्मूलेशनों तथा किटों को ऋण लाइसेंस पद्धति से प्राप्त कर रहे हैं, जैसे कि (I) जहां मदें उनके उत्पादन क्षेत्र में नहीं आती और (II) अनियत क्षमता/पावर/श्रमिक प्रतिबन्धों और आपूर्ति के लिए अति अल्प समय हो ।

उत्तर प्रदेश के शहरों में सौर ऊर्जा से बिजली का उत्पादन

1221. **श्री मानवेन्द्र सिंह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में कुछ शहरों में सौर ऊर्जा से बिजली के उत्पादन का कोई कार्यक्रम सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उन शहरों के नाम क्या हैं और यह कार्यक्रम कब तक लागू किया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) जी नहीं ।

इस समय सौर ऊर्जा से उन गांवों को विद्युत प्रदान करने पर जोर है जो विद्युत ग्रिड लाइनों से दूर हैं जहां ऐसी विद्युत लागत प्रभावी मानी जाती है ।

[हिन्दी]

आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में पेट्रोल और डीजल पम्प केन्द्र खोलना

1222. **श्री राजकुमार राय :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में वर्ष 1984-85 के दौरान कितने पेट्रोल और डीजल पम्प केन्द्र खोले गए और वर्ष 1986-87 के दौरान किन स्थानों पर ये पम्प केन्द्र खोलने का विचार है;

(ख) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां वर्ष 1984-85 के दौरान पेट्रोल और डीजल पम्प केन्द्र खोलने की स्वीकृति दी गई थी लेकिन अभी तक नहीं खोले गए हैं;

(ग) इसके क्या कारण हैं;

(घ) पम्प केन्द्र कब तक खोले जायेंगे और इसमें कब तक कार्य शुरू होने की संभावना है; और

(ङ) क्या उन स्थानों के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं जहां वर्ष 1986-87 के दौरान इन पम्प केन्द्रों को खालने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ङ) 1984-85 में उ० प्र० के आजमगढ़ जिले में मधुवन और बराध में मात्र एक-एक डीजल खुदरा बिक्री केन्द्र खोला गया है। वर्ष 1986-87 के लिये तेल उद्योग की विपणन योजना को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। प्रत्येक मामले में विज्ञापन, तेल चयन बोर्ड द्वारा चुनाव और इस बोर्ड की सिफारिशों पर नियुक्ति की निर्धारित प्रणाली के अनुसार तेल उद्योग की विपणन योजनओं में सम्मिलित क्षेत्रों को समय-समय पर चालू कर दिया जाएगा।

(ख) से (घ) वर्ष 1984-85 की विपणन योजना में मोहम्मदपुर में एक ही एच० एस० डी० खुदरा बिक्री केन्द्र को सम्मिलित कर लिया गया है। और चयन प्रक्रिया प्रगति पर है। इस खुदरा बिक्री केन्द्र को 1986-87 में चालू हो जाने का अनुमान है।

[अनुवाद]

कास्टिक सोडा एककों में किये गये सुरक्षोपाय

1223. **श्री राममूर्ति भट्टम :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों में क्लोरीन तथा कास्टिक सोडा में प्रयोग किये जाने वाले तत्समान पदार्थों का निर्माण करने वाले कितने बड़े एकक हैं और वे कहां-कहां पर स्थित हैं;

(ख) क्या सुरक्षोपायों का किया जाना सुनिश्चित करने के लिये हाल ही में कोई कदम उठाये गये हैं; और

(ग) क्या सक्षम अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण के अतिरिक्त इस संबंध में कोई दिशा निर्देश जारी किये गये हैं ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) राज्य सरकारों को कारखाना निरीक्षणालयों को सुदृढ़ करने तथा प्रक्रियाओं को सुप्रवाही बनाने की सलाह दी गई है। उन्हें खतरनाक पदार्थों की शिनाख्त करने तथा और विशेषज्ञ निरीक्षण नियुक्त करने को भी कहा गया है।

(ग) सरकार ने एक सुरक्षा और स्वास्थ्य दुर्घटना न्यूनीकरण कार्यवाही योजना परिचालित की है जिसमें नियोजकों तथा श्रमिक संगठनों तथा राज्य सरकारों द्वारों सुरक्षा नियम और विनियमों के अनुपालन से संबंधित सभी पहलुओं के संबंध में की जाने वाली कार्यवाही निर्दिष्ट की गई है। इस संबंध में मुख्य मंत्रियों को भी लिखा गया है। अन्तराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा "ए मेन्यूएल आन मेजर हजार्डस कन्ट्रोल" तैयार किया गया है और इस पर विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित कार्यशालाओं में विचार विमर्श किया गया था जिनमें क्षेत्र के कारखाना निरीक्षकों ने भाग लिया।

विवरण

क्रमांक	राज्य	एकक तथा उसका स्थान
1	2	3
1.	आन्ध्रा प्रदेश	आन्ध्रा सूगर लि०, वेंकटनारायणपुरम, टनुकू, कोवूर, वेस्ट गोदावरी
2.		सीरपुर पेपर मिल्स, सीरपुर
3.	आसाम	अशोक पेपर मिल्स, जोगीघोपा, गोलपारा,
4.	बिहार	बिहार कास्टिक एण्ड कैमिकल्स लि० रोहाला (पालमाऊ)
5.		रोहतास इन्डस्ट्रीज लि०, डालमिया नगर, डोहरिन सोन
6.	दिल्ली	डी० सी० एम० कैमिकल्स वर्क्स, दिल्ली।
7.	गुजरात	दि अहमदाबाद एम० एफ० जी० एण्ड केलिको प्रिंटिंग कम्पनी लि०, भावनगर,
8.		दि अतुल प्रोडक्टस लि० अतुल, जिला, बुलसर
9.		गुजरात एलकली एण्ड कैमिकल्स बड़ोदा।
10.		सौराष्ट्रा केमिकल्स, पोरबन्दर।
11.		टाटा केमिकल्स लि०, मीठापुर।
12.	हरियाणा	बलारपुर इन्डस्ट्रीज लि० यमुनानगर, जगाधरी
13.	करनाटका	बलारपुर इन्डस्ट्रीज लि० कारवार
14.	केरल	ट्रावनकोर कोचिन केमिकल्स कम्पनी, उद्योग मंडल।
15.	मध्य प्रदेश	ग्वालियर रेयन सिल्क एम० एफ० जी० (डब्ल्यू० वी० जी०) कम्पनी लि० नागदा।
16.		हुकमचन्द जूट मिल्स, साहाबाद, अमलाई।
17.		नेपा मिल्स, लि० नेपानगर।
18.	महाराष्ट्र	अहमदाबाद एम० एफ० जी० एण्ड केलिको प्रिंटिंग कम्पनी लि०, अनिक, चेम्बूर।
19.		बलारपुर इन्डस्ट्रीज लि०, बलारशाह, महाराष्ट्रा।

1	2	3
20.		सेन्चुरी एस० पी० जी० एण्ड डब्ल्यू० बी० बी०, मिल्स लि० थाना ।
21.		जे० के० केमिकल्स लि०, थाना ।
22.		दि नेशनल रेयन कार्पो० लि० मोहन्स थाना ।
23.		स्टेन्डर्ड मिल्स कम्पनी लि०,(स्टेन्डर्ड अलकली) थाना ।
24.	उड़ीसा	जैश्री केमिकल्स लि०, छतरपुर, गंजम
25.		ओरियन्टल पेपर मिल्स, बृजराज नगर, सम्भलपुर ।
26.		टीटागढ़ पेपर मिल्स लि०, चारवे ।
27.	पंजाब	पंजाब एलकलीज एण्ड केमिकल्स लि०, नंगल
28.	पांडिचेरी	चेमफेब एलकलीज लि०, पांडिचेरी ।
29.	राजस्थान	मोदी अलकलीज एण्ड केमिकल्स लि०, मेटसया इन्डस्ट्रीयल इस्टेट अलवार
30.		श्रीराम फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स लि०; कोटा ।
31.	तमिलनाडु	धारगन्ध्र केमिकल्स वर्क्स लि०, साहूपुरम ।
32.		कोठारी (मद्रास) लि०, मनाली ।
33.		मैतुर केमिकल्स एण्ड इन्डस्ट्रीयल कार्पो० लि०, मैतूर डाम, सलीम (दो इकाईयां)
34.	उत्तर प्रदेश	कनोरिया केमिकल्स एण्ड इन्डस्ट्रीज लि०, रेनूकोट, मिर्जापुर ।
35.	पश्चिमी बंगाल	दुर्गापुर केमिकल्स लि०, दुर्गापुर, वर्दवान ।
36.		हिन्दुस्तान हेवी केमिकल्स, खरधा 24 परगना ।
37.		टीटागढ़ पेपर मिल्स कम्पनी लि०, 24, परगना टीटागढ़ । प्रथम इकाई—टीटागढ़ दूसरी इकाई—काकीनारा ।

बम्बई हाई में तेल भण्डार का अनुमान

1224. श्री शरद दिघे : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में तेल का अनुमानित भण्डार कितना है;

(ख) देश के मुख्य तेल क्षेत्र बम्बई हाई से तेल निकालने की नवीनतम तकनीकियों के साथ तेल उपयोग की वर्तमान दर को देखते हुए कब तक तेल मिलते रहने का अनुमान है;

(ग) हाल के वर्षों में तेल और गैस के कितने छोटे क्षेत्रों का पता चला है; और

(घ) क्या तेल और गैस के इन छोटे क्षेत्रों से तट पर तेल कुंओं के उत्पादन में गिरावट की क्षतिपूर्ति होगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) 1.1.85 को कच्चे तेल के शेष प्राप्य भंडार 494 मि० मी० टन के थे।

(ख) उत्पादन की वर्तमान दर के अनुसार बम्बई हाई क्षेत्र के मण्डार के लगभग 15 वर्षों तक चलने की सम्भावना है। इसके दौरान और भण्डारों के मिलने की संभावना है।

(ग) 33

(घ) हाल ही में निकले मण्डार यदि वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य हुए तो उनसे तटवर्ती उत्पादन में वृद्धि करना संभव होगा।

करनाल और मंगलौर में तेल शोधक कारखानों की स्थापना

1225. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करनाल और मंगलौर में तेल शोधक कारखाना परियोजनाओं की स्थापना के लिए इस बीच ठेके दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उन फर्मों के नाम क्या हैं जिन्हें ठेके दिए गए हैं;

(ग) उक्त ठेकों की शर्तें क्या हैं; और

(घ) उक्त दोनों तेल शोधक कारखाने कब तक कार्य करना शुरू कर देंगे ?,

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

यवतमाल (महाराष्ट्र) जिले में चनखा-वानी में एक सीमेंट संयंत्र स्थापित करना

1226 : **श्री उत्तमराव पाटिल :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने यवतमाल (महाराष्ट्र) जिले में चनखावानी में एक सीमेंट संयंत्र स्थापित करने की स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सरकारी क्षेत्र में अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में स्थापित करने का विचार है; और

(ग) इस परियोजना पर कार्य कब आरम्भ किया जाएगा ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) और (ख) महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक और निवेश महाराष्ट्र को महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में सीमेंट संयंत्र की स्थापना करने के लिए जुलाई, 1983 में आशयपत्र जारी किया है। सीकोम के अनुसार, यह परियोजना संयुक्त क्षेत्र में स्थापित की जा रही है।

(ग) इस संयंत्र में 1989/90 में उत्पादन शुरू हो जाने की सम्भावना है।

केन्द्र द्वारा वित्तपोषित उद्योगों की स्थापना के लिए केरल सरकार का प्रस्ताव

1227. **श्री वी० एस० विजयराघवन :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में केन्द्र द्वारा वित्तपोषित उद्योग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम्) (क) से (ग) उद्योग रहित जिलों में निर्धारित विकास केन्द्रों में अवस्थापनापरक सुविधाओं का विकास करने के लिए प्रति जिला लागत की एक तिहाई जिसकी अधिकतम सीमा 2 करोड़ रु० है, तक की केन्द्रीय सहायता राज्य सरकारों को दी जाती है। केरल राज्य सरकार को सलाह दी गई है कि वह वीनाड और इडूकी "उद्योग रहित जिलों में विकास केन्द्रों का निर्धारण करें और उन्हें इस मंत्रालय से अनुमोदित करालें। उन्हें यह भी सलाह दी गई है कि सम्भाव्यता अध्ययन रिपोर्ट तैयार करें और राज्य स्तरीय समितियों/भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से अनुमोदित कराएं।

इस योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए केरल सरकार को प्रतिपूर्ति की गई केन्द्रीय निवेश राजसहायता निम्न प्रकार है:—

1983-84	4.34 करोड़ रु०
1984-85	0·29 करोड़ रु०
1985-86 (जनवरी, 1986 तक)	1·66 करोड़ रु०

पांच रुग्ण औषधि एककों को पुनः चालू करना

1228. **डा. बी० एल० शैलेश**
श्री के० प्रधानी } : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने इस वर्ष के आरम्भ में सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक रुग्ण औषध एककों के लिए उच्च स्तरीय "इन हाऊस" कार्य दल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे एककों को किन कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है और उनकी पुनः चालू करने की ठोस योजनाएं क्या हैं; और

(ग) इन पांच रुग्ण औषधि एककों के संबंध में कार्य दल द्वारा सुझाए गये सुधारात्मक उपायों पर सरकार द्वारा क्या निर्णय किये गए हैं ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह): (क) रुकावट और अवसरों को निर्दिष्ट करते हेतु तथा पुनर्वास एवं पुनः चालू करने के लिए ठोस योजनाएं प्रस्तुत करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के प्रत्येक-उपक्रम में दिसम्बर, 1985 में आन्तरिक कार्यदल गठित किए गये थे। इन दलों के कार्यकरण को प्रोत्साहन देने के लिए इन कम्पनियों द्वारा अंशकालिक आधार पर कार्यदलों के साथ दो परामर्शदाता सहयोजित किये गये हैं।

(ख) और (ग) कार्यदलों ने अपना अध्ययन अभी पूर्ण नहीं किया है।

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम तथा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियों को जारी किये गये औद्योगिक लाइसेंस तथा आशय-पत्र

1229. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम तथा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियों को कितने औद्योगिक लाइसेंस तथा आशय-पत्र जारी किये गये; और

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान एकाधिकार अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम तथा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियों, लाइसेंस मुक्त औद्योगिक क्षेत्रों तथा पिछड़े क्षेत्रों में कितनी परियोजनाएं आरंभ की हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम की शर्तों के अधीन वर्ष 1980-81 से 1984-85 में एम० आर० टी० पी०/फेरा कंपनियों को 796 आशयपत्र और 539 औद्योगिक लाइसेंस प्रदान किए गए थे ।

(ख) एम० आर० टी० पी०/ फेरा कम्पनियों को हाल ही में केन्द्रीय रूप से घोषित पिछड़े क्षेत्रों में लाइसेंसमुक्त उद्योग स्थापित करने के संबंध में तकनीकी विकास के महानिदेशालय जैसे सम्बन्धित तकनीकी प्राधिकारियों के साथ पंजीकरण प्राप्त करने के लिए पात्र मान लिया गया है । इस प्रकार, छठी योजना अवधि के दौरान एम० आर० टी० पी०/ फेरा कंपनियों द्वारा उक्त लाइसेंसमुक्त करने की योजना के अंतर्गत परियोजनाओं को शुरू करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

[हिंदी]

कहलगांव में सुपर ताप विद्युत केन्द्र की स्थापना के लिए विदेशी सहायता

1230. **श्री डी० पी० यादव** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कहलगांव में सुपर ताप विद्युत केन्द्र स्थापित करने के लिए क्या योजना बनाई गई है;

(ख) इस ताप विद्युत केन्द्र का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा; और

(ग) उस देश का नाम क्या है जिसने इस योजना के लिए सहायता दी है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) से (ग) बिहार के भागलपुर जिले में 1058.64 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से कहलगांव सुपर ताप विद्युत परियोजना चरण-एक (4 × 120 मेगावाट) तथा सम्बद्ध पारेषण प्रणाली की प्रतिष्ठापना हेतु सरकार ने जुलाई, 1985 में अनुमोदन प्रदान कर दिया है । परियोजना को पहली यूनिट को 1990-91 में चालू किए जाने का कार्यक्रम है, जिसके उपरान्त शेष यूनिटें छः-छः महीने के अन्तराल से चालू की जाएंगी ।

भारत और यू० एस० एस० आर० के बीच आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग के बारे में हुए समझौते के अन्तर्गत परियोजना यू० एस० एस० आर० की सहायता से शुरू की गई है ।

[अनुवाद]

ऊर्जा की खपत और वितरण का युक्तियुक्तकरण

1231. **श्री पी० कुलनदईवेलू** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऊर्जा की खपत और वितरण का युक्ति-युक्तकरण करने के बारे में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या ऊर्जा की खपत और वितरण के युक्तियुक्तकरण में दोहरी शुल्क प्रणाली अपनाई जाएगी; और

(ग) उक्त दोहरी शुल्क प्रणाली से वास्तव में उपभोक्ताओं को किस तरह लाभ होगा ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) से (ग) दोहरी टैरिफ प्रणाली से व्यस्ततमकालीन अवधियों के दौरान चयनात्मक आधार पर अधिक टैरिफ की दर लागू की जा सकती है, ताकि

भारों को अव्यस्ततमकालीन अवधियों में शिफ्ट किया जा सके जबकि मांग को अधिक आसानी से पूरा किया जा सकता है। इससे अव्यस्ततमकालीन अवधियों के दौरान ऊर्जा का उपयोग करने तथा भार की बेहतर प्रबन्ध व्यवस्था की जा सकती है और उपभोक्ताओं और सप्लाईकर्ता दोनों को लाभ मिलता है।

राज्य बिजली बोर्डों को समय-समय पर अपने टैरिफ के ढांचे को युक्तिसंगत बनाने की सलाह दी जाती है।

गैस छोड़ने वाले उद्योगों का स्थानान्तरण

1232. **प्रो० के० के० तिवारी**
श्री राम प्यारे पनिका } : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के शहरी क्षेत्रों में घनी आबादी वाली बस्तियों में स्थित उद्योगों, द्वारा छोड़ी जाने वाली गैस से जन-स्वास्थ्य को होने वाली खतरे की संभावनाओं के बारे में कोई जांच की गई है;

(ख) यदि हां, तो इन जांचों के क्या परिणाम निकले; और

(ग) क्या उक्त भाग में उद्योगों को बंद करने अथवा उन्हें आवासीय क्षेत्रों से कहीं दूर स्थानान्तरित करने के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभापटल पर रख दी जाएगी।

केरल को मोमबत्तियों के निर्माण के लिये मोम का आबंटन

1233. **श्री वक्कम पुरुषोत्तम** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल को मोमबत्तियों के निर्माण के लिए चालू वर्ष में कितना मोम आबंटित किया गया; और

(ख) अब तक कितना मोम भेजा गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) पैराफिन वेक्स का आबंटन तिमाही आधार पर किया जाता है। केरल राज्य को 1986 की पहली तिमाही के लिए 1500 मी० टन का आबंटन किया गया है जिसमें से 19 फरवरी 1986 तक 1200 मी० टन की सुपुर्दगी कर दी गई है।

बड़े औद्योगिक एककों द्वारा गैस-परम्परागत स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा का उत्पादन

1234. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बड़े औद्योगिक एककों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करने का है कि ऊर्जा की अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए गैर-परम्परागत स्रोतों से ऊर्जा का उत्पादन करे।

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार उपलब्ध अतिरिक्त ऊर्जा उत्पादन की शर्तें क्या हैं; और

(ग) बड़े औद्योगिक एककों से इस प्रकार उपलब्ध अतिरिक्त ऊर्जा के उपयोग करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) सरकार सभी औद्योगिक एककों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करती है कि जहां तक सम्भव हो वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपारंपरिक स्रोतों से ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं।

(ख) प्रत्येक प्रसाव पर उसकी वैयक्तिक गुण (योग्यता) के अनुसार विचार किया जाता है।

(ग) अतिरिक्त ऊर्जा यदि उपलब्ध हो तो उसको स्थानीय जाली (ग्रिड) के द्वारा उपयोग में लाया जा सकता है बशर्ते कि उसका तकनीकी औचित्य हो।

प्रादेशिक निर्वाचन आयोग की स्थापना

1236. **श्री जी० भूपति : क्या विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में निर्वाचनों का प्रभावी रूप में प्रबन्ध सुनिश्चित करने के लिए प्रादेशिक निर्वाचन आयोग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) संसद तथा राज्य विधान मंडलों के निर्वाचन कराने से संबंधित सभी मामलों में निर्वाचन आयोग और राज्यों के मुख्य निर्वाचन आफिसरों के बीच किस प्रकार का समन्वय होगा?

विधि और न्यायमंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13क के अधीन, निर्वाचन आयोग संबद्ध राज्य सरकारों के परामर्श से राज्यों के मुख्य निर्वाचन आफिसरों को नामनिर्दिष्ट या पदाभिहित करता है। उक्त धारा निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, उक्त अधिनियम के अधीन राज्य में सभी निर्वाचक नामावलियों की तैयारी, पुनरीक्षण और शुद्धि के पर्यवेक्षण के लिए भी मुख्य निर्वाचन आफिसर को सशक्त करती है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 20 में यह उपबन्ध है कि मुख्य निर्वाचन आफिसर, निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, उक्त अधिनियम के अधीन राज्य में सभी निर्वाचनों के संचालन का पर्यवेक्षण करेगा। अतः इस प्रकार संसद् और राज्य विधान मंडलों के निर्वाचनों के संचालन से संबंधित सभी विषयों में निर्वाचन आयोग और राज्यों के मुख्य निर्वाचन आफिसरों के बीच समन्वय है और इस पद्धति को प्रवर्तित करने में किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा है।

विधिक सहायता बोर्डों से सहायता प्राप्त करने वाले व्यक्ति

1237. **डा० फूलरेणु गुहा : क्या विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : विधिक सहायता बोर्डों द्वारा जनवरी, 1986 तक कितने व्यक्तियों की सहायता की गई थी ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वियन समिति द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार विभिन्न राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्डों द्वारा दी गई निःशुल्क विधि सहायता से 4,61,901 व्यक्तियों को फायदा पहुंचा है।

पेट्रो-रसायन एककों के लिए धनराशि

1238. **श्री अमर राय प्रधान : क्या उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में पेट्रो-रसायन एककों की उत्पादन क्षमता दुगनी करने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में आबंटित धन से अधिक निवेश करने का है; और

(ख) यदि हां तो प्रत्येक पेट्रो रसायन एकक को कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र में वर्तमान पेट्रोकेमिकल एककों में से, आई पी सी एल ने अपने बड़ौदा कम्पलेक्स में अपने कुछ वर्तमान उत्पादों का उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए विस्तार कार्यक्रम आरंभ किए हैं। इन विस्तारों सहित, आई पी सी एल (बड़ौदा) कम्पलेक्स के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना परिव्यय 430.40 करोड़ रुपए है। परिकल्पित मुख्य परिव्यय निम्न प्रकार हैं—

उत्पाद	परिकल्पित विस्तार (टी पी ए)
एक्राइलिक फाइबर	12,000 से 24,000
लाइनर एलकाइल वेन्जीन	30,000 से 43,500
प्रोपाइलीन कोपोलाइमर	30,000 से 55,000
जाइलेन्स	40,000 से 96,500
डी एम टी	30,000 से 40,000

सम्पूर्ण परिव्यय को आई पी सी एल के आन्तरिक स्त्रोतों से पूरा किया जाएगा इस समय उपरोक्त विस्तार कार्यक्रम के लिए प्लान आबंटन में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा आयोजित प्रदर्शनियों में सरकारी उद्यमों द्वारा भाग लेना

1239. **श्री नारायण चौबे** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा दल के शताब्दी समारोहों के सम्बन्ध में बम्बई, दिल्ली और जयपुर में आयोजित प्रदर्शनियों में भाग लेने वाले सरकारी उद्यमों के नाम क्या हैं;

(ख) आयोजनकर्ताओं को स्थान के लिए कितनी धनराशि का भुगतान किया गया;

(ग) इस सम्बन्ध में अन्य व्यय क्या हुआ; और

(घ) क्या सरकार का विचार मान्यता प्राप्त अन्य राजनीतिक दलों द्वारा आयोजित अन्य और प्रदर्शनियों में सरकारी उद्यमों को भाग लेने की अनुमति देने का है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) से (ग) 25 नवम्बर, 1985 को राज्य सभा प्रश्न संख्या 985 के उत्तर के बारे में गत वर्ष राजस्थान में आयोजित कांग्रेस शताब्दी प्रदर्शनी में सरकारी क्षेत्र की भागीदारी के बारे में जानकारी एकत्र की गई थी तथा सभा-पटल पर रख दी गई थी जिस से पता चलता है कि 13 उद्यमों ने उक्त प्रदर्शनी में भाग लिया था। जहां तक दिल्ली तथा अन्य स्थानों का सम्बन्ध है, यह जानकारी एकत्र की जा रही है और उसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

(घ) प्रदर्शनियों आदि में भाग लेने सम्बन्धी निर्णय अपने प्रचार तथा बिक्री सम्वर्धन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये सरकारी उद्यमों द्वारा स्वयं लिये जाते हैं।

विभिन्न राज्यों में कुटुम्ब न्यायालयों की स्थापना

1240. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अब तक स्थापित किए गए कुटुम्ब न्यायालयों या लोक अदालतों के संबंध में राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उन्होंने कितने मामले निपटाए हैं; और

(ग) यदि अन्य राज्यों में भी ऐसे न्यायालय स्थापित करने का प्रस्ताव है तो उनका ब्यौरा क्या है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) राजस्थान राज्य द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार हाल ही में जयपुर में एक कुटुम्ब न्यायालय की स्थापना की गई है। वहां पर लोक न्यायालय जैसा कोई न्यायालय नहीं है। यदि इस प्रश्न का संबंध लोक अदालतों से भी है, तो 1-1-85 से 14-2-86 तक की अवधि के दौरान आयोजित लोक अदालतों के राज्यवार ब्यौरे निम्नलिखित हैं—

गुजरात	17
आंध्र प्रदेश	6
बिहार	5
हरियाणा	2
महाराष्ट्र	6
उड़ीसा	3
राजस्थान	3
तमिलनाडु	2
उत्तर प्रदेश	28
दिल्ली	2

(ख) लोक अदालतों द्वारा निपटाए गए मामलों की राज्यवार संख्या निम्नलिखित है—

आंध्र प्रदेश	2000 (1986 के जनवरी और फरवरी मास के दौरान)
बिहार	2595
गुजरात	3724
हरियाणा	5000 (लगभग)
महाराष्ट्र	1610
उड़ीसा	490
राजस्थान	27180
उत्तर प्रदेश	11619
दिल्ली	326

(ग) कुटुम्ब न्यायालयों की स्थापना से संबंधित किसी राज्य का कोई प्रस्ताव केंद्रीय सरकार के विचाराधीन नहीं है। लोक अदालतों के बारे में प्रत्येक राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्ड को वर्ष 1986 में लोक अदालतें आयोजित करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

मारुतिकार वेन हेतु पंजीकरण कराने संबंधी नीति

1241. **डा० टी० कल्पना देवी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मारुति उद्योग की नीति के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिसके अनुसार मारुति कार के लिए पंजीकृत व्यक्तियों को वैन लेने की अनुमति है किन्तु वेन के लिए पंजीकृत व्यक्तियों को मारुति कार लेने की अनुमति नहीं है;

(ख) क्या सच है कि जिन व्यक्तियों ने प्रारम्भ में मारुति कार के लिए बुकिंग करायी थी, किन्तु बाद में शीघ्र आबंटन मिलने की संभावना में वेन को चुना अब उनको मूल बुकिंग अपनाने की अनुमति नहीं दी जा रही है ; और

(ग) यदि हां, तो एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार के अन्तर्गत मारुति उद्योग के इस अनुचित व्यापार व्यवहार के बारे में क्या सुधारात्मक उपाय किए जाने का विचार है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) एकाधिकार प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के अधीन कोई अनुचित व्यापार व्यवहार नहीं हुआ है।

मध्यम और लघु उद्योग

1242. **श्री थम्पन थामस** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य वार, मध्यम और लघु इकाइयों कि संख्या कितनी है;

(ख) उन में से कितने उद्योग सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में है; और

(ग) क्या यह सच है कि बड़ी संख्या में मध्यम और लघु उद्योग बन्द कर दिये गये हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) और (ख) सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में मझोले और लघु एककों की संख्या के सम्बन्ध में राज्य-वार सूचना इस मंत्रालय में अलग से नहीं रखी जाती।

(ग) कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत पंजीकृत कारखानों के सम्बन्ध में देश में बन्द पड़े औद्योगिक एककों सम्बन्धी सूचना श्रम मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय रूप से इकट्ठी की जाती है और इण्डियन लेबर जर्नल में प्रकाशित की जाती है जो कि ब्यूरो, भारत सरकार का मासिक प्रकाशन की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

भारत वैगन एण्ड इंजीनिरिंग कम्पनी लिमिटेड, पटना को एक होल्डिंग कम्पनी के अन्तर्गत लाना

1243. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व भारी उद्योग विभाग द्वारा पूर्वी क्षेत्र में अधिग्रहीत किए गए सभी रुग्ण उपक्रमों से मेसर्स भारत वैगन एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड रुग्णता की स्थिति से बाहर आ गई है और वर्ष 1983-84 और 1984-85 में उसने लाभ अर्जित किया है;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल की सरकारी क्षेत्र को उन अनेक वैगन कम्पनियों के साथ भारत वैगन एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड को एक होल्डिंग कम्पनी ने अन्तर्गत लाने का है जिनको पिछले कुछ वर्षों के दौरान वित्तीय राहत दिये जाने लगभग 300 करोड़ रु० के उनके संचयी घाटे की बट्टे खाते में डाले जाने और लगभग 3700 कामगारों की छटंनी किये जाने के बावजूद प्रति-वर्ष करोड़ों रुपयों का घाटा हो रहा है; और

(ग) यदि हां, तो भारत वैगन एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड की उक्त होल्डिंग कम्पनी के अन्तर्गत लाने का क्या औचित्य है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) भारत वैगन एंड इंजीनिरिंग कम्पनी लिमिटेड ने वर्ष 1983-84 तथा 1984-85 में लाभ कमाया है।

(ख) और (घ) उनकी स्वायत्ता में सुधार लाने और एककों के बीच समन्वय को बढ़ावा देने की दृष्टि से सरकारी उद्यमों के ढांचे सम्बन्धी पुनर्गठन के भाग के रूप में, उनके परस्पर सम्बन्धित उत्पाद-समूहों का ध्यान में रखते हुए भारत वेगन एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड सहित सरकारी उद्यमों की, एक धारक कम्पनी बनाने का प्रस्ताव किया गया है। अभी तक प्रस्ताव पर कोई निर्णय नहीं किया गया है।

[हिंदी]

हिमाचल प्रदेश में नाहन फाउण्डरी का अधिग्रहण

1244. श्री के० डी० सुल्तानपुरी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में नाहन फाउण्डरी इंडस्ट्री घाटे में चल रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने मांग की है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा इसका अधिग्रहण किया जाए;

(ग) क्या कुछ संसद सदस्यों ने भी अनुरोध किया है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा इसका अधिग्रहण किया जाए; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय किया है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, हां।

(घ) भारत सरकार ने इस एकक को अधिकार में न लेने का निश्चय किया है।

[अनुवाद]

चर्खी-दादरी में डाकघर और टेलीफोन एक्सचेंज के लिए नए भवन का निर्माण

1245. श्री चिरंजी लाल शर्मा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चर्खी-दादरी (हरियाणा) में वर्तमान डाकघर और टेलीफोन एक्सचेंज भवन बहुत छोटा और संकुचित हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसका विस्तार करने या नए भवन का निर्माण करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) चर्खी-दादरी डाकघर (हरियाणा) में लगभग 264 वर्गफुट जगह की साधारण कमी है वैसे टेलीफोन एक्सचेंज भवन में कोई कमी नहीं है ?

(ख) उक्त डाकघर में स्थान की कमी को पूरा करने की संभावनाओं का पता लगाया जाएगा बशर्ते कि निगम का अनुमोदन मिल जाए और निधि उपलब्ध हो। टेलीफोन एक्सचेंज के लिए नए भवन के निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

डायमंड हार्बर, पश्चिम बंगाल में ड्रिलिंग कार्य में विलम्ब

1246. श्री अमल दत्त : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डायमंड हार्बर में ड्रिलिंग करने पर तेल पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो यह सबसे पहले कब पाया गया था;

(ग) क्या परीक्षण/उत्पादन ड्रिलिंग के कार्य को आरम्भ करने में कोई विलम्ब हुआ था;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या यह सच है कि उत्पादन/परीक्षण ड्रिलिंग के कार्य में दुर्घटना के कारण और विलम्ब हुआ है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) उस क्षेत्र में ड्रिलिंग कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ?

(ग) से (च) वेधन कार्य फरवरी,1980 में पूरा हो गया था बाद में जिसका परीक्षण कार्य फरवरी, 1981 तक जारी रहा यह निर्णय लिया गया था कि एक अन्य कार्डवैलरिंग के विस्तार द्वारा आगे परीक्षण किए जाएंगे। दिसम्बर, 1984 के बाद कुछ और परतों का परीक्षण किया गया था। परिचालन दुर्घटना के कारण कुछ देरी हुई। 4.7. 1985 को स्ट्रग लिविटंग के दौरान कार्डवेल रिंग का जेक बेस वन्द हो गया और उनमें दरार पड़ गई। मरम्मत का कार्य 13.8.85 को पूरा हुआ।

(छ) डायमंडल हार्बर क्षेत्र में भावी वेधन कार्यक्रम, वर्तमान कूपों के परीक्षण परिणामों पर निर्भर करेगी।

भारतीय कम्पनियों द्वारा आयोजित प्रौद्योगिकी का उपयोग

1247. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तकनीकी विकास महानिदेशालय ने भारतीय कम्पनियों द्वारा आयातित प्रौद्योगिकी के उपयोग पर निगरानी रखने के लिये कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या रायल्टी के रूप में विदेशी मुद्रा भेजने की स्वीकृति देने से पहले तिमाही प्रगति रिपोर्ट मांगने का विचार है; और

(ग) क्या औद्योगिक लाइसेंस में चरणबद्ध निर्माण कार्यक्रम का शर्त शामिल करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) तकनीकी विकास का महानिदेशालय कम्पनियों द्वारा तकनोलोजी को आत्मसात करने का अध्ययन चयनात्मक आधार पर करता है। यह कार्य डी० एस० आई० आर०/एन० आर० डी० सी०/सी० एस० आई० आर०/राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के विशेषज्ञों की सहायता से किये जाते हैं। विशेषज्ञ दल द्वारा किया जाने वाला अध्ययन व्यापक किस्म का होता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) सामान्य रूप से आवश्यक होने पर प्रावस्थाबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम के अनुमोदन की शर्त पर औद्योगिक लाइसेंसों की मंजूरी दी जाती है।

मिथाइल सैलिसाइलेट का उत्पादन

1248. **श्री शांताराम नायक** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिथाइल सैलिसाइलेट (आई० पी०) औषध का उत्पादन लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कर्नाटक में डी०जी०टी० डी० (तकनीकी विकास के महानिदेशालय) में पंजीकृत एक यूनिट जो लघु क्षेत्र में नहीं है; उपरोक्त औषध के उत्पादन के रूप विज्ञापन दे रही है; और

(ग) इस प्रकार के गैर-कानूनी उत्पादनों के विरुद्ध उनका मंत्रालय क्या कार्यवाही करने का विचार कर रहा है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) मेथाइल सालिसिलेट (खरीदे हुए सेलीसिलिक एसिड पर आधारित) का निर्माण लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं। तथापि, सालीसिलिक एसिड के स्वतः उत्पादन पर आधारित मेथाइल सालीसिलेट का निर्माण लघु क्षेत्र के लिए-आरक्षित नहीं है।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

बंगलौर के डाकघरों में राष्ट्रीय बचत पत्रों की कमी

1249. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर शहर के डाकघरों में राष्ट्रीय बचत योजना पत्र सुगमता से उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) क्या यह इस कारण से है कि वहां पर आयकर निर्धारितियों द्वारा आयकर में छूट प्राप्त करने के लिए इन पत्रों की खरीद के लिए असाधारण भीड़ है; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

संचारमन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा :) (क) जी नहीं। 10 रु० मूल्य के राष्ट्रीय बचत पत्र छठा निर्गम को छोड़कर बेंगलूर शहर के डाकघरों में अन्य राष्ट्रीय बचत पत्र उपलब्ध हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) बेंगलूर शहर के डाकघरों के जरिए 10 रु० मूल्य का राष्ट्रीय बचत पत्र छठा निर्गम जारी कर पाना संभव नहीं है क्योंकि वित्त मंत्रालल द्वारा इस मूल्य का 1-4-1986 से समाप्त करने का निर्णय लिए जाने के फलस्वरूप मुद्रणालय एजेंसी, भारत प्रतिभूति मुद्रणालय द्वारा इन बचत पत्रों की नई सप्लाई नहीं की जा रही है। तथापि उन निवेशकों को इस मूल्य के बचत पत्र जारी किए जाएंगे जिन्होंने इसके लिए पहले से ही आवेदन कर रखा है तथा जिन्हें डाकघरों ने प्राथमिक रसीदें दी हैं।

परिसीमन आयोग की स्थापना

1250. **श्री सोमनाथ रथ :** क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त किए हैं जिनमें परिसीमन आयोग की शीघ्र स्थापना का सुझाव दिया गया है;

(ख) क्या वर्तमान सत्र के दौरान इस प्रकार का कोई विधान लाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि ऐसा है तो, प्रस्तावों का ब्योरा क्या है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) (क) जी हां ।

(ख) और (ग) तारीख 23.7. 1985 के अतारांकित प्रश्न सं० 25 में दिए गए उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें उक्त प्रस्ताव और सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई के ब्यौरे दिए गए हैं । इस प्रक्रम पर समय सीमा बताना संभव नहीं है जिसके भीतर विधान लाया जा सकता है ।

महाराष्ट्र तथा गुजरात बिजली बोर्डों की समीक्षा

1251. **श्री एच० एम० पटेल :** क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के अधीन क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने के लिए अधिकारियों का एक दल नियुक्त किया गया है;

(ख) क्या उक्त समीक्षा समिति के निष्कर्षों से यह पता चला है कि विद्युत क्षेत्र में कार्य निष्पादन बहुत निराशाजनक रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या कतिपय राज्य बिजली बोर्डों के कार्य की समीक्षा की गई है; और

(घ) महाराष्ट्र तथा गुजरात बिजली बोर्डों की समीक्षा का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) (क) और (ख) वर्ष 1985-86 में जिन परियोजनाओं को चालू करने का लक्ष्य था उन्हें शीघ्र चालू करने की दृष्टि से, बाधाओं को दूर करने में सहायता प्रदान करने के लिए विद्युत विभाग और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों ने कुछ परियोजनाओं का दौरा किया था और संबंधित परियोजना प्राधिकारियों/राज्य बिजली बोर्डों के साथ विचार-विमर्श किया था । क्षेत्रीय बैठकें भी आयोजित की गई हैं, जिनमें निर्माणाधीन स्कीमों की प्रगति की समीक्षा भी की गई थी । वर्तमान मूल्यांकन के अनुसार वर्ष 1985-86 के दौरान जोड़ी जाने वाली नई विद्युत उत्पादन क्षमता 4349 मेगावाट होने का अनुमान है जबकि इसकी तुलना में लक्ष्य 4459.5 मेगावाट का था ।

(ग) वरिष्ठ अधिकारियों के दलों ने राज्य बिजली बोर्डों की समीक्षा नहीं की थी ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बन्द पड़े तथा रुग्ण उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए आवर्ती निधि

1252. **डा० के० जी० अदियोडी :** क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बंद पड़े बड़े, मध्यम और लघु उद्योगों की राज्यवार संख्या कितनी थी;

(ख) इन उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) क्या चालू वर्ष में इन रुग्ण उद्योगों को ब्याज मुक्त ऋण या ब्याज की कम दर पर ऋण देकर पुनर्जीवित करने के लिए एक आवर्ती निधि बनाने का कोई प्रस्ताव है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) देश में बंद पड़े औद्योगिक एककों के बारे में सूचना श्रम मंत्रालय द्वारा कारखाना अधिनियम, 1948 के अधीन पंजीकृत किए गए कारखानों के सम्बन्ध में इकट्ठी की जाती है और वह इण्डियन लेबर जर्नल में प्रकाशित की जाती है, जो श्रम ब्यूरो, भारत सरकार का एक मासिक प्रकाशन है । इस प्रकाशन की प्रतियां संसद भवन के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

(ख) देश में औद्योगिक रुग्णता की समस्या हल करने के लिए सरकार ने विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों के मार्गदर्शन के लिए अक्तूबर, 1981 में कुछ नीति विषयक मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं। इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों की मुख्य विशेषताएं लोक सभा में दिनांक 23.1.1985 को पूछे गए अता० प्रश्न सं० 204 के सम्बन्ध में दे दी गई थी। इन नीतिविषयक मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार, बैंकों और वित्तीय संस्थानों से सक्षम रूप से जीव्य एककों के सम्बन्ध में अलग-अलग मामले के आधार पुनर्स्थापन कार्यक्रम तैयार करने की आशा की गई है। इन पुनर्स्थापना कार्यक्रमों में अल्पकालीन और दीर्घकालीन उपाय दिए गए हैं जिनमें दण्ड स्वरूप ब्याज को समाप्त करने, ब्याज के लिए धन देने, ब्याज और मार्जिन की दर में कमी करने, नकद राशि की उत्पत्ति, आवश्यकता पर आधारित कार्यशील पूंजी स्वीकृत करने पर निर्भर होने वाले चरणबद्ध ढंग से वसूलियों के लिए बकाया देयताओं/अनियमितताओं की समय सूची पुन: बनाने जैसी वित्तीय रियायतें और सावधिक ऋण सुविधाएं तथा प्रबन्धकों में परिवर्तन करने जैसे अन्य उपाय सम्मिलित हैं। इसके अलावा, विलय करके रुग्ण एककों को हाथ में लेने के लिए स्वस्थ एककों को आय कर में राहत देकर प्रोत्साहन भी किया जाता है। गत प्रयोग संयंत्र और मशीनों के आधुनिकीकरण और उन्हें बदलने के लिए तकनीकी विकास निधि और पूंजीगत माल के आयात के लिए आयात नीति के अधीन भी सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

विभिन्न राज्यों को कच्चे तेल पर रायल्टी की विभिन्न दरें

1253. **श्री डी० बी० पाटिल** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गेस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन राज्यों को, जहां कच्चा तेल निकलता है, कच्चे तेल पर रायल्टी अलग-अलग दरों पर दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है; और

(ग) विभिन्न राज्यों को दी गई रायल्टी की दरें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) कच्चे तेल 61/- रुपये प्रति टन।

कोल इण्डिया लि० का कार्य-निष्पादन

1254. **श्री गुरुदास कामत** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कोल इण्डिया लि० का सहायक एककवार कार्य-निष्पादन क्या रहा;

(ख) इसके कितने सहायक एकक घाटे में चल रहे हैं;

(ग) कितना घाटा हुआ है और घाटा होने के क्या कारण हैं; और

(घ) कोल इण्डिया लि० के घाटे में चल रहे सहायक एककों को आर्थिक दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं अथवा करने का विचार है ?

(ऊर्जा मंत्री श्री बसन्त साठे) : (क) पिछले तीन वर्षों में कोल इंडिया लि० में कोयला उत्पादन का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(मिलियन टनों में)

कम्पनी का नाम	1982-83		1983-84		1984-85	
	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
ई० को० लि०	25.80	22.68	25.00	22.86	25.10	23.11
भा० को० को० लि०	23.50	24 00	24.50	21.63	24.50	21.84
से० को० लि०	32.70	33.02	35.00	36.77	37.50	39.00
वे० को० लि०	33.30	34.28	37.80	39.35	43.15	46.05
ना० ई० को०	0.70	0.71	0.70	0.80	0.75	0.81
कुल कोल इण्डिया लि०	116.00	114.69	123.00	121.41	131.00	130.81

(ख) कोल इण्डिया लि० की दो सहायक कम्पनियां अर्थात ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० एवं भारत कोकिंग कोल लि० घाटे में चल रही हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों में ई० को० लि० एवं भा० को० को० लि० में घाटे का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(रु० करोड़ में)

	1982-83	1983 84	1984-85
ई० को० लि०	55.32	127.88	13.66
भा० को० को० लि०	3.64	191.89	90.12

इन कम्पनियों में घाटा होने के मुख्य कारण हैं कठिन भूखनन परिस्थितियां जिनमें इन्हें काम करना पड़ता है तथा अन्य लगातार चलने वाली समस्याएं जैसे—बिजली की अपर्याप्त एवं अनियमित सप्लाई, कानून एवं व्यवस्था, अनुपस्थिति की प्रवृत्ति, स्थानीय युवकों द्वारा बाधा डालने के परिणामस्वरूप नई परियोजना शुरू करने में विलम्ब आदि। दिनांक 1.1.1983 से प्रभावित तृतीय राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौता से भी ई० को० लि० एवं भा० को० को० लि० में से प्रत्येक को वर्ष 1983-84 में रु० 40 करोड़ का अतिरिक्त आर्थिक बोझ उठाना पड़ा। मजदूरी लागत में बढ़ोतरी से पूरी नहीं हो पाई क्योंकि कीमत में बढ़ोतरी बहुत बाद में अर्थात् दिनांक 8.1.1984 से प्रभावी की गई।

(घ) कम्पनियों के उत्पादन में वृद्धि एवं उत्पादकता में सुधार हेतु किए गए विभिन्न उपायों में मुख्य हैं नई खानों में विशाल निवेश, पहले ही बनी खनन क्षमता का पूर्णतर उपयोग, उपकरणों का अधिक सक्षम प्रयोग एवं बेहतर देखमाल, सामग्री सूची पर कड़ा नियंत्रण एवं भंडार सामग्री के उपयोग में किफायत, अनुपस्थिति की प्रवृत्ति पर नियंत्रण एवं अनुशासन के पालन तथा बेशी कामगारों का पता लगाकर उपयुक्त प्रशिक्षण के बाद उन्हें फिर से तैनात करके जनशक्ति का बेहतर उपयोग, विस्फोटक पदार्थों, लकड़ी आदि दुर्लभ उत्पादन सामग्री की बेहतर उपलब्धि, तेज ढुलाई और युक्तिपूर्ण वितरण से खान मुहाना स्टाक कम करना, नई परियोजनाओं का तेजी

से एवं निर्धारित समय में निर्माण, तथा कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार। नई तक-नालाजी को सरलता से लागू करने के लिए विशेषज्ञ देशों से सहयोग समझौते किए जाते हैं जिनमें प्रारंभिक उपकरणों के सेटों की सप्लाई एवं भारतीय इंजीनियरों और कामगारों की देश के अन्दर एवं विदेश में दोनों ही जगह प्रशिक्षण आदि बातें शामिल हैं।

सरकार ने ई० को० लि० एवं भा० को० को० लि० के क्रियाकलाप की जांच करने एवं इन कंपनियों के कार्य-निष्पादन में सुधार के उपाय सुझाने के लिए समितियों का गठन भी किया है।

महाराष्ट्र में नांदेड तथा परभनी जिले में सार्वजनिक टेलीफोन केंद्र तथा टेलीफोन एक्सचेंज खोलना

1255. **श्री उत्तम राठौड़** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में नांदेड तथा परभनी जिलों में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र तथा टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का काम कन्डक्टरों, तारों तथा अन्य उपकरणों की कमी के कारण रुक गया है; और

(ख) सरकार इन परियोजनाओं को कब तक पूरा करेगी ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) (1) महाराष्ट्र के नांदेड़ और परभनी जिलों में सार्वजनिक टेलीफोनघर और छोटे आटोमेटिक एक्सचेंज खोलने पर लाइन स्टोर की विभिन्न मदों की कमी के कारण दुष्प्रभाव पड़ा।

(2) नांदेड़ और परभनी में स्थानीय एक्सचेंज खोलने का कार्य विभागीय इमारतों के अभाव में रुका पड़ा है मामला न्यायालय में होने के कारण नांदेड़ एक्सचेंज भवन का कार्य रुका पड़ा है।

(ख) प्राथमिकता दे दी गई है। तथा साज-सामान मिल जाने पर पी सी ओ खोल दिए जाएंगे। परभनी एक्सचेंज के सातवीं योजना के दौरान चालू हो जाने की संभावना है।

चमड़े की वस्तुओं के निर्माण के लिए यूनिटों को लाइसेंस देने को उदार बनाना

1256. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चमड़े की वस्तुएं, बनाने वाले एककों को लाइसेंस देने में उदारता बरती जाएगी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह लाइसेंस किसी शर्त पर दिया जाएगा; और

(घ) क्या इससे अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के हिस्से में वृद्धि होगी ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) चमड़े के जूते और चमड़े के अन्य सामान सम्बन्धी लाइसेंसिंग नीति को हाल ही में इन वस्तुओं के लिए अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के अंश को बढ़ाने की आवश्यकता के संदर्भ में चमड़े के जूते और चमड़े का अन्य सामान बनाने के लिए संगठित क्षेत्र में नये एककों को लाइसेंस देने तथा विद्यमान एककों का पर्याप्त विस्तार करने की अनुमति देने के लिए दिनांक 6 फरवरी, 1986 के प्रेस टिप्पण द्वारा उदार बना दिया गया है।

(ग) निम्नलिखित शर्तों के अधीन लाइसेंस दिया जाएगा :

(I) एकक केन्द्रीय रूप से अधिसूचित पिछड़े क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा।

(II) वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने के तीसरे वर्ष से 75% की देयता प्रभावी होगी।

(III) एम० आर० टी० पी० कम्पनियों के लिए कम्पनी कार्य विभाग एम० आर० टी० पी० अधिनियम की धारा 21/22 के अधीन अलग-अलग मामले के आधार पर स्वीकृति देगा। इसी प्रकार, फेरा कम्पनियों के प्रस्ताव ऐसी अतिरिक्त स्वीकृतियों, जैसी कि फेरा के अधीन होंगी, के अधीन होगा।

(IV) विदेशी सहयोग, तकनीकी और वित्तीय दोनों ही की इस शर्त पर अनुमति दी जाएगी कि अनिवासी इक्विटी भारतीय कम्पनी की प्रदत्त पूंजी और अंश पूंजी के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(घ) यह आशा की जाती है कि उदार बनायी गई नीति से संगठित क्षेत्र चमड़े के जूतों/लैदर बोर्डों के निर्यात के सम्बन्ध में सातवीं योजना के लिए निर्धारित निर्यात लक्ष्यों को प्राप्त करने में समर्थ हो सकेगा।

[हिन्दी]

सरकारी उपक्रमों के मुख्यालयों के स्थल

1257. **श्री विलास मुत्तेमवार**
श्री सरफराज अहमद } : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय के अधीन अधिकांश सरकारी उपक्रमों के मुख्यालय दिल्ली या इसके समीप स्थित हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) जी, नहीं। उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के 54 उपक्रमों में से केवल 7 के मुख्यालय दिल्ली में हैं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

रिंग रोड, दिल्ली में पेट्रोलपम्प

1258. **श्री बनवारी लाल बेरवा** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में रिंग रोड पर पेट्रोल पम्पों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार उनकी संख्या में वृद्धि करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) इस समय तेल उद्योग के रिंग रोड पर 21 खुदरा बिक्री केन्द्र तथा आउटर रिंग रोड पर 6 खुदरा बिक्री केन्द्र हैं।

(ख) और (ग) तेल उद्योग भूमि के उपलब्ध होने पर अपनी वार्षिक विपणन योजनाओं के अन्तर्गत नए खुदरा बिक्री केन्द्र स्थापित करेगा।

[अनुवाद]

कल्याण टेलीफोन डिवीजन में नये टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची

1259. **श्री एस० जी० घोलप** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कल्याण टेलीफोन डिवीजन में लोगों को शीघ्र टेलीफोन कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रतीक्षा सूची में, विशेषकर भिवन्डी, बोम्बीवाली, कल्याण तथा उलास नगर में लोगों की संख्या कितनी है;

(ग) स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) कलगांव, अमरनाथ तथा कौंसा में टेलीफोन एक्सचेंज भवनों के निर्माण की प्रगति क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) भिवंडी, डोम्बीवाली, कल्याण और उल्हासनगर की प्रतीक्षा सूची में क्रमशः 2108, 2989, 1479 और 4848 व्यक्तियों के नाम दर्ज हैं।

(ग) जहां कहीं संभव होता है, एक्सचेंजों का विस्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं बशर्ते कि इसके लिए संसाधन प्राप्त हो जाएं।

(घ) टेलीफोन एक्सचेंज भवनों के निर्माण की प्रगति इस प्रकार है :—

(1)	कलगांव	प्लॉट का अधिग्रहण किया जा रहा है।
(2)	अमरनाथ	नक्शे तैयार किए जा रहे हैं।
(3)	कौंसा	इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

औरंगबाद और हैदराबाद के बीच नई कोएक्सीयल केबल लाइनें

1260. **श्री आर० एन० यादव** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औरंगाबाद और हैदराबाद के बीच नई कोएक्सीयल केबल लाइनें बिछाने के कार्य की क्या प्रगति है;

(ख) इसके कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(ग) क्या जालना-प्रमानी और नांदेड को एस०टी०डी० लाइनों से जोड़ा जाएगा?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) 2.6 एम एच जेड (क्षमता 600 चैनल) की रेंज में एक कोएक्सियल केबिल प्रणाली केवल औरंगाबाद से नांदेड़ तक चालू करने की योजना है। नांदेड और निजामाबाद के बीच संपर्क स्थापित करने की फिलाहल कोई योजना नहीं है। निजामाबाद से हैदराबाद कोएक्सियल केबिल संपर्क पहले ही उपलब्ध है। औरंगाबाद नांदेड के लिए को एक्सिअल केबिल बिछाने का कार्य पूरा हो गया है। रिपीटर और कुछ एस यू एक्स उपस्कर प्राप्त हो गए हैं लेकिन लाइन टर्मिनल उपस्कर में मैसर्स आई टी आई द्वारा 1986-87 में सप्लाई करने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है।

(ख) 1987-88 के अंत तक।

(ग) परभनी एक्सचेंज को आटोमेटिक बनाने तथा कोएक्सिनल केबिल प्रणाली चालू हो जाने के बाद जालना-परभनी और नांदेड को मौजूदा औरंगाबाद ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंज के साथ जोड़कर वहां एस०टी०डी० सुविधा प्रदान किए जाने की योजना है।

दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची

1261. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शन लेने वालों की प्रतीक्षा सूचियों को एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र के समान लाने के लिए सरकार द्वारा यदि कोई अद्यतन निर्णय लिया गया है; तो वह क्या है;

(ख) क्या उनको इस बात की जानकारी है कि पूर्वी दिल्ली अथवा मध्य दिल्ली जैसे दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों के मामले में टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची में भारी असमानता है; और

(ग) इस असमानता को दूर करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) मांग के अनुसार नए एसचेंज खोलकर तथा जहां कहीं संभव हो, क्षेत्र अंतरण करके दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में प्रतीक्षा सूची को निपटाने की तारीख में यथासंभव समानता रखने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है।

विभाग ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिल्ली में लगभग 1.3 लाख अतिरिक्त लाइनें स्थापित करने के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया है ताकि टेलीफोन की प्रतीक्षा सूची को यथा संभव बराबरी पर लाया जा सके।

(ख) जी हां।

(ग) लक्ष्मीनगर शाहदरा में 15,000 लाइनों का इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज लगाया जा रहा है जिसके 1986-87 में चालू हो जाने की संभावना है। इस एक्सचेंज के चालू हो जाने पर पूर्वी क्षेत्र और सेण्ट्रल क्षेत्र की प्रतीक्षा सूची में जो असमानता है, उसमें उत्तरोत्तर कमी आएगी। पूर्वी दिल्ली को आगे और राहत देने के लिए 8000 लाइनों का अन्य उपस्कर सातवीं योजना में चालू हो जाएगा।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा के० जी० तेल गवेषण कार्यक्रम के अन्तर्गत खोदे गये कुओं के बारे में जांच

1262. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय की जानकारी में यह बात लाई गई है कि के० जी० तेल गवेषण कार्यक्रम के अन्तर्गत तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा अत्यधिक लागत पर खोदे गए कुएं प्राधिकारियों की कुछ चूकों के कारण अनुपयोगी हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले की जांच कराई गई थी; और

(ग) यदि हां, तो जांच के क्या निष्कर्ष निकले और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह): (क) ऐसी कोई भी चूक सरकार के ध्यान में नहीं आई है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

हजीरा के समीप खाना पकाने की गैस के सिलेंडर भरने का संयंत्र

1263. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में हजीरा के पास खाना पकाने की गैस के सिलेन्डर भरने का एक नया संयंत्र स्थापित करने का विचार है;

(ख) उसकी क्षमता कितनी होगी तथा उसके कब तक चालू हो जाने की संभावना है;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को खाना पकाने की गैस के प्रयुक्त सिलेन्डरों के स्थान पर भरे सिलेन्डर प्राप्त करने में लगने वाला समय काफी कम हो जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो इस समय प्रयुक्त सिलेन्डरों के स्थान पर भरे सिलेन्डर प्राप्त करने में कितना समय लगता है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) 25,000 मी० टन प्रतिवर्ष क्षमता के इस संयंत्र के जून, 1987 तक आरम्भ हो जाने की आशा है।

(ग) और (घ) इस समय गुजरात के अधिकतर बाजारों में रिफिलों की आपूर्ति दिन-प्रतिदिन आधार पर की जाती है। हाजिरा में संयंत्र के आरम्भ हो जाने पर रिफिलों की उपलब्धता में और वृद्धि होगी।

खादी और ग्रामोद्योग के विकास के लिए परिव्यय

1264 : **श्रीमती बसवराजेश्वरी** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी और ग्रामोद्योग आयोग के विकास के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल कितना परिव्यय निर्धारित किया गया है;

(ख) वर्ष 1984-85 और 1985-86 के दौरान खादी का कुल कितना उत्पादन हुआ और उसका मूल्य क्या है; और

(ग) वर्ष 1984-85 और 1985-86 के दौरान उद्योगों के लिए कुल कितना परिव्यय निर्धारित किया गया और ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक रोजगार के कुल कितने अवसर पैदा किए गए हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) खादी तथा ग्रामोद्योगों के विकास के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि में 540 करोड़ रु० का परिव्यय निर्धारित किया गया है। इसमें खादी पर छूट देने और 1984-85 में किए गए व्यय के स्तर पर सरकारी ऋणों पर लगने वाली ब्याज के स्थान पर दी जाने वाली राजसहायता का परिव्यय शामिल नहीं है।

(ख) वर्ष 1984-85 में 157.62 करोड़ रुपये की 1039.80 लाख वर्ग मीटर खादी का कुल उत्पादन हुआ था। 1985-86 में बनायी गई खादी के उत्पादन और मूल्य के आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए जा सकते क्योंकि यह वर्ष 31.3.1986 को समाप्त हो जाएगा।

(ग) वर्ष 1984-85 और 1985-86 के दौरान खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के अधीन ग्रामोद्योगों के लिए निर्धारित किया गया कुल परिव्यय क्रमश: 41.50 करोड़ रुपये और 44.42 करोड़ रुपये है।

वर्ष 1984-85 के दौरान खादी तथा ग्रामोद्योगों के अंतर्गत प्रदान किया गया कुल रोजगार 37.89 लाख व्यक्ति (खादी 13.05 लाख व्यक्ति और ग्रामोद्योग 24.84 लाख व्यक्ति) था।

कैलशियम कारबाइड का निर्माण करने वाले कारखाने

1265. **श्री ई० अयप्पू रेड्डी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केलशियम कारबाइड का निर्माण करने वाले कारखानों की संख्या कितनी है और उनकी कुल प्रतिष्ठापित क्षमता कितनी है;

(ख) क्या बिजली की कम सप्लाई के कारण ये कारखाने अपनी प्रतिष्ठापित क्षमता का 60 प्रतिशत लक्ष्य भी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं; और

(ग) क्या बिजली की कम सप्लाई के कारण अपना पूरी क्षमता का उपयोग न कर सकने वाले उद्योगों को उत्पाद शुल्क में कोई छूट दिए जाने का प्रस्ताव है?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार इस समय देश में संगठित क्षेत्र में कुल 1.85 लाख टन की वार्षिक क्षमता के सात कम्पनियां कैलशियम कारबाइड का उत्पादन कर रही हैं।

(ख) निम्न क्षमता उपयोगिता न केवल पावर की कम आपूर्ति के कारण है परन्तु अन्य प्रतिबन्धों के कारण भी हैं।

(ग) सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवाह के पश्चात् अर्जित सम्पति में पति और पत्नी का समान भागीदार होना

1266. **डा० फूलरेणु गुहा** : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कोई ऐसी विधि अधिनियमित करने का प्रस्ताव है जिसमें पति और पत्नी उस सम्पत्ति के समान भागीदार होंगे जो विवाह के पश्चात् अर्जित की गई हो?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : जी नहीं

[हिन्दी]

देश के विभिन्न भागों में खाना पकाने की गैस का बिक्री मूल्य

1267. **डा० चन्द्रशेखर वर्मा** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाना पकाने की गैस के सिलेन्डरों के बिक्री मूल्य देश के विभिन्न भागों में अलग-अलग है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उपभोक्ताओं को खाना पकाने की गैस देश के कुछ भागों में दो तीन महीने तक उपलब्ध नहीं होती; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में सुधार करने के लिए क्या कोई कदम उठाए जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) चार मुख्य नगरों में खुदरा बिक्री कीमतें इस प्रकार हैं :—

	रुपये/प्रति सिलिण्डर 14.2 कि० ग्रा०
बम्बई	56.15
दिल्ली	57.61
कलकत्ता	63.20
मद्रास	57.24

बाटलिंग संयंत्र से दूरी से कारण लगने वाले माल भाड़े तथा उन स्थानों पर लागू स्थानीय शुल्क के कारण भिन्न-भिन्न स्थानों में कीमतों में अन्तर होता है।

(ग) और (घ) कभी-कभी देश के कुछ भागों में कई कारणों व एल०पी०जी० के रिफिल की सप्लाई में कुछ दिन का बैंक लागू हो जाता है इनमें अपर्याप्त बाटलिंग क्षमता भी शामिल है बाटलिंग क्षमता तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं को बढ़ाने का काम किया जा रहा है।

[अनुवाद]

सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान बायोगैस संयंत्रों की स्थापना

1268. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण निर्धन लोगों के जीवन को कुछ और सुखमय बनाने के लिए और अधिक बायोगैस संयंत्र लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना में बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्य के लिए कितनी धन राशि आबंटित की गई है;

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) सरकार बायोगैस विकास के लिए एक राष्ट्रीय परियोजना का कार्यान्वियन कर रही है जोकि नवम्बर, 1981 से परिवार आकार के बायोगैस संयंत्रों का प्रबन्ध कर रही है। इस परियोजना के अन्तर्गत 1984-85 तक 3.5 लाख बायोगैस संयंत्रों की स्थापना की जा चुकी है। 1985-86 के लिए निर्धारित लक्ष्य 1.50 लाख संयंत्रों का है जिनमें से जनवरी, 1986 तक एक लाख से अधिक संयंत्रों की स्थापना की जा चुकी है। सातवीं योजना अवधि के लिए 177.[illegible]0 करोड़ रुपए की लागत सहित 5.5 लाख परिवार आकार के बायोगैस संयंत्रों को स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।

कोपिली पनबिजली परियोजना से पंचग्राम ग्रिड को उच्च शक्ति की लाइन

1269. **श्री सुदर्शन दास** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिजोरम और असम में बराक घाटी में हो रही कठिनाइयों को दूर करने की दृष्टि से मेघालय में पूर्वोत्तर विद्युत निगम (नार्थ=ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन) के आधीन

कोपिली पन बिजली परियोजना से असम के कछार जिले में पंचाग्राम ग्रिड को सीधे उच्च शक्ति की विद्युत लाइन देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, बदरपुर (पंचग्राम) को मेघालय में खलीहरीयात उप-केन्द्र के जरिए 132 के०वी० सिंगल सकिट लाइन के द्वारा कोपीली जल विद्युत परियोजना के साथ जोड़ दिया गया है और हाफलोंग तथा जीरीबम के जरिए एक अन्य लिंक की व्यववथा की जा रही है। कोपोली जल विद्युत काम्पलेक्स से इस प्रणाली के जरिए (बदरपुर पंचग्राम) को विद्युत पारेषित की जा सकती है।

गुजरात को बढ़िया मिट्टी के तेल के आबंटन में वृद्धि

1270. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजी भाई मावणि** } : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्र से गुजरात को बढ़िया मिट्टी के तेल के आबंटन में 15 प्रतिशत की दर से वृद्धि करने के लिए समय-समय पर अनुरोध किया है; .

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त आबंटन में वृद्धि कब, कैसे और किस दर पर की गई है;

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा गुजरात को पहले और अब एस०के०ओ० की कितनी मात्रा दी गई है; और

(ङ) और वृद्धि कब तक करने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। मार्च, 1984 से गुजरात सरकार केन्द्रीय सरकार के राज्य को मिट्टी के तेल का आबंटन इस अवधि के दौरान इसकी बढ़ती हुई मांग को पूरा करने हेतु 15 प्रतिशत बढ़ी हुई दर पर करने के लिए अनुरोध करती रही है।

(ग) गुजरात राज्य सहित अन्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए मिट्टी के तेल की आवश्यकता का निर्धारण पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि में 4 महीने के ब्लाक पर आधारित आबंटित मात्रा पर 5 प्रतिशत की वृद्धि देकर किया जाता है नियमित आबंटन के अतिरिक्त, बाढ़, सूखा, तुफान, एल०पी०जी०/साफ्ट कोक आदि की कमी की विशिष्ट परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए तदर्थ आधार पर भी आबंटन किया जाता है। नवम्बर, 1985 से फरवरी 1986 तक की सर्दी की अवधि के लिये गुजरात सहित अन्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए 7½ प्रतिशत की बढ़ी हुई दर पर मिट्टी तेल का आबंटन किया गया है।

(घ) वर्ष 1984,1985 तथा 1986 (जून तक) में गुजरात राज्य को आबंटित मिट्टी के तेल की मात्रा इस प्रकार है :—

(मी० टन)

वर्ष	आबंटित मात्रा
1984	538,880
1985	568,420
1986 (जनवरी—जून)	296,100

(ङ) 1986 की बाकी अवधि में आबंटन पिछले उपर्युक्त आधार पर किया जाएगा अर्थात् वर्ष तदनुरूपी अवधि में किए गए आबंटन पर 5 प्रतिशत की वृद्धि देकर किया जाना।

खान के मुहाने पर कोयले की कीमत

1271. **सैयद शाहबुद्दीन** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31-12-1984 और 31-12-1985 को खान के मुहाने पर कोयले की कीमत क्या थी;

(ख) राज्यों को इस समय रायल्टी किस दर पर दी जाती है और इसमें किस तारीख को अंतिम संशोधन किया गया था;

(ग) वर्ष 1985 के दौरान कोयले का राज्यवार औसतन मासिक उत्पादन क्या है; और

(घ) क्या राज्य सरकार या संबंधित राज्य के लोगों से रायल्टी दर में वृद्धि करने और उसे बाजार मूल्य से जोड़ने के संबंध में कोई मांग की गई है ?

उर्जा मन्त्री (श्री बसंत साठे) : (क) कोल इंडिया लि० और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि० द्वारा उत्पादित कोयले की दिनांक 31.12.1984 और दिनांक 31.12.1985 को औसत खान मुहाना कीमत क्रमश: रु० 183/– प्रति टन थी। उपर्युक्त दोनों तीरीखों को आम आदमी के ईंधन अर्थात् साफ्ट कोक की खान मुहाना कीमत रु० 175/–प्रति टन थी।

(ख) दिनांक 13.2.1981 से कोयले पर स्वामिस्व की दरें रु० 2.50 प्रति टन से लेकर रु० 7/–प्रति टन तक रहीं।

(ग) कैलेंडर वर्ष 1985 के लिए कोल इंडिया लि० का राज्यवार औसत मासिक उत्पादन नीचे दिया गया है :—

राज्य का नाम	कुल उत्पादन (मि० टन में)	मासिक दर (मि० टन में)
पश्चिम बंगाल	19.08	1.59
बिहार	49.47	4.12
मध्य प्रदेश	41.33	3.44
महाराष्ट्र	10.80	0.90
उड़ीसा	5.51	0.46
उत्तर प्रदेश	3.59	0.30
असम	0.83	0.07
कुल	130.61	10.88

(घ) कोयले पर स्वामिस्व बढ़ाने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों ने अनुरोध किया है।

केरल के लिए आशयपत्रों/औद्योगिक लाइसेंसों हेतु, विचाराधीन आवेदन

1272. **श्री टी० बशीर** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य सरकार द्वारा केरल के लिये सिफारिश किए गए आशयपत्रों/औद्योगिक लाइसेंसों सम्बन्धी कितने आवेदन सरकार के विचाराधीन है;

(ख) उनके नामों का ब्यौरा क्या है;

(ग) आशयपत्रों/औद्योगिक लाइसेंसों के दिए जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) केरल में उद्योगों की स्थापना के लिए उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबन्धों के अधीन आशय पत्रों की मंजूरी के लिये 25-2-1986 को 17 औद्योगिक लाइसेंस आवेदन विचारणा की विभिन्न अवस्थाओं में थे ।

(ख) जब तक सरकार अन्तिम रूप से कोई निर्णय न कर लें तब तक विचाराधीन औद्योगिक लाइसेंस आवेदनों के ब्यौरे प्रकट नहीं किए जाते।

(ग) से (घ) सरकार का यह सतत प्रयत्न रहता है कि सभी निर्णयाधीन औद्योगिक लाइसेंस आवेदन यथाशीघ्र निपटा दिए जाएं । इसका सुनिश्चय करने के लिये प्रक्रियओं को सुप्रवाही बनाया गया है ।

क्षय रोग की औषधियों का उत्पादन और आयात

1273. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्ष के दौरान क्षय रोग की औषधियों का वर्षवार कितना आयात किया गया है;

(ख) देश में उनके उत्पादन के लिए क्या संभावनाएं हैं;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ कंपनियों ने इन औषधियों पर भारी अनैच्छिक लाभ कमाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) प्रत्येक औषध पर आधारित प्रत्येक औषधि की क्षमता और पैक के मूल्य निर्धारित किया गया है ?

रसायन और पेट्रोरसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) उपलब्धि की सीमा तक आंकड़े संलग्न **विवरण-I** में दिये गये हैं ।

(ख) देश में पहले से ही टी०बी० निरोधी औषधों का उत्पादन किया जा रहा है ।

(ग) और (घ) फार्मूलेशनों के लिये अनुमेय रिफेम्पासिन के मूल्य तथा वास्तविक आयात मूल्य के बीच अन्तर की वसूली करने के लिए रिफेम्पासिन के फार्मूलेशनों के निर्माताओं को नोटिस जारी किये गये हैं । कानूनी पद्धति के अनुसार वसूली की प्रक्रिया जारी है ।

(ङ) टी०बी० निरोधी फार्मूलेशनों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित लीडर मूल्य का ब्यौरा संलग्न **विवरण-II** में दिया गया है ।

विवरण-I

1982-83, 1983-84 तथा 1984-85 के दौरान आयात किए गए

टी०बी० निरोधी औषध दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	औषध का नाम	निम्न के दौरान आयातित मात्रा		
		1982-83	1983-84	1984-85
		किग्राम०	किग्राम०	किग्राम०
1	2	3	4	5
1.	इथम्बुटोल	14548	2000	शून्य
2.	इथियोनामाइड	25	675	1175
3.	आइसोनियाजिड (आई०एन०एच०)	शून्य	शून्य	12150
4.	मोरफेजिनामाईड	6000	4201	1100
5.	पाइराजिनामाइड	18700	24550	8625
6.	पी०ए०एस० सोडियम साल्ट	शून्य	शून्य	शून्य
ख.	पी०ए०एस० केलसियम साल्ट	शून्य	शून्य	शून्य
7.	रिफेम्पासिन	36897.5	75546	67005 35
8.	स्ट्रेप्टोमाईसिन सल्फेट	8274.31	9704	शून्य

विवरण-II

टी०बी० निरोधी फार्मूलेशनों के लीडर मूल्य

1	2	3	4
आई एन०एच० गोलियां	50 मिग्राम/गोलियां	1000 की बोतल	17.46
		5000 की बोतल	80.67
	100 मिग्राम/गोलियां	100 की बोतल	4.94
		500 का टिन/बोतल	91.35
		1000 की बोतल	35.48
		5000 की बोतल	167.00
	300 मिग्राम/गोलियां	30 की बोतल	4.21
		250 की बोतल/टिन/पता	25 55
		1000 की बोतल	94.71
आई०एन०एच० थियासिटाजोन गोलियां	आई०एन०एच० 75 मिग्राम + थिआसिटाजोन 37.5 मिग्राम	10 × 100 का पता	55.99
		10 का पता	1.79

1	2	3	4
	आई०एन०एच० 300 मिग्राम+थियासिटा-जोन 150 मिग्राम	500 का टिन/बोतल/पता	67.89
		30 की बोतल/पता/ टिन	6.03
		1000 जी बोतल	150.97
	आई०एन०एच० 15[illegible] मिग्राम+थियासिटा-जोन 75 मिग्राम	50 की बोतल/पता/टिन	4.31
		1C0 की बोतल/पता/टिन	9.59
		250 का टिन/बोतल/	18.58
		500 की बोतल/टिन/पता	40.05
पी०ए०एस० ग्रेन्यूल्स	80 प्रतिशत सोडियम पी०ए०एस० ग्रेन्यूल्स	100 ग्राम/टिन/बोतल	15.68
		250 ग्राम/टिन/बोतल	36.96
		1000 ग्राम/टिन/बोतल	142.63
	70 प्रतिशत पी०ए०एस० ग्रेन्यूल्स	100 ग्राम/टिन/बोतल	14.74
		1000 ग्राम/टिन/बोतल	131.32
पी०ए०एस० गोलियां	50 ग्राम सोडियम पी०ए०एस०/गोलियां	100 की बोतल	10 70
		1000 की बोतल	86.[illegible]4
स्ट्रेप्टोमाइसिन इन्जे०	1 मिग्राम/शीशी	1 शीशी	2.77
	0.75 मिग्राम/शीशी	1 शीशी	2.41
केलसियम बेन्जोयल पी०ए०एस० गोलियां	1 मिग्राम/गोलि०	1(0 का टिन/बोतल	20.88
		250 का टिन/बोतल	49.50
		1000 का टिन/बोतल	191.01
	100 मिग्राम/केप०	12 का पता	3.80
इथाम्बुटोल गोलियां	800 मिग्राम/गोलि०	6 का पता/बोतल	7.80
		10 का पता/बोतल	12.02
		12 का पता/बोतल	15.41
	600 मिग्राम/गोलियां	6 का पता/बोतल	5.99
		10 का पता/बोतल	9.81
		12 का पता/बोतल	11.77
	400 मिग्राम/गोलि०	10 का पता/बोतल	6.76
		6 का पता/बोतल	4.18
	2C0 मिग्राम/गोलि०	10 का पता/बोतल	4.18
		6 का पता/बोतल	2.37

(.. जारी)

1	2	3	4
आई०एन०एच०+पी०ए०एस० ग्रेन्यूल्स	2.33 मिग्राम आई०एन०एच०	100 ग्राम टिन/बोतल	24.16
	77.79 मिग्राम पी०ए०एस० सोडियम	100 ग्राम टिन/बोतल	221.70
	2.5 प्रतिशत आई०एन०एच०	100 ग्राम टिन/बोतल	24.74
	7 प्रतिशत पी०ए०एस० सोडियम	250 ग्राम टिन/बोतल	58.58
		1000 ग्राम टिन/बोतल	219.30
	2 प्रतिशत आई०एन०एच०+80 प्रतिशत सोडि० पी०ए०एस०	100 ग्राम टिन	24.36
आई०एन०एच०+पी०ए०एस० गोलियां	2.50 मिग्राम आई०एन०एच०	100 का टिन/बोतल/पता	25.92
		500 का टिन/बोतल/पता	116.52
	8.50 मिग्राम पी०ए०एस० सोडि० गोलियां	1000 का टिन/बोतल/पता	227.24
	25 मिग्राम आई०एन०एच०	100 की बोतल	25.42
	834 मिग्राम पी०ए०एस० सोडि०/गोलियां	1000 की बोतल/टिन/पता	234.56
आई०एन०एच०+केल्सियम बी० पी०ए०एस० गोलियां	1 ग्राम केल०बी० पी०ए०एस०, 25	100 की बोतल/टिन/पता	29.56
	मिग्राम आई०एन०एच०/गोलियां	250 की बोतल/टिन/पता	70.36
		1000 की बोतल/टिन/पता	274.00
आई०एन०एच०+केल० बी० पी०ए०एस०+विटा० बी० गोलियां	1 ग्राम केल० बी० पी०ए०एस० 50 मिग्राम आई०एन०	100 का टिन/बोतल/पता	31.04
	एच० 2.5 मिग्राम विटा० बी० 6	250 का टिन/बोतल/पता	73.30
		1000 की टिन/बोतल/पता	287.72

1	2	3		4
फोरफाजिनामाइड गोलियां		500 मिग्राम/गोलियां	10 का पता/बोतल	8.66
पाईराजिनामाईड गोलियां		500 मिग्राम/गोलियां	1 का पता	15.30
रिफेम्पासिन कैप्स्यूल		150 मिग्राम/केप	4 की शीशी/पता	4.30
			12 की बोतल/पता	11.05
			100 की बोतल	85.45
		300 मिग्राम/केप	4 का पता/बोतल	7.20
			100 की बोतल	155.98
		450 मिग्राम/केप	3 का पता/बोतल	6.93

तेल खोज मंत्रणा समिति की स्थापना

1274. **श्री एन० डेनिस : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयल इण्डिया लिमिटेड की खोज सम्बन्धी नीतियों के निरीक्षण के लिये तेल खोज मंत्रणा समिति की स्थापना का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो सलाहकार समिति का गठन शक्तियां और कृत्य क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

"स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड" का कार्य निष्पादन

1275. **श्री सनत कुमार मंडल : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने किसी स्तर पर यह जांच की है कि सरकारी क्षेत्र का उपक्रम "स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड" अपने बड़े-बड़े वायदों को पूरा क्यों नहीं कर सका;

(ख) यदि हां, तो इसकी निराशाजनक कार्य निष्पत्ति और किसी भी स्तर पर सक्षम यूनिट न बन पाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या अब इसे बेचा जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र में भारत के एकमात्र दो और तिपहिया स्कूटर निर्माण यूनिट की प्रस्तावित बिक्री के क्या कारण हैं; और

(ङ) कौन-कौन सी पार्टियां इसका नियंत्रण अपने हाथ में लेना चाहती हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) से (ङ) स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड को घाटा होने के निम्नलिखित मुख्य कारण हैं :—

(1) उत्पादन में रुकावटों के कारण क्षमता का कम उपयोग;

(2) उपभोक्ता द्वारा अन्य मेकों के स्कूटरों का पसन्द किया जाना;

(3) निरन्तर हानियों के कारण नकदी की खराब हालत।

स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड को जीव्य एकक बनाने की दृष्टि से पुनर्गठन के प्रश्न पर ध्यान दिया गया है तथा मामले पर विचार किया जा रहा है।

स्टैपल फाइबर और फिलामेंट पालिस्टर यार्न बनाने वाले उद्योग को लाइसेंस मुक्त करना

1276. **श्री सनत कुमार मंडल : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में स्टैपल फाइबर और फिलामेंट पालिस्टर यार्न बनाने वाले उद्योग को लाइसेंस मुक्त करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उन निर्माण एककों के नाम क्या हैं जिन्हें पहले लाइसेंस युक्त किया गया था और उनकी फाइबर और यार्न की उत्पादन क्षमता कितनी है और कौन से एककों को कच्चे माल के रूप में टी०पी०ए० का प्रयोग करने की अनुमति दी गई थी;

(घ) क्या यह उद्योग बहुत अधिक लाभोन्मुखी है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने पूरे मानव निर्मित फाइबर उद्योग की लागत लेखा परीक्षा के आदेश दिए थे और उसके निष्कर्ष क्या हैं; और

(च) इस सम्बन्ध में औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो की रिपोर्ट पर सरकार प्रतिक्रिया क्या है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) पालिस्टर स्टैपल फाइबर तथा पालिस्टर फिलामेन्ट यार्न एककों के नाम तथा उनकी लाइसेंस प्राप्त क्षमता दर्शाने वाला **विवरण** संलग्न है। पालिस्टर के उत्पाद के लिए डी०एम० टी० और पी०टी०ए० वैकल्पिक कच्चे माल हैं।

(घ) इस उद्योग का लाभ विभिन्न पहलुओं पर निर्भर करता है और समय-समय पर भिन्न होता है।

(ङ) और (च) औद्योगिक लागत और मूल्य कार्यालय को पालिस्टर स्टैपल फाइबर के संबंध में अध्ययन करने को कहा गया है। रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

विवरण

पालिस्टर स्टैपल फाइबर

क्रमांक	एकक का नाम	स्थान	क्षमता (टन/वार्षिक)
1	2	3	4
1.	मै० अहमदाबाद मैन्युफैक्चरिंग एण्ड कैलिको प्रिंटिंग कं० लि०, बड़ौदा	गुजरात	12.200
2.	मै० इण्डियन एक्सप्लोसिब्स लि०, बंबई	महाराष्ट्र	10,000
3.	मै० इण्डियन ओर्गेनिक कैमिकल्स लि०, बंबई	तमिलनाडु	12,200
4.	मै० जे०के० सिन्थेटिक्स लि०, नई दिल्ली	राजस्थान	12,000
5.	मै० स्वदेशी पोलिटेक्स लि०, गाजियाबाद	उत्तर प्रदेश	6,100
6.	मै० रिलिएन्स इण्डस्ट्रीज लि०, बम्बई	महाराष्ट्र	45,000

1	2	3	4
7.	मै० बोंगाईगांव रिफाइनरी एण्ड पेट्रो कैमिकल्स लि०	आसाम	30,000
8.	मै० इण्डिया पोलिफाइवर लि०, लखनऊ	उत्तर प्रदेश	15,000
9.	मै० मध्य प्रदेश फाइवर लि० भोपाल	मध्य प्रदेश	15,000
10.	मै० उड़ीसा सिन्थेसिस लि० भुवनेश्वर	उड़ीसा	15,000
	पोलिस्टर फिलामेन्ट यार्न		
1.	मै० बड़ौदा रेयन कार्पो० लि०, बड़ौदा	गुजरात	1,777
2.	मै० सेन्चुरी इन्का लि०, पुना	महाराष्ट्र	6,540
3.	मै० गारवेरे नाइलोन्स लि०, बम्बई	महाराष्ट्र	1,710
4.	मै० जे०के० सिन्थेटिक्स लि०, नई दिल्ली	राजस्थान	6,960
5.	मै० मोदीपोन लि०, मोदीनगर	उत्तर प्रदेश	1,723
6.	मै० निरलोन सिन्थेटिक्स फाइवर एण्ड कैमिकल लि०, बम्बई	महाराष्ट्र	2,655
7.	मै० ओरके सिल्क मिल्स प्रा०लि०, बम्बई	महाराष्ट्र	6,000
8.	मै० पेट्रोफिल्स कोपरेटिव लि०, बड़ौदा	गुजरात	9,000
9.	मै० रिलिएन्स इण्डस्ट्रीज लि०, बम्बई	महाराष्ट्र	25,125
10.	मै० श्री सिन्थेटिक लि०, उज्जैन	मध्य प्रदेश	2,056

कलकत्ता में फार्मास्युटिकल्स क्षेत्र के लिए एक पृथक् निगम

1277. **श्री सनत कुमार मंडल : क्या उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में फार्मास्युटिकल क्षेत्र के केन्द्रीय सरकार के तलन उद्यमों को एक प्रथम निगम के अन्तर्गत लाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित निगम की विस्तृत रूपरेखा क्या है; और

(ग) वह इनके कार्यों को किस प्रकार समेकित करेगा और उनके उत्पादों का विपणन किस प्रकार करेगा ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) फिलहाल कोई ठोस प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

दूर संचार विभाग की वित्तीय स्वायत्तता

1278. **श्री के० प्रधानी : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूर संचार विभाग ने अधिक वित्तीय स्वायत्तता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या बदले में इस विभाग का विचार उसके अंतर्गत आने वाले विभिन्न दूर संचार सर्किलों को और स्वायत्तता देने का है; और

(घ) यदि हां, तो कहां तक ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

खाना पकाने की गैस के सिलेंडरों के निर्माण के लिए दीर्घकालीन नीति

1279. **श्री सैयद मसुदल हुसैन :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाना पकाने की गैस के सिलेण्डरों के निर्माण के लिए कोई दीर्घ-कालीन नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उक्त नीति कब तक कार्यान्वित किये जाने की सम्भावना है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) से (ग) गत समय में मांग की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, देश में एल०पी०जी० सिलेण्डरों के निर्माण करने की क्षमता में काफी वृद्धि हुई है। इस समय एल० पी० जी० सिलेण्डरों की वार्षिक आवश्यकता अनुमानतः 45 से 50 लाख के आस-पास है और निकट भविष्य में मांग को देश में पहले से ही अधिष्ठापित निर्माणकारी सुविधाओं से पूरा किया जा सकता है।

खाना पकाने की गैस के सिलेंडरों के निर्माण के लिए मंजूर किये गये संयंत्र

1280. **श्री सैयद मसुदल हुसैन :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आगामी वर्षों में खाना पकाने की गैस के सिलेण्डरों की मांग में काफी वृद्धि होने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या मांग में सम्भावित वृद्धि को खाना पकाने की गैस के सिलेण्डरों का निर्माण करने वाले वर्तमान संयंत्र पूरा कर सकेंगे अथवा इस हेतु शीघ्र ही खाना पकाने की गैस के सिलेण्डरों के निर्माण के लिए नए संयंत्र मंजूर किये जाएंगे; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) से (ग) एल० पी०जी० सिलेण्डरों की वार्षिक आवश्यकता अब 45 से 50 लाख के आसपास है। पहले की अधिष्ठापित क्षमता सहित एल०पी०जी० सिलेण्डरों की मांग को भविष्य में स्वदेशी स्रोतों से ही पूरा किये जाने की सम्भावना है।

डाकघरों में कम्प्यूटर द्वारा नियंत्रित काउन्टर मशीनों का लगाया जाना

1281. **श्री बी० वी० देसाई**
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही } : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाकघरों में विभिन्न प्रकार की उपभोक्ता सेवाओं के लिए कम्प्यूटर द्वारा नियंत्रित काउन्टर मशीनें लगाई जायेंगी;

(ख) यदि हां, तो इन मशीनों के कब से कार्य करना आरम्भ कर देने की सम्भावना है;

(ग) क्या इन मशीनों के लगाये जाने से मनीआर्डर जारी करने और अदा करने का जल्दी और सही हिसाब-किताब रखने में मदद मिलती है;

(घ) यदि हां, तो क्या पंजीकृत पत्रों का त्वरित वितरण सुनिश्चित करने के लिए बीजक बनाने की एक नई प्रणाली शुरू की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो डाक विभाग की गतिविधियों में सुधार लाने और उनका आधुनिकीकरण करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) डाकघरों में ग्राहक सेवा के लिए माइक्रो-प्रॉसेसर पर आधारित काउंटर मशीनें चालू करने का प्रस्ताव है। देश में ऐसी मशीनों का उपयुक्त और संतोषजनक प्रॉटोटाइप तैयार करने के लिए कुछ विनिर्माताओं के साथ बातचीत शुरू हो गई है।

(ख) ये मशीनें अब तैयार ही होने वाली हैं और इनके प्रारम्भ होने की तारीख बताना कठिन है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (क) और (ख) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि इन मशीनों का अभी उपयोग नहीं किया गया है।

(ङ) मनीआर्डर पेयरिंग कार्य और अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवा लेखा कार्य के लिए मद्रास और दिल्ली के डाक लेखा कार्यालयों में कम्प्यूटर चालू करने का निर्णय ले लिया गया है तथा कम्प्यूटर लगाने के लिए आदेश दे दिया गया है। कर्नाटक डाक सर्किल में डाक जीवन बीमा कार्य के कम्प्यूटरीकरण की परियोजना अपने अंतिम चरण में है।

डाक का तेजी से संचालन करने के लिए बंबई में इंटीग्रेटेड मेल प्रॉसेसिंग सिस्टम स्थापित करने का भी निर्णय ले लिया गया है। इसके लिए परामर्शी कार्य टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स इण्डिया लि० को सौंपा गया है। परियोजना रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

आटोमेटिक ढंग से डाक शुल्क अंकित की सुविधा प्रदान करने के लिए डाकघर काउंटरों में डिजिटल मापक स्केल चालू करने के प्रस्ताव पर भी काफी काम हो चुका है।

उड़ीसा के पिछड़े क्षेत्रों में बड़े औद्योगिक गृहों द्वारा स्थापित छोटे औद्योगिक यूनिट

1282. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बड़े औद्योगिक गृहों/विदेशी फार्मों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान स्थापित छोटे औद्योगिक यूनिटों और उनके कार्य प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में राज्य-वार ब्योरा क्या है; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा के पिछड़े क्षेत्रों में ऐसे कितने छोटे औद्योगिक यूनिट स्थापित किये गये ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) और (ख) सरकार द्वारा 16 फरवरी, 1973 को जारी आदेश के अनुसार कोई लघु/आनुषंगिक उपक्रम किसी अन्य उपक्रम का सहायक अथवा स्वामित्वाधीन अथवा नियन्त्रित नहीं होगा। तथापि, सरकार को लघु क्षेत्रों के लिए आरक्षित क्षेत्रों में बड़े/मझौले एककों विस्तार/प्रवेश करने के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं और इन शिकायतों की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है।

पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर में खाना पकाने की गैस के सिलेंडरों के निर्माण एकक को स्वीकृति

1283. डा० सुधीर राय : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को इस बात की जानकारी है कि पश्चिम बंगाल में खाना पकाने की गैस के सिलेण्डरों के निर्माण एकक के न होने के कारण राज्य को खाना पकाने की गैस के सिलेण्डरों की कमी की गम्भीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या दुर्गापुर में खाना पकाने की गैस के सिलेण्डरों का एक पूर्ण रूपेण सज्जित निर्माण एकक निर्माण आरम्भ करने के लिए सरकार की स्वीकृति की प्रतीक्षा में है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) से (ग) पश्चिम बंगाल राज्य में मैसर्स बंगाल टूल्स लिमिटेड, दुर्गापुर सहित एल०पी० जी० सिलेंडरों के निर्माण करने वाले एकक हैं। इन एककों में एल० पी० जी० सिलेंडरों का उत्पादन मुख्यत: तेल कम्पनियों के क्रयादेशों पर निर्भर करता है।

खाना पकाने की गैस के सिलेंडरों का निर्माण

1284. श्री पूर्ण चन्द्र मलिक : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पिछले तीन वर्षों में खाना पकाने की गैस के कुल कितने सिलेण्डरों का निर्माण किया गया;

(ख) इसी अवधि के दौरान कुल आवश्यकता कितनी थी;

(ग) आवश्यकता और निर्माण के बीच यदि कोई अन्तर है तो वह कितना है;

(घ) इस अन्तर के क्या कारण हैं; और

(ङ) कमी को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) पिछले तीन वर्षों में संगठित क्षेत्र में एल०पी०जी० सिलेण्डरों का उत्पादन निम्न प्रकार हुआ है :—

1983	19.45 लाख नग
1984	32.94 लाख नग
1985	19.63 लाख नग

(ख) से (ङ) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

रानीगंज को भूमि में धंसने से बचाना

1285. **श्री पूर्ण चन्द्र मलिक :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रानीगंज तथा उसके आसपास के क्षेत्रों को धंसने से बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस उपाय किए गए हैं; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) राष्ट्रीयकरण से पहले के दिनों में कोयले के भंडारों का अवैज्ञानिक दोहन करने के कारण, रानीगंज कोयला क्षेत्र की कुछ बस्तियों में भूमि के धंसाव की समस्या आ गई है। धंसाव से उत्पन्न समस्याओं से निबटने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार, आसनसोल-दुर्गापुर विकास प्राधिकरण और ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

(1) कानून के अंतर्गत आबादी के लिए असुरक्षित घोषित क्षेत्रों पर निर्माण-कार्य का निषेध;

(2) खान अधिनियम तथा नियम, विनियम और उनके अधीन बनाए गए उप-नियमों को कड़ाई से लागू कराना;

(3) प्रभावित क्षेत्रों में पिलर हटाने की अनुमति देते समय, खान-सुरक्षा महानिदेशक द्वारा लगाई गई शर्तों का कड़ाई से पालन;

(4) सतह के "पॉट-होलों" का भराव; और

(5) बोर होलों के जरिए रेत-भराई और जल-स्लरी जैसी नई प्रणालियों से भूमिगत, कार्य-स्थलों को स्थिर करना और भू-भौतिक प्रणालियों द्वारा इस प्रौद्योगिकी की उपयोगिता की जांच। रामजीवनपुर में पायलट-परीक्षण कार्य का काम चल रहा है और यदि यह सफल रहा तो इसे अन्य क्षेत्रों में भी अपनाया जाएगा।

खाना पकाने की गैस के सिलेंडरों के निर्माता एककों द्वारा निर्माण कार्य न करना

1286. **श्री पूर्ण चन्द्र मलिक :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) खाना पकाने की गैस के ऐसे सिलेण्डरों संयंत्रों का राज्यवार ब्यौरा क्या है जो खाना पकाने की गैस के सिलेण्डरों का निर्माण नहीं कर रहे हैं;

(ख) निर्माण न करने के क्या कारण हैं;

(ग) इन एककों को पुनः चालू करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं, तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उसके क्या परिणाम निकले ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) से (घ) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

खाना पकाने की गैस के सिलेंडरों के निर्माण के लिए जारी किये गये लाइसेंस

1287. **श्री पूर्ण चन्द्र मलिक** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पिछले दस वर्षों के दौरान खाना पकाने की गैस के सिलेण्डरों की कितनी परियोजनायें स्वीकृत की गई हैं;

(ख) उन क्षेत्रों के नाम क्या हैं जहां ये परियोजनायें स्वीकृत की गई हैं;

(ग) क्या यह सच है कि उनमें से अधिसख्या यूनिटें बन्द हो रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो उन परियोजनाओं के बन्द होने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) से (घ) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

विदेशी सहयोग

1288. **सैयद शाहबुद्दीन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985 के दौरान कितने विदेशी सहयोगों को स्वीकृति प्रदान की गई है;

(ख) देश-वार उनके सहयोग का ब्यौरा क्या है;

(ग) औद्योगिक क्षेत्र-वार उनका ब्यौरा क्या है;

(घ) भारत में राज्य-वार उनके स्थानों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वर्ष 1983 तथा 1984 के लिए उनकी संगत सख्या क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) से (ङ) सरकार ने वर्ष 1983, 1984 तथा 1985 में विदेशी सहयोग के लिये क्रमश: 673, 752 और 1024 प्रस्ताव अनुमोदित किये है। सभी विदेशी सहयोगों के संबंध में भारतीय तथा विदेशी फर्म का नाम उत्पादन की वस्तु तथा सहयोग की किस्म के बारे में संबंधित ब्यौरे भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा अपने "मन्थली न्यूज लेटर" के एक पूरक के रूप में त्रैमासिक आधार पर प्रकाशित किये जाते हैं। इस प्रकाशन की प्रतियां संसद पुस्तकालय को नियमित रूप से भेजी जाती हैं।

भारतीय तेल निगम द्वारा खोली गई नई पेट्रोल तथा गैस एजेन्सियां

1289. **सैयद शाहबुद्दीन** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985 के दौरान भारतीय तेल निगम द्वारा खोली गई नयी पेट्रोल एवं गैस एजेंसियों तथा बिक्री केन्द्रों की संख्या कितनी है;

(ख) वे राज्यवार किन-किन स्थानों पर स्थित हैं;

(ग) श्रेणी-वार कितनी एजेन्सियां विशेष श्रेणियों को दी गई हैं; और

(घ) एजेन्सियों का श्रेणीवार ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) वर्ष 1985 के दौरान आई० ओ० सी० द्वारा चालू की गई एल० पी० जी० वितरणशिप, खुदरा बिक्री केन्द्र (पेट्रोल/डीजल) डीलरशिप तथा एस०के०ओ०—एल०डी०ओ० एजेन्सियों की संख्या इस प्रकार है :—

एल०पी०जी० वितरणशिप	278
खुदरा बिक्री केन्द्र (पेट्रोल/डीजल)	150
एस०के०ओ०/एल०डी०ओ० एजेन्सियां	79

(ख) से (घ) संलग्न **विवरण** में अपेक्षित सूचना दी गई है।

विवरण

एल०पी०जी० वितरणशिप

क्रम सं०	स्थान	राज्य	श्रेणी
1	2	3	4
1.	करीमनगर	आन्ध्र प्रदेश	ओपन
2.	नीजामाबाद	—वही—	यू जी
3.	तदपात्री	—वही—	ओपन
4.	अदोनी	—वही—	ओपन
5.	जगदयाल	—वही—	ओपन
6.	मिरयालगुण्डा	—वही—	यू जी
7.	विशाखापत्तनम	—वही—	एस टी
8.	दुण्डीगल	—वही—	सरकारी प्रोजेक्ट
9.	सिकन्दराबाद	—वही—	मंत्रालय नोमीनी
10.	अनकापल्ले	—वही—	एस टी
11.	मरकापुर	—वही—	पी एच
12.	तदेपालीगुडम	—वही—	एस सी
13.	विजयवाड़ा	—वही—	पी एच
14.	हैदराबाद/सिकन्दराबाद	—वही—	ओपन
15.	विजयापुरी	—वही—	सरकारी प्रोजेक्ट
16.	वलतेयर	—वही—	सरकारी प्रोजेक्ट
17.	रामाकृष्णापुर	—वही—	सरकारी प्रोजेक्ट
18.	येरागुंटला	—वही—	सरकारी प्रोजेक्ट
19.	वोषान	—वही—	सरकारी प्रोजेक्ट
20.	विशाखापत्तनम	—वही—	ओपन
21.	सिकन्दराबाद	—वही—	एस सी
22.	खमाम	—वही—	ओपन

1	2	3	4
23.	गोदावरी खानी	आन्ध्रप्रदेश	सरकारी प्रोजेक्ट
24.	नरासारोपेत	—वही—	पी एच
25.	इलूर	—वही—	यू जी
26.	विशाखापत्तनम	—वही—	सरकारी प्रोजेक्ट
27.	विशाखापत्तनम	—वही—	सरकारी प्रोजेक्ट
28.	हैदराबाद/सिकन्दराबाद	—वही—	ओपन
29.	पुनगनौर	—वही—	एस सी
30.	कडुकुर	—वही—	यू जी
31.	सत्तेनापल्ली	आन्ध्र प्रदेश	पी एच
32.	कदीगामा	—वही—	पी एच
33.	कोराटला	—वही—	पी एच
34.	सरसिल्ला	—वही—	एस सी
35.	हैदराबाद/सिकन्दराबाद	—वही—	एस सी
36.	मंचेरियल	—वही—	ओपन
37.	विशाखापत्तनम	—वही—	एस सी
38.	सलूर	—वही—	पी एच
39.	वरांगल	—वही—	एफ एफ
40.	हैदराबाद/सिकन्दराबाद	—वही—	एस सी
41.	वोकहाट	असम	पी एच
42.	विशवानाथ चारली	—वही—	यू जी
43.	दिफु	—वही—	एस टी
44.	धेमाजी	—वही—	एस टी
45.	तेंगा वाली	अरुणाचल प्रदेश	सरकारी प्रोजेक्ट
46.	भागापुर	बिहार	पी एच
47.	झुमरी तलयाल	—वही—	यू जी
48.	जमुई	—वही—	ओ पी
49.	पटना	—वही—	एफ एफ
50.	पटना	—वही—	डी जी आर
51.	चण्डीगढ़	चण्डीगढ़	एस सी
52.	चण्डीगढ़ कैम्ट	—वही—	सरकारी प्रोजेक्ट
53.	दिल्ली	दिल्ली	ओ पी
54.	दिल्ली	—वही—	मंत्रालय नोमीनी
55.	दिल्ली	—वही—	मंत्रालय नोमीनी
56.	दिल्ली	—वही—	मंत्रालय नोमीनी
57.	दिल्ली	—वही—	ओ पी
58.	दिल्ली	—वही—	यू जी

1	2	3	4
59.	दिल्ली	—वही—	ओ पी
60.	दिल्ली	—वही—	ओ पी
61.	दिल्ली	—वही—	मंत्रालय नोमीना
62.	दिल्ली	—वही—	डी जी आर
63.	दिल्ली	—वही—	डी जी आर
64.	दिल्ली	—वही—	सरकारी उपक्रम
65.	अहमदाबाद	गुजरात	यू जी
66.	हाजीरा	—वही—	सरकारी प्रोजेक्ट
67.	फर्टिलाईजरनगर (बड़ौदरा)	—वही—	सरकारी प्रोजेक्ट
68.	धुवरान	गुजरात	सरकारी प्रोजेक्ट
69.	कस्तुरीनगर	—वही—	सरकारी प्रोजेक्ट
70.	माल्व	—वही—	यू जी
71.	सूरत	—वही—	एस टी
72.	वोतड	—वही—	ओपन
73.	धरनगाधरा	—वही—	ओपन
74.	अहमदाबाद	—वही—	एफ एफ
75.	अहमदाबाद	—वही—	एस सी
76.	लीमदी	—वही—	ओपन
77.	अहमदाबाद	—वही—	पी एच
78.	अहमदाबाद	—वही—	पी एच
79.	तल ब्यारा	—वही—	सरकारी प्रोजेक्ट
80.	अहमदाबाद	—वही—	एस टी
81.	भावनगर	—वही—	एस टी
82.	वदोदरा	—वही—	पी एच
83.	दवारका	—वही—	ओपन
84.	वदोदरा	—वही—	एस सी
85.	अपलेटा	—वही—	ओपन
86.	पलीताना	—वही—	यू जी
87.	अंगरोम	—वही—	ओपन
88.	केशोद	—वही—	पी एच
89.	मंदवी	—वही—	ओपन
90.	सोनीपत	हरियाणा	ओ पी
91.	पंचकुला	—वही—	ओ पी
92.	कालका	—वही—	ओ पी
93.	यमुनानगर	—वही—	ओ पी
94.	सोनीमत	—वही—	एस सी

1	2	3	4
95.	हिसार	—वही—	ओ पी
96.	बहादुरगढ़	—वही—	ओ पी
97.	फरीदाबाद	—वही—	डी जी आर
98.	जगाधरी	—वही—	एस सी
99.	डलहौजी	हिमाचल प्रदेश	ओ पी
100.	कुल्लू	—वही—	ओ पी
101.	परवाणु	—वही—	यू जी
102.	पौंटा साहिब	—वही—	ओ पी
103.	जम्मू	जम्मू और काश्मीर	मंत्रालय नोमीनी
104.	श्रीनगर	—वही—	ओ पी
105.	शाबाबाद	कर्नाटक	एस सी
106.	सुलवगरा	—वही—	पी एच
107.	तिपतुर	—वही—	ओपन
108.	कुमता	—वही—	यू जी
109.	भतकल	—वही—	ओपन
110.	बिदर	—वही—	सरकारी प्राजेक्ट
111.	बेलगाम	—वही—	एफ एफ
112.	लक्मेश्वर	—वही—	ओपन
113.	भदरावती	—वही—	पी एच
114.	शाहपुर	—वही—	ओपन
115.	नरगुण्ड	—वही—	ओपन
116.	बंगलौर	—वही—	एक्स—सर्विसमैन
117.	कुंडार	—वही—	एस सी
118.	मंगलौर	—वही—	एस सी
119.	कोचीन	केरल	एस सी
120.	चेनगन्नुर	—वही—	यू जी
121.	कोटायाम	—वही—	यू जी
122.	कुण्डरा	—वही—	एस सी
123.	कोचीन	—वही—	सरकारी प्रोजेक्ट
124.	कुन्नामकुलम	—वही—	ओपन
125.	अत्तीनगल	—वही—	यू जी
126.	परूमवावूर	—वही—	ओपन
127.	मुंडाकयाम	—वही—	पी एच
128.	परूर	—वही—	यू जी
129.	अनगाम्मली	—वही—	ओपन
130.	एट्टुमनौर	—वही—	पी एच

1	2	3	4
131.	चवारा/करुणागापल्ली	केरल	एस सी
132.	कोचीन	—वही—	यू जी
133.	त्रिरुवल्ला	—वही—	पी एच
134.	कोडुनगाल्लूर	—वही—	पी एच
135.	शौरानौर	—वही—	यू जी
136.	त्रिवेन्द्रम	केरल	एफ एफ
137.	पोनानी	—वही—	एस सी
138.	वारकला	—वही—	ओपन
139.	भिलाई	मध्य प्रदेश	पी एच
140.	राजनन्दगांव	—वही—	यू जी
141.	जगदलपुर	—वही—	एस टी
142.	चिरीमिरी	—वही—	सरकारी प्रोजेक्ट
143.	महासामुंड	—वही—	ओ पी
144.	रायपुर	—वही—	पी एच
145.	इन्दौर	—वही—	मंत्रालय नोमीनी
146.	परासिया	—वही—	एस सी
147.	भोपाल	—वही—	सरकारी प्रोजेक्ट
148.	उज्जैन	—वही—	एस सी
149.	रोपेलपुर	—वही—	सरकारी प्रोजेक्ट
150.	दमोह	—वही—	ओ पी
151.	पिपारिया	—वही—	यू जी
152.	देवास	—वही—	यू जी
153.	बरवानी	—वही—	एस टी
154.	ग्वालियर	—वही—	पी एच
155.	इन्दौर	—वही—	पी एच
156.	भोपाल	—वही—	एस सी
157.	दबरा	—वही—	पी एच
158.	अमरावती	महाराष्ट्र	एस टी
159.	नागपुर	—वही—	ओ पी
160.	उमरेद	—वही—	यू जी
161.	नागपुर	—वही—	सरकारी प्रोजेक्ट
162.	चन्द्रापुर	—वही—	सरकारी प्रोजेक्ट
163.	वरंगांव	—वही—	सरकारी प्रोजेक्ट
164.	तुली	नागालैंड	सरकारी प्रोजेक्ट
165.	राजगंगपुर	उड़ीसा	पी एच
166.	पटियाला	पंजाब	यू जी

1	2	3	4
167.	लुधियाना	पंजाब	यू जी
168.	रोपड़	—वही—	सरकारी प्रोजेक्ट
169.	पटियाला	—वही—	पी एच
170.	पटियाला	—वही—	यू जी
171.	जालन्धर	—वही—	ओ पी
172.	जालन्धर	—वही—	मंत्रालय नोमीनी
173.	पठानकोट	—वही—	सरकारी प्रोजेक्ट
174.	नंगल	—वही—	ओ पी
175.	पठानकोट	—वही—	ओ पी
176.	ससनगर	—वही—	ओ पी
177.	लुधियाना	—वही—	पी एच
178.	बरसी	—वही—	मंत्रालय नोमीनी
179.	जलियावाला बाग गोल्डन टेम्पल	—वही—	मंत्रालय नोमीनी
180.	जालन्धर	—वही—	यू जी
181.	हलवारा	—वही—	सरकारी प्रोजेक्ट
182.	हिंडन	राजस्थान	यू जी
183.	खेतरीनगर	—वही—	सरकारी प्रोजेक्ट
184.	मद्रास	तमिलनाडु	ओ पी
185.	मद्रास	—वही—	पी एच
186.	मद्रास	—वही—	पी एच
187.	मद्रास	—वही—	एफ एफ
188.	मद्रास	—वही—	यू जी
189.	मद्रास	—वही—	ओपन
190.	विरुघाचलम	—वही—	ओपन
191.	मद्रास	—वही—	ओपन
192.	मद्रास	—वही—	ओपन
193.	पल्लीपालयम	—वही—	एस सी
194.	कोयम्बटूर	—वही—	एस सी
195.	तमवारम	—वही—	सरकारी प्रोजेक्ट
196.	मद्रास	—वही—	ओपन
197.	कंचीपुरम	—वही—	ओपन
198.	मद्रास	—वही—	एफ एफ
199.	कोवीलपट्टी	—वही—	ओपन
200.	मोहनुर	—वही—	सरकारी प्रोजेक्ट
201.	आबाद	तमिलनाडु	सरकारी प्रोजेक्ट
202.	तेनकासी/कोर्टालम/शेनकोच	—वही—	ओपन

1	2	3	4
203.	तिरुवरूर	तमिलनाडु	एस सी
204.	मद्रास	—वही—	एफ एफ
205.	कुरीचची	—वही—	एफ एफ
206.	सरकाली	—वही—	एस सी
207.	मद्रास	—वही—	यू जी
208.	मेलुर	—वही—	यू जी
209.	मरथानडम/कुजहीथुराय	—वही—	ओपन
210.	मद्रास	—वही—	पी एच
211.	मद्रास	—वही—	ओपन
212.	पटटुकेट्टायम	—वही—	पी एच
213.	मद्रास	—वही—	पी एच
214.	मद्रास	—वही—	मंत्रालय नोमीनी
215.	कालकुरीची	—वही—	यू जी
216.	तिरुची	—वही—	एक्स-सर्विसमैन
217.	तिरुची	—वही—	एक्स-सर्विसमैन
218.	तिरुची	—वही—	एक्स-सर्विसमैन
219.	नगरकोयल	—वही—	एस सी
220.	खडीया	उत्तर प्रदेश	सरकारी उपक्रम
221.	वृन्दावन	—वही—	ओ पी
222.	आगरा	—वही—	यू जी
223.	गोरखपुर	—वही—	सरकारी उपक्रम
224.	सहारनपुर	—वही—	यू जी
225.	फेजाबाद	—वही—	एस सी
226.	फतेहगढ़	—वही—	पी एच
227.	कानपुर	—वही—	एस सी
228.	कानपुर	—वही—	ओ पी
229.	मेरठ	—वही—	एस डब्ल्यू/एफ एफ
230.	झांसी	—वही—	यू जी
231.	लखनऊ	—वही—	मंत्रालय नोमीनी
232.	अमेठी	—वही—	मंत्रालय नोमीनी
233.	आगरा	—वही—	सरकारी प्रोजेक्ट
234.	जगदीशपुर	—वही—	सरकारी प्रोजेक्ट
235.	लखनऊ	—वही—	पी एच
336.	खतौली	—वही—	ओ पी
337.	वाराणसी	—वही—	पी एच
238.	वाराणसी	उत्तर प्रदेश	पी एच

1	2	3	4
239.	गोरखपुर	उत्तर प्रदेश	पी एच
240.	देहरादून कैंट	—वही—	सरकारी प्रोजेक्ट
241.	बरेली	—वही—	सरकारी प्रोजेक्ट
242.	इलाहाबाद	—वही—	एस सी
243.	इलाहाबाद	—वही—	पी एच
244.	मुनाथ भांजन	—वही—	यू जी
245.	रिहंदनगर	—वही—	सरकारी प्रोजेक्ट
246.	आगरा	—वही—	डी जी आर
247.	मेरठ	—वही—	डी जी आर
248.	अमरोह	—वही—	ओ पी
249.	लखनऊ	—वही—	एस सी
250.	फर्रुखाबाद	—वही—	ओ पी
251.	मवाना	—वही—	ओ पी
252.	तनकपुर	—वही—	सरकारी उपक्रम
253.	रामनगर	—वही—	सरकारी उपक्रम
254.	लखनऊ	—वही—	डी जी आर
255.	मसूरी	—वही—	सरकारी उपक्रम
256.	नावाद्वीप	पश्चिम बंगाल	एस सी
257.	बोंगांव	—वही—	पी एच
258.	कलकत्ता	—वही—	ओ पी
259.	अलीपुरद्वार	—वही—	एस टी
260.	रानाघाट	—वही—	एस सी
261.	कोलाघाट	—वही—	सरकारी प्रोजेक्ट
262.	कलकत्ता	—वही—	एफ एफ
263.	वीनागुरी	—वही—	ओ पी
264.	कालीमबोंग	—वही—	एस टी
265.	बलुरघाट	—वही—	एस सी
266.	जनगीपुर	—वही—	यू जी
267.	संतलदीह	पश्चिम बंगाल	सरकारी प्रोजेक्ट
268.	झरगरेम	—वही—	एस टी
269.	कलकत्ता	—वही—	यू जी
270.	सरमपुर	—वही—	अपग्रेडेशन
271.	रिसरा	—वही—	अपग्रेडेशन
272.	मल	—वही—	एस टी
273.	तीरबेनी	—वही—	सरकारी प्रोजेक्ट
274.	कलकत्ता	—वही—	एफ एफ
275.	कंडी	—वही—	ओ पी
276.	रामपुरघाट	—वही—	यू जी
277.	कलकत्ता	—वही—	यू जी
278.	धर्मनगर	त्रिपुरा	ओपन

रिटेल आउटलेट
(पेट्रोल/डीजल डीलरशिप)

1	2	3	4
1.	कुथर	उत्तर प्रदेश	एस सी
2.	जलालपुर	—वही—	एस सी
3.	उत्तरीपुरा	—वही—	एस सी
4.	ललितपुर	—वही—	एस सी
5.	राघौली	—वही—	एस सी
6.	संजय कम्पलैक्स, आगरा	—वही—	एस सी
7.	बभानन	—वही—	एस सी
8.	बामहोर	—वही—	ओ पी
9.	लीसघा	—वही—	ओ पी
10.	कुथाहान	—वही—	ओ पी
11.	प्रतापपुर	—वही—	ओ पी
12.	ओसका मंजनपुर	—वही—	ओ पी
13.	हरगांव	—वही—	ओ पी
14.	भटपारनी	—वही—	ओ पी
15.	आगरा फाउंडरी नगर	—वही—	यू जी
16.	करौल	—वही—	यू जी
17.	विसारख	—वही—	यू जी
18.	कुलफार	—वही—	यू जी
19.	गोला बाजार	—वही—	यू जी
20.	नोएडा	—वही—	यू जी
21.	वरसोही	—वही—	यू जी
22.	सिकन्दरपुर	—वही—	पी एच
23.	सुजानगंज	—वही—	पी एच
24.	बड़ौदामेन	राजस्थान	एस टी
25.	मनदना	—वही—	एस सी
26.	बतरू	—वही—	एस सी
27.	पिपारी	—वही—	पी एच
28.	वौरी	—वही—	पी एच
29.	रेखोघर	—वही—	यू जी/यू ई जी
30.	देवलिया	—वही—	ओ पी
31.	संजू	राजस्थान	ओ पी
32.	नैनवा	—वही—	ओ पी
33.	मोहाना	—वही—	एफ एफ
34.	वल्लबगढ़	—वही—	पी एच

1	2	3	4
35.	सलवान	राजस्थान	ओ पी
36.	गौरीवाला चौक	—वही—	एस सी
37.	धाडे	पंजाब	एस सी
38.	तेयोना	—वही—	एस सी
39.	तलवान	—वही—	ओ पी
40.	मुकंदपुर	—वही—	ओ पी
41.	अदमपुर	—वही—	ओ पी
42.	देरापुर	—वही—	ओ पी
43.	सघवान	—वही—	ओ पी
44.	मखु	—वही—	ओ पी
45.	समाधिभाई	—वही—	यू जी
46.	गुलजारपुर	—वही—	यू जी
47.	मुक्तसर	—वही—	पी एच
48.	जालन्धर	—वही—	पी एच
49.	कोट इसे खां	—वही—	पी एच
50.	विलासपुर	हिमाचल प्रदेश	पी एच
51.	रोहरू	—वही—	एस सी
52.	सादिक नगर	दिल्ली	ओ पी
53.	कारगील	जे एण्ड के	ओ पी
54.	राजबन्धु	पश्चिम बंगाल	यू जी
55.	आलमपुर	—वही—	यू जी
56.	कुलाई एन एच हावड़ा	—वही—	यू जी
57.	चन्द्रकोंन रोड	—वही—	यू जी
58.	बानीपरोल	—वही—	यू जी
59.	श्यामसुन्दर	—वही—	यू जी
60.	नाजीरपुर	—वही—	ओ पी
61.	फारक्का	—वही—	ओ पी
62.	सरंगा	—वही—	एस सी
63.	हल्दिया	—वही—	एस सी
64.	एन एच 2 बाई पास	—वही—	एफ एफ
65.	महूआ	बिहार	एस सी
66.	कुद्रा	—वही—	एस सी
67.	खेज़रसराय	—वही—	एस सी
68.	जंदाहा	—वही—	एस सी
69.	वाजीरगंज	—वही—	एस सी
70.	लक्ष्मीपुर	—वही—	यू जी
71.	पुहलपेरसा	—वही—	यू जी

1	2	3	4
72.	पटोरी	हिबार	यू जी
73.	अस्थबान	—वही—	यू जी
74.	तलमोचो	—वही—	यू जी
75.	लालमालिया	—वही—	ओ पी
76.	मीनापुर	—वही—	ओ पी
77.	नावीनगर	—वही—	ओ पी
78.	इबायसी	—वही—	ओ पी
79.	वेसोपथी	—वही—	ओ पी
80.	मुतानी	—वही—	ओ पी
81.	हिलसा	—वही—	ओ पी
82.	बलथार	—वही—	एफ ए
83.	बंकी	उड़ीसा	पी एच
84.	मदनपुर/रामपुर	—वही—	यू जी
85.	मोटोर	—वही—	एस टी
86.	राजखारीयर	—वही—	एस सी
87.	रायपुर एच एच-5	मध्य प्रदेश (ई)	ओ पी
88.	दारिरी	—वही—	यू जी
89.	हिररी	—वही—	यू जी
90.	शिरपुर	महाराष्ट्र	यू जी
91.	सलवी विहार	—वही—	यू जी
92.	नरघाना	—वही—	यू जी
93.	तकली दोकेश्वर	—वही—	यू जी
94.	गोरेगांव इण्डस्ट्रीयल इस्टेट	—वही—	यू जी
95.	जून्नेर	—वही—	ओ पी
96.	पावर वादी	महाराष्ट्र	ओ पी
97.	उचेगांव	—वही—	ओ पी
98.	भिलाद	गुजरात	पी एच
99.	पालनपुर	—वही—	पी एच
100.	मेसांन	—वही—	ओ पी
101.	लिलीया	—वही—	ओ पी
102.	दयोधार	—वही—	यू जी
103.	सुल्तानपुर	—वही—	यू जी
104.	देवगंधावारिया	—वही—	यू जी
105.	विजयनगर	—वही—	यू जी
106.	क्षोताना	—वही—	एस सी
107.	कोषता	—वही—	एस सी

1	2	3	4
108.	वाकल	मध्य प्रदेश (डब्ल्यू)	ओ पी
109.	जवाद	मध्य प्रदेश (डब्ल्यू)	एफ एफ
110.	सुसनेर	—वही—	एस सी
111.	रापुर	आन्ध्र प्रदेश	एस सी
112.	पेदापल्ली	—वही—	एस सी
113.	मुल्लेश्वरम	—वही—	एस सी
114.	कानेकल	—वही—	यू जी
115.	वालाचेरूबू	—वही—	यू जी
116.	थुंगाथुरथी	—वही—	ओ पी
117.	नागसामोदरेम	—वही—	यू जी
118.	नरसापुर	—वही—	यू जी
119.	गाजापथीनागरम	—वही—	पी एच
120.	वादापल्ली	—वही—	ओ पी
121.	यादीकी	—वही—	ओ पी
122.	अमोंगल	—वही—	ओ पो
12३.	हन्नूर	कर्नाटक	ओ पी
124.	हुंगल	—वही—	ओ पी
125.	मुदगल	—वही—	ओ पी
126.	कमलानगर	—वही—	ओ पी
127.	हादागली	—वही—	ओ पी
128.	देवाना हिप्पारी	—वही—	यू जी
129.	सिद्दापुर	—वही—	यू जी
130.	अरकलगुंड	—वही—	यू जी
131.	होलीलूर	—वही—	यू जी
132.	कलघाटची	—वही—	पी एच
133.	चुनचुनकेटा	—वही—	एस सी
134.	अमवुवे	तमिलनाडु	यू जी
135.	सुल्तानपुर	—वही—	यू जी
136.	सोलासीरोमानी	—वही—	पी एच
137.	अधियामानकोटाई	—वही—	पी एच
138.	अलंगुलम	—वही—	पी एच
139.	गुजीलामपराय	—वही—	पी एच
140.	वाइट गेट (एन एच-10)	—वही—	पी एच
141.	कृष्णागीरी बाई पास	—वही—	ओ पी
142.	शेनकोच	—वही—	ओ पी
143.	अन्नावसल	—वही—	ओ पी

1	2	3	4
144.	नेगमाम	तमिलनाडु	ओ पी
145.	कालियाकरालिया	—वही —	एस सी
146.	तंदरमेंट	—वही—	एस सी
147.	नेदुमकंडम	केरल	एस सी
148.	इराटुपेटआ	—वही —	पी एच
149.	कत्ताकदा	—वही —	ओ पी
150.	पांडिचेरी	पांडिचेरी	एस सी

एस के ओ—एल डी ओ एजेंसी

क्रम सं०	स्थान	राज्य	श्रेणी
1	2	3	4
1.	लखसर	उत्तर प्रदेश	एस सी
2.	शाहागंज	—वही—	एस सी
3.	अमेठी	—वही—	ओ पी
4.	जलालाबाद	—वही—	यू जी
5.	शाहपुरा	राजस्थान	एस सी
6.	रामगंज मंडी	—वही—	यू जी
7.	खेतरी	—वही—	ओ पी
8.	फलोदी	—वही—	ओ पी
9.	नूह	हरियाणा	ओ पी
10.	नारनौल	—वही—	यू जी
11.	मंडी गोविन्दगढ़	पंजाब	ओ पी
12.	मेहलाखलां	—वही—	एस सी
13	कंनगन	जे एण्ड के	ओ पी
14.	केतुग्राम	पश्चिम बंगाल	एस सी
15.	जमालपुर	—वही—	एस सी
16.	सेनथिया	—वही—	यू जी
17.	हुरा	—वही—	पी एच
18.	किद्दरपुर	—वही—	ओ पी
19.	आलमनगर	बिहार	ओ पी
20.	केसारिया	—वही—	ओ पी
21.	तारापुर	—वही—	ओ पी
22.	थाना-बीहपुर	—वही—	पी एच
23.	रानीगंज	—वही —	पी एच
24.	अरैबं	—वही—	यू जी

1	2	3	4
25.	माझुल	बिहार	यू-जी
26.	सुरूदा	उड़ीसा	ओ पी
27.	बोलगढ़	—वही—	ओ पी
28.	पारलाकमुंडी	—वही—	यू जी
29.	मरीयानी	असम	ओ पी
30.	दाल्ली-राजहरा	मध्य प्रदेश (ई)	यू जी
31.	बम्बई "एफ" क्षेत्र	महाराष्ट्र	ओ पी
32.	बम्बई "डी" क्षेत्र	—वही—	ओ पी
33.	पूणे सीटी-III	—वही—	ओ पी
34.	सगगमनेर	—वही—	ओ पी
35.	बम्बई "डी" क्षेत्र	—वही—	ओ पी
36.	बम्बई "एफ" क्षेत्र	—वही—	एस सी
37.	शेलगांव	—वही—	एस सी
38.	राजगुरुनगर	—वही—	पी एच
39.	पुड	—वही—	एफ एफ
40.	पूणे सीटी और हावेली टी के	—वही—	एस डब्ल्यू
41.	चनासमा	गुजरात	यू जी
42.	जगादिया	—वही—	एस टी
43.	सोनगढ़	—वही—	एस टी
44.	व्यारा	—वही—	एस टी
45.	पारदी	—वही—	एस टी
46.	विशनगर	—वही—	पी एच
47.	कलोल	—वही—	ओ पी
48.	खेरालू	—वही—	ओ पी
49.	दमान	—वही—	ओ पी
50.	मसान	—वही—	ओ पी
51.	अहमदाबाद	—वही—	एफ एफ
52.	केलारस	मध्य प्रदेश (डब्ल्यू)	यू जी
53.	पामारू	आन्ध्र प्रदेश	यू जी
54.	गनपावराम	—वही—	यू जी
55.	सिरसिला	—वही—	यू जी
56.	काडूमुरू	—वही—	एस सी
57.	मालवाराम	—वही—	पी एच
58.	राजेन्द्र नगर	—वही—	ओ पी
59.	कंचीकेरला	—वही—	ओ पी
60.	सिकन्दराबाद/ हैदराबाद (बी), सर्कल-7	—वही—	ओ पी

1 2	3	4
61. इन्दुकुरुपट	आन्ध्रप्रदेश	ओ पी
62. हैदराबाद/सिकन्दराबाद	—वही—	ओ पी
63. पेनुमांतरा	—वही—	एफ एफ
64. रामानाग्रम	कर्नाटक	एस सी
65. बंगलौर सिटी	—वही—	एस सी
66. मगदी रोड	—वही—	यू जी
67. अंकल टाउन	—वही—	पी एच
68. देवनगरी	—वही—	पी एच
69. मैसुर सिटी	—वही—	ओ पी
70. पांडवपुरा	—वही—	ओ पी
71. त्रिचुर	केरला	यू जी
72. कुटीयाडी/पेरमवारा	- वही—	यू जी
73. त्रिरुनागाड़ी	—वही—	ओ पी
74. जयामकांडन	तमिलनाडु	पी एच
75. मेठूर	—वही—	एस सी
76. शिवागिरी	—वही—	एस सी
77. मधुकराई	—वही—	यू जी
78. मानामलगुंडी	—वही—	ओ पी
79. चय्यार	—वही—	ओ पी

वर्ष 1985 के दौरान जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंस

1290. **सैयद शहाबुद्दीन**
श्री राधाकान्त दिगाल } : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक क्षेत्र द्वारा वर्ष 1985 के दौरान राज्यवार कितने औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए और उन उद्योगों में कुल कितना निवेश किया गया;

(ख) उपरोक्त (क) में से कितने लाइसेंस एकाधिकार घरानों को स्वीकृत किए गए हैं; और

(ग) वर्ष 1983 और 1984 के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) से (ग) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम की शर्तों के अंतर्गत 1983, 1984 और 1985 के दौरान दिए गए औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या नीचे दी गई है :—

वर्ष	जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंस	
	योग	एम०आर०टी०पी० के अन्तर्गत पंजीकृत किए गए उपक्रमों का अंश (शेयर)
	संख्या	संख्या
1983	1075	144
1984	905	112
1985	985	105

जिन परियोजनाओं के लिए औद्योगिक लाइसेंस दिए गए हैं, उन परियोजनाओं में निहित वास्तविक निदेश से सम्बन्धित सूचना उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय में केंद्रीय रूप से नहीं रखी जाती है।

1983, 1984 और 1985 के वर्षों के दौरान दिए गए औद्योगिक लाइसेंसों का राज्यवार और अनुसूचित उद्योग-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I और विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

1983, 1984 और 1985 के दौरान जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंसों का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1983	1984	1985
1	2	3	4
1. आन्ध्र प्रदेश	63	45	70
2. अंडमान और निकोबार	—	—	2
3. अरुणाचल प्रदेश	2	3	6
4. असम	22	6	12
5. बिहार	29	26	20
6. चंडीगढ़	3	1	6
7. दादरा और नगर हवेली	—	1	2
8. दिल्ली	18	19	7
9. गोवा, दमन और दीव	3	10	4
10. गुजरात	115	82	69
11. हरियाणा	59	46	46
12. हिमाचल प्रदेश	5	5	12
13. जम्मू और कश्मीर	10	8	6
14. कर्नाटक	165	49	69
15. केरल	22	21	24
16. लक्षद्वीप	—	—	—
17. मध्य प्रदेश	30	36	39
18. महाराष्ट्र	171	140	134
19. मणिपुर	—	—	—
20. मिजोरम	—	—	—
21. मेघालय	—	—	—
22. नागालैंड	2	2	—
23. उड़ीसा	14	15	25
24. पांडिचेरी	3	3	12
25. पंजाब	169	94	72
26. राजस्थान	25	25	38

1	2	3	4
27. सिक्किम	—	2	—
28. तमिलनाडु	76	85	177
29. त्रिपुरा	—	1	—
30. उत्तर प्रदेश	98	80	79
31. पश्चिम बंगाल	71	93	51
32. राज्य जो दर्शाया नहीं गया/ एक से अधिक राज्य	—	5	3
योग :	1075	905	985

विवरण-II

1983, 1984 और 1985 के दौरान जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंसों का अनुसूचित उद्योगवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

अनुसूचित उद्योग	1983	1984	1985
1	2	3	4
1. धातुकर्मी उद्योग	406	389	235
2. ईंधन	—	—	2
3. बॉयलर और भाप जनित्रक संयंत्र	1	1	1
4. प्राइम मूवर्स (विद्युत जेनरेटरों को छोड़कर)	5	—	—
5. विद्युत उपकरण	101	100	96
6. दूर संचार	18	33	31
7. परिवहन	21	30	45
8. औद्योगिक मशीनरी	43	51	29
9. मशीनी औजार	12	3	5
10. कृषि मशीनरी	1	1	13
11. अर्थ मूविंग मशीनरी	2	—	2
12. विविध यांत्रिकी और विद्युत इन्जीनियरी	19	13	13
13. वाणिज्यिक कार्यालय और घरेलू उपकरण	5	8	17
14. चिकित्सा और शल्य कार्य (सर्जिकल) उपकरण	1	—	1
15. औद्योगिक उपकरण	15	9	12
16. वैज्ञानिक उपकरण	1	2	1
17. मैथे मैटिकल सर्वेइंग एण्ड ड्राइंग उपकरण	—	—	—
18. उर्वरक	5	8	3
19. रसायन (उर्वरकों को छोड़कर)	125	102	64

(…जारी)

1	2	3	4
20. फोटोग्राफिक रॉ फिल्म एण्ड पेपर	—	—	—
21. रंजक पदार्थ	1	1	1
22. औषधियां औरभेषज	24	22	22
23. वस्त्र (इनमें छपाई या अन्यथा संसाधित शामिल हैं)	44	30	299
24. कागज और लुग्दी कागज के उत्पाद सहित	13	4	2
25. चीनी	16	28	13
26. किण्वन उद्योग	—	7	6
27. खाद्य परिष्करण उद्योग	84	8	9
28. तेल और वनस्पति खाद्य	17	10	11
29. साबुन, प्रसाधन सामग्री और नहाने के साबुन	2	2	1
30. रबर की वस्तुएं	13	5	8
31. चमड़ा, चमड़े की वस्तुएं और पिकरर	6	11	5
32. ग्लू एण्ड जिलेटिन	—	—	1
33. कांच	5	4	3
34. चीनी मिट्टी (सिरेमिक्स)	5	5	6
35. सीमेंट और जिप्सम उत्पाद	19	21	14
36. काष्ठ (टिंबर) उत्पाद	43	9	13
37. सुरक्षा से सम्बन्धी उद्योग	—	—	—
38. विविध उद्योग	2	—	1
योग :	1075	905	985

हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना और धर्मशाला को जालंधर स्वचालित ट्रंक एक्सचेंज से जोड़ना

1291. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य की राजधानी शिमला के साथ सीधी डायल सेवा आरम्भ करने के लिए हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना और धर्मशाला के जिला मुख्यालयों को जालंधर स्वचालित ट्रंक एक्सचेंजों से जोड़ने का कार्यक्रम था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कार्यक्रम में कोई परिवर्तन किया गया है और उन्हें अब चंडीगढ़ स्वचालित ट्रंक एक्सचेंज के साथ जोड़ने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप सीधी डायल सेवा आरम्भ करने में विलम्ब होने की संभावना है क्योंकि जालंधर स्वचालित ट्रंक एक्सचेंज की तुलना में चण्डीगढ़ स्वचालित ट्रंक एक्सचेंज के पूरा होने में अधिक समय लगने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) राज्य का राजधानी शिमला के साथ एस० टी० डी० चालू करने के लिए धर्मशाला को जालंधर ट्रंक ऑटो एक्सचेंज के साथ जोड़ने का प्रस्ताव था। एस० टी० डी० के लिए हमीरपुर बिलासपुर और ऊना को धर्मशाला टी० ए० एक्स० के साथ जोड़ने का कोई प्रस्ताव नहीं था। स्वचलीकरण के बाद राज्य की राजधानी शिमला के साथ एस० टी० डी० चालू करने के लिए इन स्थानों को चंडीगढ़ ट्रंक आटो एक्सचेंज के साथ जोड़ने की योजना है।

(ग) जैसा कि उपर्युक्त भाग (क) और (ख) में बताया गया है, योजना में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है। हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना से राज्य की राजधानी शिमला के साथ शीघ्र एस० टी० डी० चालू करने के लिए प्रयास किए जाएंगे।

चंडीगढ़ में ट्रंक आटो एक्सचेंजों की स्थापना

1292. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चंडीगढ़ में आटो एक्सचेंज की स्थापना के लिए मंजूरी दे दी गई है और भवन के निर्माण का कार्य आरम्भ हो गया है;

(ख) यदि हां, तो (एक) भवन निर्माण के लिए कब मंजूरी दी गई थी और कार्य आरम्भ हुआ था; (दो) भवन के कब तक पूरा होने की आशा है और (तीन) ट्रंक आटो एक्सचेंज कब स्थापित किया जाएगा;

(ग) क्या भवन के निर्माण और एक्सचेंज की स्थापना में कोई विलम्ब हुआ है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं, कितना विलम्ब हुआ है और इस क्षेत्र में सीधी डायल सेवा आरम्भ करने में इस विलंब का क्या प्रभाव होगा; और

(ङ) चंडीगढ़ एक्सचेंज के भवन के निर्माण और उसकी स्थापना के कार्य में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है तथा इस परियोजना के पूरा होने पर कितनी लागत आने का अनुमान है तथा मूल अनुमान क्या था ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चंडीगढ़ में एक ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंज संस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। यह एक्सचेंज चंडीगढ़ सेक्टर 34 में एक नई इमारत में संस्थापित करने की योजना है। इसके लिए कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गई है।

डाक-घरों में सिंगल-विंडो प्रणाली लागू करना

1293. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुछ डाकघरों में "सिंगल विंडो" प्रणाली लागू की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रणाली की मुख्य विशेषताएं क्या हैं तथा संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में ऐसे कितने उप डाक-घर हैं और इस प्रणाली को लागू करने से क्या परिणाम निकला है;

(ग) दिल्ली संघ-राज्य क्षेत्र में ऐसे उपडाक-घरों की संख्या कितनी है जिनमें यह प्रणाली लागू की गई है;

(घ) इस प्रणाली को लागू करने के क्या परिणाम रहे; और

(ङ) क्या इस प्रणाली को अन्य नगरों में नए उपडाक-घरों में लागू करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) इस प्रणाली की मुख्य विशेषता यह है कि कोई भी ग्राहक डाकघर द्वारा प्रदान की गई सभी सेवाएं डाकघर के एक ही काउंटर से प्राप्त कर सकता है। इसमें बचत बैंक और मनीआर्डर सेवा शामिल नहीं है। संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में ऐसे तीन उपडाकघर हैं जहां सिंगल विंडो प्रणाली की सुविधा है। स्टाफ की कुछ प्रचालन संबंधी दिक्कतों को छोड़कर यह प्रणाली आमतौर से संतोषप्रद पाई गई है।

(ङ) दिल्ली से बाहर के शहरों में कुछ डाकघरों में यह प्रणाली पहले से ही कार्य कर रही है। दिल्ली से बाहर के नए उप डाकघरों में इस प्रणाली को चालू करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

डाक-घरों तथा टेलीफोन एक्सचेंजों के लिए विभागीय भवनों का निर्माण

1294. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने (एक) जिला मुख्यालयों, (दो) सब-डिवीजनों मुख्यालयों तथा (तीन) सामुदायिक विकास खंड मुख्यालयों में प्रधान डाक-घरों/उप डाकघरों और टेलीफोन एक्सचेंजों के लिए विभागीय भवनों के निर्माण को कोई प्राथमिकता दी है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक श्रेणी में ऐसे मुख्यालयों की राज्य-वार संख्या कितनी है, जहां ऐसे प्रत्येक स्थान में डाक तथा दूर-संचार स्कन्धों में कम से कम एक विभागीय भवन हैं; और

(ग) प्रत्येक श्रेणी में ऐसे सभी मुख्यालयों में डाक तथा दूरसंचार विभागों के लिए विभागीय भवनों की व्यवस्था कब तक हो जाने की संभावना है तथा सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस प्रयोजन के लिए कितनी राशि नियत की गई है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं। विभागीय भवनों का निर्माण प्रचालन आवश्यकता, भूमि और धन की उपलब्धता जैसे पहलुओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। जहां तक टेलीफोन एक्सचेंजों का प्रश्न केवल एम० ए० एक्स-I किस्म के एक्सचेंजों के लिए विभागीय भवनों का निर्माण किया जाता है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

गैर-सरकारी क्षेत्र का उद्योग में अधिक सक्रिय होना

1295. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की नीति उद्योग में गैर-सरकारी क्षेत्र की संबद्धता को बढ़ाने तथा सरकारी क्षेत्र की संबद्धता को कम करने की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश में बेरोजगारी की दर और आर्थिक संतुलन बनाए रखने पर उपर्युक्त नीति के प्रभावों का कोई अध्ययन किया है;

(ग) यदि हां, तो निष्कर्ष क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी नहीं। सरकार की नीति का उद्देश्य निर्धारित क्षेत्रों में विभिन्न क्षेत्रों के उद्योगों द्वारा सहयोग करने में आने वाली बाधाओं को दूर करते हुए औद्योगिक विकास की दर में वृद्धि करना रहा है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

उड़ीसा की कुल विद्युत आवश्यकता और उसमें वृद्धि के लिए निर्धारित लक्ष्य

1296. **डा० कृपा सिन्धु भोई**
श्रीमती जयन्ती पटनायक } : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा को उसकी कुल आवश्यकता की तुलना में इस समय कितनी बिजली सप्लाई की जा रही है और सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इस राज्य की कुल विद्युत आवश्यकता क्या होगी; और

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा में विद्युत उत्पादन में वृद्धि करने का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इसके लिए कितनी केन्द्रीय सहायता दी जाएगी ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जनवरी, 1986 महीने के दौरान, अन्य प्रणालियों से प्राप्त सहायता को शामिल करके उड़ीसा में उपलब्धता 371 मिलियन यूनिट थी जिसकी तुलना में प्रत्याशित आवश्यकता 457 मिलियन यूनिट थी। 12वें विद्युत सर्वेक्षण में सातवीं योजना अवधि के अन्त तक उड़ीसा की आवश्यकता का अनुमान 10552 मिलियन यूनिट लगाया गया है।

(ख) सातवीं योजना अवधि के दौरान उड़ीसा में लगभग 484 मेगावाट क्षमता के जोड़े जाने की संकल्पना की गई है। उड़ीसा की सातवीं योजना को 2700 करोड़ रुपये पर अन्तिम रूप दिया गया है जिसमें 1152.43 करोड़ रुपये केन्द्रीय सहायता शामिल है।

सम्बलपुर (उड़ीसा) जिला के उप-मंडलीय मुख्यालयों को जिला मुख्यालय से जोड़ना तथा टेलीफोन द्वारा सम्पर्क स्थापित करना

1297. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के सम्बलपुर जिले के सभी उपमंडलीय मुख्यालयों की जिला मुख्यालयों के साथ टेलीफोन और तार संपर्क है;

(ख) यदि नहीं, तो उन क्षेत्रों के नाम क्या हैं, हां अभी तक टेलीफोन और तार सम्पर्क स्थापित नहीं किया गया है; और

(ग) इनके बीच कब तक टेलीफोन व तार सम्पर्क स्थापित किया जाएगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं।

(ख) पदमपुर, देवगढ़ और कुचिंडा।

(ग) इन उप-मंडलों तथा संबलपुर के बीच परियात के आधार पर सीधे तार और टेलीफोन संपर्क का औचित्य नहीं बनता है। पदमपुर फिलहाल बाड़गढ़ के माध्यम से संबलपुर तार द्वारा जुड़ा हुआ है - कुचिंडा और देवगढ़ तार द्वारा झारसुगडा के माध्यम से संबलपुर से जुड़े हुए हैं। इन उप मंडलों तथा संबलपुर के बीच सीधा सम्पर्क सुलभ कराने के प्रस्ताव पर तब विचार किया जाएगा जब परियात वृद्धि होने पर उसका औचित्य बनेगा।

भारतीय टेलीफोन उद्योग द्वारा बांड जारी किया जाना

1298. **श्री बी० वी० देसाई : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय टेलीफोन उद्योग ने फरवरी, 1986 से सार्वजनिक बांड जारी करने का निर्णय किया है ताकि आधुनिकीकरण का कार्यक्रम शुरू किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो क्या आधुनिकीकरण कार्यक्रम के लिए अगले पांच वर्षों में 610 करोड़ रुपए के निवेश की आवश्यकता है;

(ग) क्या सरकार द्वारा स्वीकृत कुल पूंजी निवेश केवल 335 करोड़ रुपए है;

(घ) क्या सरकार ने भारतीय टेलीफोन उद्योग को 335 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि एकत्र करने अथवा बांड जारी करने की अनुमति दे दी है; और

(ङ) यदि हां, तो जनता ने कितने मूल्य के बांड खरीदे ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ङ) चालू वित्त वर्ष के दौरान सरकार ने इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड की विभिन्न परियोजनाओं के खर्च के लिए पूंजी उपलब्ध कराने हेतु, 100 करोड़ रुपए के बांड जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए किए गए प्रावधानों में इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज ने योजना अवधि में कम्पनी की वृद्धि और दूरसंचार की आधारभूत मांगों की पूर्ति के लिए 610 करोड़ रुपए के निवेश की मांग की है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार ने इण्यिडन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज के परिव्यय के निमित्त 335 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। बांड जारी कर निधि एकत्रित करने की अनुमोदित सीमा, 100 करोड़ रुपए में से, 50 करोड़ रुपए अलग से रखे गए हैं। इस राशि में 25 करोड़ रुपए भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा, 20 करोड़ रुपए जीवन बीमा निगम द्वारा और 5 करोड़ रुपए साधारण बीमा निगम द्वारा नियोजित किए जाएगे। भारतीय यूनिट ट्रस्ट और जीवन बीमा निगम ने अपने बांड खरीद लिए हैं और साधारण बीमा निगम का अंशदान अभी आना है। बाकी 50 करोड़ रुपए के बांड जनता के लिए 3 फरवरी, 1986 से खुले। इन बांडों के लिए अंशदान 25-2-1986 को पूरा हो गया।

सरकारी उपक्रमों में उच्च पदों की नियुक्ति के लिए भर्ती मानदण्ड

1299. **श्री बालासाहेब विखे पाटिल : क्या उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में उच्च पदों की नियुक्ति के लिए भर्ती मानदण्डों में सुधार करने और उन्हें इस सम्बन्ध में परीक्षण देने का है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में पदों पर नियुक्ति के लिए भर्ती मानदण्डों को कारगर बनाने तथा इस सम्बन्ध में उन्हें प्रशिक्षण देने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। प्रशिक्षण सम्बन्धी आवश्यकताओं का आवधिक रूप से मूल्यांकन किया जाता है तथा परिस्थितियों के अनुरूप उसमें परिवर्तन किये जाते हैं।

[हिंदी]

उत्तर प्रदेश में मंत्रालय के अन्तर्गत चल रहे सरकारी उपक्रम

1300. **श्री हरीश रावत** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में चल रहे/कार्यरत सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों के नाम क्या हैं जिनके मुख्यालय भी उसी राज्य में ही स्थित हैं;

(ख) सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों के नाम क्या हैं जिनका अधिकांश कार्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश में ही है परन्तु उनके और मुख्यालय राज्य से बाहर हैं;

(ग) ऐसे प्रतिष्ठानों के मुख्यालय भी राज्य में ही स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) भारत पम्प्स एण्ड कम्प्रेसर्स लिमिटेड, नैनी, इलाहबाद ।

त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड, नैनी, इलाहाबाद ।

स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड, लखनऊ ।

भारत लेदर कार्पोरेशन, आगरा ।

टैनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, कानपुर ।

(ख) कोई नहीं, श्रीमान् ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

[अनुवाद]

भारतीय बाजार में प्रवेश के लिए पेपसी कोला का पुनः प्रयास

1301. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान कलकत्ता के 17 जनवरी, 1986 "बिजनेस स्टैन्डर्ड" में "नेवर-से-डाई पेपसी कोला" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि भारत के लाभकारी बाजार में आने के लिए नम्बर 2 अमेरिकन शीतल पेय कम्पनी पुनः अभ्यास कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो पेपसी कोला के इस प्रयास को रोकने के लिए सरकार ने क्या नीति अपनाई है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार के पास कोई सूचना नहीं है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

[हिन्दी]

बिहार में मध्यम श्रेणी के तथा लघु रुग्ण उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए कदम

1302. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने बिहार में मध्यम श्रेणी के और लघु रुग्ण उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : अक्तूबर 1981 में सरकार ने सम्भवतः जीव्य एककों के पुनरुज्जीवन/पुनः स्थापन के लिए केन्द्रीय मन्त्रालयों, राज्य सरकारों (बिहार सरकार सहित) और वित्तीय संस्थानों के मार्गदर्शन के लिए कुछ नीति संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों की मुख्य-मुख्य बातें 23-1-1985 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं० 204 के उत्तर में बताई गई थी। उस मामले में जहां बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा तैयार की गई पुनः स्थापना योजना के हिस्से के रूप में रुग्ण एककों का अभिग्रहण किया जाता है वहां ऐसी पुनर्स्थापना योजनाओं में पूंजी की पुनर्संरचना, ब्याज उत्तरदायित्वों के लिए पैसा देना, उदार शर्तों पर पूंजी और कार्यशील पूंजी ऋण देना, ऋण सेवा उत्तरदायित्वों की/का राहत अथवा पुर्ननिर्धारण करना, आदि जैसी विभिन्न प्रकार की राहत और सहायता प्रदान की जाती है। केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें अलग-अलग रुग्ण एककों के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रतिपादित पुन-र्स्थापन पैकेजों के हिस्से के रूप में विभिन्न राजकोषीय और अन्य राहतें भी प्रदान करती हैं। इसके अतिरिक्त, आयकर में रियायतें देकर स्वस्थ एककों को रुग्ण एककों का विलयन द्वारा अभिग्रहण करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है।

[अनुवाद]

आयात के कारण पूंजीगत माल उद्योग में मन्दी

1303. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों से पूंजीगत माल के बढ़ते जा रहे आयात के कारण देश में पूंजीगत माल उद्योग में मन्दी आ गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) घरेलू पूंजीगत माल उद्योग में मन्दी को रोकने के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाए जा रहे हैं?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) और (ख) अप्रैल-नवम्बर, 1985 की अवधि में पूंजीगत सामान क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि हुई है जिसके नवीनतम आंकड़े उपलब्ध हैं। इस अवधि में जिन प्रमुख उद्योगों ने उत्पादन में वृद्धि प्राप्त की है वे हैं—सीमेंट मशीनें (61%), बायलर (83%), धातुकर्मी मशीनें (38%) तथा रोड रोलर (160%)। फिर भी, इस अवधि में कुछ उद्योगों के उत्पादन में गिरावट आई है, जैसे खनन मशीनें (—20 प्रतिशत), रसायन व भेषज मशीनें (—3 प्रतिशत) तथा रेल वैगन (—45 प्रतिशत)।

(ग) पूंजीगत सामान उद्योगों के उत्पादन में निरन्तर वृद्धि हेतु अनेक उपाय किये गये हैं और अनेक कदम उठाये गये हैं। इनमें नीतियों में उपयुक्त संशोधनों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए उनकी क्षमताओं में वृद्धि करना, आधुनिकीकरण की योजनाओं को प्रोत्साहन देना तथा अन्तर्वस्तुओं की पर्याप्त उपलब्धता में सहायता प्रदान करना सम्मिलित है।

खाना पकाने की गैस पर राज सहायता

1304. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस समय खाना पकाने की गैस पर राज्य सहायता देती है;

(ख) यदि हां, तो इसकी वर्तमान कीमत में राज सहायता की प्रतिशतता कितनी है; और

(ग) खाना पकाने की गैस पर कुल कितनी उत्पादन लागत आती है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) :(क) और (ख) आर्थिक सहायता की राशि 13.05 रुपये प्रति एल० पी० जी० सिलिण्डर हैं।

(ग) रिफाइनरी में उत्पादन के बाद एल० पी० जी० को ले जाने, बाटलिंग संयंत्रों में भरने, सारे देश में फैले बाजार में इसके आवागमन तथा इसके बाद उपभोक्ताओं को विपणन की कुल लागत लगभग 4950.00 प्रति मी० टन पड़ती है जबकि गोदाम पर इसका बिक्री मूल्य 3448.98 रुपये प्रति मी० टन (घरेलू पैक में) है।

अनिवासी भारतीयों का बिहार में उद्योग स्थापित करने को इच्छुक होना

1305. **डा० गौरी शंकर राजहंस** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक अनिवासी भारतीयों ने बिहार में शांतिपूर्ण औद्योगिक वातावरण होने के कारण वहां पर उद्योग स्थापित करने की इच्छा प्रकट की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन्हें औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है।

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) से (ग) विशेष स्वीकृति समिति के नवम्बर 1983 में गठन होने से लेकर उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत बिहार में उद्योगों की स्थापना करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने हेतु केवल 2 आवेदनपत्र ही प्रवासी भारतीयों से प्राप्त हुए थे। इनमें से एक आवेदन केपरोलेक्टम के उत्पादन के लिए ही था। इसे अस्वीकृत कर दिया गया क्योंकि इस क्षेत्र में पर्याप्त क्षमता पहले ही अनुमोदित की जा चुकी है। सरकार ने हाल ही में मैसर्स बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम के बिहार में जिला बेगुसराय में इसी मद के लिए अन्य प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राज्य निगम को इसके साथ ही इस परियोजना में प्रवासी भारतीय आवेदक को सम्बद्ध करने की सम्भाव्यताओं का पता लगाने की सलाह दी। अन्य प्रस्ताव नेफथालीन आदि के उत्पादन के सम्बन्ध में था। इसे भी अस्वीकृत कर दिया गया क्योंकि प्रस्तावित परियोजना के लिए कच्चे माल की उपलब्धता के बारे में बारौनी रिफाइनरी से कोई आश्वासन नहीं मिला था।

दामोदर घाटी निगम द्वारा बर्मों कोयला खानों को सेंट्रल कोलफील्डज लि० को अन्तरित करना

1306. **डा० गौरी शंकर राजहंस** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम प्राधिकारियों द्वारा 15 बर्मों कोयला खानों को सैन्ट्रल कोलफील्डज लि० को अन्तरित करने के प्रस्ताव का बिहार राज्य में खान-कर्मचारियों ने विरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या खान कर्मचारियों के संघों ने इस अन्तरण को गैर-कानूनी बताया है क्योंकि केन्द्र सरकार ने इसके परिचालन पट्टे को अन्य 35 वर्षों के लिए पहले ही बढ़ा दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ग) ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि दामोदर घाटी निगम के कुछ खान कर्मचारी बर्मो कोयला खानों को कोल इण्डिया लिमिटेड को अन्तरित करने के दामोदर घाटी निगम के प्रस्ताव से खुश नहीं हैं। इससे पूर्व, दामोदर घाटी निगम ने पट्टे की अवधि तीस वर्ष के लिए और बढ़ाने के लिए पहले ही आवेदन किया था। सरकार ने बर्मो कोयला खानों को अन्तरित करने के दामोदर घाटी निगम के प्रस्ताव पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

पुनः उपयोग में लाई जाने वाली ऊर्जा स्रोतों द्वारा विद्युतीकरण

1307. **श्री यशवंत राव गडाख पाटिल**
चौधरी अख्तर हसन
श्रीमती किशोरी सिंह
श्री के० प्रधानी
: क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत विभाग ने ऊर्जा के पुनः उपयोग में लाये जाने वाले स्रोतों का उपयोग कर 10,000 गावों के विद्युतीकरण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्यक्रम पर कुल कितनी लागत आएगी; और

(ग) क्या इस कार्यक्रम में ग्रामीणों को राज्य बिजली बोर्डों की निर्भरता की समस्याओं से मुक्त अपनी ऊर्जा प्रणालियां स्थापित करने में मदद मिलेगी ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग ने ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग करके ग्रामों के विद्युतीकरण के लिए एक कार्यक्रम प्रारम्भ किया है। इस पर भी विद्युतीकरण करने वाले ग्राम तथा उनके पहलू (फेजिंग) वित्तीय साधनों की उपलब्धता पर निर्भर होंगे।

(ख) स्थानीय स्रोतों से 10,000 ग्रामों के लिए ऊर्जा की सभी आवश्यकताओं को उपलब्ध करने के लिए अनुमानित लागत लगभग 1000 करोड़ रुपये होगी।

(ग) जी हां।

टेलीफोन शुल्क में वृद्धि

1308. **श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल**
श्री राज कुमार राय
डा० टी० कल्पना देवी
: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार टेलीफोन शुल्क में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वृद्धि करने के क्या कारण हैं; और

(घ) दूरसंचार विभाग के लिए वर्ष 1986-87 के लिए लक्ष्य और परिव्यय कितना रखा गया है?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) 1986-87 के लिए दूरसंचार विभाग के लक्ष्य संलग्न **विवरण** में दिए गए हैं।

1986-87 के लिए 835/-करोड़ रुपए के परिव्यय की मंजूरी दी गई है।

विवरण

	1986-87 के लिए लक्ष्य
(क) स्थानीय टेलीफोन प्रणाली	
(एक) स्विचन क्षमा (लाख लाइनें)	2.80
(दो) डी० एल०	2.20
(ख) लम्बी दूरी की स्विचन प्रणाली	
(एक) टी० ए० एक्स (संख्या)	4
(दो) टी० ए० एक्स क्षमता (लाइनें)	9600
(तीन) मैनुअल ट्रंक बोर्ड (सख्या)	120
(ग) लम्बी दूरी की संचारण प्रणाली	
(एक) कोएक्सिअल केबिल प्रणाली—मार्ग कि० मीटर	1100
(दो) माइक्रोवेव प्रणाली ,,	2225
(तीन) यू० एच० एफ० प्रणाली ,,	1520
(घ) ओपन वायर तार	
(एक) तार घर (कुल संख्या)	1120
(दो) लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर (कुज संख्या)	1120
(तीन) टेलेक्स एक्सचेंज	14
(चार) टेलेक्स क्षमा लाइनें	3000 स्थानीय 1500 ट्रांजिट

भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम का संशोधन

1309. **श्री यशवंत राव गडाख पाटिल :** क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872 को पुनरीक्षित करने के लिए संयुक्त महिला कार्यक्रम (ज्वांइट वीमेंस प्रोग्राम) द्वारा सरकार को ज्ञापन दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है अथवा करने का विचार है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी हां।

(ख) सरकार ने संशोधन करने के प्रस्तावों पर अभी तक कोई विनिश्चय नहीं किया है क्योंकि अभी उनका गहन अध्ययन किया जाना है। फिर भी यह उल्लेखनीय है कि अल्पसंख्यक समुदाय की स्वीय विधि में तब तक कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा जब तक उस समुदाय द्वारा ऐसा करने की पहल न की जाए और सम्बद्ध समुदाय में निश्चित मतैक्य न हो जाए।

[हिंदी]

राजस्थान में "उद्योग विहीन जिलों" में स्थापित उद्योगों द्वारा प्राप्त राज सहायता

1310. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के उन "उद्योग विहीन जिलों" का ब्यौरा क्या है जिन्हें केन्द्र से राज-सहायता प्राप्त हुई है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से कोई रिपोर्ट मांगी है ताकि "उद्योग विहीन जिलों" में औद्योगिकीकरण के बारे में हुई प्रगति का मूल्यांकन किया जा सके और योजना के वांछित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उपचारात्मक उपाय करने हेतु राज्य सरकार को आवश्यक परामर्श दिया जा सके; और

(ग) यदि हां, तो क्या इन "उद्योग विहीन जिलों" विशेषकर जैसलमेर आदि, के बारे में राजस्थान सरकार से कोई ऐसी प्रगति रिपोर्ट प्राप्त हुई थी ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) केन्द्रीय निवेश राजसहायता के लिए हकदार उद्योगों की किस्मों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। केन्द्रीय राजसहायता की प्रतिपूर्ति प्रत्येक औद्योगिक एकक को राज्य सरकारों/वित्तीय संस्थानों द्वारा की जाती है। केन्द्रीय राजसहायता की प्रतिपूर्ति के बारे में उद्योग-वार जानकारी, केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती।

केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना के अन्तर्गत राजस्थान सरकार को वर्ष 1983-84, 1984-85 तथा 1985-86 (31-1-1986) में प्रतिपूर्ति के रूप में दी गई राशियां निम्नलिखित हैं:—

1983-84	5.10 करोड़ रु०
1984-85	7.98 करोड़ रु०
1985-86 (31-1-1986 तक)	7.56 करोड़ रु०

(ख) और (ग) योजना के अधीन केन्द्रीय निवेश राजसहायता लेने वाले औद्योगिक एककों को उत्पादन आरम्भ करने की तारीख से पांच वर्षों की अवधि तक उत्पादन जारी रखना पड़ता है और ऐसा न कर सकने की स्थिति में राजसहायता की राशि लौटानी पड़ती है। किन्तु कच्चे माल और बिजली आदि की कमी के कारण अधिक से अधिक छः महीने तक की अल्पावधि के लिए उत्पादन न कर सकने पर माफी दी जा सकती है। इन दोषी एककों के बारे में सूचना देने की अपेक्षा राज्य सरकारों से की गई है। राजस्थान सरकार से ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

विवरण

केन्द्रीय निवेश राजसहायता के लिए पात्र उद्योग

1. यथा समय संशोधित उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की पहली अनुसूची में सूचीबद्ध उद्योग।
2. निम्नलिखित बोर्डों/अभिकरणों के कार्य क्षेत्र में आने वाले उद्योग :—
   (क) लघु उद्योग बोर्ड

(ख) कॅयर बोर्ड

(ग) रेशम बोर्ड

(घ) अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड

(ङ) अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड

(च) औद्योगिक विकास के लिए सरकार द्वारा गठित कोई अन्य अभिकरण।

3. (1) मुर्गीपालन ओर सभी कृषि उद्योग। भूमि भवन तथा उपकरणों पर ही पूंजीगत व्यय के पात्र होंगे।

(2) संकर बीज।

(3) खनन।

(4) शीत मंडार।

(5) होटल।

(6) मरम्मत करने वाली वर्कशाप सहित सामान्य किस्म की कार्यशालाओं जैसे सेवा उद्योग अन्य कोई सेवा उद्योग राजसहायता का पात्र नहीं है।

(7) यांत्रिकी प्रक्रिया के माध्यम से ड्राइ-क्लीनिंग।

(8) लघु सेवा प्रशासन/स्थापना।

[अनुवाद]

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की क्षमता का उपयोग

1311. **श्री के० राममूर्ति** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ताप विद्युत उपकरणों के निर्माण के लिए अपनी क्षमता का औसतन 44.1 प्रतिशत उपयोग करने की योजना बनाई है तथा पन-बिजली उपकरणों के लिए अपनी क्षमता 30.1 प्रतिशत उपयोग करने का अनुमान लगाया गया है;

(ख) क्या विद्युत उत्पादन उपकरणों की सप्लाई के लिए विदेशी पेशकश की भरमार होने के कारण भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को कम संख्या में निर्माण-आदेश प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की क्षमता का 60-65 प्रतिशत उपयोग के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है, ताकि लाभ न भी हो तो घाटा पूरा किया जा सके ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) से (ग) वर्तमान क्रयादेशों के आधार पर थर्मल तथा हाइड्रो निर्माणकारी सुविधाओं हेतु सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में बी० एच० ई० एल० की औसत क्षमता का उपयोग क्रमशः 48 प्रतिशत तथा 31 प्रतिशत है। नये विद्युत संयंत्रों को स्थापित करने के लिए संसाधनों की अड़चन कम क्रयादेश स्थिति का मुख्य कारण है। क्षमता उपयोगिता में सुधार करने हेतु बी० एच० ई० एल० द्वारा उत्पाद-विविधीकरण तथा सेवाओं व फालतु पुर्जों की सप्लाई को सशक्त बनाने का काम शुरू किया गया है।

सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का कार्यकाल

1312. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय प्रबन्ध संस्थान, बंगलौर के अर्थशास्त्रियों के एक दल द्वारा दिये गये अध्ययन से पता लगे उस तथ्य की जानकारी है कि सरकारी क्षेत्र के 22 उद्यमों में वर्ष 1975-82 की अवधि के दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का कार्यकाल दो वर्षों से कम था, नौ उद्यमों में तीन वर्ष था और 12 संगठनों में पांच वर्ष था;

(ख) क्या 24 उद्यमों में नियमित मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की नियुक्ति के बीच कई वर्षों का अन्तराल था;

(ग) क्या इस अध्ययन के अनुसार, बेहतर नियमित कार्य-निष्पादन के उद्देश्य से 49 उद्यमों ने 5 वर्ष के कार्यकाल की तथा 6 उद्यमों ने लम्बी अवधि के कार्यकाल को अपनाना चाहा है; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस अध्ययन के निष्कर्षों पर सरकार द्वारा कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जायेगी और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा छोटे पैमाने के एककों को किराया खरीद के आधार पर सप्लाई की गई मशीनों के सम्बन्ध में बकाया राशि की वसूली

1313. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा जिसने किराया-खरीद के आधार पर मशीनें सप्लाई की थी, देश में 4286 लघु इकाइयों से 15.78 करोड़ रुपये की बकाया राशि वसूल करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ख) दोषी इकाइयों के कितने मामलों में मशीनें कब्जे में लेने और बकाया राशि की वसूली के लिए कानूनी कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) किराया खरीद की देयताओं को प्राप्त करने को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने अनेक कदम उठाए हैं :—

(1) किराया-खरीद देयताओं के निरीक्षण और वसूली के लिए विस्तृत कार्यविधि निर्धारित की गई है।

(2) जहां पार्टी चूक करती है, वहां नियमित रूप से नोटिस जारी किए जा रहे हैं।

(3) वरिष्ठ विभागीय भूल-चूक समीक्षा समिति निरंतर ऐसे मामलों की समीक्षा कर रही है और क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है। इसमें मुकदमें दर्ज करना, मशीनों का पुन: ग्रहण और देयताओं की शीघ्रविशीघ्र वसूली के लिए आवश्यक समझे जाने वाले ऐसे अन्य कई उपाय शामिल हैं।

(ख) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के अनुसार, देयताओं की वसूली और मशीनों के पुनः ग्रहण के लिए 713 मामलों पर कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है जिसमें 6.96 करोड़ रु० की राशि निहित है।

पिछड़े क्षेत्रों में राज सहायता से स्थापित की गई कम्पनियां

1314. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84, 1984-85 और 1985-86 में चुनींदा पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक एकक स्थापित करने के लिए राज सहायता प्राप्त करने वाली कम्पनियों के नाम क्या हैं;

(ख) प्रत्येक एकक को राज सहायता की कितनी राशि दी गई;

(ग) इन एककों में कितने स्थानीय लोगों को रोजगार दिया गया है;

(घ) पिछड़े क्षेत्रों में कितने ऐसे सहायक एकक स्थापित हुए हैं जो राज सहायता प्राप्त नए औद्योगिक उपक्रमों के सहायक एकक हैं; और

(ङ) इन नए औद्योगिक एककों की स्थापना से इन पिछड़े क्षेत्रों को क्या लाभ मिला है?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) से (ङ) केन्द्रीय निवेश राजसहायता के लिए पात्र उद्योगों की किस्म को बताने वाला ब्यौरा संलग्न **विवरण** में दिया गया है। केन्द्रीय राजसहायता अलग-अलग औद्योगिक एककों की राज्य सरकारों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा वितरित की जाती है। केन्द्रीय राजसहायता का एकक वार वितरण इन एककों में स्थानीय लोगों को रोजगार और अनुषंगी एककों की संख्या से सम्बन्धित जानकारी केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है।

वर्ष 1983-84, 1984-85 और 1985-86 में (31-1-1986 तक) के वर्षों के दौरान राज्यों/संघ राज्य प्रशासनों को केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित राशियों की प्रतिपूर्ति की गई है :—

1983-84	51.93 करोड़ रुपये
1984-85	82.03 करोड़ रुपये
1985-86 (31-1-1986 तक)	80.91 करोड़ रुपये

केन्द्रीय राजसहायता, रियायती वित्त, औद्योगिक लाइसेंस देने में प्राथमिकता, आयकर से छूट आदि जैसे लाभों द्वारा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहन मिला है और इनसे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे।

विवरण

केन्द्रीय निवेश राजसहायता के लिए पात्र उद्योग

1. यथासमय संशोधित उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की पहली अनुसूची में सूचीबद्ध उद्योग।
2. निम्नलिखित बोर्डों/अभिकरणों के कार्य क्षेत्र में आने वाले उद्योग :—

(क) लघु उद्योग बोर्ड

(ख) क्यर बोर्ड

(ग) रेशम बोर्ड

(घ) अखिल भारत हस्तशिल्प बोर्ड

(ड़) अखिल भारत हथकरघा बोर्ड

(ङ) औद्योगिक विकास के लिए सरकार द्वारा गठित बोर्ड कोई अन्य अभिकरण।

3. (1) मुर्गी पालन और सभी कृषि उद्योग। भूमि भवन तथा उपकरणों पर ही पूंजीगत व्यय के पात्र होंगे।

(2) संकर बीज।

(3) खनन।

(4) शीत भंडार।

(5) होटल।

(6) मरम्मत करने वाली वर्कशॉप सहित सामान्य किस्म की कार्यशालाओं जैसे सेवा उद्योग अन्य कोई सेवा उद्योग राजसहायता का पात्र नहीं है।

(7) यांत्रिकी प्रक्रिया के माध्यम से ड्राइक्लीनिंग

(8) लघु सेवा प्रशासन/स्थापना।

स्विटजरलैण्ड में कम्पनियों के लाभांश के प्रत्यावर्तन के बारे में गोष्ठी

1315. **श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने फरवरी, 1986 में स्विटजरलैंड में किसी बैठक अथवा किसी गोष्ठी में भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने ग्यारह प्रमुख अमेरिका कम्पनियों के लाभांश के प्रत्यावर्तन के अध्ययन का उल्लेख किया था;

(ग) उक्त अध्ययन किसने किया था;

(घ) अमेरिका की किन कम्पनियों का अध्ययन किया गया था;

(ङ) इन कम्पनियों का अपेक्षित पूंजी निवेश कितना है और जिन वर्षों का अध्ययन किया गया है उनमें लाभ के रूप में कितनी पूंजी प्रत्यावर्तित की गई है;

(च) क्या लाभांश के प्रत्यावर्तन की उक्त दर विदेशी पूंजी निवेश को आकृष्ट करने हेतु सरकार की नीति का एक भाग है; और

(छ) क्या भारतीय अर्थ-व्यवस्था के लिए इस प्रकार की नीति लाभदायक होगी ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) से (छ) इंडो अमेरिका चेम्बर आफ कामर्स द्वारा अध्ययन किया गया है। चेम्बर ने इन 11 कम्पनियों की सूची नहीं दी है। चेम्बर की रिपोर्ट के अनुसार, 1975 से 1980 (अथवा कुछ मामलों मे 1976 से 1981) के पांच वर्षों की अवधि के दौरान, 11 अमेरिका कम्पनियों ने 48.4 लाख अमेरिकी डालर की कुल पूंजी का योगदान किया था जिस पर उन्होंने 116 लाख अमेरिकी डालर का लाभांश अर्जित किया।

लाभांश की दर का सरकार द्वारा नियंत्रण नहीं किया जाता बल्कि इसका निर्धारण कम्पनियों की लाभदायकता के आधार पर किया जाता है ।

मोटर गाड़ियों के नकली तथा घटिया फालतू पुर्जे

1316. श्री मूल चन्द डागा : क्या उद्योग मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 जनवरी, 1986 के फाइनेन्शियल एक्सप्रेस" से "आटो मेकर्स कनसर्न ओवर स्पूरिस पार्टस' शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि प्रतिवर्ष पुर्जे बदलने के लिए 1350 करोड़ रुपये के फालतू पुर्जों की बिक्री में से 350 करोड़ रुपये के मूल्य के नकली पुर्जे तथा 200 करोड़ रुपये के मूल्य के पुर्जे बेचे जाते हैं;

(ग) क्या नकली तथा घटिया पुर्जों के कारण प्रतिवर्ष 2500 व्यक्तियों की मृत्यु होती है तथा 10,000 व्यक्ति घायल होते हैं; और प्रतिवर्ष 200 करोड़ रुपयों का कर अपवंचन किया जाता रहा है; और

(घ) यदि हां, तो औद्योगिक गुण-प्रकार नियंत्रण में आवश्यक परिवर्तन करने तथा कानूनी तथा राजस्व सम्बन्धी उपाय करने हेतु अब तक क्या कदम उठाये गये हैं तथा उठाने का विचार है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) दिए गए आंकड़े गैर-सरकारी अध्ययन पर आधारित हैं । सरकारी अनुमान तैयार नहीं किए गए हैं ।

(घ) सरकार ने मोटर सहायता उद्योग को लाइसेंस मुक्त करने, ब्रांड बैंडिंग, क्षमताओं को पुनः अनुमोदित करने आदि के जरिए कई नीति-निर्णय लिए हैं तथा इस क्षेत्र में तेजी से आधुनिकीकरण और नई प्रौद्योगिकी को प्रारम्भ करने के लिए प्रोत्साहन दिया है । ईंधनक्षम वाहनों के लिए विशेष प्रकार के जटिल मोटर गाड़ी हिस्से-पुर्जों के निर्माण हेतु उप-हिस्से-पुर्जों के आयात के लिए कुछ वित्तीय रियायतें भी प्रदान की गई हैं । कानूनी पहलुओं की भी जांच की गई है । यह आशा है कि उपर्युक्त उपायों से अच्छी किस्म के हिस्से-पुर्जों के उत्पादन में वृद्धि होगी तथा बेहतर उपलब्धता और अधिक प्रतियोगिता होने से नकली और घटिया किस्म के हिस्से-पुर्जों की बिक्री तथा उत्पादन हतोत्साहित होगा ।

नए सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोलना

1317. श्री दिग्विजय सिंह : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984 और 1985 में राज्य-वार कितने नए सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोले गए;

(ख) उसके अनुपात में कितने अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति की गई;

(ग) क्या नए पदों का सृजन करने पर प्रतिबन्ध है; और

(घ) यदि हां, तो इन सार्वजनिक केन्द्रों का प्रबन्ध किस तरह किया जा रहा है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) 1984-58 में खोले गए नए सार्वजनिक टेलीफोन घरों की संख्या :

1. आन्ध्र प्रदेश	470
2. बिहार	410
3. गुजरात	152
4. जम्मू और कश्मीर	26
5. कर्नाटक	274
6. केरल	11
7. मध्य प्रदेश	372
8. महाराष्ट्र	138
9. उत्तर पूर्व (असम, मेघालय त्रिपुरा मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एवं नागालैण्ड	6
10. उत्तर पश्चिम (पंजाब, हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश)	69
11. उड़ीसा	139
12. राजस्थान	193
13. तमिलनाडू (पांडिचेरी) सहित	278
14. उत्तर प्रदेश	113
15. पश्चिम बंगाल (सिक्किम और अण्डमान द्वीप समूह सहित)	58
कुल	2709

(ख) और (ग) सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के लिए उसके अनुपात में कोई कर्मचारी नियुक्त नहीं किया जाता है। खाले गए नए सार्वजनिक टेलीफोन घर में कुल खोले गए नए सार्वजनिक टेलीफोन घर की लाइनों आदि की देखभाल करने के लिए अतिरिक्त स्टाफ की मजूरी देने का कार्य भी शामिल है।

(घ) केवल सार्वजनिक टेलीफोन घर चलाने, के लिए ही स्टाफ रखना उचित नहीं है सम्बन्धित डाकघर/तारघरों में कार्यरत डाक/तार कर्मचारी अपने कार्य के अलावा इन टेलीफोन-घरों को चलाने का भी कार्य करते हैं।

उद्योगों पर लाइसेंस समाप्त करने की योजना

1318. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार, अवरोधक व्यापारिक व्यवहार और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियां, यदि वे पिछड़े घोषित किये गये क्षेत्रों में स्थित हों तो वे सरकार द्वारा और अधिक उदार की गई नीतियों के अन्तर्गत स्वयं के लिए उद्योग पर लाइसेंस समाप्त करने की योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं;

(ख) क्या यह योजना एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत छूट प्राप्त 27 उद्योगों में से 22 पर लागू होती हैं;

(ग) यदि हां, तो अब तक इस उदार नीति की इस छूट के अधीन कितनी कम्पनियों ने फायदा उठाया है;

(घ) क्या इन कम्पनियों ने पिछड़े क्षेत्रों में यूनिटें स्थापित करने के लिए सरकार को अपनी योजनाएं प्रस्तुत कर दी हैं; और

(ङ) इन यूनिटों की स्थापना के लिए कौन से क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) और (ख) कुछ उद्योगों को एम० आर० टी० पी० अधिनियम की धारा 21 और 22 से छूट दे दी गई है। केन्द्रीय रूप से घोषित पिछड़े क्षेत्रों मे पांच को छोड़कर ऐसे उद्योग स्थापित करने के लिए एम० आर० टी० टी०/फेरा कम्पनियों को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है।

(ग) और (घ) चूंकि योजना अभी हाल ही में घोषित की गई है अत: अपेक्षित सूचना देना समय से पूर्व होगी।

(ङ) जैसा 27-4-83 को अधिसूचित किया गया है, पिछड़े क्षेत्रों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है : वर्ग "क", वर्ग "ख" और वर्ग "ग"।

उच्च न्यायालयों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के न्यायाधीश

1319. **श्री के० कुन्जाम्बु** : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने न्यायाधीश हैं; और

(ग) इन प्रवर्गों के सक्षम व्यक्तियों का पता लगाने और उन्हें न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के लिए गत पांच वर्षों के दौरान क्या प्रयास किए गए।

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) 1-2-86 को देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में 369 न्यायाधीश थे।

(ख) उच्च न्यायालयों से अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होते ही सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) अगस्त, 1980 में सरकार ने राज्यों के मुख्य मन्त्रियों और मुख्य न्यायमूर्तियों को पत्र लिखा था, जिसमें यह कहा गया था कि वे वकीलों में से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के ऐसे व्यक्तियों का पता लगाएं जो ऐसी नियुक्ति के लिए उपयुक्त हैं जिससे कि उन्हें उच्च न्यायालयों में बेहतर प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके। इन्हीं अनुदेशों को मई, 1984 में भी दोहराया गया है।

बंद पड़े उद्योग

1320. **श्री अजय विश्वास**
श्री तम्पन थामस } : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में बन्द पड़े लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन उद्योगों को बन्द करने के मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) बन्द पड़े उद्योगों को खोलने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है; और

(घ) उद्योगों के इस प्रकार बन्द होने के कारण कितने श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) और (घ) देश में बन्द पड़े औद्योगिक एककों के बारे में सूचना और उनसे सम्बन्धित ब्यौरा मंत्रालय में केन्द्रीय रूप से नहीं रखा जाता है। किन्तु, श्रम मन्त्रालय द्वारा कारखाना अधिनियम, 1948 के अधीन पंजीकृत उन कारखानों के सम्बन्ध में केन्द्रीय रूप से सूचना इकट्ठी की जाती है जो दीर्घकाल या अल्पकाल से बन्द पड़े हैं। यह सूचना इण्डियन लेबर जर्नल में प्रकाशित की जाती है। जो श्रम ब्यूरो, भारत सरकार का मासिक प्रकाशन है। इस प्रकाशन की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ख) अनेक कारण, आंतरिक और बाह्य दोनों, जो प्रायः साथ चलते हैं, औद्योगिक रुग्णता के प्रति उत्तरदायी हैं। दोषपूर्ण आयोजन, प्रबन्ध सम्बन्धी खामियां, अदक्ष वित्तीय नियंत्रण, स्रोतों का अन्यत्र उपयोग, अनुसंधान और विकास की ओर अपर्याप्त ध्यान देना, प्रौद्योगिकी और मशीनों की गत प्रयोगता, मांग की अपर्याप्तता कच्चे माल और अन्य निविष्टियों की कमी तथा अवस्थापना सम्बन्धी अड़चनें रुग्णता के कुछ प्रमुख कारण हैं।

(ग) कोई एकक बन्द हो जाने के कारण बेरोजगार हो सकने वाले व्यक्तियों को केवल रोजगार संरक्षण देने हेतु प्रत्येक बन्द औद्योगिक एकक को सरकार द्वारा पुनः चालू किया जाना न तो संभाव्य है और न ही वांछनीय। किन्तु, सक्षम रूप से जीव्य रुग्ण उद्योगों को पुनरुज्जीवित करने के लिए सरकार ने अक्तूबर, 1981 में कुछ नीतिविषयक मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए हैं। इन मार्गदर्शी सिद्धांतों की मुख्य विशेषताएं लोकसभा में दिनांक 23-1-85 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 204 के सम्बन्ध में दिए गए उत्तर में दे दी गई हैं।

डाक और तार विभाग में विभागेतर कर्मचारी प्रणाली समाप्त करना

1321. **श्री के० कुन्जम्बु :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक और तार विभाग में इस समय कुल कितने विभागेतर कर्मचारी काम कर रहे हैं; और

(ख) क्या सरकार का विचार डाक और तार विभाग में विभागेतर कर्मचारियों की भर्ती प्रणाली को समाप्त करने का है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) 31-3-1985 तक 30085.

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

पश्चिम बंगाल में नए विद्युत संयंत्र

1322. **श्री हन्नान मोल्लाह :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का चालू वर्ष के दौरान पश्चिम बंगाल में एक नए विद्युत संयंत्र की स्थापना करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल सरकार ने सूचित किया है कि उनका विचार बक्रेश्वर ताप विद्युत संयंत्र (630 मेगावाट) और तीस्ता नहर प्रपात परियोजना (67.5 मेगावाट) को शुरू करने का है। इन दोनों परियोजनाओं को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। तीस्ता नहर प्रपात परियोजना को सरकार ने अनुमोदित कर दिया है तथा बक्रेश्वर ताप विद्युत परियोजना के लिए निवेश संबंधी अनुमोदन किया जाना है।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा वैकल्पिक सप्लाई आधार के रूप में महाराष्ट्र में मारुद का चयन

1323. **श्री राधाश्याम प्रसाद सिंह** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने महाराष्ट्र सरकार की सहमति से अपने वैकल्पिक सप्लाई आधार के लिए महाराष्ट्र में मारुद का चयन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

आन्ध्र प्रदेश में उद्योग रहित जिले

1324. **श्री बी० तुलसी राम** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 31 जनवरी, 1986 को कुल कितने उद्योग रहित जिले थे और उनका राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) आंध्र प्रदेश में ऐसे कुल कितने जिले हैं और वहां इनकी संख्या इतनी कम होने के क्या कारण हैं;

(ग) आंध्र प्रदेश को राज्य में और उद्योग स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) आंध्र प्रदेश सरकार को आवश्यक धनराशि कब तक दी जाएगी ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) इस समय 93 "उद्योग रहित जिले" हैं। विभिन्न राज्यों में ऐसे जिलों की एक सूची संलग्न **विवरण** में दी गई है।

(ख) 1979-80 में बड़े या मझौले उद्योग रहित जिलों को "उद्योग रहित जिले" के रूप में निर्धारित किया गया है। आन्ध्र प्रदेश का कोई भी जिला इस मापदण्ड के अन्तर्गत नहीं आता।

(ग) और (घ) विशिष्ट जिलों/क्षेत्रों का औद्योगीकरण मुख्य रूप से सम्बद्ध राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। केन्द्रीय सरकार निर्धारित पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को स्थापित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन और रियायतें देकर उनके प्रयत्नों को बढ़ाती है। उनको स्वीकार्य रियायतों से सम्बन्धित ब्यौरे केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना "इन्सेंटिव्स फार इण्डस्ट्रीज इन बैकवर्ड एरियाज" से संबंधित पुस्तिका में दिए गए हैं। (केन्द्रीय सरकार और वित्तीय संस्थाओं)-अप्रैल, 1984, दिनांक 9-4-85 के प्रैस टिप्पण संख्या—14/2/83-डी० बी० ए०-1 के साथ पठित जिसकी

प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना के अन्तर्गत आंध्र प्रदेश को निम्नलिखित धनराशि की प्रतिपूर्ति की गई है :—

1983-84	4.63 करोड़ रु०
1984-85	7.14 करोड़ रु०
1985-86 (31.1.1986 तक)	6.33 करोड़ रु०

विवरण

उन जिलों की सूची जिनमें कोई भी बड़ा अथवा मझोला उद्योग नहीं है।

1. असम
   1. लखीमपुर
   2. उत्तरी कछार पहाड़िया
2. बिहार
   1. औरंगाबाद
   2. भोजपुर
   3. खगरिया
   4. नालन्दा
   5. पूर्णिया
   6. सहरसा (इसमें माधोपूर से बना नया जिला सम्मिलित है)
3. गुजरात
   1. डांग
4. हिमाचल प्रदेश
   1. चम्बा
   2. कांगड़ा
   3. किन्नौर
   4. कुल्लू
   5. लाहौल और स्पीती
5. जम्मू और कश्मीर
   1. डोडा
   2. कुपवाड़ा
   3. लद्दाख
   4. पुंछ
   5. फुलवामा
   6. राजौरी
   7. ऊधमपुर
6. कर्नाटक
   1. बीदर
7. केरल
   1. व्यानाड
   2. इदुक्की
8. महाराष्ट्र
   1. गादचिरोली
9. मध्य प्रदेश
   1. बालाघाट
   2. भिण्ड
   3. छतरपुर
   4. छिंदवाड़ा
   5. दमोह
   6. दतिया
   7. धार
   8. गुना
   9. झबुआ
   10. मांडला
   11. नरसिंहपुर
   12. पन्ना
   13. राजगढ़
   14. सिवनी
   15. शिवपुरी
   16. सीधी
   17. सुरगुंजा
   18. टीकमगढ़

1	2

10. मणिपुर
    1. मणिपुर (केन्द्रीय)
    2. मणिपुर (पूर्व)
    3. मणिपुर (उत्तरी)
    4. मणिपुर (दक्षिण)
    5. मणिपुर (पश्चिमी)
    6. टांगलोपाल

11. मेघालय
    1. पूर्वी गारो पहाड़ियां
    2. पश्चिमी गारो पहाड़ियां
    3. जयन्तिया पहाड़ियां
    4. पश्चिम खासी पहाड़ियां

12. नागालैंड
    1. तुएनसांग

13. उड़ीसा
    1. बालासौर
    2. बोलनगीर
    3. बौद्धखण्डमल्स (फुलबनी)

14. राजस्थान
    1. जैसलमेर
    2. सिरोही
    3. बाड़मेर
    4. चुरू

15. सिक्किम
    1. गंगटोक
    2. ग्यालसिंग
    3. मगन
    4. नामची

16. त्रिपुरा
    1. उत्तर त्रिपुरा
    2. दक्षिण त्रिपुरा
    3. पश्चिम त्रिपुरा

17. उत्तर प्रदेश
    1. बांदा
    2. चमोली
    3. फतहपुर
    4. हमीरपुर
    5. जालौन
    6. जौनपुर
    7. पौड़ी गढ़वाल
    8. सुल्तानपुर
    9. टिहरी गढ़वाल
    10. उत्तर काशी
    11. कानपुर देहात

18. पश्चिम बंगाल
    1. बांकुरा
    2. कुंच बिहार
    3. दार्जिलिंग
    4. जलपाईगुड़ी
    5. माल्दा

19. अण्डमान और निकोबार
    1. निकोबार द्वीप समूह

20. अरुणाचल प्रदेश
    1. कामग
    2. सियांग
    3. सुबनसीरी
    4. तिरण

21. लक्षद्वीप
    1. लक्षद्वीप

22. मिजोरम
    1. ऐजल
    2. लुगलेज

23. दादरा और नगर हवेली
    1. दादरा और नगर हवेली

आंध्र प्रदेश को राष्ट्रीय ग्रिड से बिजली

1325. **श्री वी० तुलसी राम** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान देश में बिजली उत्पादन में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके साथ बिजली की खपत में भी वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हाँ, तो गत दो वर्षों के दौरान राज्य-वार बिजली की खपत हुई तथा उन्हें राष्ट्रीय ग्रिड से कितनी बिजली सप्लाई की गई;

(घ) क्या राष्ट्रीय ग्रिड से आंध्र प्रदेश को बिजली की सप्लाई उसके सभी क्षेत्रों विशेषकर कृषि और उद्योग क्षेत्र की आवश्यकताओं के लिये पर्याप्त नहीं है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा आंध्र प्रदेश में और बिजली देने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) प्रत्येक राज्य की विद्युत सम्बन्धी आवश्यकता उसके अपने विद्युत केन्द्रों से होने वाले विद्युत उत्पादन, सांझा परियोजनाओं के विद्युत उत्पादन में उसके हिस्से, केन्द्रीय परियोजनाओं के विद्युत उत्पादन में उसके हिस्से और पड़ोसी प्रणालियों से प्राप्त सहायता से पूरी की जाती है। वर्ष 1983-84, 1984-85 और अप्रैल, 1985 से जनवरी, 1986 तक की अवधि के दौरान राज्य-वार विद्युत की आवश्यकता और उपलब्धता दिखाने वाला **विवरण**-एक संलग्न है। केन्द्र सरकार के विद्युत केन्द्रों से होने वाला विद्युत उत्पादन लाभ प्राप्त करने वाले विभिन्न राज्यों को वितरित किया गया था। केन्द्र सरकार के विद्युत केन्द्रों से विभिन्न राज्यों को की गई सप्लाई **विवरण**-दो में दी गई है।

(घ) और (ङ) चालू वर्ष के दौरान, आन्ध्र प्रदेश अब तक बिना कोई विद्युत कटौती लागू किए, कुल मिलाकर अपनी, ऊर्जा सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने में सफल रहा है। आन्ध्र प्रदेश में नई विद्युत उत्पादन क्षमता चालू हो जाने और केन्द्र सरकार के विद्युत केन्द्रों में इसके विद्युत के हिस्से से आंध्र प्रदेश में विद्युत उत्पादन की स्थिति में और सुधार होने की उम्मीद है।

विवरण-एक

विद्युत की राज्य-वार आवश्यकता और खपत

(सभी आंकड़े मिलियन यूनिट/निवल में हैं)

राज्य का नाम	1983-84 आवश्यकता	1983-84 उपलब्धता	1983-84 कमी (—) अधिशेष (+) (%)	1984-85 आवश्यकता	1984-85 उपलब्धता	1984-85 कमी (—) अधिशेष (+) (%)	1985-"86 (अप्रेल-86-जन०, 86) आवश्यकता	1985-"86 (अप्रेल-86-जन०, 86) उपलब्धता	1985-"86 (अप्रेल-86-जन०, 86) कमी (—) अधिशेष (+) (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
उत्तरी क्षेत्र									
हरियाणा	4536	4204	—332 (7.3)	5571	3963	—1608 (28.9)	4677	3482	—1195 (25.6)
हिमाचल प्रदेश ब्यास सतलुज लिंक सहित]	521	536	+15 (2.9)	614	650	+36 (5.8)	630	627	—3 (0.5)
जम्मू व कश्मीर	1510	1214	—296 (19.6)	1549	1270	—279 (18.0)	1384	1180	—204 (14.7)
पंजाब एन० एफ० एफ० सहित	8644	7787	—857 (9.9)	9585	7741	—1844 (19.2)	9056	8127	—929 (10.3)
राजस्थान	5996	5617	—379 (6.3)	6570	5903	—667 (10.2)	5760	5324	—436 (7.6)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
उत्तर प्रदेश	15164	13028	—2126 (14.0)	16352	14193	—2159 (13.2)	14533	12721	—1812 (21.5)
दिल्ली	3614	3811	+197 (5.4)	4175	4448	+273 (6.5)	4122	4111	—11 (0.3)
चण्डीगढ़	279	278	—1 (0.4)	306	303	—3 (1.0)	298	289	—9 (3.0)
पश्चिम क्षेत्र									
गुजरात	11751	11846	+95 (0.8)	12566	12784	+249 (1.7)	11588	11388	—200 (1.7)
मध्य प्रदेश	8602	8701	+99 (1.2)	9810	10232	+422 (4.3)	9240	9225	—15 (0.2)
गोवा सहित महाराष्ट्र	24837	20858	—3479 (14.3)	24055	23102	—953 (4.0)	21559	21218	—341 (1.6)
दक्षिण क्षेत्र									
आन्ध्र प्रदेश	9899	10045	+146 (1.5)	11287	12036	+749 (6.6)	11115	11115	—
कर्नाटक	9610	8299	—1311 (13.6)	10277	9532	—745 (7.2)	10036	7764	—2272 (22.6)
केरल	4466	3704	—762 (17.1)	4775	4662	—113 (2.4)	4332	4332	— —

1	2	3	4	3	6	7	8	9	10
तमिलनाडु	13015	10449	—2566 (19.7)	13390	13580	+190 (1.4)	12080	10722	—1358 (11.2)
पूर्वी क्षेत्र									
बिहार	4389	2635	—1754 (40.0)	4418	2678	—1740 (39.4)	3591	2602	—989 (27.5)
पश्चिम बंगाल	7172	6109	—1063 (14.8)	6769	6621	—148 (2.2)	6120	5786	—334 (5.5)
दामोदर घाटी निगम	5602	5134	—468 (8.3)	6576	5344	—1232 (18.7)	5510	4959	—551 (10.0)
उड़ीसा	4681	3943	—733 (15.7)	5194	4339	—855 (16.5)	4495	3707	—788 (17.5)
उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र									
	1506	1490	—16 (1.1)	1594	1632	+38 (2.4)	1463	1424	—39 (2.7)

विवरण-दो

केन्द्रीय क्षेत्र के विद्युत केन्द्रों से विद्युत की सप्लाई

रामगुण्डम सुपर ताप विद्युत केन्द्र से	1983-84	1984-85	अप्रैल, 85 से जनवरी, 86
आंध्र प्रदेश	131.3	662.3	1620.1
केरल	—	—	—
तमिलनाडु	—	111.5	308.9
कर्नाटक	28.0	434.2	658.5
गोआ	15.8	57.3	68.2
बैरा स्यूल जल विद्युत परियोजना से			
दिल्ली	354.2	312.0	364.4
हरियाणा	128.8	84.4	29.6
हिमाचल प्रदेश	45.5	30.5	15.4
जम्मू व कश्मीर	57.6	67.1	76.5
पंजाब	194.5	127.9	44.8
सिंगरौली सुपर विद्युत केन्द्र से			
दिल्ली	97.1	344.4	677.0
हरियाणा	93.0	143.4	313.5
पंजाब	61.4	93.0	44.9
राजस्थान	412.3	508.2	556.5
उत्तर प्रदेश	1791.3	3305.2	2840.6
हिमाचल प्रदेश	10.7	24.1	25.0
जम्मू व कश्मीर	22.9	38.6	54.5
बी० बी० एम० बी०	7.9	5.5	14.1
चण्डीगढ़	2.0	3.0	12.4
बिहार	370.8	134.8	87.4
कोरबा सुपर ताप विद्युत केन्द्र से			
मध्य प्रदेश	—	536.6*	1241.6
महाराष्ट्र	—	284 8*	1009.5
गुजरात	—	171.0*	548.1
गोआ	—	61.3*	118.2

*कोरबा सुपर ताप विद्युत केन्द्र से विभिन्न लाभ प्राप्त करने वालों को वर्ष 1984-85 के दौरान विद्युत की सप्लाई नवम्बर, 1984 से मार्च, 1985 तक की अवधि से सम्बन्धित है।

उत्तर प्रदेश में तेल की खोज

1326. डा० कृपा सिंधु भोई : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय उत्तर प्रदेश में तेल की खोज के लिये प्रयोग जारी है;

(ख) क्या राज्य में किसी स्थान पर तेल और गैस के भंडार पाये गये हैं; और

(ग) प्रत्येक परियोजना पर कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) 31 मार्च, 1985 तक अन्वेषक खनन प. लगभग 6.28 करोड़ रुपये खर्च किए गए।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में केन्द्रीय निवेश

1327. श्री राममूर्ति भट्टम : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा आन्ध्र प्रदेश तथा अन्य राज्यों में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अब तक कितना निवेश किया गया है;

(ख) विभिन्न राज्यों में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में इस प्रकार के निवेश का प्रति व्यक्ति आधार क्या है; और

(ग) विभिन्न राज्यों में सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित की जाने वाली नई परियोजनाओं में कितना निवेश किया जायेगा ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) माननीय सदस्य का आशय विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में हुए पूंजीनिवेश से है। 31-3-1985 को केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में सकल परिसम्पत्ति आदि के रूप में किये गये पूंजीनिवेश का राज्य-वार ब्यौरा, जिसमें आन्ध्र प्रदेश भी शामिल है, 27-2-1986 को सभा-पटल पर रखे गये लोक उद्यम सर्वेक्षण 1984-85 के खण्ड-1 के पृष्ठ 15 पर वितरण संख्या 1.16 में उपलब्ध है।

(ख) विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय पूंजीनिवेश का निर्णय प्रति व्यक्ति आधार पर नहीं किया जाता है।

(ग) औद्योगिक परियोजनाओं की अवस्थिति का निर्णय तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यताओं के आधार पर किया जाता है तथा इसे राज्यवार आधार पर पूर्व निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

सौर ऊर्जा के द्वारा विद्युतीकरण

1328. श्री आर० एम० भोये : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश से कितने गांवों का सौर ऊर्जा के प्रयोग से विद्युतीकरण किया गया है; और

(ख) वर्ष 1986 के दौरान राज्यवार कितने गांवों का विद्युतीकरण किया जायेगा ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) जनवरी, 1986 के अंत तक, सौर ऊर्जा का प्रयोग करके, मुख्यतया गली रोशनी एककों और अन्य सामुदायिक सुविधाओं के माध्यम से 187 गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है।

(ख) 1986 के लिए राज्यवार लक्ष्य तैयार किये जा रहे हैं।

महाराष्ट्र को मिट्टी के तेल का आबंटन

1329. **श्री आर० एम० भोये** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र को वर्ष 1985 के दौरान मिट्टी के तेल का मासिक आबंटन ब्यौरा क्या है और उस राज्य द्वारा वास्तव में कितना मिट्टी का तेल उठाया गया है;

(ख) आबंटन संबंधी आधारों का ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1986 में मासिक आबंटन के लिए महाराष्ट्र की अनुमानित मांग क्या है और महाराष्ट्र राज्य को कितना आबंटन किए जाने की संभावना है; और

(घ) महाराष्ट्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) वर्ष 1985 के दौरान महाराष्ट्र को किए गए मिट्टी के तेल का आबंटन इस प्रकार है :—

(मी० टन)

महीना	आबंटन	बिक्री
1	2	3
जनवरी	92,400	93,002
फरवरी	95,400	94,292
मार्च	84,360	84,543
अप्रैल	84,160	83,469
मई	83,160	83,124
जून	83,160	81,408
जुलाई	89,530	89,811
अगस्त	89,530	88,870
सितम्बर	90,500	89,933
अक्तूबर	89,530	89,982
नवम्बर	99,530	98,829
दिसम्बर	99,330	98,239
जोड़	10,80,390	10,75,502

(ख) से (घ) महाराष्ट्र सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की मिट्टी के तेल की आवश्यकता का अनुमान पिछले वर्ष की 4 महीनों के ब्लाक के आधार पर तद्नुरूपी अवधि में किए गए आबं-

टन में 5% की बढ़ोत्तरी करके लगाया जाता है और उसके अनुसार आबंटन किया जाता है। नियमित आबंटन के अतिरिक्त बाढ़ सूखा, तूफान, एल•पी०जी०/साफ्ट कोक आदि की कमी की स्थितियों से मुकाबला करने के लिए भी तदर्थ आधार पर अतिरिक्त आबंटन किया जाता है। जनवरी-जून, 1986 के महीनों में आबंटन इस प्रकार किया गया है :—

(मी० टन)

महीना	आबंटन
जनवरी	99,490
फरवरी	99,330
मार्च	87,320
अप्रैल	87,320
मई	87,320
जून	87,320

1986 की बाकी अवधि के दौरान उपर्युक्त तरीके से आबंटन किया जाएगा। पहले की तरह तेल विपणन कम्पनियां महाराष्ट्र को आबंटित मात्रा की पूर्ति करने का प्रयास करेंगी।

हिन्दुस्तान इन्सेक्टासाइड्स लिमिटेड, उद्योग मंडल, द्वारा उत्पादन लक्ष्य

1330. **प्रो० के० बी० थामस** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान इन्सेक्टासाइड्स लि०, उद्योग मंडल ने अपना उत्पादन लक्ष्य प्राप्त कर लिया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है; और

(ग) हिन्दुस्तान इन्सेक्टासाइड्स लि० उद्योग मंडल की दूसरी इम्पैक्स मिल के कब शुरू होने की सम्भावना है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) उत्पादन में कमी के मुख्य कारण कच्चे माल अर्थात् अपेक्षित सीमा तक अलकोहल और क्लोरीन की अनुपलब्धि थी। अपेक्षित मात्रा में कच्चे माल की नियमित आपूर्ति के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

(ग) जब कभी आवश्यक होता है हिन्दुस्तान इन्सेक्टेसाइड्स लि०, उद्योग मण्डल में स्थित इम्पैक्स मिल का पहले ही उपयोग किया जा रहा है।

हिन्दुस्तान इन्सेक्टासाइड्स लि०, उद्योग मंडल द्वारा डी०डी०टी०, बी०एच०सी० की घटिया किस्म का उत्पादन

1331. **प्रो० के० बी० थामस** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसी कोई शिकायत प्राप्त हुई है कि हिन्दुस्तान इन्सेक्टासाइड्स लि०, उद्योग मण्डल द्वारा उत्पादित डी०डी०टी० और बी० एच० सी० तथा अन्य रसायन घटिया किस्म के हैं; और

(ख) क्या हिन्दुस्तान इन्सेक्टासाइड्स लि०, उद्योग मंडल, स्थित राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम एकक ने भारी मात्रा में डी०डी०टी०,बी०एच०सी० तथा अन्य रसायनों के नमूने घटिया किस्म होने के कारण लेने से इन्कार कर दिया है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) चालू वर्ष के दौरान ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) एकक प्रत्येक बेच के नमूनों का परीक्षण करता है और उन नमूनों को अस्वीकृत कर देता है जो आई०एस०आई० के मापदण्डों के अनुसार नहीं होते। इन बेचों को पुनः परि-मामित किया जाता है तथा सामान्य पद्धति के अनुसार राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम द्वारा नमूना स्वीकृत किये जाने के बाद ही इसकी राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की आपूर्ति की जाती है।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन तथा अन्य परिलब्धियों में वृद्धि करना

1332. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन तथा अन्य परिलब्धियों में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी, हाँ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय तेल निगम द्वारा ठेकेदार के माध्यम से सुरक्षा प्रबंध

1333. **श्री एम० रघुमा रेड्डी**
श्री पी० मल्लिक रेड्डी } : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम एक ठेकेदार के माध्यम से सुरक्षा कर्मचारी रख रहा है;

(ख) यदि हां, तो ठेके की शर्तें क्या हैं;

(ग) यह क्या सरकार का विचार भारतीय तेल निगम में इस ठेका प्रणाली को समाप्त करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) रिफाइनरियो स्थलों पर केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल लगाने के अतिरिक्त कुछ स्थानों पर सुरक्षा का प्रबन्ध आई०ओ०सी० ने विशेषज्ञता प्राप्त निजी एंजेंसियों के साथ संविदा के आधार पर किया है।

(ख) संविदा की शर्तें और यूनिट विशेष के आधार पर अलग-अलग होती हैं, जो अपेक्षित सुरक्षा के प्रकार पर निर्भर करती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) ऐसे सुरक्षा प्रबन्ध आवश्यक समझे गए हैं।

यवतमाल (महाराष्ट्र) टेलीफोन एक्सचेंज से नये टेलीफोन कनेक्शन

1334 **श्री उत्तम राव पाटिल :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यवतमाल (महाराष्ट्र) टेलीफोन एक्सचेंज की क्षमता विरुद्ध है और नए टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराने में असमर्थ है और नए टेलीफोन कनेक्शनों के लिए बहुत लम्बी प्रतीक्षा सूची है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और नए टेलीफोन कनेक्शनों की मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां। एक्सचेंज में और अधिक क्षमता न होने के कारण इसमें से कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं।

(ख) 1987-88 के दौरान इस एक्सचेंज का 300 लाइनों में विस्तार किया जाएगा और उसके बाद नए कनेक्शन दिए जाएंगे।

विद्युत संयंत्रों द्वारा क्षमता से कम कार्य किया जाना

1335. **श्री अख्तर हसन :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में कुछ महत्वपूर्ण विद्युत संयंत्र अपनी क्षमता से बहुत कम कार्य कर रहे हैं जिससे औद्योगिक और कृषि उत्पादन में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो उन संयंत्रों के नाम क्या हैं और वहां विद्युत उत्पादन में कितनी कमी आई है; और

(ग) स्थिति में सुधार करने के लिए क्या उपाय अपनाए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) प्रतिष्ठापित क्षमता का 100% समुपयोजन करना सम्भव नहीं है। जल विद्युत केन्द्रों के मामलों में उत्पादन जल की उपलब्धता पर निर्भर करता है तथा ताप विद्युत केन्द्रों के मामले में बायलर की अनिवार्य ओवरहालिंग तथा टरबाइनों के आद्योपान्त अनुरक्षण के लिए विद्युत उत्पादन यूनिटों को बन्द करना होता है, जो कि यूनिटों की स्थिति तथा निर्माताओं के निर्देशों पर निर्भर करता है। प्रणाली में भार की भिन्नता के कारण क्षमता का गैर-समुपयोजन भी होता है। अप्रैल 1985 से जनवरी 1986 तक की अवधि के दौरान ताप विद्युत केन्द्रों का संयंत्र भार अनुपात 51.3% था। तथापि, इस अवधि के दौरान 32 ताप विद्युत केन्द्रों ने राष्ट्रीय औसत से कम पर प्रचालन कार्य किया है। इन विद्युत केंद्रों के नाम तथा उनका संयंत्र भार अनुपात संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) ताप विद्युत केंद्रों के कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं, जिनमें निम्नलिखित उपाय शामिल हैं :—

(1) अपेक्षित गुणवत्ता और मात्रा में कोयला प्राप्त करने तथा स्वदेशी और विदेशी स्त्रोतों से फुटकर पुर्जे प्राप्त करने में राज्य बिजली बोर्डों विद्युत केंद्रों को सहायता देना;

(2) संयंत्र सुधार कार्यक्रमों को हाथ में लेने के लिए राज्य बिजली बोर्डों/विद्युत केंद्रों को सहायता देना;

(3) ऐसे कमजोर क्षेत्रों का पता लगाने के लिए, जिनमें सुधार किया जाना अपेक्षित है, तथा सुधार के लिए समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करने के लिए कृतिक बलों और भ्रमणशील दलों द्वारा दौरे किया जाना;

(4) इन्जीनियरों तथा प्रचालन और अनुरक्षण कार्मिकों को प्रशिक्षण देना;

(5) कुल 500 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता से केन्द्र द्वारा प्रायोजित नवीकरण और आधुनिकीकरण स्कीम क्रियान्वित करना, जिसमें 32 ताप विद्युत केन्द्र शामिल हैं।

विवरण

उन ताप विद्युत केन्द्रों की सूची जिनका संयंत्र भार अनुपात अप्रैल, 85—जनवरी, 86 के दौरान राष्ट्रीय औसत से कम था

राज्य/केन्द्र	संयंत्र भार अनुपात (%)	राज्य/केन्द्र	संयंत्र भार अनुपात (%)
1	2	1	2
दिल्ली		13. पारस	44.3
1. बदरपुर	43.2	14. चन्द्रपुर	42.6
हरियाणा		**आंध्र प्रदेश**	
2. फरीदाबाद विस्तार	21.4	15. कोठागुडम ख	36.3
3. पानीपत	39.6	16. कोठागुडम ग	49.8
उत्तर प्रदेश		17. नेल्लौर	40.8
4. ओबरा	41.3	**कर्नाटक**	
5. हरदुआगंज ख व ग	30.6	18. रायचूर	39.7
6. हरदुआगंज क	22.8	**तमिलनाडु**	
7. पंकी	32.5	19. इन्दौर	49.9
8. आर०पी०एच० (कानपुर)	16.5	20. बेसिन ब्रिज	4.3
गुजरात		**बिहार**	
9. उकई	48.9	21. पतरातू	40.6
10. वानकबोरी	46.9	22. बरौनी	18.6
मध्य प्रदेश		**दामोदर घाटी निगम**	
11. कोरबा पश्चिम	44.0	23. चन्द्रपुर	46.5
महाराष्ट्र			
12. खापरखेड़ा	29.5	24. दुर्गापुर	50.6

1	2	1	2
उड़ीसा		29. कोलाघाट	46.8
25. तलचेर	30.1	असम	
पश्चिम बंगाल			
26. संथालडीह	28.3	30. नामरूप	44.9
27. सी०ई०एस०सी० (प्राइवेट)	49.7	31. चन्द्रपुर	35.9
28. दुर्गापुर परियोजना लि०	26.7	32. बोंगाईगांव	3.2

[हिन्दी]

पहाड़ी जिलों में डाक वितरण सेवायें

1336. **श्री हरीश रावत :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों में विभिन्न स्थानों पर अच्छी डाक सेवा न होने के कारण डाक वितरण में अत्याधिक विलम्ब हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस सेवा में सुधार करने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में डाक व्यवस्था स्थानीय सड़क परिवहन सेवाओं की कार्यप्रणाली पर निर्भर करती है। इस समय उपलब्ध सड़क परिवहन सेवाओं को देखते हुए डाक की ढुलाई की व्यवस्था संतोषजनक है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बागेश्वर और रानीखेत को बरेली के साथ "ट्रंक डायलिंग" प्रणाली से जोड़ना

1337. **श्री हरीश रावत :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्मोड़ा स्थित यू०एच०एफ० सेन्टर ने काम करना शुरू कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो बागेश्वर और रानीखेत को उक्त सेन्टर के माध्यम से बरेली के साथ ट्रंक डायलिंग प्रणाली से कब तक जोड़े जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) अल्मोड़ा को बरेली से जोड़ते हुए एक यू०एच०एफ० प्रणाली 2-12-85 से चालू की गई है।

(ख) रानीखेत और बागेश्वर में यू०एच०एफ० लिंक सुलभ कराने के सम्बन्ध में फिलहाल कोई योजना नहीं है क्योंकि ये लिंक वित्तीय दृष्टि से व्यवहार्य नहीं है।

उत्तर प्रदेश से ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये प्रस्ताव

1338. **श्री हरीश रावत :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष उत्तर प्रदेश से ग्रामीण विद्युतीकरण संबंधी कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) उनमें से कितने प्रस्तावों को स्वीकृत की गई है; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) वर्ष 1985-86 के दौरान (जनवरी, 1986 तक) उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने ग्राम विद्युतीकरण निगम से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए विभिन्न श्रेणियों की कुल 152 ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें प्रस्तुत की हैं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त में से, जनवरी, 1986 के अन्त तक निगम ने कुल 830 लाख रुपये की ऋण सहायता की 28 स्कीमें अनुमोदित की हैं।

[अनुवाद]

देश में निर्मित अखबारी कागज के मूल्य में वृद्धि

1339 **डा० ए० के० पटेल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में निर्मित अखबारी कागज के मूल्य में हाल ही में वृद्धि की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या छोटी कागज मिलों ने अखबारी कागज का तुलनीय मूल्यों पर निर्माण करने का प्रस्ताव किया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या यह प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया गया है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) और (ख) जी, हां। मुख्यतया कच्चे माल, रसायनों, बिजली श्रम तथा अन्य ऊपरी खर्चों पर लागत बढ़ जाने से उत्पादन की लागत में वृद्धि हो जाने के कारण देशी अखबारी कागज उत्पादकों को 31-12-1985 से अपने कागज की मिल कीमतें (एक्स-मिल) बढ़ाने की अनुमति दी गई है।

(ग) और (घ) पर्याप्त समर्थन मूल्य, निविष्टियों की अबाध आपूर्ति, पर्याप्त धन की व्यवस्था तथा उत्पादन की खरीद की गारन्टी की शर्त पर आल इण्डिया स्माल पेपर मिल्स एसोसिएशन ने इस प्रकार की पेशकश (आफर) की है। 5 करोड़ रुपये तक के निवेश हेतु औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है और बड़ी परियोजनाओं सम्बन्धी अनुरोध पर गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जाएगा।

ऊर्जा परियोजनाओं के लिये अंतर्राष्ट्रीय पेशकश

1340. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक अन्तर्राष्ट्रीय विद्युत कम्पनियां विद्युत परियोजनाओं को वित्तीय व्यवस्था प्रदान करने की पेशकश के साथ सरकार और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम सम्पर्क कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो अब तक प्राप्त विभिन्न विद्युत परियोजनाओं के लिए विभिन्न पेशकशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भिन्न-भिन्न परियोजनाओं को शुरू करने का विचार है और आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूरी की जाने वाली नई परियोजनाएं कौन-सी हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) आस्ट्रिया, जापान, इटली, हंगरी, रोमानिया, यू०एस०एस०आर० जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, फेडरल रिपब्लिक आफ जर्मनी, पौलेंड, फ्रांस, यू०के०, कनाडा और स्वीडन सहित, अनेक देशों से द्विपक्षीय सहायता के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। प्रस्ताव सदैव किसी विशिष्ट जल विद्युत अथवा ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए नहीं होते हैं। कुछ प्रस्तावों का स्वरूप प्रारम्भिक किस्म का होता है।

(ग) सातवीं योजनावधि के दौरान 22,245 मेगावाट क्षमता जोड़े जाने की परिकल्पना की गई है। प्रमुख परियोजनाओं (100 मेगावाट और उससे अधिक) के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं। वर्तमान संकेतों के अनुसार आठवीं योजना में निर्माणाधीन/स्वीकृत स्कीमों तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा मंजूर की गई स्कीमों से लगभग 23,000 मेगावाट क्षमता जोड़े जाने की उम्मीद है। उसके बाद के भावी कार्यक्रम के बारे में निर्णय आठवीं योजना तैयार करते समय लिया जाएगा।

विवरण

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्युत उत्पादन स्कीमों से लाभ

क्रम सं०	स्कीम	लाभ (मेगावाट)
1	2	3
1.	पानीपत ताप विद्युत केन्द्र चरण-2	220
2.	पानीपत ताप विद्युत केन्द्र चरण-3	210
3.	भाभा जल विद्युत स्कीम	120
4.	मुकेरियां जल विद्युत स्कीम	162
5.	रोपड़ ताप विद्युत केन्द्र चरण-2	420
6.	आनन्दपुर साहिब जल विद्युत स्कीम	134
7.	कोटा ताप विद्युत केन्द्र विस्तार	210
8.	माही जल विद्युत स्कीम	140
9.	मनेरी भाली जल विद्युत स्कीम चरण-2	304
10.	अनपारा 'क' ताप विद्युत केन्द्र	630
11.	टाडा ताप विद्युत केन्द्र	440
12.	ऊंचाहार ताप विद्युत केन्द्र	420
13.	सलाल जल विद्युत स्कीम	345
14.	चमेरा जल विद्युत स्कीम	180
15.	सिंगरौली सुपर ताप विद्युत केन्द्र, चरण-1 फेज-2	1000
16.	रिहन्द सुपर ताप विद्युत केन्द्र	1000
17.	नरेरा परमाणु विद्युत परियोजना	470
18.	कडाना पम्पड स्टोरेज जल विद्युत स्कीम	120
19.	वानकबोरी ताप विद्युत केन्द्र विस्तार	630
20.	सिक्का ताप विद्युत केन्द्र	120
21.	गांधी नगर ताप विद्युत केन्द्र विस्तार	210

1	2	3
22.	हसदेव जल विद्युत स्कीम	120
23.	कोरबा पश्चिम ताप विद्युत केन्द्र विस्तार	210
24.	संजय गांधी (बीरसिंहपुर) ताप विद्युत केन्द्र	210
25.	बाणसागर जल विद्युत स्कीम	210
26.	चन्द्रपुर ताप विद्युत केन्द्र विस्तार	420
27.	उरान गैस केन्द्र विस्तार	324
28.	खापरखेड़ा ताप विद्युत केन्द्र विस्तार	420
29.	पारली ताप विद्युत केन्द्र विस्तार	210
30.	उरान गैस टर्बाइन केन्द्र यूनिट सं० 8	108
31.	पेंच जल विद्युत स्कीम	160
32.	कोरबा सुपर ताप विद्युत केन्द्र	500
33.	कोरबा सुपर ताप विद्युत केन्द्र विस्तार	1000
34.	विन्ध्याचल सुपर ताप विद्युत केन्द्र	1260
35.	नागार्जुनसागर जल विद्युत स्कीम चरण-2	100
36.	सिरिसेलम जल विद्युत स्कीम चरण-2	330
37.	विजयवाड़ा ताप विद्युत केन्द्र विस्तार	210
38.	वाराही केनाल जल विद्युत स्कीम	239
39.	सूपा बांध जल विद्युत स्कीम	100
40.	रायचूर ताप विद्युत केन्द्र	210
41.	इदुक्की जल विद्युत स्कीम चरण-2	390
42.	कदमपराई जल विद्युत स्कीम	400
43.	लोवर मेट्टूर ताप विद्युत केन्द्र विस्तार	120
44.	मेट्टयूर ताप विद्युत केन्द्र	420
45.	मेट्टयूर ताप विद्युत केन्द्र विस्तार	210
46.	तुतिकोरिन ताप विद्युत केन्द्र विस्तार	210
47.	रामागुण्डम सुपर ताप विद्युत केन्द्र विस्तार	1000
48.	नेवेली दूसरा माइन कट ताप विद्युत केन्द्र	630
49.	नेवेली दूसरा माइन कट ताप विद्युत केन्द्र विस्तार	210
50.	कलपक्कम परमाणु विद्युत परियोजना यूनिट-2	235
51.	पतरातु ताप विद्युत केन्द्र यूनिट-10	110
52.	मुजफ्फरपुर ताप विद्युत केन्द्र यूनिट-2	110
53.	तेनुघाट ताप विद्युत केन्द्र	210
54.	अपर कोलाब जल विद्युत स्कीम	240
55.	रेंगाली जल विद्युत स्कीम	100
56.	रेंगाली जल विद्युत स्कीम विस्तार	100
57.	कोलाघाट ताप विद्युत केन्द्र	420

1	2	3
58.	कोलाघाट ताप विद्युत केन्द्र विस्तार	210
59.	दुर्गापुर परियोजना लि० ताप विद्युत केन्द्र विस्तार	110
60.	बोकारो "ख" ताप विद्युत केन्द्र	210
61.	बोकारो "ख" ताप विद्युत केन्द्र विस्तार	420
62.	फरक्का सुपर ताप विद्युत केन्द्र चरण-1	630
63.	लोअर बोरपानी जल विद्युत स्कीम	100
64.	कोपाली जल विद्युत स्कीम	100

चन्द्रपुर ताप विद्युत केन्द्र द्वारा वायु प्रदूषण

1341. **श्री बृज मोहन महन्ती : क्या ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम का चन्द्रपुर ताप विद्युत केन्द्र वायु प्रदूषण फैला रहा और यदि हां, तो इसे रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं;

(ख) क्या दामोदर घाटी निगम के कर्मचारियों ने प्राधिकारियों द्वारा उपचारात्मक उपायों के प्रति उदासीनता बरते जाने के विरुद्ध प्रदर्शन किया था; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) अपने चन्द्रपुर ताप विद्युत कन्द्र में प्रदूषण रोधी उपायों को और सुदृढ़ करने की दृष्टि से दामोदर घाटी निगम ने केन्द्र के नवीकरण और आधुनिकीकरण कार्यक्रम में 12 करोड़ रुपये की लागत से इलैक्ट्रोस्टेटिक प्रिसिपिटेट्टरों की क्षमता में वृद्धि करने का एक प्रस्ताव शामिल किया है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

केरल में शेरथालई टेलीफोन एक्सचेंज में टेलीफोन कनेक्शन

1342. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन : क्या संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि केरल में शेरथालई टेलीफोन एक्सचेंज में वर्ष 1982 में धनराशि जमा करने वाले लोगों को टेलिफोन कनेक्शन नहीं दिए गए हैं; और

(ख) क्या सरकार उन्हें शीघ्र टेलीफोन कनेक्शन दिलाने के लिए कदम उठाएगी ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां ।

(ख) शेरथालई स्थित टेलीफोन एक्सजेंज का 1987-88 के दौरान विस्तार किए जाने की संभावना है और तत्पश्चात् उत्तरोत्तर टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए जा सकेंगे ।

महाराष्ट्र में उप डाकघर और शाखा डाकघर

1343. **श्री हुसैन दलवाई : क्या संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय पूरे महाराष्ट्र राज्य में उप डाकघरों की जिलावार संख्या क्या है; और

(ख) इस समय महाराष्ट्र राज्य में शाखा डाक घरों की (जिला-वार) संख्या कितनी है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

महाराष्ट्र राज्य में उप डाकघरों और शाखा डाकघरों की जिलावार संख्या

क्रम संख्या	जिला	उप डाकघरों की संख्या	शाखा डाक घरों की संख्या
1	2	3	4
1.	शोलापुर	118	400
2.	पुणे	102	613
3.	जलगांव	103	389
4.	ओसमनाबाद }	60	478
5.	लतुर }		
6.	सतारा	96	192
7.	औरंगाबाद }	74	381
8.	जलना }		
9.	धुले	54	368
10.	नागपुर }	166	515
11.	भंडारा }		
12.	अहमदनगर	108	501
13.	सिंधुदुर्ग	69	276
14	नासिक	104	812
15.	वर्धा }	83	449
16.	यवतमाल }		
17.	रत्नगिरि	91	528
18.	कोल्हापुर	100	387
19.	अकोला	57	324
20.	थाणे	113	278
21.	चन्द्रगिरि }	65	387
22.	गढ़चिरोली }		
23.	सांगली	100	310
24.	रायगढ़	60	326
25.	नानदेड }	102	613
26.	प्रभानी }		
27.	बम्बई	166	13
28.	बुलढाना	49	282
29.	भीड	43	262
30.	अमरावती	78	366

टिप्पणी : संयुक्त जिले एक ही डाक मंडल के अधीन हैं।

महाराष्ट्र में टेलीफोन एक्सचेंज और सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र

1344. श्री हुसैन दलवाई : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में जिला-वार टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या कितनी है; और

(ख) महाराष्ट्र में इस समय सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों की जिला-वार संख्या क्या है?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

महाराष्ट्र सर्किल में एक्सचेंजों/एल०डी०पी०टी०/स्थानीय सी०सी०ओ० की जिले वार संख्या

क्रम सं०	जिले का नाम	एक्सचेंजों की संख्या	पी०सी०ओ० की सं० (स्थानीय तथा एल०डी०पी०टी०)	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1.	अहमदनगर	85	100	
2.	अकोला	24	140	
3.	अमरावती	30	190	
4.	औरंगाबाद	31	66	
5.	भंडारा	31	3—	नागपुर मंडल में शामिल
6.	बिहार	16	—	अहमदनगर मण्डल में शामिल
7.	बुलडाणा	33	—	अकोला मण्डल में शामिल
8.	चन्द्रपुर	22	182	
9.	धुले	46	136	
10.	गाडचीरोली	10	—	चन्द्रपुर मंडल में शामिल
11.	जलगांव	89	191	
12	जालना	19	—	औरंगाबाद मण्डल में शामिल
13.	कोल्हापुर	48	294	
14.	लटूर	21	—	सोल्हापुर मण्डल में शामिल
15.	नागपुर	25	57	
16.	नांदेड़	33	98	

1 2	3	4	5
17. नासिक	78	35	
18. ओसमानाबाद	14	—	सोल्हापुर मण्डल में शामिल
19. परबानी	23	—	औरंगाबाद और नांदेड मण्डल में शामिल
20. पुणे	65	170	
21. रायगढ़	46	132	
22. रत्नागिरी	33	—	कोल्हापुर मण्डल में शामिल
23. सांगली	52	169	
24. सतारा	39	—	पुणे और सांगली मण्डल में शामिल
25. सिन्धुगढ़	27	—	कोल्हापुर मण्डल में शामिल
26. सोल्हापुर	40	238	
27. थाण	41	27	
28. वर्धा	20	—	चन्द्रपुर मण्डल में शामिल
29. यवतमाल	26	—	अमरावती मण्डल में शामिल
30. गोवा	35	103	
	1108	2328	

नोट :— कुछ जिलों के मामले में प्रत्येक राजस्व जिले में कार्य कर रहे सार्वजनिक टेलीफोन घरों की संख्या उपलब्ध नहीं है। ऐसे मामलों में दो या तीन राजस्व जिलों में कार्य कर रहे सार्वजनिक टेलीफोन घरों की संख्या उस राजस्व जिले के सामने दी गई है, जिसमें दूरसंचार मण्डलीय मुख्यालय स्थित है।

बिजली की आवश्यकता को पूरा करने के लिये पवन चक्कियों की स्थापना

1345. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पवन चक्कियों के माध्यम से ऊर्जा का उत्पादन करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) ये पवन चक्कियां स्थापित करने के लिए कौन से क्षेत्रों को उपयुक्त पाया गया है; और

(ग) क्या सरकार का विचार लघु उद्योगों को ऊर्जा की अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपनी पवन चक्कियां स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन देने का है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे): (क) जी हां।

(ख) उपलब्ध सूचना के आधार पर वायु से विद्युत उत्पन्न करने के लिए कच्छ के तटीय भागों, सौराष्ट्र, तमिलनाडु, कोंकण उड़ीसा तथा तमिलनाडु, गुजरात और लद्दाख के कुछ स्थानीय भागों में वायु की उपयुक्त दशाएं मौजूद हैं। देश के विभिन्न भागों में वायु विद्युत उत्पादन के लिए अन्य वायु वाले क्षेत्रों का पता लगाने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त जल पम्पन वायु चक्कियों के लिए कई अन्य स्थानीय क्षेत्र उपयुक्त हैं जो कि संबंधित कम गति की वायु में कार्य कर सकते हैं।

(ग) जी हां। जहां ऐसा सम्भव हो सकता है।

पारेषण के दौरान बिजली की हानि को रोकने के लिए आधुनिक तकनीक

1346. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारेषण के दौरान बिजली की हानि को रोकने के लिए आधुनिक तकनीक उपलब्ध न होने के कारण सरकार को दूरस्थ पन-बिजली उत्पादन एककों में काफी नुकसान हो रहा है;

(ख) सरकार का क्या कारगर कदम उठाने का विचार है; और

(ग) क्या सरकार का विचार बिजली उत्पादन के क्षेत्र में उन्नत देशों में प्रयोग की जाने वाली आधुनिक तकनीक का अध्ययन करने के उद्देश्य से भारतीय तकनीशियनों को विदेश भेजने का है ताकि इसे भारत में अपनाया जा सके ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) देश में विद्युत उत्पादन की प्रौद्योगिकी को समय-समय पर अद्यतन किया जा रहा है।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में कल्याणकारी उपायों पर खर्च की गई धनराशि

1347. **श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में वर्ष 1982-83, 1983-84 तथा 1984-85 के दौरान कल्याणकारी उपायों पर क्षेत्रवार तथा कोयला खानवार कितनी राशि खर्च की गई; और

(ख) स्वीकृत की गई धनराशि की तुलना में यह राशि कितनी है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आंध्र प्रदेश में आमलापुरम के निकट गोदावरी बेसिन के गैस भण्डार का उपयोग

1348. **श्री ओ० भूपति** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में आमलापुरम के निकट गोदावरी बेसिन में हाल में मिले प्राकृतिक गैस के भंडार की वास्तविक क्षमता और मूल्य कितना है;

(ख) क्या नये मिले इस गैस भंडार का उपयोग करने के लिए इस क्षेत्र में कोई गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्र लगाने का विचार है; और

(ग) गैस भंडार के उपयोग और आन्ध्र प्रदेश को प्राप्त होने वाले फायदों के लिये किस प्रकार की योजनाएं तैयार की गई हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) अमलापुरम के प्रत्याशित क्षेत्रों में अन्वेषण सम्बन्धी कार्यकलाप प्रारंभिक अवस्था में हैं। क्षेत्र की सम्भाव्यता का मूल्यांकन करने से पूर्व यहां और अन्वेषी कुए खोदने, आवश्यक होंगे। यह कार्य प्रगति पर है।

(ख) और (ग) ऊपर बताई गई स्थिति को ध्यान में रखते हुए इतना शीघ्र गैस उपयोगिता योजनाओं को तैयार करना उचित न होगा।

भू-केंद्रों (फिक्सड अर्थ स्टेशन्स) और परिवहनीय केंद्रों (ट्रांसपोर्टेबल स्टेशन्स) की स्थापना

1349. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सातवीं योजना अवधि के दौरान देश में कुछ स्थित भू-केन्द्रों (अर्थ स्टेशन) और परिवहनीय केन्द्रों (ट्रांसपोर्टेबल स्टेशन), स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां पर उन्हें स्थापित किया जायेगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां। सातवीं पंचवर्षीय योजना में स्थिर एवं परिवहनीय भू-केन्द्रों सहित लगभग 80 अतिरिक्त भू-केन्द्र स्थापित करने की व्यवस्था की गई है।

(ख) अनेक प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

निम्नलिखित स्थानों पर भू-केन्द्र स्थापित करने के बारे में निम्नलिखित योजनाएं मंजूर की गई हैं :—

I. दूरवर्ती पिछड़े और पहाड़ी क्षेत्रों में भू-केन्द्र

1. डोडा 2. राजौरी 3. पुंछ 4. कारगिल	जम्मू-कश्मीर सभी पहाड़ी क्षेत्र
5. फुलबनी	उड़ीसा राज्य (पर्वतीय और पिछड़ा क्षेत्र)
6. केयलांग 7. कल्पा 8. जैरो 9. क्योरेजो	हिमाचल प्रदेश पहाड़ी और पिछड़े
10. सेप्पा 11. आनीनी	अरुणाचल प्रदेश सभी पिछड़े क्षेत्र
12. जैसलमेर —	राजस्थान (पिछड़े क्षेत्र)

13. श्रीनगर (सामान्य)
14. जोशीमठ　　　　　　　उत्तर प्रदेश, पहाड़ी क्षेत्र
15. उत्तर काशी

16. कैंपबैल बे
17. डिग्लीपुर　　　　　　अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
18. मायाबंदर

इनसैट-I सी योजना के अंतर्गत भू-केंद्र

1. नई दिल्ली
2. बंबई
3. कलकत्ता
4. मद्रास

III. उत्तर पूर्व क्षेत्र में 26 भू-केन्द्र। वास्तविक स्थानों के बारे में अभी निर्णय लिया जा रहा है।

IV. 10 परिवहनीय भू-केन्द्र। इन्हें देश के विभिन्न भागों में स्थापित किया जा सकता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में तार सेवाएं

1350. **अमर राय प्रधान** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों और दूरस्थ क्षेत्रों में तार सेवा बहुत खराब और असंतोषजनक है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार का विचार इस संबंध में सातवीं पंचवर्षीय योजना में क्या कार्यवाही करने का है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां। ग्रामीण और दूरवर्ती क्षेत्रों में तार सेवा पूर्ण रूप से संतोषजनक नहीं है।

(ख) असंतोषजनक तार सेवा के प्रमुख कारण निम्न प्रकार हैं :—

(एक) तार लाइनों में व्यवधान।

(दो) बिजली बार-बार फेल हो जाना।

(तीन) डाक-संकेतक उपलब्ध न होना।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस दिशा में निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :—

(एक) तार नेटवर्क को आधुनिक बनाना।

(दो) लाइन रखरखाव कार्य में सुधार।

(तीन) यथासंभव आपातकालीन पावर सप्लाई की व्यवस्था करना।

(चार) बेहतर ढंग से स्टाफ को काम पर लगाना।

[हिंदी]

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में लंबित पड़े सिविल/आपराधिक मामले

1351. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में पिछले पांच वर्षों से कितने सिविल और आपराधिक मामले लंबित पड़े हैं और उन्हें शीघ्र निपटाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विधि और न्यायमंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) सिविल और दांडिक मामलों के बकाया के बारे में उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा दी गई जानकारी संलग्न विवरण-एक में दी गई है। साधारणतः उच्च न्यायालयों में, जिसमें हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय भी सम्मिलित है, लंबित मामलों को कम करने के लिए उठाए गए कदम संलग्न विवरण-दो में बताए गए हैं।

विवरण-एक

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में लंबित सिविल और दांडिक मामलों की संख्या

	3·12-81 को	31-12-82 को	31-12-83 को	31-12-84 को	30-6 85 को
सिविल	6792	8477	8388	8383	9263
दाण्डिक	541	564	665	476	505
योग	7333	9041	9053	9059	9768

विवरण-दो

लंबित मामलों को कम करने के लिये समय-समय पर उठाए गए कदम

उच्च न्यायालयों में लबित मामलों को कम करने के लिए हाल ही के वर्षों में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

1. उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के द्वितीय अपील में निर्णय से लेटर्स पेटेंट अपील को समाप्त करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता का 1976 में संशोधन किया गया (देखिए धारा 100क)।
2. विधि आयोग की सिफारिशों पर आधारित दंड प्रक्रिया संहिता वर्ष 1973 में अधिनियमित की गई।
3. उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या मार्च, 1977 में 351 थी जिसे 1 फरवरी, 1986 को बढ़ाकर 430 कर दिया गया है।
4. उपर्युक्त के अतिरिक्त, कुछ उच्च न्यायालय मामलों के बेहतर निपटारे को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय कर रहे हैं :—
   - (क) कई उच्च न्यायालयों द्वारा ऐसे मामलों को एक ग्रुप में रखा जाता है जिसमें एक जैसे प्रश्न अन्तर्वलित होते हैं;
   - (ख) सूचना की तामील के लिए थोड़ा समय देकर सुनवाई के लिये मामले नियत करना;
   - (ग) अभिलेख के मुद्रण की आवश्यकता को समाप्त करना;
   - (घ) कुछ अधिनियमों के अधीन मामलों में शीघ्र कार्रवाई करना और उन्हें पूर्विकता देना।

5. विधि आयोग की 79वीं रिपोर्ट में अन्तर्विष्ट सिफारिशों की समीक्षा की गई है। अधिकांश सिफारिशों पर राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों द्वारा कार्रवाई की जानी है, इसलिए वे सिफारिशें संघ सरकार के विचारों सहित उनको भेज दी गई हैं और उनसे आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

6. सरकार ने विधि आयोग को, आवश्यक सुधार लाने के लिए न्यायिक पद्धति का अध्ययन करने का कार्य सौंपा है। विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं :—

(क) (i) ग्रामीण क्षेत्रों में विवादों के निपटारे के लिए न्याय पंचायत या अन्य तंत्र की स्थापना करके, उसका विस्तार करके और उसे सुदृढ़ करके;

(ii) उपयुक्त क्षेत्रों और केंद्रों में परिनिश्चित अधिकारिता और शक्तियों सहित भाग लेने वाली न्याय पद्धति स्थापित करके;

(iii) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में कार्य की मात्रा को घटाने के लिए न्यायिक श्रेणी के भीतर अन्य पंक्ति या पद्धति स्थापित करके;

न्याय प्रशासन की पद्धति का विकेंद्रीकरण करने की आवश्यकता।

(ख) ऐसे विषय जिनके लिए संविधान के भाग 14-क में यथा परिकल्पित अधिकरणों (सेवा अधिकरणों को अपवर्जित करते हुए) को शीघ्र स्थापित करने की आवश्यकता है और उनके स्थापन और कार्यकरण से संबंधित विभिन्न विषय;

(ग) प्रक्रिया संबंधी विधियों, साधारणत: मामलों के शीघ्र निपटाने, अनावश्यक मुकदमेबाजी को और मामलों की सुनवाई में विलंब को कम करने की दृष्टि से और प्रक्रिया तथा प्रक्रिया संबंधी विधियों में सुधार और विशेष रूप से मद क (i) और क (ii) में परिकल्पित विषयों के अनुरूप प्रक्रियाओं के लिए उपाय करना।

(घ) अधीनस्थ न्यायालयों/अधीनस्थ न्यायपालिका में नियुक्ति का ढंग।

(ङ) न्यायिक अधिकारियों का प्रशिक्षण।

(च) न्याय प्रशासन की पद्धति को सुदृढ़ करने में विधि व्यवसाय की भूमिका।

(छ) ऐसे मानदण्डों को निश्चित करने की वांछनीयता जिनका सरकार और पब्लिक सेक्टर उपक्रमों द्वारा विवादों के निपटारे में पालन किया जाना चाहिए। इसके अंतर्गत सरकार और ऐसे उपक्रमों की ओर से मुकदमों के संचालन के लिए वर्तमान पद्धति का पुनर्विलोकन भी है।

(ज) मुकदमेबाजी का खर्च मुकदमा लड़ने वालों पर भार कम करने की दृष्टि से।

(झ) अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन; और

(ञ) ऐसे अन्य विषय जो आयोग उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए उपयुक्त या आवश्यक समझे या जो सरकार द्वारा उसे समय-समय पर निर्देशित किए जाएं।

7. सरकार ने उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों के बकाया की समस्या की समीक्षा करने के लिए और उसके लिए उपचारात्मक उपाय सुलझाने के लिए, तीन मुख्य न्यायमूर्तियों की एक अनौपचारिक समिति गठित की है।

हिमाचल प्रदेश में नए उद्योग

1352. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1986-87 के दौरान हिमाचल प्रदेश में कौन-कौन से उद्योग स्थापित किए जाने हैं;

(ख) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां पर ये उद्योग स्थापित किए जाएंगे; और

(ग) उन पार्टियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें इस प्रयोजन के लिए केन्द्र द्वारा लाइसेंस जारी किए गए हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) से (ग) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के उपबंधों के अन्तर्गत वर्ष 1983 से 1985 के दौरान हिमाचल प्रदेश में उद्योग स्थापित करने के लिए 67 आशयपत्र और 22 औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए थे। एक औद्योगिक परियोजना के फलीभूत होने में सामान्यत: 3 से 4 वर्ष लगते हैं। तथापि, वास्तविक प्रारम्भिक अवधि एक परियोजना से दूसरी परियोजना में भिन्न-भिन्न होती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी किए गए उपर्युक्त आशय-पत्रों/औद्योगिक लाइसेंसों में से कुछ के 1986-87 के दौरान कार्यान्वित होने की आशा है।

जारी किए गए आशय-पत्रों और औद्योगिक लाइसेंसों के सम्बन्ध में उपक्रम का नाम और पता, स्थापना-स्थल (जिले के नाम सहित), उत्पादन की वस्तु और क्षमता, आदि जैसे ब्यौरे भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा उसके "मन्थली न्यूजलैटर" में नियमित रूप से प्रकाशित किए जाते हैं। इस प्रकाशन की प्रतियां संसद पुस्तकालय को नियमित रूप से भेजी जाती हैं।

कोयले पर रायल्टी बढ़ाने के लिये मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त प्रस्ताव

1353. **श्री दिलीप सिंह भूरिया : क्या ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1984-85 के दौरान मध्य प्रदेश को कोयले के खनन पर कितनी रायल्टी दी गई;

(ख) क्या सरकार को कोयले पर रायल्टी बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की गई है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० और सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० द्वारा कोयले के खनन के लिए मध्य प्रदेश सरकार को वर्ष 1984-85 के दौरान दिया गया स्वामित्व क्रमश: रु० 13.92 करोड़ और रु० 3.28 करोड़ है।

(ख) और (ग) मध्य प्रदेश सरकार ने कोयले के स्वामित्व की दर में वृद्धि करने के लिए एक अभिवेदन भेजा था। कोयले के स्वामित्व की दर में फिर संशोधन के प्रश्न पर विचार करने के लिए नवम्बर, 1984 में एक अध्ययन दल का गठन किया गया था। अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और भारत सरकार उस पर विचार कर रही है।

झाबुआ, रतलाम और उज्जैन में गैस पर आधारित उद्योग

1354. **श्री दिलीप सिंह भूरिया : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार झाबआ, रतलाम और उज्जैन में से होकर जा रही गैस की सप्लाई लाइन जिसका मध्य प्रदेश गुना जिले में गैस सप्लाई के लिये प्रयोग हो रहा है इन जिलों में गैस सप्लाई कर गैस पर आधारित उद्योग स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में विशेष उद्योगों के लिए इस बीच कोई प्राथमिकता निर्धारित की गई है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) झबुआ, रतलाम तथा उज्जैन जिलों में औद्योगिक प्रयोजनों के लिए गैस की आपूर्ति करने के लिए मन्त्रालय में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) दक्षिण बेसिन की गैस क्षेत्रों से उत्पादित की जाने वाली एच०बी०जे० गैस पाइप लाइन द्वारा परिवहन की जाने वाली प्रस्तावित प्राकृतिक गैस की पूर्ण मात्रा को आठ उर्वरक संयंत्रों की फीडस्टाक आवश्यकताओं तथा पाइपलाइन के मार्ग पर स्थापित किये जा रहे गैस-पर-आधारित विद्युत संयंत्रों की ईंधन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नियमित आधार पर आपूर्ति करने हेतु पहले ही वचनबद्धता की जा चुकी है। उपयुक्त स्थानों पर इस गैस से एल० पी० जी० के निष्कर्षण का भी प्रस्ताव है।

रुग्ण लघु उद्योग एकक

1355. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर रुग्ण लघु उद्योग एककों की संख्या कितनी थी तथा उनमें कुल कितनी पूंजी लगी हुई थी;

(ख) क्या 35 लाख रुपयों तक की पूंजी वाले एककों को लघु उद्योग क्षेत्र में शामिल करने से इस क्षेत्र के लिए आरक्षित सामान के उत्पादन में वृद्धि हुई है अथवा इससे रुग्ण एककों की संख्या में वृद्धि हुई है; और

(ग) क्या इन रुग्ण एककों को पुन: स्थापित करने तथा उनमें अवरुद्ध पूंजी को शतिशील बनाने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में कोई विशेष प्रावधान किया गया है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) भारतीय रिजर्व बेंक जो अनुसूचित वाणिज्यिक बेंकों की निवेश सूची में रुग्ण लघु औद्योगिक एककों से सम्बन्धित आंकड़े एकत्र करने के लिए प्रमुख अभिकरण है, से उपलब्ध नवीनतम सूचना के अनुसार दिसम्बर, 1984 के अन्त तक रुग्ण लघु एककों की संख्या 91,450 थी और उनके पास कुल बकाया राशि 880 करोड़ रु० थी

(ख) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि लघु और अनुषंगी उपक्रमों में निवेश की सीमा में वृद्धि की घोषणा भारत सरकार द्वारा 18 मार्च, 1985 को की गई थी। उत्पादन पर इसके प्रभाव और लघु क्षेत्र में रुग्णता की सीमा का मूल्यांकन करना अभी समयपूर्व होगा।

(ग) लघु क्षेत्र के जीव्य एककों का सुगमता से विकास करने के लिए प्रोत्साहित करने और लघु क्षेत्र में रुग्णता को कम करने के लिए आवश्यक समर्थन प्रदान करने हेतु, कार्यशालाओं की सुविधाओं का समकेन और सुधार करने के लिए प्रक्रिया-सह-उत्पाद विकास केन्द्रों क्षेत्रीय

परीक्षण केन्द्रों, टूल कक्षों की स्थापना करने के लिए संस्थागत ढांचे को सुदृढ़ करने हेतु सातवीं योजना में प्रावधान किए गए हैं।

मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय की अतिरिक्त पीठों की स्थापना

1356. **श्री दिलीप सिंह भूरिया :** क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की अतिरिक्त पीठों की स्थापना का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो ये अतिरिक्त पीठ किन-किन स्थानों पर स्थापित करने का विचार है और ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) अभी तक ऐसा कोई विनिश्चय नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शनों के बकाया पड़े आवेदन पत्र

1357. **श्री चिरंजी लाल शर्मा :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में 1-2-86 को टेलीफोन कनेक्शनों के लिए एक्सचेंजों-वार और श्रेणी-वार कुल कितने आवेदन पत्र बकाया पड़े थे; और

(ख) टेलीफोन कनेक्शन शीघ्र सुलभ करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) टेलीफोन कनेक्शनों के लिए 1-2-1986 को लम्बित आवेदकों की संख्या 1,43,925 थी। एक्सचेंज वार तथा श्रेणी वार ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) नए एक्सचेंज स्थापित किए जा रहे हैं तथा वर्तमान एक्सचेंजों की क्षमता व्यवहार्य पाए जाने पर बढ़ाई जा रही है ताकि उत्तरोत्तर टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए जा सकें। बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

विवरण

क्रम सं०	एक्सचेंज का नाम	एक्सचेंज का कोड	1-2-1986 को प्रतीक्षा सूची ओ०वाई०टी०	विशेष	सामान्य	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7
केन्द्रीय क्षेत्र						
	1. जनपथ	31,32,34,35	32	4	988	1024
	2. जोरबाग	61,62,69	783	343	5371	6397
	3. किदवई भवन	337	373	24	375	772
	4. राजपथ	38	6 7	147	987	1761
	5. सेना भवन	301	35	1	345	381

1	2	2	4	5	6	7
उत्तरी क्षेत्र						
6.	अलीपुर	745	3	1	62	66
7.	बादली	746	13	76	570	659
8.	तीसहजारी	23,25,291,292	4	8	2069	2081
9.	नरेला	747	4	5	252	261
10.	शक्तिनगर	71,74	751	858	22081	23690
पूर्वी क्षेत्र						
11.	दिल्ली गेट	26,27	42	2	6701	6745
12.	गाजियाबाद-II	84	114	187	1481	1782
13	गाजियाबाद-I	85	56	70	886	1012
14.	ईदगाह	51,52,57	19	14	6517	6550
15.	शाहदरा	20	349	636	5760	6745
16.	शाहदरा	21,24	676	1208	10569	12453
17.	शाहदरा	86	140	71	563	774
दक्षिण क्षेत्र						
18.	बदरपुर	82	11	22	94	127
19	बल्लभगढ़	88	—	22	390	412
20.	चाणक्यपुरी	60,67	314	369	3850	4513
21.	फरीदाबाद	81	429	500	2643	3572
22.	हौजखास	65,66	1293	560	9480	11341
23.	नेहरुप्लेस	641,643	1626	261	9126	11013
24.	ओखला	63	851	582	2632	4065
पश्चिम क्षेत्र						
25.	बहादुरगढ़	83	11	51	270	332
26.	कैंट	39	39	4	363	406
27.	जनकपुरी	55	29	158	3827	4014
28.	नजफगढ़	806	4	1	250	255
29.	करोलबाग	571,572,58	—	—	8921	8931
30.	नागलोई	187	52	106	826	984
31.	रोजोरी गार्डन	50,53,541,59	—	580	20227	20807
	योग		8,580	6,879	1,25,466	143925

भारतीय सीमेंट निगम के चरखी दादरी (हरियाणा) स्थित सीमेंट कारखाने में कच्चे माल की कमी

1385. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि भारतीय सीमेंट निगम के चरखी दादरी (हरियाणा)

स्थित सीमेंट कारखाने को सीमेंट बनाने के लिए भारी कच्चे माल अर्थात् चूना पत्थर की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस कारखाने में चूना पत्थर को नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) जी, हां।

(ख) सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इण्डिया ने हरियाणा में चूने के पत्थर के निक्षेपों को प्राप्त करने की दृष्टि से हरियाणा में निक्षेपों की जांच की है। तथापि कोई भी उचित पर्याप्त मात्रा में और अपेक्षित गुणावत्ता का निक्षेप का पता नहीं लगाया जा सका। कारपोरेशन ने आर० एम० एम० डी० सी० (राजस्थान सरकार का उपक्रम) के साथ कोटपुतली क्षेत्र से उच्च ग्रेड/श्रेणी के चूने के पत्थर की आपूर्ति के लिए एक करार किया है। तथापि, राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले के आधार पर आर० एम० एम० डी० सी० के साथ इस क्षेत्र की लीज हाल ही में समाप्त कर दी गई है। आर० एस० एम० डी० सी० ऐसे और क्षेत्रों का पता लगा रही है जहां से वे सीमेंट कारपोरेशन को दीर्घावधि आधार पर उच्च ग्रेड के चूने पत्थर की आपूर्ति कर सकें। तब तक सीमेंट कारपोरेशन खुली रिविदाएं द्वारा गैर-सरकारी पार्टियों से चूने का पत्थर खरीद रहा है।

मारुति के फालतू पुर्जों के ऊंचे दाम

1359. **श्री चिरंजी लाल शर्मा**
श्री एस० जी० घोलप } : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि मारुति के व्यापारी फालतू पुर्जों के लिए ऊंचे दाम लेते है; और

(ख) यदि हां, तो मारुति के फालतू पुर्जे उचित दामों पर सप्लाई करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) सरकार को मालूम है कि कुछ आयातित फालतू-पुर्जों की कीमतें कुछ अधिक हैं।

(ख) आयातित फालतू-पुर्जों का शीघ्र स्वदेशीकरण करने के लिए मारुति उद्योग प्रयास कर रहा है। इससे उनकी कीमतों में काफी कमी हो जाएगी। इस बीच आयातित कीमतों पर पुनः बातचीत के परिणाम स्वरूप मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा कुछ आयातित फालतू-पुर्जों की कीमतों में संशोधन करके कमी की गई है।

कादी में अग्नि दुर्घटना से हुई हानि

1360. **श्री पी० एम० सईद**
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन } : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के मेहसाना जिले में कादी में एक तेल के कुएं में आग लगने से हुई दुर्घटना का ब्यौरा क्या है;

(ख) नष्ट हुए प्राकृतिक गैस और तेल की अनुमानित हानि कितनी हुई है; और

(ग) आग पर काबू पाने में कुल कितनी धनराशि खर्च हुई ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) अहमदाबाद से 60 किलोमीटर उत्तर में साउथ काडी तेल क्षेत्र में कुआं संख्या 53 में 15 दिसम्बर, 1985 को 1974 मीटर की गहराई पर खनन करते समय आग लग गई। आग के कारण का पता लगाने तथा तेल/गैस की हानि की मात्रा का पता लगाने के लिए ओ० एन० जी० सी० ने जांच के आदेश दिए हैं।

(ग) अन्य अभिकरणों द्वारा दी गई सेवाओं की लागत को छोड़कर 29 लाख रुपये का व्यय किया गया।

तमिलनाडु में टेलीफोन सेवाओं के विस्तार की योजना

1361. **श्री एन० डेनिस** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तमिलनाडु राज्य में टेलीफोन सेवाओं के विस्तार संबंधी योजनाओं को मंजूर किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) जी, हां।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तमिलनाडु में विस्तार की निम्नलिखित योजनाएं बनाई गई हैं :—

	विस्तार योजना (लाइनों की संख्या)
मद्रास शहर	27000
कोयम्बतूर	7400
मदुरै	2900
तमिलनाडु में अन्य कस्बे	73500
योग :	110800

खनिज तेल के खोज पर खर्च

1362. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन वर्षों के (वर्ष-वार) कितने खनिज तेल की खोज की गई; और

(ख) खनिज तेल की खोज पर कितनी धनराशि खर्च की गई ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) पिछले तीन वर्षों में कच्चे तेल के अतिरिक्त भूमिगत भण्डारों में वृद्धि का ब्यौरा इस प्रकार है :—

1982	86 मि० मी० टन
1983	29 मि० मी० टन
1984	138 मि० मी० टन

1985 में वृद्धि का अनुमान अभी लगाया जाना है।

(ख) लगभग 1000 करोड़ रुपए।

गैस को जलने से बचाने पर बेकार जाने वाली गैस का इस्तेमाल

1363. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के विभिन्न गैस की खोज के स्थानों पर भारी मात्रा में या तो गैस जल जाती है या बेकार चली जाती है;

(ख) क्या गैस निकालने के स्थानों पर गैस की जलने से या व्यर्थ जाने से रोकने के लिए सरकार का विचार उचित पाइप लाइनें आदि लगाने का है; और

(ग) यदि हां, तो उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां पर तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग तेल की खोज का कार्य कर रहा है परन्तु वहां कोई पाइप लाइनें आदि नहीं लगाई गई हैं और गैस बेकार जा रही है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के विभिन्न अन्वेषण स्थानों में परीक्षण कार्यों के दौरान कुछ समय के लिए गैस जलाई जाती है। भंडार के उत्पादन की सम्भाव्यता का अनुमान लगाने तथा क्षेत्र का और आगे निशान लगाने के लिए आंकड़ों के संकलन के वास्ते परीक्षण कार्य किए जाते हैं।

(ख) और (ग) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग कैम्बे के बेसिनों, ऊपरी असम, राजस्थान, बंगाल, कृष्णा गोदावरी, कावेरी, अण्डमान आदि में अन्वेषण कार्य कर रहा है। कैंबे के बेसिनों, ऊपरी असम तथा बम्बई अपतट से गैस का वाणिज्यिक उत्पादन किया जा रहा है। इन स्थानों से गैस को ले जाने के लिए तथा उपभोक्ताओं को गैस सप्लाई करने के लिए पाइप लाइन बिछाई गई है तथा इन स्थानों पर पाइप लाइन न होने की वजह से गैस को नहीं जलाया जा रहा है। अन्य स्थानों पर अन्वेषण के क्रियाकलाप तथा परीक्षण कार्य आरम्भिक स्तर, पर है इसलिए भंडारों की वाणिज्यिक सम्भाव्यता तथा उपभोक्ताओं का पता लगाए बिना पाइप लाइन बिछाना, जिस पर अत्याधिक खर्च आता है, उचित नहीं समझा गया है।

नागपुर टेलीफोन एक्सचेंज को इलेक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंज में बदलना

1364. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर टेलीफोन एक्सचेंज को इलेक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंज में बदले जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है; और

(ग) इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंज कब तक कार्य करना शुरू कर देगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां। नागपुर-मेन स्ट्रॉजर एक्सचेंज के बदले इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ख) एस योजना की मंजूरी दे दी गई है। और विस्तृत इंजीनियरी व्यवस्था की जा रही है।

(ग) उपस्कर के लिए आर्डर अभी दिया जाना है। चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान इस एक्सचेंज के चालू करने की योजना बनाई गई।

फरक्का सुपर ताप बिजलीघर के लिये विद्युत संयंत्र की खरीद

1365. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :** क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरक्का सुपर ताप बिजली घर के लिए विद्युत संयंत्र खरीदने के संबंध में अंतिम निर्णय कर लिया गया है;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिए स्वदेशी विद्युत संयंत्र पर विचार किया गया था तथा उसे अस्वीकार कर दिया गया;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या फरक्का ताप बिजली घर से बिहार को भी बिजली सप्लाई की जाएगी ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) से (ग) फरक्का सुपर ताप विद्युत केन्द्र चरण-दो (2×500 मेगावाट) के सम्बन्ध में टरबाइन जेनरेटर पैकेज अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली के जरिए प्राप्त किए जा रहे हैं, जिसकी वित्त व्यवस्था आंशिक रूप से विश्व बैंक द्वारा की जा रही है। पैकेज के लिए प्राप्त स्वदेशी प्रस्ताव को स्वीकृति के लिए बैंक के पास भेज दिया गया है। साधनों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, कुछ अन्य उपस्कर की प्राप्ति के लिए द्विपक्षीय सहायता के प्रस्तावों पर भी विचार किया जा रहा है।

(घ) फरक्का सुपर ताप विद्युत परियोजना बिहार सहित पूर्वी क्षेत्र को विद्युत की सप्लाई करने के लिए स्थापित की जा रही है।

डी०डी०टी०/बी०एच०सी० का उत्पादन

1366. **श्री मानिक रेड्डी :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में डी०डी०टी०/बी०एच०सी० का उत्पादन अकेले हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइडस लि०, जो एक केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र का एकक है, द्वारा ही किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उनकी कुल कितनी मात्रा का उत्पादन किया गया और डी०डी०टी०/बी० एच० सी० के प्रयोग द्वारा मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम में कितना खर्च किया गया है; और

(ग) क्या यह डी०डी०टी०/बी०एच०सी० के खतरों तथा इनके प्रति मलेरिया के रोगाणुओं के प्रतिरोध को ध्यान में रखते हुए उचित है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) यद्यपि टेकनिकल डी०डी०टी० का उत्पादत देश में मुख्यत: हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइडस लि० द्वारा किया जा रहा है, टेक्निकल बी०एच०सी० का उत्पादन हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइडस सहित कई कम्पनियों द्वारा किया जा रहा है।

(ख) चालू वर्ष (अप्रैल 1985 से जनवरी, 1986 तक) के दौरान हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लि० में डी०डी०टी० तथा बी०एच०सी० फार्मूलेशनों का कुल उत्पादन 9116 मीट्रिक टन था।

राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलम कार्यक्रम के अधीन हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लि० तथा इसकी सहायक कम्पनियों से डी०डी०टी, डब्ल्यू० डी०पी०/बी०एच०सी०, डब्ल्यू० डी०पी० की प्राप्ति के लिए चालू वर्ष के दौरान भारत सरकार द्वारा अब तक व्यय की गई राशि 1665.08 लाख रुपए है।

(ग) डी०डी०टी०/बी०एच०सी० कम लागत वाले कीटनाशी हैं जो मलेरिया नियंत्रण के लिए प्रभावी हैं और उनकी उष्णकटिबन्धीय परिस्थितियों में उच्चतर डिग्रेडिबिलिटी होती है। इण्डियन कांउसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा किए गए अध्ययन तथा एन०एम०ई०पी– के निदेशालय एवं महाराष्ट्र सरकार द्वारा किए गए सहयोजित अध्ययनों ने दर्शाया है कि जिन क्षेत्रों में मच्छरों द्वारा डी०डी०टी० और बी०एच०सी० का प्रतिरोध दर्ज किया गया है, वहां गुणात्मक तथा मात्रात्मक सुधार के साथ अच्छे पर्यवेक्षण में डी०डी०टी० के अच्छे छिड़काव ने मलेरिया की घटना को सुस्पष्ट रूप से कम किया है।

पवन ऊर्जा का उपयोग किया जाना

1367. **श्री डी० एन० रेड्डी** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊर्जा के एक शक्तिशाली स्रोत अर्थात् पवन शक्ति का देश में बिल्कुल उपयोग नहीं किया जा रहा है; और

(ख) क्या स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले देश में कुछ अनुसंधान संस्थानों में जैसे इपीरियल डेरी रिसर्च इन्स्टीच्यूट बंगलौर में पवन चक्कियां स्थापित की गई थीं और यदि हां, तो इससे क्या अनुभव प्राप्त हुआ और इसका क्या उपयोग किया गया ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बंसत साठे) : (क) देश में पवन ऊर्जा को उपकरणित करने के लिए विशेष जोर दिया जा रहा रहा है। गुजरात में मांडवी में स्थापित 1000 किलोवाट क्षमता और तमिलनाडु में तूतीकोरिन में स्थापित 550 किलोवाट क्षमता के विद्युत उत्पादन के लिए दो पवन फार्म अब परिचालन में हैं; 550 किलोवाट क्षमता के तीन और पवन फार्म शीघ्र ही गुजरात में ओखा, महाराष्ट्र में देवगढ़ और उड़ीसा में पुरी में स्थापित किए जाएंगे। लघु सिंचाई और पीने के पानी की आपूर्ति के लिए देश के विभिन्न भागों में 1 300 से अधिक पवन चक्कियां स्थापित की जा चुकी हैं। बैटरी प्रभारन के लिए कुछ पवन विद्युत जनित्र भी स्थापित किए जा चुके हैं। पवन की उपलब्धता पर ब्यौरा संचयन और अनुसंधान एवं विकास गतियां भी प्रारम्भ की जा चुकी हैं। सातवीं योजना में वित्तीय आवटनों के अधीन पवन ऊर्जा कार्यक्रम को महत्वपूर्ण रूप से विस्तृत करने का प्रस्ताव किया गया है।

(ख) स्वतंत्रता से पूर्व की अवधि में कई पवन चक्कियों के परिचय संबंधी सूचना उपलब्ध नहीं है।

लघु उद्योग प्राधिकरण की स्थापना का प्रस्ताव

1368. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या लघु उद्योग क्षेत्र की सुरक्षा और विकास के लिए एक लघु उद्योग प्राधिकरण स्थापित करने का प्रस्ताव है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : लघु उद्योग प्राधिकरण को स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

द्वितीय डाक वितरण प्रणाली को पुन: शुरू करना

1369. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक और तार विभाग द्वारा द्वितीय डाक वितरण प्रणाली को बन्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका जनता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा; और

(ग) क्या सरकार का विचार द्वितीय डाक वितरण प्रणाली को विशेष रूप से कस्बों और शहरों में पुनः शुरू करने का है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) डाकघरों में द्वितीय डाक वितरण प्रणाली समाप्त करने के लिए कोई सामान्य आदेश जारी नहीं किया गया है। विभिन्न डाकघरों में डाक वितरण की संख्या में वहां की स्थानीय आवश्यकता तथा साथ ही डाक आवागमन, मात्रा तथा प्राप्ति पर निर्भर करता है।

(ख) द्वितीय डाक वितरण प्रणाली के बाद भी जहां उचित पाया गया वहां तृतीय डाक वितरण भी चालू है। अतः जनता के हित पर प्रभाव पड़ने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(ग) द्वितीय डाक वितरण प्रणाली पुनः प्रारम्भ करने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि औचित्य के आधार पर यह प्रणाली चालू है।

बंगलौर तथा मैसूर के बीच ओप्टिकल फाइबर केबल प्रणाली

1370. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बंगलौर तथा मैसूर के बीच ओप्टिकल फाइबर केबल प्रणाली आरम्भ की जाएगी;

(ख) यदि हां., तो इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है; और

(ग) कार्य आरम्भ कब तक होगा ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) अनुमानतः 340.15 लाख रुपए।

(ग) इस पर 1988-89 से कार्य प्रारम्भ करने की योजना है।

बंगलौर शहर में खाना पकाने की गैस के कनेक्शनों के लिये लम्बित आवेदन पत्र

1371. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर शहर में विभिन्न एजेंसियों में वर्ष 1985 के दौरान खाना पकाने की गैस के कनेक्शन के लिए कितने लोगों ने पंजीकरण करवाया;

(ख) अब तक कितने लोगों को कनेक्शन दिए गए हैं और अभी भी कितने लोगों के नाम प्रतीक्षा सूची में हैं;

(ग) वर्ष 1985 के दौरान पंजीकृत लोगों को कब तक खाना पकाने की गैस के कनेक्शन मिलने की संभावना है;

(घ) क्या यह सच है कि खाना पकाने की गैस के कनेक्शन के लिए पंजीकरण के समय राशन कार्ड मांगे जा रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार एजेंसियों को जिन व्यक्तियों के पास राशन कार्ड नहीं हैं उनसे हलफनामा लेने के आदेश देने का है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) वर्ष 1985 के दौरान, बंगलौर शहर में खाना पकाने की गैस के कनेक्शनों के लिए विभिन्न एजेंसियों ने 24,104 व्यक्तियों के नाम दर्ज किये थे।

(ख) और (ग) वर्ष 1985 के दौरान 21321 व्यक्तियों को गैस कनेक्शन दिये गये तथा 1569 व्यक्ति अभी प्रतीक्षा सूची में दर्ज हैं। जून, 1986 तक इन व्यक्तियों को भी गैस कनेक्शन दे दिये जाएंगे।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

कालाहांडी को "उद्योग रहित" जिला घोषित करना

1372. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को उड़ीसा सरकार के कालाहांडी जिले को "उद्योग रहित" जिला घोषित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) कालाहांडी को कब तक उद्योग रहित जिला घोषित किया जाएगा ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) क्योंकि कालाहांडी में एक मझौला उद्योग विद्यमान है इस लिए यह "उद्योग रहित जिलों" की सूची में शामिल करने के लिए पात्र नहीं है। तथापि केन्द्रीय अनुदान योजना की समीक्षा तथा संशोधन के लिए एक अन्त मन्त्रालयीय समिति स्थापित की गई है तथा जिसकी शीघ्र ही रिपोर्ट प्रस्तुत कर देने की संभावना है।

महाराष्ट्र में उरान स्थित गैस टरबाइन संयंत्र को गैस की सप्लाई

1373. **श्री डी० बी० पाटिल** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिजली का उत्पादन करने के लिए ईंधन के रूप में गैस की सप्लाई करने का सरकार द्वारा पक्का वायदा करने पर महाराष्ट्र सरकार (महाराष्ट्र राष्ट्र बिजली बोर्ड) ने रायगढ़ जिले में उरान में गैस टरबाइन संयंत्र के लिए 200 करोड़ रुपए की राशि का निवेश किया है;

(ख) क्या गैस की सप्लाई में भारी कटौती कर दी गई, जिसके परिणाम-स्वरूप उक्त संयंत्र की क्षमता का केवल 25% ही उपयोग हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो इस कटौती के क्या कारण हैं और किस हद तक कटौती की गई है; और

(घ) उरान में टरबाइनों के लिए कितनी गैस की आवश्यकता है तथा वहां वास्तविक रूप से कितनी गैस सप्लाई की जा रही है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह): (क) सरकार ने महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड की उरान विद्युत परियोजना में विद्युत उत्पादन हेतु गैस की

आपूर्ति हेतु कभी भी कोई स्थायी बचनबद्धता नहीं की है। उर्वरक जैसे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के उपभोक्ताओं की मांग की पूर्ति के बाद बम्बई हाई की उपलब्ध फालतू संबद्ध गैस को महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड को फौल बैंक आधार पर सप्लाई की जाती है।

(ख) और (ग) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को उन उपभोक्ताओं द्वारा बढ़ी हुई मात्रा में गैस की उठान किये जाने से, जिनके लिए स्थायी आधार पर सप्लाई के लिये वचनबद्धता की गई है, बम्बई हाई की उपलब्ध फालतू संबद्ध गैस की फौल बैंक आधार पर की जा रही सप्लाई बहुत कम हो गई है।

(घ) उपर्युक्त (क) में जैसा उल्लिखित है, बम्बई हाई की फालतू सम्बद्ध गैस महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड की उरान विद्युत परियोजना को सप्लाई की जा रही है। सप्लाई की गई गैस की औसत मात्रा जनवरी, 1986 में 0.90 घन मीटर प्रतिदिन और फरवरी, 1986 में 1.33 घन मीटर प्रतिदिन थी।

महाराष्ट्र में तेल शोधन संयंत्र की स्थापना

1374. **श्री गुरुदास कामत** : क्या **पेट्रोलियम** और **प्राकृतिक गैस मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में एक तेल शोधन संयंत्र स्थापित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित संयंत्र के कब तक चालू होने की संभावना है और उक्त संयंत्र की क्षमता कितनी होगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) सातवीं योजना में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रस्तावित औद्योगिक नीति आयोजना दल का गठन और कार्य

1375. **डा० बी०एल० शैलेश** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रस्तावित उच्च अधिकार प्राप्त औद्योगिक नीति आयोजना दल के गठन और कार्यकरण को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस दल में कुछ उद्योग-पति भी इसके सदस्यों के रूप में शामिल होंगे;

(घ) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है; और

(ङ) उनके चयन और नियुक्ति की पद्धति क्या है और क्या उनका चयन क्षेत्रवार किया जाएगा या उद्योग-वार किया जाएगा ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

रानी गंज कोयला क्षेत्र (पश्चिम बंगाल) में हल्दिया बरौनी पाइप लाइन

1376. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में रानी गज कोयला क्षेत्र में हाल में कुछ बड़े अग्नि कांडों के कारण, हल्दिया-बरौनी तेल पाइप लाइन की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस निरन्तर खतरे का कारण पाइप लाइन का दोषपूर्ण रूप में बिछाया जाना है जैसा कि तकरू आयोग के समक्ष सिद्ध किया गया था; और

(ग) क्या इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों और/अथवा अमरीका की बेकहेल कारपोरेशन के विरुद्ध जिसने इसका डिजाइन तैयार किया था और यह पाइप लाइन बिछाई थी, कोई कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह): (क) हाल तक ऐसी किसी आग की कोई खबर नहीं मिली है जो पाइप लाइन के लिए खतरनाक प्रतीत हो।

(ख) पाइप लाइन को अपने वर्तमान सीध में बनाए रखने के सम्बन्ध में तकनीकी समिति (टकरु आयोग नहीं) की सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार कर लिया था।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में अमरीका निवेश सहयोग

1377. **श्री श्रीरामामूर्ति भट्टम** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निवेश, आयात और औद्योगिक नीतियों को हाल ही में उदार बनाये जाने को ध्यान में रखते हुए अमरीका ने आधार भूत उद्योगों के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश और सहयोग के कोई नये प्रस्ताव रखे हैं; और

(ख) यदि हां, तो भारत-अमरीका संयुक्त आयोग के बीच हाल ही में हुई वार्ता और विचार विमर्श में सरकारी क्षेत्र के किन उद्योगों को लाभ होने की संभावना है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) और (ख) भारत सरकार और सयुक्त राज्य अमेरिका (यू० एस० ए०) ने प्रौद्योगिकी अन्तरण से सम्बन्धित एक समझौता ज्ञापन को अन्तिम रूप दिया है। दोनों सरकारों ने समझौता ज्ञापन की कार्यान्वयन क्रियाविधियों को भी अन्तिम रूप दे दिया है। इन निर्णयों के अनुसरण में, संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार ने सरकार, सरकारी क्षेत्र, शैक्षिक और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा विभिन्न कम्प्यूटर प्रणालियों के सम्बन्ध में दिए गये क्रय-देशों के लिए निर्यात लाइसेंस जारी कर दिया है। दोनों सरकारें उन्नत प्रौद्योगिकी में व्यापार और सहयोग बढ़ाने की इच्छुक हैं। प्रौद्योगिकी के संस्रोतों का चयन करने की पहल उद्यमियों द्वारा की जानी है। वे प्रौद्योगिकी के वैकल्पिक स्रोतों का पता लगाते हैं, प्रस्तावित विदेशी सहयोग का तकनीकी-आर्थिक विश्लेषण करते हैं और उसी विदेशी सहयोगकर्ता का चुनाव करते हैं जिसका प्रस्ताव उनकी सर्वाधिक उपयुक्त लगता है।

औद्योगिक विकास के लिए गैर सरकारी क्षेत्र की भूमिका

1378. **श्री श्रीराम मूर्ति भट्टम** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान औद्योगिकविकास के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा अधिक योगदान किये जाने का पता लगा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए अमरीका से सहायता प्राप्त बिज-नैस इन्टरनेशनल कम्पनी ने सरकार के साथ बैठक की थी;

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम प्राप्त हुआ है; और

(ङ) उक्त बिजनेस इन्टरनेशनल के अन्तर्गत आने वाली अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस, स्विजरलैंड आदि की 80 कम्पनियों के नाम क्या हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) और (ख) सातवीं योजना अवधि के दौरान गैर सरकारी निगमित क्षेत्र द्वारा 54236 करोड़ रुपये के निवेश की परिकल्पना की गई है जब कि छठी योजना अवधि के दौरान इस क्षेत्र का निवेश 19,582 करोड़ रुपये था।

(ग) बिजनेस इंटरनेशनल ने 26-29 जनवरी, 1986 को एक गोष्ठी का आयोजन किया था जिसमें भारतीय सरकार और उद्योग के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया था।

(घ) इसमें देश की वर्तमान आर्थिक एवं औद्योगिक स्थिति पर विचारों का सामान्य आदान-प्रदान किया गया था।

(ङ) बिजनेस इन्टरनेशनल द्वारा भेजी गई सदस्य कम्पनियों की एक विस्तृत सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

दि बिजीनेस इन्टरनेशनल कानफ्रेंस ग्रुप

आस्ट्रेलिया

एन्सेल इन्टरनेशनल

आस्ट्रेलियन कन्सोलिडेटिड

इन्डस्ट्रीज (ए० सी० आई०)

कोंजिक रायोटिन्टो ऑफ

आस्ट्रेलिया लिमिटेड (सी० आर० ए०)

इफेम फूड्स पेट्टी लिमिटेड

माइन-निकलैस लिमिटेड

मैकफेरसनस लिमिटेड

पायोनियर कन्क्रीट एस० बी० सी०

सोला इन्टरनेशनल

सिम्पसन-होल्डिंग्स लिमिटेड

वोर्माल्ड इन्टरनेशनल

कनाडा

एलकान अल्युमीनियम लिमिटेड

बाटा लिमिटेड

बैल कनाडा इन्टरनेशनल

फ्रांस

रहो पोलेन्क एस० ए०

जर्मनी

हायचेस्ट ए० जी०

रीमत्समा इन्टरनेशनल जी० एम० बी० एच०

भारत

बजाज आटो लिमिटेड

भारत फोर्ज कम्पनी लिमिटेड

बिड़ला ब्रादर्स प्राइ० लिमिटेड

दिल्ली क्लाथ एण्ड जनरल

मिल्स कम्पनी (डी० सी० एम०)

डेवलेपमेन्ट कन्सलटेन्ट्स

गोल्ड टौबेको

जे० के० इन्डस्ट्रीज लिमिटेड

जय इन्जीनियरिंग

किर्लोस्कर कुमीन्स लिमिटेड

लार्सेन एण्ड ट्यूब्रो लिमिटेड

शेषासई पेपर एण्ड बोइस लिमिटेड

इटली

फिएट एस० पी० ए०

जापान

दाई-इची कांग्यो बैंक

हितेची लिमिटेड

इसिकावाजीमा-हेरीमा

हैवी इन्डस्ट्रीज (आई० एच० आई०)

मत्सुसिता इलेक्ट्रिक इन्डस्ट्रियल

कम्पनी लिमिटेड

मित्सुबिशी कोरप
मित्सुई एण्ड कम्पनी लिमिटेड
निफोन स्टील कोरप
तोशिबा लिमिटेड
टोयोटा मोटर कारपोरेशन

नीदरलैंड्स

को-आपरेटिव केन्डेन्सफेब्रिक
फराइजलेंड (सी० सी० एफ०)

स्पेन

यूनियन एक्सप्लोसिव्स
रियो टीन्टो सा

स्वीडन

ए० जी० ए० एक्टीबोलॉग
ए० एस० ई० ए०
एक्टीबोलाजेट एस० के० एफ०
अस्ट्रा
एटलस कोपको
कांथल ए० बी०
एस० सी० ओ० ए०
एस० ई० बेकॅन
सेण्डविक
स्वीडीश मैच
टेट्रा पाक इन्टरनेशनल
वोल्वो

स्विटजर लैंड

बी० बी० सी० ब्राऊन बोवरी एण्ड कम्पनी
सीबा-गैगी
नेस्टल एस० ए०
नोकिटल कोरप

इंग्लैंड (यू०के०)

बो० ओ० सी० ग्रुप
बीचैम इंक
ब्रिटिश पेट्रोलियम
इंपीरियल कैमिकल इंडस्ट्रीज
मिडलेंड बैंक ग्रुप
टायोक्साइड ग्रुप प्लैक
ट्यूब निवेश

संयुक्त राज्य अमेरिका (यू० एस० ए०)

ए० एम० एफ० इंक
एयर प्रोडक्ट्स
एलकोआ
एलाईड कारपोरेशन
अमेरिकन कैन कं०
अमिको इंक
आर्थर एण्डरसन एण्ड कं०
आर्थर यंग एण्ड कं०
एश्लेंड ऑयल इंक
एटलांटिक रिचफील्ड कं०
एवरी इंटरनेशनल
बेकर इंटरनेशनल कारपोरेशन
बेकर एण्ड मकेंजी
बाक्सटर-ट्रावीनोल इंक०
बीटराइस फूड्स कं०
बोडिन इंक०
ब्रिस्टल-मायरस कं०
बरोज कारपोरेशन
सी० पी० सी० इन्टरनेशनल इंक०
कैमरोन आइरन वर्क्स इंक०
कारगिल इंक०
केटर पिलर ट्रैक्टर कं०
शैवरोन
कोलगेट-पामोलिव
कम्बश्चन इंजीनियरिंग
कंसोलीडेटिड फूड कारपोरेशन
कूपर हैल्थ प्रोडक्ट्स
कार्निंग ग्लास वर्क्स
कटर लेबोरेटरीज इंक०
डाओ कोर्निंग कारपोरेशन
ड्रैसर इंडस्ट्रीज इंक
ई० आई० यू० पोट दीनीमोर
ईस्टमैन कोडक क०
इकोनोमिक्स लेबोरेटरी
इमर्सन इलैक्ट्रिक कं०
एमहर्ट कारपोरेशन
अर्नस्ट एण्ड विधनी
एफ० एम० सी० कारपोरेशन

फ्लोर कारपोरेशन
फोर्ड
जी० टी० ई० कारपोरेशन
गेटस कारपोरेशन
जनरल इलैक्ट्रिक कम्पनी
जनरल फूड्स कं०
जनरल इंटरनेशल लिमिटेड
जिल्लेट कं०
दी गुडईयर टायर एण्ड रबड़ कं०
हर्कुलीस इंक
हर्षे फूड्स कारपोरेशन
ह्यूलेट्ट-पैकार्ड इंक०
होलीडे इन्नस इंक
हनीवैल
आई० बी० एम० कारपोरेशन
इंगरसोल-रैंड कं०
इंटरनेशनल मल्टीफूड्स
जॉनसन एण्ड जॉनसन
क्रापट इंक
लेवी स्ट्रोसस एण्ड कं०
जोक हीड
मैक ट्रक्स इंक
मैनविले कारपोरेशन मेडट्रोनिक इंक
मेडट्रोनिक इंक
माईल्स लेबोरेटरीज इंक
माइन सेफ्टी एपलाएंसिस
मिन्नाइसोटा माइनिंग एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग (3 एम०)
मोन सांतो कं०
मोटरोला इंक०
नाबीसको ब्रेंडस इंक
नेशनल फोर्ज कं०
ओक्सीडेंटल पेट्रोलियम
ओलिन कारपोरेशन
ओवेन्स-इलिनायस इंक०
पीट, र्मावीक, माइचेल
पैप्सी को इंक
फिलिप मोरिस इंक
दी पिल्सबरी कं०
प्राइस वाटर हाऊस
प्रोडक्ट रिसर्च एण्ड कैमिकल कारपोरेशन
क्वीकर ओट्स कं०
रायचेम कारपोरेशन
खेलोन इंक
रेक्सनोर्ड इंक
रिचर्डसन-विक्स इंक
रॉकवेल इन्टल कार्पो०
एस० सी० जानसन एण्ड सोन इंक०
शेरिंग-प्ले कार्पो०
जी० डी० सीरियल एण्ड कं०
सिंगर सुइंग मशीन
सोहियो केमिकल्स एण्ड इन्डस्ट्रियल प्राडक्ट्स
स्पेरी कार्पो०
सेन्ट० रेगिस कार्पो०
स्टेन्डर्ड आयल (इण्ड०)
स्टरलिंग ड्रग इन्क
टी० आर० डब्ल्यू० इन्क
टेकट्रानिक्स
यू० एस० टवैको कं०
यूनियन ऑयल कं० आफ कैलिफोर्निया
यूनाइटेड एनर्जी रिसोर्सज इन्क०
वार्नर कम्युनिकेशन्स
वेस्ट मैनेजमेंट
वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिक
यूगोस्लाविया
एनर्गोइनवेस्ट

आन्ध्र प्रदेश आटोमोबाइल टायर्स एण्ड ट्यूब्स लिमिटेड को टायरों के लिए औद्योगिक लाइसेंस देना

1379. **श्री श्रीराम मूर्ति भट्टम** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश आटोमोबाइल्स टायर्स एंड ट्यूब्स लिमिटेड को लगभग 85 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत पर टायर तथा ट्यूब का उत्पादन करने के लिए 1975 में एक औद्योगिक लाइसेंस मंजूर किया गया था;

(ख) क्या उपरोक्त परियोजना द्वारा लगभग 10 लाख टायरों का उत्पादन करने की संभावना है;

(ग) क्या टायर फैक्टरी के लिए आशय पत्र की मंजूरी हेतु संशोधित आवेदन मई 1984 से सरकार के विचाराधीन लम्बित पड़ा है; और

(घ) यदि हां तो इसकी अद्यतन स्थिति क्या है और विलम्ब के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश आटोमोबाइल टायर्स एण्ड ट्यूब्स लिमिटेड को प्रति वर्ष 4 लाख आटोमोबाइल टायरों और प्रति वर्ष 4 लाख आटोमोबाइल ट्यूबों के उत्पादन के लिए एक औद्योगिक लाइसेंस सं० सी० आई० एल० : 262 (75), दिनांक 23.7.1975 जारी किया गया था। औद्योगिक लाइसेंस कार्यान्वित नहीं किया गया था।

(ग) और (घ) फर्म के दिनांक 27.3.1984 के आवेदन के आधार पर प्रति वर्ष 10 लाख आटोमोबाइल टायरों और प्रति वर्ष 10 लाख आटोमोबाइल ट्यूबों के लिए एक नया आशय-पत्र सं० एल० आई० 73 (1985) दिनांक 5.2.85 जारी किया गया था।

उड़ीसा में इब घाटी ताप विद्युत केन्द्र की स्थापना

1380. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने उड़ीसा में इब घाटी ताप विद्युत केन्द्र की स्थापना के लिए मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त परियोजना स्थापित करने पर कितनी लागत आने का अनुमान है;

(ग) यह परियोजना किस वर्ष तक आरम्भ होगी; और

(घ) इब घाटी ताप विद्युत केन्द्र के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) परियोजना स्वीकृत हो जाने के बाद ही इसे क्रियान्वित किया जा सकेगा। इस समय अनुमानित लागत 887.99 करोड़ रुपये है।

उड़ीसा में नये एक्सचेंज खोलना

1381. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में वर्ष 1985-86 के दौरान कितने नए टेलीफोन एक्सचेंज खोले गए;

(ख) क्या सरकार का विचार वर्ष 1986-87 के दौरान राज्य में कुछ और टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो इन टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना होने पर कितने टेलीफोन कनेक्शन दिए जाने की संभावना है; और

(घ) उड़ीसा में 1986-87 के दौरान दूरसंचार के विकास और विस्तार के अन्य कितने कार्यक्रमों को आरंभ करने का प्रस्ताव है।

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) उड़ीसा में 1985-86 के दौरान अब तक खोले गए नए टेलीफ़ोन एक्सचेंजों की संख्या 20 है।

(ख) जी हां।

(ग) इन एक्सचेंजों की स्थापना होने पर उड़ीसा राज्य में 1986-87 के दौरान लगभग 1100 टेलीफोन कनेक्शन दिए जाने की संभावना है।

(घ) जानकारी संलग्न **विवरण** में दी गई है।

विवरण

1986-87 के दौरान विस्तार एवं विकास के प्रस्ताव

1. 120 लंबी दूरी के पी० सी० ओ० स्थापित करना।
2. फूलबनी में एक टी-43 ट्रंक बोर्ड का सस्थापन।
3. व्यवस्था करना : (एक) 35 कैरियर चैनल
   (दो) 30 वी० एफ० टी० चैनल
   (तीन) दो एस० टी० डी० रूट :
   (क) कटक पारादीप
   (ख) कटक-बालासौर
4. धेनकनाल, छत्तरपुर, बारीपाड़ा, क्योंझर, जेंगौर, कोरापुट, फूलबनी और सुन्दरगढ़ को स्वचल बनाना।
5. फूलबनी में एक भू-केन्द्र की स्थापना।
6. केन्द्रपाड़ा के बेस स्टेशन के साथ 20 लंबी दूरी के पी० सी० ओ० जोड़ने के लिए एम० ए० आर० आर० प्रणाली का संस्थापन।
7. 2000 लाइनों के आई० सी० पी० क्रासबार का संस्थापन करके 1986-87 के दौरान संबलपुर एक्सचेंज को स्वचल बनाना।
8. संबलपुर एक्सचेंज का 500 लाइनों (2000 से 2500) में विस्तार करना।

[हिन्दी]

खाना पकाने की गैस की एजेंसियों के आवंटन में अनुसूचित जातियों के लोगों को प्राथमिकता

1382. **श्री बनवारी लाल बेरवा** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में खाना पकाने की गैस की कितनी एजेंसियां कार्य कर रही हैं;

(ख) निकट भविष्य में कितनी एजेंसियां खोलने का विचार है; और

(ग) क्या इस प्रकार की एजेंसियों के आबंटन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को प्राथमिकता देने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) 1 फरवरी, 1986 को देश में 2629 एल पी जी एजेंसियां कार्य कर रही थीं।

(ख) तेल उद्योग की वार्षिक विपणन योजनाओं में अब तक शामिल स्थलों पर प्रत्येक मामले में विज्ञापन देने तेल चयन बोर्ड द्वारा चयन तथा उस बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर नियुक्ति की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसरण के पश्चात समय-समय पर एजेंसियां आरम्भ की जाएंगी।

सामान्यतः एक वर्ष में लगभग 300 नई एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटर शिपें आरम्भ की जाती हैं।

(ग) एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटर शिपों, रिटेल आउटप्लेट (पेट्रोल/डीजल) डीलर शिपों तथा एस० के० ओ० एल० डी० ओ० एजेंसियों के आबंटन के मामले में अनुसूचित जाति/अनुसूचित-जनजाति के व्यक्तियों के लिये 25 प्रतिशत के आरक्षण का प्रावधान है।

राजस्थान में नये सरकारी और गैर-सरकारी उद्योगों की स्थापना

1383. **श्री बनवारी लाल बैरवा** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राजस्थान में सरकारी क्षेत्र में नए उद्योग स्थापित करने का है, यदि हां, तो उद्योग किन स्थानों पर लगाए जायेंगे, ये कब से चालू होंगे और ये कैसे होंगे;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि इस समय राजस्थान में उद्योगों की संख्या अपर्याप्त है;

(घ) क्या सरकार का विचार उद्यमियों को राज्य में गैर-सरकारी क्षेत्र उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन देने का भी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) और (ख) सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की अवस्थिति सम्बन्धी निर्णय मुख्यतः तकनीकी आर्थिक कारणों से किये जाते हैं तथा इसे राज्यवार आधार पर पूर्व निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

(ग) उद्योगों की स्थापना विभिन्न कारणों पर निर्भर करती है जैसे कच्चे माल की उपलब्धता, श्रमिक, बिजली तथा जल सम्बन्धी साधन, बाजार आदि तथा इनकी पर्याप्तता इनकी संख्या से नहीं आंकी जा सकती है।

(घ) और (ङ) सरकार ने सामान्यतः अनेक रियायतों तथा सुविधाओं की घोषणा की है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्रीय पूंजी निवेश राज सहायता योजना, परिवहन राज सहायता योजना तथा रियायती वित्त योजना शामिल हैं। ये रियायतें राज्य सरकारों द्वारा दी गई रियायतों और सुविधाओं के अतिरिक्त हैं।

[अनुवाद]

हिन्दुस्तानी मशीन टूल्स, कलमश्शेरी, केरल द्वारा निर्मित भारी मशीनें

1384. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, कलमश्शेरी, केरल द्वारा निर्मित भारी मशीनें मांग की कमी के कारण गोदामों में पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने मूल्य की मशीनें बेकार पड़ी हैं; और

(ग) इन मशीनों को बेचने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) से (ग) पर्याप्त मात्रा में क्रयादेशों के न मिलने के कारण 1-1-1986 को एच० एम० टी० के कलमश्शेरी एकक में वस्तुसूची में उल्लिखित तैयार माल का मूल्य 311 लाख रुपये था। क्रयादेश प्राप्त करने के लिए गहन विपणन प्रयास किए जा रहे हैं।

जीवन रक्षक दवाइयों का उत्पादन

1385. **श्री पी० एम० सईद** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1985 के दौरान जीवन रक्षक दवाइयों के उत्पादन में भारी कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) स्थिति को कारगर ढंग से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) गत कुछ वर्षों से प्रपुंज औषधों तथा फार्मूलेशनों का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

बिहार में लोक अदालत

1386. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या **विधि और न्याय मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 दिसम्बर 1985 के जनसत्ता में प्रकाशित "लोक अदालत कोयले की दलाली में मैली" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पहली लोक अदालत पर किए गए भारी खर्च की जांच करने का है; और

(ग) अन्य जिलों में लोक अदालतें स्थापित करने तथा अनिर्णीत मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी हां।

(ख) विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति ने इस विषय पर विचार किया है और उसकी दृष्टि से इस समाचार का कोई औचित्य नहीं है।

(ग) विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति का बिहार राज्य में और अधिक लोक अदालतें आयोजित करने का प्रस्ताव है। हाल ही में तीन लोक अदालतें पटना, रांची और गिरिडीह में आयोजित की गई थीं जहां राज्य के अन्य प्राधिकारियों सहित भारत के मुख्य न्यायमूर्ति भी उपस्थित थे।

[अनुवाद]

दिल्ली और बंबई टेलीफोन्स के लिये निगम बनाना

1387. **श्री डी० एन० रेड्डी** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और बंबई के लिए केवल एक निगम बनाना अधिक लाभकारी होगा;

(ख) क्या सरकार दिल्ली और बम्बई टेलीफोन्स के लिए एक पृथक-पृथक निगम बनाएगी ताकि उसका पूर्ण विस्तार सुनिश्चित हो सकें;

(ग) क्या दिल्ली और बम्बई टेलीफोन्स के वर्तमान कर्मचारी नए निगमों में स्थानांतरित किए जाएंगे; और

(घ) यदि हां, तो इससे इन शहरों में टेलीफोन प्रणाली के कार्यकरण में किस प्रकार से सुधार होगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं।

(ख) दिल्ली और बंबई के लिए एक संयुक्त निगम की स्थापना की जा रही है और यह निगम शीघ्र ही अपना काम करना शुरू कर देगा। फिलहाल अलग-अलग निगम बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) जी हां। जहां तक संभव हो सकेगा इनकी सेवाएं निगम के अधीन रख दी जाएंगी।

(घ) प्रबंध व्यवस्था में अधिक लचीलापन, अधिक स्वायत्ता और अतिरिक्त साधन जुटाने के परिणामस्वरूप सेवा में सुधार होने की संभावना है।

ताप विद्युत संयंत्रों का नवीकरण और आधुनिकीकरण

1388. **प्रो० राम कृष्ण मोरे** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 के अन्त तक विद्युत क्षमता के निर्धारित लक्ष्य की तुलना में कितनी अतिरिक्त विद्युत क्षमता का निर्माण किए जाने का अनुमान है और यदि इसमें कोई कमी रही तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों ने ताप विद्युत संयंत्रों के नवीकरण और आधुनिकीकरण के लिए केन्द्र द्वारा आबंटित धनराशि की तुलना में वास्तव में कितना व्यय किया है और इस कार्य में असंतोषजनक प्रगति के क्या कारण हैं;

(ग) वर्ष 1985 के अन्त तक ऐसे निर्माणाधीन प्रमुख पन/ताप विद्युत संयंत्र कौन से हैं जिनके निर्माण कार्य की गति धीमी रही है और प्रत्येक परियोजना की लागत में कितनी वृद्धि होने की संभावना है; और

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ताप विद्युत संयंत्रों के नवीकरण और आधुनिकीकरण के कार्य में तेजी लाने और निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं के पूरा करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (घ) वर्तमान अनुमान के अनुसार वर्ष 1985-86 के दौरान नई उत्पादन क्षमता में संभावित वृद्धि 4349 मेगावाट की होने की आशा है इसकी तुलना में 4459.5 मेगावाट का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसके परिणामस्वरूप 110.5 मेगावाट की क्षमता से पिछड़ जाना होगा। वे यूनिटें जो पिछड़ जाएंगी ये हैं—लकवा गैस टर्बाइन यूनिट—4 (15 मेगावाट-असम), पश्चिमी यमुना नहर जल विद्युत यूनिट-दो (8 मेगावाट-हरियाणा), इदमलयार जल विद्युत यूनिट-दो (37.5 मेगावाट-केरल) और कोपिली जल विद्युत यूनिट-1 (50 मेगावाट-एन० ई० सी०)। इन यूनिटों को चालू करने में लगभग छः से नौ महीनों का विलम्ब होने की संभावना है जिसका मुख्य कारण सिविल निर्माण संबंधी कार्यों को पूरा करने

में पिछड़ जाना है, जल विद्युत यूनिटों के मामलों में हाइड्रो मेकेनिकल कार्य और मुख्य उपस्कर के लिए नींव तैयार करने में देरी होना, ताप विद्युत यूनिट के मामले में उपस्कर स्थल पर देर से प्राप्त होना। इन यूनिटों के बारे में लागत में वृद्धि का परियोजनाओं के पूरा हो जाने पर ही पता लगेगा।

सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं, जिनको सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान पूरा करने का कार्यक्रम है, की प्रगति की मानीटरिंग नियमित रूप से केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा की जा रही है। परियोजना प्राधिकारियों पर प्रभावकारी परियोजना प्रबंध और समुचित मानीटरिंग की आवश्यकता के लिए सतत रूप से जोर डाला जा रहा है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों ने विभिन्न परियोजना स्थलों का दौरा किया है ताकि स्थिति का जायजा लिया जा सके और बाधाओं को दूर करने में सहायता की जा सके।

वर्ष 1985-86 के दौरान ताप विद्युत संयंत्रों के लिए नवीकरण और आधुनिकीकरण स्कीमों हेतु 96 करोड़ रु० के केन्द्रीय आबंटन में से 26-2-1986 तक विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों/संगठनों को 48.05 करोड़ रु० की राशि मुहैया कराई जा चुकी है और 14.68 करोड़ रु० की राशि अदायगी की प्रक्रिया के अन्तर्गत है। विभिन्न नवीकरण और आधुनिकीकरण स्कीमों के लिए आबंटित निधियां और 26-2-86 की स्थिति के अनुसार वास्तव में मुहैया कराई गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। शेष निधियों का चालू वित्त वर्ष के अन्त तक समुपयोजन कर लिए जाने की संभावना है। इन स्कीमों की प्रगति की केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा समुचित मानीटरिंग की जा रही है ताकि इनको समयानुसार क्रियान्वित किया जा सके।

विवरण

1985-86 के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अन्तर्गत विभिन्न नवीकरण और आधुनिकीकरण स्कीमों के बारे में निधियां मुहैया कराने की स्थिति

26-2.1986 को स्थिति के अनुसार

क्र० सं०	नवीकरण और आधुनिकीकरण स्कीम का नाम	85-86 के लिए केन्द्रीय सहायता के अधीन अनन्तिम संशोधित निधियों का आबंटन	मुहैया कराई गई केन्द्रीय निधियां
1	2	3	4
		लाख रु०	लाख रु०
1.	बदरपुर		
2.	इन्द्रप्रस्थ	290.00	123.40
3.	फरीदाबाद	640.00	245.45
4.	पानीपत	275.00	122.56
5.	भटिण्डा	900.00	674.46
6.	पनकी	595.00	440.05
7.	ओबरा	520.00	155.17

1	2	3	4
8.	हरदुआगंज	665.00	374.54
9.	कोरबा	170.00	118.99
10.	अमरकंटक	24.00	13.17
11.	सतपुड़ा	91.00	22.23
12.	गांधी नगर	417.00	78.63
13.	धुवारण	205.00	173.84
14.	उकई	176.00	36.46
16.	कोराडी	192.00	118.00
16.	नासिक	108.00	70.00
17.	मुसावल	16.00	3.00
18.	पारस	16.00	5.64
19.	कोठागुडम	430.00	244.00
20.	एन्नोर	620.00	534.81
21.	तुतीकोरिन	279.00	200.00
22.	नेवेली		
23.	तलचेर	271.00	100.00
24.	चन्द्रपुर (दा० घा० नि०)	130.00	10.00
25.	बोकारो (दा०घा० नि०)	130.00	97.00
26.	दुर्गापुर (दा० घा० नि०)	130.00	78.00
27.	पतरातु	228.00	61.28
28.	बरौनी	140.00	67.36
29.	कार्विगहिया	250.00	145.50
30.	संतालडीह	330.00	195.30
31.	बंदेल	183.00	106.00
32.	दुर्गापुर (दु० प्रो० लि०)	605.00	191.00
	जोड़	9026.00	4805.84

कागज उद्योग के लिये कच्ची सामग्री की स्वदेशीय सप्लाई और उसका आयात

1389. **प्रो० रामकृष्ण मोरे** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1985 के दौरान कागज उद्योगों की कच्चे माल की मांग को स्वदेशीय तौर पर किस सीमा तक पूरा किया गया तथा आयात (मात्रा और विदेशी मुद्रा में मूल्य सहित) की मात्रा क्या है तथा वर्ग 1984 की तुलना में वर्ष 1985 के दौरान देश में और आयात द्वारा कितनी मात्रा में मांग को पूरा किया गया था;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान (वर्ग वार) कागज उद्योग की उत्पादन क्षमता में कितनी वृद्धि हुई तथा 1985 के अन्त तक वास्तविक क्षमता का कितनी मात्रा में उपयोग किया गया; और

(ग) उत्पादन क्षमता के बढ़ाने से कच्चे माल की मांग किस सीमा तक बढ़ने की संभावना है और कच्चे माल का अधिक मात्रा में उत्पादन करके देशी सप्लाई बढ़ाने और आयात को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) कागज उद्योग द्वारा वर्ष 1984 और 1985 के दौरान उपयोग की गई आयातित और स्वदेशी कच्ची सामग्री की मात्रा और मूल्य के ठीक-ठीक आंकड़ें उपलब्ध नहीं हैं। किन्तु, उद्योग द्वारा आयातित लकड़ी की लुगदी/रद्दी की खपत का अनुमान कच्चे माल सम्बन्धी कुल आवश्यकता का 15-20% लगाया गया है।

(ख) गत तीन वर्षों में उद्योग की अधिष्ठापित क्षमता, उत्पादन और क्षमता उपयोग निम्नलिखित है :–

वर्ष	अधिष्ठापित क्षमता	उत्पादन	क्षमता उपयोग
1983	19.15	11.78	61.5%
1984	21.65	13.71	63.3%
1985	23.50	15.00	63.4% (अनुमानित)

(ग) उद्योग कागज और गत्ते के उत्पादन के लिए लकड़ी, कृषि अवशेषों, रद्दी कागज आदि जैसी विभिन्न प्रकार की कच्ची सामग्री का उपयोग करता है। अत: कच्चे माल की मांग की सीमा उपयोग की जाने वाली कच्ची सामग्री की किस्म पर निर्भर करेगी। उद्योग के लिए कच्ची सामग्री की उपलब्धता को बढ़ाए जाने की दृष्टि से खुले सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत लुगदी रद्दी कागज और वुडचिप्स के आयात की अनुमति दी गई है आयात सीमा-शुल्क से छूट प्राप्त होंगे। खोई और अन्य गैर-परम्परागत कच्ची सामग्री पर आधारित कागज और गत्ता उत्पादन पर भी उत्पादन शुल्क सम्बन्धी रियायतें दी गई हैं। बड़े पैमाने पर वनरोपण के लिए भी कम्पनी को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

गुजरात में खाना पकाने की गैस के कनेक्शनों के लिये प्रतीक्षा सूची

1390. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) गुजरात में 1 जनवरी, 1986 को खाना पकाने की गैस के लिये प्रतीक्षा सूची में कितने लोग थे;

(ख) वर्ष 1985 के दौरान गुजरात में प्रतीक्षा सूची में से कितने व्यक्तियों को खाना पकाने की गैस के नए कनेक्शन दिए गए; और

(ग) वर्ष 1986 के दौरान खाना पकाने की गैस के कितने नए कनेक्शन देने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) लगभग 5,39,260

(ख) लगभग 13,7,660

(ग) गुजरात सहित देश में नए कनेक्शन तेल उद्योग के वार्षिक नामांकन कार्यक्रम के अन्तर्गत जारी किए जाते हैं और एल पी जी की उपलब्धता में वृद्धि, बाट लिंग क्षमता, परिवहन और अन्य आधारभूत संरचना पर निर्भर करते हैं।

न्यायालय फीस समाप्त करना

1391. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड** : क्या **विधि और न्याय मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का न्यायालय फीस समाप्त करने के प्रश्न पर विचार करने का प्रस्ताव है, जैसा कि इस प्रयोजन के लिए गठित विधि मंत्रियों की समिति ने सिफारिश की है; और

(ख) इस संबंध में अन्तिम विनिश्चय कब तक किए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) विधि आयोग को न्यायिक प्रशासन संबंधी सुधारों का अध्ययन करने और सिफारिशें करने का कार्य सौंपा गया है। विचारार्थ विषयों में से एक विषय मुकदमा लड़ने वालों से संबंधित है जो मुकदमे के खर्च को कम करने की दृष्टि से अध्ययन करने के लिए है। अतः, न्यायालय फीस समाप्त किए जाने के बारे में विधि मंत्रियों की समिति की रिपोर्ट, विधि आयोग को उनके अध्ययन करने और इस बारे में सिफारिश करने के लिए निर्देशित की जा रही है। विधि आयोग से रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर समुचित विनिश्चय किया जाएगा और इस प्रक्रम पर यह बताना संभव नहीं है कि कब तक विनिश्चय हो जाएगा।

कागज की उत्पादन क्षमता और कागज उद्योग से प्राप्त राजस्व

1392. **श्री ई० अय्यपू रेड्डी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कागज बनाने के लिए 1985 में कितने आशय पत्र जारी किए गए;

(ख) कागज निर्माण के लिए कुल प्रतिष्ठापित क्षमता कितनी है तथा 1985 के दौरान कितने मीट्रिक टन कागज का उत्पादन हुआ; और

(ग) 1985 के दौरान कागज उद्योग से उत्पादन शुल्क के रूप में केन्द्रीय सरकार को कितना राजस्व प्राप्त हुआ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) 1985 के दौरान कागज और गत्ते के उत्पादन के लिए कुल 20 आशय-पत्र जारी किए गये थे।

(ख) 1.1.1985 को कागज और गत्ते की अधिष्ठापित क्षमता 23.49 लाख मी. टन थी। 1985 में 15.00 लाख मी. टन उत्पादन होने का अनुमान है।

(ग) 1985 में उपकर सहित केन्द्रीय उत्पादन राजस्व 219.18 करोड़ रुपये (अनंतिम) इकट्ठा होने का अनुमान है।

कोल इंडिया लिमिटेड के अधीन दो और सहायक कम्पनियों की स्थापना

1393. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष से कोल इंडिया लिमिटेड के अधीन नार्दर्न कोलफील्डस लिमिटेड और साऊथ ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड नामक दो और सहायक कम्पनियों की स्थापना की स्वीकृति दी है;

(ख) क्या कोल इण्डिया लिमिटेड की इन दो सहायक कम्पनियों के गठन से सेन्ट्रल कोलफील्ड को लिमिटेड की उपदेयता पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा; और

(ग) यदि हां, तो सरकार कोल इंडिया लिमिटेड की दो और सहायक कम्पनियों की स्थापना को ध्यान में रखते हुए सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड को एक प्रतिष्ठित सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी के रूप में कैसे बनाये रखेगी ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि. और वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० के उत्पादन में परियोजित वृद्धि और परिकल्पितनिवेश, इन दोनों कंपनियों के विस्तृत भौगोलिक कार्यक्षेत्र, इनके सामने आ रही प्रबंधकीय, तकनीकी और संचारी समस्याएं, आदि को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० और वेस्टर्न कोलफील्डस लि० को विभक्त करके कोल इंडिया लि० की सहायक कंपनियों के रूप में दो नई कंपनियां बनाने की मंजूरी दे दी है। इन दोनों नई कंपनियों अर्थात् नार्दर्न कोलफील्ड्स लि० (मुख्यालय सिंगरौली-मध्य प्रदेश) और साउथ ईस्टर्न कोलफील्डस लि० (मुख्यालय बिलासपुर मध्य प्रदेश) को कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन दिनांक 28-11-1985 से निगमित किया गया है।

कोल इंडिया लि० की इन दो सहायक कंपनियों के गठन से धारक कंपनी अर्थात् कोल इंडिया लि० की लाभकारिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

विदेशी सहयोग करारों की स्वीकृति के लिये प्रक्रिया में सुधार करने का प्रस्ताव

1394. प्रो० **निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मन्त्रालय का विदेशी सहयोग करारों की स्वीकृति के लिए प्रक्रिया में सुधार करने का विचार है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या इससे होने वाला विलम्ब कम होगा; और

(घ) ऐसे एककों की संख्या कितनी है जो पहले ऐसे करारों के अधीन आ चुके हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) से (घ) विदेशी सहयोग प्रस्तावों के तेजी से कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार ने पहले ही यह निर्णय किया है कि 2-8-85 के बाद जारी स्वीकृतियों के मामले में विदेशी सहयोग करारों को रिकार्ड पर नहीं लिया जाएगा। स्वीकृति पत्रों के अनुसार किए गए करार, भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत किए जाने चाहिए जो एक मुश्त भुगतान का पहला 1/3 भाग जारी कर सकता है।

1981 से जून, 1985 तक सरकार ने 2844 विदेशी सहयोग प्रस्ताव स्वीकृत किए हैं।

पश्चिम बंगाल में मिदनापुर जिले में केयूरी में तेल भंडार

1395. **डा० फूलरेणु गुहा** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में केयूरी तथा इसके आस-पास के क्षेत्र में तेल के भंडार मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो वहां तेल का कितना भंडार होने का अनुमान है; और

(ग) कब तक उत्पादन आरम्भ होने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

उड़ीसा में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र और शाखा डाकघर खोलना

1396. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में वर्ष 1985-86 में खोले गये सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र और शाखा डाकघरों की संख्या कितनी है; और

(ख) उड़ीसा में वर्ष 1986-87 में कितने सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र और शाखा डाकघर खोलने का विचार है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) 1985-86 के दौरान खोले गए सार्वजनिक टेलीफोनघरों की संख्या 45 है।

1985-86 में खोले गए डाकघरों की संख्या शून्य है।

(ख) 1986-87 के दौरान 120 सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने का प्रस्ताव है।

1986-87 के दौरान खोले जाने वाले प्रस्तावित डाकघरों के सम्बन्ध में अभी लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

करीमगंज ट्रंक टलीफोन एक्सचेंज में अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी प्रणाली

1397. **श्री सुदर्शन दास** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में करीमगंज ट्रंक टेलीफोन एक्सचेंज में अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी प्रणाली अधिष्ठापित की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रणाली को चालू न किये जाने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां। सिल्चर से करीमगंज के लिए एक यू० एच० एफ० प्रणाली चालू की गई है।

(ख) यह प्रणाली 20-11-85 को चालू की गई थी।

पंचग्राम (असम) में कछार पेपर मिल की स्थापना

1398. **श्री सुदर्शन दास** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड ने असम में पंचग्राम में कछार पेपर मिल की स्थापना का काम कब शुरू किया था; और

(ख) इस मिल के कब तक चालू होने की संभावना है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) नवम्बर, 1981

(ख) आशा है मिल एक कागज मशीन से अक्तूबर, 1986 में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ कर देगी।

करीमगंज, असम में स्वचालित एक्सचेंज का निर्माण

1399. **श्री सुदर्शन दास :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में करीमगंज टेलीफोन एक्सचेंज में स्वचालित एक्सचेंज के निर्माण का कार्य शुरू किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो निर्माण कार्य के कब पूरा होने की आशा है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां । भवन का निर्माण कार्य चल रहा है ।

(ख) ऐसी संभावना है कि इस भवन का निर्माण कार्य 1986 के अन्त तक पूरा हो जाएगा ।

ग्रामीण विद्युतीकरण का लक्ष्य

1400. **डा० गौरीशंकर राजहंस :** क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आगामी तीन वर्षों में पूरे देश में ग्रामीण विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) देश के लिए सातवीं योजना अवधि हेतु कुल मिलाकर ग्राम विद्युतीकरण के लिए लक्ष्यों का निर्माण कर दिया गया है । वार्षिक लक्ष्यों को वार्षिक योजनाएं बनाते समय अन्तिम रूप दिया जाता है। सातवीं योजना और 1986-87 के लिए (अनन्तिम) ग्राम विद्युतीकरण के राज्यवार लक्ष्य संलग्न **विवरण** में दिए गए हैं ।

विवरण

ग्रामीण विद्युतीकरण के लक्ष्य

क्रम संख्या	राज्य का नाम	सातवीं योजना के दौरान (1985-90)	1986-87 के दौरान (अनन्तिम)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	4370	815
2.	असम	9663	2211
3.	बिहार	16000	3500
4.	गुजरात	2145	900
5.	हरियाणा	--	--
6.	हिमाचल प्रदेश	2322	500
7.	जम्मू व कश्मीर	770	160
8.	कर्नाटक	4524	748
9.	केरल	—	—
10.	मध्य प्रदेश	17010	3000

1	2	3	4
11.	महाराष्ट्र	2365	500
12.	मणिपुर	713	85
13.	मेघालय	1170	212
14.	नागालैंड	329	39
15.	उड़ीसा	7558	1386
16.	पंजाब	—	—
17.	राजस्थान	7515	1005
18.	सिक्किम	167	30
19.	तमिलनाडु	42	8
20.	त्रिपुरा	758	141
21.	उत्तर प्रदेश	25170	3610
22.	पश्चिम बंगाल	14918	2356
	जोड़ :	117509	21206

कोंकण (महाराष्ट्र) में सरकारी क्षेत्र की औद्योगिक परियोजनायें स्थापित करना

1401. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र के पिछड़े कोंकण क्षेत्र में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने की दृष्टि से केन्द्र सरकार द्वारा इसके विकास के लिये सरकारी क्षेत्र की औद्योगिक परियोजनायें स्थापित करने की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार की ठोस योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की अवस्थिति के बारे में निर्णय मुख्यत: तकनीकी आर्थिक कारणों से लिये जाते हैं। इस शर्त के साथ केन्द्रीय परियोजनाओं की अवस्थिति में अपेक्षाकृत पिछड़े क्षेत्रों को अधिमान्यता दी जाती है।

(ख) चूंकि औद्योगिक परियोजनाओं की अवस्थिति का निर्णय तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यताओं पर लिए जाते हैं, इसलिए इस का राज्यवार आधार पूर्व निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

सामान्य टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्राथमिकता

1402. **डा० चिन्ता मोहन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार रेडियो टेलीफोन और पेजिंग सेवायें आदि प्रदान करने से पहले सामान्य टेलीफोन कनेक्शन देने को प्राथमिकता देने का है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : जी नहीं। मोबाइल रेडियो टेलीफोन और रेडियो पेजिंग सेवाएं शुरू करने से टेलीफोन कनेक्शन सुलभ कराने की प्रक्रिया पर

कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। ये सेवाएं एक अलग रेडियो प्रणाली पर प्रदान की जाती हैं तथा मोबाइल रेडियो टेलीफोन तथा रेडियो पेजिंग सेवा के आवेदकों की अलग प्रतीक्षा सूची है।

"कॉर्डलैस" टेलीफोन प्रारम्भ करना

1403. **श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में वाहनों में कॉर्डलैस टेलीफन लगाने की योजना आरम्भ कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में प्रारम्भिक राशि क्या होगी और सरकार द्वारा कितना मासिक किराया वसूल किया जाएगा ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) देश में मोबाइल रेडियो टलीफोन सेवा पहली बार दिल्ली में शुरू की गई है। ये टेलीफोन उपभोक्ता के वाहन में लगाए जाते हैं।

(ख) मोबाइल रेडियो टेलीफोन के लिए मांग 1000/-रुपए की अग्रिम राशि जमा करके दर्ज कराई जा सकती है। जब कनेक्शन दिया जाता है तो कार में संस्थापित ट्रांस-रिसीवर के लिए 40,000/-रुपए की प्रतिभूति जमा राशि देनी होती है तथा प्रतिमाह 2000/-रुपए किराया वसूल किया जाता है।

तेल की खोज संबंधी कठिनाइयों को दूर करना

1404. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्वरित तेल खोज कार्यक्रम के रास्ते में बाधक कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या तेल खोज कार्यक्रम में काफी विलम्ब हुआ है;

(ग) क्या यह सच है कि मुख्य खोज अभिकरणों द्वारा पूंजीगत उपकरण प्राप्त करने में गम्भीर अनियमितताएं हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन कदमों से 1986-87 के दौरान खोज कार्यक्रम में कहां तक सहायता मिलेगी और सुधार होगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) उठाए गए कदमों में योजना के साधनों को बढ़ाने के प्रयास, अधिक शक्तियों का प्रत्यायोजन, रिगों का बेहतर प्रयोग, आंकड़ों को प्रोसेस करने के लिए इन-हाऊस क्षमताएं बढ़ाना, आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग, उपकरणों की पूर्ति का कड़ाई से मानिटरिंग करना शामिल है।

(ख) और (ग) अन्वेषण कार्यक्रम में हुई कुछ देरी का कारण अन्य बातों के साथ-साथ रिगों और उनके अतिरिक्त पुर्जों, पम्पों, तथा कम्प्रेसर कम्प्यूटरों आदि की प्राप्ति में अधिक समय लगना था।

(घ) अड़चनों को दूर करने के लिए की गई कार्यवाही से अन्वेषण कार्यक्रम में किस सीमा तक तेजी आयेगी, बताना सम्भव नहीं है।

[हिंदी]

डाक वितरण में विलम्ब

1405. **श्री काली प्रसाद पाण्डे : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल गाड़ियों में अनेक छंटनी विभागों को समाप्त कर दिया गया है जिससे अन्तर क्षेत्रीय/राज्य डाक के वितरण में विलम्ब हो रहा है ?

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या उपचारात्मक कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) अत्यंत उपवाद स्वरूप मामलों को छोड़कर अन्तः सर्किल/राज्य डाक वितरण प्रणाली में विलम्ब का कारण न बनते हुए अन्तः सर्किल/राज्य के डाक संचालन के लिए तेजी से काम करने वाली ट्रांजिट प्रणाली की व्यवस्था करने के उद्देश्य से सभी सार्टिंग सैक्शनों को ट्रांजिट सैक्शनों में बदल दिया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

[अनुवाद]

दूरसंचार व्यवस्था के विकास के लिए पश्चिमी जर्मनी द्वारा ऋण की पेशकश

1406. **श्री के० प्रधानी : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी जर्मनी की सीमेन्स ए० जी० फर्म ने केन्द्र सरकार को देश में दूर-संचार व्यवस्था के विकास के लिए 750 करोड़ रुपए तक का ऋण देने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रस्तावित ऋण के इस्तेमाल हेतु आधार भूत सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए कोई कार्यवाही आरम्भ की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इसमें से कुछ धनराशि उड़ीसा राज्य में, विशेष रूप से पिछड़े जनजाति क्षेत्रों में, दूरसंचार व्यवस्था में सुधार लाने हेतु खर्च की जाएगी; और

(ङ) यदि हां, तो किन परियोजनाओं पर और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां। यह प्रस्ताव सीमेन्स जर्मनी, सीमेन्स आस्ट्रिया तथा सीमेंस स्विटजरलैंड ने मिलकर किया था।

(ख) इस प्रस्ताव पर विचार किया गया तथा वर्तमान योजना आवंटनों की परिधि में इस प्रस्ताव के उपयोग का औचित्य नहीं बन पाया।

(ग) से (ङ) उपरोक्त (ख) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

सीमेंट की उत्पादन क्षमता और वास्तविक उत्पादन

14)7. **श्री अमर सिंह राठवा**
श्री चिन्तामणि जैना } : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) सीमेंट की वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान देश में प्रति वर्ष सीमेंट का वास्तव में कितना उत्पादन हुआ;

(ग) क्या यह सच है कि सीमेंट का उत्पादन क्षमता से कम उत्पादन ही रहा है; और

(घ) यदि हां तो उसके क्या कारण हैं और मांग पूरी करने हेतु देश में सीमेंट का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) से (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान सीमेंट की अधिष्ठापित क्षमता और उत्पादन निम्न प्रकार था :—

(लाख टनों में)

वर्ष	अधिषापित क्षमता	वास्तविक उत्पादन
1984-85	428	301.7
1983-84	369	270.6
1982-83	335	233.5

बिजली, कोयला और रेलवे वैगनों जैसी अवस्थापनापरक सुविधाओं के अभाव के कारण, समय-समय पर श्रमिक समस्याओं, नए एककों की प्रारम्भिक कठिनाइयों जिससे उत्पादन स्थिर करने में समय लगता है आदि जैसी बाह्य बाधाओं के साथ-साथ आन्तरिक बाधाओं के कारण भी क्षमता का कम उपयोग हुआ। उत्पादन सम्बन्धी बाधाओं को हटाकर और अतिरिक्त क्षमता का सृजन करके देश में सीमेंट की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए निरन्तर प्रयास किया जा रहा है।

पेट्रोलियम और खनिज तेल पर गुजरात को दी जाने वाली रायल्टी में संशोधन

1408. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजी भाई मावणि** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अगस्त 1985 में पेट्रोलियम मंत्री द्वारा आश्वासन दिए जाने पर गुजरात सरकार ने ग्रामीण विकास उपकर लगाने वाली अधिसूचना को वापस ले लिया है और यह वचन दिया है कि उपकर तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक पेट्रोलियम और खनिज तेल पर विद्यमान रायल्टी लागू रहती है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार को यह पता है कि रायल्टी दर में संशोधन करने के कारण राज्य के राजस्व को भारी घाटा हो रहा है; और

(ग) यदि हां, तो रायल्टी दर में संशोधन करने तथा गुजरात सरकार को हुए घाटे की पूर्ति करने के लिये क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) से (ग) कच्चे तेल की रायल्टी की दरों में संशोधन का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

पूंजीगत सामान में प्रौद्योगिकी का आयात

1409. **श्री सैयद मसूदल हुसैन** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान पूंजीगत सामान में शामिल प्रौद्योगिकी तथा जानकारी के रूप में विमुक्त प्रौद्योगिकी के आयात की कुल मात्रा कितनी है और दोनों श्रेणियों का वर्ष-वार ब्योरा क्या है;

(ख) किन-किन देशों से इन दोनों प्रौद्योगिकियों का आयात किया जा रहा है; और

(ग) उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिनके लिए इनका आयात किया जाता है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) से (ग) औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय म पूंजीगत माल में सम्मिलित प्रौद्योगिकी के आयात की कुल मात्रा के बारे में केन्द्रीकृत रूप से कोई भी सूचना नहीं रखी जाती है। प्रौद्योगिकी के आयात के लिए वर्ष 1981 से 198: की अवधि के दौरान विदेशी सहयोग सम्बन्धी 3428 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए थे। सभी स्वीकृत स्वदेशी सहयोगों का ब्यौरा जिसमें भारतीय और विदेशी फर्मों के नाम, विनिर्माण की वस्तु और सहयोग का स्वरूप दिया गया होता है। भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा अपने मंथली न्यूज लेटर के परिशिष्ट के रूप में तिमाही आधार पर प्रकाशित किया जाता है। इस प्रकाशन की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में नियमित रूप से भेजी जा रही हैं।

12.00 म०प०

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : महोदय, मैं सभा के समक्ष एक बड़ा गंभीर मामला उठाना चाहता हूं। मैंने विशेषाधिकार प्रस्ताव का एक नोटिस दिया है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बुलाऊंगा।

(व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने नियम 222 के अधीन विशेषाधिकार प्रस्ताव का एक नोटिस दिया है··· **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे पास आइए। मैं आपकी बात सुनूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात क्यों नहीं सुन सकते ? आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

(व्यवधान)**

प्रो० के० के० तिवारी : मुझे आपका विनिर्णय चाहिए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते हैं ?
बात सुनिए मेरी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप ठहर जाइए। क्या हो रहा है यह ?
पांच आदमी बोलते जा रहे हैं एक साथ। क्या कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : भगवान के लिए कृपया उत्तेजित मत होइए।

(व्यवधान)

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : आपके संसदीय कार्य मन्त्री कहां हैं ?

(व्यवधान)

[हिंदी]

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया (संगरूर) : यह सीरियस मैटर है। इस पर ये सीरियस नहीं हैं। उस बात को ये बिगाड़ना चाहते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिये, आप इस बात को बिल्कुल शांति से सोचिए। कोई बात नहीं है। रामूवालिया जी और हम मिल बैठे हैं। उन्होंने देख लिया है। जो बात लिखी है वह हमारे आपस की बात है। पंजाबी आपस में लड़ भी जल्दी लेते हैं लेकिन राज़ी भी जल्दी हो जाते हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० के० के० तिवारी : मुझे आपका विनिर्णय चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : भगवान के लिए, कृपया मेरी बात सुनिए। उत्तेजित मत होइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आपकीं बात ठीक है, तो कोई समस्या नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात सुनिये। क्या कर रहे हैं आप ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिए, हमेशा की नाराज़गी ठीक नहीं होती है।

श्री भागवत झा आज़ाद (भागलपुर) : यह व्यक्तिगत नहीं है आपके लिए। स्पीकर के लिए है, बलराम झाखड़ के लिए नहीं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं देखकर बताऊंगा। सारी बात कर ली है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये। कोई चिन्ता की बात नहीं है। इसको मैं देख लूंगा। आपके अध्यक्ष की गरिमा आपके सारे हाउस की गरिमा है, मेरी अपनी थोड़े ही है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ये भी सत्कार करते हैं। आप शांति से बैठिये और शांति से बात करिये।

[अनुवाद]

मैं इस पर विचार करूंगा।

श्री राजकुमार राय (घोसी) : यदि वह अपना प्रस्ताव वापिस लेते हैं तो ठीक है।

[हिंदी]

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने पता कर लिया है। कोई ऐसी बात नहीं है। बात हो गई है, सारा आपको पता है। हमारे सारे के सारे विचार सात्विक हैं और इसी हिसाब से हम आपको

बताते हैं कि हम, जो सम्प्रदायवाद है उससे बहुत दूर रहते हैं। वही इन्सान सम्प्रदायवादी हो सकता है या कम्युनल हो सकता है जो कि बेसिकली इन्सानियत खो बैठे या इरशिनल हो या बेईमान हो। आप निश्चित रहिए। इन सारी बातों को देखकर हम करते हैं।

[अनुवाद]

मैं इस मामले को लूंगा।

(व्यवधान)

कृपया एक-एक करके बोलिए······

श्री वी० सोभनाद्रीशवर राव (विजयवाड़ा) : महोदय, जम्मू और कश्मीर की स्थिति और खराब होती जा रही है।

प्रो० मधु दंडवते : (राजापुर) : नियम 352 के अनुसार ·····

श्री वी० सोंभनाद्रीशवर राव : राज्य सभा में, उन्होंने चर्चा की अनुमति दे दी है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी जांच करूंगा।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : जम्मू और कश्मीर में स्थिति बहुत गम्भीर है।

अध्यक्ष महोदय : हम पहले ही इस बारे में निर्णय ले चुके हैं।

[हिंदी]

हमने कब मना किया है।

[अनुवाद]

प्रो० दंडवते और श्री बसुदेव आचार्य, निर्णय आप करते हैं, मैं नहीं। आज लोक लेखा समिति की बैठक है। आप इसका निर्णय वहां कीजिए। इसका निर्णय करने की जिम्मेदारी आप पर है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैंने कभी आपत्ति नहीं की। मुझे इतना ही कहना है।

प्रो० मधु दंडवते : प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों के नियम 352 के अनुसार हम मूल प्रस्ताव के आधार पर राज्यपाल के आचरण के बारे में चर्चा कर सकते हैं, जिस तरह नियम 184 के अंतर्गत ···(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे यह मामले देखने दीजिए। अब मेरी बात सुनिए।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : बिलकुल नहीं। इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए।

[हिन्दी]

आप जवाब ही नहीं देने देते हैं।

(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह मेरा काम है। इसकी अनुमति नहीं है। एक भी शब्द कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुनिए। आपने नोटिस दिया है···

प्रो० मधु दंडवते : मैंने···के राज्यपाल के विरुद्ध नियम 184 के अन्तर्गत नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते हैं? कम से कम मेरी बात तो सुनिए। मैंने कहा है कि मुझे आपका नोटिस मिला है। मैं उसे देखूंगा। यदि मैं इस पर कुछ कर सकता हूं, तो इसे लूंगा।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव (पार्वतीपुरम) : महोदय, व्यवस्था के प्रश्न पर।

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है? मैं सुनूंगा।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : यह··राज्यपाल के बारे में है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, इसकी अनुमति नहीं है। मैंने अभी-अभी इस पर निर्णय दिया है। मैं इसे देखूंगा। इसे बिना देखे, मैं अनुमति नहीं दे सकता।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है।

श्री थम्पन थॉमस (मवेलिकारा) : केरल में सांविधानिक संकट है···

अध्यक्ष महोदय : नहीं, कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। इसकी अनुमति नहीं है। असंगत, यह बिलकुल असंगत है। इसकी अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)**

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : मैंने नोटिस दिया था।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछ सकते हैं। आपने एक स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया था। आप प्रश्न पूछ सकते हैं। स्थगन प्रस्ताव का प्रश्न ही नहीं उठता।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है। इसकी बिलकुल अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछ सकते हैं···इसकी अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है। श्री जयपाल रेड्डी ने जो कहा, उसकी अनुमति नहीं है। इसकी बिलकुल अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। आप प्रश्न पूछ सकते हैं। इसकी अनुमति नहीं है। मैं प्रश्न पूछने की अनुमति दूंगा। मुझे इतना ही कहना है। इस तरह नहीं। नहीं।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं प्रश्न पूछने की अनुमति दूंगा। मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं। मैं प्रश्न पूछने की अनुमति दे रहा हूं। आप प्रश्न पूछ सकते हैं।

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री एच० ए० डोरा (श्रीकाकुलम) : जहां तक व्यवस्था के प्रश्न का संबंध है, जिन परिस्थितियों के कारण श्री गोरे को त्यागपत्र देना पड़ा···

अध्यक्ष महोदय : श्री गोरे को यहां क्या करना है। आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री एच० ए० डोरा : मैंने नोटिस दिया है ····· (**व्यवधान**)

[**हिंदी**]

अध्यक्ष महोदय : तिवारी जी, आप क्यों झगड़ रहे हैं, जब मैं एलाउ नहीं कर रहा हूं। आप क्यों झगड़ रहे हैं, तुम्हारा क्या लेते हैं। मैं जब एलाउ नहीं कर रहा हूं, तो आप क्यों झगड़ रहे हैं, बताइए।

·· (**व्यवधान**)···

अध्यक्ष महोदय : वे कहते जाएंगे, रिकार्ड पर है क्या ?

[**अनुवाद**]

कार्यवाही वृत्तांत में एक भी शब्द सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। आप इस बारे में चिंतित क्यों हैं ?

श्री डोरा, आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री एच० ए० डोरा : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है : मैंने नियम 193 के अंतर्गत डा० गोरे के त्यागपत्र दिए जाने के बारे में चर्चा कराए जाने का नोटिस दिया है ··

अध्यक्ष महोदय : उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। यह नोटिस मेरे पास आना है। इसकी यहां कोई बात नहीं है उसे कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष स्वीकार करने के लिए भेजा जाएगा।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : मैंने सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम को 60000 नियमित कर्मचारियों की छटनी करने के निदेश दिये जाने के बारे में नोटिस दिया है। मैं उस पर चर्चा करवाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्रीमान, मैं यही कर रहा हूं। अब श्री सामंत बोलेंगे।

डा० दत्ता सामंत (बम्बई दक्षिण मध्य) : महाराष्ट्र के मुख्य मन्त्री ने राजनैतिक दबाव डाला है······

(**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है। असंगत।

(**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है।

श्री विजय एन० पाटिल (इरन्दोल) : मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का नोटिस दिया है। (**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है।

(**व्यवधान**)**

श्री विजय एन० पाटिल : मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे मेरे कक्ष में मिलिए।

(**व्यवधान**)**

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

12.10 म०प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड, नई दिल्ली, और राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन और इनके कार्यकरण की समीक्षा

शहरी विकास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (एक) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 2085/86]

(2) (एक) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 2086/86]

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद का वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन और वार्षिक लेखे

कृषि मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 1984-85 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 2087/86]

(3) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (भाग-2)—प्रशासन तथा वित्त संबंधी वर्ष 1983-84 के वार्षिक प्रतिवेदन,* के शुद्धि-पत्र की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 2088/86]

---

*वार्षिक प्रतिवेदन 26 अगस्त, 1985 को सभा पटल पर रखा गया।

हुटी गोल्ड माइन्स कम्पनी लिमिटेड, चित्रदुर्ग, कॉपर कम्पनी लिमिटेड और कर्नाटक कॉपर कंसर्शियम लिमिटेड (समामेलन) आदेश, 1985

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 396 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत हुटी गोल्ड माइन्स कम्पनी लिमिटेड, चित्रदुर्ग कॉपर कम्पनी लिमिटेड और कर्नाटक कॉपर कंसर्शियम लिमिटेड (समामेलन) आदेश, 1985 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 12 जुलाई, 1985 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 521 (अ) में प्रकाशित हुआ था, सभा पटल पर रखता हूं :—

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 2089/86]

कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1948 की धारा 7क के अन्तर्गत अधिसूचनाएं तथा राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड इत्यादि का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1948 की धारा 7क के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) कोयला खान कुटुम्ब पेंशन (संशोधन) योजना, 1985, जो 20 दिसम्बर, 1985 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 914 (अ) में प्रकाशित हुई थी ।

(दो) कोयला खान भविष्य निधि (दूसरा संशोधन) योजना, 1985 जो 24 दिसम्बर, 1985 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 934 (अ) में प्रकाशित हुई थी ।

(तीन) आन्ध्र प्रदेश कोयला खान भविष्य निधि (दूसरा संशोधन) योजना, 1985, जो 24 दिसम्बर, 1985 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 935 (अ) में प्रकाशित हुई थी ।

(चार) राजस्थान कोयला खान भविष्य निधि (दूसरा संशोधन) योजना, 1985, जो 24 दिसम्बर, 1985 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 936 (अ) में प्रकाशित हुई थी ।

(पांच) कोयला खान भविष्य निधि (संशोधन) योजना, 1986, जो 8 फरवरी, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 119 में प्रकाशित हुई थी ।

(छ:) आंन्ध्र प्रदेश कोयला खान भविष्य निधि (संशोधन) योजना 1986 जो 8 फरवरी, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 120 में प्रकाशित हुई थी ।

(सात) राजस्थान कोयला खान भविष्य निधि (संशोधन) योजना, 1986 जो 8 फरवरी, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 121 में प्रकाशित हुई थी ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 2090/86]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, नई दिल्ली का वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षक लेखे तथा उन पर नियंत्रक महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 2091/86]

(ख) (एक) कोल इण्डिया लिमिटेड, कलकत्ता की वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोल इण्डिया लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 2092/86]

(ग) (एक) सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड, का वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त मद (2) के भाग (ख) और (ग) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल में रखने में हुये विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 2093/86]

(4) (एक) कोयला खान भविष्य निधि, कोयला, खान कुटुम्ब पेंशन तथा कोयला खान जमा सम्बद्ध बीमा योजनाओं के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कोयला खान भविष्य निधि, कोयला खान कुटुंब पेंशन तथा कोयला खान जमा सम्बद्ध बीमा योजनाओं के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 2094/86]

(व्यवधान)

श्री अमल दत्त : हम उस पुराने विमान हरमीज की खरीद के लिए समझौता कर रहे हैं जिसे दो देश पहले ही नामंजूर कर चुके हैं। (व्यवधान)

बिएकोलॉरी लिमिटेड और ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड का वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : मैं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) बिएकोलॉरी लिमिटेड, के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) बिएकोलॉरी लिमिटेड, का वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 2095/86]

(2) (एक) ब्रिज एण्ड रुफ कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) ब्रिज एण्ड रुफ कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड, का वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 2096/86]

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा वार्षिक लेखे

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952, कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952, कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, 1971, और कर्मचारी जमा सम्बद्ध बीमा योजना, 1976 के कार्यकरण के बारे में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 2097/86]

(3) ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा 35 की उपधारा (3) के अन्तर्गत ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) केन्द्रीय (संशोधन) नियम, 1985 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 26 नवम्बर, 1985 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 871 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 2098/86]

(4) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 2099/86]

(6) कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(8) कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वर्ष 1984-85 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 2100/86]

(10) (एक) राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् बम्बई के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद्, बम्बई के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 2101/86]

इंडियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज लिमिटेड का वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

संचार मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : मैं निम्नलिखितत पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) इण्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) इण्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज लिमिटेड का वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2102/86]

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2103/86]

संवैधानिक एवं संसदीय अध्ययन, संस्थान, नई दिल्ली का वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन और भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली का 1 जुलाई, 1984 से 30 जून, 1985 तक की अवधि तक का वार्षिक प्रतिवेदन

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) संवैधानिक एवं संसदीय अध्ययन, संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षक लेखे।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 2104/86]

(3) भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली के 1 जुलाई, 1984 से 30 जून, 1985 तक की अवधि के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षि० लेखे।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 2105/86]

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (पहला संशोधन) नियत 1986 अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 311(अ) की प्रति

वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : मैं श्री जनार्दन पुजारी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (पहला संशोधन) नियम, 1986 की एक प्रति

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 30 जनवरी, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 76(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2106/86]

(2) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 311(अ) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 22 फरवरी, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसके द्वारा 10 फरवरी, 1986 की अधिसूचना संख्या 82/86 के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किया गया है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2107/86]

प्रोजेक्ट्स एण्ड डिवेलपमेंट इण्डिया लिमिटेड का वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा

उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं—

(1) प्रोजेक्ट्स एण्ड डिवेलपमेंट इण्डिया लिमिटेड के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) प्रोजेक्ट्स एण्ड डिवेलपमेंट इण्डिया लिमिटेड के वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 2108/86]

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 642 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं और बर्न स्टैंडर्ड लिमिटेड का वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) कम्पनी (जमा की स्वीकृति) पहला संशोधन नियम, 1986, जो 2 जनवरी, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 7(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) कम्पनी विधि बोर्ड (न्यायपीठ) संशोधन नियम, 1986, जो 17 जनवरी, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 34(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गये देखिये संख्या एल० टी० 2109/86]

(2) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 22क की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या का० आ० 5071 की एक प्रति

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 2 नवम्बर, 1985 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 22 मई, 1985 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का० आ० 408(अ) का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2110/86]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) बर्न स्टैंडर्ड कम्पनी लिमिटेड के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) बर्न स्टैंडर्ड कम्पनी लिमिटेड का वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 2111/86]

(ख) (एक) एन्ड्रयू यूल एण्ड कम्पनी लिमिटेड के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एन्ड्रयू यूल एण्ड कम्पनी लिमिटेड का वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 21।2/86]

(ग) (एक) टायर कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) टायर कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड का वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 2113/ 6]

(घ) (एक) भारत ओपथेल्मिक ग्लास लिमिटेड के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) भारत ओपथेल्मिक ग्लास लिमिटेड का वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षत लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 2114/86]

(ङ) (एक) दि हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड के वर्ष 1984-85 के कायकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) दि हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड का वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 2115/86]

(च) (एक) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड का वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 2116/86]

(छ) (एक) इन्जीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) लिमिटेड के वर्ष 19'4-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) इन्जीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) लिमिटेड का वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त मद 3 के भाग (क), (घ) और (ड़) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 2117/86]

(5) नारियल जटा बोर्ड, एरनाकुलम के 1 अप्रैल, 1985 से 30 सितम्बर, 1985 तक की अवधि के अर्द्ध-वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2118/86]

(6) (एक) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 2119/86]

(7) (एक) इण्डियन रबड़ मैन्यूफैक्चरर्स रिसर्च एसोसिएशन के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इण्डियन रबड़ मैन्यूफैक्चरर्स रिसर्च एसोसिएशन के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 2120/86]

मैसर्स बंगाल इम्युनिटी लिमिटेड के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को निर्धारित अवधि में सभा पटल पर न रखने के कारणों को दर्शाने वाला विवरण

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : मैं मैसर्स बंगाल इम्युनिटी लिमिटेड के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद नौ महीने की निर्धारित अवधि में सभा पटल पर न रखने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2121/86]

हिन्दुस्तान तांबा सीमित के कार्यकरण और खनिज खोज निगम सीमित के वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन और उनके कार्यकरण की समीक्षा

संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : मैं श्रीमती राम दुलारी सिन्हा की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं —

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(क) (एक) हिन्दुस्तान तांबा सीमित के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान तांबा सीमित के वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 2122/86]

(ख) (एक) खनिज खोज निगम सीमित के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) खनिज खोज निगम सीमित के वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 2123/86]

23 दिसम्बर, 1985 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 926 (अ) की एक प्रति और राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम सीमित आदि के वार्षिक प्रतिवेदन और उनके कार्यकरण की समीक्षा

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : मैं श्री योगेन्द्र मकवाना की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं—

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1956 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 926 (अ) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 23 दिसम्बर, 1985 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 1 अक्तूबर, 1985 से 31 मार्च, 1986 तक की अवधि के दौरान उर्वरकों के देशीय विनिर्माताओं द्वारा विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/वस्तु बोर्डों को दी जाने वाली उर्वरकों की मात्रा के बारे में आदेश दिया गया है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2124/86]

(2) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2125/86]

(3) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619क के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम सीमित के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम सीमित के वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 2126/86]

(ख) (एक) उड़ीसा कृषि उद्योग निगम सीमित के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) उड़ीसा कृषि उद्योग निगम सीमित के वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षित की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 2127/86]

(ग) (एक) गुजरात कृषि उद्योग निगम सीमित के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गुजरात कृषि उद्योग निगम सीमित के वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 2128/86]

(घ) (एक) केरल कृषि उद्योग निगम सीमित के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) केरल कृषि उद्योग निगम सीमित के वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 2129/86]

12.14 म०प०

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभा अब नियम 377 के अधीन मामले लेगी।

(एक) इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड के थोरियम संयंत्रों को बम्बई से हटाकर उड़ीसा ले जाने की मांग

श्री शरद दिघे (बम्बई उत्तर मध्य) : अगस्त, 1955 से इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड का थोरियम संयंत्र, जो कि परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में है, इस समय भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, ट्राम्बे, बम्बई के परिसर में स्थित है। वहां करीब 20 कर्मचारी काम करते हैं। फैक्टरी के तैयार माल का कुछ भाग 'इन्कैन्डेसेंट लैम्पस् गैस मेंटल उद्योग' में प्रयोग होता है। थोरियम नाइट्रेट के 90% उपभोक्ता बम्बई में ही हैं। यह संयंत्र बी० ए० आर० सी० की

आवश्यकताओं को भी पूरा करता है। संसाधन के लिए आवश्यक अधिकांश रसायनें भी बम्बई में मिलते हैं। बी० ए० आर० सी० की आधारभूत सुविधाएं भी इस संयंत्र द्वारा काम में लाई जाती हैं। 1 मार्च, 1982 को नये थोरियम संयंत्र के निर्माण का शिलान्यास समारोह भी किया गया था। प्रदूषण नियत्रण सुविधाओं के लिए भी प्रबन्धकों ने 30 लाख रुपये खर्च किये हैं। अब फैक्टरी को उड़ीसा में शिफ्ट करने का विचार है। उपर्युक्त कारणों की वजह से फैक्टरी को शिफ्ट करना उचित नहीं है। कर्मचारियों को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि फैक्टरी को बम्बई से शिफ्ट न किया जाए।

(दो) महाराष्ट्र के वसई, नालासोपारा और विरार क्षेत्रों को दिल्ली और बम्बई के लिए प्रस्तावित दूर संचार निगम के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत लाने की आवश्यकता

श्री अनूप चन्द शाह (बम्बई उत्तर) : मैं दूरसंचार मन्त्री का ध्यान इस पहलू की ओर दिलाना चाहता हूं। ऐसा समझा जाता है कि सरकार का विचार प्रयोगात्मक आधार पर दिल्ली और बम्बई टेलीफोन क्षेत्राधिकार के दूरसंचार को निगम में परिवर्तन करने का है।

जैसा कि हमें पता है कि इस समय वसई और विरार क्षेत्र बम्बई टेलीफोन के अन्तर्गत नहीं आते। लेकिन ये दो उपनगर बम्बई शहर के ही अंग हैं। वसई, नालासोपारा तथा विरार के लोग बम्बई टेलीफोन के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने के लिए बड़े उत्सुक हैं, क्योंकि उनकी सभी गतिविधियां ज्यादातर बम्बई नगर से ही सम्बन्धित हैं। प्रभादेवी एक्सचेंज (बम्बई) से वसई एक्सचेंज को माइक्रोवेव सुविधा देने का प्रस्ताव है। अत:, मैं माननीय मन्त्री से निवेदन करता हूं कि वसई-नालासोपारा और विरार क्षेत्रों को बम्बई दूरसंचार के नये प्रस्तावित निगम के अन्तर-गत लाने के प्रस्ताव पर विचार करें।

[हिन्दी]

(तीन) सीतामढ़ी बागमती सिंचाई परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए उसका प्रबन्ध ग्रहण करने की आवश्यकता

श्रीराम श्रेष्ठ खिरहर (सीतामढ़ी) : अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी बागमति सिंचाई परियोजना को आज 15 वर्ष बीत गये। करोड़ों रुपये की राशि सरकार की लगी और सैंकड़ों एकड़ जमीन नहर एवं बांध के निर्माण में फंस कर रह गई। परन्तु आज तक न तो बांध का पूर्ण निर्माण हो सका, न नहर की खुदाई हो सकी। लगभग 75 गांव विस्थापित हो गये। उलटा फल यह निकला कि सैंकड़ों मील की आबादी जो बागमति क्षेत्र में बसी है, बर्बादी के कगार पर जा चुकी है। मैंने बार-बार केन्द्रीय सरकार का ध्यान इस परियोजना की ओर आकृष्ट किया है। पुन: मेरा आग्रह है कि केन्द्रीय सरकार इस परियोजना को अपने हाथ में ले अन्यथा इसका भविष्य अंधकारमय है।

[अनुवाद]

(चार) गोवा जिले में अयस्क और मेंगनीज की खानों से निकलने वाले खनन अपशिष्टों की समस्या को सुलझाने की आवश्यकता

श्री शान्ताराम नायक (पणजी) गोवा : दमन, दीव, संघ राज्य क्षेत्र के गोवा जिले में लौह अयस्क तथा मैंगनीज की कई खाने हैं। देश ने इन चीजों के निर्यात से काफी विदेशी मुद्रा अर्जित की है। इन खानों ने इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी पैदा किये हैं। गोवा के स्वतंत्र होने से पहले, गोवा के श्रमिकों को रोजगार दिलाने का यह सबसे बड़ा उद्योग था।

उत्तरी गोवा जहां ये खाने ज्यादातर स्थित हैं, क्षेत्र के निवासियों को इन खानों से निकलने वाले खनन अपशिष्ट पदार्थों से निरन्तर परेशानी बनी रहती है। नदियां और नाले इन अपशिष्ट पदार्थों से भर जाती हैं और कई दफा तो छोटी नदी इनकी वजह से नजर ही नहीं आती। इन क्षेत्रों में रहने वाले लोग खाने के साथ इनके कणों को अपने शरीर के अन्दर पहुंचने से रोक पाने में असमर्थ हैं।

अत. कोई अस्थायी हल निकालने की बजाय, केन्द्रीय सरकार विशेषकर इस्पात और खान मंत्रालय को पहल करके गोवा के खान मालिकों, गोवा सरकार के प्रतिनिधियों तथा अन्य संबंधित पक्षों की बैठक बुलाकर इस समस्या का कोई स्थायी हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए।

(पांच) पंजाब के रोपड़, हरिका और फिरोजपुर मुख्यालयों का नियंत्रण भाखड़ा व्यास प्रबन्ध बोर्ड को सौंपने के लिए पंजाब सरकार पर जोर डालने की आवश्यकता

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : इस समय रोपड़ हारिका तथा फिरोजपुर के मुख्यालयों का नियंत्रण पंजाब सरकार के पास है; जबकि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के उपबन्धों के अनुसार रोपड़, हारिका और फिरोजपुर तथा ऐसे कार्य जो केन्द्रीय सरकार निर्दिष्ट करेगी, का रखरखाव तथा प्रचालन भाखड़ा व्यास प्रबन्ध बोर्ड के नियंत्रण में होना चाहिए।

विभिन्न स्तरों पर काफी अर्से से राजस्थान सरकार इस मामले को उठाती आ रही है, उत्तरी जोनल परिषद् में भी राजस्थान ने इस मामले को उठाया था। प्रधान मंत्री द्वारा थीन बांध के लिए 3-10-1977 14-2-1979 को बुलाई गई बैठकों में भी राजस्थान के मुख्यमंत्री ने इस मामले को उठाया था, इन दोनों बैठकों में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस सन्दर्भ में पंजाब पुनर्गठन अधिनियम को शीघ्र लागू किया जाना चाहिए और केन्द्र सरकार को इसे सुनिश्चित बनाना चाहिए। लेकिन इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है।

भाखड़ा व्यास प्रबन्ध बोर्ड, विभिन्न राज्यों को मिलने वाले पानी के हिस्से का नियंत्रण करता है। लेकिन वह उसके अनुसार पानी का वितरण नहीं कर पा रहा क्योंकि हैडसवर्क्स का नियंत्रण अभी भी पंजाब के पास है, जिसके कारण राजस्थान को पानी की सप्लाई ठीक से नहीं मिल रही है और फसलें नहीं हो रही हैं।

अत: अनुरोध है कि केन्द्रीय सरकार को हस्तक्षेप करके पंजाब पर जोर देना चाहिए कि वह रोपड़, हारिका तथा फिरोजपुर हैडसवर्क्स का नियंत्रण भाखड़ा व्यास प्रबन्ध बोर्ड को सौंप दें।

(छह) तमिलनाडु के भवानी तालुक में गलीचा प्रौद्योगिकी केन्द्र आरम्भ करने की आवश्यकता

श्री पी० कुलनईवेलु (गोबिचेट्टिपालयम) : तमिलनाडु के पेरियार जिले का भवानी ताल्लुक कालीनों के लिए विश्व प्रसिद्ध है।

12.20 म०प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अकेले इसी ताल्लुक में 25 हजार से अधिक गलीचा बुनने वाले गलीचा-बुनकर ही अपनी जीविका पाते हैं। नियंत्रण और उनको गलीचा प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण देने के लिए एक प्रशिक्षण

केन्द्र खोलना बहुत आवश्यक है। चूंकि गलीचा प्रौद्योगिकी का राष्ट्रीय महत्व है, अतः भारत सरकार को तमिलनाडु सरकार के माध्यम से एक गलीचा प्रौद्योगिकी केन्द्र स्थापित करने के लिए आगे आना चाहिए। प्रशिक्षण केन्द्र को कम से कम एक समय में 300 बुनकरों को प्रशिक्षण देना चाहिए ताकि इससे लाखों हथकरघा बुनकरों को लाभ मिल सके। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार को 25 करोड़ रु. की वार्षिक विदेशी मुद्रा की भी आमदनी होगी।

[हिन्दी]

(सात) देश में अश्लील साहित्य का प्रकाशन, प्रचार और बिक्री रोकने के लिए कड़े उपाय करने की आवश्यकता

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन यह सूचना देना चाहता हूं:—

मानव समाज में जो पर्यावरण की महत्ता है, उससे भी ज्यादा महत्ता अच्छे साहित्य की है। अच्छा साहित्य समाज का दर्पण होता है। अच्छे साहित्य के अध्ययन से मानव समाज का दिमाग ही विकसित नहीं होता अपितु उसकी आत्मा आध्यात्मिक गहराइयों की ऊंचाइयों से ऊपर उठकर अपने आपको परमात्मा तक पहुंचने में सफल होती है। समाज के शारीरिक स्वास्थ्य पर गन्दगी, सड़ान्द और बदबू जरूर असर करती है किन्तु उससे भी ज्यादा अश्लील साहित्य असर करता है। गन्दा और अश्लील साहित्य मानव के मस्तिष्क को कलुषित ही नहीं करता अपितु उसकी मनोवृत्ति को वासनाओं का गुलाम बना देता है और वह अपने को निखारने के बजाए उसे विकृत कर देता है।

आज कई शहरों में अश्लील पुस्तकें धड़ल्ले के साथ पुलिस की नाक के नीचे बिकती हैं और किराए पर भी दी जाती हैं कई शहरों में पटरियों पर लगी हुई दर्जनों दुकानों के बीच सैक्स पर लगी हुई छोटी-छोटी पुस्तकें किशोर व प्रौढ़ लोगों को बखूबी पहचानती हैं।

आज मद्रास में तो इन गन्दी पुस्तकों का भारी मात्रा में फैलाव हुआ है। अंग्रेजी भाषा में ही नहीं भारतीय भाषाओं में भी ये पुस्तकें उपलब्ध होती हैं। पुस्तकों के अलावा पत्र और पत्रिकाएं भी प्रकाशित होने लगी हैं। उनमें जो अश्लील चित्र निकलते हैं वे पाठशाला के छात्रों पर बड़ा बुरा असर डालते हैं। पुस्तक विक्रेता 200 प्रतिशत से अधिक नफा कमाते हैं।

अतः मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि वह राज्य सरकारों व केन्द्र शासित प्रदेशों को इसके लिए बाध्य करे कि वह अश्लील साहित्य के प्रकाशन, प्रचारण व विक्रय को रोकने पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करे तथा इस सारे गन्दे और अश्लील साहित्य को जप्त कर दोषी व्यक्तियों को दंडित करें।

[अनुवाद]

(आठ) आंध्र प्रदेश सरकार को 300 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने और राज्य के रायलसीमा तथा तेलगाना क्षेत्रों में व्याप्त सूखे की स्थिति से निपटने के लिए कोलावरम और तेलुगु गंगा परियोजनाओं को आरम्भ करने की आवश्यकता

श्री एम० रघुमा रेड्डी (नालगोंडा) : आन्ध्र प्रदेश के रायलसीमा और तेलंगाना क्षेत्रों में गम्भीर सूखा पड़ा हुआ है। पशुओं के चारे और मानव और पशुओं के लिए पीने के पानी की

सख्त कमी है। सभी टैंक और खुले कुएँ सूख गए हैं। पानी का स्तर नीचे चला गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसान और कृषि मजदूर बेरोजगार हो गये हैं। नौकरी की तलाश में कई लोग नगरों में आ रहे हैं। राज्य सरकार के पास इतने संसाधन नहीं है कि वह प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने तथा उनके पुनर्वास की पर्याप्त व्यवस्था कर सके। आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि उसे 460 करोड़ रु० की सहायता दी जाए। लेकिन मात्र 32 करोड़ रु० की ही केन्द्रीय सहायता दी गई है, जो कि अपर्याप्त है।

अत: मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह राज्य की सहायता करे और कम-से-कम 300 करोड़ रु० आवंटित करे ताकि सूखा-राहत कार्यक्रम युद्ध स्तर पर आरम्भ किया जा सके।

मैं केन्द्रीय सरकार से भी निवेदन करता हूं कि कोलावरम और तेलुगुगंगा परियोजनाओं को भी शुरू किया जाए। दक्षिण राज्यों में सूखे से निपटने का केवल एक ही हल है कि गंगा नदी को कावेरी नदी से जोड़ दिया जाए। कृषि का विकास होने से, ऐसे कई लोगों को लाभ होगा जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। अत:, इसके लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में अवश्य प्रावधान किया जाए।

12.24 म०प०

मोटर-यान (संशोधन) अध्यादेश, 1986 का निरनुमोदन सम्बन्धी सांविधिक संकल्प

—[जारी]

और

मोटर-यान (संशोधन) विधेयक

—[जारी]

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम श्री सी० जंगा रेड्डी द्वारा प्रस्तुत किये गए सांविधिक संकल्प और मोटर-यान (संशोधन) विधेयक पर आगे चर्चा करेंगे। श्री मूलचन्द डागा।

[हिन्दी]

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, आज रोज 70 मौतें प्रतिदिन सड़कों पर हो जाती हैं और 4 मिनट में एक दुर्घटना होती है। हिन्दुस्तान में घटनाएं सबसे ज्यादा होती हैं, सभी देशों में सबसे अधिक दुर्घटनाएं इस देश में होती हैं। मंत्री जी लगता है अभी नहीं आए हैं और आपने आज्ञा दे दी है।

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट : मैं यहां उपस्थित हूं।

[हिन्दी]

श्री मूलचन्द डागा : मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि वे बड़े सतर्क हैं।
...(व्यवधान) इन्होंने अच्छा काम किया है। नेशनल ट्रान्सपोर्ट पालिसी कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी, उस रिपोर्ट के आधार पर मैं यह चाहता था कि इसमोटर वे हिकल एक्ट को जो कि

बहुत पुराना हो चुका है, बदल दें। अगर आप नहीं बदलते हैं तो आप हमारी जान के साथ खेलते हैं। मैं सारी किताब तो कोट नहीं करूंगा सिर्फ कुछ रेलिवेन्ट पोरशन ही बताना चाहूंगा। पुस्तक में जिन सिफारिशों को बताया है उनको लागू करने के लिए मैं समझता हूं कि मंत्री जी मुस्तैदी और तेजी के साथ काम करेंगे। मोटर वेहिकल्स एक्ट के अन्दर सबसे बड़ा काम कन्जरवेशन आफ एनर्जी का है। आज आपको एनर्जी बचानी है। आज गांवों में बुलक, हार्स और कैमल कार्ट चलती है और दूसरी तरफ दस हजार के छोटे से कस्बे में टू-व्हीलर्स की आपने व्यवस्था कर दी है। हमारे उद्योग मंत्री जी कहते हैं कि हिन्दुस्तान में आटोमोबाइल इन्डस्ट्री की इतनी प्रोग्रेस कर देंगे जिससे विश्व में दूसरे नम्बर पर आ जायेंगे। पैट्रोल वाले कह रहे हैं कि पैट्रोल कम खर्च करना चाहिए। ...(व्यवधान) मैं यह कहना चाहता हूं कि गांवों में टू-व्हीलर्स मत चलाइए लेकिन जो बुलक, हार्स या कैमल गाड़ी है उनमें वैज्ञानिक रूप से संशोधन कीजिए नहीं तो जो काम करने वाले लोग हैं, वे बेकार हो जायेंगे। यह संशोधन होने से आपकी एनर्जी बच जायेगी। यह भी कहा गया है कि नयी मोटर्स ऐसी बननी चाहिए जिनका डीजल और पैट्रोल का कन्जम्पशन कम हो। सबसे बड़ी जो सिफारिश है, वह मैं आपको पढ़कर सुनना चाहता हूं।

[अनुवाद]

मैं राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति 1980 के पृष्ठ 202 की रिपोर्ट से पढ़ता हूं :

"सड़क परिवहन में ईंधन की बचत के लिए एक सर्वतोमुखी प्रयास करने की आवश्यकता है। इसमें सड़कों का उचित रख रखाव और सुधार शामिल होना चाहिए क्योंकि खराब सड़कों से ईंधन की खपत बढ़ती है। ईंधन के बचाने का एक साधन यह है कि चुंगी चैक पोस्टों की संख्या में पर्याप्त कमी करना जिससे ट्रक चलाने के समय ईंधन की बचत होगी। और अग्गे वाहन डिजाइन में सुधार, अच्छी तरह से ड्राइव करने की कुशलता तथा वाहन को उचित रूप से चलाने और रख-रखाव के माध्यम से ईंधन की पर्याप्त बचत की समोग्यतः होती है।"

[हिन्दी]

आक्ट्राय को माफ करने का सवाल पिछले पन्द्रह सालों से हो रहा है। जहां भी आक्ट्राय वाले खड़े हैं उन्होंने हमारे समय और एनर्जी को नष्ट किया है। लेकिन कोई भी इस दिशा में ठोस कदम उठाने वाला नहीं है कि इस आक्ट्राय को खत्म कर दिया जाए। कब खत्म होगा, कुछ मालूम नहीं है। स्टेट के लोग तैयार नहीं है, यह कह दिया जाता है। क्या आप बताएंगे कि सरकार कोई नीति जल्दी से जल्दी बना कर ओक्ट्राय को समाप्त करेगी।

आपने नेशनल परमिट देने का काम शुरू किया, बहुत स्वागत योग्य है लेकिन यह भी तो आप देखें कि सड़कें तो आपके हैं ही नहीं। आपके ब्रिजेज टूटे हुए हैं। मोटर, तांगे और दूसरी सभी गाड़ियां चलती हैं और इस तरह हमारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ होता है, क्योंकि ज्यों-ज्यों आपकी ट्रांसपोर्ट बढ़ती जा रही है, आपने 35,000 नेशनल परमिट दिए, बहुत अच्छा काम आपने किया और हमें एक बीमारी से बचाया, क्योंकि रीजनल ट्रांसपोर्ट अथारिटी इसमें पैसा खाता थी और नेशनल परमिट लेने के लिए मंत्री जी के दिमाग में यह बात अच्छी आई और उन्होंने तुरंत कदम भी उठाये। इसमें स्टेट अथारिटी के अलावा बड़े-बड़े राजनीतिज्ञों ने भी लाभ उठाया है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस बिल को लाकर मंत्री जी ने बहुत स्वागतयोग्य कदम उठाया है।

क्योंकि मंत्री जी राजस्थान के हैं, इसीलिए उन्होंने इस बीमारी को जल्दी और समय रहते पहचाना और उसके लिए कदम उठाये। राजस्थान के लोग काबिल होते हैं और हमारे मंत्री जी ने भी उसका परिचय दिया है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप अधिक सक्षम है।

श्री मूलचन्द डागा : राजस्थान के लोग बहुत अधिक मेहनती, ईमानदार और सीधे होते हैं।

[हिन्दी]

इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपने जो कदम उठाया है, बहुत सराहनीय है लेकिन उसके साथ-साथ मैं चाहता था कि जिस तरह रोडवेज में अक्सर एक्सीडेंटस होते रहते हैं, उसके पीछे मूल कारण ड्राइवरों की लापरवाही ही है। क्या आपने ड्राइवरों के लिए कोई ट्रेनिंग स्कूल खोले हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, जिस तरह आप केवल अपनी किताबों में उलझे रहते हैं या कांसटीट्यूशन क्लब तक जाते हैं, आप कभी इस तरफ भी घूमियेगा, कभी ट्रांसपोर्ट के महकमे की तरफ भी जाइयेगा, राजेश जी के साथ, तो आपको मालूम होगा कि वहां पर मोटर चलाने का या दूसरा लाइसेंस आसानी से मिल जाता है, बस नजराना पेश करना होता है। यदि आपने नजराना पेश कर दिया तो चाहे ड्राइवर ठीक हो या न हो, तो आपको लाइसेंस जरूर मिल जाएगा।

आज हमारे देश में 65 परसेंट एक्सीडेंटस ह्यूमन फाल्टस की वजह से होते हैं, आदमी की गलतियों से होते हैं। उनको रोकने के लिए आपने मोटर व्हीकल एक्ट में अमेंडमेंट किया है। चूंकि आप मुझे ज्यादा बोलने के लिए समय नहीं देंगे, इसलिए मैं नेशनल परमिट सिस्टम पर ज्यादा कुछ न कहते हुए, इतना ही कहूंगा कि जो आप एक्ट में संशोधन करने जा रहे हैं, बहुत अच्छा कदम है, लेकिन अगर आप रोड्स ही न बनायें तो काम नहीं चलने वाला है। आपकी वर्तमान रोड्स बहुत कम चौड़ी हैं। रोड्स कौन बनाता है—आपके इंजीनियर और ठेकेदारों से मिलकर बनाते हैं और इस देश में इन्जीनियरों और ठेकेदारों का सम्बन्ध मधुमक्खी और फूल जैसा है, जैसे मधुमक्खी फूल पर बैठती है और उसका रस ले लेती है, वैसे ही इन्जीनियर लोग सड़कों में कुछ नहीं लगाते, बस अपना हिसाब-किताब देखते हैं। उसका परिणाम यह होता है कि सड़कें जल्दी टूट जाती हैं, 6 महीने में ही उनका बुरा हाल हो जाता है, ब्रिजेज टूट जाते हैं और इस तरह से देश का काफी पैसा, देश की दौलत यूं ही व्यर्थ चली जाती है। इसलिए श्रीमन्, जहां आप नेशनल परमिट ईश्यू करते हैं, वहीं आपका यह काम भी है कि सड़कें भी चौड़ी हों, रास्ते अच्छे हों। हमने स्कूल में पढ़ा और सुना है कि दो-दो साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद एक कुशल ड्राइवर बन सकता है लेकिन यहां पर ड्राइवर्स नींद लेते हैं, शराब पीते हैं स्मैक खाते हैं और भगवान जाने क्या करते हैं। पता नहीं क्या ड्राइविंग करते हैं और हमारे यहां तो ड्राइवर्स को सैंतीसवीं कौम कहा जाता है जिस पर किसी का कन्ट्रोल नहीं होता। इसलिए, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आप यह बिल लाये, बहुत अच्छी बात है, उसके साथ-साथ आप सारे अधिकारियों को कहिए कि वे मोटर व्हीकल एक्ट को बदल दें, नहीं तो हर एक आदमी के सामने आज कितनी परेशानी आती हैं, आप मद्रास चले जाइये, रास्ते भर आप को जगह-जगह पुलिस वाले खड़े

मिलेंगे, क्या वे हम मोटर वालों की रक्षा के लिए खड़े होते हैं, नहीं जी, वे तो बस पैसा मांगते हैं और इतना दुख देते हैं कि बस कुछ कहा नहीं जा सकता। कोई 10 रुपये मांगता है, कोई 20 रुपये मांगता है और कोई 50 रुपये मांगता है।

बड़े-बड़े आदमियों की गाड़ी नहीं रोकते हैं, सरकारी गाड़ियों को नहीं रोकते हैं क्योंकि बड़े-बड़े लोगों को वे पहचान लेते हैं। उनसे पैसा नहीं लेते हैं। गाड़ी उनको पहचान लेती है या वे गाड़ी को पहचान लेते हैं, जिससे लेना होता है। इस प्रकार से यह झगड़ा बना हुआ है, यह बन्द होना चाहिए। इसलिए जो आपने किया है, वह ठीक है, लेकिन मोटर वेहीकल्स एक्ट के लिए एक पूरा और काम्प्रिहेंसिव बिल लाया जाना चाहिए, जैसे रेलवे का है। रेलवे इधर चले और मोटर उधर चले, इस प्रकार से होना चाहिए।

हमारे मन्त्री महोदय ने एक बड़ी बात कह दी है कि छोटी दूरी तक जाने के लिए आप रेल से यात्रा मत कीजिए, मोटर से यात्रा कीजिए। लेकिन महोदय, मैं यह बात उनके ध्यान में लाना चाहता हूं कि मोटरों के किराए ज्यादा हैं। इसलिए गरीब लोग रेलवे से यात्रा करते हैं। अत: मोटरों के किराए कम होने चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, इतना कह कर मैं समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर (बंगलौर दक्षिण) : महोदय, मैं विधेयक के उपबंधों का स्वागत करता हूं लेकिन जिस ढंग से इसे सदन में लाया गया है उसका मैं विरोध करता हूं। मुझे इस का कोई कारण पता नहीं चलता है कि इस तरह के विषय पर अध्यादेश क्यों जारी करना चाहिए। यदि सरकार 20 दिनों की प्रतीक्षा कर लेती तो आसमान नहीं गिर जाता। मन्त्री महोदय ने भी अपने भाषण में कोई विश्वसनीय उत्तर नहीं दिया अध्यादेश क्यों जारी किया गया था।

श्री अमल दत्त (डायमण्ड हार्बर) : मन्त्री जी सहमत हुए है, उन्होंने धीरे से माना है। इसका भी रिकार्ड किया जाना चाहिए।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : कोई विश्वसनीय उत्तर नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : वह अन्त में जवाब देंगे।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : यह विधेयक परिवहन नीति समिति की सिफारिशों के आधार पर है। गत वर्ष में जब हमने इस सदन में रिपोर्ट पर बहुत लम्बी चर्चा की थी तो तत्कालीन मंत्री जी ने स्पष्ट आश्वासन दिया था कि जल्दी ही एक व्यापक विधेयक पुर:स्थापित किया जाएगा। परतु दुर्भाग्य से, आप देखते हैं कि केवल एक धारा में संशोधन किया गया है। जहां तक अन्य सिफारिशों का सम्बन्ध है, मैं नहीं समझता कि उनकी उपेक्षा की जाएगी और मुझे विश्वास है कि सरकार सिफारिशों पर तथा माननीय सदस्यों द्वारा दिये गए सुझावों पर भी गम्भीरता से विचार करेगी।

यह विधेयक राष्ट्रीय परमिटों को जारी करने के लिए राज्य सरकारों पर लगे प्रतिबंध को हटाता है। उस सीमा तक यह भ्रष्टाचार को बहुत कम करेगा। अत: पूर्णरूप से आवश्यक है। लेकिन साथ ही आपको यह देखने के लिए भी अन्य सावधानियां लेनी चाहिएं कि

कारवां बिना किसी रुकावट के चलता रहे और पूरे देश में निर्विघ्न यातायात हो। सदन के सभी सदस्य जानते हैं कि आजकल सड़क परिवहन बहुत लोकप्रिय हो गया है सड़क द्वारा सामान परिवहन न केवल सुरक्षित है बल्कि यह जल्दी भी पहुंचता है हालांकि रेलवे के मुकाबले यह महंगा रहता है। परन्तु बहुत से लोग सामान को सड़क परिवहन के माध्यम से भेजना पसंद करते हैं क्योंकि सभी चीजें सुरक्षित होंगी तथा इसकी सुपुदर्गी भी तुरन्त होगी।

मैं सामान परिवहन के निर्विघ्न यातायात में अड़चनों के बारे में कहना चाहता हूं कि मेरे दोस्त श्री डागा जी ने अभी जिस राष्ट्रीय राजमार्ग का उल्लेख किया वह अच्छी स्थिति में नहीं है। अधिकतर ट्रक काश्मीर से कन्याकुमारी तक केवल राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलते हैं। दूसरे शब्दों में 75 प्रतिशत से अधिक ट्रक राष्ट्रीय राजमार्गों द्वारा आते है। लेकिन राजमार्गों की स्थिति सुरक्षित नहीं है। अत: यह बहुत आवश्यक है कि भारत सरकार यह देखने के लिए विशेष ध्यान दे कि सड़कों को अच्छी हालत में रखा जाए। राज्यों की ओर से मांग है कि कुछ महत्वपूर्ण मुख्य मार्गों के रूटों को राष्ट्रीय राजमार्गों से दूर हटा दिया जाये। उदाहरण के लिए कर्नाटक ने बहुत अधिक रूटों को लेने की मांग है क्योंकि अन्य राज्यों की तुलना में कर्नाटक में रूट किलोमीटर की संख्या सबसे कम है। अत: मुख्य मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों से हटा देना चाहिए। सड़कों की अच्छी स्थिति अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

दूसरी बात यह है कि आपको यात्रियों की सुरक्षा के बारे में ही नहीं बल्कि ट्रक ड्राइवरों और कन्डक्टरों के कल्याण के लिए भी ध्यान देना चाहिए। जहां तक यात्रियों का सम्बन्ध है, मैं उन सदस्यों द्वारा यहां सुझाए गए सुझावों से बिल्कुल सहमत हूं कि जो लोग ट्रक चलाते हैं उनको विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। मेरा सुझाव है कि प्रत्येक राज्य को ट्रक ड्राइवरों के लिए विशेष प्रशिक्षण स्कूल खोलने के लिए कहा जाए तथा प्रत्येक राज्य को यह भी देखना चाहिए कि लाइसेंस जारी करते समय व्यक्ति के पास न केवल गाड़ी चलाने का प्रमाण पत्र हो बल्कि उसके पास न्यूनतम अहर्ताएं भी हों। उसे शिक्षित होना चाहिए। दुर्घटनाओं से यात्रियों की सुरक्षा के बारे में विचार करते समय हम देखते हैं कि रोज सड़क दुर्घटनाओं के बारे में सुना जाता है। उसे रोकना चाहिए। सामान्य रूप से यह इसलिए होता है कि ट्रक ड्राइवर रात को अपने ट्रक चलाते हैं। दूसरी बात जिसका मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूं वह यह है कि हमको भी ट्रक ड्राइवरों की सुरक्षा और कल्याण के बारे में ध्यान देना चाहिए। वे अपने ट्रकों के माध्यम से बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं क्योंकि उन्हें लगभग 700 या 800 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। आमतौर पर वे रात को ट्रक चलाते हैं। रात के एक बजे और तीन बजे के बीच हर व्यक्ति को नींद आ जाती है। कोई भी प्रकृति के विरुद्ध नहीं जा सकता। मेरा सुझाव है कि खाना खाने तथा सोने के लिए, सभी प्रकार का प्रबंध ठहरने के स्थानों पर होना चाहिए। यह आवश्यक है।

ट्रक चलाने के बारे में दूसरी अड़चन राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न करों को लगाने से सम्बन्धित है। जहां तक चुंगी का सम्बन्ध है, मुझे याद है कि आपने अभी हाल में ही कहा था कि लगभग सभी राज्यों ने चुंगी समाप्त करने के लिए सहमत हो गए हैं। राज्य चुंगी को समाप्त करने के लिए तैयार है, पर शर्त यह है कि केन्द्रीय सरकार पूरी हानि की क्षति पूर्ति करे। मेरे अपने राज्य कर्नाटक में, लगभग दस वर्ष पहले चुंगी समाप्त की गई थी। केन्द्रीय सरकार ने हमें क्षतिपूर्ति करने का वायदा किया था। बदकिस्मती से आज तक केन्द्र से एक पैसा भी नहीं आया। राज्य को राजस्व की हानि होती है। हालांकि उन्होंने नगरपालिकाओं और निगमों को कुछ मुआवजा दिया है। लेकिन उन्हें चुंगी के लिए मुआवजा देना होगा क्योंकि उन्हें उससे राशि प्राप्त

होती थी। उदाहरण के लिए बंगलौर शहर में वे पहले चुंगी के रूप में 15 करोड़ रुपये प्राप्त कर रहे थे। अब उन्हें 40 करोड़ रुपये मिलने थे। परन्तु राज्य सरकार केवल 15 करोड़ रुपये देती है। अतः उन्हें पर्याप्त रूप से मुआवजा दिया जाना चाहिए।

अभी भी आप मार्ग में कई चुंगी फाटक पाते हैं। प्रत्येक स्थान पर 'लॉरी' को रुकना होता है। बहुत से पुल कर तथा प्रवेश कर हैं। बहुत से कर लगाएं जाते हैं। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस मामले पर राज्य परिवहन मंत्रियों तथा संबंधित विभाग के साथ मिल-कर विचार किया जाए ताकि ट्रकों के यातायात बाधाओं को न्यूनतम किया जा सके। यह बहुत आवश्यक है और यह संभव भी हो सकता है। साथ ही, मैं सरकार से यह देखने का अनुरोध करता हूं कि राज्य सरकार को राजस्व की हानि न हो क्योंकि अधिकतर राज्य केवल इसी पर निर्भर करते हैं।

दूसरी बात रख रखाव के बारे में है। जब कभी राष्ट्रीय राजमार्ग नगरपालिकाओं, नगर-पालिका वाले शहर या गांव के भीतर से होकर गुजरते हैं तो उसके रखरखाव की जिम्मेदारी नगरपालिका पर आती है। लेकिन आप पूरे देश में नगरपालिकाओं तथा स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति जानते हैं। वे इन के रखरखाव का खर्चा वहन नहीं कर सकते है। इसलिए नगर-पालिका क्षेत्र में पड़ने वाला उस भाग के रखरखाव का व्यय-भार राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग द्वारा वहन किया जाना चाहिए।

दूसरी बात जो हम पाते हैं, वह राष्ट्रीय राजमार्गों पर बहुत से रेलवे फाटक हैं राष्ट्रीय राजमार्ग पर ये बहुत परेशानी का कारण हैं। पुणे और बंगलौर के बीच आप 20 से अधिक रेलवे फाटक पाते हैं। रेल विभाग और परिवहन विभाग जो अब एक मंत्रालय के अन्तर्गत है इन्हें यह देखना चाहिए कि ऊपरी पुलों का निर्माण किया जाए। यह बहुत-बहुत महत्वपूर्ण है।

अन्य बात बिना चौकीदार वाले फाटकों के बारे में है। हमने केरल में हाल की दुर्घटना के बारे में सुना। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे बचा जा सकता था। वह असावधानी के कारण हुआ। अतः बहुत से बिना चौकीदार वाले समपार फाटक हैं और दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। इसलिए जहां तक संभव हो रेलवे फाटकों पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति होनी चाहिए हालांकि इससे रेलवे पर थोड़ा सा अधिक खर्चा होगा। परन्तु जब भारी यातायात हो तो चौकीदार वाले रेलवे फाटक होने चाहिये।

अन्य बात यह है कि बंगलौर शहर में या कई शहरों में मैंने पाया है कि उन रेलवे लाइनों के समीप कोई बाड़ नहीं लगाई जाती है जो शहरों में से गुजरती है। किसी भी तरफ बाड़ नहीं होती। बदकिस्मती से जब पिछले दिन मंत्री जी शहर में थे तो उनके कार्यक्रम की सूचना मुझे नहीं दी गई थी। मुझे केवल समाचार पत्रों द्वारा पता चला। अन्यथा मैं उन्हें वह दिखाता। इसके बाद कृपया यह देखें कि कार्यक्रम की एक प्रति हमें भेजें। अतः मैं बाड़ लगाने के बारे में बात कर रहा था और वह बहुत आवश्यक है। मैंने अपनी राज्य सरकार को भी बाड़ लगाने के बारे में कहा था। उन्होंने कहा कि उनके पास धन नहीं है। यह रेलवे की जिम्मेदारी है। उन सभी शहरों में जहां रेलवे लाइन शहर में से गुजरती है आपको देखना चाहिए, कि कटीली तारों द्वारा या अन्य किस्म से बाड़ लगाने का काम किया जाए। लेकिन इसे जरूर किया जाना चाहिए।

इन सुझावों के साथ मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है कि परिवहन नीति समिति की सिफा-रिशों और माननीय सदस्यों द्वारा इस सभा में दिए गए सुझावों को ध्यान में रखते हुए माननीय मंत्री शीघ्र ही एक व्यापक विधेयक लाएंगे। मुझे विश्वास है कि वह यह कानून इसी अधिवेशन में लाएंगे।

[हिन्दी]

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करते हुए कुछ बातें कहना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि इस बिल के पास होने पर सबसे बड़ी बात तो यह होगी कि इसमें करप्शन जो बहुत हाई डिग्री पर हुआ करता था नेशनल परमिट हासिल करने के लिए वह खत्म होगा। दूसरी बात यह है कि जो स्टेट या टेरीटरीज ऐसी हैं जहां पर रेल ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज नहीं हैं उनको तो इससे बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। आप कहेंगे क्यों? वह इसलिए कि यह परमिट रेस्ट्रिक्शन होने की वजह से बहुत सारे ट्रांसपोर्टर्स जो चाहते थे कुछ ऐसी हिली एरियाज या डिफिकल्ट एरियाज में अपनी गाड़ियों से सामान ले जाना और वहां से ले आना चाहते थे तो वह अपनी मर्जी से सामान ढोकर नहीं ले जा सकते थे जब तक कि इनके पास नेशनल परमिट न हो और मोनोपली उन लोगों की रह जाती थी जिनके पास नेशनल परमिट होते थे। वह नेशनल परमिट उन लोगों के पास हुआ करते थे जिनके पास एक से ज्यादा ट्रक्स हों या दस पंद्रह ट्रक्स हों उन लोगों को ही यह नेशनल परमिट मिल सकता था जिनके पास पैसा हो और जिनके पास एक ही ट्रक होता था उनको यह परमिट नहीं मिलता था। इससे खास कर जम्मू काश्मीर जैसी स्टेट में जहां लोग बिलकुल रोड ट्रांसपोर्ट पर डिपेंडेंट हैं, रेलवे सिर्फ जम्मू तक है, तो वहां आगे सामान ले जाने या वहां से लाने के लिए बहुत ज्यादा फायदा होगा। वहां की एकोनामी पर इसका अच्छा असर पड़ेगा क्योंकि काश्मीर में खास कर जो फ्रूट सीजन होता है उस वक्त यह प्राबलम ज्यादा होती है कि हरएक को वहां जाने नहीं देते और जो लिमिटेड लोग नेशनल परमिट होल्डर्स हैं वही वहां आ जा सकते हैं। उनको भी श्रीनगर से आगे जाने के लिए लोकल ट्रैफिक एथारिटीज की तरफ से काफी प्राबलम्स का सामना करना पड़ता है। वे उनको भी आसानी से वहां आने जाने नहीं देते हैं। आप जानते हैं फ्रूट्स पेरिशेवल आइटम होते हैं। इस तरह से वहां के लोग उन फ्रूट्स को वक्त पर मंडियों में नहीं भेज पाते थे और ट्रांसपोर्ट न मिलने की वजह से वह वहीं पड़े-पड़े खराब हो जाया करता है। तो नैशनल परमिट मिलने का स्कोप बढ़ा देने से जम्मू व काश्मीर को इसका बहुत लाभ मिलेगा और वहां की एकोनामी को बहुत ही फैायदा मिलेगा।

मेरी कांस्टीच्यूंएसी काश्मीर वैली से भी बहुत आगे है। वहां यह मामला होता था कि नेशनल परमिट होलडर्स को भी वहां जाने की परमिशन के लिए लोकल एथारिटीज से नहीं मिलती थी। वे वहां की लोकल एथारिटीज के रहमोकरम पर होते थे। हमारे एरिया में सीजनल स्टाकिंग होता है क्योंकि रास्ता साल में 6 महीने बन्द रहता है और बाकी पांच छ: महीनों में ही जितनी भी एसेंशियल कमोडिटीज हैं उनको स्टाक करना पड़ता है। यह सीजन फ्रूट सीजन के साथ क्लैश करता है और लिमिटेड ट्रांसपोर्ट अवेलेबिलिटी उस वक्त होती है। तो इस बिल के पास हो जाने से मैं समझता हूं हमें काफी फायदा होगा। देश के दूसरे हिस्सों से जो सामान लाद कर वहां ले जाएंगे वह वहां से सामान लाद कर ला भी सकेंगे। तो सामान लाने और ले जाने में इससे काफी मदद मिलेगी। इसको मैं एक बहुत रेवोल्यूशनरी स्टेप समझता हूं और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को इस के लिए मुबारकवाद देता हूं।

इस उम्मीद पर कि और भी जो छोटी-छोटी मुश्किलात हैं उनको भी देख लेना चाहिए और यह जो अभी भी कई ऐसी प्राब्लम्स हैं जिन्हें दूसरे साथियों ने हाई लाइट किया मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं। उनकों रिमूव करना चाहिए।

इन चन्द बातों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

شری پی۔نام گیال (لداخ) : اپادھیکش مہودے! میں اس بل کا سمرتھن کرتے ہوئے کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس بل کے پاس ہونے پر سب سے بڑی بات تو یہ ہوگی کہ اس میں کرپشن جو بہت ہائی ڈگری پر ہوا کرتا تھا، نیشنل پرمٹ حاصل کرنے کے لئے وہ ختم ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اسٹیٹ یا ٹیریٹریز ایسی ہیں جہاں پر ریلوے ٹرانسپورٹ کی فیسلٹیز نہیں ہیں ان کو تو اس سے بہت ہی زیادہ فائدہ ہوا۔ آپ کہیں گے کیوں؟ وہ اس لئے کہ یہ پرمٹ ریسٹریکشن ہونے کی وجہ سے بہت سارے ٹرانسپورٹ جو چاہتے تھے کچھ ایسی ہلی ایریاز یا ڈفلیکٹ ایریاز میں اپنی گاڑیوں سے سامان لے جانا اور وہاں سے لے آنا چاہتے تھے تو وہ اپنی مرضی سے سامان ڈھو کر نہیں لے جا سکتے تھے جب تک ان کے پاس نیشنل پرمٹ نہ ہو اور مونوپلی ان لوگوں کی رہ جاتی تھی جن کے پاس نیشنل پرمٹ ہوتے تھے۔ وہ نیشنل پرمٹ ان لوگوں کے پاس ہوا کرتے تھے جن کے پاس ہوا کرتے تھے جن کے پاس ایک سے زیادہ ٹرکس ہوں یا دس پندرہ ٹرکس ہوں ان لوگوں کو ہی یہ نیشنل پرمٹ مل سکتا تھا جن کے پاس پیسہ ہو اور جن کے پاس ایک ہی ٹرک ہوتا تھا ان کو یہ پرمٹ نہیں ملتا تھا۔ اس سے خاص کر جموں کشمیر جیسی اسٹیٹ میں جہاں لوگ بالکل روڈ ٹرانسپورٹ پر ڈیپنڈینٹ ہیں، ریلوے صرف جموں تک ہے تو وہاں سے آگے سامان لے جانے یا وہاں سے لانے کے لئے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ وہاں کی ایکونومی پر اس کا اچھا اثر پڑے گا۔ کیونکہ کشمیر میں خاص کر جو فروٹ سیزن ہوتا ہے اس وقت یہ پرابلم زیادہ ہوتی ہے کہ ہر ایک کو وہاں جانے نہیں دیتے اور جو لمیٹڈ لوگ نیشنل پرمٹ ہولڈرس ہیں وہی وہاں آ جا سکتے ہیں۔ ان کو بھی شری نگر سے آگے جانے کے لئے لوکل ٹرافک اتھوریٹیز کی طرف سے کافی پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ ان کو بھی آسانی سے وہاں آنے جانے نہیں دیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں فروٹس پیرش ایبل آئٹم ہوتے ہیں۔ اس طرح سے وہاں کے لوگ ان فروٹس کو وقت پر منڈیوں میں نہیں بھیج پاتے تھے اور ٹرانسپورٹ نہ ملنے کی وجہ سے وہ وہیں پڑے پڑے خراب ہو جایا کرتا ہے تو نیشنل پرمٹ ملنے کا اسکوپ بڑھا دینے سے جموں کشمیر کو اس کا بہت لابھ ملے گا اور وہاں کی ایکونومی کو بہت ہی فائدہ ملے گا۔

میری کانسٹی ٹیوینسی کشمیر ویلی سے بھی بہت آگے ہے۔ وہاں یہ مسئلہ ہوتا تھا کہ نیشنل پرمٹ ہولڈرس کو بھی وہاں جانے کی پرمیشن کے لئے لوکل اتھوریٹیز کے رحم و کرم پر ہوتے تھے۔ ہمارے ایریا میں سیزنل اسٹاکنگ ہوتا ہے کیوں کہ راستہ سال میں چھ مہینے بند رہتا ہے اور باقی پانچ چھ مہینوں میں ہی جتنی بھی ایسنشیل کموڈیٹیز ہیں ان کو اسٹاک کرنا پڑتا ہے۔ یہ سیزن فروٹ سیزن کے ساتھ کلیش کرتا ہے۔ اور لمیٹڈ ٹرانسپورٹ اویلیبلیٹی اس وقت ہوتی ہے۔ تو اس بل کے پاس ہو جانے سے میں سمجھتا ہوں ہمیں کافی فائدہ ہوگا۔ دیش کے دوسرے حصوں سے جو سامان لاد کر وہاں لے جائیں گے وہ وہاں سے سامان لاد کر لا بھی سکیں گے۔ تو سامان لانے اور لے جانے میں اس سے کافی مدد ملے گی۔ اس کو میں ایک بہت ہی ریولیوشنری اسٹیپ سمجھتا ہوں اور ٹرانسپورٹ منسٹر کو اس کے لئے مبارک باد دیتا ہوں۔ اس امید پر کہ اور بھی جو چھوٹی چھوٹی مشکلات ہیں ان کو بھی دیکھ لینا چاہیئے اور یہ جواب بھی کئی ایسی پرابلمس ہیں جنہیں دوسرے ساتھیوں نے ہائی لائٹ کیا ہیں ان باتوں کو دہرانا نہیں چاہتا ہوں۔ ان کو ریموو کرنا چاہیئے۔ ان جذباتوں کے ساتھ میں اس بل کا سمرتھن کرتا ہوں۔

[अनुवाद]

डा० दत्ता सामंत (बम्बई दक्षिण मध्य) : इस विधेयक को प्रस्तुत करते हुए मेरे मित्र ने कहा है कि यह विधेयक 28 जनवरी को जारी किए गए अध्यादेश का स्थान लेगा। जब संसद की बैठक 20 जनवरी को हो रही है तो अध्यादेश जारी करने की क्या आवश्यकता है? मैं इस तर्क से सन्तुष्ट नहीं हूं। इससे सिद्धांतों और इस सदन का महत्व कम होता है क्योंकि परमिट पहली जनवरी से लागू होते हैं··· —

श्री अमल दत्त : यह हमें तेजी से 21वीं शताब्दी में ले जाएगा।

डा० दत्ता सामंत : दूसरी बात यह है : पूरे कानून का संशोधन करना है। यह 1939 का अधिनियम-मोटर यान अधिनियम है। इन वाहनों का संचालन सभी ड्राइवर, क्लीनर आदि करते हैं और देश का पुलिस विभाग दूसरे से इतना जुड़ा है कि भ्रष्टाचार··· बहुत अधिक है और सांठ-गांठ है। वास्तव में भ्रष्टाचार पूरे देश में हैं किंतु इसमें सर्वाधिक है। मैं नहीं जानता। सारे अधिनियम को बदलने की जरूरत है क्योंकि मोटरयान अधिनियम का प्रयोग सभी लोग — आपकी पुलिस, आर० टी० ओ० आदि केवल पैसा बनाने के लिए करते हैं। इसकी व्याख्या करने के लिए समय नहीं है। किंतु ऐसा करने के लिए मेरे पास ठोस उदाहरण हैं।

मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय परमिट देना ठीक है—उन सभी लोगों को खुला परमिट दिया जाना चाहिए जो सरकार के पास आते हैं। अभी तक रुकावट के कारण, इन विशेष लोगों द्वारा परमिट बेचे जाते हैं, परिवहन परिचालक और बीच के बहुत से लोग पैसा कमा रहे हैं अतः इस कानून से वह उद्देश्य भी पूरा हो जाएगा।

किंतु मुझे इस बात का डर है कि केवल परिचालकों को अखिल भारतीय परमिट देने के प्रावधान से केवल बड़े को ही लाभ होगा। मुझे इस बात का दुःख है कि सरकार द्वारा खुला लाइसेंस देकर केवल बड़े परिचालक ही इसका लाभ उठाएंगे। बड़े परिचालकों के पास 50 या 100 गाड़ियां है। अतः मेरा यह विचार है कि किसी प्रकार का प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए क्योंकि मैंने देखा है बड़े परिचालकों के पास सारे ट्रक नहीं होते हैं, वे दूसरे लोगों से ट्रक लेते हैं और उनका प्रयोग करते हैं और इस पर दोगुनी-तीन-गुनी रकम कमाते हैं। क्योंकि उन्हें सही लोगों से जान-पहचान होती है। अतः विशेष बड़े परिचालक अधिक पैसा कमाएंगे क्योंकि उनके आर० टी० ओ० कार्यालय और लाइसेंस देने वाले प्राधिकरण में साथ सही लोगों के साथ सही सम्बन्ध होते हैं। इस विधेयक से गैर-सरकारी क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा और इस सुविधा का उपयोग करके विशेष लोग अधिक कमाई करेंगे।

आप उस खंड को छोड़ रहे हैं जिससे आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों को परमिट देने का उपबन्ध 1939 के अधिनियम में है। मुझे नहीं मालूम कि ऐसा क्यों हो रहा है? यह एक अच्छा उपबन्ध है। वर्तमान अधिनियम के अनुसार गरीब लोगों को, पिछड़े हुए लोगों को और अनुसूचित जातियों को लाइसेंस देने में कुछ प्राथमिकताएं दी जाती हैं। वह 20-40 वर्ष पूर्व गांधी का समय था। अब इसके अनुसार इस विधेयक में वह उपबन्ध आप पूरी तरह छोड़ रहे हैं। मेरा यह विचार है कि आप जो खुला लाइसेंस दे रहे हैं वह जनता के उन वर्गों के जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं पक्ष में नहीं जाएगा हमारे देश में परिवहन में भी वृद्धि हुई हैं और परिवहन में भारी वृद्धि हुई है। अतः मेरा यह विचार है कि इस उपबन्ध को रखा जाए। राष्ट्रीय परिवहन लाइसेंस जारी करते हुए ऐसे लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और बड़े परिवहन परिचालकों को छोड़ दिया जाना चाहिए। अपितु मुझे इस बात का भय है कि बेरोजगार लोग सरकार को

जिनकी बहुत चिंता है उन्हें लाइसेंस नहीं मिलेगा और अब आपको उनकी सहायता करने का अवसर मिल गया है। आपको अधिक से अधिक परमिट छोटे लोगों को देने चाहिएं।

तीसरी और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि परिवहन व्यवसाय में, मुझे सही संख्या मालूम नहीं है किंतु मेरे विचार में आज एक करोड़ व्यक्ति लगे हुए हैं। ड्राईवर, क्लीनर, क्लर्क और छोटे होटलों में लोग लगे हुए हैं। किन्तु देश में इनके काम की दशा के सम्बन्ध में कोई कानून नहीं है। मेरे विचार में सरकार को उनकी कोई चिंता नहीं है। ड्राइवरों, क्लीनरों और व्यवसाय में लगे अन्य लोगों के लिए कोई न्यूनतम मजदूरी नहीं है। महिलाएं भी लगी हुई है और उन्हें केवल 200 रुपये या 300 रु० या 400 रु० मिलते हैं। इनका संरक्षण बोनस अधिनियम, उपदान अधिनियम द्वारा नहीं होता है। यहां तक कि यदि दुर्घटनाएं होती हैं उनके लिए अथवा उनके परिवारों के लिए मुआवजा लेना बहुत कठिन होता है। यह बहुत ज्यादती है। यह उचित समय है कि सरकार सचमुच इस देश के गरीब लोगों के प्रति चिंतित है। मैं समझता हूं कि आप केवल बड़े परिवहन परिचालकों को लाइसेंस देने के लिए यह विधेयक लाए हैं। इससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों को और अनुसूचित जातियों के लोगों को लाभ नहीं पहुंचेगा। लाखों कर्मकार इन परिवहन परिचालन में लगे हैं। सरकार को इनकी चिंता नहीं है, वह इस कानून में उनके बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं। मैं सरकार पर जोर देता हूं कि कानून के द्वारा इनकी सेवा शर्तों का संरक्षण करने के लिए कुछ उपाय करेंगे क्योंकि इन ड्राइवरों और अन्य परिचालकों को कम वेतन मिल रहा है।

यदि आप रात के समय राजमार्ग पर चैकिंग करें और ड्राइवरों के रक्त की जांच करें तो देखेंगे कि उनमें से 90 प्रतिशत तेज शराब के नशे में हैं। यह समाज के लिए, उस सामान के लिए जो एक स्थान से दूसरे स्थान को लिया जाता है, और बीमा कम्पनी के लिए खतरा है। अतः इन ड्राइवरों की शराब से सम्बन्धित कोई जांच अवश्य की जानी चाहिए। यहां तक कि सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले ड्राईवर—मैंने उन्हें देखा है—मदिरा के नशे में होते हैं। मेरा यह विचार नहीं है कि आप इस प्रकार शराब पीने पर रोक लगाएं, किंतु, कम से कम परिवहन में जो ड्राइवर हैं वह तेज शराब के नशे में नहीं होने चाहिए क्योंकि इससे बहुत हानि पहुंच सकती है, इससे इस देश में बहुत सी दुर्घटनाएं हो सकती हैं।

इस विधेयक से आप अपने सभी परिचालन में गैर सरकारी क्षेत्र को बढ़ावा दे रहे हैं। गरीब लोग, अनुसूचित जाति के लोगों, पिछड़े वर्गों के लोगों को नुकसान होगा। अतः मैं यह सुझाव देता हूं कि इन गरीब लोगों को सभी लाइसेंस दिये जाने चाहिए।

[हिन्दी]

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, समय कम होने की वजह से इस बिल के बारे में मुझे दो-तीन बातें कहनी हैं। विरोध पक्ष के सदस्य चूंकि विरोध में हैं, इसलिए वे किसी भी बिल या आर्डिनेंस का विरोध कर रहे हैं, यह बात जंचती नहीं है। इस बिल पर पिछले शुक्रवार को भी विचार हुआ और आज भी डिसकशन हो रहा है। विरोध पक्ष के दोस्त इसलिए विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हाउस बैठने वाला था और उसके पहले यह आर्डिनेंस क्यों निकाला गया। मैं यह कहना चाहता हूं कि कोई भी अच्छा काम हम करें, तो उनको नुक्ताचीनी नहीं करनी चाहिए। राजेश पायलेट जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं, जिसमें एक यह भी

है। बस उन्होंने एक ही काम खराब किया है और वह यह है कि उन्होंने डी० टी० सी० क किराया बढ़ा दिया है इस बारे में मैं उनसे बाद में बात करूंगा। मैं उनसे कहूंगा कि वे साफ खोलकर डी० टी० सी० की बसों में एक बार सफर कर लें, तो उनको वहां की स्थिति का पत चल जाएगा। लेकिन इस बारे में मैं उनसे बाद में चर्चा करूंगा।

पूरे देश में आज वैगन्स की शार्टेज है, ऐसी हालत में उन्होंने परमिट को खत्म करके बहुत ही अच्छा काम किया है। एक तरफ तो देश को परमिट और कोटा खा गया और दूसरी तरफ इन्जीनियर और कान्ट्रैक्टर देश को खा गए। उन्होंने इसको लिब्रलाइज करके बहुत ही अच्छा काम किया है। इसमें फायदा यदि बड़े ट्रांसपोर्टर्स को हो, तो इसमें यह देखना चाहिए वीकर-सैक्शन के लोग बस को चलाए और उनको फायदा हो।

एक बात मैं आपसे जरूर निवेदन करना चाहता हूं, आपने भी सुना होगा, कि दिल्ली के पचास प्रतिशत हैवी-वैहिकल्स के ड्राइवरों की आंखें खराब हैं। यह बात अखबारों में भी आई थी, मैं आपको दिखा दूंगा। देश में मेरा ख्याल है, 25 से 30% ड्राइवरों की आंखें खराब है। क्या आपने कभी इसको टैस्ट करवाया है ? इसका पता लगवाया है कि उनकी आई-साइट कैसी है ? विदेशों में तो लोग रात को ट्रैवल के लिए निकलते हैं, लेकिन अपने देश में रात को ट्रैवल करने से डरते हैं। यह आम बात है, लोग कहते हैं कि सड़क पर ट्रक ऐसे चलता है, जैसे फौज आ रही है, जैसे खत्म कर देंगे। मैं कहना चाहता हूं कि उनकी आई-साइट टैस्ट होनी चाहिए। एक बात और है, दोनों पक्ष के सदस्य कह रहे हैं, कि अक्सर ड्राईवर शराब पीकर चलते हैं। इसको भी सरप्राइज चैक करना चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी ड्राइवर की स्थिति के बारे में सोचा है। मैं अपने निजी अनुभव से बताना चाहता हूं कि देश में जितना ड्राइवर को एक्सप्लायट किया जाता है, उतना किसी और को नहीं क्रिया जाता है। यदि किसी ऐक्सीडेंट में ड्राइवर की मृत्यु हो जाती है, तो उसके घर वाले जब ट्रक के मालिक से मुआवजा मांगते हैं, तो वे कहते हैं कि वह तो ट्रक में था नहीं, उसने जबरदस्ती हमारे ट्रक को चलाया होगा। जो ड्राइवर और हैल्पर्स होते हैं

1.00 म०प०

उनका इन्सोरेंस नहीं होता है। अगर वह मर गया, तो उसकी विधवा का भगवान मालिक है। इस चीज पर आपको गौर करना चाहिए।

एक बात यह कहना चाहता हूं कि जो सैलरी एक ड्राइवर को अपने मालिक से मिलती है, वह बहुत कम होती है। उनको 200, 300 और 400 रुपये मुश्किल से मिलता है। आप कहते हैं कि वह ओवर-लोडिंग ट्रक पर करता है। वह ओवर-लोडिंग क्यों नहीं करेगा। रास्ते में जो सामान उसको मिलता है, उसको लोड कर के वह उसके डेस्टीनेशन पर पहुंचा देता है। अगर वह ऐसा नहीं करेगा, तो 10-15 आदमियों के अपने परिवार का गुजारा कैसे करेगा। इसलिए मेरा कहना यह है कि ट्रक ड्राइवरों के वेलफेयर पर आपको पूरा ध्यान देना चाहिए।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि हर स्टेट में बहुत से ऐसे लोग हैं, जो ड्राइविंग की लाइन में आना चाहते हैं। पढ़े-लिखे जो लोग हैं, वे ड्राइविंग लाइसेंस चाहते हैं। इसलिए मैं यह चाहूंगा कि हर स्टेट में ड्राइविंग लाइसेंस इंस्टीट्यूट हों और वे गवर्नमेंट की तरफ से हों, जिससे पढ़-लिखे लोग सामने आएं और गवर्नमेंट की तरफ से लाइसेंस उनको मिल जाए। आज मैं दावे के साथ कहता हूं कि किसी भी आदमी को 500 रुपये जमाकर के ड्राइविंग लाइसेंस मिल सकता

है। मैं दिलवा दूंगा। मैं इस बात को जानता हूं कि बहुत सी ऐसी स्टेट्स हैं, जहां लाइसेंस इस तरह से मिलते हैं। अब जब फेक लाइसेंस लेकर आदमी चलता है, तो फिर एक्सीडेंट क्यों नहीं करेगा। इसके विपरीत बहुत से लोग बेरोजगार हैं, ऐसे ग्रेजुएट्स हैं, जो ड्राइवर बनने के लिए तैयार हैं लेकिन उनको लाइसेंस नहीं मिलता है। इसलिए मेरा कहना यह है कि एक इस तरह की ड्राइविंग लाइसेंस इंस्टीट्यूट दिल्ली में होनी चाहिए और स्टेट्स में भी ऐसी इंस्टीट्यूट्स होनी चाहिए जिसमें लोगों को प्रोपर ट्रेनिंग मिल सके और यात्रा करने वाले अपने को सेफ अनुभव कर सकें।

आप कहेंगे कि सड़कों की जिम्मेवारी हमारी नहीं है। यह कह कर आप अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं कि यह स्टेट्स की जिम्मेवारी है। आज सड़कों और ब्रिजेज की जो हालत है, वह भगवान भरोसे है। हर साल उन पर लाखों, करोड़ों रुपया देश का खर्च होता है, लेकिन उनकी हालत ऐसी है कि कोई भी ट्रक उस पर से गुजर जाए, तो किसी भी क्षण वे पुल गिर सकते हैं। देहातों में तो ऐसे बहुत से पुल हैं, जोकि बहुत ही कमजोर हैं और अगर ट्रक उन पर से जोर से चला जाए, तो वे पुल बैठ जाएंगे। आप कहेंगे कि इसके बारे में हमने स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस दे दी है लेकिन खाली एडवाइस देने से काम नहीं होगा। बहुत सी स्टेट्स में आप की पार्टी की सरकारें हैं। क्यों नहीं, उनसे मिलकर आप बात करते हैं क्योंकि इसका संबंध लोगों के जीवन से है, लोगों की जान से है। पैसा कौन खाता है, यह सभी जानते हैं। इसलिए इस तरह से काम होना चाहिए जिससे इंजीनियर्स और कान्ट्रेक्टर्स पैसा न खाने पाएं और सड़कों और पुलों की हालत ठीक हो।

अन्त में मैं यह कहूंगा कि एक काम्प्रीहेंसिव बिल इस पर आपको लाना चाहिए। ट्रांसपोर्ट पालिसी कमेटी की जो सिफारिशें हैं, उनको ध्यान में रखकर काम्प्रीहेंसिव बिल लाने का मैं समर्थन करता हूं ताकि हैवी व्हीकिल्स की एफीशियेन्ट रनिंग हो। इन बातों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए।

मैं मंत्री जी को मुबारकवाद देता हूं कि वे एक बहुत अच्छा बिल लाए हैं और सचमुच में, जो शार्टेज मार्केट में हो जाती थी, वह इस बिल से दूर होगी लेकिन मैं यह समझता हूं कि एक काम्प्रीहेंसिव बिल मंत्री जी को लाना चाहिए जिससे जो कुछ भी त्रुटियां हैं, वे दूर हो जाएंगीं। इतना कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित होती है और 2 बजे म.प. पर समवेत होगी।

1.03 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे म०प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.06 म०प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.06 बजे म०प० पर पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही को बोलने के लिये आमन्त्रित करने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे केवल 5 मिनट ही लें क्योंकि 14.30 बजे म० प०

पर माननीय मंत्री जी बहस का उत्तर देंगे। 5 या 6 सदस्यों ने और बोलना है, अब, श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही ने बोलना है।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। यह एक अच्छा विधेयक है। यह एक सरल विधेयक है और इसमें कोई विवाद नहीं है। दरअसल, इस विधेयक का विरोध करने के लिये कोई मुद्दा नहीं है। मैं जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मन्त्री श्री राजेश पाइलट को इस विधेयक को लाने के लिये बधाई देता हूं। महोदय, जैसा कि आप जानते हैं यह विधेयक विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय परमिटों की संख्या पर लगे नियन्त्रण को दूर करने के आशय से लाया गया है और राष्ट्रीय परिवहन समिति तथा परिवहन विकास परिषद् दोनों ने ही इस उपबन्ध की, अर्थात् राष्ट्रीय परमिटों की संख्या पर लगे नियन्त्रण को समाप्त करने की सिफारिश की थी। राष्ट्रीय परिवहन विकास परिषद् ने भी जहां मन्त्रीगण सदस्य के रूप में राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसकी सर्वसम्मति से सिफारिश की थी। इसलिये, इसमें विरोध करने लायक कुछ भी नहीं है, और यह एक अच्छा कदम है, दरअसल, यह अच्छी बात है कि सरकार ने इस संशोधन को लाने की आवश्यकता को समझ लिया है। यह एक अच्छी बात है क्योंकि परमिटों की संख्या पर नियन्त्रण रखने की इस प्रणाली से भ्रष्टाचार बढ़ रहा था। इस बात के चारों ओर बहुत से भ्रष्टाचार के मामले केन्द्रित थे कि किसको लाभ पहुंचाया जायेगा क्योंकि यदि एक संख्या निर्धारित कर दी गई है और बहुत से लोग अपने आवेदन पत्र लेकर लाइसेंस प्राप्त करने के लिये आते हैं तो भ्रष्टाचार की बड़ी गुंजाइश रहती है। राष्ट्रीय परमिट प्रणाली का सारे देश में व्यापक रूप से स्वागत हुआ है। इस प्रणाली की लोकप्रियता इस बात से स्पष्ट हो जायेगी कि 1975 में, जब कि यह प्रणाली लागू की गई, केवल 5300 राष्ट्रीय परमिट जारी किये गये और एक दशक के दौरान ही, अर्थात् 9 से 10 वर्षों में ही यह संख्या बढ़कर 32,100 परमिट तक पहुंच गई है, अब चूंकि राष्ट्रीय परमिट की संख्या पर "अधिकतम सीमा" के प्रतिबन्ध को हटा दिया गया है, इससे यह प्रणाली और भी लोकप्रिय तथा उदार हो जाएगी।

जैसाकि हम जानते हैं देश में आर्थिक क्षेत्र में बहुत से परिवर्तन हो चुके हैं। विकासात्मक तथा आर्थिक क्रिया-कलाप कई गुना बढ़ गये हैं और स्वाभाविक रूप से ट्रकों और मोटर गाड़ियों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जायेगी। जब ऐसे क्रिया-कलाप बढ़ रहे हैं तो रेलगाड़ियों पर जरूरत से ज्यादा बोझ पड़ रहा है और उनमें ज्यादा दबाव पड़ रहा है और माल डिब्बों की बुकिंग में बहुत देर होती है। हम चोरी की तथा सामान के खो जाने की भी बहुत शिकायतें सुनते हैं सड़क परिवहन प्रणाली से सामान की ढुलाई शीघ्र सम्भव हो जाता है और दरअसल इस समय इसकी बड़ी आवश्यकता है। हर कोई अपने सामान की शीघ्रता से ढुलाई और माल की सुपुर्दगी शीघ्र चाहता है। फिर इस सुविधा के कारण, परिवहनकर्ताओं को कोई परेशानी नहीं होती। विभिन्न राज्यों में प्रति हस्ताक्षरों की आवश्यकता नहीं रह जाती। कर एक बिंदु पर ही वसूला जाता है।

लेकिन, विधेयक का समर्थन करते समय, मैं माननीय मन्त्री जी को एक बात के लिये आगाह करना चाहूंगा। जारी किये जाने वाले परमिटों की संख्या की कोई सीमा नहीं है। लेकिन जो आवेदन करते हैं, उन्हें इस व्यवस्था को नियन्त्रित करने वाली कतिपय शर्तों का पालन करना पड़ेगा। यह विधेयक परिवहन व्यवस्था को उदार बनाने के लिये लाया गया है लेकिन कुछ बातों

को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है, इसका अर्थ यह नहीं होना चाहिये कि इस व्यवस्था पर कुछ ही लोगों का—कुछ ही सम्पन्न लोगों का बड़े परिवहनकर्ताओं तथा परिवहन कंपनियों का ही—एकाधिकार नहीं हो जाए। बेरोजगारी खतरनाक रूप से बढ़ रही है। शिक्षित बेरोजगार दूसरे प्रकार के रोजगार की तलाश कर रहे हैं। उन्हें ऐसे परमिट देकर प्रोत्साहित किया जा सकता है। मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस पहलू पर विशेष रूप से गौर करें। प्रतिबन्धों की समाप्ति कुछ ही व्यक्तियों, कुछ ही सम्पन्न व्यक्तियों के हाथों में इस व्यवस्था पर एकाधिकार करने का साधन नहीं बन जाना चाहिये।

दूसरा चिंता का विषय है दुर्घटनाओं की बढ़ती हुई संख्या। सुबह-सुबह समाचारपत्र पढ़ते समय हम देश के विभिन्न भागों में हुई दुर्घटनाओं का समाचार देखते हैं। इतनी बड़ी संख्या में दुर्घटनाएं क्यों हो रही हैं? कारणों की जांच की जानी होगी।

जैसाकि मैंने कहा कि मोटर गाड़ियों की संख्या में बहुत बड़ी वृद्धि हो गयी है लेकिन उस हिसाब से सड़कों की दशा नहीं सुधरी है। सड़कों की दशा को सुधारने के लिये उचित ध्यान देना होगा। इस काम के लिये निस्सन्देह धन की व्यवस्था समय-समय पर की जा रही है परन्तु विभिन्न राज्यों से जिनमें उड़ीसा भी शामिल है, शिकायतें मिली हैं कि मरम्मत, देखभाल और नयी सड़कों के निर्माण के लिये पर्याप्त पैसा नहीं दिया जा रहा है, फिर, जो भी धन आबंटित किया जाता है उसको ठीक ढंग से व्यय किया जाना चाहिये। सड़कों की मरम्मत करते समय या नई सड़कें बनाते समय कार्य में गुणात्मक सुधार किया जाना चाहिये। इस कार्य के लिये पर्याप्त पैसे की व्यवस्था की जानी चाहिये तथा साथ ही, इस बात को भी सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि पैसे को ठीक ढंग से व्यय किया जाता है और इसका थोड़ा सा भाग भी गबन न होने पाये या लापरवाही से खर्च न होने पाये।

एक और पहलू है। बहुत बड़ी संख्या में मोटर गाड़ियों को ठहरना पड़ता है क्योंकि राष्ट्रीय मार्गों में भी कई स्थानों पर ऊपरी पुल या रेलवे पुल नहीं हैं। एक ऐसी शर्त है कि यदि राज्य सरकार किसी प्रस्ताव को लाती है तो उस राज्य सरकार को लागत का 50% चुकाना पड़ता है लेकिन धन की कमी के कारण वे इस बोझ को वहन करने की स्थिति में नहीं हैं, अतः राष्ट्रीय मार्गों पर तथा विशेषकर तब जब राष्ट्रीय मार्ग तथा रेल मार्ग शहर के बीच से गुजरते हैं तो इस प्रकार के पुल बनाये जाने चाहिये तथा इस भार को वहन करने के लिये मन्त्रालय को आगे आना चाहिये।

जहां तक उड़ीसा का प्रश्न है, कुछ राष्ट्रीय मार्ग ऐसे हैं जिनको चौड़ा किये जाने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय मार्ग नं० 42 को अविलम्ब रूप से चौड़ा किये जाने की आवश्यकता है।

तलचर-राउरकेला मार्ग की दशा बहुत खराब है। तलचर और राउरकेला दोनों औद्योगिक काम्प्लेक्स हैं और वहां बड़ी संख्या में भारी उद्योग हैं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण औद्योगिक सम्पर्क केन्द्र है अतः इसकी दशा पर गौर किया जाना चाहिये, दूसरे बिहार तक जाने वाले सुंदरगढ़ राउरकेला मार्ग पर सिंदूर पंक चौक से बड़गांव तक मार्ग को राष्ट्रीय मार्ग घोषित कर दिया जाना चाहिए।

मैं अनुरोध करता हूं कि माननीय मन्त्री जी को इन बातों पर गौर करना चाहिये तथा यह सुनिश्चित करना चाहिये कि ये काम हो जायेंगे।

वाहन-चालकों के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में मैं एक सलाह देना चाहूंगा। वाहन-चालकों को उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये। हम जापाते हैं कि ज्यादातर सड़क दुर्घटनाएं अर्धरात्रि तथा प्रातःकाल के बीच होती हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप समाप्त कीजिये, वाहन-चालकों के प्रशिक्षण आदि के विषय में मुद्दों को कई माननीय सदस्यों ने पहले ही उल्लेख कर दिया है।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : यह बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर ध्यान दिया जाना चाहिये। जैसा कि मैं शुरू में ही कहा, विधेयक में बहुत अच्छे प्रावधान हैं लेकिन सथा ही अन्य बातों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिये।

[हिन्दी]

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : डिप्टी स्पीकर सर, काफी तेजी से चलने वाले राजेश पायलट साहब जो बिल लाये हैं, उसके बारे में मैं 2-4 शब्द कहना चाहता हूं। वह यह बिल किस कारण से लाये हैं, मेरी समझ में नहीं आ पाया है। आपका इरादा है कि बिना किसी रुकावट से रेगुलर ट्रैफिक और दूसरा ट्रैफिक हिंदुस्तान में एक कोने से दूसरे कोने तक आ-जा सके। इरादा आपका काफी अच्छा है।

हमारे वित्त मंत्री ने बताया कि हाई स्पीड डीजल बहुत अधिक खपत हो रहा है, उसको कम करना चाहिये। आपको मालूम है कि रेलवे में माल कैरी करने में ट्रक ट्रांसपोर्ट से बहुत कम खर्चा आता है। अगर ट्रक पर खर्चा 6 रुपये आता है तो रेल में एक रुपया आता है। नेशनल ट्रांसपोर्ट पालिसी जिस को कि सरकार ने माना है, उसके मुताबिक हिंदुस्तान में जितना ट्रैफिक चलना चाहिये उसका 70 फीसदी रेल में और 30 फीसदी रोड पर चलना चाहिए

[अनुवाद]

जाने या अनजाने में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में, हम मुद्दे को तोड़-मरोड़ रहे हैं।

[हिन्दी]

इससे रेल ट्रैफिक की अहमियत कम होगी।

पिछले साल आपने 14 मिलियन टन हाई-स्पीड डीजल आयल इस्तेमाल किया जिनमें रेलवे ने 2 मिलियन टन और ट्रक्स, बस और दूसरे ट्रांसपोर्ट के लिये लगभग 12 मिलियन टन इस्तेमाल हुआ। इधर आप कहते हैं कि तेल का दाम इसलिये बढ़ रहा है कि तेल का इस्तेमाल अधिक हो रहा है। ऐसा मालूम होता है कि आप कैबिनेट में एक साथ बैठकर कोई सिद्धांत लेकर नहीं आते हैं। जिस ढंग से आप ट्रकों को परिमट दे रहे हैं और यह जो बिल लाये हैं इससे तेल की खपत बढ़ेगी। इस सम्बन्ध में हमें एक कहानी याद आती है। तीन अंधों ने हाथी देखा और उसका अलग-अलग तरीके से वर्णन किया। एक ने हाथी का पैर छुआ तो कहा कि हाथी एक पिल्लर है, एक ने सूंड छुआ तो कहा कि हाथी पानी के पाइप जैसा है और एक ने हाथी का पूंछ छुआ तो कहा कि हाथी झाड़ू के माफिक है। तो आपको जो पालिसी देनी हो वह जरा ठीक करके हमारे सामने रखिए।

[अनुवाद]

वास्तव में, क्या आप पेट्रोलियम की खपत कम करना चाहते हैं?

[हिन्दी]

मेरी आंख तो खुली है। आप लोग अन्धे हो। मेरी आंख खुली है, इसीलिए मैं सभी कुछ देखता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : वह देख भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते। यही समस्या है।

श्री नारायण चौबे : हमारे उपाध्यक्ष देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकता।

[हिंदी]

इसलिए मेरा पहला निवेदन यह है कि इसको जरा कांक्रीटाइज कीजिए, नहीं तो आप जिस इरादे से इसको ला रहे हैं उसमें सफल नहीं होंगे और इसमें पेट्रोलियम कंजम्पश और बढ़ेगा। जो इरादा वित्त मन्त्री ने पूरे देश के लिए जाहिर किया था उसमें शायद आप इससे मात खा जायं।

दो नम्बर बात यह है कि अभी हमारी एक स्टेट का नुकसान···

एक माननीय सदस्य : एक नम्बर की बात करिए, दो नम्बर की बात क्यों करते हैं ?

श्री नारायण चौबे : नहीं, नहीं, नम्बर दो नहीं, मैं प्वाइंट नम्बर दो बोल रहा हूं···

[अनुवाद]

यह मुद्दा सं० 2 है। मैं जानता हूं कि आप दूसरे क्रमांक पर हैं। यह मैंने आपको बताया।

[हिंदी]

बात यह है कि अभी किसी का दो ट्रक है किसी का पांच ट्रक है, किसी का सात ट्रक है, वह कम्बाइन करके चलते हैं। नेशनल परमिट की वजह से जिस मोनोपली को आप फाइन करना चाहते हैं। वह जरा देखिए आप।

तीसरी बात—नेशनल हाईवेज के बारे में मैं कहना चाहता हूं। हमारी स्टेट में एक नेशनल हाई वे कैलकटा टु मद्रास है, उसकी हालत बहुत खराब है। खासकर के एक जगह मिदनापुर जिले के खड़गपुर पुलिस स्टेशन में वसन्तपुर नाम की एक जगह है, हर साल वहां चार पांच दस ऐक्सीडेंट्स होते हैं। हम लोग बोल-बोल कर थक गए, वहां के लिए कुछ इन्तजाम कीजिए। मैं आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि इनको आप देखिए कि वहां होने वाले ऐक्सीडेंट्स को समाप्त करने के लिए आप क्या कर सकते हैं ?

एक हमारा ओरिसा ट्रंक रोड है जो मिदनापुर से होकर बालासौर तक जाता है। हमारे यहां राजघाट में पुल होने की वजह से जो कि गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने बना दिया है, बहुत ही हेवी ट्रैफिक उस पर चलता है। पुरी-भुवनेश्वर रोड छोटी हो गई लेकिन यह ओ टी रोड न चौड़ी हुई न नेशनल हाईवे डिक्लेयर हुई। तो इस को भी जरा देखिएगा। जो मैंने अप्रीहेंसन आपके सामने रखा है उसका जवाब दीजिएगा कि पेट्रोलियम की खपत इसमें कितनी बढ़ेगी और मोनोपली का कंट्रोल कितना हो जायेगा, इसका जरा जवाब दीजिएगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री गिरधारी लाल व्यास आपके लिये 3 मिनट।

श्री नारायण चौबे : मैं अपने समय के भीतर रहा हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : हर कोई समय के भीतर ही रहा है ।

[हिंदी]

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) मैं : इसका समर्थन करते हुए राज्य मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं कि आप ने स्टेटमेंट आफ आबिजेक्ट्स ऐंडरीजन्स में जो बात कही है :

[अनुवाद]

"राष्ट्रीय परमिट की प्रणाली बहुत लोकप्रिय हो गई है और परिवहन मालिक लम्बी दूरी के अन्तर्राज्यीय माल-परिवहन की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिये परमिटों की संख्या में बढ़ोत्तरी की मांग कर रहे हैं ।"

[हिंदी]

तो यह पापुलैरिटी की बात तो आपने कह दी मगर दूसरी बात आपने नहीं कही । वह यह कि एक एक परमिट पर पचास-पचास हजार रुपया लोग लेते थे, उसके सम्बन्ध में कोई बात आप ने नहीं कही । पचास पचास हजार रुपया एक-एक परमिट का लिया जाता था । मैं जानना चाहता हूं कि पापुलैरिटी की वजह से यह परमिट वाली बात आपने की है या भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए की है ? यह स्टेटमैंट आफ आबजेक्ट्स ऐंडरीजन्स में नहीं लिखा है । मैं मांग करता हूं कि जिन-जिन स्टेट्स के अन्दर ट्रांसपोर्ट दफ्तरों में पचास पचास हजार रुपया जिन-जिन अफसरों ने लिया है उनके खिलाफ जांच करवा करके उनके विरुद्ध कार्यवाही कीजिए ।

दूसरे, जो नेशनल परमिट दिए जाएंगे उनमें भी आइन्दा भ्रष्टाचार न हो, इसके लिए आपने क्या व्यवस्था की है । इसके लिए भी कोई-न-कोई मशीनरी होनी चाहिए ताकि आइन्दा जो परमिट लें उनको इस तरह की कठिनाई का सामना न करना पड़े । यह बात खासतौर से इसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं ।

मेरा दूसरा प्वाइन्ट यह है, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले भी कहा गया है, कि बहुत से बड़े-बड़े मानोपोलिस्ट आपरेटर्स हैं जिनके पास दो सौ, चार सौ की फ्लीट्स हैं और उस आधार पर हर रूट को मोनो-पोलाइज करना चाहते हैं । इसलिए इसमें इस प्रकार का प्रावधान होना चाहिए जिससे कि शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्ज, बैकवर्ड क्लासेज और दूसरे लोगों को भी उसी तादाद में परमिट मिल सकें ताकि ये लोग भी अपना हिस्सा अदा कर सकें । इस पर खास-तौर से ध्यान देना चाहिए वरना इन लोगों की तो मिली-भगत रहती है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेन्ट के बड़े-बड़े अफसरों से ये मिले रहते हैं और सारे के सारे परमिट यही लोग ले लेंगे, दूसरों को कुछ भी नहीं मिलेगा और इस प्रकार से आपकी स्कीम का लाभ उनको नहीं पहुंच पायेगा । इस व्यवस्था को निश्चित तरीके से करना चाहिए ।

मेरा तीसरा प्वाइन्ट यह है कि नेशनल हाईवेज जो हैं उनके ऊपर रेलवे के फाटक नहीं हैं । जैसे कि नेशनल हाईवे नं० (8) जो है उस पर किशनगढ और सराधना के पास दो ओवर-ब्रिजों का बनाना नितान्त आवश्यक है । चाहे उनको रेलवे बनाए या आपका विभाग बनाए लेकिन उनको बनाना जरूरी है ताकि वहां पर आवागमन के साधन ठीक हो सकें ।

मेरा चौथा प्वाइन्ट यह है कि स्टेट हाईवे नं० (4) जो उदयपुर, अजमेर होते हुए भील-वाड़ा, रतलाम इन्दौर होकर बाम्बे जाता है उस पर आप देखेंगे कि नेशनल हाईवे नं०(8) से

भी ज्यादा ट्रैफिक है और सारा का सारा ट्रैफिक बम्बई से भीलवाड़ा होकर अजमेर से फिर नेशनल हाईवे नं० (8) पर आता है। इसलिए यह नितान्त आवश्यक है कि स्टेट हाईवे नं० (4) को नेशनल हाईवे करार दिया जाए। आपने दो तीन दफा इसका सर्वे भी कराया जिससे यह मालूम पड़ा कि उस पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक है। इसलिए यह नितान्त आवश्यक है कि इसको नेशनल हाईवे करार दिया जाए ताकि आवागमन की व्यवस्था ठीक हो सके।

इसी के साथ-साथ मेरा निवेदन है कि ट्रक्स जो हैं वह अपने आगे सर्च-लाइट लगाते हैं जिससे उधर से आने वाले ट्रक्स या दूसरे विहिकिल्स पर फोकस पड़ता है जिसके परिणामस्वरूप ड्राइवर एक प्रकार से अन्धे हो जाते हैं जिसके कारण बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। अतः इस सर्च-लाइट्स की व्यवस्था को बिल्कुल बन्द कर देना चाहिए ताकि रात के समय में जो इसके कारण एक्सीडेंट्स हो जाते हैं उनको रोका जा सके। इसको करना नितान्त आवश्यक है।

एक बात यह भी है कि ट्रक वाले इतनी अधिक लोडिंग कर लेते हैं, 10 टन वाले 15 टन भर लेते हैं जिसकी वजह से गाड़ी का बैलेन्स बिगड़ जाता है। इसलिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि लिमिट से ज्यादा लोडिंग न की जा सके।

मेरा निवेदन है कि निश्चित रूप से ये सारी व्यवस्थायें की जानी चाहिए। इतना ही कहकर मैं इस बिल का स्वागत करता हूं।

[अनुवाद]

श्री भट्टम श्रीराममूर्ति (विशाखापत्तनम) : मैं समझता हूं कि मैं अपने युवा, गतिशील और आकर्षक नये मन्त्री द्वारा पेश किये जाने वाले इस प्रथम विधेयक के साथ मतभेद और असहमति नहीं रख सकता। मैं समझता हूं कि मुझे विधेयक में दिए गए सामान्य उद्देश्यों और लक्ष्यों से सहमत होना चाहिए।

लेकिन मूल बात यह है कि यह विधेयक अनमने और विकृत ढंग से लाया गया है। राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति की कुछ सिफारिशें हैं। एक व्यापक विधेयक पेश किया जा सकता था। इस अवसर का उस प्रयोजन के लिए उपयोग करने की बजाय केवल इस विधेयक को पेश करने के लिए एक विशेष पहलू को लिया गया है। इसलिए मैं कहता हूं कि इसमें व्यापक, ठोस या संपूर्ण स्थिति का उल्लेख नहीं है। अतः यह विकृत है। किसी हालत में; मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय निकट भविष्य में पुनः इस सदन में एक व्यापक विधेयक पेश करेंगे जैसाकि सभा में पहले वादा किया गया था।

वास्तव में फिर यह बात कहता हूं कि मंत्री अध्यादेश जारी करने से बच सकते थे। बजट सत्र से ठीक पूर्व इस अध्यादेश को जारी करने की क्या विशेष आवश्यकता थी। दुर्भाग्य से यह सरकार संसदीय प्रक्रिया और परंपरा की उपेक्षा करके बहुधा कार्यपालिका के आदेश का अनुसरण करती रही है। ऐसा क्यों और किन हालातों में किया जा रहा है उसे इसकी एक बार फिर छानबीन करनी होगी।

मूल्य वृद्धि जैसे महत्वपूर्ण अवसर पर इसने संसद को नजर अन्दाज किया। यह एक छोटी सी बात है कि मैं मंत्री महोदय से कार्रवाई से पेश नहीं आ सकता और यह नहीं कह सकता कि यह गलत और असामान्य रूप से खराब बात है। और हम मंत्री से कुछ अच्छी बात की आशा

करते हैं। इसलिए मैं आशा करता हूं कि आज के बाद वह महत्वपूर्ण मामलों में संसद की अवहेलना नहीं करेंगे।

निहित सिद्धान्त यह है मैं आमतौर से गैर-सरकारी क्षेत्र का विरोध करता हूं और इस प्रक्रिया में सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की बजाय गैर-सरकारी क्षेत्र पर अधिक निर्भर होती जा रही है। उदाहरण के लिए रेलवे को लीजिए। सामान की ढुलाई के लिए रेलवे को सुदृढ़ क्यों नहीं किया जाता ? सामान तथा अन्य चीजों की ढुलाई के लिए रेलवे प्रणाली में कुछ और सुधार के लिए क्या किया जा रहा है ? जो रेलवे बजट में चर्चा के दौरान आ रहा है। अब उन्होंने गैर-सरकारी परिवहन प्रणाली के पनपने की खुली छूट दे दी है। मुझे उस पर कोई एतराज नहीं है। 1975 में 5300 परमिट दिये गये थे और 1985 में 32,100 दिये गये थे। यह कितनी असामान्य बढ़ोत्तरी है ? लोगों की मांग और आवश्यकता को देखते हुए इसे और बढ़ाना चाहिए। मुझे इसके लिए कोई एतराज नहीं है लेकिन स्पष्ट बात यह है कि वित्त मंत्री पेट्रोलियम उत्पादों की खपत को कम करने के लिए प्रतिबन्ध लगाने पर दबाव डालते हैं। जब आपने कारों के निर्माण के लिए लाइसेंस और परमिट दिए हैं तो आप इस उद्देश्य को प्राप्त करने में कैसे सफल हो सकते हैं। जब आप बसों, लारियों, आदि की संख्या इसी प्रकार बढ़ाते रहेंगे तो पेट्रोल की खपत बढ़ेगी ही। जब बजट पर चर्चा होने जा रही है और जहां तक सड़क परिवहन और दूसरे परिवहन का संबंध है आप बुनियादी सिद्धान्तों और मूलभूत उद्देश्य का उल्लंघन कर रहे हैं। अब आपने अपने बचाव के लिए गैर-सरकारी क्षेत्रों की ओर देखा है। आप सरकारी क्षेत्र को सुदृढ़ नहीं करने जा रहे हैं।

जहां तक राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क दुर्घटनाओं में शिकार हुए व्यक्तियों के परिवारों को मुआवजा देने के लिए केन्द्रीय निधि का सम्बन्ध है, लोगों को इस बारे में उपलब्ध सुविधाओं का कुछ पता नहीं है। दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ रही है। इसलिए यह आवश्यक है कि इस सम्बन्ध में व्यापक प्रचार किया जाये, ताकि प्रभावित लोग इस बारे में जान सकें और इस निधि का लाभ उठा सकें। मेरे विचार में इससे उन लोगों को मदद मिलेगी जो राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाओं से प्रभावित होते हैं।

इन शब्दों के साथ ही मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

जल भू तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पाइलट) : उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं उन माननीय सदस्यों को, धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस विषय में वास्तव में बहुत रुचि ली है और बहुमूल्य सुझाव दिये हैं। मैं प्रत्येक सदस्य के नाम सहित उनके मुद्दों का जवाब दूंगा। अधिकांश सदस्यों ने सामूहिक रूप से जो मुद्दे उठायें हैं मैं पहले उनका जवाब दूंगा।

माननीय सदस्य श्री सी० जंगा रेड्डी, जिन्होंने सांविधानिक संकल्प पेश किया है, यहां नहीं हैं। इसके बाद बहुत से सदस्यों ने बताया है कि इस अध्यादेश को जारी करने की क्या आवश्यकता थी।

महोदय, मैं इस सदन को यह बात स्पष्ट करता हूं कि संसद की उपेक्षा करने का इस सरकार का कोई इरादा नहीं था। हमने परिवहन विकास परिषद में इस बात पर सर्वसम्मति से फैसला किया। अपने राज्य से प्रत्येक सदस्य, या उस राज्य के परिवहन मंत्री उस समय बैठक में थे। राष्ट्रीय परिवहन समिति ने इस उपाय को अपनाने की सिफारिश की थी। हम सभी ने इसे उच्च प्राथमिकता देने का निर्णय किया था।

जब हमने जांच की तो उसमें कुछ कानूनी खामियां थीं और यह महसूस किया गया कि अगर हम कोई निर्णय लेते हैं तो उनमें कानूनी रुकावटें अवश्य आयेगी और निहित स्वार्थ इसी निर्णय को लागू करने में या जो हम करना चाहते हैं उसमें रुकावट डालेंगे। यह वास्तव में कानूनी कठिनाइयों के कारण और भी कठिन हो जायेगा। इसलिए इसको स्पष्ट करने के लिए लोगों के मस्तिष्क में कोई सन्देह नहीं होना चाहिए। देश के विकास के लिए अच्छे काम के रास्ते में कोई निहित स्वार्थ न आ जाये। हमने इस अध्यादेश को इसलिए जारी किया ताकि इसमें कोई त्रुटि न रहे।

दूसरे मेरे विचार में उस समय सारा सदन मेरे साथ होगा यदि कोई भी बात राष्ट्र के हित में या अच्छाई के लिए की जाएगी। उसमें कोई दो रायें नहीं होनी चाहिए और हमें इसकी परवाह करने की आवश्यकता नहीं है कि इसे जल्दी क्यों नहीं किया गया।

डा० दत्ता सामंत : यह संतोषजनक नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : इन्हें समाप्त करने दें।

श्री राजेश पाइलट : आप इसे चुनौती दे सकते हैं मेरा मुद्दा यह है कि हमने कानूनी खामियों की ओर ध्यान दिया है। अगर कोई अच्छी बात है तो सदन मंजूरी देगा और सदन की भी यह धारणा बनी है। जो भी वक्ता बोला है वह पक्ष में बोला है।

अन्त में मैं इस बात की याद दिलाना चाहता हूं कि हमने लोगों से यह वायदा किया है कि यह एक ऐसी सरकार है जो बहुत तेजी से कार्य करती है या जो तेजी से आगे कार्यवाही करती है। इसलिए अगर कोई काम देश की अच्छाई के लिए है तो अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए नियमों और विनियमों में परिवर्तन करके कम से कम समय में हम करेंगे। हम इस मामले में हिच-किचायेंगे नहीं और हमें इस मामले में किसी की सलाह की आवश्यकता भी नहीं है।

एक माननीय सदस्य : चुंगी कर के बारे में क्या स्थिति है ?

श्री राजेश पाइलट : मैं उस पर भी आ रहा हूं श्री जंगा रेड्डी ने भी इसका उल्लेख किया है।

[हिंदी]

वे इस समय सदन में नहीं है। उन्होंने हिन्दी में अपना भाषण किया, इसलिए मैं हिन्दी में बोल रहा हूं। श्री जंगा रेड्डी ने मोटर व्हीकिल्स एक्ट, 1939 के बारे में कहा। और भी माननीय सदस्यों ने इस बारे में कहा है।

[अनुवाद]

हमें इस बारे में भी चिंता है। और सरकार को भी इस बारे में चिन्ता है और हम इस सम्बन्ध में गम्भीरता से विचार कर रहे हैं। इस बारे में एक समिति भी बनायी गयी है। और हम इस पर कार्य भी कर रहे हैं। हम विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न गाड़ियों के उपयोगकर्ताओं से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और सरकार यथाशीघ्र इसके लिए कोशिश कर रही है।

यह बहुत पुराना अधिनियम है। यह 1939 में लगभग 47 वर्ष पहले बनाया गया था और अब स्थिति बदल गई है, आवश्यकताएं भी बदल गई है हम शीघ्र ही मूल अधिनियम में ठोस

संशोधन करेंगे। हम वास्तव में लोगों की मदद करने के लिए कार्य कर रहे हैं। हमें जो सभी सुझाव प्राप्त हुए हैं उनको इसमें सम्मिलित किया जाएगा और हम निस्सन्देह सदन में आयेंगे।

दूसरा मुद्दा, जो साधारणतया अधिकांश माननीय सदस्यों ने उठाया है गाड़ी चलाने की शिक्षा देने के स्कूलों के बारे में है यह शिकायत प्रत्येक राज्य से आई है। कुछ राज्यों में "ड्राइविंग" स्कूल हैं। मोटर गाड़ी अधिनियम के अधीन हम उनका निरीक्षण करने का प्रयास कर रहे हैं। हम सभी प्रकार के कदाचारों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं और हम इस संबंध में आवश्यक अनुदेश जारी कर रहे हैं कि जो 'ड्राइविंग' स्कूल समुचित रूप से नहीं चल रहे हैं उन्हें बन्द कर दिया जाये।

दुर्भाग्यवश, बहुत से मामले पुणे स्थित ड्राइविंग स्कूलों के हैं, वह राज्य जहां से डा० सामंत आए हैं। श्री जंगा रेड्डी ने भी कहा था कि आंध्र प्रदेश से लोग पुणे आते हैं और अपने लाइसेंस लेकर वापिस चले जाते हैं। हमने राज्य सरकारों से भी इस मामले में समुचित कार्यवाही करने के लिए कहा है क्योंकि ये मामला उनसे सम्बन्धित है।

श्री दत्ता सामंत : लेकिन सरकार तो आपकी है।

श्री राजेश पायलट : आप संसद-सदस्य हैं।

एक और बात चुंगी के बारे में कही गई है। यह भी काफी गम्भीर मामला है। सरकार समान नीति अपनाने का प्रयत्न कर रही है। अभी तक तेरह राज्य चुंगी समाप्त करने के लिए सहमत हो गए हैं और नौ राज्यों में अभी तक चुंगी वसूल की जाती है। हम यह प्रयत्न कर रहे हैं कि सभी राज्य सरकारें समान नीति अपनायें ताकि राज्य सरकारों को कठिनाई न हो और समूचे देश के लिए कोई सरल व्यवस्था हो।

ये मुख्य मुद्दे हैं। एक और बात जो श्री जंगा रेड्डी ने कही है वह राजमार्गों पर निरीक्षण-स्थलों तथा पुलिस कर्मचारियों में भ्रष्टाचार के बारे में है। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों में पुलिस कर्मचारियों में काफी भ्रष्टाचार व्याप्त है। मैं मुख्यमंत्री जी को इस संबंध में कड़ी कार्यवाही करने के लिए लिखूंगा और हम भी इस संबंध में निश्चय ही कारंवाई करेंगे। मैं श्री जंगा रेड्डी से अनुरोध करता हूं कि वे मुख्य मंत्री जी के साथ इस मामले को उठाएं ताकि राज्य में भ्रष्टाचार कम किया जा सके।

श्री जंगा रेड्डी ने कुछ ड्राइविंग स्कूलों तथा अध्यादेश के बारे में भी बात की है। मैंने पहले पैरा में ही ड्राइविंग स्कूलों के संबंध में स्थिति स्पष्ट कर दी है।

[हिन्दी]

श्री वृद्धि चन्द्र जैन जी ने भी ड्राइवर्स और आक्ट्राय के बारे में कहा है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि हम कोशिश कर रहे हैं, जो बाकी नौ स्टेट बची हैं, वह भी खत्म कर देंगी, राजस्थान में भी खत्म नहीं हुआ है, वह भी उनमें से एक है। मैं चाहता हूं कि आप भी इस मामले में हमारी मदद करें। नेशनल हाइवे-15 बाड़मेर से जैसलमेर के बारे में कहा है और जो डिफेन्स में आपने बताई है। मैं इसे डिफेन्स मिनिस्ट्री से दिखवा दूंगा और जो भी मदद मेरे डिपार्टमेंट से हो सकेगी, ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करूंगा। बाइर्कनिंग की बात भी आपने कही है।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : वाइडनिंग की बात तो आपकी है। नेशनल-हाइवे 15, डिफेन्स प्वाइन्ट आफ व्यू से महत्वपूर्ण है।

श्री राजेश पाइलट : वाइडनिंग और लैवल क्रासिंग की बात इन्होंने बताई है। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप दोहरी सड़कें बनाना शुरू करें। कई स्थानों पर सड़कें चौड़ी करने से भी काम चल जाएगा। दोहरी सड़कें भी बनाई जानी चाहियें।

श्री राजेश पाइलट : हमने अधिक यातायात वाले कुछ राजमार्गों को इसके लिए चुना है और सातवीं पंचवर्षीय योजना में हम एक निश्चित पैरामीटर के भीतर कुछ सड़कों को दोहरा करेंगे। यातायात की अधिकता को देखते हुए कुछ सड़कों पर चौथी लाईन भी बनाई जाएगी।

[हिन्दी]

नेशनल हाइवे-15 के वाइडनिंग के बारे में मैं दिखवाकर माननीय सदस्य को बता दूंगा। श्री सत्यगोपाल मिश्र जी ने भी कहा है कि इस एक्ट से प्राइवेट पार्टियों को ज्यादा वक्त मिलेगा और यह भी कहा कि सरकार की हमदर्दी प्राइवेट पार्टियों की तरफ है। मैं, हाऊस को बहुत साफ लफजों में यह बता देना चाहता हूं कि ऐसा कोई इरादा नहीं है कि हम प्राइवेट पार्टियों को एन्टरटेन करते हों या उनकी मदद करने में ज्यादा इन्टरेस्टेड हों। हमने एक सेफगार्ड रखा है कि कोई भी कम्पनी सात परमिट से ज्यादा नहीं ले पाएगी और कोई भी इन्डीविजुअल तीन परमिट से ज्यादा नहीं ले सकेगा। फ्रीडम हमने कर दी है। वह इसी हिसाब से दी है कि मोनोपाली न रहे। जिसके पास पैसा है, रिसोर्सेज हैं, उसकी मोनोपली हो जाती है। इस आदेश से गरीब आदमी को यह हक होगा कि वह अपनी गाड़ी खरीदे और जिस स्टेट में रहता है, वहां रजिस्ट्री कराए और जिस स्टेट में जाना चाहता है वहां का टैक्स दे और जहां मर्जी जाए। आपने दूसरे ढंग से सोचा है लेकिन हमारा उददेश्य दूसरा है। डागा जी ने भी करप्शन की बात कही है। एम० वी० एक्ट 1939 के बारे में उन्होंने जिक्र किया था। मैंने अभी बताया था कि आक्ट्राय सब जगह से हटना चाहिए। ड्राइवर्स के स्कूल के बारे में भी उन्होंने कहा है। रोड कन्सट्रक्शन के बारे में उन्होंने कहा कि शिकायतें मिलती रहती हैं। नेशनल हाइवे के लिए केन्द्र सरकार स्टेट गवर्नमेंट को पैसा दे देती है। स्टेट गवर्नमेंट अपनी पी० डब्ल्यू० डी० के द्वारा काम करवाती है। हमको कुछ शिकायतें जरूर मिली हैं कि काम नहीं होता है। हम इसको दिखवा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हर टेण्डर जब स्टेट पी० डब्ल्यू० डी० खोले तो उसमें उस वक्त सेन्ट्रल गवर्नमेंट का एक आदमी वहां पर मौजूद हो, जिससे वह देख सके कि सही तरीके से काम हो रहा है और केन्द्र का पैसा सही तरीके से लग रहा है।

[अनुवाद]

श्री कृष्ण अय्यर ने कहा है कि कर्नाटक में राष्ट्रीय राजमार्ग की लम्बाई अन्य राज्यों की तुलना में कम है।

उपाध्यक्ष महोदय : राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 पर बंगलौर से होसुर तक यातायात काफी अधिक है। इसलिए उस सड़क को चौड़ा करने, बल्कि उसे दोहरा करने की आवश्यकता है। क्योंकि अब उस सड़क पर बंगलौर से होसुर जाना संभव नहीं है।

श्री राजेश पायलट : हमने सातवीं पंचवर्षीय योजना में उन राज्यों में काम करने का प्रयत्न किया है जहां पर इसकी आवश्यकता अधिक है और राष्ट्रीय राजमार्ग के मानदण्ड पूरे हैं।

उन्होंने ड्राइवरों के बारे में भी कहा है। उन्होंने कहा है कि लम्बा सफर तय करने वाले ड्राइवर थक जाते हैं। हम ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं जिसमें प्रत्येक 50 या 60 कि०मी० के बाद एक छोटा 'मोटल' अथवा 'रेस्ट रूम' होगा। जहां पर एक प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र, एक पुलिस चौकी, एक पेट्रोल पम्प और एक छोटी वर्कशाप होगी। हम यह कार्य राज्य सरकारों की सहायता से करने का प्रयत्न कर रहे हैं। यदि वे चाहें तो केन्द्र उनकी यथासम्भव मदद करेगा। किन्तु ये बहुत बड़ी परियोजना होगी। वित्तीय संसाधनों की बहुत बड़ी समस्या है। अतः यह मामला हमारे विचाराधीन है। आपने आज जो सुझाव दिया है वह बहुत अच्छा है और हम उस पर गम्भीरता से विचार कर रहे हैं।

उन्होंने रेलवे लाइनों पर पुलों तथा लेवल-क्रासिंग के बारे में भी कहा है। मैं यह मामला अपने साथी विभाग से उठाऊंगा और जहां कहीं इस कार्य के लिए धन उपलब्ध होगा हम इसे अवश्य करेंगे।

श्री नामग्याल ने जम्मू और काश्मीर के बारे में कुछ बातें कहीं हैं। मैं उनसे इस बात पर सहमत हूं कि इससे जम्मू और काश्मीर की विशेषकर ताजे फल देश के अन्य भागों में भेजने के समय सुविधा होगी।

श्री दत्ता सामंत ने भी इस अध्यादेश की अत्यावश्यकता के बारे में कहा है। उन्होंने भ्रष्टाचार के बारे में भी कहा है। मैंने उनकी दोनों बातों का जवाब दे दिया है।

श्री दत्ता सामंत : मजदूरों की सेवा-शर्तों के बारे में क्या रहा ?

श्री राजेश पायलट : मैं उसी बात पर आ रहा हूं। उन्होंने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों का कोटा समाप्त करने के बारे में कहा है। जब कोई प्रतिबंध न हो, तो वास्तव में कोटे की आवश्यकता ही नहीं रहती। इस अध्यादेश के पीछे उद्देश्य यह है कि इस में किसी को अड़चन नहीं होनी चाहिये। अभी तक अनुसुचित जाति के गरीब लोगों के लिए यह कठिन काम था। इसमें कोई संदेह नहीं कि उनके लिए आरक्षण किया गया था लेकिन इसका लाभ उन तक उस रूप में नहीं पहुंच रहा था जिसमें पहुंचना चाहिए। इसलिए हम आरक्षण समाप्त करने पर मजबूर हुए हैं ताकि कोई भी अनुसूचित जाति का व्यक्ति किसी भी कार्यालय में जाकर यह कह सके कि "मैंने सरकारी नीति के अंतगंत ये ट्रक खरीदा है और इसे फलां-फलां स्थानों पर चलाना चाहता हूं।" अब यदि कोई अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति छोटा-मोटा उद्योग लगाता है तो उसे ट्रांसपोर्टर पर निर्भर नहीं करना पड़ेगा। वह स्वयं अपना ट्रक खरीद सकता है और उद्योग की अपने तरीके से मदद कर सकता है और उसे अन्य ट्रांसपोर्टरों पर निर्भर नहीं करना पड़ेगा। अतः जो बात माननीय सदस्य कहना चाहते हैं वह पहले ही हमारे दिमाग में है और इसीलिए हमने आरक्षण समाप्त किया है।

उन्होंने एक और बात जो उठाई है वह श्रम कानूनों के बारे में है। उन्होंने कहा कि ड्राइवरों क्लीनरों तथा अन्य व्यक्तियों की न्यूनतम मजदूरी के बारे में कोई कानून नहीं है। मैं इस बात के बारे में ज्यादा नहीं कह सकता किन्तु मैं निश्चय ही श्रम विभाग तथा श्रम मंत्री से सम्पर्क करूंगा...(व्यवधान)

श्री दत्ता सामंत : लाखों मजदूर इससे सम्बन्धित हैं।

श्री राजेश पायलट : जो सरकारी क्षेत्र में हैं उनके लिए तो कानून है लेकिन मैं इस बात से सहमत हूं कि गैर-सरकारी चालक अथवा गैर-सरकारी बस ट्रक आदि के मालिकों के लिए कोई विस्तृत कानून नहीं है, किन्तु मैं इस सम्बन्ध में श्रम विभाग से बात करूंगा या आप ये प्रश्न सीधे श्रम मंत्री के साथ उठा सकते हैं। वे वास्तव में आपको इस विषय पर बेहतर जानकारी दे सकते हैं किन्तु मैं अपनी तरफ से भी उनको पत्र लिखकर आपके विचारों से उन्हें अवगत करा दूंगा।

उन्होंने ये भी कहा है कि लोग शराब पीते हैं। मैं असमंजस में हूं। एक ओर तो आप ये कहते हैं कि इनकी मजदूरी बहुत कम है और दूसरी ओर आप कहते हैं कि ये शराब पीते हैं। बहरहाल ये आपके द्वारा उठाई गई बातों में से एक है। हमने राजमार्गों पर गश्त लगाने की एक योजना पर काम शुरू कर दिया है। हम इसे अलग-अलग चरणों में इसी इरादे से शुरू कर रहे हैं कि पहले महत्वपूर्ण राजमार्ग पर केवल 100 कि० मी० पर इसलिए गश्त की जाये कि ड्राइवरों तथा यात्रियों को सुरक्षा प्रदान की जा सके और ये भी कि वे यह जान सकें कि कोई उनकी निगरानी कर रहा है। इन दिनों ट्रक बुरी तरह लदे हुए होते हैं। कई बार रात के समय हम देखते हैं कि माल ट्रक के पीछे तक घिसट रहा होता है। ट्रक इतनी बुरी तरह भरे होते हैं कि ड्राइवरों के बैठने के लिए जगह ही नहीं होती। अतः इन सभी कारणों से हम राजमार्गों पर गश्त लगाना शुरू कर रहे हैं।

श्री राजहंस ने भी ड्राइवरों के बारे में यही बात कही है। उन्होंने ड्राइवरों की डाक्टरी जांच का सुझाव दिया है। कुछ राज्यों में ड्राइविंग स्कूल हैं तथा कुछ अन्य राज्यों में उनकी डाक्टरी जांच की व्यवस्था है। किंतु ये ऐसी बात है जिसके बारे में सभी राज्यों से शिकायत प्राप्त हुई है। सरकार मोटर-गाड़ी अधिनियम में संशोधन करते समय इस बात को ध्यान में रखेगी तथा यह सुनिश्चित करेगी कि सुरक्षात्मक उपाय किए जायें और हम उन पर नजर रख सकें।

[हिंदी]

दूसरे उन्होंने कहा कि डी० टी० सी० की बसों में चलें,

[अनुवाद]

मैं इसके बारे में पहले ही कह चुका हूं। मैं महीने में एक बार अवश्य डी० टी० सी० की बस में यात्रा करता हूं ताकि मैं स्वयं वस्तुस्थिति देख सकूं। डी० टी० सी० में भी ऐसे अधिकारी हैं जिन्हें माह में दो बार डी० टी० सी० की बसों में यात्रा करनी होती है। अतः हम देख रहे हैं कि हम जो कुछ डी० टी० सी० में करना चाहते हैं वह पूरी तरह कार्यान्वित हो।

[हिन्दी]

तीसरी बात उन्होंने डी० टी० सी० के भाड़े के बारे में कही है।

[अनुवाद]

मैं पहले ही इस बारे में जनवाणी तथा अन्य कार्यक्रमों में इसके बारे में बता चुका हूं। सरकार इस स्थिति में पहुंच चुकी थी कि यदि हम यह कदम न उठाते तो 3 वर्षों के बाद हो सकता है कि हम दिल्ली के यात्रियों को ये सेवा प्रदान करने की स्थिति में ही न होते। क्योंकि

1948 से अब तक दिल्ली परिवहन व्यवस्था के भाड़े में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। एक यात्री जो 1948 में 31 पैसे में यात्रा करता था 1986 में 40 पैसे में यात्रा करता था। इसलिये हम इस व्यवस्था को और नहीं चला सकते थे। आज हम 42 लाख व्यक्तियों को रोज लाते-ले जाते हैं। बसें एक दिन में 11 लाख किलोमीटर चलतीं हैं। 5400 बसें चल रही हैं। मांग प्रतिदिन बढ़ रही है। बसें पुरानी हो चुकी हैं। उन्हें बदलने की आवश्यकता है। हम महसूस करते हैं कि जनसाधारण को यह बात चुभेगी। वह बहुत समय से 40 पैसे देते आ रहे थे। अब उन्हें अचानक ही एक रुपया देना पड़ा है तो उन्हें चुभेगा। हमने भी यह बात महसूस की थी। हमें भारी मन से यह काम करना पड़ा है। सेवा की बेहतरी तथा यात्रियों की सुरक्षित यात्रा के लिए यह आवश्यक था। इसके बाद श्री पाणिग्रही ने दुर्घटनाओं में वृद्धि तथा सड़कों के लिए निधि की बात कही है। मैं उनके विचारों से सहमत हूं कि सड़कों के लिए अधिक आवंटन तथा अधिक ध्यान की आवश्यकता है। मैं उन्हें सूचित करना चाहूंगा कि सरकार को इस बात की चिंता है तथा हम इस बात के लिए प्रयत्न कर रहे हैं कि समग्र सड़क क्षेत्र को अधिक प्राथमिकता दी जाएगी।

[हिंदी]

चौबे जी ने परमिट के बारे में कहा है कि दिक्कतें बहुत बढ़ गई हैं और उन्होंने हिन्दी में एक कहानी भी सुनाई कि तीन अंधे हाथी को देखने जा रहे थे। मैं भी उनको सुना दूं, हालांकि वे यहां इस समय मौजूद नहीं हैं। जब पहली बार मैं 1980 में पार्लियामेंट में मेम्बर चुनकर आया, तो मैंने देखा कि एक विरोधी पक्ष के नेता जी थे, वे हमेशा अच्छी और सही बात का भी विरोध करते थे। मैंने एक दिन उन नेताजी से कहा कि क्या कारण है कि आप अच्छी और भली बात के ऊपर भी हमेशा आब्जेक्शन करते हैं? वे मुझे यहां से बुलाकर बाहर, लॉबी में ले गए और उन्होंने कहा कि अगर हम यह नहीं करेंगे, तो हमे बाहर पूछेगा कौन। तब मैं समझा कि क्यों नेताजी आब्जेक्शन लेते हैं। अगर ऐसी इटेंशन है तब तो कोई बात नहीं है और इसी इटेंशन को ध्यान में रखकर उन्होंने ये जोक सुनाया है, और ये बात कही है, तो मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन यह एक अच्छा कदम है और नेशनल परमिट का कोटा कम करने का कदम एक अच्छी भावना से उठाया गया है।

उन्होंने मोनोपोली के बारे में बात कही थी। अब कोई भी इंडीविजुअल 3 परमिट और कोई भी कम्पनी 7 परमिट से ज्यादा ट्रक नहीं ले सकेगी। इसके अलावा उन्होंने उड़ीसा ट्रक रोड के बारे में कहा है। अगर वे मुझे अलग से डिटेल पूरी तरह से लिखकर दे देंगे, तो मैं उन्हें इसका जवाब दे दूंगा।

श्री गिरधारी लाल व्यास जी ने भी करप्शन की बात इसके बारे में कही थी। इस बारें में कि मैल प्रेक्टिसेस हैं, ठीक तरह से परमिट वगैरह नहीं दिए जाते हैं, ये सब बातें हमें सुनाई पड़ी थीं, इन्हीं जजबात को ध्यान में रखकर ये कदम उठाया गया है। अब तो नेशनल परमिट फ्री हो गया है। अब इसमें कोई भी ऐसी लूपहोल नहीं है जहां आदमी गलत काम कर सके। अब तो किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप अपना ट्रक खरीदो और अपनी स्टेट में रजिस्टर्ड कराओ और जिन स्टेट्स में जाना चाहो, उन स्टेट्स का इस बिल का टैक्स भरिए और जाइए। अब इसमें कोई भी स्पेशल परमीशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

मोनोपोली की बात आपने भी कही है। अब ऐसा है कि कम्पनी 7 और व्यक्तिगत रूप से 3 ट्रक से ज्यादा कोई नहीं रख पाएंगे।

आपने एक नैशनल हाइवे नम्बर 8 के बारे में और रेलवे के फाटक के बारे में बात कही है। मैं रेलवे मन्त्रालय से बात करूंगा और उन्हें बताऊंगा। वैसे अगर वे अपनी ओर से भी सीधे रेलवे मंत्रालय को लिखें, तो बहुत अच्छा होगा। वे अपनी ओर से सीधे इन बारे में आपको जवाब दे देंगे। स्टेट हाइवे नम्बर 4 के बारे में इन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं। मैं उन्हें देख लूंगा। अगली बार जब स्टेट हाइवे नैशनल हाइवे में सिलैक्ट होंगे, उस समय, अगर ये सिलेक्टेड नार्म्स पूरी करेगा और इसके बारे में राजस्थान सरकार की ओर से भी रिक्वायरमेंट आएगी, तो इसके बारे में भी जरूर ध्यान रखेंगे।

[अनुवाद]

फिर, श्री राममूर्ति ने व्यापक मोटर यान अधिनियम के विषय में कहा है। मैं उनसे पूर्णतया सहमत हूं कि हमें इस पुराने अधिनियम में जो कि 1939 से अस्तित्व में है, परिवर्तन करने की आवश्यकता है। मैंने आपको पहले ही आश्वासन दिया है कि सरकार पुराने विधेयक में व्यापक संशोधन करने जा रही है जो कि सुरक्षित वाहन-चालन की सभी वर्तमान जरूरतों को पूरा करेगा और इस समय की परिवहन प्रणाली में सुरक्षा के लिये जो भी आवश्यक हो उसकी व्यवस्था करेगा।

संसद के विषय में एक बात कही गई जिसका कि मैंने आपसे उल्लेख किया है। हमारा संसद के महत्व को कम करने या उसको कमजोर करने का कोई इरादा नहीं है। इरादा तो यह था कि इसको जितना शीघ्र हो सके किया जाय, अतः जब राष्ट्र के लिये कोई अच्छा काम करना होता है तो हम वे सभी कदम उठाने में नहीं झिझकते जो आवश्यक हों।

ईंधन की खपत के सम्बन्ध में, आपने यह कहा है। विचार यह है कि वर्तमान व्यवस्था में जो व्यवधान हैं उन्हें दूर किया जाय। जब प्रतियोगिता अच्छी होगी तो मूल्य-रेखा भी नीचे आ जायेगी। जब परिवहन में अच्छी प्रतियोगिता होगी तो उसमें कोई भी मूल्य निश्चय ही उस ओर अपना योगदान देगा और कीमतें नीचे आ जायेंगी, क्योंकि प्रतियोगिता अच्छी है। अतः इन उद्देश्यों से हमने ऐसा किया है।

प्रचार करने का जहां तक सम्बन्ध है, मैं अवश्य सहमत हूं और उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से, संसद के सभी सदस्यों से, चाहे उनकी राजनैतिक विचारधारा और राजनैतिक दल कोई भी हों, अनुरोध करूंगा कि केन्द्र सरकार की जो नीतियां जनसाधारण के लिये हैं उनके विषय में हमारा कर्तव्य है कि हम जाकर जनसाधारण को बताएं कि यह केन्द्र सरकार की नीति है यह राज्य सरकार की नीति है, यह आपके हित में है, आप अपने हित में इन नीतियों का उपयोग कीजिये। अतः मैं सभी संसद सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे हमारी सहायता करें तथा लोगों को बताएं कि "यह आपका विशेष अधिकार है यह आपके लिये है। आप जाकर इसे सरकार से लीजिये और सरकार आपके लिये, यह सब करेगी।" प्रेस और अन्य लोगों द्वारा किये जाने वाले प्रचार पर निर्भर रहने के बजाय, हमें लोगों के पास जन प्रतिनिधियों के रूप में लोगों के पास जाना चाहिये और उनको बताना चाहिये कि सरकार क्या कर रही है ताकि उन्हें मालूम हो सके कि सरकार ने क्या किया है और सरकार क्या कर रही है।

महोदय, इन शब्दों के साथ ही मैंने उन सभी मुद्दों पर प्रकाश डाल दिया है जिनका माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया था।

श्री सत्यगोपाल मिश्र (तामलुक) : तेल की खपत के बारे में क्या है ? आप इसको किस प्रकार कम करने जा रहे हैं ?

श्री राजेश पाइलट : नहीं, नहीं, ऐसा कोई इरादा नहीं है कि आपको गाड़ियों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी । विचार यह है कि प्रणाली में जो व्यवधान हैं उन्हें हटाया जाय । मैं इस समय यह नहीं कह रहा कि यह मुफ्त है और हर कोई खरीदेगा । इसे खरीदने के लिये आपके पास पैसा होना आवश्यक है । ट्रक खरीदने के लिए आपके पास कुछ गुंजाइश होना भी जरूरी है आप यूं ही एक ट्रक को खरीदकर उसे सड़क पर नहीं ला सकते । आप के पास कुछ संसाधन होने आवश्यक हैं । अतः इससे संसाधनों में वृद्धि नहीं होगी । यह तो एक सुचारू रूप से कार्य करने के लिये, तथा देश में एक बेहतर अर्थव्यवस्था के लिये रास्ते में जो रुकावटें हैं उन्हें दूर करने के लिये है ।

उपाध्यक्ष महोदय : चूंकि श्री जंगा रेड्डी उपस्थित नहीं हैं, मैं उनके द्वारा प्रस्तुत सांविधिक संकल्प को सभा में मतदान के लिए रखूंगा ।

प्रश्न यह है .

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 28 जनवरी, 1986 को प्रख्यापित मोटर-यान (संशोधन) अध्यादेश, 1986 (1986 का) अध्यादेश संख्या 4 का निरनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिये रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि मोटर-यान अधिनियम 1939 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित, रूप में विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ करेगी ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 5 विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2 से 5 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन् सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

श्री राजेश पायलट : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

2.58 म० प०

रेलवे बजट 1986-87—सामान्य चर्चा

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 19 को लेते हैं—रेलवे बजट पर सामान्य चर्चा।

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी (मंदसौर) : उपाध्यक्ष महोदय, इतना अच्छा बजट है कि इस पर बहस करने की क्या जरूरत है। इसे बिना बहस ही पास कर दिया जाये।

श्री रघुमा रेड्डी (नालगोंडा) : बैरागी साहब के लिए अच्छा है तो क्या पब्लिक के लिये भी अच्छा है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यदि लोग इस विषय पर कुछ कहना चाहते हैं तो उन्हें कहने दीजिये। हो सकता है और लोग कुछ कहना चाहें/शायद वे इससे और भी "अच्छा" बनाने के लिये कुछ और बातें जोड़ना चाहें।

अब, श्री शोभनाद्रीश्वर राव, चर्चा की शुरूआत कर सकते हैं।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे रेलवे बजट पर चर्चा की शुरूआत करने का अवसर दिया।

महोदय, मुझे यह विस्तार में बताने की जरूरत नहीं कि इस देश की अर्थव्यवस्था में रेलों की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। इस तथ्य से कि यह एशिया में सबसे बड़ी है इस बात का पता चलता है कि हमारे देश के विकास में यह संगठन कितना महत्वपूर्ण है। रेलवे के बिना कोयले, खनिज, अयस्क तथा अन्य प्रकार के कच्चे माल की, जो कि बहुत से उद्योगों तथा विद्युत उत्पादक संयंत्रों के लिए आवश्यक हैं, ढुलाई सम्भव न हो पातीं।

3.00 म० प०

[श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए]

इसी प्रकार, चूंकि हमारा देश अभी भी मुख्यत: कृषि पर निर्भर है, बीजों और उर्वरक की ढुलाई में रेलवे की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है साधारण जनता के लिये खाद्य पदार्थों की पूर्ति के सम्बन्ध में भी रेलवे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

यह साधारण व्यक्ति के लिये देश के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचने के लिये यातायात का सबसे सस्ता साधन है। इतना होते हुए भी, यह दुर्भाग्य की बात है कि सरकार रेलवे क्षेत्र पर उतना ध्यान नहीं दे रही है जितना कि उसे देना चाहिये। दरअसल, सम्पूर्ण योजना व्यय के

प्रतिशत के रूप में रेलवे पर व्यय लगातार कम होता जा रहा है। पहली योजना में यह 11.05 प्रतिशत था, दूसरी योजना में यह बढ़ कर 15.43 प्रतिशत हो गया और तीसरी योजना में 15.45% हो गया। और फिर, चौथी योजना के बाद यह कम हो गया। वस्तुतः, रेलवे अभिसमय समिति ने, जिसने कि इस पहलू पर विस्तार से विचार किया, रेलवे के लिये आबंटन में कमी किये जाने पर अत्यन्त निराशा एवं क्षोभ व्यक्त किया।

छठी योजना में जो 5100 करोड़ रु० का वर्तमान आबंटन किया गया है वह बहुत अधिक लगता है। लेकिन यदि हम इस पर गौर करें तो देखेंगे कि छठी योजना पर कुल व्यय 97,500 करोड़ रुपये है और यह 5.23% ही बैठता है। इस कारण, रेलवे कोई प्रभावकारी भूमिका नहीं निभा पाई और स्थिति इतनी सुखद नहीं है जितनी कि हमारे रेलवे मन्त्री जी ने उस दस्तावेज के माध्यम से प्रस्तुत करने की कोशिश की है जो उन्होंने हमें दिया है। कुल राजस्व के प्रतिशत के रूप में ब्याजदेय पूंजी1982-83 में 7.6% थी जो 1984-85 में घटकर 3.3% रह गयी है, लाभांश की अदायगी के बाद भी, वर्ष 1982-83 में 118 करोड़ रुपये की बचत थी जबकि वर्ष 1984-85 में 195 करोड़ रुपये का घाटा हुआ, इस प्रकार यह घबराहट पैदा करने वाली बात है, और रेलवे को वित्तीय क्षेत्र में कार्य-निष्पादन में सुधार करना चाहिये।

रेलवे कहती है कि उसके पास माल ढुलाई के लिये पर्याप्त आदेश नहीं हैं, विशेषकर कोयला क्षेत्र से। लेकिन कोयले क्षेत्र के लोग कहते हैं कि उनके पास जो कोयला है उस की ढुलाई के लिये उन्हें आवश्यक संख्या में डिब्बे नहीं मिलते। आप अच्छी तरह जानते हैं कि कोल इण्डिया लिमिटेड तथा अन्य सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, जो कि कोयला उत्पादन के क्षेत्र में हैं, के पास रिकार्ड में भण्डार हैं। यह असंगति दूर की जानी चाहिये। रेलवे तथा कोल इण्डिया दोनों ही सार्वजनिक प्रतिष्ठान हैं और सदस्यों के सामने एक बड़ा प्रश्न आ जाता है : "किस पर विश्वास करें, रेलवे मन्त्री पर या कोल इण्डिया के लोगों पर।"

रेलवे, बिना टिकट यात्रा की घटनाओं को कम करने और रोकने के लिये अपनी ओर से जरूर भरसक प्रयत्न कर रही है। लेकिन फिर भी, इस देश के कुछ भागों में लोग यह समझते हैं कि वे बिना टिकट खरीदे हुए यात्रा कर सकते हैं, बिना टिकट यात्रा करने वालों पर रेलवे को और अधिक दण्ड लगाना चाहिये ताकि उन लोगों की, जो कि बिना टिकट यात्रा करना चाहते हैं, प्रवृत्ति पर तथा मानसिकता पर अंकुश लगाया जा सके तथा रोक लगायी जा सके इस वित्तीय कमी के कारण या रेलवे के लिये, धन की अपर्याप्त व्यवस्था के कारण इन 34 वर्षों में 8.266 किमी० नई लाइनों को बिछाया गया है। इन 34 वर्षों में रेल पटरी की कुल लम्बाई बढ़कर केवल 17,600 किमी० हुई है। इस विशाल देश के विशाल क्षेत्र, जनसंख्या तथा लोगों की आवश्यकताओं को देखते हुए, मैं कहूंगा कि हमारी उपलब्धि कोई ज्यादा नहीं है। छठी योजना के दौरान धन-राशि की कमी के कारण रेलवे निर्धारित लक्ष्य के बराबर डिब्बे प्राप्त नहीं कर सकी है और प्रारम्भ में एक लाख डिब्बे प्राप्त करने की योजना थी जो कि 80,000 तक ही सीमित रह गयी है। आखिरकार, रेलवे ने 72,000 डिब्बे प्राप्त किये। बिडम्बना यह है कि उसी अवधि के दौरान 84,000 डिब्बे प्रयोग के अयोग्य घोषित कर दिये गये। इसका अर्थ है कि देश में माल की ढुलाई के लिये रेलवे अतिरिक्त डिब्बे उपलब्ध नहीं करा सकी जबकि माल ढुलाई के लिये मांग दिन प्रति दिन बढ़ रही है, इसी प्रकार केवल 5,326 यात्री-डिब्बे प्राप्त किये गये जबकि 5,752 यात्री-डिब्बे

प्रयोग के अयोग्य घोषित कर दिये गये। रेलवे और अधिक यात्री-डिब्बे प्रयोग में नहीं ला सकी। कुल संख्या और भी कम रही।

जहां तक पटरी के नवीनीकरण का सम्बन्ध है, छठी योजना के प्रारम्भ में 13,000 किमी० पटरी के नवीनीकरण का काम बाकी पड़ा था।

छठी योजना के दौरान 14000 किमी० पटरी के नवीनीकरण की योजना बनी थी। केवल 9,500 किमी० का नवीनीकरण किया गया और इसलिये छठी योजना के अन्त तक पटरी के नवीनीकरण का बकाया बढ़कर 18000 किमी० हो गया।

जहां तक विद्युतीकरण का प्रश्न है, बी०डी० पाण्डे समिति ने सुझाव दिया था दुर्लभ-संसाधनों के अर्थात ईंधन के कुशल प्रयोग हेतु रेलवे को अधिक से अधिक विद्युत का प्रयोग करना चाहिये। 1960-70 के दशक के दौरान लाइनों का विद्युतीकरण लगभग 320 किमी० प्रति वर्ष हुआ था। लेकिन 1970-80 के वर्षों के दौरान यह कम होकर 200 किमी० प्रति वर्ष रह गया और अन्तत: 1980-85 के वर्षों में यह केवल 300 किमी० प्रति वर्ष रह गया है। छठी योजना के दौरान 2,800 किमी० मार्ग का विद्युतीकरण किये जाने का विचार था, लेकिन केवल 1,500 किमी० मार्ग का ही विद्युतीकरण किया गया। इससे पता चलता है कि रेलवे के विद्युतीकरण में सरकार द्वारा कितनी लापरवाही की गयी है।

मद्रास से नई दिल्ली तक के मुख्य मार्ग का विद्युतीकरण बहुत पहले प्रारंभ हो गया था। उस लाइन का अभी विद्युतीकरण किया जाना है। यात्रियों की संख्या में 160% वृद्धि हो रही है। लेकिन यात्री वाहन में केवल 127% की दर से वृद्धि की जा रही है। अतः सरकार को मेरा सुझाव है कि वह गाड़ियों की खरीद और रेल मार्गों के नवीकरण के लिए अधिक धन दे क्योंकि रेलों के कारगर ढंग से चलने के लिए ये बहुत महत्व रखते हैं।

अब मैं दुर्घटना जैसे महत्वपूर्ण पहलू को लेता हूं। 10,000 से अधिक लोकोमोटिवों 38,000 रेल के डिब्बों और 5 लाख माल ढोने के वैगनों के साथ चलाना आसान नहीं है। यह बहुत भारी काम है। हम मानते हैं। मैं भी मानता हूं। हम मानते हैं कि रेलवे दुर्घटनाओं को कम करने के लिए यथा सम्भव प्रयास कर रही है। लेकिन इसके बावजूद हमें वास्तविकता को समझना चाहिए। 1984-85 में दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई और 194 व्यक्ति मारे गए। जबकि 1983-84 में दुर्घटनाओं में केवल 87 व्यक्ति मरे थे। दुर्भाग्य की बात है कि जिस समय रेल मन्त्री रेल बजट प्रस्तुत कर रहे थे उसी समय तमिलनाडु एक्सप्रेस के एक डिब्बे में आग लग गई। हाल ही में हमें एक कड़वा अनुभव हुआ। एक एक्सप्रेस गाड़ी केरल में एक भीड़ को रौंदती हुई निकल गई जिससे बहुत से लोगों की मौत हो गई। मुझे बहुत हैरानी हुई। यह ठीक है कि लोगों की गलती थी कि वे रेल मार्ग पर इकट्ठे हुए। लेकिन पुलिस वाले भी वहां थे। उन्हें रेलगाड़ी को रोकने का प्रयास करना चाहिए था अथवा उन्हे समीप के रेलवे स्टेशन को इस आशय का संदेश भेजना चाहिए था कि लोग वहां इकट्ठे हैं इसलिए रेलगाड़ी को धीरे चलाया जाए। रेल मार्ग पर बहुत से लोग इकट्ठे थे। रेलगाड़ी को चला रहे ड्राईवर को भी यह बात नोट करनी चाहिए थी और गाड़ी को रोक देना चाहिए था। लेकिन ड्राईवर के लापरवाहीपूर्ण और गैर जिम्मेदाराना और व्यवहार के कारण बहुत से लोगों की जान चली गई।

माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत कागजातों को पढ़ने से पता चलता है कि ऐसी दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है जिनके लिए सीधे तौर पर रेल कर्मचारी जिम्मेवार हों। 1983-84 में ऐसी 172 दुर्घटनाएं हुई थी जबकि 1984-85 में 312 दुर्घटनाएं हुई। इसका मतलब है कि इनमें वृद्धि हुई है। इसलिए इन बढ़ती हुई दुर्घटनाओं के बढ़ने की इस प्रवृत्ति को रोकने लिए कुछ किया जाना चाहिए। इसी तरह उपकरणों, संयोजकों, ड्राफ्ट गियरों और स्थायी तरीकों के काम न करने से भी ये दुर्घटनाएं होती हैं।

जहां तक रेलवे फाटकों पर होने वाली दुर्घटनाओं का सम्बन्ध है, बहुत दुःख की बात है कि 37,000 रेलवे-फाटकों में से केवल 15,000 पर इस समय व्यक्ति तैनात हैं। मेरा सुझाव है कि शेष लगभग 20,000 रेलवे-फाटकों पर किसी व्यक्ति की तैनाती न करने की बजाय, वहां शारीरिक तौर पर अपंग उन गरीब व्यक्तियों की नियुक्ति की जाए जिनके पास देश के दूर दराज स्थित गांवों में करने के लिए कोई काम नहीं है। ठेके के आधार पर आप इन गरीब व्यक्तियों को रेलवे फाटक पर तैनात करें तथा उन्हें जीविका कमाने का अवसर दें। दूसरों को आप जितना वेतन देते हैं उन्हें उतना मत दीजिए। उन्हें कोई न्यूनतम वेतन दीजिए ताकि वह अपनी जीविका कमा सकें।

जहां तक मुआवजे का सम्बन्ध है, इसकी अदायगी एक बहुत पुराने अधिनियम अर्थात् भारतीय रेल अधिनियम 1880 के तहत की जाती है। आप निकट संबंधी को केवल 1000 रुपए देते हैं। 1000 रुपए में वह क्या कर सकता है? क्या वह इससे दाह संस्कार क्रिया कर सकता है? मेरा सुझाव है कि आयोग द्वारा निर्धारित किए जाने वाले मुआवजे की राशि देने से पूर्व अनुग्रह-पूर्वक अनुदान की राशि बढ़ाकर कम से कम 3000 रुपए कर दी जाए ताकि ये भाग्यहीन व्यक्ति उन अनिवार्य औपचारिकताओं को पूरा कर सकें।

रेलवे अभिसमय समिति ने 1980 में कुछ सिफारिशें की थीं जिन्हें रेलवे बोर्ड ने स्वीकार कर लिया था पर व्यवहार्यतः उन्हें लागू नहीं किया गया। अतः मेरा सुझाव है कि रेलवे बोर्ड इन सब सिफारिशों को लागू करे ताकि मुआवजे की राशि के बारे में निर्णय लेने और प्रभावित व्यक्तियों की यथा शीघ्र सहायता करने के लिए जरूरी तन्त्र की तत्काल स्थापना की जा सके।

जहां तक यात्रियों की सुविधाओं का सम्बन्ध है, उन्हे आज-कल खाना अलमूनियम की पन्नी से बने पैकट में सप्लाई किया जाता है। सामिष भोजन की कीमत 13.5C रुपए है और वह भी दहीं के बिना। यह कीमत बहुत ज्यादा है। आप कल्पना नहीं कर सकते। आप रेल में यात्रा करने वाले द्वितीय श्रेणीके या आम यात्रियों की तुलना उनसे नहीं कर सकते जो हवाई जहाजों में यात्रा करते हैं जहां इस तरह का भोजन परोसा जाता है। भोजन की किस्म भी मानक स्तर की नहीं है। मैं तो यही कहूंगा। इसी तरह वह शाकाहारी नाश्ते में दो बड़े देते हैं जोकि एक बड़े के बराबर भी नहीं होते। इसके आकार को इतना कम करके वह यात्रियों के साथ काफी अन्याय कर रहे हैं।

जहां तक स्टाफ का सम्बन्ध है, चौथे वेतन आयोग की रिपोर्ट अभी आनी है। वस्तुतः मंत्री मण्डल सचिव और केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की संयुक्त परामर्शदात्री तन्त्र ने आश्वासन दिया था कि यात्रा भत्ता, महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता तथा नगर प्रतिपूरक भत्ते के सम्बन्ध में रिपोर्ट का एक भाग अक्तूबर 1984 तक प्रस्तुत कर दिया जाएगा। लेकिन वह आश्वासन पूरा नहीं किया गया। इसलिए सरकार को मेरा सुझाव है कि वह आयोग से अपनी रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत

करने के लिए कहे ताकि कर्मचारियों के साथ न्याय किया जा सके।

जहां तक दक्षिण से खासकर मद्रास से आने वाली रेलगाड़ियों में रेल कर्मचारियों की सुविधा देने का सम्बन्ध है, मैंने देखा है कि द्वितीय श्रेणी के डिब्बों में संवाहक के बैठने के लिए सीट नहीं होती। केवल आन्ध्रप्रदेश एक्सप्रेस में यह सुविधा उपलब्ध है। रेलवे बोर्ड ने अपने कर्मचारियों को यह सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सहमति दे दी थी लेकिन दुर्भाग्यवश इस सुविधा को उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। मेरा सुझाव है कि रेलवे यह सुविधा उसी तरह उपलब्ध कराए जैसे आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस में कराई जा रही है।

अकुशल, अर्धकुशल और कुशल रेल कर्मचारियों के पुन: वर्गीकरण के बारे में रेलवे बोर्ड ने श्रम तथा प्रशासन की 20 7-84 को हुई संयुक्त बैठक में एक निर्णय लिया था जिसे कार्यान्वित किया जाना है। महोदय, मुझे गुस्से से नहीं बल्कि खेद से यह कहने को मजबूर होना पड़ा है कि रेलवे आंध्र प्रदेश के साथ वह न्याय नहीं कर रहा जो उसके साथ किया जाना चाहिए। महोदय, बहुत से हिस्सों में जहां नई रेल गाड़ियां चलाई जा रही हैं वहीं रेलवे ने दक्षिण एक्सप्रेस को बंद कर दिया है क्योंकि इसके कारण विशाखात्तनम, दक्षिण तटीय आंध्र, विजयवाड़ा क्षेत्र के लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यही उपयुक्त समय है जब रेलवे को नई दिल्ली से विशाखापत्तनम के लिए एक सुपरफास्ट रेलगाड़ी चलानी चाहिए। महोदय, आप जानते हैं कि विजयवाड़ा कितना महत्वपूर्ण स्थान है लेकिन दुर्भाग्य से बहुत सी महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों के लिए विजयवाड़ा के लिए कोई आरक्षण कोटा नहीं है। उदाहरण के लिए मैं आपको नई दिल्ली और मद्रास के बीच चलने वाली ग्रांट ट्रंक एक्सप्रेक्स के बारे में बताता हूं इसके लिए भी आरक्षण नहीं किया जाता। इसी तरह नई दिल्ली—मद्रास तमिलनाडु एक्सप्रेक्स में प्रथम श्रेणी का आरक्षण नहीं होता और इसी तरह जम्मू-तवी-कन्याकुमारी एक्सप्रेक्स में प्रथम श्रेणी का आरक्षण नहीं होता। मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि अभी भी इन दो शहरों अर्थात् विजयवाड़ा और मद्रास के मध्य काफी व्यावसायिक और सांस्कृतिक सम्बन्ध हैं।

मेरा सुझाव है कि विजयवाड़ा के लिए आरक्षण कोटा बढ़ाया जाए। इसी तरह असम में हजारों आंध्र परिवार रह रहे हैं। त्रिवेन्द्रम और गोवाहाटी के बीच चलने वाली रेलगाड़ी संख्या 902 सप्ताह में एक बार चलती है। इस गाड़ी में विजयवाड़ा के लिए पर्याप्त आरक्षण कोटा होना चाहिए। अमरावती एक्सप्रेस भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण रेलगाड़ी है। यह रायला सीमा क्षेत्र से होकर गुजरती है। अनेकों प्रतिवेदनों और परामर्श दात्री समिति के ध्यान में लाने के बाद क्षेत्रीय परामर्शदात्री बोर्ड ने रेलवे बोर्ड से सिफारिश की थी कि रेलवे इसे डीजल इंजन से चलाने के लिए उपयुक्त क्यों नहीं समझती ? मुझे मालूम नहीं है। मेरा सुझाव है कि लोगों नारा आन्दोलन शुरू करने से पूर्व रेलवे को गुंटूर और हुबली के बीच चलने वाली अमरावती एक्सप्रेस को डीजल इन्जन से चलाना शुरू कर देना चाहिए। इसी तरह ओवर ब्रिज के सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि विजयवाड़ा के समीप अजीत सिंह नगर में रेलवे फाटक के स्थान पर रेल लाइन के नीचे एक सड़क बनाई जानी चाहिए। वस्तुत: दक्षिण मध्य रेलवे के तत्कालीन महाप्रबन्धक ने मुझे लिखा था कि एक साल में ऐसे दो उपरि पुलों का ही निर्माण किया जा सकता है। आपके द्वारा सप्लाई किए गए कागजातों को पढ़ने पर पता चला कि दक्षिण रेलवे में 6 नए पुलों, उत्तर पूर्वी रेलवे में 4 नए पुलों और उत्तरी रेलवे में 4 नए पुलों का प्रस्ताव

रखा गया है। मेरा सुझाव है कि विजयवाड़ा के समीप अजीतसिंह नगर में रेल लाइन के नीचे सड़क बनाने के कार्यक्रम को 1986-87 के निर्माण कार्यक्रम में शामिल किया जाए। काजीपेट में रेल के डिब्बों के लिए हमारी राज्य सरकार ने सभी आवश्यक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। संघ सरकार ने पंजाब में ऐसी फैक्टरी खोलने का निर्णय लिया है। फिर भी रेल के डिब्बे बनाने की अधिक फैक्टरियां खोलने की काफी जरूरत है। हमारी राज्य सरकार का प्रस्ताव है ही इसलिए हमारा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि रेल के डिब्बे बनाने की तीसरी फैक्टरी काजीपेट में स्थापित की जानी चाहिए।

चेरलापल्ली में 1984 में 6.2 करोड़ रुपए की लागत से एक इलैक्ट्रिक लोको शेड स्थापित करने के लिए मंजूरी दी गई थी। हमें नहीं पता कि रेलवे बोर्ड ने दक्षिण 'मध्य' रेलवे के अधिकारियों को आगे काम शुरू करने से क्यों मना कर दिया है। यह बहुत महत्वपूर्ण और निहायत जरूरी है। कम से कम अब तो रेलवे बोर्ड को चेरापल्ली लोकोशेड का काम शुरू करने के लिए दक्षिण मध्य रेलवे के अधिकारियों को निर्देश देने चाहिए।

मुझे बहुत खुशी है कि पिछले साल की तुलना में इस साल कुछ किया गया है। आपने कृष्णा के नाम-गुंटूर तेनाली विद्युतीकरण के लिए तथा मछरेला-गुंटूर छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए कुछ धनराशि दी है। साथ ही मैं बताना चाहता हूं कि नंडयालाएरक्क कुंटला सर्वेक्षण का काम पूरा हो गया है और रेलवे बोर्ड को रिपोर्ट भेज दी गई है। यह महत्वपूर्ण निर्माण कार्य है। वहां सीमेंट की तीन फैक्टरियां पहले से हैं। इस रेलवे लाइन के बनने से इस पिछड़े क्षेत्र में अधिक उद्योगों की स्थापना होगी। इसी तरह पाटनचेरु-मेडापल्ली सर्वेक्षण का काम पूरा हो गया है और रेलवे बोर्ड को 1981 में ही रिपोर्ट भेज दी गई थी। मेरा सुझाव है कि इस सम्बन्ध में कुछ किया जाना चाहिए।

इसी तरह मट्रेला से रायचूर रेल मार्ग-द्वारा देवरकोंडा का सर्वेक्षण कार्य भी पूरा हो गया है। और रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को भेज दी गई थी। इस पर भी कार्यवाही की जानी चाहिए।

अब मैं नडीकुडी-मट्रेला कालाहस्ती-रेनिगुंट रेल मार्ग पर आता हूं। चक्रवात और ज्वार आने पर मद्रास और नई दिल्ली के बीच ट्रैफिक नयूडूपेट्टा पर रुक जाता है। रेलवे वैकल्पिक मार्ग के बारे में सोच रहा है। इस पर भी कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए।

अंग्रेज लोग 'विशाखापत्तनम' शब्द का ठीक से उच्चारण न कर पाने के कारण इसे वाल्टेयर कहते थे। आपने हमारी राज्य सरकार से पूछा है कि क्या उन्हें इसे बदलने पर कोई आपत्ति है।

इस पर हमारी सरकार ने कहा है कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। कृपया इस नाम को वाल्टेयर से बदल कर विशाखापत्तनम कर दिए जाए।

अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूं। हमारे पास संसाधनों की पहले ही कमी है। मेरी जानकारी के अनुसार रेलवे में कुछ मामलों में दुर्भाग्य से अनुमानों में वृद्धि की जा रही है। वे लोग कुछ लोगों की सहायता करने के लिए झूठे आंकड़े दे रहे हैं। ऐसा एक उदाहरण शंकरपल्ली फेस II में डिफेंस साइडिंग की व्यवस्था है जिसे मैं माननीय मन्त्री के नोटिस में लाया हूं।

समय की कमी के कारण मैं विस्तार में नहीं बता रहा हूं। मैं केवल यही सुझाव दूंगा कि इस मामले तथा ऐसे अन्य मामलों में तत्काल जांच की जानी चाहिए ताकि इस प्रकार के

गैर-कानूनी संदेहास्पद तथा भ्रष्टाचारपूर्ण काम न हों और हम अपने उपलब्ध सीमित संसाधनों का सर्वोत्तम ढंग से उपयोग कर सकें।

श्री बृज मोहन महन्ती (पुरी) : मुझे रेलवे बजट विशेषकर रेल मन्त्री का भाषण पढ़कर बहुत प्रसन्नता हुई है। इन सभी कमियों, सीमाओं और त्रुटियों के बावजूद इसमें अच्छी स्थिति बतायी गयी है। किंतु मैं सदन के समक्ष एक बात कहना चाहता हूं। रेल-मंत्री समस्याओं का सामना करने की स्थिति में नहीं हैं और वह संसद को अपना राष्ट्र को इन बातों के लिए विश्वास में नहीं लेना चाहते कि वास्तव में उनकी समस्यायें क्या हैंऔर अधिक उन्नति सम्भव क्यों नहीं है। रेल मन्त्री को संसद तथा राष्ट्र को इन बातों के लिए अपने विश्वास में लेना चाहिए था कि संसाधनों की तथा प्रौद्योगिकीय कठिनाइयां हैं...

रेल-विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधव राव सिंधिया) : माननीय सदस्य को मेरे वरिष्ठ साथी को परिवहन मन्त्री के रूप में सम्बोधित करना चाहिए।

श्री बृज मोहन महन्ती : क्षमा कीजिए। जहां तक रेलवे बजट का प्रश्न है, वह रेल मन्त्री से सम्बन्धित है। बहरहाल, माननीय परिवहन मन्त्री इन बातों का जवाब दे दें।

यह सभी को विदित है कि संसाधनों की कमी के कारण समस्या है। इसी प्रकार प्रौद्योगिकी योजना प्रक्रिया प्रबन्ध तथा पूरे संगठन के ढांचे के बारे में हमें निर्णय करना पड़ता है। मैं आपका ध्यान संसाधनों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मैं सदन के समक्ष यह कहना चाहता हूं कि रेलवे-सुधार समिति ने अप्रैल, 1985 में एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। रेल मंत्रालय ने अपने वार्षिक प्रतिवेदन में बताया कि इसकी जांच की जा रही है तथा इसका कार्यान्वियन हो रहा है। किंतु यह कहीं नहीं बताया गया कि किन सिफारिशों को स्वीकार किया गया है, किन सिफारिशों को वित्तीय आबंटनों द्वारा यथार्थरूप दिया जा रहा है और किन पर कार्यान्वियन हो रहा है। यदि सम्भव हो तो आप यह जानकारी दें। जब आप उत्तर दें तो तथ्य सदन के समक्ष रखें ताकि संसद जान सके कि किन सिफारिशों को स्वीकर किया गया है और किन को अस्वीकार किया गया है।

कार्यान्वियन के बारे में मैं यह जानना चाहता हूं कि समिति के इस सम्बन्ध में क्या विचार है। स्वयं रेलवे सुधार समिति इसके लिए बहुत चिंतित है। मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि पहले 23 प्रतिवेदनों में की गई 2110 सिफारिशों में से 780 सिफारिशों को स्वीकार किया गया है, इसके अतिरिक्त 126 सिफारिशें 28-2-1985 को अस्वीकृत कर दी गईं थी। स्वीकार कीं गई सिफारिशें समिति के पहले 18 प्रतिवेदनों में से ली गई हैं। स्पष्ट है कि बार-बार अनुरोध के बावजूद कार्यान्वियन की गति अत्यन्त धीमी रही है और पिछले कुछ महीनों से इस दिशा में लगभग कुछ नहीं किया गया। मैं यह कहना चाहता हूं कि स्पष्टतया यह बताया जाए कि कौन-कौन सी सिफारिशें स्वीकार की जाएंगी और उन्हें कार्यान्वित किया जाये।

एक और स्थान पर रेलवे सुधार समिति ने यह पाया है कि बोर्ड द्वारा कुछ सिफारिशें स्वीकार करने, वित्तीय आबंटन द्वारा उन्हें यथार्थ रूप देने और बोर्ड द्वारा अनुदेश जारी करने के बावजूद, वे सिफारिशें कार्यान्वित नहीं की जा रही हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह पता लगाया जाये कि कौन इन सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं कर रहा है। यह उत्तरदायित्व का प्रश्न है।

महोदय, मैं आपकी आयोजना का दूसरा पहलू सदन के सामने रखता हूं। यह किस प्रकार चल रहा है ? रेलवे सुधार समिति प्रतिवेदन के पृष्ठ 24 से मैं फिर उद्धृतकर रहा हूं। रेलवे सुधार समिति ने यह विचार वक्त किया है।

"रेलवे योजना में न केवल एक व्यवस्था के आधार पर समेकित दृष्टिकोण की कमी, पूरे सामान का बदलाव करने तथा टर्मिनल क्षमता विकसित करने में असफलता सहित अनेक कमियां हैं, बल्कि अनावश्यक परियोजनाओं में बगैर सोचे समझे समय भी लगाया गया है। इसलिए समूची योजना प्रयासों को पुनः नए सिरे से चलाने और निर्धारित तरीके से पुनः संगठित करने की आवश्यकता है।"

मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान "अनावश्यक परियोजनाओं में बगैर सोचे समझे समय लगाने" की ओर आकर्षित करना चाहता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे उन क्षेत्रों का पता लगायें जहां पर ये परियोजनायें चल रही हैं। इस मामले की जांच की जाये और समुचित कार्य-वाही की जाए। कुछ स्थानों पर इन परियोजनाओं को समाप्त किया जा सकता है।

अब मैं आधुनिक प्रौद्योगिकी का पहलू सदन के समक्ष रखता हूं। प्रतिवेदन के पृष्ठ 33 पर इसका हवाला दिया गया है। मैं केवल सार ही बता रहा हूं। प्रतिवेदन में इसके बारे में विस्तार-पूर्वक बताया गया है और उससे रेल-मन्त्रालय को कुछ सहायता मिल सकती है। माननीय प्रधान मन्त्री जी आधुनिक प्रौद्योगिकी पर बल देते हैं। माननीय मन्त्री जी ने भी अपने भाषण में कहा है कि वह विभिन्न क्षेत्रों में आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपना रहे हैं। वह ऐसा किस प्रकार कर सकते हैं जब स्वयं उनका संगठन इस आह्वान के अनुरूप कार्य न करे। आधुनिक प्रौद्योगिकी के अनुसंधान तथा विकास के क्षेत्र में तथा इसे अद्यतन बनाने एवं काम में लाने के क्षेत्र में आर० डी० एस०ओ० की भूमिका अच्छी नहीं रही है। यह अत्यावश्यक है और जब तक इस उस क्षेत्र से अनुकूल प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होती, तब तक माननीय मन्त्री जी के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी साथ आगे बढ़ाना कठिन होगा।

अब मैं दुर्घटनाओं के बारे में कहना चाहता हूं। जहां तक सुरक्षा तथा दुर्घटनाओं से बचाव का सम्बन्ध है, संसाधनों की कोई समस्या नहीं होनी चाहिये। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए किए जाने वाले उपायों के रास्ते में संसाधनों की कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहां मैं इस मामले से सम्बन्धित विभिन्न समितियों की सिफारिशों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। वर्ष 1962 में श्री कुंजर की अध्यक्षता में रेल-दुर्घटना समिति थी। वर्ष 1963 में श्री वांचू की अध्यक्षता में रेलवे जांच समिति थी। इसके बाद 1973 में श्री सीकरी की अध्यक्षता में रेलवे जांच समिति बनी। इन समितियों द्वारा की गई सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं किया गया है। यह केवल इस सरकार से ही सम्बन्धित नहीं है परन्तु इससे पहले जनता सर-कार में भी ऐसा ही हुआ। इन समितियों द्वारा यह पुरजोर सिफारिश की गई कि 'स्पीडोमीटर' तथा 'स्पीड रिकार्डर' की व्यवस्था की जानी चाहिए। यद्यपि इस सम्बन्ध में सिफारिश की गई है तो भी इन उपकरणों की व्यवस्था नहीं की गई है।

अब मैं एक और पहलू अर्थात संसाधनों की बात करता हूं। प्रतिवेदन के पृष्ठ आठ पर इनका उल्लेख है। निस्सन्देह हम मंत्री महोदय के साथ हैं और उनकी कठिनाइयों को समझते हैं

लेकिन फिर भी यही संसाधन पूरे रेलवे-बोर्ड के संरचनात्मक परिवर्तनों से परस्पर सम्बन्धित हैं। रेलवे बोर्ड शीर्षस्थ कार्यकारी निकाय है किन्तु रेलवे बोर्ड के अधिकार को अन्तरित करना आवश्यक है। इसकी शक्तियों का अन्तरण आवश्यक है। विभिन्न विभागों का काम देखने के लिए कोई निदेशालय बनाने चाहियें। ये निदेशालय स्वायत्तशासी शक्तियों वाले होनें चाहियें— कुछ रेलवे लाइनों के लिए, कुछ कार्मिकों की समस्याओं तथा कामगारों के प्रशिक्षण आदि के लिए होने चाहियें। इस प्रकार से यह अधिक प्रभावशाली हो सकता है। जहां तक वर्तमान बोर्ड का संबंध है, जब तक अधिकार अलग-अलग विभागों को नहीं सौंपा जाता, तब तक हम इसे अधिक प्रभावशाली नहीं बना सकते। यह सही है कि इसे जन-उपयोगी बनाने के लिए एक निगम नहीं बनाया जा सकता किंतु यदि सरकारी विभाग बना दिए जायें तो बेहतर रहेगा, ताकि संसाधनों की समस्या को सुलझाया जा सके। आज वित्तीय जिम्मेदारी न तो योजना आयोग स्वीकार करता है और न ही सरकार। रेलवे महत्वपूर्ण क्षेत्र के अंतर्गत आता है इसके लिए सातवीं योजना की अपेक्षा पहले की योजनाओं में अधिक आवंटन किया गया था। यह आवंटन कम होता चला जा रहा है। सातवीं योजना में 750 करोड़ रुपये का अनुमान है मान लीजिए कि 50% का प्रबन्ध हो जाएगा लेकिन शेष 50% कहां से आएगा ? यह बात किसी को नहीं मालूम। मैं इसीलिए कहता हूं कि इसे एक सरकारी विभाग रहना चाहिए। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि योजना आयोग, सरकार तथा रेल मंत्रालय इकट्ठे बैठकर अपना-अपना उत्तरदायित्व संभालें, न केवल कहने भर से बल्कि उस पर काम करके, ताकि हम इन सभी कठिनाइयों से बच सकें।

महोदय, मैं यहां एक बात कहना चाहता हूं। अब निगमित योजना की बात करें, यदि हम इस योजना का शत-प्रतिशत कार्यान्वयन भी कर लें तो भी 2000 ई० तक काम पूरा नहीं हो सकता। 2000 ई० तक हमारी योजना क्या है और लक्ष्य क्या है ? जहां तक यात्री यातायात किलोमीटर का (विलियन में) सम्बन्ध है, राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति की योजना 520 किलोमीटर, रेलवे टैरिफ जांच समिति की 488 कि०मी० रेलवे सुधार समिति की 440 कि० मी० तथा हमारा लक्ष्य 400 कि०मी० है। इस प्रकार स्वाभाविक है। कि 2000 ई० तक आप याताया की आवश्यकताओं से 100 विलियन कि० मी० पीछे होंगे। महोदय, विभिन्न अनुमान लगाए गए हैं और इसलिए वास्तविक विलियन किलोमीटर के मामले में और यात्री यातायात में आप 100 विलियन किलोमीटर पीछे होंगें।

अब रेलवे लाइनों के नवीकरण करने का उल्लेख किया गया है। अब सातवीं पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में लगभग 21,000 कि० मी० लाइनों का नवीकरण होना था और आपने अपने भाषण में कहा था कि 20,000 कि०मी० तक लाइनों का नवीकरण किया जाएगा। 21,000 कि० मी० लाइनों का नवीकरण होना बाकी है और आप 20,000 कि० मी० लाइनों का नवीकरण करेंगे। इसलिए इस काम में हम फिर पिछड़ जाएंगे। यह समस्या है। मै आपको दोष नहीं देता। मैं किसी को व्यक्तिगत रूप से दोष नहीं देता। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि व्यवस्था राष्ट्र की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए। आपको इसके बारे में सोचना चाहिए।

महोदय, एक और बात विकासीय परियोजनाओं के बारे में है। मैं कहना चाहता हूं कि बहुत से राज्यों में पिछड़े क्षेत्र हैं और उन क्षेत्रों में ये विकास परियोजनायें शुरू की जानी चाहिएं जहां पर राष्ट्रीय औसत आय की तुलना में प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। ऐसे क्षेत्र भारत में

कहीं भी हो सकते हैं। ये उड़ीसा में उत्तर-प्रदेश के किसी भाग में अथवा अन्य राज्यों में हो सकते हैं। अतः मेरा कहना यह है कि निवेश के सम्बन्ध में निर्णय लेते समय पिछड़े क्षेत्रों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। महोदय, आपने उड़ीसा के लिए तीन रेल लाइनों की मंजूरी दी है। लेकिन-संबलपुर-तलचर रेलवे लाइन के लिए आपने इस वर्ष केवल 2 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 56 करोड़ रुपए है। क्या आप यह समझते हैं कि यह परियोजना पांच वर्षों में पूरी हो जाएगी ? जब तक यह पूरी होगी तब तक लागत बढ़ जाएगी। इसी प्रकार कोरापुट-रायगढ़ के लिए आपने 20 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं और इस परियोजना की कुल लागत 50 करोड़ रुपये है। इसके पूरा होने में कितने वर्ष लगेंगे। बांसपानी-जन्खापुर रेलवे लाइन के साथ भी यही बात है। महोदय, जब तक ये परियोजनाएं पूरी होती है तब तक लागत में इतनी अधिक वृद्धि हो जाएगी कि उन्हें धन की और आवश्यकता होगी। ये पिछड़े क्षेत्र हैं और जब तक संसाधनों की व्यवस्था करके इससे एक विशेष समय के भीतर आबंटित नहीं किया जाता तब तक इन परियोजनाओं में विलम्ब होगा और पिछड़े क्षेत्रों को लाभ नहीं मिलेगा। महोदय, श्री माधवराव सिंधिया पिछड़े क्षेत्रों की समस्या जानते हैं, क्योंकि वह एक ऐसे राज्य से आये हैं जहां का एक बड़ा भाग उड़ीसा के एक भाग जैसा है। अतः मेरा यह अनुरोध है कि आवंटन इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि पिछड़े क्षेत्रों को प्राथमिकता और अधिक संसाधन मिलें।

दूसरा निवेदन संबलपुर डिवीजन के बारे में है। इसको तुरन्त शुरू किया जाना चाहिए। संलबपुर डिवीजन को तुरन्त शुरू किया जाना चाहिए और हमें इसके साथ आगे बढ़ना चाहिए।

इसके बाद पुरी से चलने वाली उत्कल एक्सप्रेस और कलिंग एक्सप्रेस गाड़ियों को सातों दिन चलाया जाना चाहिए। एक को वर्तमान मार्ग से आना चाहिए और दूसरी को बरहामपुर-झारसुगाडा से आना चाहिए। इस तरह से पश्चिम और दक्षिण उड़ीसा को भी शामिल कर लिया जाएगा।

जब श्री गनी खान चौधरी रेल मंत्री थे तो उन्होंने वायदा किया था कि वह हमें भुवनेश्वर तक सुपर फास्ट गाड़ी देंगे। मेरा सुझाव है कि नीलाचल एक्सप्रेस के चलने के समय में 2 से 3 घंटे कम किये जाने चाहिए, ताकि लोग दिल्ली यथाशीघ्र पहुंच सकें। राष्ट्रीय एकता के लिए यह बहुत आवश्यक है। राष्ट्र की राजधानी दिल्ली तक आसानी से पहुंच होने से इसके अलग-थलग पड़ने की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी।

दूसरी बात रसोई भण्डार यान के बारे में है। मैंने कोणार्क गाड़ी में रसोई भण्डार यान के बारे में सिंधिया जी को लिखा था। उन्होंने कहा कि वर्तमान व्यवस्था संतोषजनक है। मैं जानता हूं कि यह संतोषजनक नहीं है। मेरा सुझाव है कि कोणार्क के साथ-साथ कलिंग तथा उत्कल एक्सप्रेस गाड़ियों में रसोई भण्डार यान की व्यवस्था होनी चाहिए।

अब मैं छोटे रेलवे हाल्टों को समाप्त करने के बारे में कहना चाहता हूं इससे मैं बहुत अधिक भयभीत होता हूं। प्रत्येक दो सप्ताह के बाद मुझे पता चलता है कि अमुक स्टेशन का हाल्ट समाप्त कर दिया गया है या इसे समाप्त किया जा रहा है। मेरा अनुरोध है कि कम से कम पिछड़े हुए क्षेत्रों में गाड़ियों के रुकने की वर्तमान व्यवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाये।

श्री माधव राव सिंधिया : आप हमसे चाहते हैं कि नीलाचल एक्सप्रेस के समय को कम कर दिया जाए। हमें कुछ स्थानों पर 'हाल्ट' को समाप्त करना होगा। क्या आप उसका समर्थन करेंगे ?

श्री बृजमोहन महन्ती : आप तर्क संगत रूप से इस पर निर्णय लें। मैं निश्चित रूप से इसका समर्थन करूंगा।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और रेल मन्त्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

प्रो० नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर) : सभापति महोदय, माननीय परिवहन मन्त्री द्वारा इस सदन में प्रस्तुत किए गए 1986-87 के बजट और मांगों का मैं समर्थन करता हूं। कई वर्षों में पहली बार रेल बजट का स्वागत प्रेस ने और लोगों ने किया है तथा निश्चित रूप से कुछ असामान्य बातें हैं जिनसे बजट स्वीकार्य हुआ है।

पहले केवल थोड़ी सी वृद्धि हुई है जिसे असामान्य रूप से मामूली ही बताया गया है। वह भी केवल उच्च श्रेणी के यात्रियों पर और इससे लगभग 76 करोड़ रुपया आएगा। दूसरे, इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि के बावजूद रेलवे इस आघात को सहन कर सका है तथा माल भाड़ा नहीं बढ़ाया गया है। यह एक अच्छी उपलब्धि है।

इसके बाद योजना परिव्यय में अच्छी वृद्धि हुई है। 1985-86 में यह 2050 करोड़ रुपए था जो बढ़कर 1986-87 में 2650 करोड़ रुपया हो गया। इन विशेषताओं से पता चलता है कि अच्छा काम किया गया है। मैं माननीय परिवहन मन्त्री और रेल राज्य मन्त्री द्वारा किए गए अच्छे कार्य की प्रशंसा करता हूं।

रेल मन्त्रालय में वे रेलवे को कठिनाई से बाहर निकालने में कामयाब हुए हैं। गत वर्ष कुछ कर अधिक लगाए गए थे और इनका प्रतिकूल प्रतिक्रिया व्यक्त की गयी थी। इस वर्ष कर कम लगाए गए हैं और शायद यह इस कारण से है कि वे एक ओर तो कड़े अनुशासन को लागू कर सके हैं तथा अधिकारियों और रेलवे में अन्य कर्मचारियों को कर्तव्य निष्ठा से अधिक परिश्रम करने के लिए प्रोत्साहित कर सके तथा दूसरी ओर रेलवे कर्मचारियों को क्वार्टर तथा कुछ अन्य सुविधाओं के लिए उन्हें और अधिक धन देने में रेलवे ने उदारता दिखायी है। यह भी एक स्वागतयोग्य कदम है क्योंकि इन दिनों शहरों में आवासीय जगह को मिलाने में बहुत कठिनाई होती है। इस सुविधाओं से आखिरकार उनके कार्य निष्पादन में प्रभाव पड़ता है। मैं इन प्रस्तावों का स्वागत करता हूं।

महोदय, बजट में प्रत्येक के लिए कुछ रोचक बातें हैं परन्तु मेरे विचार से सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि वह वायदा है जिसमें यह कहा गया है कि राजस्व प्राप्त करने वाले 2500 लाख टन माल ढुलाई के लक्ष्य को वे पार कर सकेंगे। यह बहुत अच्छी उपलब्धि है और हालांकि इसकी घोषणा बहुत समय पहले की गई थी, अब हम आशा कर रहे हैं कि यह प्राप्त कर लिया जाएगा और यह रेलवे को एक बड़ा प्रोत्साहन प्रदान करेगा तथा हमारी अर्थव्यवस्था भी स्थिर बन जाएगी। इसलिए आधारभूत संरचना में सुधार आ रहा है और संशयात्मक व्यक्तियों के विचारों को झूठा सिद्ध कर दिया गया है। रेलवे को समग्र परिवहन मन्त्रालय के साथ मिलाना लाभदायक सिद्ध हुआ है और इसने पूरे देश में पूरे परिवहन बुनियादी ढांचे को अधिक महत्व दिया है। अब यह सम्भव है कि परिवहन के अन्य क्षेत्रों जैसे भू-तल परिवहन, जल परिवहन तथा परिवहन के विभिन्न अन्य साधनों के साथ तालमेल बिठाने की योजना बनाई जा सकती इसलिए अब रेलवे समुचित रूप से सही स्थान प्राप्त कर सकता है और अपने उचित भाग का दावा भी कर सकता है।

इसका एक प्रमुख संकेतक है जिसे प्रति वैगन शुद्ध मीटरी टन किलोमीटर कहा जाता है और इसमें 10.5% का सुधार हुआ है। यह एक ऐसा संकेतक है जिसकी सहायता से हम रेलवे की कार्यक्षमता को माप सकते हैं। इसी तरह, रेलवे के प्रति व्यक्ति (प्रति कर्मचारी) में 4.3% का सुधार हुआ है। यह भी एक अन्य संकेतक है और जो यह बताता है कि रेलवे उल्लेखनीय कार्य कर सका है और मानक स्तक तक पहुंच सका है।

मन्त्री महोदय मूल्य ह्रास आरक्षण निधि में अंशदान को 31% तक बढ़ाने में सफल हुए हैं और अब यह 1250 करोड़ रुपए है। चूंकि इससे बचत होने वाली है इसलिए यह सामान्य राजस्व में लाभांश दे सकता है और एक अच्छा संकेत है। रेलवे अभिसमय समिति (1980) ने सुझाव दिया था बल्कि सिफारिश की थी कि भारतीय रेलवे में 1980 तक पूंजी के निवेश के लिए लाभांश की दर 6 प्रतिशत होनी चाहिए और उसके बाद यह 6.5 प्रतिशत होनी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आखिरकार यह हो जाएगा।

कार्यसूची में विभिन्न अन्य मदें हैं और उनमें से सबसे अधिक महत्वपूर्ण मद की ओर मैं मन्त्री जी का ध्यान दिलाता हूं। (1) बहुत पुरानी ट्रैक को बदलना; (2) चल स्टाक का आधुनिकीकरण करना। केवल इन दोनों मदों की सहायता के साथ क्या इस प्रणाली को ढंग से चलाया जा सकता है। इसलिए, पंजाब में रेलवे कोच फैक्ट्री की मंजूरी देना एक स्वानतयोग्य कदम है और मुझे आशा है कि मन्त्री जी तुरन्त कदम उठायेंगे, ताकि यह शुरू हो और सवारी रेल डिब्बों का तुरन्त निर्माण हो, चूंकि भारतीय रेल प्रणाली के सवारी डिब्बों की दशा बहुत संतोषजनक नहीं है और उनमें से बहुत से प्रयोग के लाभ नहीं हैं, हालांकि उन्हें अभी भी लाइनों पर चलाया जाता है। इसी तरह से माल डिब्बे और रेलवे लाइन की भी यही स्थिति है एक बार इन दोनों शर्तों के पूरा होने पर हमारी रेल प्रणाली एक बहुत कार्यकुशल प्रणाली बन जाएगी।

मेरी प्रमुख चिंता यह है कि माननीय मन्त्री को राष्ट्रीय परिवहन नीति समन्वय समिति की आवश्यकता को पूरा करना चाहिए जिसने सिफारिश की थी कि देश के अगली शताब्दी में आने तक इस रेल प्रणाली में 5000 कि०मी० नई लाइनों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। यह लाइनों में आमान परिवर्तन करने या इन्हें दोहरा करने का पूर्णतया बदलने के अतिरिक्त है। अत: यदि आप इतना अधिक रेल पथ या मार्ग किलोमीटर को मौजूदा प्रणाली में शामिल करना चाहते हैं तो आपको और अधिक संसाधन देने होंगे।

इस सन्दर्भ में मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि कुछ ऐसे राज्य हैं जिन्हें इस तथ्य के बावजूद कि रेलवे प्रणाली दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं में पर्याप्त विस्तार से कार्य कर रही है, अपना उचित हिस्सा नहीं मिल सका है। मेरे अपने राज्य, हिमाचल इसके बाद पंजाब, जम्मू और कश्मीर, हरियाणा, सभी उत्तर पश्चिमी राज्यों और इसी तरह से कुछ अन्य राज्यों को विस्तार करने के लिए वह हिस्सा नहीं मिल सका है। जिसकी उन्हें आशा थी। इसलिए, मेरा सुझाव है कि ऐसे क्षेत्रों में नई रेलवे लाइनों के निर्माण के लिए और अधिक संसाधन जुटाए जाएं।

मैं यहां कुछ आंकड़े उद्धृत करना चाहता हूं। 1984-85 में, 3198 कि०मी० नई लाइनें निर्माणाधीन थी। अब, इसे यह देखने के लिए कि सभी लाइनों को पूरा किया जाए बड़ी धनराशि की आवश्यकता होगी। परन्तु हम मन्त्री जी से और उनकी ओर से योजना आयोग से अनुरोध कर सकते हैं कि इसके लिए पर्याप्त धन आबंटित करना चाहिए, ताकि उन लाइनों को जिन्हें छठी

योजना में शुरू किया गया था या जो छठी योजना के दौरान निर्माणाधीन थीं उन्हें कम से कम सातवी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पूरा किया जा सके। हम कम से कम यही आशा करते हैं। यह सदन मन्त्री जी से इस मामले को योजना आयोग और माननीय प्रधान मन्त्री के साथ उठाने के लिए अनुरोध करता है क्योंकि आपकी सातवीं योजना के अन्त तक 10 वर्ष हो जायेंगे और तब तक यदि एक रेलवे लाइन, हमें कहना चाहिए कि 100 कि०मी० की लम्बी लाइन पूरी नहीं की जाती, तो वह प्रति वर्ष, प्रति राज्य 10 कि० मी० की औसत नहीं देती है। अत: मेरा सुझाव है कि प्राथमिकता के आधार पर आपके इसके लिए कुछ चिंता होनी चाहिए जिसे क्षेत्रीय विकास कहते हैं या क्षेत्रीय विकास में असन्तुलन की कमी और उस प्रयोजन के लिए प्रत्येक राज्य में निर्माणाधीन रेलवे लाइनों प्राथमिकता के आधार पर पूराकरने की कार्रवाई करनी चाहिए और सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त अर्थात् 1990 तक इसे पूरा करना सुनिश्चित करना चाहिए, ताकि आप देश को यह बता सकें कि इस काम को पूरा किया गया है। दूसरी प्राथमिकता अर्थात परियोजना उन्मुख लाइन था अन्य लाइनों की है। आप कुछ लाइनों के निर्माण के लिए धन दे दें जिस पर तुरन्त कार्य आरम्भ किया जा सकता है। इस पर भी विचार किया जा सकता है। परन्तु अब मुख्य चिंता यह होनी चाहिए कि जब हम सातवीं पंचवर्षीय योजना में चल रहे हैं तब हम इस विचार की ओर ध्यान आकर्षित कर सकें कि रेलें राष्ट्रीय परिसम्पति है।

रेलवे का काम सारे देश का विकास करना है न किसी क्षेत्र विशेष या अत्यधिक उद्योगीकृत प्रदेश का विकास करना। हो सकता है कि व्यावसायिक दृष्टि से व्यवहार्य रेलवे लाइनें अति उद्योगीकृत राज्यों में स्थित हो। लेकिन देश की मांग यह नहीं है। देश की राजधानी से, राज्यों की राजधानियों को और जिला मुख्यालयों को जोड़ा जाना चाहिए। समय की यह मांग है। महोदय, मेरे राज्य में अर्थात् नांगल-तलवाड़ा में रेल लाइनों के बारे में मैं माननीय मन्त्री का आभारी हूं और हिमाचल प्रदेश की 40 लाख जनता की ओर से उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस साल आबंटन में थोड़ी सी वृद्धि की है; 120 किलोमीटर लम्बी रेल लाइन के लिए 2 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं और अन्तत: इस पर 80 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। लेकिन वह पर्याप्त नहीं है। इसलिए मेरा उनसे अनुरोध है कि इस राशि में वृद्धि की जाए ताकि राज्य का कम से कम एक जिला मुख्यालय ऊना को भी रेलवे मानचित्र में बड़ी लाइन के क्षेत्र में दिखाया जा सके और इसके संघ की राजधानी दिल्ली से संपर्क स्थापित हो जाए। ऐसा तभी हो सकता है जब इस राशि को बढ़ाकर कम से कम 10 करोड़ रु० सालाना तक कर दिया जाए। राज्य सरकार इसके लिए भरसक प्रयास कर रही है। इसी तरह एक और अड़चन है। और वह है अम्बाला और पानीपत के बीच छोटा सैक्शन जिसे दोहरा किया जा रहा है। पर इसमें बहुत साल लग सकते हैं और इस समय हम अपने को असहाय महसूस करते हैं क्योंकि यातायात सीमा से अधिक बढ़ गया है। इसे तब शुरू किया गया था जब रेल लाइनें पठानकोट से आगे नहीं थी। अब जम्मू में भी रेल लाइनें बना दी गई हैं। इसे श्रीनगर तक बढ़ाया जा रहा है—इस समय इसे ऊधमपुर तक बढ़ाया गया है। यह कमी अभी भी है। यदि धन उदारता से आबंटित किया जाए और यह दोहरी लाइन पूरी कर दी जाए तो दूसरी ओर यातायात के आवागमन के लिए वैकल्पिक रास्ता बन जाएगा और दो मुख्य दोहरी लाइनें बन सकती हैं—एक बरास्ता करनाल और दूसरा बरास्ता सहारनपुर और इससे पूरे प्रदेश को लाभ होगा।

महोदय, ये लाइनें युद्ध के समय भी हमारे काम आएंगी और पश्चिमी देशों द्वारा आक्रमण के समय भी, क्योंकि अन्यथा जब सेना को तेजी से निकलना होता है तब उस प्रणाली में अचानक रुकावट आने लगती है। अतः रक्षा कार्यों की दृष्टि से भी इस लाइन का दोहरा किया जाना महत्वपूर्ण है। तथापि भविष्य के लिए सुझाव है कि अब कुछ लाइनों का काम पूरा होने के बाद वर्तमान लाइनों को दोहरा करने की बजाए ऐसे क्षेत्रों का पता लगाया जाए, जहां नई लाइनें बिछाई जाएं। यदि हम दो रेलवे स्टेशनों के बीच, जैसे जम्मू या पठानकोट और जालन्धर के बीच, दो रेल लाइनें बिछा सकें तो बरास्ता नांगल-तलवाड़ के हम दूसरे क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। और उससे भी एक वैकल्पिक मार्ग मिल जाएगा। उसी लाइन को दोहरा करने की बजाय, भले ही उससे आर्थिक लाभ होता हो, लेकिन उससे नए क्षेत्र का विकास नहीं होगा। अतः इस दृष्टिकोण की जांच की जानी चाहिए और भविष्य में आपका जहां कहीं भी लाइनों को दोहरा करने या नई परियोजना शुरू करने का विचार हो तो आपको यह भी जांच करनी चाहिए कि क्या पिछड़े क्षेत्रों तथा पृष्ठ प्रदेश का भी विकास किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि कुछ अनियोजित परिवर्तनों के कारण कई अड़चनें पैदा हो गई हैं। उदाहरण के लिए, बनारस-बाट्टी लाइनें। मैं समूचे देश की बात कर रहा हूं—जिसके परिणामस्वरूप यातायात में रुकावट आई है क्योंकि एक लाइन उत्तर के सैक्शन-पर बदली गई है तो दूसरी लाइन दक्षिण के सैक्शन पर और इन दोनों के बीच छोटी लाइन है। अतः यदि इसे भी बदल जाए तो उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाले यातायात में सुविधा हो जाएंगी और परिवहन नियमित और सुचारू रूप से चल सकेगा। अतः इस दृष्टिकोण से भी लाइन बदले जाने के पहलू की जांच की जानी चाहिए और केवल उन परियोजनाओं को शुरू किया जाना चाहिए, जिनसे गाड़ियों के आने-जाने में सहायता मिले। इसी तरह अन्य क्षेत्रों का भी विकास होगा। आबंटन कितना भी किया जाए, हमें इस बात से कोई ईर्ष्या नहीं है कि महानगरीय परिवहन परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर शुरू किया जा रहा है। लेकिन जब हम इनकी तुलना करते हैं :—सभी रेल लाइनों के लिए अर्थात 3198 किलोमीटर के लिए 7वीं योजना के दूसरे वर्ष के लिए अर्थात् 1986-87 के लिए 100 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं और कलकत्ता में एक परिवहन परियोजना के लिए 80 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अतः इसका सन्तुलन कैसे बनाये रखा जाए? कई बार कोई समिति मांग करती है कि अलाभकरी ब्रांच लाइन को बन्द कर दिया जाना चाहिए। अतः अलाभकारी ब्रांच लाइनों को बन्द कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसी अलाभकारी परिवहन परियोजनाओं का क्या होगा जिनसे घाटा होने जा रहा है, उनके पूरा होने के बाद भी प्रतिवर्ष उनसे 1 करोड़ रुपए की दर से घाटा होगा? अतः इसकी कोई युक्ति निकालनी होगी और मेरा सुझाव है कि किसी अलाभकारी ब्रांच लाइन को बन्द करने की बजाय; आपको यह देखना चाहिए कि रेलवे नेटवर्क की मुख्य प्रणाली के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है ताकि यह लाइन लाभकारी बन सके और इससे राजस्व अर्जित किया जा सके।

मुझे खुशी है कि मन्त्री महोदय उत्तर रेलवे के सरहिंद रोपड़ सैक्शन के लिए सुविधाएं जुटा रहे हैं क्योंकि रोपड़ तक जहां पर तापीय सन्यन्त्र हैं कोयला ले जाया जाता है। यदि पटरी ऐसी अच्छी किस्म की नहीं होगी, जो कि रेलवे द्वारा अनुमोदित की गई है, तो उस पर केवल 60 डिब्बे ही जा सकते हैं। किंतु कोयले के संयंत्र के लिए 100 डिब्बों की आवश्यकता पड़ती है। अतः इसमें कुछ सुधार करने की जरूरत है। यदि आप सुधार करते हैं तभी प्रणाली में सुधार होगा।

ऐसी बहुत सी बातें हैं, जिनके सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं। लेकिन मैं इतना ही कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं कि हिमाचल प्रदेश में रेल लाइन, जो पहले ही से चालू है, अर्थात कांगड़ा घाटी रेल लाइन पर कुछ अतिरिक्त गाड़ियां चलाने की आवश्यकता है। छोटे नगरों में भी कुछ सुविधाएं देने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए कीरतपुर और होशियारपुर नगर। पहले वाला स्टेशन सीमेंट के लदान का आधारभूत स्टेशन बन गया है। लेकिन वहां कई सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। यद्यपि पास ही सीमेंट संयंत्र हिमाचल प्रदेश में है और वहां रेलवे स्टेशन बनाया गया है, यात्रियों आदि के लिए अन्य सुविधाएं प्रदान करने के बारे में आपकी क्या राय है ? आप हमें कुछ सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं ताकि इसका वास्तव में औद्योगिक नगर के रूप में विकास हो सके। यद्यपि यह स्टेशन पंजाब में है, तथापि यह हिमाचल का प्रवेश द्वार है।

इसी तरह हम चाहते हैं कि न केवल नई परियोजनाएं शुरू की जाएं अपितु जिन पुरानी परियोजनाओं का सर्वेक्षण किया जा चुका है, उन पर भी कुछ विचार किया जाए। हमारे मुख्य-मन्त्री ने यह सुझाव दिया है कि रायपुर-बिलासपुर-नांगल रेल लाइन को शुरू किया जा सकता है। उस स्थान तक यह लाभकारी होगी उसके आगे नहीं।

अब मैं एक अन्य रेल लाइन जगाधर और पाउंटा के बीच की बात है, के बारे में कहूंगा जहां सीमेंट संयंत्र भी है। उस सेक्शन का सर्वेक्षण किया गया था और उस पर आने वाली लागत का अनुमान भी लगाया गया था। उसे भी शुरू किया जा सकता है। इसलिए औद्योगिक दृष्टि से जो भी लाभकारी हो और यातायात की दृष्टि से भी, आप उन्हें शुरू कर सकते हैं। लेकिन कृपया पहले यह सुनिश्चित कीजिए कि जो काम आपने शुरू किए हुए हैं उन्हें 7वीं योजना के अंत तक पूरा कर दिया जाएगा और मेरा विनम्र अनुरोध है कि उत्तर रेलवे में नंगल-तलवाड़ा और जम्मू ऊधमपुर-इन दो महत्वपूर्ण लाइनों पर विशेष ध्यान दिया जाए क्योंकि उन दो राज्यों में केवल यही दो लाइनें हैं और उनके लिए 10 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की जानी चाहिए ताकि 7वीं योजना के अंत तक उन्हें पूरा किया जा सके। नांगल-तलवाड़ा लाइन का शिलान्यास स्वर्गीय श्री एल० एन० मिश्र ने 22 दिसम्बर 1974 को ए० एम० बी० में किया था।

इन शब्दों के साथ, मैं मंत्री महोदय द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा करता हूं। उन्होंने माल भाड़े की दर न बढ़ाकर विपक्ष को मात दी है और इस बात का ध्यान रखा है कि कुशलता, ईमानदारी, परिश्रम और सूक्ष्म छानबीन तथा कठोर वित्तीय अनुशासन से रेल प्रणाली को चलाना संभव हो अन्य उनकी तो रोने की आदत ही है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैं रेलवे बजट में किरायों में वृद्धि का विरोध करता हूं। इस बार सरकार 76 करोड़ रुपए की वृद्धि करना चाहती है। लेकिन द्वितीय श्रेणी के साधारण यात्रियों को छूट दी गई है।

पिछले वर्ष किरायों में अभूतपूर्व वृद्धि, यानि 10% वृद्धि की गई थी। आप पुनः इस वर्ष किरायों में वृद्धि कैसे कर सकते हैं ? आप यात्रियों को विशेष रूप से साधारण द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने वालों के लिए मूलभूत सुविधाएं भी प्रदान नहीं कर रहे हैं। द्वितीय श्रेणी में बिजली नहीं है, पंखे नहीं है, वहां सफाई का भी समुचित प्रबन्ध नहीं है—यहां तक कि बैठने की सीटों का भी प्रबन्ध नहीं है।

आपने अपने बजट भाषण में कहा है कि आपने 107 यात्री गाड़ियां चलाई हैं।

4.00 म०प०

लेकिन आपने गाड़ियों में लगे डिब्बों की संख्या घटा दी है, आपने डिब्बों की संख्या नहीं बढ़ाई है, किन्तु गाड़ियों की संख्या बढ़ा दी है जिससे गाड़ियों में काफी भीड़ भाड़ रहती है। यात्रियों को अब गाड़ियों की छतों पर सफर करना पड़ रहा है।

आपने मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों में द्वितीय श्रेणी के किरायों में 33.5% वृद्धि की है। इनमें न्यूनतम भाड़ा 2 रुपए है, अब आप उसे 3 रुपए करना चाहते हैं जो कि 33.5% है और आपने कहा है कि आपने 10% यात्रियों को छूट दी है। यदि आप उपनगरीय यात्रियों, जिनके किरायों में पिछले वर्ष वृद्धि की गई थी, को भी शामिल करें तो किरायों में हुई इस वृद्धि का प्रभाव मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों में यात्रा करने वाले यात्रियों पर 60% पड़ेगा। इस प्रक्रिया से निर्धन और मध्यम श्रेणी के लोगों पर और बोझ पड़ेगा, जो कि आवश्यक वस्तुओं कोयला, खाना पकाने की गैस, पेट्रोल, डीजल, और राशन की दुकानों पर मिलने वाले खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि के बोझ से पहले ही दबे पड़े हैं। अत: मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है वे मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों के यात्रियों के किरायों में वृद्धि न करें।

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी (मंदसौर) : फर्स्ट क्लास का भी ?

4.02 म०प०

[श्रीमती बसवराजेश्वरी पीठासीन हुईं]

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : योजना आवंटन के लिए, सभा के दोनों पक्षों की ओर से मांग की गई है कि इसमें वृद्धि की जानी चाहिए। लेकिन इस योजना आवंटन में निरन्तर कमी की जा रही है। पहली पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना और तीसरी पंचवर्षीय योजना में यह आवंटन 11.05%, 15.43% और 15.41% था। सातवीं पंचवर्षीय योजना में यह 6.05% है। मैं इस समय छठी पंचवर्षीय योजना की बात नहीं कर रहा हूं। छठी पंचवर्षीय योजना में सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए किए गए आवंटन से भी कम राशि दी गई थी। छठी पंचवर्षीय योजना को पुनर्वास योजना नाम दिया गया था। मुख्य रूप से आस्तियों की जगह नया सामान लाने और उनके नवीकरण पर जोर दिया गया था। जब छठी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी उस समय 14,000 किलोमीटर रेल पटरी खराब थी जिसे तुरन्त बदले जाने की आवश्यकता थी किंतु जब यह पुनर्वास योजना समाप्त हुई, तो इस खराब रेल पटरी की लम्बाई बढ़कर 22,000 कि० मी० तक पहुंच गई थी। रेलवे के पुर्जों की टूट-फूट 2000 से बढ़कर 4000 तक पहुंच गई है और 5000 किलोमीटर लम्बी रेल पटरी पर गति-सीमा सम्बन्धी प्रतिबन्ध लगा दिया गया था।

छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान रेल के 83,000 डिब्बे रद्द किए गए किन्तु इस अवधि के दौरान 73,000 नये डिब्बे लिए गए जो कि रद्द किए गए डिब्बों की संख्या से 10,000 कम थे। यात्री डिब्बों और इंजनों के मामले में भी ऐसा हुआ।

1973 से अब तक हमारे इंजन कारखानों में भाप से चलने वाला एक भी इंजन नहीं बना है। भाप इंजन की बजाय डीजल से इंजन चलने लगे और फिर बिजली से चलने वाले इंजन,

आये क्योंकि बिजली से चलने वाली रेल यातायात का सबसे सस्ता साधन है। अब केवल 6000 किलोमीटर रेल पटरी का विद्युतीकरण किया गया है। आज देश में 62,000 किलोमीटर रेल लाइन है जिसमें से केवल 6000 किलोमीटर का ही विद्युतीकरण किया गया है। इस शताब्दी के अन्त तक जब भाप से चलने वाले सभी इन्जन हटा लिए जाएंगे तब क्या होगा? 20वीं शताब्दी के अन्त तक भाप से चलने वाला एक भी इंजन नहीं रहेगा।

सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान 3400 किलोमीटर रेल पटरी का विद्युतीकरण किया जाना है किन्तु छठी योजना अवधि में यद्यपि 2,800 किलोमीटर का लक्ष्य रखा गया था किन्तु केवल 1,522 किलोमीटर पटरी का विद्युतीकरण ही किया गया जबकि 2800 किलोमीटर के लिए आवश्यक राशि स्वीकृत कर दी गई थी और रेलवे को पर्याप्त धन मिला था।

आप एक 6000 एच० पी० के विद्युत इंजन के नमूने के इंजन का आयात कर रहे हैं। क्या हम इस विद्युत इंजन को अपने इंजन कारखाने में नहीं बना सकते। आप करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं—लगभग 2 करोड़ 5 लाख रु० इस इंजन के आयात पर खर्च रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : यही कारण है कि प्रोटोटाइप का आयात किया जा रहा है।

श्री बासुदेव आचार्य : 6000 हॉर्स पावर का यह इंजन हमारे चितरंजन में इंजन बनाने के कारखाने में कम कीमत पर बनाया जा सकता है, 6000 होर्स पावर का इंजन आयात कर रहे हैं और आप करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं।

महोदया, माल भाड़े के बारे में सफलता प्राप्त करने के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। माननीय मन्त्री जी शायद भूल गये हैं कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो लक्ष्य निर्धारित किया था वह लक्ष्य 3090 लाख टन था और छठी योजना के दौरान 2360 लाख टन की सफलता प्राप्त की गई अर्थात् यह लक्ष्य से लगभग 720 लाख टन कम था। सातवीं योजना के लिए 3400 लाख टन का लक्ष्य निर्धारित किया था और आने वाले वर्ष के लिए 2550 लाख टन का लक्ष्य था। 150 से 160 लाख टन की औसत बढ़ोतरी के साथ 3400 लाख टन लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव है यद्यपि मंत्री महोदय ने नये माल-डिब्बों के डिजाइन, तेज गति वाले इंजनों, माल भाड़े के लिए कम्प्यूटर प्रणाली आदि के बारे में तकनीक में सुधार करने की बात कही है तब भी इनमें से कोई भी माल ढ़ोने की क्षमता को नहीं बढ़ायेगी चीन में गाड़ियों की कम संख्या और केवल 52000 कि० मी० रेलवे लाइन के साथ 12000 लाख टन माल ढो सकते हैं जबकि हमारे देश में 62000 कि० मी० रेलवे मार्ग और 2 लाख से भी अधिक गाड़ियों के साथ केवल 2550 लाख टन माल भाड़ा ढो सकते हैं ऐसा क्यों है क्योंकि चीन में पारी चक्कर का समय 3.5 दिनों का है जबकि हमारे देश में 12.8 दिन का है।

औद्योगिक सम्बन्धों के विषय में बहुत कुछ कहा जा चुका है। 1973 में लोको रनिंग स्टाफ के साथ उनके काम के घंटे 12 से कम करके 10 करने का समझौता हुआ था। लेकिन उसे लागू नहीं किया गया। 1981 में उन्होंने काम रोको का सहारा लिया। तब वहां दमन किया गया और उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। हजारों काम करने वालों को गिरफ्तार किया गया और जेल में बन्द किया गया। अब उन पर अत्याचार किया जा रहा है।

अनियमित मजदूरों का क्या होगा? इसी सदन में यह घोषणा की थी कि अनियमित मजदूरों को नियमित किया जायेगा। लेकिन 2 लाख अनियमित मजदूरों को अभी नियमित करना बाकी है। जब सभी माप से चलने वाले इंजनों को समाप्त कर दिया जायेगा तो कोयला और ऐश का कार्य करने वाले मजदूरों का क्या होगा? वे पिछले 15-20 वर्षों से यह कार्य कर रहे हैं। वे लगातार इस प्रकार का कार्य करते आ रहे है। वे हमारे समाज के बहुत दलित वर्ग से सम्बन्धित हैं। उनको ठेके मजदूर जैसा रखा गया है। उनका क्या होगा और वे कहां जायेंगे। वहां दो मान्यता प्राप्त संघ है। वहां दो संघ क्यों होने दिये गये? एक क्यों नहीं? मंत्री ने हमें विश्वास दिलाया है कि इस विषय में विधेयक ला। जा रहे हैं। मैं मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वह कार्मिक संघों को मान्यता देने सम्बन्धी नीति पर पुनर्विचार करें। इस समय उत्पादन ईकाइयों में कोई भी मान्यता प्राप्त कार्मिक संघ नहीं है। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में कोई यूनियन नहीं है। वहां केवल स्टाफ परिषद है जो कि कोर्ट की निषेधाज्ञा के कारण कार्य नहीं कर रही है। वहां दो संघ क्यों होने चाहिए और उसको कर्मचारियों के गुप्त मतदान द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए।

अब मैं पश्चिमी बंगाल में कुछ मुख्य योजनाओं के सम्बन्ध में उल्लेख करना चाहूंगा दीघा-तामलुक लाइन के लिए भूमि को अधिग्रहण कर लिया गया था और नींव रखी गई थी। लोकसभा के चुनावों से पहले रेल मंत्री द्वारा एक आश्वासन दिया गया था कि वे उस लाइन पर कार्य शुरू कर देंगे लेकिन 1000 रु० की थोड़ी सी राशि इस विशेष लाइन के लिए मंजूर की गई। हमें बताया गया था कि योजना आयोग ने इस योजना के लिए अभी मंजूरी नहीं दी है।

अब मैं पुरूलिया कोटशिला रेलवे लाइन को छोटी लाइन से बड़ी लाइन में बदलने के मुद्दे पर आता हूं। इसकी घोषणा श्री केदारपांडे ने की थी जो उस समय रेल मंत्री थे। रेलवे बोर्ड ने इस प्रस्ताव को योजना आयोग के पास भेज दिया है लेकिन आयोग ने अभी तक इसकी स्वीकृति नहीं दी थी। यह एक छोटी सी परियोजना है। इस परियोजना का अनुमान केवल 6 करोड़ रु० है यह बोकारो और पुरूलिया को, जो हमारे देश में 15 पिछड़े हुए जिलों में से एक है, मिलायेगी।

दूसरा मुद्दा, जो मैं उठाना चाहता हूं वह बांकुरा-रानीगज के बारे में है। मेजिया में एक तापीय बिजली घर स्थापित किया जा रहा है यह लाइन बोकारो को रानीगंज के साथ मिलायेगी बोकारो एक उद्योग-रहित पिछड़ा हुआ जिला है। मेरा अगला मुद्दा हावड़ा लाइन के सम्बन्ध में है। हावड़ा आमटा लाइन का शिलान्यास भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमति इंदिरा गाधी जी ने 1972 में किया था किन्तु इसका केवल एक तिहाई कार्य पूरा हुआ है जो हावड़ा से बारगछिया तक है। हावड़ा आमटा लाइन के लिए कोई राशि मंजूर नहीं की गई है।

बज-बज नामखाना लाइन के सम्बन्ध में योजना आयोग ने अपनी स्वीकृति दे दी थी।

जहां तक कलकत्ता मेट्रो रेल का सम्बन्ध है। आपने इस रेल के लिए केवल 84 करोड़ रुपया मंजूर किया। इससे उद्देश्य पूरा नहीं होगा क्योंकि इसे आपको 1989 तक पूरा करना है है जब तक आप 100 करोड़ रुपये वार्षिक की मंजूरी नहीं देते यह आपकी निर्धारित तिथि तक पूरा नहीं होगा।

परिक्रमा रेल के सम्बन्ध में एक समस्या है, आप जानते हैं कि कुछ लोगों ने रेलवे भूमि पर अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया है। पश्चिमी बंगाल की सरकार और मुख्यमंत्री ने इन लोगों के पुनर्वास के लिए प्रस्ताव भेजा है। राज्य सरकार कीमत का 50% वहन करेगी अर्थात् 20 लाख रुपये। उन्होंने प्रार्थना की है कि बाकी 50% अर्थात् 20 लाख रुपया उनके पुनर्वास के लिए रेलवे को वहन करना चाहिए। इसलिए मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि वह पश्चिमी बंगाल की सरकार के प्रस्ताव का 50 प्रतिशत भाग वहन करने की मंजूरी दें।

कर्मचारी कल्याण के बारे में बहुत कुछ कहा गया है कि उनके क्वाटरों के निर्माण के लिए राशि बढ़ा दी गयी है। अब केवल 20% रेल कर्मचारियों को रेलवे के क्वार्टर प्राप्त हुए हैं और आप केवल 5000 क्वार्टर बनायेंगे। 15 लाख कर्मचारियों में से केवल 2 लाख कर्मचारियों के पास क्वार्टर हैं। इसलिए 5 हजार क्वाटरों से समस्या का हल नहीं हो सकता।

अब मैं अस्पतालों के बारे में कुछ कहूंगा वहां 107 अस्पताल और 523 स्वास्थ्य इकाइयां है लेकिन वे कितने कर्मचारियों के परिवारों के लिए हैं। 15 लाख रेल कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए आप प्रति कर्मचारी 15.50 रु० खर्च कर रहे हैं। क्या यह काफी है ?

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और मैं किराये भाड़े में की गई बढ़ोतरी का विरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री जी० एस० मिश्र० (सिवनी) : महोदया, इतना अच्छा रेलवे बजट प्रस्तुत करने के लिये मैं मंत्री महोदय को बधाई देता हूं और कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं।

पिछले कुछ वर्षों में 22 नई रेलवे लाइनें बन गई, 100 करोड़ रुपया नई रेलवे लाइनों के लिये अभी आपने रखा है और 50 करोड़ रुपया कन्वर्जन के लिए, मीटर गेज से या छोटी लाइन से बड़ी लाइनों के लिये रखा है, लेकिन पार्लियामेंट की और गवर्नमेंट की कई कमेटियों ने जो सुझाव दिये थे, उन पर आपका ध्यान अभी तक नहीं गया, इसके लिए मैं थोड़ा अफसोस भी जाहिर करता हूं।

स्टेट रीआर्गेनाइजेशन कमीशन ने जबलपुर से रायपुर तक को नई रेलवे लाइनों द्वारा जोड़ने के लिये लिखा था, उधर अभी तक आपका ध्यान नहीं गया है। इतना ही नहीं जबलपुर से गोंदिया नेरोगेज को ब्राडगेज में कनवर्शन करने के लिए अनइकोनमिक ब्रांच लाइन्स कमेटी ने 1969 में कहा था कि

[अनुवाद]

इस प्रणाली को बड़ी लाइन में बदलने पर विचार करना होगा। प्रणाली के दो खंड है—दक्षिण-पूर्वी रेलवे की बड़ी मुख्य लाइन का उत्तर-खण्ड तथा इसका दक्षिणी खण्ड। हमारा विचार है कि उत्तरी खण्ड जिसमें परासिया-छिंदवाड़ा-सिओनी-नैनपुर-मांडला फोर्ट तथा जबलपुर-नैनपुर-बेलाघाट-गोंदिया तथा इसकी शाखायें आती हैं को धीरे-धीरे बड़ी लाइन में बदलने के लिए सर्वेक्षण किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

महोदय, उसके बाद कमेटी ऑफ पेटीशन की 34वीं रिपोर्ट जो कि 4 नवम्बर 1976 को सदन में पेश की गई थी, में कहा गया है कि—

[अनुवाद]

समिति आशा करती है कि जबलपुर-गोंदिया खण्ड में संकरी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कार्य रेल मन्त्रालय द्वारा प्राथमिकता के आधार पर उनके द्वारा परिकल्पित चार वर्ष की अवधि में पूरा कर दिया जायेगा।

[हिंदी]

चार साल के अन्दर 1976 में आपकी मिनिस्ट्री मे गोंदिया और जबलपुर के बीच की लाइन को ब्राडगेज में कनवर्शन करने की कमेटी ऑफ पेटीशन को अपनी राय दी थी, लेकिन उसको आप भूल गये।

श्री गनी खां चौधरी साहब ने बालाघाट स्टेशन पर इस बारे में घोषणा भी कर दी थी, लेकिन इस बात को दूसरे चौधरी साहब भी मानें तब न। उसमें यह लिखा था कि—

[अनुवाद]

समिति यह भी सिफारिश करती है कि रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) द्वारा सतपुरा श्रृंखला में संपूर्ण संकरी लाइन प्रणाली को बदलने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाये ताकि इस पिछड़े तथा अविकसित क्षेत्र के आर्थिक विकास में तेजी लायी जा सके।

समिति यह आशा करती है कि पूंजीगत निवेश पर प्रतिफल ही इस परियोजना की प्राथमिकता को निश्चित करने का एक मात्र मापदण्ड नहीं होगा तथा इस मामले में इस पिछड़े क्षेत्र की विशेष आवश्यकताओं पर उचित ध्यान दिया जायेगा।

[हिंदी]

इसके अलावा और भी कई चीजें हैं। यह रेलवे लाइनें आज से 75-80 साल पहले बनी थीं। उस समय 7 हजार रेलवे स्टेशन बने और उन स्टेशनों पर वेटिंग रूम और मुसाफिरखाने बनें वेटिंग रूम अपर क्लास पेसेंजर के लिए और मुसाफिरखाना सैकिण्ड क्लास पेसेंजर जिन्हें पहले थर्ड क्लास पेसेंजर कहा जाता था, के लिए थे। आज आप अधिकांश मुसाफिरखानों में पायेंगे कि उनमें गाय, बैल, कुत्ते, गधे और मनुष्य एक साथ रहते हैं। मंत्री जी चाहें तो रात में कभी भी आकर देख सकते हैं। जैसा कि गीता में कहा गया है।

शुनिचैव श्वपाके च पंडिताः समदार्शनः

आप पंडित हैं इस कारण सब को बराबर की नजर से देखते हैं।

[अनुवाद]

श्री एच० ए० डोरा (श्रीकाकुलम) : अर्थात् शान्तिपूर्वक सह-अस्तित्व।

श्री डी० एस० मिश्र : इनकी गधों, गायों तथा अन्य पशुओं के साथ शान्तिपूर्वक साथ-साथ रहने में बहुत रुचि है। मुझे कोई एतराज नहीं है।

[हिंदी]

अभी भी अधिकांश रेलवे में रेलवे लाइन का कटा हुआ छोटा सा टुकड़ा औ घंटे के रूप में टंगा हुआ काम आता है, वह घंटा भी आप ने नहीं बदला। फिर पानी की क्या हालत है? ऐमेनिटीज पर इतना रुपया खर्च किया जाता है लेकिन अधिकांश स्टेशनों पर फिल्टर्ड और क्लोरिनेटेड वाटर पीने के लिए नहीं मिलता। बिलकुल रा-पानी मिलता है और गर्मियों में तो बहुत ही मुसीबत होती है, ऐसा पानी मिलता है। कुछ ही स्टेशनों पर जो बड़े स्टेशन हैं वहीं फिल्टर्ड वाटर मिलता है अन्यथा अधिकांश पर नहीं मिलता है।

जहां तक खाने की बात है आप ने खुद मंजूर किया है अपनी रिपोर्ट में कि अब एल्यूमिनियम के कैसरस्स में हाइजिनिक खाना दिया जायेगा, यानी जहां एल्यूमिनियम के कैसरस्स नहीं हैं, जो रेलवे स्टेशनों पर पूड़ी भांजी बेचते हैं, मैंने खाया है इसलिए मैं जानता हूं, चौधरी साहब ने भी खाया होगा, उनको पता होगा कि सब्जी रहती है आलू की और उसमें एकाध टुकड़ा आलू का होता है, बाकी मिर्च और नमक का पानी रहता है और पूरी, एक ठंडी एक गरम, एक ठण्डी एक गरम इस तरह दबा कर रखते हैं और वही खाना पड़ता है। अधिकांश लोग वही खाते हैं। यह कैसरस्स वाले खाने में जो खर्चा ज्यादा आप कर रहे हैं और आप ने इसमें करीब 2 करोड़ रुपया मुनाफा भी प्राप्त किया है, तो स्टेशनों पर जो ठेकेदारों द्वारा खाना बेचा जाता है उसमें कुछ सुधार लाएं क्योंकि वह भी हमारे देश के भाई हैं जो उस खाने को खाते हैं।

फिर आर० पी० एफ०, जी० आर० पी०, डा स्क्वाड और विजिलेंस के बावजूद··· (व्यवधान)···

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए। आज 25 और वक्ताओं ने बोलना है। आपके दल के प्रत्येक सदस्य के लिए जितना समय तय किया गया था वह पहले ही ले चुके हैं।

[हिन्दी]

श्री जी० एस० मिश्र : मैडम अभी तो मैंने शुरू ही किया है। अभी तो मैंने एक पेज भी नहीं पढ़ा। इनके ऊपर तो इतनी दया रही कि इतनी देर तक बोलने दिया। मैं एक दो मिनट और लूंगा, ज्यादा नहीं।

इनके बावजूद क्लेम्स की कमी नहीं है। बहुत थोड़ी कमी हुई है। हां, वकीलों की फीस काफी बढ़ गई है। जितना आप प्रोटेक्शन फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं उतनी ही गड़बड़ी बढ़ती जा रही है। यह कैसा सम्बन्ध है? क्या मेल है? यह मेरी समझ में तो आता नहीं। आप थोड़ा समझा कर ज्ञानवान बनाने की कोशिश करें तो मैं बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा।···(व्यवधान) आप चौधरी हैं, चारों तरफ देखते हैं।

रेलवे की जमीन और रेलवे की जो प्रापर्टी है वह किसी की भी प्रापर्टी है, वह किसी की भी जमीन है। पक्की इमारतें बन गई हैं। उससे जो आफिसर्स हैं उनको महीना मिलता है, किराया वसूल करते हैं। इस पर भी ध्यान दीजिए कि पूरे हिन्दुस्तान में रेलवे की जमीन पर कितना एन्क्रोचमेंट है और वह एन्क्रोचमेंट आफिसर्स की मिली-भगत के कारण है।

एक और चीज कहता हूं—स्पोर्ट्स पर आप 35 लाख रुपये प्रति वर्ष खर्च करते हैं लेकिन पिछले कुछ वर्षों में दस पन्द्रह बीस वर्षों में जिसमें जनता पार्टी के हमारे दण्डवते जी भी रेल मंत्री रहे हैं एक भी खिलाड़ी जिसका आप नाम ले सकें, जिस की छाती पर चौधरी साहब खुद तमगा लगा सकें, आज तक नहीं हुआ है…

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्टसगंज) : पी० टी० ऊषा ने पांच मेडल लिए हैं, चार गोल्ड मेडल और एक कांस्य मेडल।

एक माननीय सदस्य : वह भी अब हुआ है। दण्डवते जी के वक्त में नहीं।

श्री जी० एस० मिश्र : मैं आप को धन्यवाद देता हूं। खिलाड़ी से मेरा मतलब क्रिकेट और हाकी से था। पी० टी० ऊषा तो एथलीट हैं।

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : क्रिकेट तो हमारे मिनिस्टर सिंधिया जी खुद खेलते हैं।

श्री जी० एस० मिश्र : उनके सोने का मेडल लगवा दीजिए तो हम मान जायेंगे।

यह जरूर है कि जो क्लब हैं रेलवे के उनमें अधिकांश रुपया चला जाता है और वहां पर जुआ होता है। वास्तव में क्रिकेट और हाकी, जो इन्टरनेशनल गेम्स हैं, उन पर रुपया खर्च करायें और उनके लिए अलग से बंटवारा करदें तो बड़ा अच्छा होगा। ध्यान चन्द और रूप सिंह जैसे खिलाड़ी रेलवे ने ही पैदा किए थे…

श्री अजय मुशरान (जबलपुर) : ध्यान चन्द तो फौज के थे।

श्री जी० एस० मिश्र : फौज में बाद में लिए गए थे, पहले रेलवे में लिए गए थे। **(व्यवधान)** मैं समाप्त कर रहा हूं।

रेलवे की अनमैन्ड रेलवे क्रासिंग्ज पर बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स होते रहते हैं अतः उनको रोकने की ओर कुछ न कुछ ध्यान आपको जरूर देना चाहिए।

इन्हीं सुझावों के साथ, आपको धन्यवाद देते हुए, मैं प्रस्तुत रेलवे बजट का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

प्रो के० वी० थामस (एरणाकुलम) : सभापति महोदया, सर्वप्रथम, मैं माननीय परिवहन मंत्री, श्री बंसीलाल और उनके साथी, माननीय माधवराव सिंधिया को एक बहुत ही अच्छा रेल बजट प्रस्तुत करने के लिए बधाई देता हूं। सामान्यतः रेल बजट से लोगों का गुस्सा बढ़ जाता है। इस बार गुस्से की बजाय उन्होंने राहत की सांस ली है। यही कारण है कि बुढ़े लोगों ने भी रेल बजट का हार्दिक स्वागत किया है।

इस बजट की कतिपय मुख्य विशेषतायें हैं। यात्रा करने वाली जनता में से इसने केवल 10% जनता को ही प्रभावित किया है। उपनगरीय यात्रियों को लगभग बिल्कुल छोड़ दिया गया है। माल यातायात पर नियंत्रण रखा गया है।

केरल की जनता का प्रतिनिधि होने के कारण, मैं विशेष रूप से श्री बंसीलाल जी का धन्यवादी हूं क्योंकि माल यातायात में किसी भी वृद्धि का मेरे राज्य पर प्रभाव होता क्योंकि खाद्यान्न, इंधन, सब्जियां तथा सभी कच्चा माल केरल में बहुत दूर के स्थानों से आता है।

एक और महत्वपूर्ण प्रभाव यह है कि योजना परिव्यय में वृद्धि हुई। 1985-86 में परिव्यय 2050 करोड़ रुपये था और इस वर्ष इसे बढ़ाकर 2650 करोड़ रुपये कर दिया गया है। लगभग 370 करोड़ रुपये आन्तरिक संसाधनों से जुटाये गये हैं। यह वास्तव में एक अति प्रशंसनीय उपलब्धि है।

इस सम्बन्ध में मैं कतिपय तथ्यों का जिक्र करना चाहूंगा जिन पर माननीय रेल मन्त्री का ध्यान दिलाने की जरूरत है। एक सुरक्षा की दृष्टि से है। सरकारी रेलवे पुलिस (जी० आर० पी०) तथा रेलवे सुरक्षा बल (आर० पी० एफ०) हैं जो रेलवे विभाग में सुरक्षा के कार्य को देखते हैं। इन दो बलों के बीच कोई उचित समन्वय नहीं है। सामान्यत: राज्य सरकार उन पुलिस वालों को जी० आर० पी० में स्थानांतरण करती हैं जो कुशल नहीं हैं। उन पुलिस कर्मियों को उचित प्रशिक्षण दिया चाहिए जिन्हें रेलवे में सुरक्षा का कार्य सौंपा गया है।

अगर आप आंकड़ों को देखें तो इससे स्पष्ट होगा कि हमें कितने कड़े सुरक्षा प्रबन्ध की आवश्यकता है। 1980-81 में रेलवे की 150.6 लाख रुपये के सामान और उपकरणों की चोरी हुई। जब हम 1984-85 की स्थिति पर आते हैं तो यह राशि बढ़कर 187.16 लाख रुपये हो गयी। 1980-81 में बुक कराये गये माल में घाटे को देखें तो, 529.4 लाख रुपये का बुक कराया गया माल खो गया या चुरा लिया गया था। 1984-85 में यह चोरी या घाटा बढ़कर 554.4 लाख रुपये हो गया है। परन्तु हम अभी भी देखते हैं कि रेल-सम्पत्ति की बढ़ती हुई चोरी को कम करने के लिए कोई कारगर उपाय नहीं किये गये।

जहां तक बेटिकट यात्रा करने वालों का सम्बन्ध है, 1982-83 में बेटिकट यात्रा करते पकड़े गये लोगों की संख्या 52.77 लाख थी और और 1984-85 में यह बढ़कर 67.7 लाख हो गयी है। अर्थात्, बेटिकट यात्रा करने वालों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। कारगर कदम उठाने होंगे और कारगर कदम केवल तभी उठाये जा सकते हैं जब बेटिकट यात्रा पर नियंत्रण करने कि उचित प्रबन्ध हो।

एक और बात जो मैं माननीय मन्त्री के ध्यान में लाना चाहता हूं वह सुविधाओं से संबंधित है। यहां पर मैं केवल एक बात सभा के ध्यान में लाना चाहता हूं कि शौचालयों को किस प्रकार से रखा जाता है। जब तक आप अपनी नाक बन्द न कर लें तब तक आप नई दिल्ली या किसी अन्य रेलवे स्टेशन के शौचालयों में प्रवेश नहीं कर सकते। कम से कम इस मूलभूत सुविधा को सभी रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध कराना होगा।

जहां तक खाद्य पदार्थों की सप्लाई का सम्बन्ध है, मेरे माननीय मित्र ने स्पष्ट किया है किया तो उसकी किस्म घटिया होती जा रही है या फिर उनके मूल्यों में वृद्धि होती जा रही है। इस बारे में कुछ कराना होगा।

अपने राज्य केरल के बारे में मेरे पास बहुत सी शिकायतें हैं। अपर्याप्त धनराशि के आबंटन के बारे में हम लगातार माननीय मन्त्री को अभ्यावेदन देते आ रहे हैं।

1984-85 में हमें 9.71 करोड़ रुपये दिये गये थे।

1985-86 में इसे घटाकर 6.36 करोड़ रुपये कर दिया गया।

इस वर्ष इसे और घटाकर 5.24 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

हमारी एक महत्वपूर्ण रेल परियोजना, अर्थात् एर्नाकुलम-एलप्पी को 1975 में शुरू किया किया गया था। इसे 1985 में पूरा किया जाना था।

इसी प्रकार से, एलप्पी-कयमकुलम रेलवे लाइन को पूरा करना है। परन्तु हमें नहीं मालूम कि ये कब तक पूरी होगी। हमने अन्य परियोजनाओं के लिए काफी अभ्यावेदन दिये हैं, अर्थात् कोचीन-मदुरई रेल लाइन, तिरुचर गुरवायूर-कुट्टीरपुरम रेल लाइन। उन्हें निर्धारित समय में पूरा करना होगा।

इसी तरह से केरल में रेल लाइनों का विद्युतीकरण करने का प्रस्ताव है। एर्नाकुलम से त्रिवेन्द्रम रेल लाइन की पूरी क्षमता का प्रयोग किया जा रहा है इस लाइन को दोहरा किया जाना चाहिए।

चिंगननूर-कयामकुलम-त्रिवेन्द्रम रेल लाइन के सर्वेक्षण का प्रस्ताव है। इसे शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए इसका कार्य भी एर्नाकुलम-त्रिवेन्द्रम रेल लाइन का दोहरा बनाना है।

आपकी अनुमति से, मैं मलयालम मनोरमा के एक सम्पादकीय लेख को पढ़ूंगा। इसमें कहा है कि रेल बजट के पश्चात् केरल को कुछ नहीं मिला है—

'केरलायुला ओन्नुमिल्ला' : यह एक लम्बा सम्पादकीय लेख है और इसके अन्तिम वाक्य में कहा गया है कि केरल के प्रतिनिधि यहां सो रहे हैं। अगर लोग इसे पढ़ते हैं तो वे सोचेंगे कि हम यहां कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। आपको मालूम है कि हमने कई अभ्यावेदन दिये हैं। हमारे मुख्यमन्त्री यहां आकर आपसे मिले थे। केरल के सभी संसद सदस्य आपसे मिले हैं यह एक बहुत ही उचित मांग है। हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। हम जानते हैं कि हमारे प्रिय प्रधानमन्त्री ने मुसीबतों में हमारी सहायता की है। अभूतपूर्व बाढ़ के समय उन्होंने हमें 135 करोड़ रुपये दिये थे। हमारे नारियल संकट के समय सरकार ने पहले ही 30 करोड़ रुपये दिये हैं। 'नफेड' अब हमारी इस क्षेत्र में सहायता कर रहा है। परन्तु रेलवे परियोजनाओं के मामले में जब तक हमारे परिवहन मन्त्री, बंसीलाल जी इस पर गम्भीरता से विचार नहीं करेंगे तब तक हमारी स्थिति खराब रहेगी।

एक और प्रार्थना है। तेलीचरी की हाल की दुर्घटना के दौरान, रेल मन्त्री ने वहां जाकर स्थिति का अध्ययन करने की अति कृपा की थी। उन्होंने मृत व्यक्ति के परिवार को 3000 रुपये तथा प्रत्येक घायल यात्री के लिए 500 रुपये की अनुग्रह राशि स्वीकृत करने की कृपा की थी। एक और सुझाव है। हमें मालूम है कि यह थोड़ा कठिन है। परन्तु दुःखद स्थिति को देखते हुए आप कोई तरीका निकाले ताकि मृत व्यक्तियों पर आश्रित व्यक्तियों को रेलवे में रोजगार दिया जा सके।

हमारी प्रिय प्रधानमन्त्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान आश्वासन दिया गया था कि केरल में रेल के डिब्बे की एक फैक्टरी स्थापित की जाएगी, लेकिन इसकी स्थापना किसी और स्थान पर कर दी गई। इसलिए कृपया रेलगाड़ी के डिब्बे बनाने की एक और फैक्टरी या रेलवे की किसी अन्य प्रमुख परियोजना पर विचार करते समय हमारे राज्य के बारे में विचार करें।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर (बंगलौर दक्षिण) : मैं रेल बजट का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। अपने वक्तव्य को मैं कुछ एक मिनटों में सही सिद्ध कर दूंगा।

हम आशा करते हैं कि गाड़ी हमेशा आगे बढ़े कभी कभी इसे पीछे की ओर चलने के लिए भी बाध्य होना पड़ता है। परंतु दुर्भाग्य से हमारी रेलवे का विकास हमेशा पिछड़ा रहा है। हमारा रेलवे सबसे बड़ा विश्व में दूसरे नम्बर का सबसे बड़ा संगठन है। हर रोज इसमें लगभग एक करोड़ यात्री यात्रा करते हैं। हमारे देश, हमारी अर्थव्यवस्था का विकास बहुत कुछ रेलों के विकास पर निर्भर करता है। लेकिन यह कहते हुए मुझे बहुत खेद है कि ऐसा, प्रतीत होता है कि इस तथ्य को खासकर योजना आयोग ने भुला दिया है। पिछली बजट चर्चा के दौरान हमने एक मत से यह निवेदन किया था कि रेलवे के लिए धनराशि के आबंटन में वृद्धि की जाए। लेकिन दुर्भाग्य से इसका कोई परिणाम नहीं निकला। मालूम नहीं इस बार क्या होगा। बहुत से सदस्य आंकड़ों का उल्लेख कर ही चुके हैं इसलिए मैं वह सब दोहराना नहीं चाहता जो उन्होंने कहा है। परन्तु मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि रेलवे के लिए योजना आबंटन बहुत निराशाजनक रहा है। मुझे मालूम कि रेल मन्त्री इस बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन जहां तक मेरा सम्बन्ध और मुझे विश्वास है कि दूसरी योजना में यह कुल योजना परिव्यय का 20% हुआ करता था। छठी योजना में यह 5.23% था और अब यह 7% से कम है। छठी योजना में कुल आबंटन से यह ज्यादा हो सकता है पर कुल योजना परिव्यय की तुलना में यह वास्तव में बहुत अधिक निराशाजनक है।

हर मन्त्रालय, हर विभाग अपने विकास के लिए रेलवे पर निर्भर करेगा। मैं नहीं जानता कि वित्त मन्त्रालय और योजना आयोग ने इस सच को क्यों नहीं पहचाना है। रेलवे के विकास के लिए उन्हें पर्याप्त धनराशि आबंटन करनी चाहिए थी।

मैं यह प्रमाणित करने के लिए अनेक आंकड़े उद्धृत कर सकता हूं कि रेलों का विकास आशा के अनुरूप नहीं हुआ है। मैं एक या दो उदाहरण और देना चाहता हूं। यह रेल मार्गों के नवीकरण से बकाया काम के बारे में है। मैं कहूंगा—बहुत से माननीय सदस्य भी पहले कह चुके हैं—कि छठी योजना में यह 13,000 किलोमीटर था। अब यह 20,000 किलोमीटर है। इसी प्रकार छठी योजना में मालडिब्बों और यात्री डिब्बों की खरीद को भी इसने बेअसर कर दिया है। जो भी हम अर्जित करने जा रहे हैं वह रद्दी घोषित किए जा रहे चलस्टाक के कारण निष्प्रभावी हो गया है। माननीय मन्त्री ने आंकड़े पहले ही दे दिए हैं। मै एक आंकड़ा देना चाहता हूं। 1984-85 में हमें सप्लाई दी गई पुस्तकों के अनुसार 12371 मालडिब्बों को अर्जित किया गया। कितने रद्दी घोषित किये गये 13620 मालडिब्बे रद्दी घोषित किये गये। इसी तरह से उसी साल के दौरान 1250 यात्री डिब्बे अर्जित किये गये और 1145 रद्दी घोषित किये गये। महोदया, मैं पूछना चाहता हूं कि प्रगति कहां हुई है? मैं माननीय मन्त्री और इस सम्मानित सदन के सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि प्रगति कहां हुई है। हम इस समय कहां हैं। अपने बजट भाषण के दौरान मन्त्री जी ने जिस वक्तव्य का उल्लेख किया है—उसमें उन्होंने एक वाक्य का उल्लेख किया है। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य अगर उस पर सावधानीपूर्वक विचार करेंगे—उसमें आपको बोलने का उत्साह नहीं रहेगा। यह इस प्रकार है। पृष्ठ 3 के पैरा 4 में इसका उल्लेख है "रेलवे को आबंटित समग्र सीमित संसाधनों और उसके परिणाम स्वरूप गाड़ियों और इन्जनों की सीमित उपलब्धता के साथ-साथ रेल मार्गों के नवीकरण जैसे सुरक्षा उन्मुख पुनर्वास कार्यों को दी जाने वाली प्राथमिकता तथा माल यातायात के लिए अति-

रिक्त क्षमता उत्पन्न करने से सम्बन्धित अपेक्षित कार्यों के कारण देश की अर्थव्यवस्था के हित में रेलवे के लिए कुछ और समय तक यात्रियों के आवागमन के लिए पर्याप्त अतिरिक्त क्षमता उत्पन्न करना कठिन होगा।" इसीलिए हम चिल्लाते हैं। मन्त्री जी ने स्वयं अपनी असमर्थता को स्वीकार किया है। वह और अधिक कुछ नहीं कर सकते। स्थिति यह है। इसीलिए मैं कह रहा था कि हम आगे की ओर न जाकर पीछे की ओर जा रहे हैं। मैं सदन के ध्यान में दो-तीन आंकड़े और लाना चाहता हूं। जहां तक यात्रियों के आवागमन का सम्बन्ध है, हमें जो आंकड़े दिए गए हैं उनके अनुसार 1980-81 में यह 3613 मिलियन किलोमीटर था। 1984-85 में यह केवल 3333 मिलियन किलोमीटर था। 1981-82 में सभी यात्रियों द्वारा तय की गई कुल दूरी 2,20,787 किलोमीटर थी। 1984-85 में इसमें थोड़ी सी वृद्धि हुई, अर्थात् यह 2,26,582 किलो मीटर हो गई। यहां तक कि 1981-82 में ढुलाई 221.20 मिलियन और 1984-85 में यह 236.43 मिलियन हुई।

बहुत से माननीय सदस्यों ने रेलवे अभिसमय समिति इसकी सिफारिशों और रेलवे सुधार समिति का भी उल्लेख किया है। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है कि रेलवे के सुधार, रेलवे के विकास को मापने का सही मानदण्ड यह है कि उन्हें नए रेल मार्गों, खासकर रेल मार्गों के विकास के लिए विशेषतौर पर ऐसे क्षेत्रों में जहां रेल लाइनें नहीं है जो दूर दराज और सामरिक महत्व के क्षेत्र हैं, कार्य करना चाहिए। जब तक नए मार्ग नहीं बनते और रेल मार्गों का विकास नहीं होता तब तक रेलवे का विकास नहीं हो सकता। मैं मानता हूं कि चल स्टाक का रखरखाव करना बहुत महत्व रखता है और रेलमार्गों का नवीकरण भी बहुत महत्व रखता है। आप मूल्यह्रास आरक्षण निधि की व्यवस्था क्यों करते हैं? क्योंकि पुराने रेल मार्गों की जगह नए रेल मार्ग बनाने, पुराने मालडिब्बों और इन्जनों की जगह नये मालडिब्बों और इन्जनों के लिए पैसे की जरूरत होती है। लेकिन इनके रख-रखाव के साथ-साथ पुनर्वास, नई लाइनें बिछाना, रेल मार्गों का विस्तार भी समान महत्व रखता है। इस बजट को तैयार करते समय माननीय मन्त्री इस बात को भूल गए। इसके लिए उन्होंने अपनी असमर्थता व्यक्त की है।

महोदया, जहां तक विद्युतीकरण का संबंध है—बहुत से सदस्यों ने अभी-अभी इसके बारे में कहा—यह भी बहुत निराशाजनक है। रेल मार्गों का विद्युतीकरण रेलवे में परिवहन का सबसे सस्ता माध्यम है पर दुर्भाग्य से यह कार्य भी पीछे की ओर जा रहा है। तीसरी योजना में 1678 किलोमीटर लाइन का विद्युतीकरण किया गया। छठी योजना में केवल 1572 किलोमीटर लाइन का विद्युतीकरण हुआ। 1980-81 में केवल 440 किलोमीटर लाइन को विद्युतीकरण किया गया। मैं माननीय मन्त्री का ध्यान विद्युतीकरण के लिए किए गए प्रावधान की ओर दिलाना चाहता हूं। पिछले साल आपने 210 करोड़ रुपए की व्यवस्था की थीं और इस साल इसे घटाकर 180 करोड़ रुपए कर दिया गया।

नए रेल मार्गों के लिए 1984-85 में 87.47 करोड़ रुपए और 1985-86 में 64.86 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी तथा 1986-87 में लगभग 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

अपने एक उत्तर में माननीय मन्त्री ने उल्लेख किया है कि निर्माणाधीन कार्यों, नई लाइनों को पूरा करने के लिए रेलवे को 1,350 करोड़ रुपए की जरूरत है। सभी निर्माणाधीन नए रेल

मार्गों को पूरा करने के लिए 1350 करोड़ रुपए की जरूरत है पर 1986-87 में केवल 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

इसी तरह छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने के लिए आपने 1985-86 में 30-40 करोड़ रुपए की व्यवस्था की थी। 1986-87 के लिए आपने 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। इसी उत्तर में मन्त्री जी ने बताया है कि निर्माणाधीन रेलमार्गों के ऐसे परिवर्तन के लिए रेलवे को 850 करोड़ रुपए की जरूरत होगी, लेकिन आपने 1986-87 के लिए मात्र 50 करोड़ 'रुपए की व्यवस्था की है। क्या आप वास्तव में इसे प्रगति और विकास कहेंगे या यह कहेंगे कि जहां तक विकास का सम्बन्ध है हम पीछे की ओर जा रहे हैं।

अब मैं अपने राज्य के बारे में बात करता हूं ताकि ऐसा न हो कि समय निकल जाये। पिछले साल इसी सदन में मैंने बताया था कि कर्नाटक के साथ बहुत अन्याय किया गया है। मैं तो कहूंगा कि इस साल कर्नाटक के साथ और अधिक अन्याय किया गया है। बहुत से अन्य राज्य भी यही कह रहे हैं। मैं अपने राज्य के मामलों के बारे में जानता हूं। सभापति महोदया, आप भी हमारे राज्य की हैं, इसलिए आप मुझसे बेहतर जानती होंगीं। पिछले 10 सालों से हम रेलवे से अनुरोध करते रहे हैं कि बंगलौर-मैसूर छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का काम पूरा किया जाए। काम 1979 में शुरू हुआ था। उस समय अनुमान था कि लगभग 25 करोड़ रुपए लगेगें। उन्होंने अभी तक 6 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। पिछले साल 50 लाख रुपए दिए गए थे जिसे बाद में बढ़ाकर 100 लाख रुपए कर दिया गया लेकिन इस साल मुझे नहीं मालूम कि किस आधार पर यह सब किया जाता है, धनराशि देने का मानदण्ड क्या है केवल 49 लाख रुपए की व्यवस्था गई है। इस हिसाब से आप इसे कब तक पूरा करेंगे? केवल 135 किलोमीटर का सवाल है। आप 9 साल तो लगा ही चुके हैं। केवल प्रारम्भिक काम चल रहा है। इसे आप कब तक पूरा करेंगे? यह एक अति-महत्वपूर्ण लाइन है। मालूम नहीं किस आधार पर बजट की व्यवस्था की जाती है। मन्त्री जी पिछले साल भी कह रहे थे कि सभी निर्माणाधीन योजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। मुझे विश्वास है कि 25 करोड़ रुपए का मूल अनुमान पर्याप्त नहीं है। यह लगभग 40 करोड़ रुपए होगा। मैंने रेल अधिकारियों से विचार विमर्श किया है। अगर इसे 1990 तक पूरा किया गया तो यह लागत 40 करोड़ रुपए से कम नहीं होगी। मुझे डर है कि धनराशि दी नहीं जाएगी और यह काम 20वीं शताब्दी तक पूरा नहीं होगा। हमें समझना चाहिए कि हम समृद्ध राष्ट्र के रूप में 21वीं सदी में प्रवेश कर रहे हैं। यदि यही प्रगति है तो मैं नहीं जानता कि कौन-सी समृद्धि हमारे पास होगी।

अब मैं चित्रदुर्गा-रायदुर्गा लाइन की बात पर आता हूं। जब श्री जाफर शरीफ रेल मंत्री थे, तो उन्होंने उस लाइन की मंजूरी दी थी। मैं समझता हूं कि यह 20 करोड़ की परियोजना है। गत वर्ष 10 लाख रुपए की एक सांकेतिक राशि की व्यवस्था की गई थी, शायद यह कर्मचारियों को भुगतान करने के लिए थी न कि काम के लिए। इसके बाद इसमें अन्य 10 लाख रुपया और बढ़ा दिया गया। इस वर्ष केवल 20 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। आप 20 लाख रुपए के साथ क्या कर सकते हैं? यह रोते हुए बच्चे को चाकलेट देने के समान है। चालू परियोजना के साथ ऐसा व्यवहार करने का यह तरीका ठीक नहीं है। यह बहुत महत्वपूर्ण रेलवे लाइन है। मैं

सुस्पष्ट रूप से आग्रह करता हूं कि पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए। मैं समझता हूं कि रेल प्रशासन से 2 करोड़ रुपए के लिए कहा जाए। मैसूर-बंगलौर बड़ी लाइन के बारे में यदि बजट में व्यवस्था है, तो वे 6 करोड़ रुपए भी खर्च करने को तैयार हैं। लेकिन आप वह नहीं कर रहे हैं। कर्नाटक के लोग निराश हैं।

मैंने विद्युतीकरण के बारे में बात की है।

वह रेल लाइनों के विद्युतीकरण के बारे में बोले थे उसमें कुछ राजनीति है। बंगलौर जोलारपेटै मार्ग का विद्युतीकरण हो गया है। पहली बात बंगलौर-मद्रास मार्ग का विद्युतीकरण करना था क्योंकि वह महत्वपूर्ण यातायात मार्ग है और दक्षिण में आर्थिक गतिविधियों का केन्द्र है। मद्रास और बंगलौर दो प्रमुख शहर हैं। इस परियोजना के लिए अर्थात बंगलौर और जोलर-पेट्राई के बीच विद्युतीकरण लिए छठी योजना में 25 करोड़ रुपए की एक राशि की व्यवस्था की गई थी परन्तु दुर्भाग्य से गत वर्ष में किसी राशि की व्यवस्था नहीं की गई थी। केवल एक सांकेतिक राशि की व्यवस्था की गई थी। इस वर्ष भी केवल 1000 रुपए की व्यवस्था की गई है। मैं नहीं जानता किस लिए ! मैं समझता हूं कि उन्होंने इस परियोजना के लगभग आधे भाग को छोड़ दिया है। हम इसका पूरी तरह से विरोध करने जा रहे हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण परि-योजना है। आप आधे रास्ते तक आए हैं। आप दूसरा आधे भाग को भी क्यों नहीं लेते ? मैं तर्क देकर आग्रह करता हूं कि बंगलौर जोलारपेटै की बंगलौर की तरफ से इसे लेना चाहिए ताकि बंगलौर परिवहन में भी सुधार हो सकें।

अन्य महत्वपूर्ण लाइनों को बदलने के बारे में भी आप अच्छी तरह से जानते हैं अर्थात् बंगलौर-मिराज लाइन, हुबली हासपेट लाइन और बंगलौर-सलेय लाइन को बड़ी लाइन में बद-लना। इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। हांलाकि मंत्री जी ने पहले ही जबाब दे दिया है। मैं उनसे कुछ लाइनों की व्यवस्था करने के लिए अनुरोध करता हूं। रेलवे सम्बन्धी दस्तावेजों में एक महत्वपूर्ण वचन दिया गया था। पिछले महीने एक शिष्ट मण्डल रेल मंत्री और प्रधानमंत्री से भी मिला था। यह आश्वासन दिया गया था कि कोट्टूर-हरीहर लाइन को भी शामिल किया जाएगा। परन्तु बदकिस्मती से हमें पता चला कि एक फुट नई रेल लाइन की भी व्यवस्था नहीं की गई। इससे बहुत निराशा हुई है।

इसी प्रकार सर्वेक्षण के बारे में है। जब कभी दबाव होता है तो सर्वेक्षण का आदेश दिया जाता है। हुबली-करवार रेल लाइन के लिए चौथा या पांचवां सर्वेक्षण चल रहा है। हर समय सर्वेक्षण किया जाता है, मूल अनुमान से दुगना या तीन गुना व्यय का अनुमान हो जाता है। जहां तक कर्नाटक का संबंध है, हुबली-कारवार लाइन और चमाराजंगर-मेटूपालयम लाइन एक सपना बन के रह गया है। जहां तक मेरे निर्वाचन क्षेत्र बंगलौर शहर का संबंध है जब से मैं सदस्य बना हूं मैं रेल मंत्री और रेल मंत्रालय से अनुरोध करता आ रहा हूं। हमारे मुख्य मंत्री जी ने भी कई पत्र लिखें हैं। बंगलौर शहर में यातायात की समस्या बहुत मुश्किल हो गई है। आपकी अपनी भूमिगत रेल परिवहन संगठन ने परिक्रमा रेल के लिए और बंगलौर शहर में भूमिगत रेल के लिए 650 करोड़ रुपए की एक योजना तैयार की है। जबकि अन्य महानगर भूमिगत रेल का लाभ उठाते हैं। सबसे बड़े शहर, तेजी से विकास करने वाले शहर और बंगलौर के सुन्दर शहर

को इस भूमिगत रेल से वंचित क्यों रखा गया है ? मैं रेल मंत्री जी से इस योजना को भी लेने का आग्रह करता हूं।

आज सुबह ही मैं सुझाव दे रहा था कि जहां कहीं भी रेल फाटक हैं वहां जहां तक संभव हो राज्य सरकार की सहायता से उपरि पुलों और निचले पुलों का निर्माण करना चाहिए। मैं आपको बीच शहरों में चलने वाली रेल लाइनों के बारे में बताता हूं। मैंने इसे अपने निर्वाचन क्षेत्र बंगलौर शहर में भी महसूस किया। मेरा सुझाव है कि रेल मंत्री जी को यह देखना चाहिए और संबंधित रेलवे को उन रेल लाइनों के दोनों तरफ बाड़ लगाने का अनुदेश देना चाहिए जो शहरों के बीच से गुजरती है।

अन्त में रेल किरायों को बढ़ाये जाने का मैं विरोध करता हूं। गत वर्ष एक ही साथ किरायों में 10% वृद्धि की गई थी। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और आप कहते हैं कि पहले 250 कि० मी० के लिए एक्सप्रेस और मेल गाड़ियों के दूसरे दर्जे में 7½% की वृद्धि हुई है। यह अन्याय है। बस किराए निश्चित रूप से इससे अधिक होंगे। यह सुझाव दिया गया था कि उन्हें सड़क यातायात द्वारा जाना चाहिए। वह रेल किरायों की अपेक्षा अधिक होगा। अतः मैं आपसे इसे वापस लेने का अनुरोध करता हूं। 76 करोड़ रुपए कुछ नहीं हैं आप उस राशि को प्रबंध कुशल बना कर प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपसे एक बार फिर रेल किरायों में इस वृद्धि को वापस लेने का अनुरोध करता हूं।

मुझे विश्वास है कि श्री बंसी लाल जैसे अनुभवी व्यक्ति योजना आयोग से अपनी बात मनवा सकते हैं। पूरा सदन आपके साथ है। इस वार्षिक योजना के लिए 2600 करोड़ रुपए कुछ नहीं हैं। आप इसके साथ कुछ नहीं कर सकते है ?

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री राम पाल सिंह (अमरोहा) : महोदया, मैं माननीय मंत्री जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने रेलवे का इतना संतुलित बजट प्रस्तुत किया। आम आदमी पर कोई भार और बोझ नहीं पड़ा है और जिन व्यक्तियों पर बोझ पड़ा है, उन पर ज्यादा भी पड़ जाता तो कोई अन्तर नहीं पड़ता।

मैं मंत्री महोदय का आपके माध्यम से 4, 5 बातों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे मुरादाबाद से काशीपुर रामनगर को जो रेलवे लाइन जाती है, उसके बीच में भोजपुर पड़ता है। भोजपुर से कोटद्वार के लिये एक रेलवे लाइन का सर्वेक्षण 10,15 वर्ष पहले हुआ था, लेकिन उसमें कोई आगे बढ़ोतरी नहीं हुई, उसका क्या हुआ ?

5.00 म. प.

दिल्ली और मुरादाबाद के बीच में गजरौला स्टेशन पड़ता है वहां से बछराला के लिये एक रेलवे लाइन की व्यवस्था कर दें तो काफी अच्छा होगा। ऐसे ही गजरौला रेलवे स्टेशन पर एक प्लेटफार्म की भी व्यवस्था होनी आवश्यक है।

पंजाब मेल अमृतसर हावड़ा के बीच में चलती है, लेकिन मुरादाबाद और लखनऊ के बीच में काफी भीड़ रहती है, अगर आप लखनऊ से मुरादाबाद तक एक फस्ट क्लास कुर्सीयान

की व्यवस्था कर दें तो यात्रियों को काफी सुविधा होगी क्योंकि दिल्ली की तरफ से जाने वालों और वहां से आने वालों को काफी परेशानी होती है।

आजकल फस्ट क्लास और ए० सी० सी० सैकिण्ड क्लास में काफी भीड़ रहती है। हमने देखा है कि उन डिब्बों में लिखा होता है कि सोने का स्थान चार और बैठने का स्थान 6। वैसे तो एक-एक बर्थ में 5-5 व्यक्ति बैठ जाते हैं, किन्तु आप इसको कानूनी रूप दें कि सोने का स्थान 4 व्यक्तियों का और बैठने का 8 व्यक्तियों का स्थान। यह सुविधा मिल जाने से यात्रियों को काफी राहत मिलेगी।

मुरादाबाद से नजीबाबाद को जो लाइन जाती है इसमें अगवानपुर और मतलबपुर स्टेशन के बीच की दूरी 11 किलोमीटर है। वहां से विद्यार्थी दिल्ली और मुरादाबाद आते और जाते हैं। उनकी परेशानी को दूर करने के लिये यदि आप बीच में सहारनपुर खण्ड में एक हाल्ट स्टेशन की व्यवस्था कर दें और उनमें पेसेंजर ट्रेन रुक जाये तो भी काफी राहत मिलेगी।

आजकल रात को सोने के लिये आरक्षण का समय 9 बजे से 6 बजे तक है। यदि आप 9 की जगह 10 बजे और सुबह 5 बजे तक कर दें तो उनको सोने के लिये 7 घंटे मिल जायेंगे और बैठने वालों को रात के 10 बजे तक बैठने का समय मिल जायेगा और उनकी परेशानी भी दूर हो जायेगी।

5.04 म०प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी मेरे द्वारा व्यक्त किये गये सुझावों पर विचार करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री निर्मल खत्री (फैजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, सब से पहले रेल बजट पर मैं रेल मंत्री को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने ऐसा बजट प्रस्तुत किया जिस में हमारी सामान्य जनता को नये करों के प्रस्ताव से काफी दूर रखा। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि नयी सरकार के आने के बाद नए मंत्रियों की व्यवस्था हमारे प्रधान मंत्री ने इस विभाग के सुचारु संचालन के लिए हमारे सामने रखी। जिस तरीके से हम भगवान कृष्ण की कल्पना करते हैं तो सिर्फ उन के व्यक्तित्व के साथ नहीं, उन के हाथ में जो बांसुरी होती है उस को देख कर के करते हैं, उसी तरीके से माधव और बंशी को मिला कर के इस विभाग के सुचारु संचालन और तालमेल के लिए जिस तरीके से हमारे सामने हमारे प्रधान मन्त्री ने व्यवस्था रखी है, यही कारण है कि इस विभाग में विशेष तालमेल पिछले दिनों देखने को मिला है।

मैं अनुदानों की मांगों का समर्थन करते हुए इस बात के लिए भी बधाई देना चाहूंगा युवक होने के नाते कि अन्तर्राष्ट्रीय युवा वर्ष में नौजवानों को जो विशेष रियायती दरों पर घूमने की और आने जाने की सुविधा रेल मंत्रालय ने दी थी उस को इस वर्ष भी उन्होंने जारी और बरकरार रखा है। इस के लिए भी वह बधाई के पात्र हैं। मैं बधाई देना चाहूंगा, देश के अन्य सार्वजनिक उपक्रमों की घाटे की व्यवस्था से हट कर के जो रेलवे विभाग के राइट्स और इरकान दो उपक्रम हैं, उन की सुचारु प्रबन्ध व्यवस्था उन के मंत्रालय में देखने को मिली है। बजट के माध्यम से यह पता चलता है कि हमारे ये दोनों उपक्रम राइट्स और इरकान लाभ कमा रहे हैं।

सामान्य जनता जो पैसेन्जर ट्रेन्स से सफर करती है, दूसरे दर्जे में यात्रा करती है, सीजनल टिकट पर जो यात्रा करती है उस को करों के बोझ से मुक्त कर के परिवहन मंत्री ने इस बात को साबित करने की कोशिश की है कि कांग्रेस पार्टी की हुकूमत इस देश की आम जनता की भावनाओं को समझने वाली हुकूमत है, उन की भावनाओं पर अमल करने वाली हुकूमत है।

मैं इन बातों के साथ-साथ कुछ सुझाव भी देना चाहूंगा। मेरे सुझाव किसी आंकड़े पर निर्भर नहीं करते, मेरे ये सुझाव रेलवे से सम्बन्धित किसी रिपोर्ट पर निर्भर नहीं करते बल्कि जिन चीजों को, जिन कमियों को मैंने खुद यात्रा के दौरान आते जाते देखा है, संक्षेप में सिर्फ उन्हीं छोटी मोटी बातों को रखना चाहूंगा जिन को मैंने खुद अनुभव किया है। हम ने अगर एक तरफ इस बात की कोशिश की कि हमारी 90 प्रतिशत जनता जो पैसेन्जर ट्रेन्स में या सामान्य दर्जे में सफर करने वाली जनता है उस को हम ज्यादा सुविधा दें, उस को हम नये कर प्रस्तावों से वंचित रखें तो हमें यह भी देखना होगा कि उस जनता को किस तरीके से हम छोटे स्टेशनों पर भी पानी की सुविधा उपलब्ध करा सकें, सैकंड क्लास कोच में चलने वाली सामान्य जनता को उस कोच के भीतर भी पीने के पानी की सुविधा किस तरीके से उपलब्ध करा सकें, इस की तरफ भी मंत्री जी को ध्यान देना होगा।

आज कोचेज की समस्या हमारे सामने है। कोचेज की कमी और इंजन की कमी की वजह से हम नई ट्रेनें नहीं चला पा रहे हैं और जो पुरानी ट्रेनें चल रही हैं उन पर भी जो इतना भार है, एक-एक सामान्य दर्जे के कोच में, दूसरे दर्जे के डिब्बे में, जिस तरीके से आदमी भरे होते हैं, उसको हल्का करने के लिए भी हमारे मंत्री जी को और सरकार को सोचना होगा कि किस तरीके से हम अपने देश के अंदर इंजन और कोचेज के निर्माण में और ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं, और ज्यादा उनका उत्पादन कर सकते हैं, जिससे इस समस्या को भी दूर कर सकें। इस बात को भी देखना होगा कि जिस तरीके से सुपरफास्ट ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन और मेल ट्रेन सही समय पर चलें, इसके ऊपर मंत्री जी ने विशेष ध्यान दिया है। वह ध्यान मंत्री जी पैसेंजर ट्रेन्स की तरफ भी दें, ताकि पैसेंजर ट्रेन्स में चलने वाले गरीब व्यक्ति भी अपने गंतव्य स्थान तक सही समय पर पहुंच सकें। ये रहीं कुछ ऐसी बातें, जो एक सामान्य व्यक्ति और एक सामान्य नागरिक होने के नाते, यात्रा के दौरान मैंने अनुभव की और उनको आपके सामने रखा।

अब मैं अपने प्रदेश और अपने पिछड़े इलाके की ओर आना चाहूंगा जिसको हम पूर्वी उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं। जो उत्तर प्रदेश का ही नहीं, पूरे देश का पिछड़ा हुआ क्षेत्र है जिसके सिलसिले में इस बजट में कोई भी योजना दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश के सन्दर्भ में ही एक जगह बजट में जिक्र आया है कि दिल्ली आगरे के बीच, दिल्ली-कानपुर के बीच हम सुपर फास्ट चलाने के लिए और उनकी गति बढ़ाने के लिए किस प्रकार से रेल पथ को आधुनिक बना सकते हैं उसके लिए इस साल सर्वे कराने जा रहे हैं। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश जोकि उत्तर भारत का पिछड़ा हुआ क्षेत्र है कहां पर यातायात के साधन कैसे मोहैया कराए जा सकते हैं, नयी ट्रेन्स किस तरह से दी जा सकती हैं और जो आज विद्युतीकरण रेल पथ किया जा रहा है उसको भी हम उस क्षेत्र में किस तरह से पहुंचा सकते हैं—इसके बारे में कहीं पर भी कोई उल्लेख नहीं है। मैं समझता हूं माननीय मन्त्री जी इस ओर विशेष ध्यान देंगे उस इलाके की बेहतरी के लिए और उस इलाके की तरक्की के लिए।

फैजाबाद जो मेरा निर्वाचन क्षेत्र है वह रेल विभाग की अनेक समस्याओं से पिछले कई जूझता रहा है। एक बात तो मेरी समझ में कभी नहीं आई कि क्या कारण है कि लखनऊ, वर्षों से फैजाबाद, जौनपुर बनारस रूट रेलवे द्वारा इतने सालों से उपेक्षित रहा कि वर्षों से कोई भी नयी ट्रेन वहां पर नहीं मिल पाई। वर्षों से उस रूट के बारे में कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि रेल विभाग उस रूट पर भी कुछ गाड़ियां चलाने के लिए प्रयत्नशील है। मैं बधाई देना चाहूंगा सिंधिया जी को, अपने परिवहन मन्त्री जी को जिनकी कृपा से पिछले वर्ष सरयू एक्सप्रेस ट्रेन के रूप में वहां से उन्होंने चलाई। उस सिलसिले में मेरा निवेदन यह है कि वह ट्रेन प्रसिद्ध तीर्थ-स्थल अयोध्या से प्रारम्भ होकर इलाहाबाद को जाये ताकि दोनों तीर्थ-स्थानों के यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह आने जाने में कोई दिक्कत न हो। समझता हूं यह एक मेरा ऐसा अनुरोध है जिस पर किसी प्रकार का खर्चा या किसी प्रकार के विभागीय संकट की सम्भावना भी नहीं है।

इसके साथ ही साथ इस रूट की उपेक्षा दूर हो और इस रूट के यात्री भी हर प्रकार से रेलवे की सुविधाओं का लाभ उठा सकें, गंगा जमुना एक्सप्रेस-83-अप और 84-डाउट-जो हफ्ते में चार दिन इस रूट से जाती है उसके सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि इस ट्रेन को सातों दिन इसी रूट से चलाया जाए और बाकी तीन दिन जो यह ट्रेन सुल्तानपुर की तरफ से जाती है तो सुल्तानपुर के लोगों का हक भी रहे उसके लिए आसाम मेल को हम उधर से चला सकते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था करके आप फैजाबाद के लोगों को, जौनपुर के लोगों को, बाराबंकी व रुदौली के लोगों को बहुत बड़ी राहत पहुंचा सकते हैं।

आपने सरयू एक्सप्रेस एक नई ट्रेन चलाई है। जैसा कि मैंने जिक्र किया उसको अयोध्या से चलाया जाए। इस सिलसिले में मैंने एक सुझाव रेल विभाग को भी दे रखा था कि महानगरी एक्सप्रेस, जो बाम्बे जाती है, बनारस और इलाहाबाद से, होते हुए उस ट्रेन की लिंक एक्सप्रेस इसको करते हुए, इस ट्रेन सरयू एक्सप्रेस को इलाहाबाद में महानगरी एक्सप्रेस से सम्बन्ध जोड़ दें, ताकि अयोध्या और इस तरफ के लोगों को बम्बई जाने के लिए एक सीधा साधन उपलब्ध हो सके। इस रूट के लोगों को दक्षिण भारत की तरफ जाने के लिए कोई ट्रेन उपलब्ध हो, उसकी तरफ भी मंत्री जी को विचार करना चाहिए। दक्षिण भारत के लिए और मद्रास के लिए कोई नई व्यवस्था आने वाले दिनों में अयोध्या फैजाबाद से, या अयोध्या फैजाबाद के आस-पास बनारस से ही चलाना चाहें, तो इस रूट से चलाते हुए, यदि आप लेकर जाते हैं, तो मैं समझता हूं कि उस इलाके की बेहतरी के लिए आपका बहुत बड़ा प्रयास होगा।

समय समय पर एक बहुत बड़ी आवाज वर्षों से जो लगाई जाती रही है, वह है सरयू नदी आयोध्या पर रेलवे पुल के सम्बन्ध में। आज फैजाबाद में, सरयू नदी घागरानदी के इस तरफ रेलवे ट्रेक है और दूसरी तरफ नदी के जो रेलवे ट्रेक है वह उसके द्वारा गोंडा, गोरखपुर और बहराइच की तरफ लोग जाते हैं, लेकिन बीच में कोई रेलवे का पुल न होने की वजह से इधर और उधर के लोग इन सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं। उन्हें दूसरे रास्ते से जाना पड़ता है। इस मांग के सम्बन्ध में तत्कालीन रेल मंत्री स्वर्गीय केदार पाण्डे, जो फैजाबाद गए थे, तो उन्होंने वहां पर ऐलान किया था कि सरयू नदी पर अयोध्या मे, रेलवे पुल बनाया जाएगा, परन्तु बाद में इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं हो पाई। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस दिशा में आने वाले दिनों में, कुछ न कुछ अवश्य करें, जिससे न सिर्फ अयोध्या और फैजाबाद के लोगों को, बल्कि गोरखपुर, गोंडा, बहराइच, सुलतानपुर और सभी जगह के लोगों को राहत मिल सके और उनके

लिए दूरी कम हो सके। फैजाबाद रेलवे स्टेशन, अयोध्या रेलवे स्टेशन, सदौली रेलवे स्टेशन के विस्तार के सिलसिले में कई योजनायें समय-समय पर लखनऊ कार्यालय द्वारा यहां भेजी गई है, जैसी कि मेरी जानकारी है, लेकिन उन योजनाओं पर अंतिम निर्णय नहीं हो रहा है और बड़े दिनों से लम्बित पड़ी हुई हैं। मैं समझता हूं कि उन योजनाओं को शीघ्रातिशीघ्र अंतिम निर्णय देने की कृपा करें। इसके अलावा दो योजनायें खासतौर से फैजाबाद व सदौली शहरों के बीच में ओवर-ब्रिज बनाने की योजनायें हैं। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार के पचास प्रतिशत अंशदान की वजह से उन योजनाओं पर रेलवे विभाग द्वारा जिस सार्थक तरीके से काम करना चाहिए, वह उन पुलों के निर्माण को नहीं कर पा रहा है। पुल चूंकि रेल लाइन के ऊपर बनना है, इसकी वजह से वहां के हर नागरिक को परेशानी है और जो अंशदान राज्य सरकार को वहन करना पड़ता है, इसकी पूरी जिम्मेदारी रेल विभाग अपने ऊपर ले। चूंकि यह एक नीति विषयक निर्णय है, इसलिए फैजाबाद ही नहीं और जगहों पर भी यह नीति लागू हो।

इन शब्दों के साथ मैं परिवहन मंत्री जी को पुनः धन्यवाद देता हूं। उन्होंने जिस आत्म-विश्वास और अपने परिश्रम के बल पर काम करने का संकल्प लिया है और एक अच्छा बजट प्रस्तुत किया है। पुनः मैं रेलवे मंत्रालय की अनुदान की मांगों का समर्थन करते हुए, निवेदन करना चाहता हूं कि जो मैंने सुझाव दिए हैं, वे उन पर विचार करेंगे।

[अनुवाद]

श्री पी० कुलन्दई वेलू (गोबिचेट्टिपालयम): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय रेल मंत्री 1986 87 के लिए सफलतापूर्वक अच्छा बजट लाए हैं। जहां तक मंत्री जी का संबंध है, उनका दर्जा पर्याप्त ऊंचा हुआ है हालांकि रेल विभाग का स्थान इस प्रकार ऊंचा नहीं हुआ है। पिछले वर्ष जब इन्होंने रेल बजट को प्रस्तुत किया था तो उस समय वह रेल मंत्री थे। अब जब उन्होंने यहां रेल बजट को प्रस्तुत किया तो उन्होंने इसे परिवहन मंत्री के रूप में किया है। अब सभी परिवहन प्रणाली को एक साथ मिला दिया गया है और एक विभाग के रूप में बना दिया है। इसे हमारे माननीय बंसी लाल जी के हाथों सौंप दिया है जो कि बहुत अनुभवी मंत्री है। वह राज्य के मुख्य मंत्री भी थे। उनके पास बहुत अधिक अनुभव है और वह विभाग को बहुत अच्छी तरह से चला सकते हैं।

बजट में कुछ अच्छी विशेषाताएं हैं, और उन अच्छी विशेषताओं को बजट में लाने के लिए मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। पहली बात यह है कि माल भाड़े में कोई वृद्धि नहीं है। दूसरे सीजन टिकट के मूल्य में भी वृद्धि नहीं की गई है और वही किराए चल रहे हैं। इसके बाद, इस वर्ष लाभ कमाने वाला बजट लाए हैं। मैं माननीय मंत्री के इन सभी के लिए बधाई देता हूं।

लेकिन एक या दो बातों से मुझे चुभन अनुभव हुई है। जब मंत्री जी लाभ का बजट आगे लाए हैं तो पता नहीं क्यों वह नए रेलवे लाइनों और नई प्रणालियों के लिए, जिन्हें देश में लाना ही होगा, कोई राशि क्यों नहीं देते। अनुभवी मंत्री जी जानते हैं कि जब वह लाभ का बजट लाते है तो यह हमेशा गरीबों को चोट पहुंचाता है। हमें यह ध्यान में रखना होगा कि जो गरीब और दलित वर्ग हैं, उन लोगों के लिए घाटे का बजट सुखद होता है। लाभ का बजट स्पष्ट रूप से यह बताता है कि आप नई प्रणालियों या नए 'ट्रेकों' पर खर्च नहीं कर रहे हैं। आप पुराने ट्रेकों को बनाए रखना चाहते हैं जिन्हें अभी तक बनाये रखा जा रहा है। इसलिए वह लाभ का बजट लाए

हैं। यह किसी भी तरह से गरीबों और दलित वर्गों के लिए उपयोगी नहीं है लेकिन मंत्री जी के यह कहने के लिए लाभ है कि वह लाभ का बजट लाए हैं। बस यह बात है। और इसके अलावा, मैंने देखा है कि दक्षिण रेलवे के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है—मैं नहीं जनता क्यों—शायद इसलिए कि मंत्री जी उत्तर के हैं ...

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : दक्षिण मध्य रेलवे के साथ भी।

उपाध्यक्ष महोदय : तब अन्य लोग कहेंगे कि पूर्वी रेलवे, पश्चिमी रेलवे आदि के साथ ऐसा हो रहा है!

श्री० पी० कुलन्दईवेलू : हालांकि दक्षिण मध्य रेलवे के साथ भी ऐसा है। अतः बहुत सी रेलवे है। चूंकि मंत्री जी उत्तर के हैं, इसलिए मैं समझता हूं कि वह दक्षिण रेलवे के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। और दक्षिण मध्य रेलवे धनराशि आबंटित क्यों नहीं की गई है? यह वास्तविक रूप से आश्चर्यजनक है। उदाहरण के लिए मेलापक्कम बाई पास लाइन' को दोहरा करने की बात लें। जबकि अनुमानित लागत 88 लाख रुपए है, आपने कितना आवंटित किया है ? यह केवल 5 लाख रुपये है। आप इसे कब तक पूरा करने जा रहे हैं ? 16 या 20 वर्षों के बाद ? तब तक हम कहीं नहीं होगें। क्या इस समय तक हम जिन्दा भी होगें या नहीं। हम नहीं जानते। क्या आप केवल अगली पीढ़ी के लिए धन का आवंटन कर रहे हैं अर्थात् हमारे पोतों और पोतियों के लिए जिन्हें अभी संसार में आना है।

आप इस प्रकार आवंटन क्यों कर रहे हैं। राशि के आवंटन का उद्देश्य क्या है जब वह विशेष उद्देश्य ही पूरा नहीं होता है ? मैं यही कहना चाहता था। पालघाट डिवीजन के संबंध में भी, अनुमानित लागत 104 लाख रुपये थी किंतु आपने केवल 5 लाख रुपये दिए हैं। पृष्ठ 35 पर, "मेत्तुपलयम कोयम्बटूर खंड—कोयम्बटूर उत्तर स्टेशन के समीप 15/2-3 कि० मी० पर रेल फाटक के बदले प्रस्तावित ऊपरी पुल, जिसकी अब मंजूरी दी जा रही है।" अनुमानित लागत 55 लाख रुपये है, किंतु आपने केवल 13 लाख रुपये आवंटित किए हैं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण पुल है और इसकी मांग पिछले दो दशकों अर्थात् 1962 से की जा रही है। अन्य योजनाओं के संबंध में भी, आप वास्तव में बहुत थोड़ी धन राशि दे रहे हैं, केवल 1 लाख रुपये या 5 लाख अथवा 6 लाख रुपये। इससे उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

एक अन्य महत्वपूर्ण चीज जो मद्रास शहर में प्रगति पर है, जिसे आप अच्छी तरह जानते होंगे एम० आर० टी० एस० (जन तीव्र पारगमन प्रणाली) के बारे में है। इस विशेष योजना की मंजूरी छठी योजना में दी गई है। इसके अन्तर्गत मद्रास समुद्र-तट से लस तक 8.45 कि. मी. की दूरी आता है जिसकी कुल अनुमानित लागत 51 करोड़ 46 लाख रुपये है। किंतु, अभी तक आपने कितनी राशि आबंटित की हैं ? 1983-84 में आपने 1 करोड़ रुपये आबंटित किए। 1984-85 में आपने 2.5 करोड़ रुपये आवंटित किये। 1985-86 में 3.5 करोड़ रुपये आबंटित किये। और 1986-87 में लगभग 4 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। अतः हमें बहुत राशि खर्च करनी हैं; किन्तु अभी तक आपने 1983 से आगे 4 वर्ष तक केवल 10 करोड़ रुपये आबंटित किए हैं। बाकी राशि जो 40 करोड़ रुपये से अधिक है, आप कब खर्च करेंगे ? आप इसे कब पूरा करेंगे ? इसके लिए मद्रास मेट्रोपोलिटन डिवेलपमेंट अथार्टी ने 18.60 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कर दी है। यह रेल बोर्ड को दी जा रही है। इन सब चीजों, अभ्यावेदनों के अतिरिक्त तमिलनाडु के मुख्य मंत्री ने भी प्रधान मंत्री को जुलाई 1985 में यात्रा के दौरान इस बारे में व्यक्तिगत अनुरोध किया

था। उन्होंने यह मामला माननीय प्रधान मंत्री के सामने रखा। और उसके पश्चात् इस वर्ष जनवरी में भी हमारे माननीय मुख्य मंत्री ने मद्रास में प्रधान मंत्री को अधिक राशि आबंटित करने के संबंध में अनुरोध किया। कम से कम 20 करोड़ रुपये आबंटित किए जाने चाहिए थे, किंतु आप केवल 4 करोड़ रुपये दे रहे हैं। इस प्रकार का सौतेली मां का सा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? क्या यह इसलिए है कि हम आपके साथ संबंध रखे हुए हैं या इसलिए है कि हम सब तमिलवासी हैं? क्या यह इसलिए है कि हम बहुत दूर अर्थात् दिल्ली से लगभग 1500 मील दूर रहते हैं?

प्रो० एन० जी० रंगा : यह एक संगत बात है।

श्री पी० कुलनवईवेलू : हम अखंडता और विविधता में एकता को बढ़ावा देना चाहते हैं। जब हम ऐसा कहते हैं, तो आप इस प्रकार धनराशि का आबंटन क्यों करते हैं? कृपा करके तमिल लोगों और दक्षिण भारत के लोगों के प्रति कुछ सहानुभूति दिखाइए और अधिक राशि का आबंटन कीजिए।

करूर-डिंडीगुल लाइन परियोजना चल रही है। इस परियोजना के लिए भी, 1986-87 के लिए आपने केवल 3.8 करोड़ रुपये आबंटित किए हैं। चालू वित्त वर्ष के अन्त तक आपने 23.3 करोड़ रुपये खर्च किये हैं।

प्रो० एन० जी० रंगा : आप तिरुपति-कतपडी लाइन की बात क्यों नहीं करते?

श्री पी० कुलनवईवेलु : मैं इसका उल्लेख करूंगा।

करूर-डिंडीगुल परियोजना की कुल लागत 70 करोड़ रुपये आती है किंतु आपने अभी तक केवल 25 करोड़ रुपये ही खर्च किए हैं। अभी हमें 47 करोड़ रुपये और खर्च करने हैं। इस गति से आप यह लाइन कब तक पूरी करेंगे? इस गति से हम इसे 7 वीं योजना में भी पूरी नहीं कर पाएंगे। तब तक रेल मंत्री आ जायेंगे वे फिर से जांच करेंगे, योजना बनायेंगे और पुनः धनराशि आबंटित करेंगे। तब कहीं जा कर यह लाइन पूरी की जा सकेगी।

मैं अपने चुनाव-क्षेत्र में एक परियोजना, अर्थात् चामराज नगर-सत्यमंगलम लाइन, की भी मांग कर रहा हूं आपने इसका आश्वासन दिया था। जब प्रो० दंडवते रेल मंत्री थे, उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि चामराज नगर-सत्यमंगलम लाइन पर काम आरम्भ किया जाएगा। चाम-राज नगर कर्नाटक में है। वहां पर जनता पार्टी सता में है। श्री हेगडे कर्नाटक के मुख्य मंत्री हैं। किंतु चामराज नगर सत्यमंगलम लाइन को अभी स्वीकृति नहीं दी गई है। इस परियोजना के लिए अभी एक पैसा भी नहीं दिया गया है। अतः मैं यह निवेदन करता हूं कि माननीय मंत्री चामराज नगर सत्यमंगलम लाइन को कम से कम 1987-88 में जरूर हाथ में लें।

मैं किराये में वृद्धि के बारे में कहना चाहता हूं क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण विषय है। जैसा कि रेल मंत्री द्वारा दावा किया गया है इस वृद्धि से कार्य कुशलता और पूंजी के उपयोग में पर्याप्त सुधार की झलक नहीं मिलती। बजट में नई यात्री गाड़ियां चलाने यात्री सुविधाओं को बढ़ने और घिसे पिटे रेल उपकरणों को हटाने का कोई संकेत नहीं है। आपने अपने बजट भाषण में इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं किया है।

विस्तार कार्यक्रम को पूरा करने के लिए डाक और एक्सप्रेस गाड़ियों के किराये में वृद्धि अप्रभावी वित्तीय प्रबन्ध की सूचक है। अधिक राजस्व प्राप्त करने के बावजूद किराये में वृद्धि

करना बहुत बड़ा विरोधाभास है, रेल मंत्री जनता की भावनाओं के प्रति संवेदनशील हैं। फिर भी उन्होंने किराए में वृद्धि की है।

कुछ और नई लाइनें अथवा निर्माणाधीन रेल लाइनें ली जानी हैं। छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में, मीटर गेज लाइनों को बड़ी लाइनों में, और बड़ी लाइन को दोहरी लाइनों में बदलना है।

तम्बारम-चिंगलपुट लाइन को बड़ी लाइन में बदला जाना चाहिए। मद्रास-तिरुची लाइन को दोहरी लाइन बनाया जाए। वेल्लूर-वनियमबाडी लाइन पर दो ऊपरी पुल बनाये जाने चाहिये।

जब मैं तमिलनाडु में मंत्री था तो राजमार्ग भी मेरे नियन्त्रणाधीन थे। उस समय मैं कई बार रेल मंत्री से मिला और रेलवे ऊपरी पुलों की मांग की। तमिलनाडु में 326 रेलवे ऊपरी पुलों का निर्माण करने की आवश्यकता है। इस वर्ष के रेल बजट में आपने केवल एक रेलवे ऊपरी पुल की मंजूरी दी है और वह भी उत्तर कोयम्बटूर में। अन्य 325 रेलवे ऊपरी पुलों के संबंध में आपका क्या विचार है? आप कब इनकी मंजूरी देने जा रहे हैं? हमें इस पर विचार करना है कि ऊपरी पुलों का निर्माण कब किया जा सकता है। जब आप लाभ का बजट पेश करें तो वह राशि दक्षिण रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे और देश के अन्य दक्षिणीय भागों के लिए नियत की जानी चाहिये।

[हिंदी]

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं रेल बजट का स्वागत करता हूं और माननीय मंत्री महोदय को बधाई देना चाहता हूं कि इस वर्ष एक सरप्लस बजट प्रस्तुत किया है। मेरे से पूर्व एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि साउथर्न रेलवे और साउथ सेन्ट्रल रेलवे के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी वैस्टर्न रेलवे के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है जबकि सबसे ज्यादा कमाई वहीं से होती है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रत्येक सदस्य कहता है कि उसके निर्वाचन क्षेत्र की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है।

श्री बंसी लाल : इस का अर्थ यह है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास : मैं आपकी मार्फत ए० आई० डी० एम० के० के नेता महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि अन्याय तो हम सभी के साथ हो रहा है। आप ऐसी बात मत कीजिए कि डिसइंटीग्रेशन हो जायेगा। यह रेलवे मंत्री के ऊपर निर्भर करता है कि किस तरह से फण्ड अलाट करते हैं। चौधरी साहब धीरे-धीरे विचार कर रहे हैं कि कौन-कौन सी जगह को मदद दी जाए। साउथर्न रेलवे, साउथ सेन्ट्रल रेलवे और नार्दर्न रेलवे की भी मदद करेंगे। वैस्टर्न रेलवे आपको सबसे ज्यादा कमाई देती है, न तो वहां चेन पुलिंग होती है और न अन्य किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है इसलिए वैस्टर्न रेलवे पर ज्यादा ध्यान जाना चाहिए। राजस्थान के साथ अन्याय इसलिए भी हो रहा है क्योंकि वहां से नार्दर्न और वैस्टर्न रेलवे निकलती है। हमारा जोन अलग नहीं होने की वजह से हमारे उस एरिया पर रेलवे विभाग का ध्यान ही नहीं गया है। आपने प्रिंसीपली मान लिया है कि अलग जोन बनाया जाए। आपकी चिट्ठी दो-तीन दिन पहले

ही मेरे पास आई थी। आपने लिखा है कि फण्ड की वजह से इम्पलीमेंट नहीं कर रहे हैं। जब आपके पास सरप्लस फण्ड है तो राजस्थान के साथ न्याय कीजिए। राजस्थान में आधा एरिया डेजर्ट है, चौथाई पहाड़ी है और चौथाई प्लेन है। इतना पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और जहां एस० सी० एस० टी० के लोग सबसे ज्यादा रहते हैं, उस एरिया के साथ न्याय नहीं हो रहा है। कम से कम बंसीलाल जी से इन्साफ की व्यवस्था चाहेंगे कि हमारा जोन अलग बनाया जाए। इन्कम आपको होगी तो नयी लाइनों की तरफ भी आपका ध्यान जायेगा। अलग जोन जो आपने स्वीकार किया है उसको जल्दी से जल्दी इम्पलीमेंट किया जाए ताकि हमें इन्साफ मिल सकें। राजस्थान के लिए कोई नयी लाइन का प्रावधान नहीं किया है। ए० आई० डी० एम० के० नेता महोदय कह रहे थे कि हमको दस करोड़ रुपए दिए गए लेकिन हमको तो दस पैसे भी नहीं दिए। हमें तो पिछले चार सालों में भी दस करोड़ नहीं दिया, कम से कम बराबर का न्याय तो कीजिए। हम तो मंत्री जी की जगह-जगह जय-जयकार करते हैं इसलिए थोड़ा-बहुत ध्यान तो दीजिए।

कोटा से देवगढ़, ब्राडगेज लाइन और टोड़ा रायसिंह से नाथद्वारा की मीटर गेज लाईन और लाम्बिया से ब्यावर की लाईन का सर्वे दो-दो बार हो चुका है। टोड़ा रायसिंह से नाथद्वारा का तीसरा सर्वे चल रहा है। सर्वे कम्पलीट होने के बाद आपका डिपार्टमेंट प्लानिंग कमीशन में भेजेगा। हमारी प्रार्थना है कि कम से कम तीन में से कोई तो दीजिए, हमको चिल्लाते-चिल्लाते छह साल हो चुके हैं। इसलिए मेरी आपके माध्यम से मंत्री जी से प्रार्थना है कि हमें कम से कम एक रेलवे लाइन तो नई जरूर दीजिए, क्योंकि हमको कई सालों से एक भी लाइन नहीं मिल रही है। इस गरीब ब्राह्मण की प्रार्थना को सुन कर, आप कम से कम एक रेलवे लाइन तो राजस्थान के लिए अवश्य दीजिए ताकि वहां के लोग कह सकें कि हमने व्यास जी को पार्लियामेंट का मैम्बर बनाकर भेजा था उन्होंने एक लाइन तो राजस्थान को दिलवाई। माननीय उपाध्यक्ष जी, आप तो हमारी सिफारिश कीजिए, आपको तो अभी बहुत कम समय हुआ है और आपसे जो पहले उपाध्यक्ष महोदय थे, उनसे हमने काफी प्रार्थना की, अनेक बार मांग करते रहे, चौधरी साहब भी हमारे अनुभवी रेलवे मिनिस्टर हैं, उनको काफी तजुर्बा है, हम आपसे भी प्रार्थना करते हैं और पिछले रेल मंत्रियों से भी प्रार्थना करते आये हैं कि आप राजस्थान के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था तो अवश्य कीजिए। मुझे आशा है कि आप अपने उत्तर में एक नई रेलवे लाइन अवश्य देंगे। वहां तीन लाइनों का सर्वे हो चुका है और आप कम से कम एक अवश्य इस बार दीजिए।

दूसरा मेरा निवेदन है कि राजस्थान में रेलवे ट्रैक्स बहुत पुराने हैं। अजमेर से रतलाम और काचीगुडा का ट्रैक तो सबसे ही ज्यादा पुराना है। आपने थोड़ा-बहुत तो काम किया है, मगर वह अभी ऐसा नहीं है कि उस पर कोई सुपरफास्ट ट्रेन चल सके। इसलिए इन ट्रैक को रिन्यू कराने के लिए भी आप व्यवस्था कीजिए और थोड़ा-बहुत जो आपने चालू रखा है, उसको बड़े पैमाने पर कीजिए ताकि हमको भी सुपरफास्ट ट्रेन मिल सके। आज वहां कोई सुपरफास्ट ट्रेन नहीं चलती। वैसे अजमेर काचीगुड़ा इतना लम्बा रूट है कि अजमेर से हैदराबाद पहुंचने में पूरे तीन दिन का समय लग जाता है और उस रूट पर पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेन्स तो चलती हैं मगर कोई सुपरफास्ट ट्रेन नहीं चलती। इस छोटे से डिस्टेंस को पूरा करने में तीन दिन का समय बहुत ज्यादा है और उसका मुख्य कारण ट्रैक की रिन्यूअल न होना है। इसलिए प्रार्थना है कि कि आप इस ट्रैक को भी रिन्यू कराने की व्यवस्था करें। यह काम बड़े पैमाने पर किया जाना चाहिए। इस लाइन पर भी आप एक सुपरफास्ट ट्रेन दीजिए।

एक निवेदन मैं यह करना चाहता हूं कि दिल्ली से अहमदाबाद तक जो रेलवे लाइन है, उस पर चलने वाली गाड़ियों के कोचेज खराब स्थिति में हैं। एक दिन मैं दिल्ली से अजमेर के डिब्बे में जा रहा था, वह डिब्बा दिल्ली से अजमेर के लिए जुड़ता है, अहमदाबाद मेल में, रात को एक बजे उस बोगी में आग लग गई। वह बहुत पुराना डिब्बा था और उसको रिपेयर करके लगाया हुआ था और बस जैसे-तैसे चल रहा था। रात को एक बजे हमें दूसरे कोच में उतर कर जाना पड़ा। वह तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि उसमें बैठने को जगह मिल गई, वर्ना उसका बुरा हाल होता है और सारी रात हमें बैठे-बैठे ही निकालनी पड़ती। मेरा निवेदन है कि दिल्ली से अहमदाबाद मेल में जाने वाले कोचेज, जो बहुत थर्ड क्लास और खराब होते हैं, उनमें बीच में कहीं भी आग लग जाती है, उनकी ओर भी ध्यान दिया जाए।

हमारे राजस्थान में वैसे तो सारा ट्रैक रद्दी है, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा रद्दी अजमेर खण्डवा और काचीगुडा ट्रैक है और वहां चलने वाली गाड़ियों की स्थिति खराब है। आप कम से कम इस व्यवस्था को ठीक करने की तरफ ध्यान दीजिए, यही मेरा आपसे निवेदन है।

चौधरी साहब, जिस तरह से आपने एक कोच फैक्ट्री पंजाब को दी है, उसी तरह आप एक मीटर गेज की कोच फैक्ट्री राजस्थान को भी दीजिए। ब्रॉड-गेज की मत दीजिए, मगर मीटर गेज की जरूर दीजिए और वह अजमेर में स्थापित कीजिए जहां हिन्दुस्तान की सबसे पुरानी लोको कैरेज वर्कशाप पहले से है और उसे भी डैवलप किए जाने की आवश्यकता है। वहां पर जितने कोचेज रिपेयर करने की जरूरत हो, इंजिन रिपेयर करने की जरूरत है, उनको आप वहीं कीजिए, वहां कारखाना बने और वह बड़े पैमाने पर चलना चाहिए। ऐसी व्यवस्था भी किए जाने की आवश्यकता है। आपने पंजाब में, स्पेशल हालात को देखते हुए, आवश्यकता न होते हुए भी, कोच फैक्ट्री स्थापित की, इसलिए हमारा भी हक है कि राजस्थान में एक कोच फैक्ट्री की स्थापना की जाए।

हमारे यहां अजमेर, खण्डवा और काचीगुड़ा के रास्ते पर मीनाक्षी एक्सप्रेस हफ्ते में तीन दिन चलती है और हमारी काफी समय से बराबर यह मांग है कि इसको सातों दिन चलाया जाए। दूसरे न तो इसमें कोई फर्स्ट क्लास का डिब्बा होता है और न कोई पैन्ट्री कार लगती है। सारा सफर भूख हड़ताल करते हुए ही तय करना पड़ता है, खाने-पीने को कुछ नहीं मिलता। मेरा निवेदन है कि इसमें फर्स्ट क्लास का डिब्बा और पेन्ट्री कार लगाई जानी चाहिए और यह मीनाक्षी एक्सप्रेस हफ्ते में सातों दिन चलाई जाए। इस व्यवस्था को तुरन्त किए जाने की आवश्यकता है। इसके साथ-साथ इसमें आप डीजल इंजिन भी लगाइये ताकि यह कुछ स्पीड से चल सके क्योंकि अभी यह अपनी मंजिल पूरी करने में बहुत समय लगा देती है। यदि डीजल इंजिन लग जाएगा तो कुछ समय जल्दी पहुंच जाएगी।

लगभग ऐसी ही स्थिति हमारी "गरीब नवाज" एक्सप्रेस की है जो उदयपुर तक जाती है। यह भी हफ्ते में तीन दिन चलती है। आपने इसमें तो डीजल इंजन लगा दिया लेकिन ऐसी व्यवस्था भी कीजिए कि यह दिल्ली से सातों दिन हफ्ते में चला करे। यहां से जयपुर तक तो सातों दिन चलती है, लेकिन जयपुर से उदयपुर तीन दिन जाती है। हमारी मांग है कि इसे दिल्ली से सीधे उदयपुर तक हफ्ते में सातों दिन चलाई जाए। उससे इस क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। इस व्यवस्था को निश्चित तरीके से करने की आवश्यकता है।

एक ट्रेन चेतक जो उदयपुर से दिल्ली चलती है, इसमें हमारे यहां रिजर्वेशन बहुत कम है। यह एक ही ट्रेन है इसमें भीलवाड़ा से फर्स्ट क्लास में 4 और सैकिंड क्लास 10 सीटें हैं। इसमें चित्तौड़गढ़ से एक डिब्बा लगता है, वह भी बन्द कर दिया गया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस डिब्बे को चालू करें और भीलवाड़ा से रिजर्वेशन ज्यादा बढ़ाएं। हमारे यहां एक गुलाबपुरा सब डिवीजन हैडक्वार्टर है। पास में जस्त और शीशे की खानें हैं। आपको मालूम होगा रामपुरा आगूचा में शीशे की सबसे बड़ी खान निकली है। शायद आपने नाम सुना होगा और मुझे याद आता है, शायद आप चुनाव के वक्त वहां पर पधारे भी हैं। वहां पर टैक्सटाइल मिल्स हैं। वहां का स्टेशन सिर्फ फ्लैग स्टेशन है। इसको आप पूरा स्टेशन बनाइए। इसको पूरा स्टेशन बनाने में तो कोई पैसा वगैरह भी ज्यादा खर्च नहीं होता है। इसलिए आप इस व्यवस्था को जल्दी करवाइए। वैसे भी इतनी महत्वपूर्ण जगह और सब डिवीजन हैडक्वार्टर पर एक फ्लैग स्टेशन अच्छा भी नहीं लगता है। अतः इस व्यवस्था को आप जितनी जल्दी हो सके, करवाइए।

तीसरा मेरा एक सुझाव यह है कि भीलवाड़ा स्टेशन के लिए कुछ पैसा आपने पहले दिया और उससे रेनोवेशन भी हुई, लेकिन वहां पर वेटिंगरूम, मेन स्टेशन का एरिया तथा शेड वह तो बिलकुल बढ़े नहीं हैं, वह तो उतने ही हैं, जितने पहले थे। इसलिए उनको भी बढ़ाने की बराबर बात करनी चाहिए। भीलवाड़ा एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, औद्योगिक केन्द्र भी है, डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर है और उसका पोलिटिकल महत्व भी है। इसलिए निश्चित रूप से इस स्टेशन की बढ़ोत्तरी होनी चाहिए।

हमारे यहां एक रूपाली स्टेशन है वह बिलकुल बेकार है, उसे भोजरास स्टेशन में चेंज कर दिया जाए। इस प्रकार से भोजरास को पूरा स्टेशन बना दिया जाए क्योंकि वहां से बहुत दूर-दूर तक के लिए बड़े पैमाने पर सवारियां बैठती हैं।

हमने अपने यहां के लिए ओवर ब्रिज मांगे हैं। आपने वेस्टर्न रेलवे में सारे ओवर ब्रिजेज मध्य प्रदेश को दे दिए हैं। अब चूंकि मध्य प्रदेश से मिनिस्टर भी हैं इसलिए मध्यप्रदेश का ज्यादा ख्याल रखते हैं शायद इसलिए वे राजस्थान को बिलकुल भूल गए। उन्होंने राजस्थान का ख्याल ही नहीं रखा। हमने एक किशनगढ़ में, एक सरादना, एक रायला रोड और एक मांडल में ओवर ब्रिज मांगे हैं। ये चार ओवर ब्रिज नितांत-आवश्यक हैं। मांडल के लिए एक ब्रिज न भी बनाएं, तो भी काम चल जाएगा, किन्तु वहां पास में ही एक पुलिया है उसके नीचे से सड़क निकालने की इजाजत राजस्थान सरकार को दे दें। लेकिन उसकी इजाजत भी रेलवे डिपार्टमेंट नहीं देता है। वहां पर सड़क तो राजस्थान सरकार स्वयं निकालेगी, लेकिन आपका विभाग पुलिया के नीचे से सड़क निकालने की भी इजाजत नहीं देता है। इसमें आपको क्या दिक्कत है : अगर उसमें किसी प्रकार की कोई टैक्नीकलेटीज हैं, तो वह चीज आपका इंजीनियर बात सकता है। इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यह इजाजत दी जानी चाहिए ताकि वह व्यवस्था तो कम से कम जल्दी से जल्दी हो सकती है।

ये तीन ओवर ब्रिजेज तो आप कम से कम हमारे यहां के लिए जरूर दीजिए। आपने वेस्टर्न रेलवे में सारे के सारे ओवर ब्रिजेज मध्यप्रदेश को दे दिए और आप हमें बिलकुल भूल गए। हमको बिलकुल अछूता और यों ही रखा है। ऐसा नहीं होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, रेलवे मंत्री महोदय का दिल बहुत बड़ा है और ये हमारे पड़ौसी भी हैं। हरियाणा और राजस्थान में कोई विशेष फर्क नहीं है। इसलिए राजस्थान को और खासकर मेरे क्षेत्र को एक नई रेलवे लाइन, जिसकी मैंने मांग की है, अवश्य दिलाएंगे और इसका आश्वासन देंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस रेलवे बजट का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

***श्री आर० जीवरत्नम (अराकोनम)** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं 1986-87 के रेल बजट का हार्दिक समर्थन करता हूं।

यह रेल बजट अनुभवी प्रशासक माननीय परिवहन मंत्री श्री बंसीलाल के निर्देशन और नेतृत्व में युवा और उद्विग्न राज्य मंत्री श्री माधवराव सिन्धिया के रेल मंत्रालय के शान्त परन्तु सफल संचालन का ठोस प्रमाण है। हमें 1985-86 में रेलवे द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था में दिये गये ठोस योगदान की प्रशंसा करनी चाहिए। सड़क परिवहन, भूतल परिवहन, समुद्र परिवहन और परिवहन के अन्य सभी साधन देश की औद्योगिक तथा आर्थिक प्रगति में न केवल पर्याप्त अपितु महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए परिवहन के विभिन्न साधनों नव-निर्मित परिवहन मंत्रालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत लाए गए हैं, जिसके लिए हमारे गतिशील प्रधान मन्त्री, श्री राजीव गांधी सदन की प्रशंसा के पात्र हैं।

रेलवे में 16.03 लाख नियमित कर्मचारी और लगभग 2 लाख नैमित्तिक कर्मचारी हैं। इनके समर्पित और ठोस योगदान से रेलवे ने 1985-86 में निर्णायक प्रगति की है। उसकी प्रशंसा के प्रतीक के रूप में रेल मंत्री ने कर्मचारियों की आवास तथा अन्य सुविधाओं के लिए अतिरिक्त 20 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। वर्ष 1985-86 के प्रावधान की तुलना में इस शत प्रतिशत वृद्धि से सारे देश में रेल कर्मकारों का निरन्तर सहयोग प्राप्त हुआ है। मैं यह मानता हूं कि रेलवे के लिए इन सभी दो लाख नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित बनाना संभव न होगा। साथ ही रेलवे प्रशासन को यह बात भी समझ लेनी चाहिए कि वह इन नैमित्तिक श्रमिकों जिनकी संख्या लगभग 2 लाख है के बिना काम नहीं चला सकता। अतः मैं सुझाव दूंगा कि सभी नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित कर्मचारियों के समान छुट्टी, चिकित्सा सुविधाओं, रेलवे पास, मजदूरी में वृद्धि, बोनस आदि के अधिकार दिये जाने चाहिएं।

इस बजट में भाड़े की दरों में किसी भी वृद्धि का प्रस्ताव नहीं किया गया है। इसके बावजूद माननीय रेल मन्त्री ने रेलवे वित्त का प्रबन्ध प्रशंसनीय ढंग से किया है। किन्तु डाक तथा एक्सप्रेस रेल गाड़ियों में द्वितीय श्रेणी के किराये में 250 कि० मी० तक 7.5% और इससे अधिक दूरी के लिये 5% वृद्धि की गई है। 250 कि० मी० तक वृद्धि इस आधार पर वाजिब ठहराई जा रही है कि कम दूरी के यात्री बसों द्वारा यात्रा करेंगे जिससे भीड़-भाड़ कम हो जाएगी और लम्बी दूरी के यात्रियों को सुविधा होगी। यदि रेल यात्री सड़क से यात्रा करेंगे, तो अधिक बसें चलानी पड़ेंगी; दूसरे शब्दों में डीजल की अधिक खपत होगी। इससे डीजल की खपत कम करने का सरकार का प्रशंसनीय उद्देश्य विफल हो जाएगा। अतः मैं यह सुझाव दूंगा कि डाक

*तमिल में दिए गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

और एक्सप्रेस गाड़ियों में 250 कि० मी० तक द्वितीय श्रेणी का किराये में वृद्धि को 7.5% से घटाकर 5% किया जाना चाहिये। मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह व्यक्तिगत रूप से इस पर विचार करें और इस बारे में आवश्यक कार्यवाही करें।

मैंने सदन में और दक्षिण रेलवे की अनौपचारिक सलाहकार समिति की बैठकों में उन विषयों के बारे का उल्लेख किया है जिनके सम्बन्ध में मैं अब कहने जा रहा हूं। मैंने इस विषय में रेल मंत्री और दक्षिण रेलवे के महाप्रबन्धक को भी लिखा है। दुर्भाग्यवश मेरी सारी दलीलों की ओर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। हमारे आदरणीय रेल मन्त्री द्वारा इस बजट को प्रस्तुत करने के बाद मैंने उनको इस विषय के सम्बन्ध में याद दिलाया था। आज भी मैंने उनको इस सम्बन्ध में एक पत्र दिया है। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वे इन मामलों की जांच करें और उनको क्रियान्वित करने के लिए अवश्य ही कार्यवाही करें।

मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र अराकोनम् में हजारों रेलवे कर्मचारी है। अरोकोनम् जंक्शन देश में सबसे पुराना है। ब्रिट्रिश शासन ने दक्षिण रेलवे में अराकोनम् को सबसे पहला स्थान दिया था। यहां पर 100 वर्ष पुराना एक रेल वर्कशाप भी है। यह बहुत ही खेद का विषय है कि अराकोनम् जंक्शन भवन और रेल वर्कशाप टूटे फूटे पुरातत्वीय खण्डहर दिखाई देते हैं। इसका कारण यह है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् जंक्शन तथा रेल वर्कशाप में न तो कोई मरम्मत का काम किया गया है और न ही उनका नवीकरण किया गया है। अराकोनम् में रेलवे का नीचे का पुल भी बहुत तंग है। माल से भरी लारियां इस पुल के नीचे से नहीं निकल सकती। इस पुल के कारण बहुत सी घातक दुर्घटनाएं हो चुकी है। तमिलनाडु के समाचार पत्रों में इस पुल के बारे में लेख निकले हैं। दक्षिण रेलवे के महाप्रबन्धक इससे भली-भांति परिचित हैं। हाल ही में जब वह अरकोनम् में थे; मैंने उनका ध्यान इस मामले की ओर आकर्षित किया था फिर भी इस बजट में इस बारे में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। तमिलनाडु सरकार वहां पर एक ऊपरी पुल की 50% लागत को वहन करने के लिए तैयार है। मैं आदरणीय रेल मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वह शेष 50% धनराशि की मंजूरी दे। उस पर एक करोड़ रुपये से अधिक धनराशि खर्च नहीं होगी। राज्य सरकार 50 लाख रुपये देगी और रेलवे मंत्रालय को शेष 50 लाख रुपया देना चाहिए। कई सौ करोड़ रुपये के लाभ वाले बजट में 50 लाख रुपये की राशि कोई महत्व नहीं रखती। मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वह अरकोनम में इस ऊपरी पुल के लिए 50 लाख रुपये की मंजूरी दे दे। इससे पहले कि वर्तमान निचला पुल और व्यक्तियों की बलि ले उन्हें दक्षिण रेलवे को इस कार्य को जल्दी से जल्दी पूरा करने का आदेश देना चाहिये।

दूसरा मुद्दा यह है। मद्रास से कटपाडी तक विद्युत रेल मार्ग है। मद्रास के अराकोनम् तक विद्युत चालित गाड़ी चलती हैं। पिछले अनेक वर्षों से इस क्षेत्र के लोग मांग कर रहे हैं कि इस विद्युत चालित गाड़ी को कटपाडी तक बढ़ा दिया जाये जिसके लिए पहले से विद्युत रेल मार्ग विद्यमान है। इसके लिए आपको अतिरिक्त डिब्बों और विद्युत चालित इंजन की आवश्यकता नहीं होगी। इससे इस क्षेत्र के लोगों को बहुत मदद मिलेगी।

वेलौर में जगत प्रसिद्ध क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज अस्पताल है जिसमें पूरे देश से रोगी आते हैं। उनके लिए करपाडी उतरने का स्थान है। भारत हेवी इलेक्ट्रीकल लिमिटेड के अलावा

सिपकोट भी रानीखेत में स्थित हैं जिसमें हजारों कर्मचारी कार्यरत हैं। उत्तर आरकोट जिले से चमड़े और चमड़े से बने माल के निर्यात से देश को काफी विदेशी मुद्रा प्राप्त होतीहै। उत्तर आरकोट जिले से भारतीय सेना में सबसे अधिक जवान भर्ती हुए हैं और हो रहे हैं। उन सभी के लिए कटपाडी केन्द्रीय बिन्दू है। इस समय हजारों लोग कटपाडी से मद्रास और मद्रास से कटपाडी सड़क द्वारा जाते हैं। यदि मद्रास और कटपाडी के बीच बरास्ता अराकोनम एक विद्युत गाड़ी चला दी जाये तो इससे आप लोगों को काफी सुविधा हो जायेगी। इस गाड़ी से दक्षिण रेलवे को लाभ होगा।

मैं माननीय रेल मंत्री को याद दिलाना चाहता हूं तमिलनाडु विधान सभा के सदस्य के नाते मेरे बार-बार कहने पर तमिलनाडु के तत्कालीन उद्योग मंत्री श्री आर० वेंकटरमन ने, जो इस समय उपराष्ट्रपति हैं, मद्रास-कटपाडी रेल मार्ग पटरी के विद्युतीकरण की सिफारिश की थी। मैं चाहता हू कि भारत के उपराष्ट्रपति पद के अपने कार्यकाल के दौरान वह कम से कम यह सुनिश्चित करें कि मद्रास से कटपाडी और कटपाडी से मद्रास एक विद्युत गाड़ी चलाई जाए।

मैं आदरणीय रेल मन्त्री से अपील करता हूं कि वह इस विद्युत गाड़ी को चला कर इस क्षेत्र के लोगों की सहानुभूति प्राप्त करे।

अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं एक अन्य महत्वपूर्ण रेल लाइन का उल्लेख करना चाहूंगा। मुझे विश्वास है कि अब सदन के उपनेता प्रो० एन० जी० रंगा जो इस समय सदन में उपस्थित हैं इसप्रस्ताव का पूरे पुरजोर समर्थन करेंगे। रेलमन्त्री श्री बंसीलाल भी बालाजी का आशीर्वाद और बालाजी के लाखों भक्तों की जो वर्ष भर तिरुपति आते रहे हैं कि शुभकामनाएं प्राप्त करेंगे। तिरुपति और पकाला के बीच बड़ी लाइन है। कटपाडी और पकाला के बीच 70 किमी० तक छोटी लाइन है। यदि इस 70 किमी० की छोटी सी दूरी को बड़ी लाइन में बदल दिया जाये तो कटपाड़ी और तिरुपति के बीच सीधी बड़ी लाइन हो जायेगी। दक्षिण रेलवे की यह सबसे लाभदायक लाइन होगी क्योंकि बालाजी के देश के उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी भाग से बालाजी के सभी भक्त सीधे तिरूपति पहुंच सकेंगे। इस रेलवे लाइन को बदलने के कार्य को रेल-मन्त्रालय द्वारा तुरन्त हाथ में लिया जाना चाहिए। सार्वजनिक ऋण के रूप में जुटाये जाने वाली 250 करोड़ रुपये की धनराशि में से इसके लिये धन की व्यवस्था की जा सकती है। यदि इस लाइन के बदलने की घोषणा की जाती है तो मुझे विश्वास है कि सारे देश में से बालाजी के भक्त-जन इसके लिए काफी मात्रा में धन देंगे। मैं आदरणीय रेलमन्त्री से निवेदन करता हूं कि वह इस मामले पर विचार करें और आवश्यक कार्यवाही करें।

मैं समझता हूं कि रेलवे बोर्ड के हाल के सक्यूंलर का अभिप्राय यह है कि रेलवे में केवल आई० टी० आई० से प्रशिक्षित लोगों को खलासी नियुक्त किया जाना चाहिए। ऐसे लोगों की संख्या काफी है जिन्होंने आई० टी० आई० से प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है लेकिन वे 10-15 वर्षों से खलासी का कार्य कर रहे हैं। मेरा सुझाव है कि उनको कोई हानि न पहुंचाई जाए। अब से रेलवे बोर्ड खलासी के पदों के लिए आई० टी० आई० प्रशिक्षित उम्मीदवार नियुक्त कर सकता है।

अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं पांडिचेरी और बंगलौर के बीच बरास्ता कृष्णागिरि बड़ी लाइन बिछाने का सुझाव दूंगा। इससे तमिलनाडु के पिछड़े क्षेत्रों को लाभ पहुंच सकेगा।

तमिलनाडु के लोगों में यह सामान्य धारणा है कि रेल मन्त्रालय तमिलनाडु के लोगों की वास्तविक मांगों की ओर ध्यान नहीं दे रहा है। मैं माननीय रेल मन्त्री से निवेदन करूंगा कि वह मेरे कम से कम दो तीन सुझावों को 1986-87 में ही क्रियान्वित करें। तभी मुझे सांत्वना मिलेगी और तभी मैं तमिलनाडु के लोगों को यह विश्वास दिला सकूंगा कि रेल मन्त्रालय उनके कल्याण में भी रुचि रखता है।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री काली प्रसाद पांडेय (गोपालगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने काफी इन्तजार के बाद आखिरी समय में बोलने का समय दिया। मैं निर्दलीय सदस्य होने के नाते माननीय परिवहन मन्त्री जी द्वारा जो रेल बजट लाया गया है, उसका समर्थन करता हूं। जब मन्त्री जी बजट प्रस्तुत कर रहे थे, उस समय यह इच्छायें और उम्मीदें लगी थीं कि 5 तारीख को पूर्वोत्तर रेलवे की बैठक है, उसमें माननीय सदस्य और मन्त्री आदि बैठे थे।

सभी सदस्यों का एक ही सुझाव था कि जिस छितौनी रेलवे का शिलान्यास 1972 में, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने किया था, इस बजट में, उसके बारे में, निश्चित रूप से बंसीलाल जी, कुछ प्रकाश डालेंगे। मैं जब बजट के पन्ने पलट रहा था, तो उम्मीदें बढ़ रही थीं कि निश्चित रूप से कम से कम दो योजनाएं जो हैं, जिनमें करोड़ों रुपया भारत सरकार द्वारा मंजूर किया गया था एक योजना थी—छितौनी बगहा रेलवे पुल और दूसरी योजना थी भटनी बनारस रेलवे लाइन, इसके बारे में कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता है कि आपके जैसे प्रभावी मन्त्री के होते हुए ये योजनाएं पड़ी रह गईं। इनमें भटनी और बनारस की लाइन में गवर्नमेंट का करोड़ों रुपया खर्च हुआ, रेलवे पुल बना, लेकिन सिर्फ लाइन न बिछने के कारण, आज लाखों नहीं करोड़ों लोग इस रेलवे सेवा से वंचित हैं।

कल रात में मैं सोया था, जानता था कि आज रेलवे बजट पर बहस होगी, रात में केदार पांडे जी का स्वप्न आया; उन्होंने आकर कहा कि काली पांडे, तुम गोपालगंज से बिलांग करते हो, मैं पश्चिमी चम्पारण से बिलांग करता था, मृत्यु लोग से आने के पश्चात् भी, उत्तरी बिहार के लोग पूछते हैं कि ए केदार पांडे, उत्तर बिहार के लिए आपने क्या किया ? मेरी मरी हुई आत्मा को शान्ति देने के लिए, आज हाऊस में तुम काली पांडे नहीं, बल्कि केदार पांडे बन कर जाना और मेरे बड़े भाई बंसीलाल जी से कहना कि मेरी मरी हुई आत्मा की शांति के लिये शीघ्र छतौनी बगहर पुल को बनवा दें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आपने दिन में सपना देखा था या रात में ?

[हिंदी]

श्री काली प्रसाद पांडे : मैं यह कहना चाहता हूं कि जब योजानाएं ली गईं, जब निधि आबंटित की गई, तो वह कौनसी ऐसी परिस्थिति थी, वह कौनसा ऐसा समय था कि उत्तरी बिहार की योजनाओं मे कटौती करके छितौनी रेलवे पुल के लिए जो पत्थर और बोल्डर सप्लाई

किया गया था, उसको अन्यत्र भेज दिया था ? इससे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी आत्मा ही नहीं, आपके दल के भी बहुत लोग बैठे हुए हैं, जब वे अपने क्षेत्र में जाते हैं, तो लोग उनसे पूछते हैं कि स्वर्गीय गेंदा सिंह जी ने अथक प्रयास करके श्रीमती इन्दिरा गांधी से जिस छितौनी पुल का शिलान्यास कराया उसका क्या हुआ। आप उसके लिए क्यों कुछ नहीं बोलते हैं ? ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तरी बिहार के बहुत से लोग, रेल मन्त्री रह चुके हैं और यह हो सकता है कि आपकी मंशा यह हो कि उत्तरी बिहार और बिहार के बहुत से लोग चूंकि रेल मन्त्री रह चुके हैं इसलिए बिहार की जो भी योजनाएं आएं या उसकी जो भी योजनाएं स्वीकृत की गई हैं, उनको कार्यान्वित न किया जाए।

आप देखेंगे कि भटनी बनारस की लाइन पर सिर्फ करोड़ रुपया खर्च हो गया तथा अर्थ वर्क पुल सभी बनकर तैयार है सिर्फ रेल पटरी बिछा दिया जाता है, तो वह बड़ी लाइन बन जाती है। उससे खासकर जो तीर्थ यात्री है, चाहे वे नेपाल के लोग हों, चाहे अगल-बगल के हों, उन सभी लोगों को बनारस जाकर दर्शन करने में सुविधा होगी।

मैं आपसे बहुत सहज लहजे में कहूंगा, सभी माननीय सदस्यों ने कहा था कि जयन्ती जनता एक्सप्रेस एक चलती है जिससे यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। जिसके अन्दर स्टेशनों पर जाकर आप देखें, तो ऐसा अहसास होता है कि बच्चे को लेकर माँ जब ट्रेन में चढ़ती है, तो मां तो चढ़ जाती है लेकिन बच्चा रोता-बिलखता रह जाता है। आप ने एक आश्वासन भी दिया था कि आसाम मेल को हफ्ते में तीन रोज, हो सकता है कि अप्रैल से चलाएं। रेलवे विभाग की भी मंशा है, आपकी भी मंशा है, सदन की भी मंशा है कि वहां ट्रेन की सुविधाएं दी जाएं। आप देखें, एक दिन में सिर्फ सिवान एक ऐसा रेलवे स्टेशन है, जहां से ढाई से तीन लाख रुपए तक की रेलवे की टिकिटों की बुकिंग होती है। लेकिन जयन्ती जनता के आश्वासन के पश्चात् वे सारे आश्वासन उन कमेटी की मीटिंग तक ही सीमित हो कर रह गए। परिस्थिति यह है बंसीलाल जी, मैं आपसे एक नहीं हजार बार अनुरोध करता हूं कि जयन्ती जतना की तरह से एक और ट्रेन पूर्वोत्तर रेलवे में दिल्ली से बरौनी के लिए चलाएं जिससे उत्तरी बिहार के लोगों को कुछ फायदा हो सके, हम लोग एम० पी० हैं, सुबह-सुबह उठते हैं, केवल एक सूत्रीय कार्यक्रम होता है कि उत्तर बिहार के जितने लोग हैं, वह यही कहते हैं कि पांडे जी, आज हमारा रिजर्वेशन करा दीजिए। एक माह के बाद भी अगर उनका रिजर्वेशन मिल जाए जयन्ती जनता में तो वह लोग धन्य समझते हैं। आज जनता का सबसे मूल प्रश्न जयन्ती जनता में टिकिट मिलना है। तो आज मैम्बर पार्लियामेंट सुबह से दोपहर बारह बजे तक लोगों की समस्या के निदान हेतु जयन्ती जनता के लिए रिजर्वेशन कराता रहे, यही होता है। आप सब ट्रेनों का आंकड़ा तो देखें, जयन्ती जनता की सेल कितनी है।

18.00 बजे

इसी तरह से, सिवान होकर गोरखपुर तक के लिए, एक छोटी लाइन, सौ किलोमीटर की बनाए जाने की उम्मीद थी और आशा थी कि यह सुविधाएं बजट में सम्मिलित की जाएंगी, परन्तु ऐसा नहीं हुआ। इस सौ मीटर रेलवे लाइन के बन जाने से, चाहे अयोध्या, चाहे कानपुर या अन्य जगह जाने के लिए बिहार के ही नहीं, नेपाल के लोग भी लाभान्वित हो सकेंगे।

मेरा एक आखिरी सुझाव यह होगा कि आज जो हर स्टेट की जी० आर० पी० एफ० कार्यरत है, उसके स्थान पर रेलवे का अपना बल बनाया जाना चाहिए और स्टेट की पुलिस को

वहां नहीं रहना चाहिए। रेलवे की पुलिस ही सभी जगह पर कार्य करे। आज होता क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट अपने थाने इसलिए वहां रखती हैं कि यदि कोई कांड होगा, तो एफ० आई० आर० दर्ज हो जाएगी। मेरा सुझाव है कि आप अपनी इन्डीविजुअल पुलिस रखिए। यदि आप चाहते हैं कि कदाचार और भ्रष्टाचार समाप्त हो, तो ऐसा करना बहुत जरूरी है। आज जो भी स्टेट की पुलिस आप रखते हैं, उसका केवल एक सूत्रीय ही कार्यक्रम है :

"पहली सीख यही जीवन की, अपने को आबाद करो।
बस न सके दिल की बस्ती, तो आग लगा बर्बाद करो॥"

मैं स्वयं इसका साक्षी हूं, मैं ट्रेन के सैकिंड क्लास के डिब्बे में सफर कर रहा था मेरे साथ मेरा परिवार था इसलिए मैं ए० सी०-टू टायर में नहीं चल सकता था। मैंने देखा कि दो सिपाही सुरक्षा हेतु केबिन में थे जो बिहारी इस इलाके के लोग थे. रिजर्वेशन होने के बावजूद कह रहे थे कि निकालो पांच रुपए, निकालो दस रुपए। जब हम अलीगढ़ पहुंचे, तो वहां भी वह हालत थी। बाध्य हो कर मुझे आपके यहां कम्पलेन्ट भी करनी पड़ी...(व्यवधान)...

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अन्त में आपसे कहूंगा कि चितौनी रेलवे पुल, भटनी बनारस लाइन और जयन्ती जनता की ओर आप ध्यान देने की कृपा करें। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

5.01 म०प०

कार्य-मन्त्रणा समिति

[अनुवाद]

20वां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य विभाग में राज्यमंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : मैं कार्यमन्त्रणा समिति का 20वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा कल 11 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

6.02 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 5 मार्च, 1986/14 फाल्गुन, 1907 (शक) के 11 बजे मध्याह्नपूर्व तक के लिए स्थगित हुई।

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

मंगलवार, 4 मार्च, 1986/13 फाल्गुन, 1907 (शक)

का

<u>शुद्धि-पत्र</u>

विषय-सूची, पृष्ठ (1), पंक्ति 27, "श्री श्रीराम श्रेष्ठ त्रिरहर" <u>के स्थान पर</u> "श्री राम श्रेष्ठ त्रिरहर" <u>पढ़िये</u> ।

पृष्ठ 13, नीचे से पंक्ति 2, "(ग)" <u>के स्थान पर</u> "(घ)" <u>पढ़िये</u> ।

पृष्ठ 29, पंक्ति 22, पृष्ठ 127, पंक्ति 14, "श्री एन0टोम्बो सिंह" <u>के स्थान पर</u> "श्री एन0टोम्बी सिंह" <u>पढ़िये</u> ।

पृष्ठ 51, पंक्ति 17, "पिलकिंगटम" <u>के स्थान पर</u> "पिलकिंगटन" <u>पढ़िये</u> ।

पृष्ठ 56, पंक्ति 17, "(ढ)" <u>के स्थान पर</u> "(ड·)" <u>पढ़िये</u> ।

पृष्ठ 57, पंक्ति 27, "श्री कृण चन्द्र पंत" <u>के स्थान पर</u> "श्री कृष्ण चन्द्र पंत" <u>पढ़िये</u> ।

पृष्ठ 61, नीचे से पंक्ति 4, "(क)" <u>के स्थान पर</u> "ग" <u>पढ़िये</u> ।

पृष्ठ 67, पंक्ति 19, "श्री सगदाधरा हा" <u>के स्थान पर</u> "श्री गदाधर साहा" <u>पढ़िये</u> ।

पृष्ठ 70, पंक्ति 16, "(ग)" <u>के स्थान पर</u> "(ख)" <u>पढ़िये</u> ।

पृष्ठ 74, पंक्ति नीचे से 2, "(ख)" <u>के स्थान पर</u> "(क)" <u>पढ़िये</u> ।

पृष्ठ 79, पंक्ति 24, "(ख)" <u>के स्थान पर</u> "(ग)" <u>पढ़िये</u> ।

पृष्ठ 81, पंक्ति 15, "केन्द्री" <u>के स्थान पर</u> "केन्द्र" <u>पढ़िये</u> ।

पृष्ठ 94, पंक्ति 25, "सिन्हा" <u>के स्थान पर</u> "सिंह" <u>पढ़िये</u> ।

पृष्ठ 104, पंक्ति 12, "आकाशस्टूडियो" <u>के स्थान पर</u> "आकाशवाणी स्टूडियो"

220, पंक्ति 7, "श्री डी०एम०रेड्डी" के स्थान पर "श्री डी०एन०रेड्डी"
[illegible]।

252, पंक्ति 5, "गायवाड" के स्थान पर "गायक्वाड" पढ़िये।

283, पंक्ति 23, "दिगाल" के स्थान पर "डिगाल" पढ़िये।

332, पंक्ति 5, "श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी" के स्थान पर "श्री कृष्ण सुल्तानपुरी" पढ़िये।

335, नीचे से पंक्ति 2, अ०प्र०संख्या "1385" के स्थान पर "1358" पढ़िये।

342, पंक्ति 9, "उद्योग रिहत" के स्थान पर "उद्योग रहित" पढ़िये।

344, पंक्ति 13, "अमरीका निवेश" के स्थान पर "अमरीकी निवेश"
[illegible]ये।

364, पंक्ति 10, "12·00म०प०" के स्थान पर "12·00मध्याह्न" पढ़िये।

381, नीचे से पंक्ति 6, "श्री पी०कुलनईवेलु" के स्थान पर "श्री पी०
दईवेलु" पढ़िये।

431, पंक्ति 10, "श्री बंशी लाल" के स्थान पर "श्री बंसी लाल" पढ़िये।

454, पंक्ति 15, "समय "5·01म०प०" के स्थान पर "6·01म०प०" पढ़िये।